(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का 39वां दिवस [संख्या : 25

सोमवार

दिनांक 16 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

मांगरोल से बालूंदा तथा गैंता से ठीपरी सड़क निर्माण

663. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मांगरोल से बालूंदा वाया बमोरी कलां सड़क तथा गैंता से ठीपरी सड़क को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाया जाना प्रस्तावित था ?

(2) यदि हां, तो उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा उक्त सड़कों को अब तक तैयार कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया है। बमोरी कलां की आबादी करीब 3 हजार की है। आपने बराबर यहां पर और अखबारों में यह कहा है कि एक हजार से ऊपर की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं। बमोरी कलां पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां पी. एच. सी. है, स्कूल है, बिजली बोर्ड का आफिस है, दूसरे और आफिस हैं, लेकिन वह गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं

Page No 2

(2)

(श्री हीरालाल आर्य)

है। दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था उसका मैं खण्ड--3 पढ़ रहा हूं "मांगरोल से सोसवली सड़क, जिसकी अनुमानित लागत 18 लाख है, व मांगरोल से बमोरी कलां से पार्वती नदी तक, जिसकी अनुमानित लागत 42 लाख रुपये है, छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।" यही बात मैंने इस प्रश्न के माध्यम से निवेदन की है कि क्या यह सड़कें छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं, क्योंकि यह छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष चल रहा है, और मंत्री महोदय अब जवाब दे रहे हैं कि 'जी नहीं'। मंत्री महोदय, पहले अपने डिपार्टमेंट से पूछ लें कि पिछली विधान सभा में क्या जवाब दिया था और अब क्या दे रहे हैं।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी बताया था, उसका खण्ड-2 पढ़कर निवेदन करूं "बमोरी कलां पंचायत मुख्यालय है। राज्य सरकार के 20 संकल्पों में ग्राम तक सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के बारे में कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है अतः इस ग्राम के सड़क से जुड़ने की सम्भावना है।" स्वीकार कर रहे हैं और अब मना कर रहे हैं। अब कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मुगेरिया कोटा जिले का बहुत बड़ा कस्बा है और जहां पर आज सभी तरह के दफ्तर हैं, वहां सड़क नहीं है। इससे वह अकेला कस्बा ही नहीं जुड़ेगा बल्कि उसके आसपास के गांव भी सड़क से सम्बन्धित होंगे। डिपार्टमेंट को कहें कि पिछली बार आश्वासन दिया था विधान सभा में, उसके अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को बनाने का प्रावधान था।

दूसरी जो गैंता से ठीपरी सड़क है यह तीन पंचायतों के बीच में है और करीब एक-एक हजार की आबादी के चार गांव पड़ते हैं और दूसरे भी छोटे-छोटे गांव हैं इस तरह से 15–20 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकता है। तो आप इनको अतिशीघ्र पूरी करने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मंत्री महोदय, यह भी बता दें कि उल्टे सुल्टे जवाब देने का क्या कारण है।

श्री चेतराम मीणा: बमोरी कलां की जनसंख्या 2546 है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या छठी पंचवर्षीय योजना में यह सड़क है? तो पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क पर्टीकूलर नहीं होती है, वार्षिक योजना बनती है और उसमें धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत होती है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों सड़कें जिनके लिये माननीय सदस्य ने कहा, दोनों सड़कों को मास्टर प्लान में लिया गया है। मांगरोल वाया बमोरी कला में जनसंख्या 2546 है, बालूंदा कलां में 371 हैं....

श्री हीरालाल आर्य: ज्यादा है, 1981 के हिसाब से बताओ।

श्री चेतराम मीणा : बालूदा छोटा सा गांव है, 371 की जनसंख्या है, पंचायत हैडक्वार्टर है। इस सड़क को जारेला तक बढ़ाया जायेगा और गैंता तक जो सड़क बनी हुयी है उसको जोड़ा जायेगा। दूसरी सड़क राजोपा से बरान का प्रावधान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों को मास्टर प्लान में लिया हुआ है लेकिन मास्टर प्लान में लेने के बाद भी कोई सड़क मास्टर प्लान में लेने से ही नहीं बन जाती वार्षिक योजना में सड़क स्वीकार होती है और धन की उपलब्धता पर बनायी जाती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : मास्टर प्लान तो अभी बना है और 15-20 साल का बना है लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में जो सड़क प्रस्तावित थी, ये दोनों सड़कें ही, उनका क्या हुआ? मास्टर प्लान से क्या होता है। यह कोटा जिले का सबसे बड़ा कस्बा है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। कम से कम जाते-जाते कर जाओ....

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : ये नहीं जा रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वार्षिक योजना की स्वीकृति में ही सड़कें स्वीकृति होती हैं। 1984–85 का बजट अभी पास हुआ नहीं है इसलिये इस समय यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि अगले साल, जो कि 1 अप्रेल से शुरू हुआ है, में कौन-कौनसी सड़कें मंजूर होंगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री उम्मेद सिंह।

श्री हीरालाल आर्य : यह कोटा जिले का सबसे बड़ा जिला है इसको इसी साल सड़क से जोड़ा जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : आश्वासन ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री उम्मेदसिंह।

प्रश्न संख्या 664

(अनुपस्थित आगे देखें।)

श्री तेजपाल यादव।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के कृषकों को ऋण

665. **श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक जयपुर में ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 1.7.82 से 31.12.83 तक कितने आवेदन-पत्र दिये गये?

(2) उपरोक्त आवेदन-पत्रों में से कितने

(श्री तेजपाल यादव)

व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत हो चुका है और उनको कितनी राशि उपलब्ध करा दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा सारी कार्यवाही पूर्ण करने के बावजूद भी उन्हें प्रथम या दूसरी किश्त अदा नहीं की गयी है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ क्षेत्र के किसानों द्वारा 1.7.82 से 31.12.83 तक कुल 419 ऋण आवेदन-पत्र जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर की शाखा चौमू में प्रस्तुत किये गये ।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों में से 288 व्यक्तियों को रुपये 35,85,600) का ऋण स्वीकृत किया गया है एवं 237 व्यक्तियों को 17,34,900) की राशि का भुगतान किया गया है ।

(3) जी नहीं ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, बैंक चला गांवों की ओर, अभियान चलाया गया था इसमें सब लोगों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे और उसमें से जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया कि आधे से कम लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया है और दूसरी तरफ स्वीकृत 35 लाख रुपयों में से 17 लाख रुपयों का ही भुगतान किया गया है । सही स्थिति यह है कि 70 प्रतिशत प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक ऋण नहीं दिया गया है और किसान लोग चक्कर खा रहे हैं, बैंक के पास पैसे का अभाव है । भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त करना वैसे ही मुश्किल है, सारे कागज लाकर रखने होते हैं, पैसा जमा कराना होता है, नो ड्यूज लेना होता है और फिर भी 2–3 वर्ष तक प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण नहीं हो । एक किश्त मिल जाये तो दो-दो वर्ष तक दूसरी किश्त प्राप्त नहीं हो इससे हालात खराब हो रहे हैं । बाकी बचे जो प्रार्थना-पत्र हैं और बकाया जो भुगतान है वह कब तक कर देंगे ? अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र बकाया हैं ? उनको कब तक ऋण दे देंगे, कृपया निश्चित तारीख बतायें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी चौमू से आने वाले सम्माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत का भुगतान नहीं हुआ है । 'जब बैंक चला गांवों की ओर अभियान चला था उस समय 415 ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनमें से 288 को ऋण स्वीकार किया जा चुका है । 131 बाकी रहे हैं । सम्माननीय सदस्य जो कि स्वयं भी उस बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत लोग बाकी रहे, तो कहां बाकी रहे ? मैं उसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से आपसे निवेदन करता हूं कि जिन किसानों के आवेदन-पत्र पूर्ण हो चुके हैं उनको ऋण देना बाकी नहीं है और जिनके बाकी हैं उनको भी शीघ्र ही देने की व्यवस्था की जा रही है और इस तरह से कोई तकलीफ किसानों को नहीं हो इस दृष्टि से उस कार्य को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

काफी जोर देकर किया गया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि सम्माननीय सदस्य की नजर में ऐसे और व्यक्ति हों जिनको, भुगतान नही किया गया हो तो बतायें उनको निश्चित रूप से भुगतान करवा देंगे।।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री तेजपाल यादव : जो ऋण आवेदन अपूर्ण थे उनको पूर्ण करने से ऋण स्वीकृत हो सकता है या नहीं हो सकता है तथा ऋण कब तक देंगे आप ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर।

श्री त्रिलोक सिह (फतेहपुर) : लोगों को बैंक ने रुपये नहीं दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चोरियों का प्रश्न है यह....

श्री त्रिलोक सिह : घोटाले का है, और जगह भी होते हैं....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वयं जानते हैं मशीनरी के अन्तर्गत पम्पसैट का सारा पैसा बैंक की ओर से भुगतान किया जाता है और अन्य कार्यों के लिये जो रुपये दिये जाते हैं वे काम पूरा होने पर दिया जाता है और उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मैंने यह निवेदन कर दिया कि यदि सम्माननीय सदस्य ऐसे मामलों की जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से उनकी जांच करवायेंगे और उस समय जो अभियान चलाया गया था उस समय 5 रुपये....

(व्यवधान)

वह 16 रुपये किसानों के लगते हैं। और एक साथ ही रुपया नहीं दे देते। यहां ऐसी कोशिश करते हैं कि बैंकों से ऋण प्राप्ति के लिये ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़े।

श्री तेजपाल यादव : माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। भूमि विकास बैंक की राशि देने में पैसे लिये जाते हैं। उनमें ऐसी बुरी स्थिति है कि उसके बारे में कहना भी मुश्किल है। बकाया किश्तों का भुगतान करने के बाद आप कब तक ऋण का भुगनान कर देंगे ? मैं कल रिकार्ड दे दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय सदस्य चेयरमैन हैं, उनकी जानकारी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उनकी जानकारी के लिये मैं बता दूं इस बारे में कि ट्रैक्टर की कीमत डिसाइड कर दी है 80 हजार रुपये तथा किसान को 30 हजार रुपये जमा कराने पड़ते हैं। सरकार इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करने जा रही है। आज ट्रैक्टर एक-एक साल, दो-दो साल तक....

श्री तेजपाल यादव : आपका ये जो पम्पसैट का है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक बात, अध्यक्ष महोदय, इस समय तक निवेदन कर चुका हूं....

श्री अध्यक्ष : भाषण न दें, माननीय सदस्य । मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उसके बारे में एक ही निवेदन कर रहा हूं उनकी गलतफहमी दूर करने के लिये कि पैसे का हमें कोई अभाव नहीं है । दूसरी बात पम्पसैट की थी, इसके बारे में भी जब तक वे लिखवाकर नहीं दे दें उन्हें रुपये नहीं दिये जाते हैं । मैं यही निवेदन करूंगा कि सम्माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।
श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के हड्डियों के वार्ड में शैयाएं बढ़ाना

6 6. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में हड्डियों के जनरल वार्ड में शैयाओं के अनुपात में मरीजों की संख्या अत्यधिक है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से इस वार्ड में शैयाओं के अनुपात में मरीजों की उपस्थिति कितनी प्रतिशत अधिक रही और इन मरीजों को वार्ड में किस प्रकार रखा गया ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1960 में उक्त चिकित्सालय में हड्डियों के जनरल वार्ड में शैयाओं की संख्या और आज की संख्या में कोई अन्तर नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि इस चिकित्सालय के अन्य विभागों में मरीजों की शैयाओं को समय-समय पर बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कितनी-कितनी शैयाएं सन् 1960 से अब तक कब-कब बढ़ायी गयी हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस वार्ड में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शैयाओं की संख्या बढ़ाने के लिये कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी शैयाएं कब तक बढ़ायी जावेंगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) : (1) यह सही है कि शयाओं के अनुपात में मरीजों की संख्या अधिक रही । पिछले वर्षों में यह संख्या 45 से 55 प्रतिशत तक अधिक रही । रोगियों की संख्या को अधिक देखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं :

1. आउट डोर स्तर पर ही फ्रेक्चर क्लिनिक की स्थापना की गयी है ।

2. एक्सीडेन्ट इमरजेंसी में शैयाओं की व्यवस्था की गयी है ।

3. वार्ड में ही अलग से गद्दों व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

Page No 7

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) यह सही नहीं है। सन् 1960 में शैयाओं की संख्या 64 थी, जो अब बढ़कर 144 हो गयी है।

(3) यह सही है कि समय-समय पर नये विभागों के सृजन के साथ-साथ चिकित्सालय में शैयाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। विभागानुसार बढ़ायी गयी शैयाओं की सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। समुचित वित्तीय प्रावधान होने तथा उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उस सूची से बिल्कुल स्पष्ट है, इन्होंने लिखा है कि रीहैबिलिटेशन वार्ड में 80 बैड्स बढ़ाये हैं। ये बैड्स बढ़ाये गये हैं जिनका कोई सम्बन्ध और लेना-देना नहीं है। 1960 में जो संख्या थी 64 उससे लेकर के अब 144, जैसा कि ये कहते हैं वह 64 की 64 चल रही है। अगर आप वहां जायें तो ऐसा लगेगा कि नर्क में प्रवेश किया है। हरदम 200 पेशेन्ट वहां पर बाहर पड़े रहते हैं। बरामदे में इस प्रकार से पड़े रहते हैं और उनकी दुर्गति होती है। वार्ड की स्थिति बहुत ही खराब है। जिसका पैर कट गया, हाथ कट गया वे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा करवाने के बाद जब हड्डियों का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कहां कराते हैं, यह आप बता दीजिये और ये बता दीजिए कि उनकी कितनी संख्या है ताकि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये रीहैबिलिटेशन सेंटर या वार्ड कोई आम का वार्ड नहीं, वहां पर हड्डियां टूटने वालों का ही इलाज हुआ करता है। ये बात सही है कि वहां 80 शैयाएं बढ़ चुकी हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही, अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। उत्तर सुन लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और हड्डियों के जनरल वार्ड में 75 शैयाएं हैं। मेल 39, फीमेल 36। रीहैबिलिटेशन सेंटर में कुल 44 शैयाएं हैं और मेल 10 और फीमेल 15 और क्यूबिकल्स में चार शैयाएं हैं। आवश्यकतानुसार यदि संभव हो तो जिस दिन मरीज भर्ती होता है उसी दिन उसको घर भेज दिया जाता है। एक्सीडेंट इमरजेंसी में 12 शैयाएं हैं। जिसको गम्भीर चोट होती है तो वहां 12 शैयाओं की व्यवस्था है। मेल वार्ड में 50, फीमेल वार्ड में 25 की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। चिकित्सा समिति की ओर से भी 10 शैयाओं की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या करवाया आज तक वहां पर, आप जाकर देखिये उस वार्ड में कितने पेशेंट पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जगह नहीं है। जो भी आदमी जावे, चाहे उसको गम्भीर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चोट हो या चाहे जैसा भी हो, पट्टी बांधकर भेज देते है। उसके बाद एक-एक, दो-दो महीने के बाद, जब अस्पताल, वार्ड में जगह होती है तब भर्ती करते हैं। उसको वहां 6-6 महीने रहना पड़ता है। ऐसी हालत हो रही है उस वार्ड की। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार की दुर्दशा है इसको सुधारने का प्रयत्न करिये। उन मरीजों का नारकीय जीवन बना रखा है। उन मरीजों को बाहर की बाहर ही भेज दिया जाता है। दो-दो महीने के बाद उनको जाकर एडमिशन मिलता है। किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है? 200 प्रतिशत कैपेसिटी है। नीचे आंगन में, कोने में भी लोगों के लिए जगह नहीं है। जब आप 200 प्रतिशत की कैपेसिटी मानते हैं तो व्यवस्था क्यों नहीं करते वहां? वहां भटकते फिरते हैं ××× से।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो यह बता दीजिए, किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी संख्या बढ़ाई?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि किसी रोज अगर किसी बस का एक्सीडेण्ट हो जाय या कोई ट्रक उलट जाय तो मरीज बढ़ जाते हैं, वरना नार्मल कोर्स में तो परेशानी है नहीं। फिर भी····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप देख लीजिए, चलिये आप।

श्री हीरालाल आर्य : गैलेरी के नीचे, दोनों तरफ मरीज पड़े हुए हैं।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : मन्त्री महोदय को शर्म आनी चाहिए, खुद तो ऑपरेशन करवाते हैं संतोकबा में जाकर, और वहां लोगों को ××× पड़ा रखते हैं। यह आपके उत्तर से स्पष्ट हो गया, जो संख्या 60 में थी वही आज भी है।

श्री अध्यक्ष : समस्या सामने आ गई। ऑर्डर, ऑर्डर। भाषण नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां आप कब गये थे या जैसा घनश्यामजी ने कह दिया वही आप भी कह रहे हैं?

श्री अनंगकुमार जैन : मैं खुद गया था। 3 महीने तक····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कब बढ़ेगी सीटों की संख्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो मैंने जवाब दे दिया कि जब धन की व्यवस्था होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××× पड़े हैं। धन की व्यवस्था क्या होती है?

श्री अनंगकुमार जैन : यह बता दीजिए, धन की व्यवस्था कब होगी?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 9

(9)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले भी हमने किया है आज भी हम ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। उत्तर आ गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उत्तर नहीं आया। 200 प्रतिशत की कैपेसिटी है। वहां पर इस प्रकार का व्यवहार होता है। आदमियों को जगह नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। समस्या सामने आ गयी, उत्तर आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन वर्षों में बढ़ाई है उन वर्षों में कितनी-कितनी बढ़ाई ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो बढ़ाई है कांग्रेस की सरकार ने ही बढ़ाई है, जनता पार्टी के समय में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्ष बता दीजिए। आपने स्वास्थ्य मंत्रालय का जिस प्रकार से बंटाधार किया है, और किसी ने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। इजाजत नहीं।

श्री घनश्याम जैन।

गोसुण्डा बांध की जल-क्षमता

667. श्री घनश्याम जैन (बेंगू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ में गोसुण्डा बांध की प्रशासनिक स्वीकृति कब हुई ? उस पर अब तक कितनी लागत लग चुकी है ?

(2) क्या इस योजना का कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस बांध को हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर लि. को दे दिया गया है ?

(4) गोसुण्डा बांध की जल क्षमता अधिक से अधिक कितनी है एवं जिंक स्मैल्टर के लिए कितने पानी की आवश्यकता रहेगी ?

(5) क्या बचे हुए जल से किसानों को सिंचाई सुविधा भी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेश डांगी) (1) गोसुण्डा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 23 जनवरी, 1980 को दी गयी थी। इस योजना पर फरवरी, 1983–84 तक 87.08 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(2) जी नहीं। इस योजना के निर्माण का कार्य भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

(श्री दिनेश डांगी)

(3) इस बारे में निर्णय ले लिया गया है। बांध का कार्य मैसर्स हिन्दुतान जिंक लिमिटेड के साथ अनुबन्ध, जो कि विचाराधीन है, हो जाने पर सौंप दिया जायेगा।

(4) गोसुण्डा बांध की कुल जल-क्षमता 2665 एम. सी. एफ. टी. है जिसमें से उपयोगी जल-क्षमता 2365 एम. सी. एफ. टी. है। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए 2100 एम. सी. एफ. टी. पानी की आवश्यकता बताई है।

(5) जी नहीं, क्योंकि जिंक स्मैल्टर के सिवाय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भी 500 एम. सी. एफ. टी. पानी देने का विचार है। उसके पश्चात् सिंचाई हेतु पानी नहीं बचता।

श्री घनश्याम जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सुपर जिंक स्मैल्टर लगाने का स्थान चैंज हो चुका है, प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो इसके पहले ही बांध को कम करने का औचित्य क्या था, जब इतना पैसा खर्च हो चुका है? प्रशासनिक स्वीकृति और स्थान नहीं बदला तो बांध के कार्य को बन्द करने का क्या औचित्य है?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, जब यह बांध शुरू किया था तो यह नहीं सोचा था कि भारत सरकार इस यूनिट को बदलना चाहती है....।

श्री घनश्याम जैन : अध्यक्ष महोदय, जब स्थान चेंज नहीं हुआ और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई तो कैसे उसको....

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को इसका उपयोग करना है....

श्री घनश्याम जैन : स्थान चेंज नहीं हुआ तो कैसे दे दिया?

श्री दिनेश डांगी : दूसरी यूनिट उन्होंने बना ली।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम जैन : स्थान का चेंज कर दिया क्या आपने?

श्री दिनेश डांगी : उदयपुर का तो जिंक स्मैल्टर है ही नहीं। दूसरी यूनिट गांववाला गांव के पास में स्थित है, उसके आस-पास उन्होंने कुछ अपना चैंज किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर नगर के रिक्शे

668. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) [श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) की अनुपस्थिति में] : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कुल कितने रिक्शा चल रहे हैं? नगर परिषद्, जयपुर ने वर्ष 1980 के जून से जनवरी, 1984 तक कितने रिक्शा सीज किये हैं?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) अवैध रिक्शा चालन रोकने की परिषद् की क्या प्रभावी योजना है ?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा पंजीकृत कुल रिक्शा 7113 हैं । जून, 1980 से जनवरी, 1984 तक कुल 1252 रिक्शा जप्त शुदा हैं । यह राजस्थान नगर पालिका रिक्शा अधिनियम की अवहेलना के कारण जब्त किये गये हैं ।

(2) राजस्थान नगर पालिका रिक्शा चालन अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत नगर परिषद् द्वारा विधिवत चैकिंग कर रिक्शाओं का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्त करने की कार्यवाही की जाती है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा, यह जून, 1980 से जनवरी, 1984 तक जो 1252 रिक्शे जब्त हैं, क्या यह रिक्शे खण्ड–2 में दिये गये जवाब के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा जब्ती-कार्यवाही करके जब्त किये गये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मुझे पूछना था । 1980 से रिक्शे पड़े हैं । सारे रिक्शे खुले में रखे गये हैं । इनकी पुलिस सीजर के बाद, नगर पालिका सीजर के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसका क्या कारण है और क्या व्यवस्था करने वाले हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत अदालत के बिना आदेश के भी सक्षम अधिकारी रिक्शाओं को जब्त कर सकते हैं । उसके बाद अदालत के अन्दर इनका चालान प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी कि नियमों में व्यवस्था है । लेकिन, आम तौर पर अदालत में चालान प्रस्तुत करने के बाद कोई भी आदमी अदालत के अन्दर हाजिर होता नहीं । सम्मन भेजे जाते हैं । यह रूल्स की पेचीदगी या कमी है । लेकिन नियम बने हैं । रूल्स के अन्दर है कि जो रिक्शा चालक हैं उनके नाम लाइसेन्स जारी किये जायेंगे । होता क्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूं और आप सब भी जानते हैं कि एक रिक्शा मालिक 100-100, 200-200 रिक्शा लेकर रखते हैं । फिर एक्स को ले जाकर खड़ाकर दिया कि यह इसका रिक्शा है । इसके नाम लाइसेन्स बन गया । जब रिक्शा जब्त हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं क्यों जाऊं, किस लिए ? इस वजह से पड़े हैं । मूल कारण यही है । अदालतों में हाजिर होते नहीं, तारीख पड़ती रहती है, निर्णय होता नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मैं चाहता हूं । बड़े पैसे वाले अधिक रिक्शे लेकर चलाते हैं और उनके रिक्शे चल रहे हैं । ये रिक्शे तो गरीबों के रिक्शे हैं जो नगर परिषद् के सीजर में हैं, जिनके नाम किया जाता है पंचनामा । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं, आपने तो काल्पनिक जवाब दे दिया कि हाजिर नहीं होते हैं । जो 1252 रिक्शे जब्त किये हुए नगर परिषद् के सीजर में पड़े हैं, उनमें से कितनों का चालान पेश किया है, कितने लोग हाजिर

(श्री कैलाश मेघवाल)

नहीं हुए ? इसके आधार पर बताइये, क्या यह सही है कि इनके टायर-ट्यूब और दूसरे पार्ट्स वगैरह नगर परिषद् के कर्मचारी ले जाकर बेचते हैं, बेच दिये गये हैं ? और इनका बरसात में खुले में पड़े रहने से जो नुकसान हुआ; आप क्या इसको उचित समझते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कितनों के अन्दर चालान पेश हुए, कितने लोग हाजिर नहीं हुए, इसका ब्यौरा तो इस समय मेरे पास है नहीं. इसलिए यह सूचना अभी देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जवाब क्यों दिया ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने इसलिए पूछा है, कहा है कि काल्पनिक जवाब दे दिया, हाइपोथैटिकल जवाब दे दिया ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न ही हाइपोथैटिकल है । खूब सारे रिक्शे खरीदकर लोग रख लेते हैं, सही बात यह है कि रिक्शे होते किसी के हैं और चलाते कोई और हैं। जब चालान होते हैं तो भाग जाते हैं। फिर दूसरे ही....।

(व्यवधान)

आप फरियादी लाओ न ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सब में चालान पेश कर दिये गये, अभी मैंने सूचना पढ़ ली है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

ग्राम पंचायत तूंगा की भूमि पर प्लाण्टेशन

669. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वन विभाग ने ग्राम पंचायत तूंगा, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर की चरागाह भूमि प्लाण्टेशन लगाने के लिए ली थी ? यदि हाँ, तो कितनी कब, और कितने समय के लिए ली गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग को यह भूमि 5 साल बाद वन लगाकर वापस लौटानी थी ? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से के बाद भी यह चरागाह भूमि पंचायत को क्यों नहीं लौटाई गयी ?

(3) क्या वन विभाग उक्त भूमि को पंचायत के सुपुर्द करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(1) **राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)** : जी हां 200 एकड़ गोचर भूमि वर्ष 1959 में ली गयी थी। भूमि को लौटाने सम्बन्धी पंचायत से कोई करार नहीं था।

(2) जी नहीं।

(3) अगर पंचायत उक्त भूमि को वापस लेने को तैयार हैं तथा प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सरकार को वापस देने में कोई

Page No 13

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

एतराज नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत की चरागाह की भूमि को वापस लेने के लिए कई बार विभाग को एप्लाई किया लेकिन उसके बावजूद विभाग ने वापस क्यों नहीं लौटाई ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि प्लान्टेशन के लिये पंचायतें चरागाह की भूमि देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो भविष्य के लिये क्या वन मंत्री महोदय हमें इस बात के लिये आश्वस्त करेंगे कि जो भूमि प्लान्टेशन के लिये दी जायेगी वह 5–7 साल के बाद वापस पंचायतों को लौटा दी जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : अध्यक्ष महोदय, भूमि ली गई थी चरागाह को सिंचित करने की योजना के अन्तर्गत, 1959 में जो योजना आई थी उसके तहत यह काम कराया गया था। उसके बाद में डिमान्ड के समय भी मैंने माननीय सदस्य को बताया था, उस भूमि को वापस करने के सम्बन्ध में कुछ अधिकारी कहते हैं कि पंचायत को वापस करने से पेड़ वगैरह कट जायेंगे इसलिये वापस करना ठीक नहीं रहता। जैसा मैंने निवेदन किया पंचायत की भूमि को हम जब किसी योजना से हाथ में लेते हैं तो बाकायदा इकरारनामा लिखकर लेते हैं कि इतने समय के बाद वापस लौटा देंगे। इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया कि इकरारनामे के बाद कोई भूमि नहीं लौटाई।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : यह तो तूंगा पंचायत समिति का मामला है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक योजना यह बताई कि आदिवासी लगायेंगे तो उनकी रोजी भी चलेगी। लेकिन इस तरह की व्यवस्था से उनका विश्वास हट जायेगा। एक तरफ तो सरकार उनको जमीन देगी फिर वह जमीन वापस ले लेगी, जो पेड़ लगायेंगे वह वापस ले लेगी। तो इस बात का स्पष्ट जवाब दिया जाय कि इसकी पूरी व्यवस्था करके अधिकार उनको दें। जब वापस ले लेगी तो वह क्यों मेहनत करेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह योजना से सम्बन्धित है। हमारी योजना है कि वनों के जरिये से जन जाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाय। इस योजना के तहत 2 हैक्टेयर जमीन और तीन हजार रुपये एक परिवार को पेड़ लगाने के लिये दिये जायेंगे। यह क्रम 15 साल तक चलता है, इस प्रकार से 30 हैक्टेयर

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जमीन और करीब 45 हजार रुपया उनके पास पहुंच जाता है। 15 साल के बाद वह पेड़ उत्पादन देंगे, उन पेड़ों से जो भी उत्पादन होगा उसको वह लेंगे, इसलिये वापस लेने का आपने जैसा प्रश्न किया है वह सवाल ही नहीं है।

चरागाह की भूमि पंचायतों से लेने का जहां तक प्रश्न है उसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया वह निश्चित अवधि में वापस लौटा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 670

श्री शिवदान सिंह राठौड़

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह,

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 671

श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनकी तो पिटाई हो गई, तलवारों और बछियों से उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, जगनसिंह विधायक का घर जला दिया

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जाकर आये हैं क्या ?

श्री यदुनाम सिंह : अखबारों में पढ़ा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने सूचना दे दी।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 672

श्री रामकंवर बैरवा,

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनकी भी पिटाई हो गई।

प्रश्न संख्या 673

श्री अध्यक्ष : श्री हरीसिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 674

श्री सुरजाराम ढाक ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राधेश्याम ।

श्री गंगानगर में चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य

675. **श्री राधेश्याम (गंगानगर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गंगानगर में आधुनिक एवं सभी सुविधाओं से पूर्ण चिकित्सालय के निर्माण हेतु स्थानीय जिलाधीश की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसके पास जनता का लगभग 35 लाख रुपया उपरोक्त प्रयोजनार्थ काफी समय से जमा है ? यदि हो, तो चिकित्सालय के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ट्रस्ट ने जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु खलगभग 60 बीघा भूमि भी प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो चिकित्सालय निर्माण के कार्य को प्रारम्भ करवाने में सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार एक नये जिला चिकित्सालय के निर्माण में आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ? राज्य सरकार के प्रस्ताव और संकल्प से अवगत कराने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) राज्य सरकार ने राज्य में नये चिकित्सालय निर्माण हेतु कितनी कितनी राशि गत विभिन्न 5 वर्षों में आवंटित की है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां। अस्पताल के निर्माण कार्य पर लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये का खर्चा होने की सम्भावना है, धनाभाव की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है,

(2) ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु केवल 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय की गई है। निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने का कारण धन का अभाव है।

(3) जी हां। समयानुसार जितनी राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष के पास उपलब्ध होगी, उसमें से जितना मुख्य मंत्री जी उपयुक्त एवं व्यावहारिक समझेंगे, उतनी राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

(4) इस प्रकार के नये चिकित्सालय

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भवन निर्माण हेतु गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की है।

श्री राधेश्याम : आदरणीय अध्यक्ष जी, कितने साफ तरीके से माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जवाब दिया है, हास्पिटल की इतनी हालत खस्ता है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, पड़ोस में पंजाब और हरियाणा प्रान्त की सीमायें लगती हैं, आर्मी की बहुत बड़ी छावनी हैं—किसी हास्पिटल की हालत मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में ऐसी खराब नहीं होगी। उसको एक तरीके से बूचड़खाना बना रखा है। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि आप एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करायें। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, अनुरोध किया कि उस चिकित्सालय की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भी है और हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी हमें निर्देश दिया है, 22 लाख की जनता वहां पर निवास करती है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, कितनी फैक्ट्री-कितने मजदूर है। मैं बहुत लम्बे अर्से से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं लेकिन आज इस तरह का जवाब देकर उससे साफ तौर से बचने की उन्होंने कोशिश की है। इनके सामने जब मुख्य मंत्री से मैंने प्रार्थना की, उनसे इस बात की डिमाण्ड की तो 50 लाख रुपया देना मंजूर किया। उस समय ये स्वयं वहां पर मौजूद थे।

ऐसा लगता है कि शायद ये गंगानगर को पसन्द नहीं करते। पहले तो कहा करते थे कि गंगानगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम : एक ट्रस्ट बनाकर, भूमि नहीं है, रुपया नहीं है यह कह कर गंगानगर की जनता से मांग कर पैसा इकट्ठा किया गया। भूमि उपलब्ध की गई, मास्टर प्लान लाकर तय हुआ।....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री राधेश्याम : आपने अस्पताल के निर्माण पर 8 करोड़, 10 करोड़ खर्च होना बताया है, वह तो जिन्दगी भर नहीं होगा। जनता ने 60 बीघा भूमि भी प्राप्त कर ली है और उसके बावजूद भी निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि गंगानगर राजस्थान का एक बहुत ही शानदार जिला है, उसकी आबादी 22 लाख की है और वहां पर जो अस्पताल भवन है वह पुराना है। मैं यह भी मानता हूं कि इस अस्पताल के भवन के लिये जमीन भी दे दी गयी है। उस भवन को बनाने के लिये ट्रस्ट ने जमीन भी दी है और वहां की जानता ने 35 लाख रुपये का चन्दा भी जमा किया है। पर अस्पताल के भवन को बनाने के लिये जो नक्शा तैयार किया गया है उसके अनुसार उसकी कीमत करीब 8–10 करोड़ रुपये की होगी। इसके

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बिना वहां पर अस्पताल का भवन बनाना मुश्किल है, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पांच करोड़ रुपये दिला दें तो पांच करोड़ रुपये मुख्य मंत्री कोष से दिला दिये जायें, पर मुख्य मन्त्री कोष से पैसा तो तभी मिल सकता है जब कि उसमें पैसे हों। मैं यहां पर अभी इस बात का कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं कि मुख्य मन्त्री कोष से पैसा दिला दिया जायेगा। इसलिये चूंकि राज्य सरकार के पास अभी इस अस्पताल का भवन बनाने के लिये कोई धनराशि का प्रावधान नहीं है अतः राज्य सरकार अभी भवन बनाने में असमर्थ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तब तो वह बूचड़खाना ही रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, भवन के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या तो वित्तीय प्रावधानों की है। अगर वहां की जनता चन्दा देवे तो वहां पर निश्चित तौर से अस्पताल का भवन बन जायेगा।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, 'आज पिछले दस साल से यह भवन बनाने की योजना चल रही है, पर यह अस्पताल-भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है। पहले तो यह तीन करोड़ रुपये की योजना थी, फिर उसके बाद में यह साढ़े तीन करोड़ रुपये की हुई और उसके बाद में चार करोड़ रुपये की हुई। तो, अध्यक्ष महोदय, अगर पहले ही काम शुरू करा दिया होता तो वहां पर अब तक चिकित्सालय भवन बन गया होता।

इसके अलावा वहां पर जमीन भी दे दी गयी है और 35 लाख रुपये का चन्दा भी वहां की जनता ने दिया है। इसके अलावा मुख्य मन्त्री जी ने भी 50 लाख रुपये अपने कोष से देने की घोषणा की थी। तो जब जनता का 35 लाख रुपया इनके पास है और यह भवन-निर्माण का काम शुरू नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता के मन में भ्रम पैदा होता है कि क्या सरकार वह पैसा खा गयी है। यदि नहीं, तो सरकार अब कब काम शुरू करेगी, इसका मुझे मन्त्री महोदय आवश्वासन दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि मन्त्री जी इस सदन में आज घोषणा करें कि कब काम शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज इतने वर्षों से वहां पर पैसा भी जमा हो गया और जमीन भी दे दी गयी पर काम शुरू नहीं हो रहा है, तो मुझे तो रोना आ रहा है कि कैसे वहां पर अस्पताल बनेगा। मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये वह मेरा सहयोग करें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के लिये एक सी० एम० एच० ओ० की पोस्ट होते हुए भी काफी लम्बे आर्से से वहां पर सी० एम० एच० ओ० की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और वहां पर किसी का पोस्टिंग नहीं हो रहा है। इसके अलावा वहां पर पशुओं की भी हालत खराब है क्योंकि वहां पर जो पशुओं का चिकित्सालय है उसकी भी हालत खराब है। तो मेरा यह निवेदन है कि वहां पर

(श्री राधेश्याम)

जल्दी से जल्दी सी० एम० एच० ओ० को लगाया जावे। वहां पर पशुओं के चिकित्सालय में जो कमियां हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाय और अस्पताल के भवन-निर्माण का कार्य जल्दी शुरू कराया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वहां पर फिलहाल सी. एम. एच. ओ. का रेगुलर पोस्टिंग नहीं हुआ है वह जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई आ गया क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरे जो माननीय सदस्य ने कहा कि 35 लाख रुपये का चन्दा किया हुआ है और जमीन भी है, तो मेरा यह निवेदन है कि इतने पैसों से तो अस्पताल की नींव ही नहीं भरी जा सकेगी। यह बात हो सकती है कि मौजूदा जो अस्पताल है उसका एक्सटेन्शन करें तो इस पैसे से काम कुछ हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। व्यवधान नहीं डालें। आर्डर आर्डर।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वहां पर एक बार मन्त्री काम तो शुरू करावें। जब काम शुरू हो जावेगा तो वहां की जनता वहां पर और पैसा भी लगाना शुरू कर देगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और पैसा लगाने की वहां की जनता तैयार है तो काम शुरू हो जावेगा।

श्री राधेश्याम : आप काम शुरू करावें तो आधे पैसे आप दें और आधे पैसे वहां की जनता देने को तैयार है, पर काम तो शुरू हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। काफी समय हो गया, माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम : नहीं साहब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। आगे चुनाव आ रहे हैं वहां पर इस बात को लेकर जनता में बहुत भारी असन्तोष है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय,

(श्री राधेश्याम)

माननीय मन्त्री महोदय सदन में आश्वासन तो दें कि काम शुरू करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को आश्वासन तो देना चाहिये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोषणा तो करें मन्त्रीजी वहां पर अस्पताल का काम शुरू कराने के लिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी ने घोषणा कर दी है पहले ही। अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रीजी को यह पता है कि राज्य सरकार के पास अस्पताल बनाने के लिये फन्ड होता है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अलग से फन्ड नहीं है, वह मुख्य मन्त्री फन्ड ही है।

(व्यवधान)

अलग से फन्ड नहीं है, वह मुख्य मन्त्री फन्ड ही है।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने 50 लाख रुपये अपने फण्ड से उस अस्पताल के लिये देने की घोषणा की थी। वह चाहते भी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं तो ठीक है वह पैसे दे दें।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, उनका मन भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर उनका मन है तो मैं कहां आड़े आता हूं।

श्री राधेश्याम : आपको पता ही है आपके सामने मुख्य मन्त्री जी ने इस अस्पताल के लिये 50 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें। अगला प्रश्न।

श्री राधेश्याम : नहीं अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय घोषण तो करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं उसको देख कर काम शुरू करवा दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर काम शुरू नहीं करावोगे तो फिर × × × के मन्त्री ही कहलाओगे।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न। श्री रंगजी मीणा और श्री कैलाश मेघवाल।

पुष्कर में सीवरेज लाइन का किया गया कार्य

676. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में सीवरेज लाइन के निर्माण कार्य का प्रारम्भ विसर्जन बिन्दु एवं आरम्भ बिन्दु दोनों तरफ से अलग अलग ठेकेदारों से कराया गया ?

(2) क्या यह भी सही है, कि दोनों बिन्दुओं से प्रारम्भ निर्माण कार्य की लाइनों का मिलन स्थल गऊ घाट पर क़रीबन एक मीटर का फर्क रहा जिससे ग्रेविटी से तथा साधारणतया बहाव हो ही नहीं सकता ?

(3) क्या यह सभी है कि अभियन्ताओं की निरीक्षण की कमी एवं ठेकेदारों के निम्नस्तरीय खुदाई के कार्य में सेन्टरिंग एवं शर्टरिंग नहीं किये जाने से गऊ घाट के आस-पास के मकानों में काफी दरारें आ गई जिनकी नागरिकों द्वारा शिकायतें की गयी हैं ?

(4) इस तकनीकी दृष्टि से गलत एवं निम्नस्तरीय निर्माण कार्य के लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) ।
(1) जी नहीं ।

(2) गऊ घाट के पास डाली गई 300 एम. एम. व्यास की पाइप लाइन के लेवल में गऊघाट के कुछ आगे लगभग 40 सेन्टीमीटर का फर्क पड़ रहा है। इससे व कार्य अपूर्ण होने से ग्रेविटी से साधारणतया बहाव नहीं हो सकता है।

(3) नागरिकों द्वारा केवल एक मकान में दरार आने की शिकायत की गयी है।

(4) इस सीवरेज लाइन को तकनीकी दृष्टि से सही लेवल में नहीं डालने की जांच करवायी गयी है जिसके आधार पर संबधित अभियन्ता एवं ठेकेदार दोषी पाये गये। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है और गंभीर मसला इसलिये है कि वहां पर जो पहला बिन्दु शुरू वाला और अन्तिम बिन्दु जो विसजर्न बिन्दु है इन दोनों में फर्क है। वह अपूर्ण होने से पानी का सीवरेज हो रहा है जिसके कारण वहां पर लोग बहुत परेशान हैं और जो पैसा वहां पर सरकार ने लगाया है वह डम्प हो गया है। इधर और उधर दोनों ही सिरों में फर्क होने की वजह से एवं वहां पर कार्य भी अपूर्ण पड़ा होने से आज पुष्कर में बहुत भारी असतोष है, वहां के पानी में सीवरेज का पानी चला गया है। इसके अलावा दूसरा यह है कि इन्होंने जो जवाब दिया है, तीसरे पोइन्ट में इन्होंने जवाब में यह कहा है कि नागरिकों द्वारा केवल एक मकान में दरार आने की शिकायत की गई है पर मैंने जो प्रश्न

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिया है उसमें यह लिखा है कि क्या यह भी सही है कि अभियन्ताओं की निरीक्षण की कमी एवं ठेकेदारों के निम्नस्तरीय खुदायी के कार्य में सेन्टरिंग एवं शटरिंग नहीं किये जाने से गऊघाट के आसपास के मकानों में काफी दरारें आ गयी हैं जिनकी नागरिकों ने शिकायत की है। तो मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, कि वहां पर जब काम शुरू हुआ इसकी क्रियान्विति के समय में कब-कब कौन-कौन अभियन्ता वहां पर रहे और वह अभियन्ता कब-कब वहां पर निरीक्षण करने के लिये गये ? मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर किसकी गलती के कारण सरकार का लाखों रुपया जो लगाया गया था वह वेस्ट हुआ। जब जब भी वहां पर जो भी अभियन्ता गये उन्होंने वहां पर क्या क्या कमियां पाईं और इसके लिये क्या कार्यवाही की गयी। उसके बाद में अब जो वहां पर कमियां पायीं उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ में क्या जांच रिपोर्ट आई और उस जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की गयी है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि पैसे बेकार गये वह बात सही नहीं है। इन्होंने जो प्रश्न के भाग (2) में पूछा है उसके जवाब में मैंने यह कहा है कि गऊघाट के पास डाली गई 300 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन के लेवल में गऊघाट के कुछ आगे लगभग 40 सेन्टीमीटर का फर्क पड़ रहा है। इससे वहां ऊंचाई के कारण और कार्य अपूर्ण होने से थोड़ा फर्क है, इसको मैंने स्वीकार किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ में चार्ज-शीट बनाकर चीफ इन्जीनियर साहब के द्वारा 13-3-80 को भेज दी गयी और कार्यवाही की जा रही है। दोषी अधिकारियों में एक जूनियर इन्जीनियर और एक ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. है। कुल चार आदमी दोषी पाये गये हैं और जो ठेकेदार दोषी है उसका तो अरनेस्ट मनी हमारे पास है जिसको जब्त कर सकेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें खण्ड दो के अन्दर मैंने प्रश्न पूछा उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? दूसरा एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि यह गलती क्या अधिकारियों के सामने पहले नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता से नीचे तक जो निरीक्षण के लिए जाते हैं या जो सुपरविजन आफिसर हैं वह किस बात का निरीक्षण करने जाते हैं ? उनको दोष ही नहीं दिखाई दिया उन मकानों में ? इसीलिए मैं यह पूछना चाहता हूं यह लापरवाही गलती होने के बाद कब सामने आई ? उच्च अधिकारी चाहे मुख्य

(29)

(श्री कैलाश मेघवाल)

अभियन्ता हो, अधीक्षण अभियन्ता हो वह निरीक्षण के लिए गये तो क्या यह उनके ध्यान में नहीं आई ? क्या आपकी राय में यह कार्य ठीक से हो सकेगा ? क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है दोनों बिन्दुओं का कार्य बेकार चला गया है। इतना रुपया खर्च हुआ वह बेकार हो जायेगा। क्या आपको रिपोर्ट दी है ? दी है तो कब ?

श्री देवेन्द्रसिंह : यह कार्य गलत हुआ तो ठीक किया जा सकता है। मिट्टी का और शटरिंग का काम नहीं हुआ क्योंकि बरसात होने की वजह से वह ठीक नहीं हो पाता। वहां एक जगह दरार आई, यह बात हम स्वीकार करते हैं। नागरिक भी हमसे मिले और शिकायत की, हमने जांच की तो पता चला कि एक मकान में दरार आई है। दूसरों के अन्दर भी सम्भावना है, यह बात ठीक है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस काम को ठीक किया जायेगा, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जो त्रुटि हुई है वह ठीक करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय मेरा भी प्रश्न था····

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री रामसिंह बिश्नोई। 89।

स्थगित प्रश्न

(दि. 19 मार्च, 1984)

राज्य में सड़क दुर्घटनायें

89. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायलों को सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया ?

(3) क्या ऐसे ड्राइवर भी हैं जिनकी गलती से दुर्घटनायें हुई ? यदि हां, तो कितने और उन्हें क्या सजा दी गई ?

(4) दोषी ड्राइवर्स में से राज्य परिवहन व पुलिस महकमे के कितने ड्राइवर थे और उनमें से कितनों को क्या-क्या सजा मिली ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राज्य में पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 3806 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 14167 व्यक्ति घायल हुए। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायलों को तीन स्रोतों से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है :—1) यात्री बस दुर्घटना अनुग्रह योजना, 2) मुख्य मंत्री सहायता कोष, 3) पथ परिवहन निगम द्वारा देय अनुग्रह राशि। पिछले तीन वर्षों में इन मदों के तहत जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है व 4) जी हां। राजस्थान राज्य परिवहन के 540 और पुलिस विभाग के 15 ड्राइवरों की गलती से दुर्घटनायें हुई। इन ड्राइवरों

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई। किस-किस चालक को क्या-क्या सजा दी है, इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, और शीघ्र ही सदन के पटल रख दी जायेगी।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो तीन साल की सूची दी है उसमें तीन हजार सात सौ आदमियों के दुर्घटनाओं में मरने का जिक्र इन्होंने किया है और जो आर्थिक सहायता दी गई है वह केवल 27 आदमियों को दी गई है। शेष जो व्यक्ति मरे हैं उनकी क्या व्यवस्था की है? एक तो यह बतावें और दूसरा, जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनके परिवार को आपने कुछ को पन्द्रह हजार रुपये दिये, गोगुन्दा के अन्दर 10 को 15,000 रुपये दिए गये दिखाये हैं जब कि राजस्थान के अन्दर करीब चार हजार व्यक्ति तीन सालों में मरे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं गोगुन्दा कहां है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना एकत्रित की है, परिवहन विभाग से जो सूचना एकत्रित करनी थी वही सूचना प्राप्त की, मुख्य मन्त्री कार्यालय से सूचना प्राप्त की, बाकी सूचना एकत्रित करके मैं····

श्री अध्यक्ष : आपने यह पूछा है कि तीन साल में करीब चार हजार व्यक्ति दुर्घटनाओं में मारे गये, लेकिन उसमें 27 या 28 लोगों को ही मुआवजा दिया गया, शेष लोगों का क्या हुआ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो पन्द्रह हजार की बात कही है यह योजना थोड़े दिन पूर्व ही शुरू हुई थी जिसके अन्दर हाफ पर्सेन्ट टैक्स रखा गया है रोडवेज के अन्दर, उसके तहत यह राशि दी गई। इसलिए यह कुछ व्यक्तियों को ही दी जा सकी। कुछ दुर्घटनाओं में जहां पर जिलाधीश महसूस करता है कि तत्काल सहायता देनी है, वहां पर जिलाधीश सहायता देते हैं। विधायकगण कोई दरख्वास्त देते हैं कि फलां के बच्चे अनाथ हो गये, स्त्री विधवा हो गई उसके आधार पर जिलाधीश या मुख्य मन्त्री स्वयं अपने सहायता कोष से देते हैं। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई मैं इनकारपोरेट नहीं कर पाया। सबसे माकूल तरीका राजस्थान राज्य परिवहन द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम है। मैं सुबह इस प्रश्न को देख रहा था, इस तरह का ट्रिब्यूनल बना हुआ है। जो सूचना प्राप्त हुई है वह. रोडवेज की प्राप्त हुई है। प्राइवेट बस से मर गये, प्राइवेट कार से मर गये, वह सूचना मेरे पास नहीं आई। इसलिए सूचना अधूरी है। जो रोडवेज के सम्बन्ध में सूचना थी वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। 1982 में 42 प्रकरणों में 60,46,232) रुपये का भुगतान किया। 1983 में 42 प्रकरणों के अन्दर 3,89,628) रुपये का भुगतान कर दिया। अब एक सवाल और आया कि कुछ मामलों के अन्दर जहां····

श्री अध्यक्ष : साठ लाख का फिगर नहीं, छः लाख होंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी, साठ लाख ही है। जो अवार्ड होता है वह अधिक का भी होता है। किन कारणों से पैरामीटर्स भिन्न करते हैं इसकी यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती है। एक और मामला सामने आया जो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, कहीं पर अवार्ड दे दिया जाता है उस अवार्ड के खिलाफ रोडवेज हाई कोर्ट के अन्दर रिट में चली गई, उस सूरत में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। जब मैंने जानकारी की तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के अन्दर दस हजार रुपये का भुगतान तो तुरन्त कर देते हैं और जहां बीस हजार या ऊपर की राशि होती है वह राशि बचती है उसकी आधी रकम एफ. डी. आर. में जमा कराते हैं उसका ब्याज मिलता रहता है। फैसला होने के उपरांत जो भी स्थिति बने, मय ब्याज के रुपया मिल जाता है। 27 प्रकरणों में 70,20,192) रु. 1979 में 48 प्रकरणों के अन्दर 9,38,374) रु. का भुगतान कर दिया है। जो सूचना मेरे पास आई है वह रोडवेज की है, वह मैंने आपके समक्ष पढ़कर सुना दी है। अन्य प्राइवेट कारों से और ट्रकों से हुई दुर्घटनायें हैं उनके बारे में क्या अवार्ड हुआ, क्या डिसीजन हुआ वह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो रोडसाइड के ऊपर स्पेशल चैकिंग पार्टी लगी हुई है यह पिछले लम्बे समय से प्राइवेट टैक्स वसूल करते हैं। लोड के अन्दर कितना माल भरा हुआ है, उसकी आधी लाइटें काली हैं या नहीं, उसके ब्रेक कैसे हैं और ड्राइवर दारू पीये हुए तो नहीं है—यह देखना उनका काम है। लेकिन इसके बजाय केवल ट्रक से 20-25-50 रुपया लेने के बाद उसकी ड्यूटी आफ हो जाती है। वह अपनी जेब में डाल लेते हैं और वह आदमी लाखों रुपये के टैक्स की चोरी करते हैं। तो आप इस डिपार्टमेन्ट को ही बन्द कर दें या उसी की कोई चैकिंग करें। अन्त में वह लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री रामसिंह विश्नोई : सम्बन्धित है इससे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्यों में खासकर दिल्ली और हरियाणा में वहां की राज्य सरकारों ने ऐसे आदेश दिये हैं, मोटर दुर्घटना में मृतक के परिवार को जिस कार से, बस से या ट्रक से एक्सीडेन्ट होता है उससे तुरन्त 15 हजार रुपये का भुगतान कराया जाता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अन्य राज्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले लीजिए। अगला प्रश्न।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : क्या

Page No 25

(25)

(श्री त्रिलोक सिंह)

सरकार जो लोग प्राइवेट गाड़ियों से एक्सीडेन्ट होकर मर गए उनको मुआवजा देगी और देगी तो कब तक देगी ?

श्री अध्यक्ष : यही तो बात चल रही है और यही सब पूछा जा रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री राधेश्याम : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एक्सीडेन्ट हुए और कहां वहां उस अनुपात से 15 हजार रुपयों की राशि दी है ?

प्रश्न संख्या 562

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न । अगला प्रश्न ।

(श्री शिवराम शर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न आया है इस पूरे सत्र में, मेरा यहदूसरा प्रश्न है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पूरे सत्र के अन्दर दूसरा ही प्रश्न आया है इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इसका उत्तर दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज सम्भव नहीं है । आप अन्य माध्यम का सहारा लें ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पूरे सत्र के अन्दर दो प्रश्न आये हैं । यह लाटरी सिस्टम ऐसा है कि जो सदस्य कम प्रश्न देते हैं उनके प्रश्न आ नहीं पाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । 702 कुल प्रश्न आये हैं और 200 माननीय सदस्य हैं इसलिए साढ़े तीन का तो यों ही एवरेज है...

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह 50 माननीय सदस्यों के ही नम्बर आये हैं बाकी के किसी भी मेम्बर के नहीं आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : कई बातों पर निर्भर करता है....

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलायें ।

श्री अध्यक्ष : ....कब दिया, कितने प्रश्न दिये, उसमें आया कि नहीं लाटरी में, अगर आपको शिकायत है, माननीय सदस्य, तो आप मुझे बतायें । उसको अन्य तरीके से यदि रखा जा सकता है तो उसका मैं प्रयत्न करूंगा ।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री बालचन्द आर्य वीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 678

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री बालचन्द आर्य वीर : 678 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न-महत्वपूर्ण होते हैं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रम

664. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार नागौर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रम लागू करने जा रही है ? यदि हां, कृपया उक्त योजना का इस जिले हेतु कुल कितना बजट है तथा यह योजना कब तक लागू की जा रही है ?

उत्तर

जी हां, नागौर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रम लागू करना राज्य सरकार के विचाराधीन है । अभी योजना स्वीकृत नहीं है । अतः बजट बताने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अवकाश के दिन होमियोपैथिक बोर्ड का कार्यालय खोलना

670. **श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) एवं श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :** क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12-7-1983 को अवकाश के दिन होमियोपैथिक बोर्ड का कार्यालय खुलवाया गया था तथा एक परीक्षक द्वारा सील्ड कापियों के बण्डल को खुलवाकर कापियों में नम्बर बढ़ाये ? यदि हां, तो किस परीक्षक द्वारा किस विषय की कितनी कापियों में नम्बर बढ़ाये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में बोर्ड को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो शिकायतें कब प्राप्त हुईं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनाक 12–7–83 को राजस्थान

(श्री. राज्य मंत्री, उपयुर्वेद)

होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड का कार्यालय खोला गया था। माह मई-जून 83 में आयोजित डी. एच. एम. एस. की प्रथम वर्ष की ओरगन आफ मेडिसन के प्रथम पेपर की 46 उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षक, जिसका नाम श्री हरिप्रकाश है, द्वारा नम्बर बढ़ाये गये थे। सूची संलग्न है।

(2) जी हाँ। इस सम्बन्ध में दिनांक 28-7-83 को शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत जांच करने पर सही पाई गई। 46 उत्तरपुस्तिकाओं की पुन: जांच करवाई जाकर तदनुसार परिणाम घोषित किया गया। परीक्षक एवं बोर्ड के श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया। उक्त मामले में श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, को निलम्बित किया गया तथा डा० हरिप्रकाश को उक्त काण्ड के बाद परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया। डा० हरिप्रकाश से प्राप्त स्पष्टीकरण बोर्ड के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 4)

पीगोरा रेल्वे स्टेशन पर पशु-चिकित्सालय खोलना

671. **श्री रामप्रसाद (रूपवास)** : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है पीगोरा रेल्वे स्टेशन पर पशु चिकित्सालय वर्तमान में नहीं है जिससे वहां के एवं आस-पास के गांवों के पशुपालकों को पशु की चिकित्सा सेवाएं सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पीगोरा रेल्वे स्टेशन पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। वहां के एवं आसपास के पशुओं की चिकित्सा की सुविधा पशु औषधालय उच्चैन एवं पशु चिकित्सालय बेर से उपलब्ध करायी जाती है।

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत को सड़कों से जोड़ना

672. **श्री रामकंवार बैरवा (फागी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत को सड़कों से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हो गया है? यदि हां, तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जावेगा?

(2) सन् 1984-85 के बजट में इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) मास्टर प्लान बनाते समय पंचायतों को बड़े कस्बों से जोड़े जाने का क्या पूरा ध्यान रखा गया है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़को से जोड़ने के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के कार्य हाथ में लिये जावेंगे।

(2) वर्ष 1984-85 के बजट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(3) मास्टर प्लान के प्रारूप में पंचायत मुख्यालयों को निकटतम सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव सम्मिलित किए गये हैं तथा ये सड़कें मुख्यतया कस्बों को जोड़ती हैं।

कृषि उपज मंडियों द्वारा निर्मित सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था

673. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में कृषि उपज मंडियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समितियां उनके क्षेत्र में निर्मित सड़कों की मरम्मत व देखभाल स्वयं ही आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर करती हैं। स्थाई व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना विचाराधीन है।

कोलायत एवं नोखा तहसील में टैंकर्स द्वारा पानी का वितरण

674. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो सालों में नोखा व कोलायत तहसील के कितने-कितने गांवों को टैंकर से पानी दिया गया, कब-कब और कितना ? इस पर प्रत्येक तहसील के आधार पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) पिवाई के लिये तहसील नोखा व कोलायत में अब तक कितनी-कितनी सहायता किन-किन गांवों को दी गई ?

उत्तर

(1) विवरण (तालिका संख्या—1) सदन के पटल पर रख दिया गया है। जिन टैंकर्स से पानी पहुंचाया गया उनकी प्रत्येक की क्षमता 7500 लीटर है।

(2) विवरण (तालिका संख्या–2) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट—5 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 6 अप्रेल, 1984)

कूचा उपाड़ बस्ती, जयपुर में आवंटित भू–खण्ड

562. **श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)** : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र जयपुर में 40 वर्ष या इससे पूर्व के कूचा उपाड़ कच्ची बस्तियों के निवासियों को 200 वर्ग गज तक के भू–खण्ड का एक रुपया या 5 रु. के हिसाब से लिया जाकरउन्हें मालिकाना हक दिया गया है ?

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 40 वर्ष या इससे पूर्व की कूचा उपाड़ कच्ची बस्तियों में भी 1 रु. व 5 रु. में भू–खण्ड देने की प्रक्रिया अपनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण कच्ची बस्ती के निवासियों से 5 रु. व 10 रु. प्रति गज की दर से 1971 व 1981 के सर्वे नम्बरों के आधार पर भू-खण्ड आवंटन कर रही है ? क्या सरकार इन बस्तियों में निवास कर रहे अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को इस दर में रियायत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नगर परिषद् जयपुर द्वारा परिषद क्षेत्राधिकार में स्थित कच्ची बस्ती के निवासियों को जिनके कब्जे 40 वर्ष या इससे पूर्व के थे, उन्हें 200 वर्ग-गत तक के भूखण्ड 1/–, 2/–रु. प्रतिवर्ग गजकी दर से लिया जाकर मालिकाना हक दिया गया है ।

(2) जी नहीं । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्तियों में 1/– व 5,–रु. में भूखण्ड नहीं दिये गये । राज्य-सरकार के निदेशानुसार सर्वेधारी परिवारों को आय के अनुसार प्रति वर्ग गज निर्धारित दर लेकर भूखण्डों का आवटन किया गया है ।

(3) जी हां । कच्ची बस्ती निवासियों को आय अनुसार 5/–व 10/–रुपये प्रति वर्गगज की दर से भूखण्डों का आवंटन/नियमन किया जा रहा है । राज्य सरकार के आदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों के सम्बन्ध में इस दर में रियायत करने के कोई निर्देश नहीं हैं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला टोंक के बायोगैस संयन्त्र

852. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत टोंक जिले में कितने संयंत्र कहां-कहां पर, किन-किन व्यक्तियों ने लगाये ?

(2) उन्हें कितना-कितना अनुदान कब-कब दिया गया ? प्रोत्साहन राशि किन-किन व्यक्तियों को, कितनी-कितनी प्रदान की गई ?

(3) वर्तमान में कौन-कौन से संयन्त्र चालू हैं एवं कौन-कौन से बन्द हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No 30

(30)

उत्तर

(1) टोंक जिले में वर्ष 1981–82 में एक, 82-83 में 66 और 1983–84 में माह फरवरी, 84 तक 39 व्यक्तियों द्वारा संयन्त्र लगाये गये। वर्ष वार एवं व्यक्तिवार सूची संलग्न है।

(2) अनुदान की राशि संलग्न माहवार सूची में दर्शायी गई है। प्रोत्साहन राशि किसी को प्रदान नहीं की गई है।

(3) सूची संलग्न कर दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

प्रदेश में हरिजनों के साथ हुए अत्याचार के मामले

853. **श्री घनश्याम जैन** (बेंगू) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी 1982 से जनवरी 1984 तक प्रदेश में हरिजनों के साथ अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) उपरोक्त में कितने मामलों में जांच के पश्चात् चालान किये गये तथा कितने मामले कितनी अवधि से विचाराधीन हैं ?

(3) हरिजनों के साथ अत्याचार एवं अस्पृश्यता के मामलों में सरकार क्या शीघ्र कदम उठा रही है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न सूची "अ" में अंकित है।

(2) वांछित सूचना सूची "ब" में अंकित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा इन सभी मामलों को स्पेशल रिपोर्ट अभियोग घोषित किया जाकर अनुसंधान उच्चाधिकारियों की देखरेख में कराया जाता है। जिला एवं उपखण्ड स्तर पर इन मामलों की मासिक समीक्षा की जाती है। पुलिस मुख्यालय पर स्थापित विशेष प्रकोष्ठ इन मामलों की प्रगति देखता है तथा राज्य स्तर भी समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में विशेष पुलिस दस्ते कायम कर जमीनों को जोतने एवं काटते समय उचित सहायता दी जाती है। पंजीबद्ध अभियोगों में शीघ्र चालान प्रस्तुत कराये जाते हैं। उठाये गये कदमों के सन्तोषजनक परिणाम सामने आये हैं।

(सूचियों के लिए परिशिष्ट 7 देखें)

प्रदेश में वर्ष 1981 की बाढ़ से हुई मौतें

854. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या बाढ़ राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) वर्ष 1981 की बाढ़ में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? कृपया उनकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन व्यक्ति अभी तक गायब हैं?

(3) मृतक एवं गुमशुदा व्यक्तियों के परिवारों को कब-कब, कितनी-कितनी सहायता दी गई? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में आई बाढ़ से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनका जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है।

(2) राज्य के दो जिलों यथा जयपुर एवं टौंक में क्रमशः 121 एवं 68 लोग बाढ़ के कारण लापता हैं ऐसा सम्बन्धित जिलाधीशों ने बताया है। जिलाधीश जयपुर ने मृतकों की सूची में उनके जिले के लापता 121 लोगों को शामिल कर लिया है।

(3) मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को जो सहायता नकदी के रूप में दी गयी उसका उल्लेख उक्त तालिका में कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा थानेदारों का स्थानान्तरण

855. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने अपना कार्यभार कब संभाला? इनके कार्यभार संभालने से अब तक जिले में कितने थानेदारों के स्थानान्तरण किन-किन कारणों से किये गये? कृपया निम्न प्रपत्र में विवरण सदन के पटल पर रखें—

1. थानेदार का नाम
2. स्थानान्तरण कहां से कहां, कब
3. स्थानान्तरण के कारण

उत्तर

वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी ने अपना कार्यभार दिनांक 9-7-83 को संभाला था। उनके कार्यभार संभालने के बाद बून्दी जिले में किये गये थानेदारों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 9 देखें)

रा. स. उपभोक्ता संघ, जयपुर में पंचनामे की प्रक्रिया

856. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) राजस्थान राज्य सहकारी उप

Page No 32

(32)

(श्री नाथूसिंह)

भोक्ता संघ लि. जयपुर में पंचनामे करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? किस-किस परिस्थिति में पंचनामा किया जाता है ? वर्ष 1975-76 से लेकर दिनांक 29-2-84 तक कितने पंचनामे किये जा चुके हैं ? जिन कर्मचारियों के पंचनामे किये उनकी सूची कृपया वर्षवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचनामे में किस-किस कर्मचारियों के कितनी-कितनी कमी पाई गई तथा पंचनामे में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उपस्थिति थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचनामा करने के लिये महाप्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है । जब कोई कर्मचारी स्थानान्तरण होने पर, निलम्बित किये जाने पर, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ कर चले जाने पर, बिना अवकाश स्वीकृत हुए लम्बी अवधि पर चले जाने पर अपने गोदाम/काउन्टर का चार्ज नहीं देता है तथा वितरण व्यवस्था मे अनावश्यक रूप से काउन्टर आदि बन्द रखा कर बाधा पैदा करता है तो ऐसी परिस्थिति में पंचनामे द्वारा ऐसे व्यक्ति का चार्ज सम्भलवाया जाता है । वर्ष 1975-76 से लेकर दिनांक 29-2-84 तक कुल 11 पंचनामे किये हैं उनको वर्षवार सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को हाफ ए मिलियन जॉब योजना में मार्जिन मनी की स्वीकृति

●

857. **श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) एवं श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को हाफ ए मिलियन जॉब योजना के अन्तर्गत 1973 से 1975 में उद्योग निदेशालय ने किन उद्योगों को कितनी-कितनी राशि मार्जिन मनी स्वीकृत करके भुगतान की थी ?

(2) उन उद्यमियों के मार्जिन मनी ऋणों की वसूली की अवधि क्या थी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) इन उद्यमियों से मार्जिन मनी ऋण की वसूली इकाई को मार्जिन मनी ऋण के भुगतान की तिथि से 9 वर्ष पश्चात् दो वार्षिक किश्तों में किये जाने का प्रावधान हैं ।

किन्तु मार्जिन मनी से सम्बद्ध बैंक या वित्तीय संस्थान से प्राप्त मुख्य ऋण का 9 वर्ष की अवधि से पूर्व ही चुकता भुगतान

(श्री उद्योग मंत्री)

कर दिये जाने की स्थिति में मुख्य ऋण भुगतान की तिथि के तत्काल बाद ही दो बराबर वार्षिक किश्तों में मार्जिन मनी ऋण राशि भी चुकानी होती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

भरतपुर के तेल उद्योग की समस्यायें

858. **श्री राजबहादुर (भरतपुर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि भरतपुर का प्रसिद्ध तेल उद्योग पिछले काफी समय से अनेक समस्याओं के कारण संकटग्रस्त है, जिससे इस उद्योग की अनेक इकाइयां वन्द होती जा रही हैं ? यदि हां, तो ये समस्याएं क्या-क्या हैं और इनके निराकरण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या भरतपुर के तेल उद्योग के उद्यमियों, भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा जन-प्रतिनिधियों द्वारा इस उद्योग की समस्याओं हेतु सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो उन पत्रों अथवा ज्ञापनों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

बिक्री कर की दर, विद्युत दर की अधिकता, स्प्रिट लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि, चुंगी दर में वृद्धि, श्रमिक समस्या तथा कोयले की कमी के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। ये सभी बातें सम्पूर्ण राज्य पर समान रूप से लागू होती हैं, केवल भरतपुर पर ही नहीं। वर्तमान में राज्य में कोयले की कमी नहीं है। अन्य समस्याओं का समाधान राज्य के संसाधनों तथा वित्तीय सीमा में रहते हुए करने की कार्यवाही सम्बद्ध विभागों द्वारा की जाती रही है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

ग्राम. पं घाटवा में पिछड़े को पहले योजना में चयनित परिवार

859. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत घाटवा (पं. सं. कुचामन सिटी) में वर्ष 1982-83 में पिछड़े को पहले योजनान्तर्गत 60 परिवारों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है ? यदि कुछ परिवारों को लाभान्वित नहीं किया गया है तो किस वजह से ?

(2) क्या पिछड़े को पहले में चयनित परिवारों को लाभान्वित करने में ग्राम सेवक, घाटवा (पं. स. कुचामन सिटी) द्वारा रिश्वत

(श्री उम्मेद सिंह)

वसूल करने की शिकायतें ग्रामवासियों द्वारा निदेशक डी. पी. ए. पी. नागौर को गई ? यदि हां, तो जांच की जा कर क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 82–83 में पिछड़े को पहले योजना अन्तर्गत कुल 103 परिवारों का चयन किया गया। चयन कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया गया। प्रथम चरण में 43 परिवारों का तथा द्वितीय चरण में 60 परिवारों का चयन किया गया।

चयनित 103 परिवारों में से 80 परिवारों के ऋण प्रार्थना पत्र तैयार किए गये, शेष 23 परिवार उपस्थित नहीं हुए। उक्त 80 परिवारों में से केवल 60 परिवारों के नाम ही बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। शेष 12 परिवारों के नाम अवधि पार ऋण तथा 8 परिवार गांव छोड़कर चले जाने के कारण बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका। बैंक ऋण स्वीकृत शुदा प्रकरणों में से अभिकरण द्वारा 47 परिवारों को अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। 28 परिवारों को क्रय कमेटी के माध्यम से पशु/साधन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं तथा उक्त क्रयशुदा में से 25 परिवारों को बैंक द्वारा भुगतान करके लाभान्वित किया जा चुका हैं। शेष परिवारों की कार्यवाही जारी है।

कुल चयनित	103
ऋण प्रार्थना पत्र तैयार किए गए	80
बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत	60
अभिकरण द्वारा अनुदान स्वीकृत	43
पशु/साधन क्रय करवाए गए	28
लाभान्वित किए गए	25

(2) जी हां, ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत घाटवा (पं. सं. कुचामन सिटी) के खिलाफ रिश्वत लेने के सम्बन्ध में डी. आर. डी. ए. में दिनांक 20–12–83 को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच करने हेतु अभिकरण द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच कार्य जारी है तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

860. **श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार व आतंक से पीड़ित मृत एवं घायल व्यक्तियों को या उनके रिश्तेदारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राहत पहुंचाई जाती है ?

(2) यदि हां, तो इस बारे में क्या नियम उपनियम व प्रक्रिया है ? कृपया सदन के पटल पर रखें।

(3) इस योजना के अन्तर्गत दिनांक

Page No 35

(35)

(श्री छीतरलाल आर्य)

1-4-80 से अब तक कितने व्यक्तियों को कितनी आर्थिक राहत पहुंचाई गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रति संलग्न है ।

(3) वर्ष 1980 से दिसम्बर, 83 तक निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता दी है :—

वर्ष 1980–81 — 1,35,000) रु.
वर्ष 1981–82 — 95,025) रु.
वर्ष 1982–83 — 3,02,470) रु.
1–4–83 से 31–12–83 तक
— 1,84,980) रु.

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला कोटा में काम के बदले अनाज योजना के अधूरे कार्य

861. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) एवं

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में "काम के बदले अनाज योजना" के कुछ कार्य अभी भी मौके पर अधूरे पड़े हुए हैं परन्तु उनको कागजों में पूर्ण बता दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी कर उन्हें पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । कोटा जिले में जो कार्य अधूरे हैं, उन कार्यों का अभी तक तकनीकी कर्मचारी ने पूर्ण कार्य प्रमाण-पत्र (Work Completion Certificate) नहीं दिया है । अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने में प्राथमिकता दी जाती है । अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का समय निश्चित करना संभव नहीं है ।

अजमेर जिले के पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आउट पोस्ट

862. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कुल कितने पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आउट-पोस्ट हैं इनमें से कहां-कहां पर स्टेशन या आउट-पोस्ट के लिये निर्धारित नार्म्स के अनुसार राजकीय या किराये का भवन उपलब्ध है ?

(2) क्या इन सभी स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों के कार्य करने एवं रहने के लिये पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या इन सभी स्टेशनों/आउट-पोस्टों पर पुलिस लाकअप में रखे जाने वाले लोगों के लिये आवास सुविधा, शौचालय, स्नानघर आदि ठीक ढंग से उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(2) अधिकतर स्थानों पर कार्य करने हेतु व्यवस्था उपलब्ध है। कुछ थानों व चौकियों पर जहाँ रहने के लिये पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रयत्न जारी हैं।

(3) केवल तीन थानों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्य सभी थानों पर यह उपलब्ध है। चौकियों पर अभियुक्तों को नहीं रखा जाता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर का संचालक मण्डल

864. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जयपुर के उप नियम संख्या 31 में [illegible]ल मण्डल के सदस्यों की संख्या 12 निर्धारित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि संचालक मण्डल में 12 सदस्यों के स्थान पर 15 सदस्य मनोनीत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार संचालक मण्डल के 3 सदस्यों को पृथक कर वैधानिक स्थिति को यथावत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० जयपुर के उप नियम संख्या 31 के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या 13 निर्धारित है।

(2) बैंक के संचालक मण्डल में 15 सदस्य मनोनीत हैं। लेकिन सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल के सम्बन्ध में उपनियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः मनोनीत संचालक मण्डल के किसी सदस्य को हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला टौंक में छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल की व्यवस्था

865. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में टौंक जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से किस-किस योजना के अन्तर्गत, कौन-कौन से ग्राम किन-किन वर्षों के लिए चयनित किये गये हैं ? योजना की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 तक जिन-जिन गांवों में पेयजल उप-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लब्ध कराना था, नहीं कराया गया ? यदि हां, तो ऐसे कौन से कारण थे, जिससे योजना पूरी नहीं की जा सकी और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 84–85 हेतु लक्ष्य निर्धारित होना बाकी है।

(2) जी नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

कस्बा अराई में कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय

867. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर के अराई कस्बे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय स्थित होने के बावजूद कनिष्ठ अभियन्ता वहां पर नियमित उपलब्ध नहीं रहते हैं और जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार इस अधिकारी के नियमित एवं स्थाई रूप से अराई में उपस्थित रहने की माकूल व्यवस्था कर जनता को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता नियमित रूप से अपने कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

ग्राम मानपुर सडवा में पेयजल व्यवस्था

868. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जलदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति झोटवाड़ा की पंचायत जयसिंहपुरा खोर के गांव मानपुर सडवा का पानी पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के कुएं के जल की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पानी का नमूना जांच हेतु 21.3.84 को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

आसुकातला जल वितरण योजना

869. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या पी.एच.ई.डी. मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत आसुकातला जल वितरण योजना की कब स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

Page No 38

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

(2) उक्त योजना पर कितनी धन-राशि व्यय की जायेगी व अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या उक्त योजना के तहत सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस योजना की स्वीकृति मार्च, 1982 में प्रदान की गई थी।

(2) उक्त योजना पर 32.32 लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रावधान है। जनवरी, 84 तक इस योजना पर 20.35 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जी हां।

जिला धौलपुर के तहत खोला गया डिवीजन

870. **श्री तकीउद्दीन अहमद** (जौहरी बाजार) एवं **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने धौलपुर जिले के लिए एक अलग से सिंचाई डिवीजन खोला है ? यदि हां, तो कब एवं इसका नाम क्या है ?

(2) उक्त डिवीजन में धौलपुर जिले की किस-किस नहर को पक्का करने के लिए 1982–83 तथा 1983–84 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और इसमें क्या-क्या कार्य पूरे किए गए और कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) उक्त डिवीजन में 1984–85 में धौलपुर जिले की नहरों आदि की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण पर कितनी राशि का प्रावधान रखा है एवं क्या-क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि धौलपुर जिला मुख्यालय पर सिंचाई विभाग का एक खण्डीय कार्यालय कार्यरत है। इसका नाम बाढ़ नियंत्रण खण्ड धौलपुर है।

यह खण्ड कार्यालय दिनांक 11 जुलाई, 1979 से कार्यरत है।

(2) इस खंड को पार्वती मुख्य नहर एवं इसकी माइनरों को पक्का करने हेतु वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में क्रमश: 23.94 लाख रुपये तथा 5.70 लाख रुपये का बजट आवटन हुआ तथा निम्नलिखित माइनर उनके नाम के सामने अंकित लम्बाइयों में पक्की कराई गई—

क्र.सं.	नहरों का नाम	पक्की की गई नहर की लम्बाई कि.मी. में
1	2	3
1.	तसीमोक शाखा	3.94
2.	चित्तौड़ा	2.12
3.	टेहरी	2.61

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3
4.	लघुपुरा	0.42
5.	राजपुर	2.24
6.	पेकरी	0.91
7.	जमालपुर	1.21
8.	शास्त्रीनगर	2.30
9.	माकरा वितरिका	4.24
10.	रजोरा कला शाखा	0.85
11.	बसई नवाब	0.76
12.	नन्दपुरा शाखा	0.42
13.	मालौनी शाखा/ उप शाखा	1.27
14.	नगला दरवेशा शाखा	1.68
15.	गढ़ी शाखा	1.29
16.	सलेमपुर	1.21
17.	पोपसिंहपुरा	0.73
	योग	28.20

(3) वर्ष 1984–85 में धौलपुर जिले के पार्वती बांध की नहरों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि का आवंटन बजट पास होने के उपरान्त पूरे आधुनिकीकरण के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को मद्देनजर रखते हुये किया जायेगा।

भोपाल सागर फीडर सिंचाई योजना

871. **श्री मोहनलाल जाट** (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सिंचाई खण्ड चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर फीडर सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या अभी तक कार्य चल रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कितने अर्से से चल रहा है एवं अब तक इसके पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं, व अब कब तक पूर्ण हो जायेगा?

उत्तर

जी नहीं, कार्य जो 1966–67 में प्रारम्भ किया गया था अभी तक चल रहा है। कार्य अभी पूर्ण न होने के कारण निम्न प्रकार हैं :—

1. ग्राम चौथपुरा एवं काबरा के काश्तकारों द्वारा प्रस्तावित फीडर के संरेखण को बदलवाना।

2. पर्याप्त धनराशि आवंटित न होना।

3. निर्माण के दौरान यह पाया गया कि साइड से चट्टानों के ढावे ढहन के कारण इसमें दोनों ओर पक्की दीवारें बना कर ऊपर सीमेंट कंक्रीट की मेहराब (Arch) बनाने का प्रावधान करना पड़ा। इससे संशोधित प्राक्कलन बना कर उसकी स्वीकृति लेनी पड़ी। यह स्वीकृति 9/3/81 को दी गई।

कार्य पुनः वर्ष 1981–82 से प्रारम्भ किया गया व प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार बजट आवंटन होने की दशा में यह

(सिंचाई मंत्री)

कार्य वर्ष 1986–87 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जिला बांसवाड़ा के छापरिया तथा बोरखाबर डेम

872. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा की बांसवाड़ा तहसील के अन्तर्गत निर्माणाधीन छापरिया डेम तथा बोरखाबर डेम की नहरों पर चलने वाला कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत है अथवा नहीं ?

(2) इन्हें विभाग स्वयं करवा रहा है या ठेकेदारों के माध्यम से ? यदि ठेकेदारों के माध्यम से उक्त कार्य हो रहा है, तो कार्यरत मजदूरों को प्रतिदिन क्या मजदूरी दी जा रही है ?

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार घोषित मजदूरी का भुगतान हो रहा है ?

(4) यदि उक्त निर्माण कार्यों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तो क्यों तथा सम्बन्धित ठेकेदारों अथवा अधिकारियों से विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? :

उत्तर

(1) जी हां। छापरिया डेम तथा बोरखावर डेम की नहरों पर चलने वाले कार्य वर्ष 1983–84 के 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे।

(2) छापरिया बांध व बोरखाबर बांध के मुख्य बांध का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से पूर्ण कराया गया है। छापरिया नहर को का कार्य विभागीय तौर पर पूरा कराया जा रहा है। बोरखावर बांध की बायीं नहर का पूरा कार्य विभागीय तौर पर व दायीं नहर चैन 0 से 960 मीटर तक का कार्य ठेकेदार द्वारा व 960 मीटर आखिर (टेल) तक का कार्य विभागीय तौर पर पूरा किया जा रहा है। दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार 9.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है।

(3) 20 सूत्री कार्यक्रम में मजदूरी की कोई घोषित दरें नहीं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को छोड़कर।

(4) न्यूनतम दर से ही श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है।

पंचायत समिति मूंडवा में छोटे बांधों का निर्माण

873. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम डेरु माणकपुर, जोरावरपुरा (गिराउण्डी) पंचायत समिति मूण्डवा में छोटे बांध का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस साल में कितने-कितने रुपये व्यय किये गये हैं ?

(श्री महाराम चौधरी)

(2) क्या उपरोक्त गांवों के लघु बांध पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त गांवों के बाधों को सम्पूर्ण कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम डेरू, मानकपुर, जोरावरपुरा (गिराउण्डी) पंचायत समिति मूण्डवा में छोटे बांधों का निर्माण कार्य अकाल राहत के तहत करवाया गया है। इन कार्यों पर वर्षवार खर्चा निम्न प्रकार किया गया :—

वर्ष	कार्यों पर वर्षवार खर्चा रुपयों में		
	डेरू	मानकपुर	जोरावर-पुरा नाडी
1972–73	19.50	3.00	—
1973–74	33239.67	27485.11	—
1974–75	—	26328.83	—
1980–81	—	2565.00	—
1981–82	—	184970.38	—
1982–83	168012.27	67087.61	—
1983–84	91435.18	—	9703.86
योग	2,92,706.62	3,08,439.93	9703.86

तीनों का कुल योग—6,10,850.41

(2) डेरू बांध एवं जोरावरपुरा नाडी का कार्य पूर्ण हो चुका है। मानकपुर बांध का कार्य अधूरा है। जिसे भविष्य में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृति तथा वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा कराया जा सकेगा।

जिला कोटा की परवन लिफ्ट प्रोजेक्ट

874. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में परवन लिफ्ट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है ? उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ? अब तक कितनी धनराशि किन-किन मदों पर व्यय की जा चुकी है ? इस प्रोजेक्ट से सिंचाई कब से प्रारम्भ करदी जावेगी ? यह प्रोजेक्ट कब तक सम्पूर्ण होगा एवं इससे कितनी भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

कोटा जिले की परवन जलोत्थान सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत 379 लाख रुपये है। इस परियोजना का निर्माण 1981–82 में प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना पर फरवरी, 1984 तक विभिन्न कार्यों पर 51 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं. पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर वर्ष 1985-86 में इससे आंशिक सिंचाई प्रारम्भ करना सम्भव होगा एवं वर्ष 1987-88 तक इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करना सम्भव होगा। इस योजना के पूर्ण होने पर 5976 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

जयपुर नगर परिषद् के अस्थाई कर्मचारी

875. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् जयपुर में ऐसे कितने अस्थाई कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत हैं जिन्होंने 240 कार्य दिवस पूरे कर लिए हैं और आज भी अस्थाई ही हैं ?

(2) क्या नगर परिषद् जयपुर में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों/श्रमिकों को साप्ताहिक विश्राम दिवस का वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में उपबंधित अवकाशों का लाभ नगर परिषद्, जयपुर के सभी अस्थाई कर्मचारियों/श्रमिकों को और 240 कार्य दिवस पूरे करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को भी दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर में ऐसे अस्थाई कर्मचारी/श्रमिक 811 हैं, जिन्होंने 240 कार्य दिवस पूरे कर लिये हैं। ये दैनिक वेतनभोगी हैं।

(2) जी नहीं। नगर परिषद्, जयपुर में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों/श्रमिकों को साप्ताहिक विश्राम सवेंतनिक दिया जाता है, परन्तु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश तो दिया जाता है, परंतु साप्ताहिक अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता है।

(3) राजस्थान नगर पालिका सेवा नियमों में उपबंधित अवकाशों का लाभ परिषद् के सभी अस्थाई कर्मचारियों/श्रमिकों को भी दिया जा रहा है और 240 कार्य दिवस पूरे करने वाले दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों को अवकाशों का लाभ तो दिया जा रहा है, परन्तु

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता है।

नगरपालिका बाली द्वारा पट्टियों की खरीद

876. श्री असलम खां (बाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, बाली द्वारा वर्ष 1982–83 में कुल कितनी व कितनी धनराशि की जोधपुर पत्थर की पट्टियों की खरीद की गई ?

(2) क्या पट्टियों की खरीद के पश्चात् इनकी स्टाक एण्ट्री की गई ? यदि नहीं, तो फिर इनका भुगतान किस प्रकार किया गया ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, बाली द्वारा कुल 32,797/– रुपये की पट्टियां खरीदी गई।

(2) जी नहीं। इसका भुगतान एडवांस राशि लेकर हुआ है।

नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन के तहत जारी अनुज्ञा-पत्र

877. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में अनुज्ञा-पत्र जारी करने के पूर्व सक्षम अधिकारी को नगर सुधार न्यास अथवा इसी तरह की आथोरिटीज से उस भूमि के उनकी किसी योजना में नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगना आवश्यक होने के बावजूद सक्षम अधिकारी, अजमेर ने कई भूमियों के बारे में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई और अनुज्ञा-पत्र जारी कर दिये ?

(2) यदि हां, तो दि. 1-4-80 के बाद किस किस भूमि के बारे में अनुज्ञा-पत्र जारी करने से पूर्व विभिन्न अधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगे गये और किस किस ज़मीन के बारे में ऐसे अनापत्ति पत्र नहीं मांगे गये ? कृपया कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञा-पत्र जारी करने से पूर्व नगर सुधार न्यास या अन्य किसी आथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जावे।

(2) अनुज्ञा-पत्र जारी करने से पूर्व किसी भी अधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगना आवश्यक नहीं है। अत: इस प्रकार की सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका सांचोर में आवासीय भू-खण्डों की मांग व नियमन

878. **श्री कनक राज मेहता (सांचोर) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन शहरों की ओर में नगरपालिका, सांचोर में कितने मामले आवासीय भूखण्डों की मांग व नियमन के पेश हुए ?

(2) क्या दौरान अभियान सारे मामले नहीं निपटे ? यदि हां, तो कितने व क्यों ?

(3) यह सही है कि राज्यादेश माफिक मामले दौरान अभियान ही तय होने थे ? यदि हां, तो किसकी गलती से दौरान अभियान मामले अनिर्णीत रहे ?

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों की ओर अभियान के दौरान नगरपालिका, सांचोर में भू-खण्ड हेतु 638 आवेदन पत्र एवं नियमन के 1026 प्रार्थना पत्र पेश हुए।

(2) इस अभियान के दौरान 203 मामलों में स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे दिये गये। 27 भू-खण्ड आवंटन किये गये। बकाया मामले में भूमि का आवंटन, भूमि का हस्तान्तरण नहीं होने, मण्डल द्वारा निर्णय नहीं लेने, नजूल दरों का निर्धारण न होने एवं कुछ मामले में आपत्तियां होने आदि के कारण नहीं हुआ है।

(3) प्रश्न के भाग (2) में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

सीकर शहर में ट्रक स्टेण्ड की व्यवस्था

879. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में ट्रकों का कोई स्टेण्ड नहीं है इस कारण ट्रक स्टेशन रोड पर और देवीपुरा रोड पर खड़े रहते हैं इससे यातायात में असुविधा उत्पन्न होती है ?

(2) क्या राज्य सरकार नगर परिषद् सीकर को सीकर में ट्रक स्टेण्ड एवं ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिये निर्देश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसके लिए नगर परिषद् द्वारा ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। नगर परिषद आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पायेगी।

भीलवाड़ा नगर में गरीब को छप्पर व मकान

880. **श्री बंसी लाल पटवा (भीलवाड़ा) :** क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर मे सन् 1981 से लेकर आज तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत

(श्री वंशीलाल पटवा)

गरीब को छप्पर व मकान कितने व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये ? और कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

(2) क्या उक्त छप्पर व मकानों की भौतिक जांच की गई ? यदि हां, तो मौके पर कितने छप्पर मकान पाये गये ?

उत्तर

(1) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र नं. 9 के अन्तर्गत गरीबों को छप्पर की योजना नगरों में लागू नहीं है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है। वैसे नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने ऐसे व्यक्तियों को सन् 1981 से लेकर अब तक 587 भू-खण्ड मकान बनाने के लिये आवंटित किये हैं।

(2) न्यास द्वारा बने हुए छप्पर एव मकानों का आवंटन नहीं किया गया है ऐसी सूरत में उनके भौतिक सत्यापन कराने का प्रश्न उत्पन्न नही होता है।

जयपुर में नक्शे पास करने की प्रक्रिया

881. **श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) :** क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में कृषि भूमि पर बसी घनी आबादी वाली कालोनियों के नक्शे पास करने के प्लानों के अप्रूवल की क्या प्रक्रिया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्लान अप्रूवल की आड में कनवर्शन फीस, जुर्माना इत्यादि जमा होने के बावजूद व्यक्तिगत नक्शे नहीं पास हो रहे हैं ?

(3) क्या सरकार कालोनियों के प्लान अप्रूवल की प्रक्रिया में गति लाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मास्टर प्लान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के सैक्टर प्लान बना लिये गये हैं, जिसमें सुचारु रूप से आवागमन के लिए मार्ग तथा रास्ते बना दिये गये हैं। इस प्रक्रिया में पूर्व में बने हुए रिहायशी भवनों को जहां तक सम्भव हो सकता है बचाया गया है तथा जहां खाली पड़ी भूमि उपलब्ध थी वहां सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षण किया गया है। जिन योजनाओं में आधे से अधिक रूपान्तरण शुल्क जमा किया गया था, उनके ले-आउट प्लान को स्वीकृत कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सैक्टर प्लान जांच-पड़ताल कर भूमि रूपान्तरण विभाग को प्रेषित कर दी जाती है। जहां से रूपान्तरण आदेश होने पर ले-आउट प्लान की पत्थरगढ़ी अनुमोदित नक्शे के अनुसार समिति द्वारा किया जाना वांछित है। जिसके पश्चात् व्यक्तिगत नक्शे अनुमोदित किये जाते हैं यदि इसके लिए निर्धारित शुल्क और शास्तियां प्राधिकरण में जमा करादी जाती है।

(3) जी हां। ऐसी कालोनियां जहां

(राज्य मंत्री, नगर आयोजना)

रिहायशी भवनों का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है उनके नक्शों को अनुमोदित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 200 वर्ग गज तक के भूखण्डों पर हुए निर्माण (20-8-81 से पहले) के लिए 1/- रुपये प्रति वर्ग गज तथा इससे अधिक क्षेत्रों वाले भूखण्डों पर हुए निर्माण के लिए 2/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से वसूली की जाकर व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किया जायेगा।

जयपुर की कच्ची बस्तियों के लोगों को आवश्यक सुविधायें

882. **श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)** : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खातेदारी भूमि पर बसी जयपुर की कच्ची बस्तियों की सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण कर सरकार उन्हें बसाने एवं पट्टा देने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या ऐसी जमीन पर बसे लोगों को सरकार शीघ्र ही पानी, बिजली की सुविधायें देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों में प्रदत्त स्ट्रीट लाईट 70 प्रतिशत फीसदी प्रायः बन्द ही रहती है एवं बस्तियों में घोर अंधेरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि अधिकतर कच्ची बस्तियों में आज तक पानी व बिजली की सुविधा नहीं दी जा सकी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक ये सुविधायें देने की सोच रही है ?

उत्तर

(1) अभी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के निर्देश पत्र सं. आर. एस. ई. बी. एक्स. ई. एन./सी. डी. वर्क/डब्ल्यू. डी./560 दिनांक 22-2-84 के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लाइटें ही बन्द रहती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक द्वारा नगर-परिषद् के शिकायत निवारण केन्द्रों पर शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल शिकायत का निवारण किया जाता है।

(1) जी नहीं। अधिकांश कच्ची बस्तियों में पानी एवं बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

चूरू नगर की कालोनियों में भू-खण्ड आवंटन

883. **श्री भालू खां (चूरू)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू में तीन कालोनियों इन्दिरा कालोनी, गांधीनगर, वन विहार

(श्री भालू खां)

को बसाने के लिये सरकार द्वारा सड़क निर्माण व भूमि समतल करवाने का कार्य शुरू करवाना गया है ? यदि हां, तो क्या क्या काम, कितने कितने लम्बाई की सड़कें बनायी गयी हैं ? किन-किन ठेकेदारों द्वारा कार्य किये गये हैं ?

(2) उक्त कालोनियों में कितने कितने प्लाट हैं और किस-किस दर पर आवंटित किये गये हैं तथा कितने-कितने आवंटित करने शेष हैं, और इनका आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क का निर्माण 6.90 कि. मी. किया गया। भूमि समतल का कार्य वन-विहार व गांधी नगर योजना में कराया गया। उक्त कार्य ठेकेदार श्री सागरमल शर्मा, श्री धनाराम, श्री असगर अली, मै. राज बिल्डिर्स, मै. इण्डिया बिल्डिर्स एवं मै. अनूप एण्ड ब्रादर्स व अस्त अली द्वारा किया गया था।

(2) इन कालोनियों के कुल भूखण्डों की संख्या, आवंटित भूखण्डों की सख्या एवं दर व आवंटित करने कितने शेष, इसका विवरण निम्नानुसार है :--

	कुल प्लाट	आवंटित	दर	आवंटित करने शेष
	1	2	3	4
1. वन विहार योजना	626	230	50/-	95
2. गांधी-नगर. योजना	410	42	60/-	88
2. इन्दिरा कालोनी	274	51	50/-	39

नगरपालिका द्वारा बचे हुए भूखण्डों के आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सांगानेर में दौसा गेट के पास अवैध निर्माण

884. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1970 में तत्कालीन पंचायत कलेक्टर श्री के. के. शंकरन ने सांगानेर में दौसा गेट के पास अवैध रूप से बने कुछ प्लाटों को तोड़कर नीलाम करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो ये आदेश कब व कितने व किस किसके प्लाटों के लिये दिये गये थे ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त मामले में तब से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये दोषी कौन हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत कलेक्टर के वर्ष 1970 में सांगानेर में दौसा गेट के पास प्लाट नं. 270 से 213 कुल 7 प्लाटों को हटाने

(नगर आयोजना मंत्री)

के आदेश दिये थे। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी तक नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि इन प्लाटों की पत्रावलियां जिलाधीश कार्यालय से नगरपालिका को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(आदेशों के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

885. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कई योजनाओं के लिये अवाप्त की जा चुकी भूमि का मुआवजा अभी तक भूमिपतियों को नहीं दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो ये भूमि कब-कब अवाप्त की गई और उनका अब तक मुआवजा नहीं चुकाने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनमें से कई भूमियों के बारे में मुआवजा निर्णीत कराने के प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर या अन्य विशेषाधिकारी के यहां विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा न्यास अधिनियम की धारा 51 के तहत जिन मामलों में आपसी वार्ता द्वारा न्यास हक में भूमि प्राप्त की, उनमें किसी भी मामले में मुआवजा भुगतान की कार्यवाही शेष नहीं है। अनिवार्य भूमि अवाप्ति धारा 52 के तहत जिन प्रकरणों में की गई उनमें धारा 53(3) के तहत भूमिधारी की सहमति होने पर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। अनिवार्य अवाप्ति के कुछ मामलों में मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है।

(2) अधिकांश भूमियां वर्ष 1979-80 में अवाप्त की गई। सम्बन्धित भूमिधारियों की न्यास अधिनियम की धारा 53(3) के तहत मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमति नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) यह सही है कि उक्त विचाराधीन मामलों में से अधिकांश मामले अधिनियम की धारा 53(4) के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर में मुआवजा निर्धारण हेतु विचारधीन है तथा कुछ मामलों मे न्यास भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 53(3) के तहत सुनवाई कर मुआवजा निर्धारण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उदयपुर नगर की हिरणनगरी में सिनेमा निर्माण

886. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (जैसलमेर) :

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर हिरण मगरी सेक्टर नं. 11 में निर्माणधीन सिनेमा कृषि भूमि पर बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही नगर विकास न्यास ने की ? यदि हां, तो कब एवं अन्त में अवाप्ति कार्यवाही क्यों बन्द की ?

(2) क्या उक्त सिनेमा का प्लान स्वीकृति हेतु नगर विकास न्यास को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो कब ? क्या उसकी स्वीकृति दी गई ?

(3) यदि हां, तो नगर विकास न्यास एवं नगर आयोजना विभाग ने नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे के क्रासिंग पर उक्त सिनेमा निर्माण की स्वीकृति किन नियमों के तहत प्रदान की ? यदि निर्माण नियम विरुद्ध हो रहा है, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि हिरण मगरी सेक्टर नं० 11 उदयपुर में निर्माणाधीन सिनेमा भवन कृषि भूमि से सिनेमा भवन निर्माण हेतु परिवर्तित भूमि पर बन रहा है। भूमि रूपान्तरण का आदेश जिलाधीश कार्यालय द्वारा दिनांक 28-4-81 को किया गया है। भूमि रूपान्तरण से पूर्व कृषि भूमि खसरा नं. 2427/2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 2427/7 रकबा 3 बीघा की अवाप्ति सन् 68 से प्रारम्भ की गई थी, जो भूमि के खातेदार जशोदा पत्नी श्री परसराम की प्रार्थना पर राज्य सरकार ने आदेश दिनाक 12-12-80 के द्वारा अवाप्ति से मुक्त कर दी।

(2) सिनेमा निर्माण का प्लान न्यास में नियमानुसार एन्ट्री फीस जमा कराकर प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रार्थी ने सिनेमा प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार स्वीकृति हेतु न्यास में प्रार्थना पत्र दिनांक 16-10-81 को प्रस्तुत किया गया था। परन्तु न्यास द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। सिनेमा प्लान की स्वीकृति वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर द्वारा दिनांक 14-10-81 व जिलाधीश उदयपुर के आदेश दिनांक 14-1-82 द्वारा दी गई है।

(3) नेशनल हाईवे जहां उदयपुर सलूम्बर रोड मिलती है, उसके कार्नर पर सिनेमा का निर्माण हो रहा है। सलूम्बर रोड की चौड़ाई में आने वाली 7521 वर्ग-फीट भूमि खातेदार द्वारा निःशुल्क न्यास को उपलब्ध करादी गई है तथा नेशनल हाईवे की ओर पर्याप्त स्थान खुला छोड़ा गया है। सिनेमा निर्माण की स्वीकृति देने से पूर्व नगर आयोजना विभाग द्वारा सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखा गया। सिनेमा का निर्माण चूंकि वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार किया जा रहा है अतः निर्माण आपत्तिजनक नहीं है।

Page No 50

(50)

वर्ष 1983 में लगे उर्स मेले में प्रकाश व्यवस्था

887. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के अप्रेल, 83 में लगे उर्स मेले में नगर परिषद् अजमेर द्वारा कराई गई प्रकाश व्यवस्था के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस दर के टेण्डर दिये और ये टेण्डर किस अधिकारी द्वारा खोले जाकर किसका स्वीकृत किया गया ? लोएस्ट टेण्डर स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण था ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार समय पर सक्षम अधिकारी को सम्बोधित नहीं किये गये टेण्डरों पर भी विचार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या चुकारा करने के पूर्व मेले में लगाई गई सामग्री के ठीक ढंग से कार्य करने की जांच रिपोर्ट ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) यह सही है । समय पर टेण्डर बाक्स से प्राप्त टेण्डरों में से एक टेण्डर सक्षम अधिकारी को सम्बोधित नहीं किया बल्कि स्वयं फर्म ने स्वयं को सम्बोधित किया था। टेण्डर बाक्स से चारों ही टेण्डर निकले थे और यह टेण्डर फार्म इस फर्म ने भी खरीदा था । अतः यह सब खोले गये ।

(3) जी हां ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य के अस्पतालों में पागल कुत्ते के काटने के उपचार हेतु इन्जेक्शनों का अभाव

888. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) एवं

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अस्पतालों में पागल कुत्ते काटने के उपचार के इन्जेक्शनों का अभाव है ?

(2) राज्य में सन् 1980 से फरवरी 1984 तक कुत्तों के काटने की कितनी घटनायें किन-किन जिलों में हुई तथा इसके कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(3) इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

राज्य के इस उपचार के लिये स्वीकृत अस्पतालों में इसका कोई अभाव नहीं है।

(2) जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) जिला अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली के द्वारा इन्जेक्शन सीधे ही उन्हें उपलब्ध कराये जाते हैं। किसी स्थान पर जब कभी कमी की सूचना आती है तो अन्य केन्द्रों से इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाते हैं।

(सूची के जिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

सवाई माधोपुर के जनरल हास्पिटल की एक्सरे मशीन

889. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) एवं **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में जनरल हास्पिटल में एक्सरे-मशीन है? यदि हां, तो यह मशीन कितने एम. एम. की है तथा कितनी पुरानी है?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ वर्षों पहले यह मशीन बाढ़ के पानी में डूब गई थी? यदि हां, तो उस के बाद से अब तक इस की मरम्मत पर कितना खर्चा हो गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उस अस्पताल को बड़ा बना दिया गया है? क्या इसके कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है? यदि हां, तो क्या सरकार दूसरी बड़ी एक्सरे मशीन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि आवश्यकता के अनुरूप एक्सरे-प्लेट्स अस्पताल को यथा समय उपलब्ध नहीं कराई जाती है? क्या सरकार अस्पतालों में जरूरत और मांग के अनुरूप एक्सरे-प्लेट्स उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, यह मशीन 30 एम.एम. की है और 19 वर्ष पुरानी है।

(2) जी हां। 1969 में आई बाढ़ में डूबने से एक्सरे मशीन काफी खराब हो गई थी। इसकी मरम्मत पर लगभग 5-6 हजार रुपये प्रतिवर्ष व्यय हो जाते हैं।

(3) जी हां। 100 एम. एम. की मशीन क्रय की जा चुकी है। शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेगी।

(4) जी नहीं। स्वीकृत बजट के अनु-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रूप एक्सरे प्लेट्स उपलब्ध कराई जाती रही हैं।

माण्डल विधान सभा क्षेत्र में डिस्पेंसरीज

890. **श्री बिहारी लाल पारीक** (माण्डल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र मे कितनी डिस्पेंसरी व एडपोस्ट वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, में खोले गये ?

(2) अब सरकार इस विधान सभा क्षेत्र में डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट कितने और कहां-कहां खोलना चाहती है व कब ?

उत्तर

(1) इस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980–81 में एक डिस्पेन्सरी चान्दरवास में खोली गई एवं वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 में कोई डिस्पेन्सरी/एड-पोस्ट नहीं खोली गई।

(2) वर्तमान में उपलब्ध 4 डिस्पेन्स-रियां व 2 एडपोस्ट पर्याप्त हैं। योजना मद में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान होने पर राज्य के अन्य स्थानों के साथ ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

कुशलगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र

891. **श्री फतह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में रेफरल हास्पिटल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ रेफरल हास्पिटल व डुगरा प्राथमिक स्वा-स्थ्य केन्द्र में डाक्टरों, नर्सों, अन्य स्टाफ, दवाइयों व पलंगों की कमी है ? यदि हां, तो कितने-कितने और आवश्यक व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र कुशलगढ़ एवं प्रा.स्वा.केन्द्र छोटा डूंगला है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धोरीमन्ना की डिस्पेन्सरी का ग्राम नोखड़ा में स्थानान्तरण

892. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ा-मलानी)) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमन्ना में वर्ष 1983-

(श्री हेमाराम चौधरी)

84 में प्रा. स्वा. केन्द्र खोला गया है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री ने घोरीमन्ना में पूर्व की डिस्पेन्सरी को ग्राम नोखड़ा में स्थानान्तरित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त डिस्पेन्सरी को नोखड़ा में कब स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। नोखड़ा में डिस्पेन्सरी के स्थानान्तरण का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अतः उसे वहां स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–(12) (16) एम.पी.एच. ग्रुप–2 83 दिनांक 3.3.1984 द्वारा घोरीमन्ना डिस्पेंसरी को जोधपुर जिले की पंचायत समिति फलौदी के ग्राम खारा में स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

जिला डूंगरपुर के चिकित्सालय

893. **श्री गोविन्द आमलिया** (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जुलाई 1981 से अब तक डूंगरपुर जिले में कितने चिकित्सालय, डिस्पेन्सरीज, सब-सेन्टर्स खोले गये ? जिले की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जुलाई 1981 से अब तक डूंगरपुर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार खोले गये चिकित्सालय, डिस्पेन्सरीज व सब सेन्टर्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जिला सवाई माधोपुर के नेशनल पार्क का डिमार्केशन

894. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर में खण्डार व सवाई माधोपुर तहसील में नेशनल पार्क स्थापित किया हुआ है ? यदि हां, तो नेशनल पार्क का डिमार्केशन किस वर्ष में किया गया ?

(2) क्या उक्त पार्क का डिमार्केशन न होने से वर्ष 1980 से तहसील खण्डार व सवाई माधोपुर के पशुपालकों को वन विभाग के कर्मचारीगण परेशान करते हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अब जनहित में उक्त पार्क का डिमार्केशन करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। डिमार्केशन 1981 में सीमा से लगे वृक्षों पर रंग व डामर द्वारा अंकित किया गया है।

(2) नाजायज परेशान करने की शिकायतों पर विभाग द्वारा समय-समय पर

(राज्य मंत्री, वन)

जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। डिमार्केशन हो चुका है।

जिला धौलपुर में वृक्षों की अवैध कटाई

895. **श्री तकीउद्दीन** (जौहरी बाजार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला धौलपुर में अगस्त, 1983 से अब तक अवैध वृक्षों की कटाई के कितने मामले दर्ज हुए और कुल कितनी लकड़ियां जब्त की गई ? जब्त की गई लकड़ियों में से कितनी लकड़ियां नीलामी द्वारा विक्रय हुई ? कितनी राशि नीलामी से प्राप्त हुई ?

(2) उक्त जिले में अवैध वृक्षों की कटाई के किस न्यायालय में कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और कितनों पर स्थगन आदेश हैं ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में अगस्त 1983 से अब तक वन विभाग द्वारा अवैध वृक्षों की कटाई के 97 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इन प्रकरणों में 775 क्वि. लकड़ी जब्त की गयी है। इसमें से 25 क्वि० लकड़ी न्यायालय द्वारा आदेशानुसार नीलामी द्वारा विक्रय की गयी जिससे राज्य सरकार को 555.00 रुपये की आय हुई। शेष लकड़ी के केसों का निस्तारण न्यायालय निर्णय अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त जिले में वृक्षों की अवैध कटाई के तीन प्रकरण मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग धौलपुर के न्यायालय में तथा 26 प्रकरण मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। इनमें से किसी भी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है।

धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा सरिस्का क्षेत्र में योग आश्रम की स्थापना

896. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले माह श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अलवर में, सरिस्का में अपनी मण्डली के साथ यात्रा पर आये थे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सरिस्का क्षेत्र की फिल्म फिल्मायी ?

(3) क्या यह सही है कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सरिस्का क्षेत्र में योग आश्रम स्थापित करने की योजना बना रहे हैं एवं राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने वीडियो कैमरा द्वारा बाघ परियोजना क्षेत्र सरिस्का में कुछ वन्य जीवों का छायांकन कराया था।

(3) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

वन विभाग में ओवरसियर्स के पदों पर पदोन्नति

897. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वन विभाग में ओवरसियर्स के पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओवरसियर्स के रिक्त पदों पर सीनियर सर्वेयर पदोन्नति के पात्र हैं ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति ओवरसियर्स के रिक्त पदों पर नहीं करने के क्या कारण हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24 फरवरी, 1984 के तहत भी सर्वेयरों की पदोन्नति ओवरसियर्स के पद पर की जा सकती है ? यदि हां, तो अब कब तक उनकी पदोन्नति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विभाग में 15–20 वर्षों से कार्यरत सर्वेयरों की पदोन्नति के सम्बन्ध में सरकार की भविष्य के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग में ओवरसियर का एक पद जुलाई 1982 से, तीन पद दिनांक 14-3-84 से रिक्त उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में आठ पद ओवरसियर/क. अभियन्ता के राज्यादेश संख्या एफ 7(37) राज. 8/83 दि. 1-2-84 से नवसृजित हुए जो रिक्त उपलब्ध हैं।

(2) विभाग में ओवरसियर के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियम प्रचलित नहीं हैं। इनके नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24–2–84 को सर्वेयर की पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय दिये जाने की विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) विभाग में कार्यरत सर्वेयरों को पदोन्नति दिये जाने हेतु नियमों के प्रारूप राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जिन पर शीघ्र निर्णय लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रतापगढ़ क्षेत्र के औषधालयों का औषध बजट

898. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1983–84 में उप खण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत चलने वाले औषधालयों के लिये कितना औषध बजट स्वीकृत किया

(श्री नन्दलाल मीणा)

गया है और दिसम्बर 1983 तक कितनी राशि की औषधियां विभिन्न औषधालयों को वितरण कर दी गई ? कृपया औषधालय-वार सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

उप खण्ड प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित औषधालयों को वर्ष 1983-84 में स्वीकृत औषध बजट एवं अब तक वितरित की गयी औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

आयुर्वेद विभाग में चले आ रहे रिक्त पद

899. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त चले आ रहे हैं व क्यों तथा इन पदों पर भर्ती न करने के क्या कारण हैं ? भविष्य में यह पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि अनेकों निरीक्षकों को बिना पदोन्नत किये ही कार्य हेतु लगाया हुआ है ?

(3) पदों के रिक्त होते हुए भी पदोन्नति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विभाग में रिक्त विभिन्न पदों की सूचना संलग्न प्रस्तुत है । कुछ पदों पर निर्धारित योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने, पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण नहीं भरे जा सके हैं । अब इन रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी नहीं । विभाग में निरीक्षकों के कोई पद स्वीकृत नहीं हैं । अपितु आयुर्वेद चिकित्सक जिला आयुर्वेद अधिकारियों के रिक्त पदों पर लगाये हुए हैं ।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाने के कारण पदोन्नति के अभाव में पद रिक्त हैं ।

(4) शीघ्र भर दिया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला पाली में खोले गये पशु चिकित्सालय

900. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) :

(1) पाली जिले में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितने नये पशु चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी खोली गई ?

(2) कितने चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी एक से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये गये ?

Page No 57

(57)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

(3) कितने नये चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी और खोले जाने के लिये प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक एक पशु चिकित्सालय एवं तीन पशु औषधालय खोले गये ।

(2) इस अवधि में इसी जिले में एक पशु चिकित्सालय चानोद से कोसेलाव स्थानान्तरित किया गया है ।

(3) वर्ष 84–85 में नये पशु चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है । पशु औषधालय खोलने के स्थानों का अभी चयन नहीं किया गया है ।

मांडल विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

901. **श्री बिहारीलाल पारीक** (मांडल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1980 से 1984 तक मांडल विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ?

(2) इस क्षेत्र में अब और कितने व कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) 1980 से 1984 तक मांडल विधान सभा क्षेत्र में नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है ।

(2) वित्तीय वर्ष 1984–85 में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चित्तौड़गढ़ उप खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता

902. **श्री शोभराज मल** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण खण्ड चित्तौड़गढ़ में कितने उपखण्ड हैं एवं इनमें कार्यरत सहायक अभियन्ता कितने अर्से से इस खण्ड में कार्यरत हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार तीन वर्षों से अधिक कार्यकाल के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नीति के अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) खण्ड चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में छः उपखण्ड हैं । इनमें कार्यरत सहायक अभियन्ताओं में से श्री अब्दुल नलीम 6-9-82 से, श्री के. सी. विजयवर्गीय 24–7–82 से, श्री के. आर. शाह 1–10–83 से, श्री पी. एल. गांधी 28–9–79 से, श्री एच. सी. माथुर 27–12–83 से एवं श्री जी. एल. राव 27-12-83 से इस खण्ड में कार्यरत हैं ।

(2) एक ही खण्ड में तीन वर्षों से अधिक कार्यकाल के सहायक अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है । स्थानान्तरण अधिकारी की कार्य कुशलता एवं प्रशासनिक आधारों पर किये जाते हैं ।

जिला भीलवाड़ा में छठी योजना में प्रस्तावित सड़कें

903. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा)
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भूपालसिंह)

(1) भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों की सड़कें प्रस्तावित की गई ?

(2) उक्त सड़कें प्रस्तावित करने के पीछे क्या मापदण्ड रखे गये ?

उत्तर

(1 एवं 2) पंचवर्षीय योजना में कोई सड़कें प्रस्तावित नहीं की जाती हैं। सड़कों की स्वीकृति वार्षिक योजना बनाकर की जाती है।

तितरिया से चाकसू सड़क का निर्माण

904. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तितरिया से चाकसू (जिला जयपुर) की सड़क निर्माण योजना स्वीकार हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण से गांवों के विकास में गति मिलेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सड़क के निर्माण को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण इस सड़क-निर्माण की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

जिला पाली की विभिन्न पंचायत समितियों की सड़कें

925. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक विभिन्न प्रकार की कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं एवं वर्तमान में उनकी क्या प्रगति है ?

(2) उक्त पंचायत समितियों में कितनी रपटें व पुल विभिन्न कार्यों के तहत स्वीकृत किये गए एवं उनकी क्या प्रगति है ?

(3) इन क्षेत्रों में और कौन से कार्य प्रस्तावित हैं एवं किस स्थिति में हैं ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) रानी के पास सूकड़ी नदी पर एक रपट बनाने की अलग से स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु रेलवे के अधिकारियों द्वारा आपत्ति उठाने के कारण कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(3) खोड़ से नाडोल एवं नाडोल से सादड़ी सड़कों के प्रस्ताव जिला अधिकारियों से प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

केन्द्र से राज्य सरकार को सड़क निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि

906. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से कुछ धनराशि सड़क-निर्माण के लिये मिली है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने राज्य में सड़क-निर्माण के लिये कुछ मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो उसके आधार क्या-क्या हैं और ये लक्ष्य कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

(3) जयपुर जिले में इस मास्टर प्लान योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़क किस-किस स्तर की बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

(4) उक्त मास्टर प्लान में तहसील सांगानेर, चाकसू, बस्सी व फागी की कौन: कौन सी सड़कें ली जायेंगी ? विवरण इनके फेजिंग सहित सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी मास्टर प्लान का एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसका मुख्य आधार निम्न प्रकार है :—

1. सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना।

2. 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 तक की आबादी के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना।

3. राजकीय मार्ग तथा मुख्य जिला सड़कों का सुधार एवं विकास करना।

4. ग्रामीण सड़कों के अधूरे कार्यों को पूरा करना।

5. पर्यटन, धार्मिक, खनिज, दुग्ध, रेलवे स्टेशन एवं औद्योगिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना।

6. अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों का निर्माण करना, आदि-आदि।

(3 एवं 4) मास्टर प्लान के प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अत: वांछित सूचना दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्द्रगढ़ से उनियारा व सवाई माधोपुर सड़कों की मरम्मत

907. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ से उनियारा व इन्द्रगढ़ से सवाई माधोपुर की सड़कें स्थान-स्थान पर खराब होने से तथा पुलियायें नहीं बनी होने से बसों का आना जाना अक्सर बंद हो जाता है ?

(2) यदि हां, तो उक्त मार्गों के सुधार हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? उक्त मार्गों को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इन सड़कों पर पुलियाओं के अभाव में ही वर्षा ऋतु में कभी-कभी आवागमन में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

(2) आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किये जाते रहे हैं। धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य हाथ में लिये जावेंगे।

जैसलमेर शहर में बस स्टेण्ड का निर्माण

908. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर में बस स्टेण्ड बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टेण्ड हेतु जैसलमेर नगरपालिका द्वारा धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा करा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि जमा कराई गई और कब ?

(3) बस स्टेण्ड का कार्य कितनी अवधि में पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1, 2 एवं 3) 8.41 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने वाले बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु एक 5.00 लाख रुपये की किश्त नगरपालिका जैसलमेर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में दिनांक 20–9–82 को जमा कराई, दिनांक 16–3–83 को जमा राशि में से केवल 69000 रुपये चार दीवारी बनाने हेतु खर्च करने की अनुमति दी और यह कार्य 22–6–83 तक पूरा करा दिया गया। तत्पश्चात् नवगठित ज्ञापित क्षेत्र समिति के अधिशाषी अधिकारी ने शेष राशि लौटाने हेतु 16–1–84 को निवेदन किया है। अतः विभाग द्वारा बस स्टेण्ड पर आगे कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बीकानेर में कृषि उपज मंडी विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्य

909. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में कृषि उपज मंडी विभाग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक कहां-कहां कौन-कौन से विकास कार्य किये गये हैं ? कृपया वर्षवार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) ऊन मण्डी का कार्य कब तक पूर्ण होना सम्भावित है ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर की मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 31–1–84 तक पूर्ण किये गये वर्षवार विकास कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) मण्डी समिति, बीकानेर की ऊन मण्डी का निर्माण कार्य मार्च, 1984 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

राजस्थान बीज निगम के कवाई फार्म पर बीज उत्पादन

910. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान बीज निगम के कवाई फार्म (कोटा) पर खरीफ 1983 में किस-किस बीज का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया ? खेत की तैयारी, रासायनिक खाद, बीज बुवाई आदि एवं कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ?

(2) इस कवाई फार्म पर खरीफ 1983 में कितने बीज का उत्पादन किया गया ?

उत्तर

(1) खरीफ 1983 में कवाई फार्म पर 8 एकड़ में ज्वार एवं 8 एकड़ क्षेत्र में तिल का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। उक्त फसलों पर खेत की तैयारी, खाद, बीज बुवाई व अन्य मजदूरी पर लगभग 6430/- रुपये खर्च हुए। फर्म कर्मचारियों के वेतन आदि पर 4500/- रुपये का व्यय इस दौरान हुआ।

(2) खरीफ 83 में अधिक वर्षा एवं देर से बुवाई के कारण फसल फेल हो गई और मात्र 20 किलो तिल प्राप्त हुआ। ज्वार में बीज नहीं बन सका।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 मार्च, 1984)

जिला कोटा में कार्यरत औषधालय

177. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में किस-किस श्रेणी के कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं व उनमें गत 2 वर्षों से कौन-कौन वैद्य व उपवैद्य कार्यरत रहे हैं ?

(2) गत 2 वर्षों में उक्त औषधालयों में कार्यरत वैद्यों के स्थानान्तरण कब-कब, कौन-कौन के कहां-कहां किए गए व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अनेकों वैद्यों के 5 से 6 बार तक 2 वर्षों में स्थानान्तरण किये गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(4) इन 2 वर्षों में किये गये स्थानान्तरणों से विभाग को किस-किस को कितना कितना यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देना पड़ा ? उसकी पूरी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में 13 'अ' श्रेणी के एवं 68 'ब' श्रेणी के एवं एक चल चिकित्सालय कुल 82 आयुर्वेदिक औषधालय वर्तमान में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त इसी माह में पांच नवीन आयुर्वेद औषधालय और स्वीकृत किये गये हैं। संचालित औषधालयों में कार्यरत वैद्य एवं कम्पाउण्डर/नर्स की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में वैद्यों के किये गये स्थानान्तरणों की सूची परिशिष्ट-2 पर कारण सहित संलग्न है।

(3) जी नहीं। केवल एक वैद्य का ही स्थानान्तरण पिछले दो वर्षों में 5 बार किया गया है। इसमें भी 3 बार प्रशासनिक दृष्टि से एवं दो बार स्वेच्छा से किया गया है।

(3) सूची (परिशिष्ट-3) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 मार्च, 1984)

जयपुर शहर में बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च

153. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या बाढ़ राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1981 के बाद में बाढ़ राहत कार्यों के लिए जयपुर शहर में किस-किस कार्य में किस-किस विभाग अथवा संस्थाओं के माध्यम से कितना-कितना खर्च करवाया गया कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में बाढ़ राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों पर लोहे के पाइप्स की रेलिंग भी लगवाई गई है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्चा हुआ और ये पाइप किस माध्यम से खरीदे गये थे ?

उत्तर

(1) कार्यों की अभिकरणवार तालिका संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में बाढ़ राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों पर रेलिंग लगाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जयपुर नगर परिषद द्वारा कराया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रेलिंग लगाने के कार्य पर 2,66,850/– रुपया व्यय किया है। इस कार्य के लिए उन्होंने निविदायें आमंत्रित करके ठेकेदार से यह कार्य कराया है।

नगर परिषद ने बाढ़ सहायता मद से रेलिंग लगाने के लिए 70,630.23/– रुपया खर्च किया है। उन्होंने यह कार्य निविदायें आमंत्रित करके किया है।

(सूचियों के लिए परिशिष्ट 24 देखें)

Page No 63

(63)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 मार्च, 1984)

कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षक के पद

182. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद गत वर्षों में सृजित किये गये और उनकी कब-कब भर्ती की गई ?

(2) जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी के कितने पद हैं और इनमें से कितने पद रिक्त हैं व कितने भरे हुए हैं ?

(3) क्या सवाई माधोपुर जिले के लोगों को कृषि पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो कितनों को तथा शेष को नहीं देने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य के लड़कों की भर्ती की गई है ? यदि हां, तो कितने लड़कों की और क्यों ?

उत्तर

(1) कुल 223 पद कृषि पर्यवेक्षक के गत वर्षों में सृजित किए हैं तथा इनकी भर्ती वर्ष 1978, 1979, 1980, 1982 एवं 1983 में की गई।

(2) जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के 310 एवं सहायक कृषि अधिकारी के 46 पद सृजित है इनमें से कृषि पर्यवेक्षक के 43 एवं सहायक कृषि अधिकारी का एक पद रिक्त है।

(3) जी हां। सवाई माधोपुर जिले के 81 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है। साक्षात्कार समिति द्वारा कुछ प्रत्याशियों को योग्य नहीं पाये जाने के कारण नियुक्तियां नहीं दी गयीं।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 1984)

अजमेर का मृदंग सिनेमा घर

448. **श्री बंसी लाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में मृदंग सिनेमा दिनांक 13, 14, 15 जनवरी, 1983 तथा दिनांक 10 से 18 फरवरी, 1983 तक किन कारणों से व किस अधिकारी के आदेश से बन्द रहा ?

(2) उक्त अवधि में सिनेमा बन्द रहने से राज्य को कितने राजस्व (मनोरंजन कर) की हानि हुई, और इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

उत्तर

(1) जिलाधीश, अजमेर (अनुज्ञापत्र अधिकारी) के आदेश से सिनेमा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों का उल्लंघन करने पर दिनांक 13 से 15 जनवरी और 10 से 18 फरवरी, 83 तक मृदंग सिनेमा को बन्द किया गया।

(2) मनोरंजन कर की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि सिनेमा बन्द रहने की अवधि में कितने टिकट बिके। इसीलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि राज्य सरकार को कितने राजस्व (मनोरंजन कर) की हानि हुई। मनोरंजन कर की जितनी भी हानि हुई उसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री हरीश शर्मा, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से खनिज अभियन्ता बूंदी द्वारा अनियमित तरीके से एक खनिज लीज नम्बर 477/83 जारी करने के विषय में,

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम रिबनसर, जिला नागौर की सीलिंग भूमि कुछ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को अनियमित तरीके से अलाट करने के विषय में,

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग के 55 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को माह जुलाई, 1983 से वेतन न मिलने के विषय में,

(4) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के चिलेश्वर ग्राम व अन्य ग्रामों में वृद्ध महिलाओं व अविवाहित व्यक्तियों का परिवार नियोजन ऑपरेशन करने के विषय में,

(5) श्री छीतर लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति अटरू के पंचायत मुख्यालय खुरी को वहां से हटाकर ग्राम दिवाली में ले आये जाने के जाने के विषय में,

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के बार रूम में गुण्डों द्वारा घुसकर वकीलों के साथ मारपीट करने और पुलिस द्वारा उन पर कोई कार्यवाही न करने के विषय में,

(7) श्री भूपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में गेहूं व बाजरा की निकासी बन्द कर देने के विषय में।

(8) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विद्युत अभि-

(श्री अध्यक्ष)

यन्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(9) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर जिले की पीसांगन पंचायत समिति के कुछ गांवों में जहरीली शराब पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने के विषय में।

(10) श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर व जैसलमेर के उपनिवेशत में लागू 55 ए ए ए के विरोध में किसानों के द्वारा रास्ता रोको आन्दोलन के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री हरीश शर्मा 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मस्टर रोल रेट पर रखे गये कर्मचारियों को अर्द्ध स्थाई न करना। सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे कर्मचारियों में से 8 नौकरी छोड़ कर चले गए हैं, 4 को अर्द्ध स्थायी घोषित किया जा चुका है और केवल 15 कर्मचारियों के बारे में कार्यवाही शेष है।

(2) श्री हरीश शर्मा—कोटा जिले के अन्ता क्षेत्र में सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग द्वारा हरे वृक्षों की नीलामी। सरकार ने सूचित किया है कि नीलामी की कार्यवाही एक कमेटी द्वारा की गई है और काटे गये पेड़ों में से कोई भी पेड़ हरा नहीं था और उच्चतम बोली लगाने वालों के नाम ही बोली छोड़ी गई थी।

(3) श्री जीतमल जैन व श्री समरथ लाल—गत 20 जनवरी को ग्राम विचगांव जिला अलवर में सामूहिक हत्या एवं लूटपाट। सरकार ने सूचित किया है कि 15 मुलजिमानों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बकाया है तथा जिस ए.एस.आई. द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गयी उसे निलम्बित किया जा चुका है।

(4) श्री कैलाश मेघवाल—ग्राम लगेरा खुर्द तहसील भूपालगढ़ में मेघवालों की शमशान की भूमि पर नाजायज कब्जा। इसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। इस पर अभी मैं व्यवस्था नहीं दूंगा।

(5) श्री छीतरलाल आर्य—अटरू में उच्च जलाशय की क्षमता कम होने से पेयजल संकट। सरकार ने सूचित किया है कि जिस क्षेत्र में पानी का दबाव कम है वहां अतिरिक्त पाइप लाइन डाली जा रही है।

(6) सर्वश्री भूपालसिंह, हीरालाल आर्य, दाऊदयाल जोशी, रघुवीरसिंह कौशल—राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित आम हड़ताल। सरकार ने सूचित किया है कि

(श्री अध्यक्ष)

हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया है।

(7) श्री हीरालाल आर्य—ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां, जिला कोटा में सफाई की अव्यवस्था। सरकार ने सूचित किया है कि तीन हरिजन कर्मचारियों द्वारा अत्यन्त आवश्यक सफाई की व्यवस्था की जा रही है और गांव के निवासी अपने घरों की सफाई कर रहे हैं।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

अपर मुन्सिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट नं 1 भीलवाड़ा का विधान सभा सदस्य की गिरफ्तारी हेतु माननीय अध्यक्ष को लिखा गया पत्र

कुछ दिन पूर्व विपक्ष के नेता महोदय ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था। उस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट से जवाब प्राप्त हो गया है। विपक्ष और अन्य दलों के नेताओं से और सत्तारूढ़ दल के नेताओं से आज सायंकाल 3 बजे बातचीत करके उसके बारे में व्यवस्था दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या जवाब मिला है ?

श्री अध्यक्ष : क्षमा याचना की है।

एक माननीय सदस्य : लैंग्वेज क्या है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। लैंग्वेज तो आप देख लेंगे सब।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ विशेषाधिकार के प्रश्न पहले रखे थे...

श्री अध्यक्ष : उनके बारे में कल तक मैंने व्यवस्था देने के बारे में व्यवस्था की है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो विशेषाधिकार के प्रश्न और थे, एक तो था...

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्न थे, उन पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर प्रश्न थे लेकिन इस पर विचार कब तक हो जायेगा। 10 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : चार पांच दिन कार्यवाही और चलेगी उससे पहले निश्चित रूप से उन पर निर्णय दे दिया जायेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नार्यूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 में एक नोटिस दिया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष : प्राप्त हो गया है, यह कोई आज नई बात कह रहे हैं ? यह तो सभी अखबारों में आया है और अखबार सभी माननीय सदस्य पढ़ते हैं, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

श्री नार्यूसिंह : महत्वपूर्ण इसलिये है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप बिराज जायें मेरा आप निवेदन सुन लें। महत्वपूर्ण है, एक मिनट सुन लें। महत्वपूर्ण इसलिये है, अध्यक्ष महोदय, किसी समाचार पत्र में कोई समाचार छपे और मुख्य मंत्रीजी स्वयं सीधे रूप से समाचार पत्र के प्रबन्ध सम्पादक को धमकी दें और फटकार लगायें, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इससे प्रेस की स्वतन्त्रता पर आंच आ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जब अजमेर गये, दैनिक नवज्योति में माननीय मंत्रीजी के बारे खबर छपी थी....

श्री अध्यक्ष : प्रेस वाले डरपोक थोड़े ही हैं। उनके अधिकार क्या हैं, वे सब जानते हैं।

श्री नार्यूसिंह : अध्यक्ष महोदय, निवेदन इसलिये कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने दूसरे विकल्प थे। डिफेमेशन का केस करवाते, जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें कटौती करते और कई तरीके हो सकते थे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सीधे रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो सरकार के हैड हैं, सरकार चलाते हैं, किसी प्रबन्ध सम्पादक को धमकी दें कि आपने समाचार कैसे छाप दिया, अध्यक्ष महोदय, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना और नहीं हो सकती। पिछले तीन साल के कार्यकलाप बताते हैं। जगह-जगह समाचार पत्रों के सम्पादकों पर हमले हुए हैं, उनकी पिटाई हुई है, झूठे मुकदमे बनाये गये हैं, जेलों में बन्द किया गया है, प्राणघातक हमले हुए हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीधा प्रेस पर कुठाराघात है। मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी इस सदन में आयें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नार्यूसिंह : ....और एक्सप्लेनेशन दें, वास्तविकता क्या है। मुख्य मंत्रीजी आकर स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त कीजिये माननीय सदस्य। श्री घनश्याम तिवाड़ी 295 के अन्तर्गत सीकर में जल संकट के बारे में।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : श्री भूपाल सिंह।

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा

Page No 68

(68)

(श्री भूपाल सिंह)

प्रस्ताव आया नहीं है। एक ही प्रस्ताव आया है। एक प्रस्ताव मैंने दिया था कि मुख्य मंत्री महोदय चितौड़ में मण्डकिया गांव है वहां देवस्थान है छांवरा जी का, उसका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पंचों से तुले हैं। वे भी तुले हैं और उनके साथ और भी तुले हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस विषय का ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, माननीय सदस्य। यहां आया नहीं है।

श्री भूपाल सिंह : अगर वे नहीं तुले तो जवाब भेजा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अन्य किसी तरीके से उठायें, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : यह ऐसा प्रश्न है हुकुम कि जो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब भेज दिया है।

श्री भूपाल सिंह : तुले हैं, अनतुले हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, उसका उत्तर आ जायेगा, अध्ययन कर लेंगे उसके बाद व्यवस्था दे दी जायगी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले तीन दिन से सीकर नगर और उसके आसपास के गांवों में पेयजल का भारी संकट उपस्थित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल इस प्रकार की हालत थी एक-एक बाल्टी पानी के लिये लोगों को तरसना पड़ रहा था और पिछले दो दिनों से लगातार वाटर सप्लाई वर्क्स के द्वारा लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर से गर्मी पड़ रही है, शादियों का मौसम है। इस प्रकार से सीकर नगर और आस-पास के गांवों में पानी के लिये बड़ा असंतोष है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर नगर और आसपास के इलाके में जल सप्लाई की तुरन्त व्यवस्था की जाये, अन्यथा वहां पर जन आन्दोलन होगा उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। आपके दो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं। मटस्र रोल पर रखे गये कर्मचारियों के बारे में और दूसरा सिंचाई विभाग द्वारा हरे वृक्षों की नीलामी के बारे में। कृपया दो-दो मिनट प्रत्येक के सम्बन्ध में कह दें।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पिछले ढाई वर्षों से मस्टर रौल में कर्मचारियों को लगा रखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनको अर्द्ध स्थाई किया जाये। मुख्य अभियन्ता ने इस बारे में आर्डर दिया है कि इनको अर्द्ध स्थाई किया जाये लेकिन उनको अर्द्ध स्थाई नहीं किया गया। वे जयपुर आये, मुख्य अभियन्ता के

(श्री हरीश शर्मा)

पास गये। उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे एक ही कारण था। सब से रुपये मांगे जा रहे थे, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब तो काफी हद तक समस्या का हल निकल गया है। मैंने सरकार का उत्तर देखा है।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आखिर सवाल यह है कि कर्मचारी सरकार की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते, सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करती। क्या सरकार इतनी × × × है जो अधिकारियों के सामने घुटने टेकती है। अध्यक्ष महोदय, आखिर दो साल तक लिपिक का काम किया है लेकिन उनके नाम मस्टर रोल पर हैं। काम लेते हैं लिपिक का, पैसे देते हैं मस्टर रोल के हिसाब से, यह क्या अन्याय है, यह क्या व्यवस्था है? यह ?पिग है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है, इसका जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, आप ईमानदारी से कहें, आप सरकार के जवाब से सन्तुष्ट हैं? अध्यक्ष महोदय, अभी भी वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, कर्मचारियों को इधर-उधर किया जा रहा है। लेकिन मैंने उनसे कहा है चाहे कुछ भी हो जाये, इनको एक पैसा मत देना, रिश्वत मत देना। मैंने उनको अपनी मां की सौगन्ध दिलवा दी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव था, इस सम्बन्ध में जो सरकार ने जवाब दिया है वह नितांत असत्य है क्योंकि पेड़ों की नीलामी के लिये कोई कमेटी नहीं बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, योजनाबद्ध तरीके से, इससे पहले भी एक ने नीलामी लगाई थी लेकिन छोड़ दी। हुआ क्या, बारां के अन्दर जो लकड़ी की टाल लगाने वाले थे वे ए. ई. एन. साहब से मिले। उन्होंने कहा, जितना चाहिये हम देंगे, नीलामी हमारी छुड़वा दो। इस तरह से नीलामी कैन्सल हुई है। जो डिपाजिट थी उनको वापस की। अध्यक्ष महोदय, नीलामी हुई थी, उनको नहीं दीं। उन टाल वालों से पैसा खा गये। सहायक अभियन्ता झूठ बोलता है कि उच्चतम बोली लगाने वाले के नाम ही बोलीं छोड़ी गई है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। एक तरफ सरकार पेड़ लगाने की बात करती है। अभी एक सवाल आया था कि प्लान्टेशन कर रहे हैं दूसरी तरफ पेड़ काट रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप जांच करें इस बारे में। सरकार ने जो जवाब दिया वह नितान्त गलत है। मैं निवेदन करूं इस बारे में अगर आप जांच करेंगे तो जो सरकार ने जवाब दिया वह बिलकुल अवैध मिलेगा मेरे स्थगन प्रस्ताव पर, मेरे सवाल पर क्या सरकार यह भी पता नहीं कर सकती है। इससे साफ पता लगता है कि वे सरकारी अधिकारियों से मिले हुए हैं, मतलब साफ है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन। गत 20 जनवरी को ग्राम किचगांव, जिला अलवर में सामूहिक हत्या एवं लूटपाट।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(70)

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की ओर से जवाब आया है उसमें सरकार ने स्वीकारकर लिया है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है। अगर पुलिस समय पर कार्यवाही करती तो इस हत्या काण्ड से बचा जा सकता था। इस हत्या काण्ड के बाद पुलिस ने ए. एस. आई. को निलम्बित कर दिया लेकिन प्रश्न यह है कि झगड़ा यहीं समाप्त नहीं होगा, उसके मूल कारण में सरकार को देखना पड़ेगा। इस जमीन जिसके कारण यह सारा झगड़ा हुआ, सन् 1975 के अन्दर 18 बीघा के लगभग यह जमीन पांच हरिजन परिवारों को अलाट की गई थी। उन हरिजनों को अलाट करने के बाद सरकार की ओर से उस जमीन का कब्जा आज दिन तक नहीं मिला। एक ही परिवार के ये लोग हैं जिन्होंने हत्यायें की हैं, एक ही दादा की औलाद हैं और आपस में मिलकर इन्होंने कब्जा कर रखा है। उन हरिजन परिवारों से मिलकर दूसरे परिवार वालों को खरीदवा दिया और उन हरिजनों को कुछ पैसे देकर इन जमीनों पर काबिज रहे। तो इन दो परिवारों में इस जमीन पर कब्जा किसका हो, इस बात को लेकर झगड़ा है। मेरा निवेदन यह है कि जो हरिजनों को जमीन दी गई थी अगर इनको कब्जा नहीं दिया गया तो पुनः भविष्य में इस प्रकार के झगड़े होंगे। हमारी सरकार हरिजनों की हमदर्द बनती है और कहती है कि हम हरिजनों के खैरख्वाह हैं, तो सरकार को चाहिये कि जिनको जमीन अलाट की गई थी उनको जमीन किसी प्रकार से दीलवाई जाय ताकि गरीब हरिजन का उस जमीन पर कब्जा हो और कम से कम निश्चित रूप से जीविका चला सकें। यह मेरा सरकार से निवेदन है नहीं तो भविष्य में फिर झगड़े होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतर लाल आर्य।

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अटरू तहसील में जो प्रापर अटरू है वह तहसील हैड क्वार्टर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी आबादी करीब 10-15 हजार की है। वहां जलाशय की जो एक टंकी बनी हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सात हजार मिली लीटर कैपेसिटी की है। इस हिसाब से आधा आधा लीटर पानी प्रति व्यक्ति आता है। इस वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार को निवेदन है कि वाटर सप्लाई की जो व्यवस्था है वह बिलकुल अव्यवस्थित रूप से चल रही है। वहां के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिये परेशान होना पड़ रहा है। 12-12, 1-1 बजे तक वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लाइट की व्यवस्था में भी लाइट 6-00 बजे समय पर नहीं मिलने से लोगों को असुविधा हो रही है। मेरा निवेदन है सरकार को और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्रीजी को कि वहां कम से कम दो लाख लीटर जलाशय की एक टंकी बनवाने की व्यवस्था करवावें।

श्री अध्यक्ष : आज यह मांग सदन के समक्ष विचाराधीन ली जा रही है। श्री हीरा लाल आर्य, ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां में सफाई की अव्यवस्था।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मान-अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील हैड क्वार्टर है और 8-10 हजार की आवादी का कस्बा है। यहां पर सफाई की व्यवस्था के लिये 15-20 हरिजन ग्राम पंचायत की ओर से कार्यरत थे उनको केवल मात्र 35 रु, महीना ही वेतन दिया जा रहा था। उनका वेत नवढ़ाया जाय, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनको वेतन मिले, यह उनकी मांग थी। इस मांग को लेकर कई बार वहां की ग्राम पंचायत से निवेदन किया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन लोगों ने हड़ताल की। हड़ताल के बाद भी उनकी वात नहीं मानी गई। लम्बे समय के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि हम आपके कुछ पैसे बढ़ा देंगे लेकिन पैसे नहीं बढ़ाकर उनसे उसी तरह का काम लिया जाता रहा। इसके बाद फिर जब मांग की तो वहां के ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपनी सनक में आकर उन सब हरिजन कर्मचारियों को एक ही नोटिस देकर सेवाओं से पृथक कर दिया। एक तो गरीब हरिजन थे, उनके सामने आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया। वे कहते रहे कि हम तो गरीब हरिजन लोग वैसे ही हैं, छोटी सी नौकरी थी उससे भी हटा दिया है। तो एक तो वे बेरोजगार हो गये, वे बार बार कहते रहे, उन्होंने ग्राम पंचायत और अतिरिक्त जिलाधीश, विकास को भी निवेदन किया कि हमें हमारी छोटी सी नौकरी से भी हटा दिया है, हमें पुनः सेवा में लिया जाय और हमारा वेतन भी बढ़ाया जाय, दूसरी ओर सफाई कर्मचारी नहीं रहने से पूरे कस्बे में गन्दगी का साम्राज्य फैल गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि गर्मी पड़ रही है और गांव में इधर-उधर जो गन्दा पानी है वह सड़ रहा है। कोई कूड़ा-करकट उठाने वाला नहीं है। जब मैं पीपल्दा गया तो वहां के नागरिको ने मुझे खुद को कहा, देखिये, पूरे नगर की यह हालत हो रही है। मैंने भी सरपंच को कहा कि सरपंच साहब आपने सनक में आकर बेचारे इन गरीब हरिजनों को क्यों हटा दिया है। पूरे कस्बे में आपको सफाई और प्रकाश की व्यवस्था करनी है, तो कम से कम सफाई तो करवायें। लेकिन उनको अहम् है। क्योंकि वे कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता हैं तो कर दिया मैंने जो कर दिया वह असल है और गांव वाले सड़ते हैं तो मैं क्या करूं। गांव वालों ने समझाया भी कि आप सरपंच इसलिये नहीं बने हैं, हमारी वात मानिये। इस वात को मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को निवेदन किया है कि आप उनको इन्स्ट्रक्ट करें। एक तो वहां नागरिकों में बीमारी फैलने का अन्देशा है, दूसरा मच्छर इतने फैल रहे हैं कि वहां के लोगों का जीना बड़ा दूभर हो रहा है। मेरे कहने के बाद उन्होंने एक कर्मचारी को लगा लिया। अभी भी कल ही मैं होकर आया हूं, वहां के लोग कह रहे थे। आपने जो जवाब दिया है कि वहां तीन हरिजन कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई हो जायेगी। तो कहां तो 20 हरिजन कर्मचारी और कहां केवल तीन हरिजन कर्मचारी। वहां सफाई व्यवस्था कर सकेंगे। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह वास्तविकता से परे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा कस्बा नरक की स्थिति में पहुंच गया है और बीमारी और भी ज्यादा पनपेगी, ऐसी आशंकायें तेजी से बढ़ रही हैं।

(श्री हीरालाल आर्य)

इसलिये एक तो कर्मचारियों का वापस लिया जाय ताकि सफाई की ठीक व्यवस्था हो सके और दूसरा जो गरीब हरिजन कर्मचारी है, जिनके सामने आजीविका का प्रश्न चिन्ह लग गया है, बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। जो जवाब आया है, वह सत्य से परे है। इसलिये मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर आप पुनः विचार करके सफाई की उचित व्यवस्था करवायें और जिन कर्मचारियों को निकाला गया है, उनको वापस लेकर उनका वेतन भी बढ़ाया जाय और सफाई की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर....।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था और उससे आप जितने परिचित हैं मेरे ख्याल से उतने माननीय मंत्री महोदय भी नहीं हैं ...

श्री अध्यक्ष : कौनसा ? 15 एएए वाला।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसमें बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। 15 ए ए ए जो अमेन्डमेंट 1983 में आया, अध्यक्ष महोदय, उसके तहत जैसलमेर में भूतपूर्व रियासत के काश्तकारों की जो जमीन अवाप्त हो रही है उसमें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है....

(व्यवधान)

मैं बार-बार आपके माध्यम से सरकार को यही विनती करता रहा हूं और मेरी यह अपेक्षा है कि सरकार इस सत्र के समाप्त होने तक कुछ न कुछ हल निकालेगी। लेकिन हल न निकालने से किसानों ने वहां आन्दोलन शुरू कर दिया है और मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसानों के साथ यह सरकार दोहरी नीति चला रही है कि एक किसान तो एक कैटेगरी में और भूतपूर्व जैसलमेर रियासत उपनिवेशन का काश्तकार दूसरी कैटेगरी में। अध्यक्ष महोदय, यह कतई बात चलने वाली नहीं है। राज्य सरकार से मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहता हू कि अगर इस तरह लाठी चार्ज करवा-करवा कर आप डण्डे के जोर से काश्तकारों को डराना चाहते हो तो आप बड़ी भूल में हो। काश्तकार गंगानगर से लेकर जैसलमेर तक एक है और जैसलमेर से गंगानगर तक का काश्तकार आज इतना परेशान है इस फिफ्टीन ट्रिपल ए से, अध्यक्ष महोदय, कि आपको क्या बताऊं, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं उनकी समस्याओं को हल करती है ? यह समस्या तो उनकी न्यायोचित समस्या है। अध्यक्ष महोदय, वे चाहते हैं कि जैसे अन्य काश्तकारों को कम्पेनसेशन दिया गया वैसे ही

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

उनको भी कम्पेन्सेशन दिया जाये । जैसे अन्य काश्तकारों को जमीन दी, उसी तरह उन्हें भी सीलिंग सीमा से अलग दी जाय। आखिर यह हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना समय हो गया, 84 आ गया। अध्यक्ष महोदय, साल भर होने को आया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विनती की है कि काश्तकारों ने यहां लाकर....

श्री अध्यक्ष : इसमें जल्दी जवाब मंगवायेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ नहीं रहा है, काश्तकारों पर लाठीचार्ज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों पर लाठीचार्ज हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यह सरकार किसानों की समस्याओं को उलझाकर सुलझा नहीं सकती। जान बूझकर समस्या बनाना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आज डण्डे बरसाये जा रहे हैं, कल गोलियां चलायी जायेंगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। इस पर जवाब आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस सरकार की नींद नहीं खुलती है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की जेनवीन प्राब्लम है और अगर जेनवीन प्राब्लम्स को यह सरकार नहीं निपटाती जेनवीन प्राब्लम्स के लिए अगर आन्दोलन करना पड़े तो यह कैसी डेमोक्रेसी है, यह किस चीज की डेमोक्रेसी है। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से लेकर जैसलमेर जिले के किसान आज पीड़ित हैं। लाठीचार्ज करा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कल यह गोली चलायेंगे, काश्तकारों पर। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार फिर आन्दोलित होगा। यह मांगते हैं तो उसकी सीलिंग सीमा की जमीन का मुआवजा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, दूसरे वह यह मांगते हैं कि उसको निशुल्क जमीन सीलिंग सीमा तक दी जाय। फिर राज्य सरकार इनको क्यों नहीं निपटाती है और यह क्यों नहीं देते हैं, अध्यक्ष महोदय। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले से जैसलमेर तक का काश्तकार पीड़ित है इस मामले को लेकर। आज लाठी चलायी गयी है, कल गोलियां चलायी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, किसानों को, गरीब किसानों को मारा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया, प्रस्ताव दे दिया, उस पर जानकारी ले रहा हूं। कुछ न कुछ व्यवस्था हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इतनी जानकारी तो इनको है ..

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : ''यह नाकाबिले बर्दाश्त है ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : ''उसका कम्पेन्सेशन नहीं मिले, किस बात के नोटिस निकाले जा रहे हैं, किस बात का पैसा लिया जा रहा है, कहां है पैसा वहां के काश्तकारों के पास जो आपको देंगे । पैसा इस किसान विरोधी सरकार के पास है....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : ''उसकी जमीन आज छीनी गयी; जो बाप दादा की जमीन है, हजारों पीढ़ियां हो गयीं वह....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसानों की यह समस्या जब भयंकर रूप ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी मैं सरकार से जानकारी ले रहा हूं, माननीय सदस्य । महत्वपूर्ण विषय है आप स्वयं जानते हैं इसलिए विस्तार....

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कितना महत्वपूर्ण विषय है यह आप भी जानते हैं लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, वहां गोली चलेगी ।

श्री अध्यक्ष : कोई नयी बात हुई है...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस किसान विरोधी सरकार के इन कारनामों...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जायं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : ...से परेशान होकर जनता बिल्कुल बैठ जायेगी । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गूंगी बहरी है, सुनने का नाम ही नहीं है । इसका क्या मतलब हुआ । अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा । इसके जवाब की व्यवस्था...जवाब नहीं हम चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : कैसी भी जानकारी नहीं आयें समस्याओं के बारे में, आखिर यह कहां तक चलेगा । हम आखिर इन जन समस्याओं को लेकर यहां आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है । आपको तथ्यों को....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : सरकार लूटती है, ये बैठे हैं, यह सरकार बैठी है जिनको काश्तकारों के बारे में...

(व्यवधान)

Page No 75

75

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बैठ जायें।

ऐसा है कि आज सदन में एक 15–एएए के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आप उस सम्बन्ध में उत्सुक हैं और आपका उत्सुक होना या नाराज होना भी स्वाभाविक है इसलिये तो मैंने निवेदन किया न कि उस पर सरकार से जानकारी लेकर इसी सत्र में सरकार की ओर से कुछ न कुछ वक्तव्य आदि दिलाया जायेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। मुख्य मंत्री जी।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रामप्रसाद, जो हरिजन विधायक हैं, अपनी रक्षा के लिए यहां हाउस में भी आपके सामने प्रार्थना कर चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इस तरह···

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : कल उनके ऊपर तलवार से प्राणघातक हमला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनके बार-बार हाउस में निवेदन करने के बाद, सूचना देने के बावजूद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : बार-बार निवेदन करने के बाद....

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : उनके परिवार को भी बचायें।

श्री अध्यक्ष : मैं जब चैम्बर में जाऊंगा तो इस सम्बन्ध में जानकारी ले लूंगा, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : राम प्रसाद जी हरिजन विधायक हैं, हरिजनों के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरिजनों में भी आज इस प्रकार का भय व्याप्त हो गया है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। बैठ जायें।

श्री हीरालाल आर्य : X X X

श्री त्रिलोक सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना मंगवाऊंगा। इस तरह से यह....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर। अंकित न हो। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : X X X

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। अव्यवस्था न फैलायें।

(व्यवधान)

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, यह जो राम प्रसाद जी के बारे में कहा है, आज ही सुबह एस. पी. से मेरी बात हुई थी, कल रात को ही यह बात हुई थी। एस.पी. मिलकर आये हैं उन से रात को। वहां पर टसल हुई है उस मसले के अन्दर उनके भाई के साले हैं उन पर हमला करने की चेष्टा की गयी, ईश्वर की कृपा से उन्हें चोट वोट नहीं आयी। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है। उनके घर पर गार्ड मौजूद है और साथ में गनमैन मौजूद है, अध्यक्ष महोदय, यह पूरी व्यवस्था की हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो। अव्यवस्था न फैलायें।

(व्यवधान)

बैठ जायें, अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। ऐसा है, माननीय सदस्य, कि आपको....

(व्यवधान)

पहले मेरी बात सुनिये...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, बैठ जायें। परसों तो राम प्रसाद जी साहब मेरे पास आये और मुझे कहने लगे कि मुझे किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है मेरे यहां से गार्ड हटा दी जाय। मैंने कहा, आप लिखकर देंगे तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने मन्त्री जी से भी उस वक्त बात कर ली थी। अब कोई दुर्घटना हो गयी है तो मन्त्री जी ने कह दिया, उन्होंने जानकारी ले ली। इसको अब आप क्योंकि हरिजन हैं, इसलिए किया जा रहा है यह कोई कहने की बात होती है क्या ? सब के लिए चिन्ता की बात है। यदि उनके ऊपर कोई हमला होता है और कोई बात होती है, मारपीट होती है तो इसको आप एक छोटी बात की तरह से उठाना चाहते हैं। कोई बात हुई है तो उसकी जानकारी ले ली, कार्यवाही नहीं हुई है तो कार्यवाही करायेंगे। परसों वह स्वयं आकर मुझे बहुत आग्रह करके कह रहे थे कि मेरे यहां कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा कि जब तक आप लिखकर नहीं देंगे तब तक मैं यह नहीं करूंगा....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : आप हरिजन को नहीं करें तो....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : एक विधायक के साथ इस तरह का हो रहा है....

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें। मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। माननीय सदस्य श्री बालचन्द आर्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यह क्या बात हुई बिना किसी नियम का ध्यान रखे बोलें, यह क्या बात हुई। उसकी पूरी जानकारी आने दीजिए। यह तो कोई प्रश्न है नहीं कि कोई हरिजन गलती नहीं कर सकता, सवर्ण नहीं कर सकता। क्या हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया है जिसने कुछ किया है। यह क्या बात हुई। आर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाना वाला पत्र।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का बत्तीसवां प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा कि यह पी एस सी के 1981-82 के प्रतिवेदन को आप रख रहे हैं। 1982-83 और 1983-84 के प्रतिवेदन की क्या स्थिति है? जो आपने संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया, उसमें एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं और एन्युअल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये थी तो बाकी दो रिपोर्टों की क्या स्थिति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही तैयार हो जायेगी, सदन के समक्ष पेश कर दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार को मिल गई या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को मिलने के उपरान्त भी कुछ क्वेरीज की जाती हैं, उनका जवाब देना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें अवधि दी हुई है, क्या इस अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एन्युअल रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन किस अवधि में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवधि, साल खत्म हो उसी वर्ष के अन्दर वह सरकार को दी जाती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is not a mandatory provision–Sir. I am certain the same question was raised last year. उसका मैंने अध्ययन किया था, मेंडेटरी प्रोविजन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेंडेटरी प्रोविजन नहीं है. ऐसी बात नहीं है । मेंडेटरी प्रोविजन है । आप पढ़ लें इसको । यह तो रखनी पड़ती है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं दिखवा लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको रखनी पड़ेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रखते तो हैं ही । रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : उसमें क्या स्थिति है आप जानकारी कर लें उसके पश्चात् यदि संभव हो तो आप रख दें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसकी जानकारी करके आपको निवेदन कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय ।

शासकीय वक्तव्य

अलवर के पुलिस थाने में चोरी के आरोप में श्री मोहरपाल को यातना

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य । मुख्य मन्त्री अलवर के पुलिस थाने में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति श्री मोहरपाल को पुलिस द्वारा यातनायें पहुंचाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, निवेदन है कि दिनांक 27-2-84 को मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दो फैक्ट्रियों में कुछ मशीनों एवं उपकरणों आदि की चोरी हो जाने पर थाना उद्योग नगर अलवर में अभियोग संख्या 22184 धारा 380 ता. हि. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया ।

अनुसंधान के दौरान गांव गूंदपुर के निवासीयान रामनिवास, मानसिंह, बाबूलाल एवं मोहरपाल पर संदेह होने पर उन्हें पूछताछ हेतु दिनांक 28-2-84 को थाने पर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई । बाबूलाल को पूछताछ के पश्चात् जाने की इजाजत दे दी गई ।

अगले रोज दिनांक 29-2-84 को गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा श्री रामनिवास एवं मानसिंह का चरित्र सत्यापित कर देने पर उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई और मोहरपाल से पूछताछ की जाती रही ।

उसी रोज दिन में करीब ढाई तीन बजे के बीच मोहरपाल मौका पाकर थाने से बाहर निकल गया । दिन के करीब तीन सवा तीन बजे श्री श्यामसिंह एवं श्री बनवारी लाल नामक व्यक्तियों ने थाने पर जाकर सूचना दी कि पदमा पेपर मिल्स की सीमा के बाहर नाले के पास ट्रांसफार्मर के नीचे एक व्यक्ति बिजली का करंट लग जाने से पड़ा हुआ चिल्ला रहा है । सूचना मिलते ही थानाधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मोहरपाल को पड़े हुए पाया, जिसे तत्काल थाने पर लाया गया । उसी समय थाने पर उसके पिता श्री टुण्डल भी आ गये । मोहरपाल को उसके पिता के साथ पुलिस ने तत्काल कार द्वारा अलवर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अस्पताल इलाज हेतु भिजवाया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया । डाक्टरी जांच से मोहरपाल के बदन पर बिजली का करंट लगने से बायें हाथ की उंगलियों एवं हथेली और दोनों पैरों के तलुवों पर कुल 6 घाव आने पाये गये । इसके अतिरिक्त तीन अन्य साधारण चोटें भी पाई गई ।

डाक्टरी उपचार के बावजूद भी मोहरपाल के बायें हाथ में गेंग्रीन हो जाने के कारण दिनांक 8-3-84 को हाथ का कुछ भाग काट देना पड़ा । वह अभी भी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा है ।

दिनांक 1 मार्च, 84 को श्री मोहरपाल के पिता श्री टुण्डल, कुछ श्रमिक संघों के नेताओं एवं अन्य व्यक्तियों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक, अलवर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । इस ज्ञापन में उन दोनों थानाधिकारी उद्योग नगर पर मोहरपाल का करंट लगाकर यातनायें देने का आरोप लगाया । इस पर पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी नेतरामसिंह को लाइन हाजिर कर दिया और प्रकरण की जांच क्राइम असिस्टेंट से करवाई ।

जांच अधिकारी ने थानाधिकारी द्वारा श्री मोहरपाल को अवैध रूप से थाने में रोके रखना एवं उसके साथ दुर्व्यहार करना प्रमाणित पाया है ।

राज्य सरकार द्वारा इस घटना को गम्भीर मानते हुए थानाधिकारी श्री नेतराम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध करने तथा नियम 16 सी सी ए. रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस का बयान दिया है पुलिस राज्य मन्त्री ने । सरे आम उसको थाने ले गए, उसको बिजली के तख्ते पर लटकाया गया, बिजली के तख्ते पर, उसको सुला कर और उन पर बिजली का करेन्ट लगा दिया गया लोहे के तख्ते पर, जिससे उसका तमाम शरीर बेकार हो गया । हाथ कट गया, अंगुलियां कट गई । उसके बावजूद यह पुलिस मन्त्री xxx यह बयान देता है कि वह खम्भे से टकरा गया बिजली के खम्भे से घायल हो गया । इससे ज्यादा xxx की बात कोई नहीं हो सकती । यह उम्मीद भी क्या करें इस मन्त्री से । यह इनका धन्धा है हर मामले में । जहां कोटपूतली में पुलिस ने गोली चलाई, वहां पर बलात्कार किया, लोगों की हत्यायें की । काजीपुरा में जहां बेरहमी का काण्ड हुआ है और यह पुलिस कहती है, पुलिस राज्य मन्त्री कहते हैं कि वहां पुलिस ने कुछ नहीं किया । वह अपने आप मर गया, अपने आप बलात्कार हो गया और अपने आप ही मोहरपाल जाकर बिजली के खम्भे से टक्कर मार कर घायल हो गया । कोई बयान भी हो जिसका हद है xxx । आधार तो हो । इस बयान का कोई आधार नहीं असत्य बयान है । यह पुलिस राज्य मन्त्री पुलिस के इन तमाम हत्यारों से मिला हुआ है । हर हत्या में इस पुलिस मन्त्री का

× × × शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री त्रिलोक सिंह)

साझा है । मैं मांग करता हूं कि सदन को फौरन इससे इस्तीफा मांगना चाहिये और इस तरह का अत्याचारी, जुल्म ढाने वाले मन्त्री को फौरन बर्खास्त किया जावे । यह किसानों का, मजदूरों का दुश्मन है । गांव का एक बेटा मोहरपाल सिंह, इज्जतदार किसान का बेटा, जिसका चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, जबरदस्ती लाकर मारा गया लोहे के तख्ते पर लटका कर बिजली का करंट लगा दिया गया । खुद कबूल करते है कि जान से मारा गया । जांच से पाया गया कि नेतराम थानेदार की ज्यादतियां और जुल्म था, उसके बावजूद भी आज उसको बचाने की कोशिश की जा रही है । फिर लोगों का क्या होगा? राजस्थान की चार करोड़ जनता का क्या होगा ? अगर यही मंत्री रहे पुलिस के राज्य मन्त्री रहे तो लोगों की खैरियत नहीं है । लोग कैसे जिन्दा रहेंगे । एक किसान के बेटे को लाकर उसके हाथ पैर काट दिये जाते हैं और फिर यहां बयान ऊपर से यह दिया जाता है । मैं मांग करूंगा कि जनता का ऐसा कोई एक आयोग बैठाया जावे जो इसकी जांच करे और इस सरकार के खिलाफ पूरी जांच करे, यह मांग सदन में की जाय ।मैं अध्यक्ष महोदय से भी मांग करूंगा कि यह जनता की मांग कोई मामूली मांग नहीं है। यह तो बहुत जबरदस्त मांग है । जब बाड़ खेत को खाय, जब रक्षक भक्षक बन जाय तो जनता का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन

(अनुपस्थित)

श्री यदुनार्थसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़ ।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मोहरपाल को जो निर्मम यातनायें पुलिस द्वारा थाने में दी गई उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय का जो वक्तव्य आया वह सरासर मिथ्या और सत्य से परे है । आपका कहना है कि मोहरपाल थाने में से आँख बचा कर चला गया, बिजली के लट्ठे पर लटक गया और उसके कारण गिर गया और उसका हाथ जल गया । मैं एक बात आपके माध्यम से राज्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि बिजली के खम्भे पर चढ़ जाएगा तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी ऐसा दुष्कृत्य करने के लिए ऊपर चढ़ेगा ? लेकिन फिर भी आपके अनुसार चढ़ गया और गिर गया । यह पुलिस की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, इसमें पूरे 9 जगहों पर करंट लगने की रिपोर्ट है । 9 स्थानों पर पुलिस के द्वारा करंट लगाया गया । भागलपुर काण्ड के बाद इस प्रकार का आसपुरा काण्ड हुआ

(श्री जीतमल जैन)

और उसके बाद शायद राजस्थान की पुलिस ने वहां से प्रेरणा लेकर...

श्री अध्यक्ष : आपने मालूम किया कि यह करंट किस तरह से लगाये हैं?

श्री जीतमल जैन : मैंने मालूम किया है। मैं उस व्यक्ति से मिला हूं। उसने कहा कि मुझे एक कमरे में ले जाया गया और नंगे हाथ उसके तार के अन्दर रखे गए और इस प्रकार करंट छोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : करंट बिजली का साधारण था या कोई यंत्र होता है उससे था।

श्री जीतमल जैन : बिजली का साधारण नहीं है। उसके हाथ में बिजली के नंगे तार दे दिये गये, फिर करंट कहीं बाहर से छोड़ा गया उसके पांव के अन्दर और हाथों के अन्दर। सारे बिल्कुल जकड़ पड़ गए। उसकी मेरे पास फोटो हैं, अगर आप देखें, इस प्रकार के दो दो इंच के घावों पांव के अन्दर और हाथों के अन्दर पड़ गए हैं। और स्थिति यह बनी कि आखिर उसका पांव काटना पड़ा। यह व्यक्ति 25 साल का जवान व्यक्ति है, एक वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई है और केवल हायर सैकण्डरी पास व्यक्ति है जो रोजगार नहीं मिलने के कारण चुनाई का काम एक फैक्ट्री के अन्दर करता है। उसके साथ अमानुषिक और अमानवीय कृत्य किया गया। इसके बाद में सारा गांव अभी तक इतना आतंकित है कि कोई भी व्यक्ति ठीक बात नहीं कह सकता। मैं स्वयं इस स्थान पर गया, जिस स्थान के लिए वे कहते हैं कि बिजली के खम्भे पर लटका, मैंने आसपास वालों से जानकारी की, जो आसपास के दुकानदार हैं स्टाल वाले हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : ट्रांसफार्मर के हाथ लग गया, इस कारण से...,

श्री अनंग कुमार जैन : यह बिल्कुल असत्य है।

श्री जीतमल जैन : ट्रांसफार्मर के हाथ लग जाने से जिन्दा ही नहीं रह सकता...

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : मन्त्री महोदय ट्रांसफार्मर के हाथ लगा कर बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे सही जानकारी नहीं है कि क्या होता है। आप हाथ लगाकर बता दें मुझे।

श्री जीतमल जैन : आप इस बात को और स्वीकार करेंगे, वहां की पुलिस ने बयान जारी किया कि मोहरपाल स्वयं जहां मन्दिर बन रहा था वहां काम करने गया था। वहां मन्दिर बन रहा है वड़ा उसको लेकर कितनी XXX बातें कही जा रही है।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपको निवेदन करना चाहूंगा, यह व्यक्ति जिसके तीन बहनें हैं और पांच भाई हैं, सबसे बड़ा परिवार का पालन पोषण करने वाला यह है। अगर इस व्यक्ति की जिन्दगी बेकार हो गई है, सरकार को चाहिये कि उसको सजा मिले या नहीं मिले लेकिन कम से कम राज्य सरकार व्यवस्था करके उसको नौकरी दिलवाने की व्यवस्था करे ?

श्री अध्यक्ष : इसमें बात एक है कि जो यातना देने के यंत्र होते हैं वह बहुत कम वोल्टेज के होते हैं और इसके हाथ पैरों से ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई वोल्टेज से शाक लगा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही है कि मोहरपाल के अतिरिक्त जो दो आदमी और बुलाये गये उनको थाने से जाने की इजाजत दे दी गई। क्या आप बतायेंगे कि इजाजत का सवाल कहां से पैदा हुआ ? क्या उनको आपने गिरफ्तार किया था तो यह सवाल ? एक। दूसरा आपने बताया कि पुलिस का यह कहना था कि बिजली के खंभे से चिपक गया और तार पकड़ लिये इसके कारण करंट लगा। लेकिन आपने जांच की है, क्या जांच से यह तथ्य गलत साबित हुआ है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am sorry.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं पूछ रहा हूं, आरंभ में पुलिस वालों का बयान था कि शिवजी के मन्दिर की ओर भागा और जाकर खंभे के तार पकड़ लिये और उसके कारण से उसको करंट लगा। आपने बताया कि हमने जांच करवाई है तो क्या जांच से यह तथ्य सही साबित हुये ?

दूसरा, आपने मुकदमा बनाने की बात कही इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं कि आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत चुनकर शब्द लिखे हैं कि जांच से यह पाया गया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो क्या जांच से यह नहीं पाया गया कि उसके बिजली का करंट लगाया गया और क्या यह दुर्व्यवहार की सीमा में बिजली का करंट लगाने की बात आती है ? चौथा मेरा सवाल होगा कि आपने किस धारा के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर करने के आदेश दिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह स्थगन प्रस्ताव का उत्तर तैयार हो रहा था उस समय रिकार्ड देखने का,

श्री प्रद्युम्न सिंह)

पुलिस का वर्शन देखने का अवसर मुझे मिलता है। इस मामले के अन्दर जो तथ्य सामने आये, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा कि इस आदमी के साथ ज्यादती की गई है एस. एच. ओ के द्वारा। तो मैंने उसी समय पत्रावली के ऊपर निलंबन के आदेश दिये और केस रजिस्ट्रेशन के आदेश दिये तथा साथ-साथ मैंने यही प्रकाशन बरता इस मामले के अन्दर कि साइमलटेनियसली रूल 17 में इन्क्वायरी सजेस्ट की थी, मैंने 16 सी सी ए रूल्स, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी भी है, के तहत इन्क्वायरी के आदेश दिये। प्रारंभिक रूप में जब मैंने डाकूमेंट को देखा तो तो मुझे ऐसा लगा इस मामले में। मैंने आपके समक्ष, अध्यक्ष महोदय, वे तथ्य रखे हैं। पुलिस का जो वर्शन था वह तो निश्चित रूप से था ही वरना मैं क्या स्टेटमेंट दता। क्या किस्सा हुआ, क्या शिकायत हुई यह मैंने जो फैक्चुअल पोजीशन थी किस्से की, शिकायत की वह मैंने आपके समक्ष रख दी। उसके बाद जब एस. पी. के समक्ष, अध्यक्ष महोदय, शिकायत की गई तो एस. पी. अलवर ने इसकी जांच अपने क्राइम असिस्टेण्ट से करवाई। तो उसने भी अवैध रूप से रोके रखना पाया और दुर्व्यवहार पाया। अब, अध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष के नेता का कहना भी बिलकुल सही है है कि आखिर दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है? तो चूंकि इसमें केस रजिस्टर हुआ है, उस समय केस रजिस्टर नहीं हुआ था, अब इस मामले में नये सिरे से इन्वेस्टीगेशन होगा, अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब तक हुआ वह तो बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर जाने में कोई लाभ नहीं है। इसके मैं कारण बताऊं, अध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष के नेता, कि उस इन्वेस्टीगेशन में जाने से इसलिए लाभ नहीं है कि जब केस रजिस्टर हो जायेगा तो केस रजिस्टर होने के बाद नये सिरे से इन्वेस्टीगेशन होगा, नम्बर एक। नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक इस्तगासा भी प्राइवेट कम्पलेनेंट के द्वारा अदालत में पेश किया जा चुका है जिसमें दफा 307 लगाई गई है, अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस मामले में नये सिरे से इन्वेस्टीगेशन होगा। He has been placed under Suspension और 16— सी सी ए के तहत इन्क्वायरी दे दी गई है। पहले एस. पी. ने रूल 17 में इन्क्वायरी सजेस्ट की थी। मैंने 16 में दी है कि अगर इस प्रकार के तथ्य पाये गये तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और कोई कदम सरकार उठा नहीं सकती थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मैं पुलिस के एक्शन को तो डिफेण्ड कर नहीं रहा हूं। मैं डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं तो फिर उत्तर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देने की आवश्यकता ही नहीं है। I am not defending that। अगर मैं डिफेण्ड करूं उनके एक्शन को, उनकी जांच को डिफेण्ड करूं तब तो मैं जवाब दूं इस बात का। मैं डिफेण्ड तो कर नहीं रहा हूं उनको। मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं उस इन्क्वायरी से, तभी तो मैंने आर्डर किये हैं। अगर संतुष्ट होता तो आर्डर किस लिये करता मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक साधारण सा प्रश्न है। आपने इस बात को तो स्वीकार किया कि जिस अधिकारी ने जाँच की उसने इस बात को माना कि उसको अवैध रूप से थाने में रखा गया और दूसरा आपने यह बात भी स्वीकार की है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि उस दुर्व्यवहार में क्या उस जांच अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके बिजली के करंट लगाये गये और जो पुलिस ने यह थ्यौरी घढ़ी कि उसने बाहर जाकर खंभे के तार पकड़ लिये उसके कारण से एक्सीडेण्ट हुआ वह सही नहीं है। यह तो सीधा सा प्रश्न है। यह तो केवल जांच के आधार पर, आपकी जानकारी के आधार पर नहीं, जो जांच जिस अधिकारी ने की है उस अधिकारी की सूचना के आधार पर आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका क्या पर्पज हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाये हैं, कृपया वे यह बताने का कष्ट करें कि उसको बिजली से किस तरह की यातना पहुंचाई गई। आखिर हुआ क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि उस आदमी को थाने में लाया गया। वहां पर एक लोहे की चद्दर बिछाई गई उस चद्दर के ऊपर उसको खड़ा कर दिया। उस चद्दर को कई जगह से बिजली से कनेक्ट कर दिया और दूसरी जगह से नंगा तार उसके हाथ में पकड़ा दिया। नंगा तार हाथ ले लगा एक बार नहीं, छः बार उसके झटके दिये और 6 बार झटके देने से जिस हाथ में नंगा तार पकड़ाया गया उसमें गेंगरीन होने के कारण उसका हाथ काट दिया गया।

श्री अध्यक्ष : हाथ में इतना शाक लगने के बाद कोई हाथ से पकड़ें रख सकता है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शाक लगने के बाद, मैं बताऊं आपको, पहले शाक लगाया जाता है वह उसको धीरे-धीरे लगाते हैं और जिस प्लेट के ऊपर उसको खड़ा किया गया वहां पर धीरे-धीरे शाक दिये गये तो उसके पैरों के तलवे साफ हो गये और हड्डियां निकल गई और ये झटके लगते रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि वह जो जला हुआ है, वह तो बहुत हाई वोल्टेज से जला हुआ है। मनुष्यों के जो झटके लगाये जाते हैं वह कम वोल्टेज के होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहना बहुत मुश्किल है। यह तो मुलजिम को ही पता होगा। न आपको पता हो सकता है, न मेरे को।

श्री अध्यक्ष : बात तो की होगी ना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस आदमी को यह पता नहीं हो सकता कि हाई वोल्टेज था या लो वोल्टेज था। उसने जो घटना बताई वह यह है कि लोहे की चद्दर पर मुझे खड़ा कर दिया। उस प्लेट को कनेक्शन दे दिया और उस प्लेट के कारण उस के पैर जल गये और दूसरे हाथ में उसको नंगा तार पकड़ा दिया उसके कारण उसका हाथ जल गया और गेंगरीन निकल गई। यह तो उसका वक्तव्य है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं विपक्ष के नेता को को करेक्ट कर दूं। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह इन्वेस्टीगेशन का मामला है। अगर बयान पढ़ कर सुनाऊं तो विपक्ष के नेता यहां जो कह रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई फर्क नहीं है। हमारे पास भी बयान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पढ़ दो। मैं पढ़ देता हूं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : बिजली के कनेक्शन से जला है इसमें कोई शक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, माजरा क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या जवाब चाहते हैं मुझसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर माननीय मन्त्री महोदय बयान नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस्तगासा पढ़ दीजिये। जो प्राइवेट इस्तगासा पेश किया है उसमें उसने क्या चार्जेज लगाये, वह पढ़ दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताऊं आपको, न्यायालय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट.... यह तीन पेज का है पढ़ कर सुनाऊं; अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

(1.00 म. प.)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में गलतबयानी मैंने आज दिन तक नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सबसे बड़ी गलतबयानी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : न्यायालय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्तगासा सन् 1984

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्री टुण्डल पुत्र लालाराम जाति जाट उम्र 55 साल साकिन ग्राम गुंदरपुर तहसील अलवर बनाम श्री नेतरामसिंह पुत्र नामालूम जाति जाट साकिन एस. एच. ओ. थाना उद्योग नगर, स्थान अलवर पुलिस लाइन अलवर, राजस्थान। इस्तगासा जेर दफा 307, 326, 331, 109 ताजीरात हिन्द वकुआ दिनांक 28.2.84 समय करीब 4-5 बजे, 4-5 बजे, यह था लिखा या क्या लिखा है, टाइपिंग में करेक्ट नहीं आया है। श्रीमान्, बयान इस्तगासा निम्न-प्रकार प्रस्तुत है। यह है कि मुस्तगीस ग्राम गुंदरपुर का, तहसील अलवर जो थाना मतस्य उद्योग-नगर, अलवर में आता है, निवासी है और श्री मोहरपाल मुस्तगीस पुत्र है। श्री मोहरपाल चिनाई वगैरह का काम करता है और मिस्त्री है। मिस्त्री है, अति-खेद है, अध्यक्ष महोदय, टाइपिंग बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : आप उस पैराग्राफ में आ जाइये, जहां उन्होंने यह कहा कि इस तरह से यातना पहुंचायी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छी बात है। यह पैरा नम्बर--4 पर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह है कि दिनांक 28.2.84 को शाम के करीब 4-5 बजे थानेदार विक्रमसिंह व उनके साथ दो पुलिस कर्मचारी जिनको शख्सी पहिचानता है, यह भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह है कि दिनांक, यह भी नहीं है। यह कि दिनांक 29.2 84 को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उनसे निशान लगा लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं मैं जो रेलेवेंट पैराग्राफ है, अध्यक्ष महोदय ने कहा था इसलिए मुझे थोड़ा अन्दाज है। यह है कि...

एक माननीय सदस्य : टाईपिंग में है, आप इसको पढ़ लेते हर चीज में, आप इसको सीरियसली लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह है कि दिनांक 29.2.84 को उक्त मुस्तगीस व कजोड़ीमल, रसतनिया, राधेश्याम, दौलतराम वगैरह थाने में गये तो कुछ देर तक मोहरपाल की आवाज आती रही, 'करंट मत लगावो', 'मर जाऊंगा'। बाद में जब इन मुस्तगीस व कजोड़ीमल दौलतराम वगैरह अन्दर गये तो नेतरामसिंह ने मोहरपाल को बिजली का करेंट हमारे सामने लगाया जिससे मोहरपाल बेहोश हो गया। हमारे मना करने के बावजूद नेतराम ने भारी जुल्म ढाया है। थोड़ी देर में एक बार फैक्ट्री मालिक की कार आयी जिसमें नेतराम एक सिपाही तथा मुल्जिम मोहरपाल बेहोश को गांव वालों की वजह से अस्पताल में ले गया। मालिक का यह डर हुआ कि यह मेरा लड़का मोहरपाल अस्पताल में भर्ती कर लिया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पढ़िये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन है इसका जवाब देंगे कि नहीं। क्वेश्चन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इसमें जो वोल्टेज लगाया गया वह तो मेडिकल वाले कह सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, वोल्टेज का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इतना वोल्टेज का शॉक देना...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का नहीं है। मेरा प्रश्न तो बिल्कुल सीधा है। जिस अधिकारी से आपने जांच करायी, उस अधिकारी ने क्या इस बात को माना है कि इसको थाने में बिजली का करेंट लगाया गया है? यह सीधा सवाल।

श्री अध्यक्ष : विजली के लिये तो इनका वर्णन यह है कि बाहर जाकर ट्रान्सफार्मर के हाथ लगाया। दुर्व्यवहार हुआ है, उसका गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रोक रखा है, यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि इन्होंने जांच अधिकारी से जांच करायी उस बारे में पूछना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन जांच की रेलेवेन्सी क्या रह गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेलीवेन्सी आप बता दीजिये। आपको बताने में क्या संकोच है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कहता हूं कि उसने इस बात को नहीं माना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात को?

श्री प्रद्युम्न सिंह : करेंट लगाया है उस पर पुलिस वालों ने। और बोलिये।

श्री भैरों सिंह शेखावत : वह खम्भे की बात बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां मैं कहता हूं कि उसने यह बात नहीं मानी कि पुलिस ने करेंट लगाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मानी है कि खम्भे के हाथ लगाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात उसने नहीं मानी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर क्या मानी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसने दुर्व्यवहार करने की बात कही है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : दुर्व्यवहार क्या है? मैं यही पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि दुर्व्यवहार क्या है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिए तो उसको वहां रखा, मार-पीट की और उससे मंदिर घिसवाया यह बात है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब करेंट लगने की बात स्वीकार नहीं की ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, नहीं की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जांच करने में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और उसने पुलिस का वर्शन स्वीकार किया है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्वीकार, अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय That is irrelavent.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इर्रेलेवेन्ट इसलिए, अध्यक्ष महोदय, नहीं है....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बोलिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जांच करायी अधिकारी से और उस जांच रिपोर्ट पर आप केस रजिस्टर कर रहे हैं । केस रजिस्टर कर रहे हैं तो कम से कम यह तो गवर्नमेन्ट को जानकारी होनी चाहिए कि करंट लगाने की घटना कहां तक सही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य क्या मेडिकल जूरिस्ट हैं या आपकी इस बारे में कोई एक्सपर्ट नॉलेज है । हमेशा बोल कर मिस्लीड करते हैं किसी न किसी मामले में ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : एक किसान के बेटे को बिजली का करेंट लगाकर मार दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री त्रिलोक सिंह : उसका हाथ काट दिया गया, यह काहे का किसान का बेटा, यह ××× है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह : हम मांग करते हैं इस सरकार से कि वे न्यायिक जांच कराये इसकी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : अगर पुलिस मंत्री में दम है, सच्चाई है तो इस बात को कबूल करो ।

श्री अध्यक्ष : विशेषज्ञ हैं, माननीय सदस्य ।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(89)

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, जो यह फोटोग्राफ है, पहले तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि मैं मेडिकल जूरिस्ट रहा हूं, मेडिकल जूरिस्ट की नालेज, merdy expert, is much less.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। उनको अ नी बात कहने दीजिये। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री हरिसिंह : जो फोटोग्राफ्स हैं उससे साफ तौर से दिख रहा है, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक करेन्ट उसको लगा है। दूसरी बात जाहिर होती है कि जो बर्न्स इससे हुए हैं एक दफा ही लगा है, मल्टीपल टाइम स्ट्रांग करेन्ट नहीं लगता है, एक-एक दफा के अन्दर होता है। हाथ की इन्जरी और पैर की इन्जरी—there is a sign of existence of injury. The current has entered in one place in body through the hands or tnrough the lcgs and then exits either way. यह हाथ का जलना, किसी भी इलेक्ट्रिक करेन्ट से जलने पर क्लोट हो जाते हैं और बाद में गैंगरीन हो जाती है। तो यह एक दफा करेन्ट लगा है और बहुत स्ट्रांग करेन्ट लगा है, यह एक बात है। मल्टीपल करेन्ट इसमें नहीं लगा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब एक और बता दीजिये। इसके पैरों की चमड़ी उतर गयी, फोटो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पैरों की जो दोनों पगतलियों की चमड़ी उतर गयी यह किस कारण से उतरी है ?

श्री हरिसिंह : These are electric burns. बिजली से जला है। चमड़ी पील होकर नहीं उतरी है। इलेक्ट्रिक बर्न में एक तरफ एन्टरी दूसरी तरफ एग्जिट (Exit) दो कांटेक्ट पाइन्ट होने चाहिए। अगर एन्टरी है, और एग्जिट पाइन्ट पर खड़े हो तो झटका आयेगा, बर्न नहीं होगा। Resistance produced is highly tecnical. तो यह एन्टरी और एग्जिट के बर्न के निशान हैं, जला है। बिजली से जल जाता है। बिजली का करेन्ट आने से इतना सा लगता है कि 10 दिन के बाद ठीक हो जाता है। दूसरा बर्न है, जो सुपरफिशयल लगता है हाथ लगने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपने तो खुद Medical Jurisprudence का अध्ययन किया है। इससे एक बात साफ है कि एक दफा ही करेन्ट लगा है, मल्टीपल टाइम करेन्ट नहीं लगा है और स्ट्रांग वोल्टेज से करेन्ट लगा है। टेक्निक यह इसमें है। अब इसका इन्टरप्रिटेशन क्या है, अध्यक्ष महोदय, आप सोच लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। समाप्त कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट का माननीय मंत्री महोदय ने रेफरेन्स दिया है उस रिपोर्ट को सदन से छिपाया क्यों जाता है ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दिया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी नीयत, सरकार की नीयत छिपाने की होती तो मैं इसका रेफरेंस क्यों देता। आप कहें तो पूरा पढ़ देता हूं । सरकार की नीयत कहीं प्रोटेक्ट करने की होती तो केस रजिस्टर का हुक्म क्यों देता, सस्पेण्ड क्यों करता एण्ड साइमलटेनियसली 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही क्यों करवाता । अध्यक्ष महोदय, तीनों साइमलटेनियसली की है इस मामले में उस थानेदार के विरुद्ध, नम्बर एक । अध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस रिपोर्ट को आधार ही नहीं माना, मैंने इस रिपोर्ट को देखने के बाद लगा कि इस मामले में गड़बड़ हुई है, अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस रिपोर्ट को पढ़ूं तो यह शायद 341 का केस बनेगा । मैंने कहा शुरू में कि इस रिपोर्ट को आधार ही नहीं मान रहा हूं । इसकी नये सिरे से तफतीश होगी । अगर इस रिपोर्ट को 341 में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका सारा वक्तव्य इस रिपोर्ट पर आधारित है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं....

(व्यवधान)

मैं इसकी फ्रेस इन्वेस्टीगेशन कराऊंगा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : केस रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तीन चार दिन पहले ही केस रजिस्टर का हुक्म दिया है, अध्यक्ष महोदय, मैंने । आपको तो प्रक्रिया मालूम है गृह सैक्रेटरी के यहां से जायेगा डी.जी. के यहां । डी. जी. से जायेगा एस. पी. के यहां पर....

श्री भैरोंसिह शेखावत : 15 दिन लगेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : No. It must have been done today. आज निश्चित रूप से हो गया होगा ।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं एक ही सवाल, क्या आप न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं ।

श्री जीतमल जैन : जैसा मैंने निवेदन किया कि वह व्यक्ति परिवार में सबसे बड़ा है उसका हाथ कटने से उसकी रोजी-रोटी चली गई, क्या सरकार उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी ? सबसे पहले इसका जवाब दें ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जहां इस प्रकार की ज्यादती हुई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि पुलिस की इस प्रकार की ज्यादती से किसी की जान चली जाय या अपंग हो जाते हैं तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है कि उसको किसी प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष : करंट उन्होंने लगाया या नहीं लगाया, यह उन्होंने नहीं माना है । यह माना है कि उसको यातना पहुंचाई, गैर कानूनी तरीके से रोके रखा है इसका मुकदमा रजिस्टर हुआ है । अब आगे अनुसंधान के पश्चात् इस बात का पता लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार को राहत देनी चाहिए । उन्होंने तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी, यह तो स्थगन प्रस्ताव आया उसके बाद ही कार्यवाही हुई है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय, जांच का जो भी परिणाम आये अगर यह आये कि पुलिस के करंट से वह नहीं, मरा तो क्या इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि वह स्वयं मरने के लिये गया ? सरकार की उसके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है ? उसको रोजगार देने की बात कहे सरकार । वह लड़का आखिर हायर सैकण्डरी पास है, 25 वर्ष का युवक है उसके चार बच्चे और तीन बहिनें हैं वह परिवार आखिर जायेगा कहां ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट आ जायेगी तब गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर आगरा–बीकानेर सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि का किसानों को मुआवजा

श्री चेतराम मीणा, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर आगरा बीकानेर सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को न दिये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री त्रिलोक सिंह एवं नागौर से आने वाले माननीय सदस्य श्री महाराम चौधरी ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 (आगरा से बीकानेर) पर अवाप्त की गई भूमि के बारे में किसानों को मुआवजा नहीं देने बावत माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है । माननीय सदस्यों ने किसी स्थान विशेष अथवा किसी विशेष खातेदार का नाम नहीं लेकर के एक आम मुद्दा उठाया है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा से बीकानेर की सड़क भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 4 मई, 1960

(श्री चेतराम मीणा)

को राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 घोषित किया। इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग का "0" कि.मी. आगरा पर स्थित है एवं उसकी कुल लम्बाई 563 कि. मी. है। इस मार्ग की 42.5 कि.मी. लम्बाई (0.0 से 42.5) उत्तरप्रदेश राज्य में पड़ती है तथा शेष 520.5 कि.मी. डामर की सड़क राजस्थान में आती है।

(1.15 म.प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पीठासीन)

राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित होने से पूर्व आगरा से जयपुर (राजस्थान सीमा में) एवं जयपुर से सीकर तक एक पक्की सड़क बनी हुई थी तथा शेष लम्बाई में कुछ दूरी में कच्ची सड़क बनी हुई थी। पक्की बनी हुई सड़क में लगभग 25-30 मीटर चौड़ाई में भूमि उपलब्ध थी तथा यह भूमि रियासतों के भूमि अवाप्ति के नियमों के अनुसार ही सड़क बनाने की लिये ली गई थी। इसलिये ऐसी भूमि के मुआवजे देने की कोई कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जानी है।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित होने के पश्चात् इस सड़क पर कुछ हिस्से में नई सड़क बनाने, एलाइनमेन्ट के सुधार करने तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नार्म्स के अनुसार सड़क की भूमि सीमा की चौड़ाई लगभग 45 मीटर (30 मीटर से 60 मीटर) करने के कार्य हाथ में लिये गये। इनके अतिरिक्त बने पुलों के निर्माण के लिये उनकी अप्रोच सड़क बनाने हेतु भूमि अवाप्त की गई। इस मार्ग पर सुधार कार्य रखरखाव एवं भूमि अवाप्ति पर व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं उनकी स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से होता है।

राजस्थान राज्य में पड़ने वाली 520.5 कि.मी. लम्बाई में जो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अब तक की गई है वह निम्न प्रकार है :—

(1) कि.मी. 0.0 से 42.5 उत्तरप्रदेश का हिस्सा है।

(2) कि.मी. 42.5 से 53.870—इस हिस्से में मुआवजे का पूरा भुगतान किया जा चुका है।

(3) कि.मी. 53.870 से 58.392—इस हिस्से में 11 खातेदारों को 2,81,667) रुपये मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है तथा 57 खातेदारों की भूमि का अवार्ड घोषित किया जाना है जिसकी कार्यवाही चल रही है। यह हिस्सा भरतपुर शहर में होने से और कोर्ट के स्टे आदि होने से अवार्ड घोषित करने में कुछ कठिनाई हो रही है।

(4) कि.मी. 58.392 से 60.360—इस हिस्से में भूमि अवाप्त की कार्यवाही की जा रही है। यहां भी शहर का हिस्सा

(श्री चेतराम मीणा)

(नगर पालिका सीमा) होने से अवाप्ति में कठिनाई आ रही है ।

(5) कि. मी. 60.360 से 111.0—इस हिस्से में 530 खातेदारों को 2,62,276) रुपये का भुगतान किया जा चुका है एवं 320 खातेदारों को 1,23,983) रुपये का भुगतान करना शेष है ।

(6) कि.मी. 111.0 से 164.0—इस हिस्से में 663 खातेदारों को 48,640) रुपये के भुगतान हेतु अवार्ड जारी कर दिये गये हैं परन्तु परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्वीकृति उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । स्वीकृति आने पर मुआवजे का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा ।

(7) कि.मी. 164.0 से 180.0—सभी 96 खातेदारों को 25,665) रुपये का भुगतान कर दिया गया है ।

(8) कि.मी. 180.0 से 190.0—इस हिस्से 3709) रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 35 खातेदारों को 3171) रुपये का भुगतान करना शेष है । खातेदारों के भुगतान के समय मौके पर उपस्थित ना होने के कारण यह नहीं हो सका ।

(9) कि.मी. 190.0 से 200.0—84 खातेदारों को 10,951) रुपये का भुगतान किया जा चुका है बाकी 6 खातेदारों को 496) रुपये का भुगतान शेष है ।

(10) कि.मी. 200.00 से 203.00—इन तीन कि.मी. में भूमि अवाप्त कर पूर्ण भुगतान 5892) रुपये का किया जा चुका है ।

(11) कि.मी. 203.0 से 218.0—इन 15 कि.मी. में भूमि अवाप्त की कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि जो भूमि 80 फीट से 100 फीट तक उपलब्ध है, वह अभी पर्याप्त है ।

(12) कि.मी. 218.00 से 219.1—इस हिस्से में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्णकर 2410) रुपये का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

(13) कि.मी. 219.1 से 227.3—जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र होने के कारण भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(14) कि.मी. 227.3 से 241.2—जयपुर शहर की घनी आबादी वाला नगरपालिका क्षेत्र होने से अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(15) कि. मी. 241.2 से 246.0—भूमि अवाप्त कर 6 खातेदारों को 7894/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है । 5 खातेदारों को 5306/- रुपये का भुगतान काफी कोशिशों के बावजूद नहीं किया जा सका, क्योंकि खातेदारों को स्वामित्व के उत्तराधिकार पत्र, खाते के सभी हिस्सेदारों की भुगतान के समय उपस्थिति, जमीनों के मालिकों का रिकार्ड के अनुसार परिवर्तन आदि है ।

(श्री चेतराम मीणा)

(16) कि.मी. 246.0 से 265.0–इस हिस्से में भूमि अवाप्त करे 91 खातेदारों को 65,954) रुपये का भुगतान किया जा चुका है 111 खातेदारों को 52,245/- रुपये का भुगतान करना शेष है।

ज्यादातर भुगतान खातेदारों की मृत्यु के कारण उनके उत्तराधिकारियों के पास उत्तराधिकार पत्र न होना, खातेदारों के हिस्सेदारों का उपस्थित ना होना आदि है। इस हिस्से में कुछ जगहों पर भवन आदि अवाप्त की गई भूमि पर स्थित है। उन्हें अवाप्त करने की कार्यवाही जारी है।

(17) कि.मी. 265.0 से 268.0—यह क्षेत्र चौमू नगर पालिका का आबादी वाला हिस्सा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की है।

(18) कि.मी. 268.0 से 276.0—इस क्षेत्र में सड़क भूमि 84 फीट थी जिसे 150 फीट तक में अवाप्त करली। 92 खातेदारों को 1,15,000) रुपये का भुगतान करना है जो कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र ही किया जावेगा।

(19) कि. मी. 276.0 से 280.0—यह भूमि गोविन्दगढ़ बाईपास बनाने के लिये अवाप्त की गई थी। इस क्षेत्र की भूमि को अवाप्त कर 35 खातेदारों को 1,43,300) रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सिर्फ एक खातेदार को1125) रुपये का भुगतान करना शेष है। जिसका भुगतान शेष है वह राजस्थान में अभी प्रवास नहीं कर रहा है तथा तीन हिस्सेदार हैं।

(20) कि.मी. 280.0 से 281.0—ये भूमि गोविन्दगढ़ पुल की सम्पर्क सड़क बनाने के लिए अवाप्त की गयी थी। इस क्षेत्र में भूमि अवाप्त कर 43,227) रुपये का भुगतान किया जा चुका है परन्तु 2 खातेदारों को 5,665) रुपये का भुगतान अभी करना शेष है।

(21) कि. मी. 281.0 से 285.0—इस क्षेत्र में भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(22) कि.मी. 285.0 से 292.0—इस क्षेत्र में घुमावों को ठीक करने के लिये भूमि अवाप्त कर अवार्ड घोषित किया जा चुका है और 37 खातेदारों को 28,878) रुपये का भुगतान करना शेष है। भारत सरकारके परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

(23) कि. मी. 292.0 से 295.0—इस क्षेत्र में भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(24) कि.मी. 295.0 से 297.0—रींगस कस्बे का आबादी वाला क्षेत्र है। भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(25) कि. मी. 297.0 से 312.0—इस क्षेत्र में भूमि अवाप्त कर 28,281) रुपये का भुगतान किया जा चुका है, 10 खातेदारों को 3,740) रुपये का भुगतान कुछ कठिनाइयों के कारण करना संभव नहीं हो सका।

(26) कि.मी. 312.0 से 323.0—इस क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई के लिये भूमि अवाप्त की जा चुकी है और 65 खातेदारों को 6473) रुपये का भुगतान करना है।

(श्री चेतराम मीणा)

भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(27) कि. मी. 323.0 से 324.0— इस क्षेत्र में भूमि को अवाप्त कर पूर्ण 4804) रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(28) कि. मी. 324.0 से 334.0— भूमि अवाप्त पर 46 खातेदारों को 3148) रुपये का भुगतान कर दिया गया है। 24 खातेदारों को 1654) रुपये का भुगतान करना अभी शेष है।

(29) कि. मी. 334.0 से 345.0— भूमि अवाप्त कर 85 खातेदारों को 35,539) रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 15 खातेदारों को 3690) रुपये का भुगतान शेष है।

(30) कि. मी. 345.0 से 348.0— सीकर शहर का आबादी वाला हिस्सा होने के कारण अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(31) कि. मी. 348.0 से 414.0— भूमि अवाप्ति का मुआवजा घोषित किया जा चुका है। भुगतान भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जायेगा। इस क्षेत्र में 452 खातेदारों का 5,56,600) रुपये का भुगतान शेष है।

(32) कि.मी. 414.0 से 434.0— इस क्षेत्र में 26 खातेदारों को 4840) रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 26 खातेदारों को 4075) रुपये का भुगतान शेष है।

(33) कि. मी. 434.0 से 539.0— इस क्षेत्र में 47 खातेदारों को 9188) रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 254 खातेदारों को 27,170) रुपये का भुगतान शेष है।

(34) कि.मी. 539.0 से 557.0— इस क्षेत्र में 48 खातेदारों की भूमि आती है जिसे अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(35) कि. मी. 557.0 से 563.0— यह बीकानेर शहर का नगरपालिका क्षेत्र है। अभी कोई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संक्षेप में सड़क की कुल 520.5 कि. मी. लम्बाई में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) 58.10 कि. मी. लम्बाई में भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही अभी अपेक्षित नहीं है क्योंकि इस लम्बाई में भूमि 80 से 100 फीट की चौड़ाई में पहले से उपलब्ध है।

(2) सड़क की 163.432 कि. मी. लम्बाई में 1031 खातेदारों को 9,31,848.00 लाख का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

Page No 96

(96)

(श्री चेतराम मीणा)

(3) सड़क की 132 कि.मी. लम्बाई में 793 खातेदारों को 2,28,246) रुपये का भुगतान हेतु अवाप्त घोषित कर दिये गये हैं।

(4) सड़क की 145 कि.मी. लम्बाई में 1309 खातेदारों को 7,55,591) रुपये का मुआवजा देय है जिसे भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

(5) सड़क की 21.968 कि. मी. लम्बाई में अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

अवार्ड घोषित होने के पश्चात् भी भुगतान नहीं होने के प्रमुख कारण हैं :—

खातेदारों के भुगतान के समय उपस्थिति नहीं होने के कारण, कागजों में कुछ कमी होने के कारण, खातेदारों की मृत्यु के बाद उनके सम्बन्धियों के पास उत्तराधिकार पत्र न होने के कारण, एक ही खातेदारी में कई हिस्सेदारों के एक साथ उपस्थित होने के कारण या इनके द्वारा किसी एक को अधिकार पत्र न देने के कारण, मुआवजे की राशि अल्प होने के कारण तथा मुआवजे की राशि से संतुष्ट न होने कारण।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार खातेदारों को उनकी अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा दिलाने के लिये पूर्णरूपेण प्रयत्नशील तथा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यह ऐसा मामला है जो बहुत ही दुखदायी तो है, अपराधपूर्ण है। कानून यह है कि गवर्नमेंट पब्लिक परपज के लिए कोई भी, किसी की भी जमीन जायदाद ले तो पहले उसको मुआवजा दे। आज से 24 साल पहले ये नेशनल हाईवे नम्बर 11 आगरा टू बीकानेर, जिसमें लाखों किसानों की जमीन ले ली गयी, उनका मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा ही नहीं दिया गया, जुल्म यह है कि अभी तक उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। किसान की जिन्दगी की जो जरिया जमीन थी उसको जबर्दस्ती उससे छीन लिया गया और उसके एवज में उसको कुछ नहीं दिया गया। खुद मन्त्री महोदय का बयान यह जाहिर करता है, चन्द काश्तकारों को हमने दे दिया, कहते हैं चन्द का पैसा पड़ा हुआ है वह भारत सरकार की मंजूरी से देंगे। बहुत से काश्तकार इस दरमियान खत्म हो गये। 24 साल तक इंतजार किया आपकी सरकार का और जब आपकी सरकार मे उम्मीद न रही तो वे चल बसे। कितने बड़े दुख की XXX बात है कि जब सरकार ने 24 साल पहले जमीन ली और उस जमीन का अभी तक लगान किसान भरता है। उसका कुंआ गया, खेती गयी, उसकी जिन्दगी का जरिया गया, फिर भी उसको जो कुछ थोड़ा मुआ-

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

वजा देना था वह अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपको यकीनन यह कहना चाहता हूं कि मेरे सीकर इलाके में जहां काश्तकार शिकार के लिए आते हैं खास तौर से फतेहपुर इलाके जहां से मैं जीत कर आया हूं, फतेहपुर शेखावाटी का किसान कहता है कि हमारी जमीन छीन ली गई। पहले थोड़ी छीनी गयी थी और फिर लम्बी चौड़ी सड़क बना ली गयी। फिर एक और विभाग उसमें शरीक हो गया। शेखावाटी में कहने लगे कि वन भी लगायेंगे। सड़क के लिए जमीन ले ली, वन विभाग ने भी ले ली चौतरफा। दो-चार बबूल के पेड़ लगा दिये गये और किसान को एक पैसा नहीं दिया गया। यह ऐसा जुल्म यह सरकार किसान के साथ कर सकती है और किसी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर और किसी के साथ करती तो अब तक सड़क रोक दी जाती, हाईकोर्ट से वो स्टे ला सकता था। पर एक गरीब काश्तकार जो लोगों को रोटी देता है उस वर्ग की जमीन छीन ली गयी और उसको कुछ भी नहीं दिया गया। अब भी मन्त्री महोदय का बयान जाहिर करता है कि कब दिया जायेगा यह बताने की स्थिति में सरकार नहीं है, न मंत्री महोदय हैं। यही नहीं, काश्तकार के साथ तो यही हालत होती है. अगले दिन हमने एक बांध की जांच की, वह 20 साल पहले जमीन ले ली गयी और अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। हद है जुल्म की और डाकेजनी की, छीना-झपटी की भी कोई सीमा होती है। एक साल बर्दाश्त करें, दो साल करें और फिर तुर्रा यह है कि बहुत से मर गये। अरे, मरता नहीं तो क्या करता। जिसकी रोटी का जरिया खत्म हो गया उसके बच्चे रोटी के लिए रोते रहें और आपकी सरकार खर्राटा लेती रही। आपकी सरकार की नींद नहीं टूटी। उस सरकार की जो कहती है कि हम गांधी जी के चेले हैं, जनवाद के फालोअर्स हैं। जनवाद के हामी हैं। ये जनवाद है मन्त्री महोदय का कि गरीब काश्तकार को उसकी जमीन छीन ली गयी, डाकेजनी कर ली गयी और अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कहते हैं कानून तो यही है कि जब किसी की प्रापर्टी एक्वायर करेंगे तो पहले उसको मुआवजा देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, वह 80 प्रतिशत किसान जो देश के लिये रोटी पैदा करता है. वक्त मुसीबत में उसका बेटा वहां मरता है हाजीपीर में, पाकिस्तान के बोर्डर पर, आप लोगों की तोंद फूल रही है, पेट आगे बढ़ रहा है आप लोगों का और काश्तकार की क्या हालत है ? उसका सारा कुछ आपने ले लिया और मुआवजा नहीं दिया अब मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक दे दिया जायेगा, एक तारीख बता दें तो बड़ी महरबानी होगी।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कोई चीज देता है तो पहले अपनी रेट तय कराकर उसके बाद में उसको अपनी चीज सुपुर्द करता है, लेकिन किसानों की जमीन जो सार्वजनिक काम में आने वाली बात है, राष्ट्रीय मार्ग हैं, जिसको अपन उपयोगी

(श्री महाराम चौधरी)

मानते हैं, आम आदमी के काम में आने वाली चीज समझते हैं तो हमारा पहला कर्त्तव्य था कि पहले काश्तकारों को जितनी बीघा जिसकी जमीन ली थी उसका मुआवजा देते और उसके बाद में निर्माण कार्य शुरू करते। यह नहीं किया सो तो नहीं किया लेकिन जिस वक्त सड़क निर्माण कार्य शुरू किया था, सड़क निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट बनाये, एस्टीमेट के साथ नक्शे बनाये, उसके साथ-साथ में किसानों की जमीन काट कर उसकी जितनी खाते की जमीन कटी उस जमीन को माइनस करके उसकी बिगोड़ी कायम की भी थी, खसरा, खाता नम्बर का जितना रकबा था, वह भी रेवेन्यू से कटवा करके उसको यह सब बिगोड़ी लगानी बन्द करनी चाहिए थी लेकिन यह तक भी नहीं किया। सड़क का मुआवजा देने के लिए जो आपने बात कही है, जितना दिलाने की बात कही है, वह उन्हीं आदमियों को दिलाया गया है जो पहुंच वाले थे, जिन्होंने अपनी कोशिश की या जिन्होंने अपने इंजीनियर्स से मिलीभगत की। ऐसे आदमियों को मुआवजा मिला है। आम आदमी, जो गरीब काश्तकार था, जो कार्यवाही करना नहीं जानता था, को आपने आज तक मुआवजा नहीं दिया है। न आपने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि राष्ट्रीय मार्ग नं. 11, आगरा से बीकानेर जो यह मार्ग है इस मार्ग पर आप अब कितने दिनों के अन्दर हिसाब लगाकर आम काश्तकार को यह मुआवजा दिला देंगे।

सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय मार्ग नं. 11 की ही बात नहीं है। हमारा जो मकसद था, इसको पूछने को तो यह तो हमने सिर्फ उदाहरण पेश किया था। मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन भी चाहता हूं, कि राजस्थान के अन्दर अकाल राहत की सड़कें बनाई हैं, चाहे आपने राजस्थान की सड़कें बनाई हैं, चाहे अन्य दूसरे राष्ट्रीय मार्ग बनाये उन्हीं सभी सड़कों पर जो आपने अवाप्ति की है, सड़क निर्माण किया है, उन काश्तकारों के खाते में से जमीन हटायी जाय, उसकी बिगोड़ी माफी कराई जाय। यह काम रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट की मार्फत करवायें। आपने सड़क निर्माण में जो जमीन अवाप्त की है उन का आप तुरन्त मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करायें इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहकर आप से आश्वासन चाहता हूं कि इस रोड नम्बर 11 के अलावा राजस्थान के अन्दर जो दूसरी ऐसी सड़कें हैं उन सभी के सम्बन्ध में भी आप हमें जानकारी करायें, उसके सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही से अवगत करायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने सारी बातें बतायीं लेकिन मुख्य रूप से सीकर से लेकर फतेहपुर 143 किलोमीटर तक, सड़क उसके आगे तक भी है, के 7 लाख 50 या 5 हजार 21 रुपये आपने बताये हैं। वह अवार्ड घोषित हो चुका है, लेकिन भारत सरकार की स्वीकृति के बिना उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आपने 3-4 कारण बताये हैं कि खातेदार का देहान्त हो गया, नामान्तरकरण नहीं हुआ, मुआवजा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राशि अपर्याप्त थी। यह सब उन लोगों के लिए है जिनकी भारत सरकार से स्वीकृति हो चुकी है लेकिन भुगतान नहीं हुआ। भारत सरकार में 24 साल से सीकर से लेकर फतेहपुर तक का जो टुकड़ा है, उसका 7 लाख 51 हजार रुपया किस कारण से अटका हुआ है? भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय ने किस कारण से स्वीकृति नहीं दी और किस कारण वह नहीं मिल रहा है? एक बात तो आप यह बताइये।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा, इस नेशनल हाईवे के ऊपर आपने बताया कि नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर आपने अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की। सीकर नगरपालिका क्षेत्र में जो 4 किलो मीटर की सड़क आपने बनाई है, उसमें नगरपालिका क्षेत्र की जमीन आपने ली है, उस नगरपालिका क्षेत्र की जमीन का आदा आप नगरपालिका को मुआवजा देंगे या नहीं? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह किस कारण डिले हुई है? सीकर से लेकर फतेहपुर तक के जो मूल काश्तकार हैं उनको जो रकम नहीं मिल रही है इसकी डिले में आपका विभाग मुख्य रूप से जिम्मेदार है, माननीय मंत्री महोदय। भारत सरकार हर साल एक रकम निश्चित करती है इस सड़क की मरम्मत के लिए और इस सड़क के मुआवजा के लिए परन्तु ठीक टाइम पर और ठीक समय पर भारत सरकार के पास आपके पत्र नहीं जाते, स्वीकृति के लिए पत्रादि नहीं जाते इसके कारण से डिले हुई है। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने किस कारण से मुआवजा रोका हुआ है? इन कारणों को स्पष्ट करेंगे।

साथ ही बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए, 24 साल पूर्व आपने सड़क के लिए जमीन ले ली उसके बाद में वन विभाग ने सीकर से फतेहपुर तक के मार्ग पर और ले ली, और जमीन अवाप्त कर ली। एक प्रकार से 200–200 फीट की जमीन पूरी अवाप्त की है। उसके पश्चात् आज भी, सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, उस जमीन जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है का आज तक किसान लगान दे रहा है, सरकार ने उसकी दुरुस्ती नहीं की। दुरुस्ती नहीं की वह तो ठीक है लेकिन उसको मुआवजा भी नहीं दिया और वह लगान भी दे रहा है इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?

इन तीनो बातों का कृपा करके स्पष्टीकरण करेंगे। सीकर से फतेहपुर वाले जो किसान हैं उनका मुआवजा आप कब तक दिला देंगे, इस बात को भी आप स्पष्ट करेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने और फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये। तीनों ही माननीय सदस्यों ने एक बात पर बहुत जोर दिया कि 24 साल से इतनी डिले क्यों हो

(श्री चेतराम मीणा)

गया, इसका पेमेंट क्यों नहीं किया गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, इस सड़क का कुछ हिस्सा पहले से ही बना हुआ था, कहीं पक्की थी, कहीं कच्ची थी। तो पूरा का पूरा हिस्सा कहीं भी एक्वायर नहीं किया गया पहले से कुछ एक्वायर हो रहा था। इसमें कई मुद्दे हैं। एक तो यह, जहां पर कि सड़क पहले बनी हुई थी उसको चौड़ा करने के लिए हमने उसकी जमीन ली, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर सड़क बिलकुल बनी हुई नहीं थी वहां पूरी की पूरी एक्वायर की, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सड़क को चौड़ा करने के लिए, मोड़ वगैरह निकालने के लिए हमने जमीन एक्वायर की। कई ऐसी जगह भी हैं, जैसा मैंने निवेदन किया है पूर्व में भी कि ऊंचे ब्रिज बनाने पड़े हैं तो एलाइनमेण्ट भी थोड़ा चेन्ज हुआ है, एप्रोचेज भी बनाने पड़े हैं....

श्री महाराम चौधरी : यह तो हम मानते हैं, आप क्यों कह रहे हो ?

श्री चेतराम मीणा : आप सुन तो लीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री महाराम चौधरी : हम चाहते यह हैं कि उनको मुआवजा देने की बात नहीं की। सड़क चौड़ी की, लम्बी की, पुल बनाये हैं, यह तो हम ही मानते हैं। इसमें आप क्यों समय खराब कर रहे हो सदन का ? आप तो हमें यही फरमायें कि जिनको दे दिया है उनको तो ठीक लेकिन जिनको नहीं दिया है उनको देने के लिए आप कब तक व्यवस्था कर दोगे और अब तक जो उनके बिगोड़ी लग रही है, वह उनके बिगोड़ी नहीं लगे इसलिए उसके नक्शे में तरमीम हो और रेवेन्यू रिकार्ड में दुरुस्ती हो।

श्री सभापति : बिराजें आप। तसल्ली से सुनें।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, ऐसी बात नहीं है कि जिन खातेदारों का जो मुआवजा बकाया है वह 24 साल का ही हो। किसी का कुछ लम्बे समय का है, किसी का अब का है। सीकर से फतेहपुर के बारे में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीकर 347 किलोमीटर पर स्थित है। 345–348 तक इस क्षेत्र में उसका नगरपालिका क्षेत्र आता है। तो, 348 से 414, क्योंकि फतेहपुर से आगे निकल जाता है, फतेहपुर 394 पर स्थित है, उस सड़क के बारे में मैंने निवेदन किया था कि 452 खातेदारों को 5,56,600) रुपये देय हैं। इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए अवार्ड वगैरह होने में एक लम्बा प्रोसेस होता है, नोटिस निकलते हैं, नगरपालिका क्षेत्र हो तो उनके नोटिस बोर्ड पर लगते हैं और ग्रामीण क्षेत्र हो तो

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कार्यवाही कब से चल रही है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : धैर्यपूर्वक सुनें आप, कृपया । विराजिये, बता रहे हैं ।

श्री चेतराम मीणा : सुन लीजिए जो कुछ है । तो एक प्रोसेस होता है । उसके बाद में हम खातेदार को नोटिस देते हैं । उसके बाद नोटिफिकेशन खसरा नम्बर वगैरह के होते हैं । राज्य सरकार की स्वीकृति होती है । फिर अवार्ड घोषित होता है । इसमें एक बड़ा लम्बा समय लगता है । इसलिए यह कहना कि साहब हम एकदम दे दें, जैसे ही जमीन ली नोटिफिकेशन किया उसी समय पेमेन्ट कर दें, यह नहीं होता । इसमें एक प्रोसेस होता है । जैसा मैंने निवेदन किया पूर्व में भी कि यह नेशनल हाईवे है, इसका जो भी नया कार्य होता है, सुधार कार्य होता है, और वर्क होते हैं, जो कुछ भी होता है उसके लिए केन्द्र सरकार पैसे देती है । केन्द्रीय सरकार से कुछ विलम्ब होता है वह इसलिए होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में 348 से 414 में जिन किसानों की जमीन ली गयी उनके मुआवजे की रकम थी 3,79,141) रुपए, और अंतरिम भुगतान, उस समय जो अंतरिम भुगतान 74 में कर दिया था, 13,836, रुपए 71 पैसे लेकिन अनिवार्य क्षतिपूर्ति के रूप में 37914) रुपए 10 पैसे और देय हैं और इस पर 4 प्रतिशत का ब्याज और देना है । एक्वायर हो जाने के बाद, भूमि अवाप्त हो जाने के बाद में जब तक सरकार इसका पेमेण्ट नहीं करेगी, उस समय तक का 4 प्रतिशत ब्याज देती है । इसलिये हमने यह किया हुआ है कि 18 अगस्त, 1975 तक 1 लाख 53 हजार 415 रु० तो ब्याज ही हो गए और जिस दिन सरकार और पेमेन्ट करेगी तो उस समय का 4 पर्सेन्ट का ब्याज लगाकर पेमेन्ट करेगी । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें प्रोसेस में थोड़ी डिले होती है । इसके साथ ही जैसे ही केन्द्रीय सरकार से क्लियरेन्स आ जायेगी निश्चित रूप मे इसका पेमेन्ट कर दिया जायेगा ।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो सड़क सीकर नगरपालिका क्षेत्र में होकर निकली है, क्या सरकार उसका नगरपालिका को मुआवजा देगी ? सभापति महोदय, मैंने निवदन किया कि जो सड़क पूर्व में बनी हुई है, उस समय स्टेट टाइम में जो नियम थे, उस समय किस हिसाब से सड़क बनी हुई थी, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है । यह सड़क पूर्व में ही बनी हुई थी इसलिये नगरपालिका सीकर में जो सड़क बनी हुई है या और किसी नगरपालिका में सड़क बनी हुई है उसके लिए कोई मुआवजा वगैरह के बारे में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

मै यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तीनों माननीय सदस्यों ने यह जोर दिया था कि आप यह बतला दें कि कब तक पेमेन्ट कर दिया जायेगा । तो, सभापति महोदय, कोई एक पाइन्ट या खातेदार या एक गांव का मसला नहीं है ।

(102)

(श्री चेतराम मीणा)

जैसा मैंने निवेदन किया 520 किलो मीटर लम्बी सड़क है, इस सड़क पर समय समय पर कई बार जमीन को एक्वायर करते हैं, कभी कोई चौड़ी करने के लिये करते है, कभी सड़क बनाने के लिये करते हैं। तो कई बार करना पड़ता है। जैसे ही केन्द्रीय सरकार से इसकी स्वीकृति होगी, पैसे मिलेंगे हम इसके लिये निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं, पेमेन्ट कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पेमेन्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, किस कारण से नहीं हो रहा है, किसकी ढिलाई से नहीं हुआ है? यह इतने दिनों तक परिवहन मंत्रालय में मामला क्यों अटका हुआ है? मुख्य मुद्दा यह है। क्यों नहीं हो रहा हैं?

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि इसके पैसों का मसला केन्द्रीय सरकार से हैं, वहां से जैसे ही रिलीज होकर राजस्थान को मिलेगा हम पेमेन्ट कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं कर रही है यह पूछना चाहता हूँ? क्या कारण है जिसके कारण से मामला अटका हुआ है?

श्री सभापति : कारण जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार में पैसा क्यों अटका हुआ है, किसकी वजह से अटका हुआ है?

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, यह सब बजट का प्रोविजन होता है जैसे ही हम भेजते हैं वहां से केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देती है हम पेमेन्ट कर देते हैं। अब डिले क्यों करते हैं; यह केन्द्रीय सरकार का विषय है।...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है। यह सारा का सारा पैसा इसलिये अटका हुआ है, सभापति महोदय, आपके विभाग ने ठीक टाइम पर, ठीक समय पर, ठीक प्रकार से सारी कार्यवाही करके बनाकर नहीं भेजी है, नम्बर एक। नम्बर दो, आपने एक बार तो सड़क यों निकाल दी, फिर उसको कर्व दिया। इस सड़क को चार चार बार कर्व देकर बदला गया और पूरे के पूरे खेत खराब कर दिये। इस कार्यवाही के कारण से एक एक खेत का तीन-तीन बार मुआवजा आपने फिक्स किया है इस कारण से केन्द्रीय सरकार में मामला अटका हुआ है। इसके लिये पूर्णतया आपका विभाग जिम्मेदार है जिसके कारण से पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। आज ही इस विभाग की मांग है, आप इस सम्बन्ध में उस समय बोल लीजिये।

श्री महाराम चौधरी : यह पर्टीकूलर प्रश्न है।

श्री सभापति : आपको उस समय मौका मिलेगा, आप विराजिये।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, लाखों किसानों से सम्बन्धित मामला

(श्री महाराम चौधरी)

है इसलिये केवल दो ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप फरमा रहे हैं बारबार कि जो सड़कें 1960 के पूर्व में बनी हुई थीं उनका हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। यह आप कैसे कर रहे हैं ? किसानों को यह मुआवजा क्यों नहीं मिलता है ? 1960 के पहले या स्टेट टाइम में जो सड़कें बनी हुई थीं उसका मुआवजा देने के सम्बन्ध में और दूसरा 1960 के पहले ऐसी जमीन काश्तकारों से आपने, चाहे किसी सरकार ने अवाप्त की है तो उनकी जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में दुरुस्ती करें और रिकवरी बन्द करने के लिये रेवेन्यू आफिसर्स को लिखकर भेजा जावे । दूसरा सवाल मेरा यह है, सभापति महोदय, कि इनके मार्फत कई सड़कें बनी थी आप पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री हैं, दूसरी भी अपने राजस्थान के अन्दर इस तरह की जितनी भी सड़कें हैं उनमें भी मुआवजा दिलाने की आप तुरंत कार्यवाही करने का कष्ट करें....

श्री सभापति : विराजिये।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि सन् 1960 के पहले की हम नहीं कह रहे हैं। मैंने यह निवेदन किया कि जो स्टेट टाइम में सड़कें बनी हुई थीं और स्टेट के समय की सड़क राजस्थान सरकार ने टेक-ओवर की हैं उससे पहले जो सड़क बनी हुई थीं उनके मुआवजे का प्रश्न नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो 10-10 फीट की थी आपने तो 30 फीट चौड़ी बनाई है आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, जैसे-जैसे हम चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, जमीन की अवाप्ति कर रहे हैं हम पेमेन्ट कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान में जो दूसरी सडकें हैं उनका भी कुछ कीजिए।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, विराजिए।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-27 पेयजल योजना, मांग संख्या-13 आबकारी, मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल

आय-व्ययक (बजट), 1984-85, द्वितीय अवस्था, अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मांग संख्या-27 पेयजल योजना।

माननीय जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री–श्री देवेन्द्रसिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मन्त्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,63,57,85,000/- रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 13, आबकारी।

माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, आबकारी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वालेवर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,75,01,000/- रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि, भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य एवं 21-सड़कें एवं पुल।

माननीय श्री चेतराम मीणा।

श्री चेतराम मीणा : (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,04,09,69,000/- रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,21,89,000/- रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)
श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)
श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)
श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)
श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. रीजनल पाइप लाइन योजना में टेलएन्ड के गांवों में पानी न पहुंचने एवं हैण्ड पम्पों की समय पर मरम्मत न होने पर

(श्री माधवसिंह दीवान)

तथा ढाणियों में पानी की व्यवस्था बावत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

2. टौंक में प्रत्येक मोहल्ले में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री वीरचन्द (सार्दुलपुर)

3. डेगाना जंक्शन को कितलवर से दिया जा रहा फ्लोराइड युक्त पानी अविलम्ब बन्द कर डेगाना ग्राम पेयजल योजना में जोड़ दिया जाने के लिए चर्चा के लिये।

4. जल योजनाओं पर लगाये गये कर्मचारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, के विषय में चर्चा के लिये।

5. डूंगरगढ़ व डेगाना क्षेत्र के उन ग्रामों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

6. तहसील डेगाना जिला नागौर की पूनास व मोगास की जल योजनाओं से ग्रामों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

7. पाली जिले की देसूरी एवं मारवाड़ जंक्शन तथा बाली तहसीलों के सभी गांवों एवं ढाणियों में पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के लिये, चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुरग्रामीण)

8. जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में लगाये गये हैण्ड पम्पों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

9. पंचायत में हैण्ड पम्प की कमी के कारण नागरिकों को पेयजल नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये।

10. उदयपुर जिले के दूर दराज के गांवों में पेयजल की समस्या बनी हुई है इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

11. बाड़मेर जिले के नए राजस्व ग्राम 1. पूनीयोकाजला 2. पराली 3. जाखडो-कातला 4. शरदादकापार 5. खड़ीन 6. बहाल 7. जीनेकापार 8. बरसा 9. तानूमीनजी 10. मडालिया 11. जूणेजो की बस्ती में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

(श्री अमीन खां)

के तहत पेयजल योजनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

12. निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

13 जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर स्थिति तथा हैण्डपम्पों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (वेगूं)

14. तहसील वेगूं में जल स्तर गिरने से पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांवों का पुन: सर्वे करवाने पर चर्चा के लिये।

15. तहसील बेगूं में बन्द पड़ी टी. एस. एस. योजना वाले गांवों में ग्रामीण जलप्रदाय योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. तहसील बेगूं में चेची, नन्दवाई, ठुकराई, राधवा, राजगढ़, मैंघपुरा, एकलिंगपुरा, जावदा एवं बड़ोदिया में ग्रामीण जलप्रदाय योजना प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. नगरपालिका बेगूं में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सूलीमगरा, पीपलीखेड़ा, किशोरपुरा में नई योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

18. पेयजल की समस्याओं का समाधान कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

19. अनुसूचित जाति व जनजाति वाले क्षेत्रों में हैण्ड पम्प राजनैतिक भेदभाव के आधार पर लगाने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

20. ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

21. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के अन्तर्गत खान्दु कॉलोनी में पाइप लाइन बिछाने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. राज्य सरकार पेयजल हेतु सार्वजनिक कुओं पर मोटर लगाने में विफल रही जिस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

23. राज्य सरकार बन्द पड़े हुए हैण्ड पम्पों को सुधारने में विफल रही जिस पर चर्चा के लिये ।

24. बांसवाड़ा जिला के रेवेन्यू विलेजों में कम जनसंख्या वाले गांव में पानी की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

25. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में पेयजल व्यवस्था करने में असफल रही जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

26. बूंदी शहर को चम्बल नदी से पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

27. ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

28. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगाये गये हैण्डपम्प खराब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

29. जिला बूंदी में हैण्ड पम्प लगने पर चर्चा के लिये ।

30. केशवरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र की नल योजना की पाइप लाइनों की क्षमता आबादीनुसार बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

31. लाखेरी नगरपालिका की नल योजना को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

32. उदयपुर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान देवास (वाकल) योजना से ही सम्भव है, इस पर चर्चा के लिये ।

33. उदयपुर की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकता को फतेहसागर पर एक दूसरा फिल्टर प्लान्ट बनाकर ही पूरा किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिये ।

34. उदयपुर नगर की जल वितरण व्यवस्था 1955 की डाली हुई पाइप लाइनों पर होने के कारण तथा पानी की टंकियाँ न बनाने से उत्पन्न जल संकट पर चर्चा के लिये ।

35. उदयपुर वाली पाइप लाइनों में गड़बड़ी के कारण गटर का पानी पीने को मजबूर किये गये हैं, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

36. सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

37. डीडवाना जिले के ग्राम दौलतपुरा, लादड़ीया, बाठड़ी, गूजरों की ढाणियों,

(श्री उम्मेद सिंह)

आगूता, आजड़ोली, आकोदा, बगलावास डीडवाना व नमक झील में पीने के पानी की समस्या के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

38. पेयजल योजनाओं की अव्यवस्था से जनता में आक्रोश है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

39. अजमेर जिले की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखकर स्थायी पेयजल योजना के लिए बीसलपुर जल योजना को शुरू किये जाने पर चर्चा के लिये।

40. अजमेर नगर में वर्षा के पानी को रोकने के लिए तारागढ़ फाइसागर का निर्माण कराकर पेयजल योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

41. अजमेर नगर के आनासागर चैनज के पानी को अजमेर के एरिया में ही रोक कर पेयजल की सुविधा बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

42. जालौर एवं सायला नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए।

श्री पीरूराम (टीबी)

43. टीबी निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजना के विकास पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

44. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत गांवों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत आने वाले स्रोत ग्राम कलाऊ के गांवों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के स्रोत ग्राम राजमथाई के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना झीझनलीयाली के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध चर्चा के लिये।

48. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत मूलाना, रासला, सांवला मेहराजोत, मंदासर, लेखासर ग्रामों

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत डावला से मोकला तक पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत खीया से रामगढ़ तक के ग्रामों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. जैसलमेर जिले की भारमसर से भारेवाला जल वितरण योजना को सुचारु रूप से चलाने में राज्य सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. जैसलमेर जिले की कोरिया-लूणार जल वितरण योजना को सुचारु रूप से चलाने में राज्य सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना अन्तर्गत ग्राम सम व ग्राम कनोई तक जल वितरण सुचारु रूप से नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना के अन्तर्गत अजासर से नड़ाणा ग्राम तक जल वितरण सुचारु रूप से नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. जैसलमेर जिले के पेयजल योजना स्रोत धन्नाताड़ा के अन्तर्गत आने वाले गांवों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. जैसलमेर जिले की पेयजल योजना के अन्तर्गत स्रोत भोजकों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. जैसलमेर जिले की पेयजल विस्तार योजना म्याजलार-पोचीणा में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. जैसलमेर जिले की जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत जैरात-हमीरा में पेयजल की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. जैसलमेर जिले की जनता योजना के अन्तर्गत पानी पाइप लाइनों से अनेक गांवों में टंकियां बन जाने के बावजूद भी नहीं जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

60. नैनवा, देई, करवर, बासी और दुगारी में कार्यरत पेयजल योजनाओं में वांछित सुधार तथा बाछोला खानपुरा और माणी पंचायतों के गांवों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन)

61. जिन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है उन्हें शीघ्र ही पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

62. ग्राम खुरोठ, माजरा, जौनाल्या-कलां, खाना, तलवाना, डवानी आदि ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

63. ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पंचायत समिति स्तर से कराया जाने पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

64. निवाई, झिलाय व हथोना में कार्यरत पेयजल योजनाओं में वांछित सुधार तथा पराना, मण्डावर, मूडिया, लहारा, रजवास पंचायतों के गांवों में नल सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. पराना, मंडावर, मूडिया, हुहारा, रजवास पंचायतों के गांवों में नल सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

66. निवाई विधान सभा क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्पस को ठीक करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

67. डडू से कम्पूलिया जिला बाड़मेर पाइप लाइन से ग्राम कम्पूलिया को पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

68. पाटौदी कालेवा पेयजल योजना को शीघ्र चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

69. वागुण्डी खट्टू पेयजल योजना को शीघ्र चालू करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

70. पंचायत समिति खैराबाद के ग्राम खणी एवं मोतीपुरा खुर्द का पानी कतई पीने योग्य नहीं है, इन गांवों के पानी की प्रयोग-शाला में जांच नहीं करने एवं हैण्ड पम्प नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

71. कोटा जिले के रामगंजमण्डी नगर के लिये आहू नदी से एक ही पाइप लाइन आती है जिससे सुकेत, रामगंजमंडी, कुम्भ-कोट, साथलखेड़ी को पेयजल दिया जाता है जिससे रामगंज मण्डी में पेयजल की भारी समस्या होने पर चर्चा के लिये।

72. तहसील रामगंज मंडी एवं लाड-पुरा के गांवों के अधिकतर हैण्ड पम्प खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. कोटा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के नगर खंड प्रथम में लिपिक तथा अन्य पदों पर कार्य करते हुए जिन कर्मचा-चारियों को दो वर्ष से अधिक हो गये हैं उन्हें अर्द्ध-स्थायी करने पर चर्चा के लिये।

74. लाडपुरा तहसील के नया गांव ग्राम पंचायत काल्याखेड़ी में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

75. सुनेल, रामगंज मण्डी नगर के लिये बनाई गई पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

76. झालावाड़-कोटा जिले में हैंड पम्पों की देखभाल करने के लिये कोई अधिकारी नियुक्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

77. खारड़ी जिला बाड़मेर ट्यूबवैल खुदवाने हेतु चर्चा के लिये।

78. समदड़ी से कल्याणपुर डबल पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

79. हैंड पम्पों का कार्यभार पंचायत समितियों को देने के साथ-साथ कुशल मिस्त्री तथा धनराशि की व्यवस्था करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

80. वर्ष 84-85 में बीसलपुर योजना का कार्य प्रारम्भ कर ब्यावर नगर को पेय जल देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

81. देवगढ़ नगर में जल वितरण की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)

82. पेयजल योजना द्वारा गांवों में बनाई गयी टंकियों में पानी नहीं पहुंचने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

83. ग्राम रामसीन, जसवंतपुरा, चांदसा, तवाव, चांदुर वगैरह ग्रामों में पेयजल समस्या के बाबत चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

84. जिला सवाई माधोपुर में नलों द्वारा पीने का जो पानी दिया जा रहा है वह कम है तथा खारा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

85. प्रतापगढ़ नगर के लिये पेयजल सुलभ कराने की व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

86. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र के ग्राम चौकड़ी, चला, दूल्हेपुरा व भैरा में पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

87. ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों में पेय जल उपलब्ध करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

88. टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम काशीर, माडूला, मालाहेड़ा, गावड़ी, नासरिधा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नानालाल (राजसमन्द)

89. राजसमन्द की पेयजल योजना को स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. ग्रामीण जलप्रदाय योजना कुरज में बाढ़ से कुए व पम्प हाउस के बह जाने से उत्पन्न जल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

91. ग्रामों में पानी की सप्लाई समय पर नहीं करने तथा कई दिनों तक नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

92. बाड़मेर जिले की पं. स. बाड़मेर के ग्राम गरल एवं बूठ जेतमालोत और धोरीमन्ना पं. स. के ग्राम कोजा, राणासर एवं लूखू सड़क के ट्यूबवैल शीघ्र प्रारम्भ कर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. बाड़मेर जिले के खरटीया ट्यूबवैल को पेयजल के लिये चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. सीमान्त जिला बाड़मेर की पेयजल की आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा सर्वे कराकर योजना न बनाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

95. बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या के स्थायी हल के लिये राजस्थान नहर से लिफ्ट योजना के द्वारा पानी सप्लाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

96. बाड़मेर जिले की पं. स. धोरीमन्ना की पेयजल योजना के ट्यूबवैल कोजा (3) राणासर कल्ला (1) लूखू (2) भाखपुरा (1) नगर (1) लोहाखा (1) डाबला (1) बांटा (1) गोलिया (1) को चालू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

97. बाड़मेर जिले की जलप्रदाय योजना होडू-भाटाला से भाटाला ट्यूबवैल पम्प पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर पम्प नहीं चलाने से ग्राम होडू एवं सांजरा में पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

98. बाड़मेर जिले की तहसील गुडामालानी की सरनू 'पी. एस. सिणधरी' धोरीमन्ना, दुधू, रडू पादरडी, धोरी मन्ना उण्डासर, कोजा-कबूली, कोजा-मीठी खरटीया-भोजासर, नारानीगांव, सनावड़ा आदि योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

99. भीलवाड़ा जलदाय की मेजा से आने वाली पाइप लाइन की स्वीकृति होते

(श्री वंसीलाल पटवा)

हुए भी उसे पूरा न करने पर चर्चा के लिये।

100. भीलवाड़ा जिले के हैण्ड पम्प वन्द पड़े हैं उन्हें चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

101. गुढ़ा बागरियावास, मोपतपुर, (सीकर) में पानी की सीधी घर-घर सप्लाई देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. आसपुरा (सीकर) में पेयजल स्कीम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. लोहरवाड़ा (सीकर) में अधूरी पानी की टंकी का निर्माण पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

104. अनुसंधान एवं सर्वेक्षण डिवीजन जलदाय विभाग का कार्यालय बाड़मेर में रखवाने पर चर्चा के लिये।

105. बाड़मेर जिले में विभाग का तीसरा डिवीजन न होने पर भारत सरकार से स्वीकृत योजनाओं का समय पर कार्य न होने से तीसरा डिवीजन धोरीमन्ना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. बाड़मेर जिले के बड़े क्षेत्र में फैले हुए ग्रामों की ढाणियों के लिये पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. बाड़मेर जिले के नये राजस्व ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

108. सैक्टर नं. 3 से 6 मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र प्रताप नगर में पीने के पानी की सप्लाई हेतु ओवर हैड टैंक शीघ्र वनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

109. सरकार बिना फिजीविलिटी का ध्यान रखे हैण्डपम्प लगा रही है, इस पर चर्चा के लिए।

110. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल की व्यवस्था करने में अक्षम रहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

111. बाड़मेर जिले में सिणधरी मीठोड़ व मीठोड़ा डंडाली सभी जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

112. टी.एस.एस. योजना के स्थान पर पी. एण्ड टी. योजना बनाने व अघोषित समस्याग्रस्त ग्रामों की जांच कराकर घोषित कर पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

113. ग्राम पंचायत घाटमीका एवं घोलेट को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डोन)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

114. राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों एवं हिण्डौन में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

115. जिला सवाईमाधोपुर में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह ज्यादातर खराब पड़े होने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. सवाईमाधोपुर के लिये पास नल योजना का काम चालू नहीं करने के कारण पानी की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. नगर पालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर के कई वार्डों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं होने के कारण पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम कुण्डेरा, मलाखाडूंगर, बौंली, खिरनी, खण्डार, चौथ का बरवाड़ा में नल योजना द्वारा आम जनता को पीने का पानी पूर्ण नहीं मिल रहा है जिससे उत्पन्न स्थिति पर चचा के लिये।

119. जिला सवाईमाधोपुर में माडा योजना के अन्तर्गत पीने के पानी हेतु कुओं की खुदाई कराई गई है परन्तु अभी तक उन्हें पूर्ण नहीं किया गया है जिससे पीने का पानी नहीं मिल रहा है अतः उन्हें पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. जिला सवाईमाधोपुर में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह बिना पूर्ण किये हुए ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन)

131. बाड़मेर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना सुचारु रूप से नहीं चल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चोहटन)
श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

122. बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले में पेयजल के लिये जो नलकूप बनाये गये हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

123. रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में जो क्षेत्रीय ग्रामीण जलप्रदाय योजना बनाई जाती है उनमें पशुओं की संख्या को सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

124. पेयजल हेतु बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील में खुले कुंए (ओपन वेल) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

125. परबतसर तहसील के ग्रामों में पेयजल की सम्पूर्ण व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

126. राजस्थान मुख्य नहर आर.डी. 750 की अमरपुरा जलप्रदाय योजना के ग्राम कोडमदेसर के ग्राउण्ड लेवल रिजर्वायर निर्माण में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

127. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक पशु पेयजल की सुविधा से लाभान्वित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. पी. एच. ई. डी., बीकानेर के द्वारा निर्मित पानी की डिग्गियों में आर. सी. पी. की रिजेक्टेड ईंट लगाये जाने को रोकने पर चर्चा के लिये।

129. मान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों में बगैर एन. ओ. सी. के जल सम्बन्ध देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

130. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम भोलासर में ओवर हैड टैंक बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

131. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम बरसलपुर में खारे पानी के ट्यूबवैल के स्थान पर ग्रामीणों को मीठा पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

132. जलदाय विभाग, बीकानेर, विश्व बैंक योजना द्वारा बीकानेर शहर में सीवरेज प्रणाली के गलत व धीमी गति के निर्माण से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

133. जिला बीकानेर तहसील कोलायत की गुढ़ा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के ग्राम लाखासन के जलप्रदाय विभाग के रिहायशी क्वार्टर के निर्माण में अनियमित-

Page No 116

(116)

(श्री उम्मेद सिंह)

तायें बरतने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134. बीकानेर शहर, उदयरामसर, सुजानदेसर की अनियन्त्रित व अस्त-व्यस्त ड्रेनेज प्रणाली की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. जलदाय विभाग, बीकानेर के प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में घटिया स्तर के अण्डर गेज पी.वी.सी. तार एवं अन्य सामान खरीदने में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

136. बीकानेर शहर के स्वच्छ जल वितरण हेतु बिछवाल फिल्टर प्लान्ट को समय पर निर्मित नहीं किये जाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

137. बीकानेर शहर के रानीसर, गिन्नावी, हनुमान हत्था, रथखाना, सादुल कॉलोनी के ड्रेनेज नालों व सूरसागर की ड्रेनेज व्यवस्था ठप्प होने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

138. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील में पानी की टंकियों को पर्याप्त संख्या में नहीं बनाये जाने से टंकियों को आवश्यकतानुसार बड़ा करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

139. जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा वर्ष 1982 में लाखों रुपये के स्विच बोर्ड पैनल खरीद में बरती गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

140. जलदाय विभाग, बीकानेर के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा वर्ष 1981 व 1982 में खरीद किये गये पूलन-मेक के सबमरसीबल पम्प प्रायः सभी फेल होने से जलप्रदाय योजनाओं का प्रभावित होने पर चर्चा के लिये।

141. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा वर्ष 1982 में पम्प हाउस खरीद में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

142. जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा वर्ष 1979 से 1982 तक बनाई गई 80 प्रतिशत डिग्गियों में पानी नहीं रुकने से ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

143. जिला बीकानेर, जैसलमेर की समस्याग्रस्त पेयजल ग्रामीण योजनाओं की तकनीकी जांच कराकर उनकी खामियां दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

144. बीकानेर, जैसलमेर व पोकरण शहरों में गर्मियों में पेयजल वितरण व्यवस्था

(श्री देवी सिंह भाटी)

सुचारु रूप से नहीं चलने से नागरिकों में उत्पन्न रोष परचर्चा के लिये ।

145. पेयजल योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय स्वीकृति समय पर नहीं देने से उसके क्रियान्वयन में देरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

146. जिला बीकानेर के तहसील कोलायत क्षेत्र व जैसलमेर जिले में भूमिगत जल साधनों का सर्वेक्षण कर नलकूप लगाने पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

147. बस्सी नगर पालिका क्षेत्र में खादी घर से निकलने वाले बदबूदार गन्दे पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

148. जलदाय योजनायें तकनीकी और यथार्थता पर आधारित न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

149. हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

150. खराब हैंड पम्पों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

151. पीपल्दा क्षेत्र के अधूरे खुदे हैंड पम्पों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

152. इन्द्रगढ़, मांगरोल तथा खातोली में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

153. पीपल्दा क्षेत्र के जिन गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है उन्हें समस्याग्रस्त घोषित कर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

154. पीपल्दा क्षेत्र के अभावग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

155. गोगुन्दा के तरपाल, कमोल, सेमड़ में नल योजना लम्बे समय से पेंडिंग पड़ी है, इस पर कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

156. कड़दा और बड़ून्दा, नान्देश माकी गायरियों की भागल में पेयजल उपलब्ध नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

157. चौमू नगरपालिका में वर्तमान पेयजल व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त टंकी बनाने की चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

158. बीकानेर शहर के बंगला कालोनी, सर्वोदय बस्ती, सिलावटों का मोहल्ला, मोहल्ला पंजाबगरान, इन्द्रा कालोनी, घूड़ी बाई धर्मशाला, रानी बाजार में नार्म्स के अनुसार सार्वजनिक स्टेण्ड न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

159. जिला बीकानेर के जलदाय विभाग द्वारा ईंटों के भट्टों को अनियमित रूप से कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न जल संकट के संबंध में चर्चा के लिये।

160. जिला बीकानेर के जलदाय विभाग द्वारा मीटर की अनिवार्यता द्वारा 136/- रु. एक मुश्त लेने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

161. जिला बीकानेर के कस्बा गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर, श्री रामसंर किशमीदेसर के लिये 1965 में खोला गया जलदाय विभाग मुख्यालय, गंगाशहर को सन् 1983 में गंगाशहर से हटाकर बीकानेर (चौतीना कुआं) मुख्यालय कर देने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

162. जिला बीकानेर के कस्बा गंगाशहर, भीनासर में पानी का बिल न जमा कराने पर 25/- अतिरिक्त जुर्माना लेने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

163. जिला बीकानेर के गांवों में स्थानीय स्रोत खुले कुओं में अतिरिक्त मोटर, डीजल सैट लगाकर चालू कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

164. जिला बीकानेर के ग्राम केसर-देसर बोहरान के ओपन वेल के पास 50" गहरी कुई के बीच चट्टान से खारा पानी कुए के मीठे पानी में आने को रोकने हेतु चट्टान में सीमेंट बजरी से मरम्मत कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

165. जिला बीकानेर के ग्राम पलाना के वाटर वर्क्स पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

166. जिला बीकानेर के गांवों व कस्बों में निर्मित स्टेण्ड की मरम्मत न होने से विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

167. जिला बीकानेर के ग्राम हाडला रावलोतान, हाडला भाटियान में हाइड्रेन्ट पाइप न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. जिला बीकानेर के ग्राम गुड़ा, मेघासर, चकविजय-सिंहपुरा (झझू) लालमदेसर में पाइप लाइन होते हुए भी विभाग द्वारा जल सम्बन्ध न दिये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

169. जिला बीकानेर के ग्राम नाइयों की बस्ती, हाडला रावलोतान, हाडला भाटियान व सूजासर के पुराने कोठों पर

(श्री उम्मेदसिंह)

छत न लगाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

170. जिला बीकानेर के ग्राम चानी में पाइप लाइन हेतु एस्टीमेट सैंक्शन होते हुए भी लाइन न बिछाने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

171. जिला बीकानेर के ग्राम कोलासर, मेघासर में जल प्रदाय योजना प्रोजेक्ट में जेनरेटर सेट की व्यवस्था शामिल होते हुए भी सैट न दिए जाने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

172. बीकानेर के कस्वा किशमीदेसर, पुरानी गिन्नाणी सादुल कालोनी, धूड़ीबाई धर्मशाला में पानी वितरण का दाव कम होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए ।

173. जिला बीकानेर के ग्राम चानी, उदयरामसर घड़सीसर में पानी वितरण लाइन में दाब कम होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

174. जिला बीकानेर के ग्राम नाइयों की बस्ती, मोखा, गीगासर, सुरघणा, चौहानान, घड़सीसर के कुयें वोरिंग कराने से पेयजल समस्या के निदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

175. बीकानेर के कस्बा गंगाशहर व इन्द्रा कालोनी, सादुल कालोनी में सर्विस रिजर्वायर बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

176. जिला बीकानेर के ग्राम गजनेर, चांडासर, अकासर, हाड़ला रावलोतान, हाड़ला भाटियान, गाढ़वाला सरूपदेसर, बच्छासर, अकासर में सर्विस रिजर्वायर बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

177. बीकानेर के कस्वा गंगाशहर, भीनासर, किशमीदेसर में बाकी बचे मोहल्लों में नई पाइप लाइन बिछाकर जल संबंध देने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

178. बीकानेर शहर के मोहल्ला सुभाषपुरा, रामपुरा बस्ती, इन्द्रा कालोनी, पुरानी गिन्नाणी, मेहरों का मोहल्ला, माजीसा का बास मन्जू कालोनी, सादुलगंज, करणीनगर, पवनपुरी, गांधीनगर, व इन्डस्ट्रियल एरिया में नई पाइप लाइन बिछाकर जल सम्बन्ध दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

179. जिला बीकानेर के ग्राम कोटड़ा भोलासर, भोजुसर, झझु बासी, बरसिंगसर गजरूपदेसर जाटान, गाढ़वाला, बस्ती चावडान, करमीसर, घड़सीसर में ग्रामीणों को जल संबंध देने के लिये नई पाइप लाइन बिछाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

180. जिला बीकानेर के कस्वा गंगाशहर, भीनासर, किशमीदेशर में 'नार्म्स' के अनुसार सार्वजनिक स्टेण्ड न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

181. तहसील खन्डार की नल योजना से ग्रामवासियों को सुचारु रूप से पानी न मिलने तथा बड़ी पाइप लाइन डालन के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचण्दरा)

182. रनीया दसीपुरा तहसील पच-

(श्री अमराराम चौधरी)
पदरा के लगे हुए जनरेटर को चालू कर ग्राम में पाइप लाइन लगाने के विषय पर चर्चा के लिए।

183. नेवरी से चारलाई तक पाइप लाइन लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी)

184. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे लोगों के लिये पेयजल व्यवस्था करने की चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहर थाना)

185. झालावाड़ जिले में कई समस्याग्रस्त ग्राम समस्याग्रस्त घोषित न किये जाने से पेयजल के संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत ल्हास रानीपुरा पेयजल नल योजना से रानीपुरा ग्रामवासियों को अभी तक पेयजल सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. झालावाड़ जिले के अधिकतर हैण्ड पम्पों के खराब होने से समस्याग्रस्त ग्रामों की जनता को पेयजल का संकट बने रहने के हालात पर चर्चा के लिये।

188. झालावाड़ जिला में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न हालत पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

189. ग्राम ढाईयां तहसील बीकानेर में पेयजल योजना बनाने के संबन्ध में चर्चा के लिये।

190. ग्राम नोखा उर्फ दईया जिला बीकानेर के कुओं को पाइप लाइन से जोड़ जल आपूर्ति की चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

191. गोगुन्दा, सायरा कमोला नरूदेशमा, पवराडा, मुरानी नल योजना की क्षमता आबादी की बढ़त के अनुसार बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

192. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करा नारू की बीमारी से छुटकारा दिलाने पर चर्चा के लिये।

193. गोगुन्दा के कड़दा, तरपाल, सेपड़, बगडून्दा, ढोल में नल योजना चालू करने पर चर्चा के लिये।

194. तहसील गिर्वा के सार्वजनिक स्थान पुराना नाथद्वारा घसार में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

195. आदिवासी बस्ती में हैण्डपम्प नहीं लगाये गये इसकी सर्वे करा हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये।

196. गोगुन्दा तहसील में गोगुन्दा बाई पास, रूपमणमाता, बनजारों का मोहल्ला सायरा पंचायत पीरबाबजी, आदिवासी बस्तियों में हैण्ड पंप लगाने पर चर्चा के लिये।

197. गोगुन्दा के नान्देश मागोव की गायरियों की भागल में हैन्ड पंप लगाने पर चर्चा के लिये।

198. रावों का सायरा तहसील गोगुन्दा में 200 घरों में एक भी हैण्डपंप

(श्रीमेघराज तावड़)

नहीं लगाया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

199. पेयजल योजना विभाग में अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकलाल मेहता (पाली)

200. स्थानीय जानवरों को भी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित करने के संबन्ध में चर्चा के लिये ।

201. रोहट पंचायत समिति में चल रही क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के संबन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

202. खेतड़ी नगर में सप्लाई किये जाने वाले कुओं का पानी सूख जाने एवं लापरवाही के कारण भयंकर पेयजल संकट रहने के विषय में चर्चा के लिये ।

203. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के बबाई, पपुरना, तोन्दा, सिहोड़, सेपरा पहाडा, दूधवा, बूरका ग्रामों में पेयजल की भयंकर समस्या एवं टंकियों में पानी सूख जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

204. सीकर जिले के कटराथल दौलतपुरा पेयजल योजना से हरिजन एवं अल्पसंख्यकों के मोहल्लों से पानी सप्लाई किये जाने और स्टाफ की मनमानी व लापरवाही के विषय पर चर्चा के लिते ।

205. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का अभाव होने से ग्रामीण व शहर जनता को हो रही परेशानी के विसय पर चर्चा के लिये ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

206. भीलवाड़ा नगर के उप नगरों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने हेतु चर्चा के लिये ।

207. भीलवाड़ा के क्षेत्र में हैण्डपम्प फिजेवल ना होने से अन्य कोई स्कीम लागू करने पर चर्चा के लिये ।

208. भीलवाड़ा तहसील के बन्द पड़े हैण्ड पम्पों को चालू करने के बारे चर्चा के के लिये ।

209. भीलवाड़ा की मेजा से वाटर वर्क्स तक बिछाई जाने वाली पाइप लाइन का कार्य शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

210. भीलवाड़ा तहसील में बरड़ोद ग्राम की अधूरी पी. एन. टी स्कीम को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

211. जयपुर शहर में चौकड़ी रामचन्द्र जी में पानी के कम दबाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

212. जयपुर शहर में राष्ट्रीय त्यौहारों पर विभाग द्वारा कम दबाव से एवं कम समय के लिये जल वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

213. जयपुर शहर में परीक्षाओं के दिनों में जल वितरण में कमी से छात्रों को होने वाली परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

214. जयपुर शहर में गर्मियों के दिनों में रामगढ़ बंधे में पानी होने पर विभाग द्वारा पानी वितरण में कमी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. जयपुर शहर में जिन उपभोक्ताओं के यहां बूस्टर पम्प लगे हैं उनका सर्वे करके पंजीयन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

216. जयपुर शहर में बूस्टर पम्प होल्डर्स को नल संबंध दस इन्च से नीचे की पाइप लाइन पर कनेक्शन न दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

217. वर्ष 1980–81 के जमा शुदा बिलों का विभाग द्वारा वर्ष 1983–84 में पुनः भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिलों के संबंध में चर्चा के लिये।

218. जलदाय विभाग द्वारा समय पर बिल जमा न होने पर उपभोक्ताओं से 25% अतिरिक्त पेनल्टी वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

219. पेयजल विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से मनमानी राशि वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. रामगढ़ की जीर्ण क्षीर्ण 27 इंच पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. जयपुर शहर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

222. जयपुर शहर के जिन क्षेत्रों में चार इन्च पाइप लाइन नहीं है वहां नई चार इन्च पाइप लाइन डालने हेतु चर्चा के लिये।

223. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में दरीबापान तन सुख श्रीमाल की गली में चार इन्च पाइप लाइन और पुराने कनेक्शनों को उससे सम्बद्ध करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

224. 3 जनवरी, 84 को ग्राम रावतसर, सरली, चवा एवं नोख को तीन माह के अन्दर पर्याप्त पानी सप्लाई की सरकारी घोषणा के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

225. भटाला–होडू, लोहारवा–भीमथल, शिवकर-कुरला भीमड़ा बायतु के छोर के ग्राम होडू, सांजटा, आडेल,

Page No 123

(123)

(श्री हेमाराज चौधरी)

पीपरूली, भीमथल, कोठाला सनाबाड़ीया, पूंजावेरी, पाबूबेरा, रावतसर, रामसर का कुआं, चवा एवं बायतू भीमजी में पानी की सप्लाई नहीं होने से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये ।

226. बाड़मेर जिले की खरटीया-भोजासर, सरनू-एड सिणधरी धोरीमन्ना उण्डासर, धोरीमन्ना दूधू, कोजा मीठी, रड़ू-पादरडी, रड़ू-अरनीया राणीगांवा-सनावड़ा महाबार-नोखड़ा लूणवा-पाडाणां आदि ग्रामीण में जल प्रदाय योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति नहीं होने एवं इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

227. बाड़मेर जिले में पेयजल के ट्यूब वेल खरटीया, कोजा, नेडीनाडी (धोरीमन्ना) लूखू (एन. एच.) गरल एवं वूठ के अभी तक चालू नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये ।

228. राजस्थान नहर पोकरण से लिफ्ट योजना द्वारा लीक नदी, लूनी की ढलाई बनवा कर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये ।

229. बाड़मेर जिले के नव सृजित ग्राम पूनियो की बस्ती, रामसर का कुआं, जाखड़ों की ढाणी, बारासण, मोखाबा, आडेल पनजी, जोगासर में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति तथा पानी सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

230. उदयपुर शहर को पानी सप्लाई करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

231. उदयपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्र के सेक्टर नम्बर 3–6 प्रतापनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

232. डूंगारास आथूणा (सुजानगढ़) में जब से योजना बनी है तब आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा है, इस पर चर्चा लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

233. जिला सवाई माधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

234. बस्सी पंचायत समिति के ग्राम भटेरी, कानेटी, आपरेटा, प्रेमपुरा, पाटन ग्रामों को दूबली नदी पर ट्यूब वेल बनाकर जल प्रदाय योजना के द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

235. पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम रोंजवाड़ी, भूडला को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

236. पंचायत समिति चाकसू के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम राढ़ोली में राज्य सरकार की नीति के विपरीत हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प न लगाकर पेयजल सुविधा से वंचित रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

237. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम झाझवाड़, रजवास, पालावाला, जाटान, हिगोनिया, कल्याणपुरा, खोखावाला, मानसरखेड़ी, ढेढ़पुरा, सांवलियावाला, दूबली आदि ग्रामों की हरिजन बस्तियों में राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने में प्राथमिकता न देने से हरिजनों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

238. जयपुर जिले में बासखोह जलप्रदाय योजना से बांसखोह ग्राम की 50% जनता एवं हरिजन बस्तियां पेयजल सुविधा से वंचित रहने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

239. ग्रामीण जलप्रदाय योजना बांसखोह (बस्सी) द्वारा जनता को आवश्यकता का एक चौथाई पानी भी उपलब्ध न होने से पीने के पानी की उत्पन्न समस्या का निराकरण किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

240. बस्सी पंचायत समिति के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम बडवा, सांभरिया एवं टहटडा में टी. एस. एस. स्कीम के चालू नहीं रहने से उत्पन्न पेयजल समस्या के निवारण हेतु चर्चा के लिये ।

241. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में बस्तियों की पेयजल समस्या का निराकरण नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

242. बस्सी पंचायत समिति में ग्राम जटवाड़ा जलप्रदाय योजना से जटवाड़ा रेलवे स्टेशन ढाणी, गिरधरपुरा ढाणी व नया बांस आदि को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चोहटन)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

243. बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील के गांव खारी में पीने के पानी के संकट बाबत चर्चा के लिये ।

244. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सणदरी के गांव भोजासर, नासेर, सेवनीयरली, सणपा पिसूलिया, साजन की ढाणी बोडवा, सरण पनजी सरण चिमनजी, टाकूबेरी, छने की ढाणी कमठाई होडू स्यूल आदि गांवों में पेयजल की टकियां न पहुंचाने के कारण उत्पन्न स्थिति बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भगवान दास डोसी (चोहटन)

245. बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील के गांव आरबी की गपन, तमाधी की

Page No 125

(125)

(श्री भगवानदास डोसी)

गपन, बादरा की गपन भूगरीया समाताजी, खारीया केलनोर कलरोका तला, हुराकातला रंतासर जसोर आदि गांवों में टंकी द्वारा पेयजल नहीं पहुंचाने के कारण उत्पन्न संकट के बाबत चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चोहटन)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

246. बाड़मेर जिले के गांव वनवा वबुगुलीरीया पावूसरिया, सेलाऊ, नोपाटीया, उरसेकापार सुराली, रावतकातला, गरडिया, जोनेकी वैरी, शेरेकातला, मादारिया की ढाणी, सतेराऊ, खांतारोम की ढाणी, खारीया, गोगलीया, भाजबर गांव, सोवाड़ा, गागरीया, मकेरना का पा भाकोपार, केलानकापार, बुकड़ गुड़ीसर, उडखा, वूकड़, भीडकोपार, सजनकापार, लधेकापार, बीजलानी-केनाड़, सूण करावा में टंकियों द्वारा पेयजल नहीं पहुंचाने के कारण भारी संकट उत्पन्न होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

247. जयपुर में लगी गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा मण्डप लगाकर किये गये अपव्यय, पर चर्चा के लिये।

248. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अजमेर के कर्मचारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों की फर्में बनाकर विभाग को सामग्री विक्रय करने की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

249. अजमेर नगर में अपर्याप्त एवं अनियमित जल वितरण पर चर्चा के लिये।

250. अजमेर नगर में जल वितरण व्यवस्था के पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण व अस्त-व्यस्त होने में जल वितरण में होने वाली गड़बड़ पर चर्चा के लिये।

251. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अजमेर द्वारा अनावश्यक व महंगे भाव से जीरो केपेसिटी वाल्व अजमेर व ब्यावर जल प्रदाय योजनाओं हेतु खरीद कर अपव्यय किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

252. प्रदेश के सभी कस्बे एवं नगरों में पाइप लाइन बहुत पुरानी है तथा उन पर उनकी क्षमता से अधिक कनेक्शन होने के कारण सम्पूर्ण कार्य के पुनरावलोकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. सीकर विधान सभा क्षेत्र के कारचीदा ग्राम पंचायत मुख्यालय में पेयजल योजना स्वीकृत होने के पश्चात् भी काम की प्रगति धीमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

254. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुंगारा की पेयजल योजना से ग्राम कुशलपुरा, निवाणो की ढाणी एवं स्वामी की ढाणी की योजना के अन्तर्गत लेकर शीघ्र कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

255. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रघनाथगढ़ की पेयजल योजना की शीघ्र क्रियान्विति तथा ग्राम खोरी-ब्राह्मा को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. सीकर विधान सभा क्षेत्र तथा पिपराली पंचायत समिति के मुख्यालय ग्राम पीपराली को बड़ी-बड़ी ढाणियों में पेयजल न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

257. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गोठड़ा (भुकशन) में पेयजल योजना के क्रियान्वयन में की जा रही देर तथा लापरवाही से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

258. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम स्यामगढ़, राजपुरा, गुढाकापुरा, बरास आदि गांवों में पेयजल की टंकी होने के बावजूद पेयजल योजनाओं को प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिहासन में स्वीकृति के बावजूद कुओं की बोरिंग न होने एवं पाइप लाइन न डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. सीकर नगर की नई निर्मित बस्तियों में पाइप लाइनों का अभाव एवं पुराने डाले गये पाइपों में इनकी क्षमता से अधिक कनेक्शन होने से नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

261. सीकर नगर में मोचीवाड़ा (बूच्याणी) एवं चेजारों के मोहल्लों में ऊंचाई को देखते हुये पानी न उपलब्ध होने के कारण दो और ओवर हैड टैंक्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. सीकर नगर के परिसर में स्थित ग्राम समर्थपुरा, श्योसिंह पुरा, नाथावतपुरा, उदयदास की ढाणी आदि में पेयजल सीकर नगर पेयजल योजना से उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

263. राज्य के कस्बों एवं बड़े नगरों में वर्तमान जल योजना से पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तथा पेयजल योजना बढ़ती हुयी जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाई गयी है इससे नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों को पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

264. कस्बा मण्डावा (झुन्झुनू) जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

265. कस्बा मण्डावा में वार्ड नं. 1 स्थित मालियों की ढाणी में पेयजल व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

266. कस्बा मण्डावा के वार्ड नं. 8 (हरिजन वार्ड) में पुनर्गठित योजना में स्वीकृत 600 मीटर पाइप लाइन नहीं डाले जाने पर चर्चा के लिये।

267. सीकर विधान सभा के ग्राम गुगारा, रघुनाथगढ़ में पेयजल कार्य अधूरा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़े रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

268. सीकर नगर में पारम्परिक जल स्रोतों पर व इसके अतिरिक्त 20 कुओं पर विद्युत लगा कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

269. नागौर क्षेत्र के ग्राम श्री बालाजी, पोचलासिद्ध, भेड़, गुडा भगवानदास आदि अनेक गांवों में पेयजल स्रोत सफल हुये बिना ही सिविल वर्क निर्माण करा दिया गया है इस पर चर्चा के लिये।

270. नागौर निर्वाचन क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. समस्याग्रस्त गांवों का सर्वे जो किया गया है उसमें 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित बस्तियों या जल की गहराई 15 मीटर से अधिक हो वह ग्राम समस्या ग्रस्त घोषित किये गये हैं इस पर चर्चा के लिये।

272. नागौर क्षेत्र के ग्राम साटीकाकला, साटीका खुर्द, कालाड़ी आचोणा, खटोड़, इन्दास बापणवाला. थानाजु, दातीणां, डेखा, बखटा गोधननों भयंकर समस्याग्रस्त गांवों को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

373. नागौर तहसील की पेयजल योजनाओं की शिकायतों की जांच आश्वासन दिये जाने के बाद भी नहीं हुई, उसकी चर्चा के लिये।

274. ग्राम बिरलीका, माडपुरा, कुड़ची की पेयजल योजनायें अधूरी हैं उनको पूर्ण कराया जावे और जी.एल.आर. गांव के बाहर सरहद के बीच में बनाने की चर्चा के लिये।

275. ग्रामीण पेयजल योजनाओं में स्रोत कायम होने पर ही निर्माण कार्य किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

276. जिन गावों में पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हुयी है उन गांवों के लिए धन उपलब्ध होने पर उनकी प्राथमिकता सूची बना कर काम शुरू किया जावे जिससे प्रथम आवश्यकता वाले गांवों को पानी उपलब्ध हो सके, इस पर चर्चा के लिये।

277. अधिशाषी अभियन्ता, नागौर के खिलाफ नागौर की पेयजल योजनाओं में विभागीय मापदण्ड, प्राथमिक योजनाओं का प्रारूप बदलना और अव्यावहारिक योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

278. नागौर निर्वाचन क्षेत्र के रेगिस्तान ग्रामों में हैण्डपम्प योजना उपयोगी न होने के कारण अब उन ग्रामों में पेयजल सप्लाई के लिये पी. एण्ड टी. योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

279. गांव मचीन्द में जल टंकी बन जाने के बाद भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से लोगों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

280. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव कोठारीया, बांगला, झालों की मदार एवं गांव गुड़ा की अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्डपम्प से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. गांव वठार में नारू बीमारी युक्त पानी होने तथा हैण्डपम्प योजना के सफल नहीं होने से समस्याग्रस्त गांवों की जल योजना से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. गांव, देलवाड़ा तथा गांव गुड़ा एवं गांव खमनोर की जनसंख्या बढ़ जाने से टंकी की क्षमता बढ़ाने हेतु वित्तीय स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. नाथद्वारा क्षेत्र के गांव सोना की जल योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

284. टी. एस. एस. योजना से लाभान्वित गांवों में भी अन्य समस्याग्रस्त गांवों की जनसंख्या के समान ही नीति लागू करने पर चर्चा के लिये।

285. रेवेन्यू विलेज की केवल एक बस्ती को ही पेयजल का लाभ मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

285. हैण्डपम्प स्वीकृत करने हेतु जनसंख्या के स्थान पर हैमलेट्स की पंचायत की दूरी को आधार मानकर स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

287 नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सांयों का खेड़ा शिशोदा, कूठवा, बांगोल, ओडन तथा अपनोल में पीने के पानी हेतु जल योजना प्रारम्भ करने की वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

288. जयपुर के लिए पेयजल के स्रोत जमवारामगढ़ बन्ध में भारी मात्रा में सिल्ट आजाने व बन्ध भराव में कमी आ जाने से पेयजल की होने वाली कमी पर चर्चा के लिये।

289. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की राहौरी ग्राम पंचायत में पेयजल के गलत कुओं को चुने जाने से आर्थिक अपव्यय पर तथा वार्ड नं. 2 के पेयजल के कुओं को चुने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. जयपुर नगर को पेयजल वितरण की पाइप लाइन गटर लाइन के बीच में होने से पुरानी पाइप लाइन के जगह जगह से गल जाने व गटर का पानी पेयजल में मिलकर इसे दूषित करने पर चर्चा के लिये।

(श्री मती उजला अरोड़ा)

291. जयपुर नगर व जिले के लिये पेयजल की बनास योजना को लागू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. जयपुर में पूरे दबाव से 24 घण्टे पानी वितरण न किए जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

293. जयपुर की गटर लाइन के पास की जीर्ण-क्षीण पाइप लाइनों को बदलने व वाटर लाइन से निकाल कर अलग से डाल ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. पेयजल योजना के अन्तर्गत जयपुर कानोता बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. जयपुर नगर में पानी के कनेक्शन न दिये जाने की लगाई गई रोक से जनता को होने वाली कठिनाई व इस निर्णय की अव्यावहारिकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

296. राज्य की हैण्डपम्प योजना में छः करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया, इस पर चर्चा के लिये।

297. प्रतापगढ़ उपखण्ड में समस्याग्रस्त गांवों में अब तक पेयजल योजना द्वारा पानी सुलभ न कराने बाबत चर्चा के लिये।

298. नगरपालिका क्षेत्र में प्रतापगढ़ में अपर्याप्त पेयजल सप्लाई किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

299. ग्राम आम्बीरामा उपखण्ड प्रतापगढ़ में पम्प एण्ड टैंक स्कीम को चालू अब तक नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

300. तहसील प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत सिहपुरा के ग्राम गोपालपुरा में लगे हैण्डपम्प से खारा एवं दूषित पानी आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

301. चाकसू व सांगानेर के शेष बचे हुए गांवों और ढाणियों में तुरन्त हैण्ड पम्प अथवा पेय जल योजना लगाई जाये, इस पर चर्चा के लिए।

302. जयपुर स्थित सैन्ट्रल जेल में अतिरिक्त कुओं से उपलब्ध कराया गया पानी विषाक्त होने से निरीह बंदियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा बन गया है, इसकी चर्चा के लिये।

303. नागल भट्टजी, समसिंहपुरा व अन्य फ्लोराइडयुक्त पानी के स्थानों पर नल योजना उपलब्ध कराई जाये, पर चर्चा के लिये।

304. सांगानेर के ग्राम भापरा व चाकसू के ग्राम आकोडिया, खाजिलपुरा आदि अनेक स्थानों पर टी.एस.एस. की मोटरें कुओं के बाहर पड़ी हैं उन्हें तुरन्त

(श्रीमती विद्या पाठक)

सार्वजनिक कुओं में लगवाया जाये अन्यत्र कहीं न ले जाई जाएं, इस पर चर्चा के लिए।

305. सांगानेर के ग्राम जगतपुरा एवं विधानी में टी. एस. एस. की मोटरें खराब लगाई गई हैं उन्हें तुरन्त सुधारा जाय अथवा बदला जाय, यह आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिए।

306. कस्बों व गांवों में समुचित बिजली सप्लाई न होने और टी. एस. एस. योजना के अन्तर्गत टंकियां नहीं बनाने से उत्पन्न पेयजल कठिनाई के विषय पर चर्चा के लिए।

307. सांगानेर में पेयजल की कमी एवं मशीनें बार-बार खराब होती रहती हैं, इस पर चर्चा के लिये।

308. जयपुर जिले में अनेक स्थानों पर टी. एस. एस. योजनायें बंद किए जाने की साजिश हो रही है जो अनुपयुक्त एवं अनार्थिक है, इस पर चर्चा के लिए।

309. सांगानेर, चाकसू व अब हुतयन से क्षेत्रों में दोषयुक्त पेयजल होने के बावजूद उपयुक्त पेयजल व नल योजना से नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

310. झुन्झूनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के जहाज, पापड़ा, ककराना, हासलसर, रघुनाथपुरा, मोसाना, केड व नेवरी पंचायत मुख्यालयों को पेयजल सुविधा उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

311. भरतपुर जिले में हैन्ड पम्पों के रख-रखाव की भारी कमी है, इस पर चर्चा के लिए।

312. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल का भयंकर संकट है, इस पर चर्चा के लिए।

313. राजस्थान में भरतपुर जिले की पेयजल योजनाओं पर और विशेष कर क्षेत्रीय योजनाओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

314. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अभाव ग्रसित उन ग्रामों में, जिनमें खारी पानी है, हैन्ड पम्प लगा दिए गए हैं, इस पर चर्चा के लिए।

315. कुम्हेर सब तहसील के ग्राम सांतरुक में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जो स्कीम बनाई गई है उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है, कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

316. विभाग के पास रिग्स की कमी एवं सुव्यवस्था न होने से हैण्ड पम्प ठेकेदारों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

से लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

317. हैण्डपम्प लगाने हेतु जी. आई. पाइप की खरीद में अनियमितता एवं आवश्यकता से अधिक क्रय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

318. पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

319. निवाई एवं टोंक की पेयजल की पुर्नगठित योजनानुसार कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

320. लवादर (टोंक) कुओं का पानी सुखने एवं पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. याकुबगंज, इसरदा (टोंक) में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

322. वाढ बूरिया (निवाई) बोरिंग हो गया है लगभग 80 प्रतिशत खर्च हो जाने पर भी हैण्ड पम्प एक साल से चालू नहीं करने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

323. दत्वास (निवाई) में पेयजल योजना के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर के लिये।

324. ग्राम चनानी (निवाई) हैण्ड पम्पों से हानिकारिक पानी निकलने एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

325. अहमदगंज (टोंक) में किसी प्रकार की पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

326. पालडी नई बस्ती (टोंक) में पेयजल सुविधा किसी प्रकार की उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

327. मेन्दवास (टोंक) पेयजल योजना चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

328. अरनिया माल (टोंक) की बस्ती में पानी की टंकी एवं स्विचबोर्ड की स्वीकृति को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

329. झालरा (टोंक) में हैण्डपम्प को ठीक नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

330. टोंक शहर में बखियापुरा, सोलग पुरा आदि मोहल्ले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. टोंक जिले में पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

332. अधिशाषी अभियन्ता खण्ड टोंक में कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

333. प्रदेश के विभिन्न शहरों में चार्जेज के अनुसार विभाग द्वारा पानी उपलब्ध नही कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

334. निवाई में पानी कम और चार्जेज ज्यादा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

335. निवाई कस्बे में पूरे दबाव से पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री शिवदान सिंह राठोड़ (जैतारण)

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. विभाग द्वारा घटिया किस्म का मैटीरियल काम में लेने से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

2. स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सड़क निर्माण नही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

3. कृषि उपज मण्डी पाली क्षेत्र में रूपावास से गुन्दोज एवं मानपुरा से भ वरो सड़क को शीघ्र शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

4. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

5. निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी भवनों की दयनीय हालत एवं अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

6. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

7. लोक निर्माण विभाग में पिछले वर्ष 5 अधिशाषी अभियन्ताओं के पदों पर नियम विरुद्ध प्रमोशन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

8. उदयपुर--रतनपुर रोड पर वर्ष 71-73 में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

9. उदयपुर नगर की अधिकांश मुख्य सड़कें विभाग के पास होते हुए भी उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

10. विभाग को इस मद में देने वाली पूरी राशि का दुरुपयोग हो रहा है इस पर चर्चा के लिए ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

11. कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ से दोहद (गुजरात) वाया हिम्मतगढ़ तक पक्की सड़कें बनाने में राज्य सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

12. कुशलगढ़ क्षेत्र डुगरा से हरिनगर वाया कसारवाड़ी रोड बनाने में राज्य सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

13. कुशलगढ़ से रतलाम रोड पक्की तैयार करने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

14. कुशलगढ़ से अन्य प्रदेशों से सड़कें व पक्की रोड तैयार कराने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री पीरूराम (टीबी)

15. टी.बी. क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों व नई सड़कों को पूरा कराया जाये । इस पर चर्चा के लिए ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

16. निर्माण कार्यो का स्तर गिरने पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह)

17. टोडारायसिंह एवं देवली में सड़कों

(श्री चतुर्भुज)

का अभाव एवं टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राज समन्द)

18. स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजसमन्द जिला उदयपुर के अपर्याप्त भवन को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

19. स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलमगरा के भवन की अधूरी बाउण्ड्री वाल को पूरा न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. रेलमगरा तहसील जिला उदयपुर के गांवों में बने हुए स्कूल भवनों के रख-रखाव पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

21. लोक निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितता तथा भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

22. सरकारी इमारतों के निर्माण में बरती गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

23. राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 (टीडी) से तहसील एवं पंचायत समिति झाडोल को जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)
श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

24. सरकार राजकीय भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

25. राजस्थान में सड़कों के निर्माण में पक्षपात एवं भेदभाव करने के क्रम में चर्चा के लिये।

26. राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

27. राजगढ़ गैंगहट (रेस्ट हाउस) की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को ठीक करने के क्रम में चर्चा के लिये।

28. पिचले 3 वर्षो से नवीन सड़कों के निर्माण में धन नहीं दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

29. तहसील राजगढ़ (अलवर) की अधूरी सभी सड़कों को पूर्ण करवाने के क्रम में में चर्चा के लिये।

30. राजगढ़ नगर की बाईपास सड़क तुरन्त बनाई जावे, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री समर्थलाल)

31. पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) के समस्त ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाये, इस पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समिति राजगढ़ के 1000 तक की आबादी में ग्रामों को सड़क से जोड़ा जाये, इस पर चर्चा के लिये।

33. पंचायत समिति रैणी (अलवर) के 1000 तक की आबादी तक के ग्रामों को सड़क से जोड़ा जाये, इस पर चर्चा के लिये।

34. पंचायत समिति रैणी (अलवर) की 26 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाये, इस पर चर्चा के लिये।

35. रामपुरा या पथरोड़ा से अकेरी-भूड़ा तथा मंडावर मोड़ तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. पाड़ा, वैरर से गढ़ी सवाईसूम नवीन सड़क का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

37. डेरा से लादिया वाया कोलपुर खेड़ा डगडगा, सैंथल बल्दपुरा नवीन सड़क निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

38. ग्राम परवैणी को झकड़ा, रैणी रोड से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. पुराना राजगढ़ से बल्लूपुरा नागल तक सड़क का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

40. राजगढ़ से जामडोली, डेरा अधूरी सड़क का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

41. रैणी से भजेड़ नवीन सड़क का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिये।

42. माचाड़ी ग्राम से बारा, चिमरावजी तक अधूरी सड़क के निर्माण न करने के बारे में चर्चा के लिये।

43. तहसील राजगढ़ की माचाड़ी से सालोली तक अधूरी सड़क के पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

44. हिण्डोन में उप जिलाधीश भवन, विभाग की लापरवाही के कारण तैयार होने से पूर्व टूट-फूट गया, इसके संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

45. परबतसर सब डिविजन में सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

46. प्राइवेट भवनों में चलने वाले

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

स्कूलों में कम किराया दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

47. कुम्हेर कस्बे में उच्च प्राथमिक शाला जो कुम्हेर के महलों में चल रही है उन महलों की हालत खतरनाक होने के कारण मरम्मत कार्य कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

48. चम्बल सिंचित क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

49. खेड़ से वागुण्डी डामर सड़क बनाने की घोषणा करने के पश्चात् अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के विषय पर चर्चा के लिये।

50. वागुण्डी से सणतरा वाया खारा-पार डामर सड़क बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

51. वागुण्डी से मलवा डामर सड़क बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

52. चांदेसरा से भीमरलाई रेलवे स्टेशन तक डामर सड़क का निर्माण कराने के विषय पर चर्चा के लिये।

53. पाटोदी से परेऊ सड़क में से एप्रोच सड़क कालेवा तक बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

54. बालोतरा से समदडी, पचपदरा से पाटोदी और बालोतरा से कीटनोद डामर सड़कों की मरम्मत के विषय पर चर्चा के लिये।

55. गिड़ा से हीरा की ढाणी ग्रेवल सड़क के डामरी-करण पर चर्चा के लिये।

56. बालोतरा से समदडी डामर सड़क में से एप्रोच सड़क सराजा ग्राम तक बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

57. जोधपुर से बालोतरा डामर सड़क में से एप्रोच सड़क पारलू व माण्डियावास डोली कला बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

58. धोव से आगोलाई वाया माण्डपुरा तहसील पचपदरा डामर सड़क का निर्माण करने के विषय पर चर्चा के लिये।

59. पचपदरा से बायतु डामर सडक में रह गई एप्रोच सड़क बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

60. कल्याणपुर से मण्डली सड़क को डामर कराने के विषय पर चर्चा के लिये।

61. भीमरलोई रेलवे स्टेशन से खट्टू ग्राम तक डामर सड़क बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम चौधरी)

62. गोल रेलवे स्टेशन से भीमरलाई ग्राम तक डामर सड़क का निर्माण कराने के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री माणक मल मेहता (पाली)

63. विकास में अभिवृद्धि के लिये सड़कों का जाल बिछाना अनिवार्य है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

64. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा के लिये।

65. खेतड़ी पंचायत समिति में लोक निर्माण कार्य किये जाने एवं अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये,

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

66. हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) बरडोद सड़कों को मेन्टेनेन्स में ना लेने पर चर्चा के लिये ।

67. सांगानेर ढीकोला सड़क को पूरी करने तथा मेन्टेनेन्स में न लेने पर चर्चा के लिये ।

68. भीलवाड़ा जिले की केकड़ी सड़क भीलवाड़ा से वाया बड़ा महुआ की स्वीकृति के विपरीत वाया बनाड़ा करने की अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

69. सांगानेर (भीलवाड़ा) की जर्जरित सड़क को ठीक ना करने पर चर्चा के लिये ।

70. भीलवाड़ा जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों में खराब वरते गये मैटीरियल के बारे में चर्चा के लिये ।

71. भीलवाड़ा के सुवाना कोटड़ी सड़क को रिपेयर करने हेतु चर्चा के लिये ।

72. भीलवाड़ा जिले में बिना स्वीकृति के विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

73. भीलवाड़ा तहसील की ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने एवं उन सड़कों पर काज वे बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

74. भीलवाड़ा-मंगरोल सड़क पर पुनः डामर करने व पेचिंग करने पर चर्चा के लिये ।

75. भीलवाड़ा की सुवाना-दांथला सड़क अधूरी को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

76. भीलवाड़ा की पांसल सड़क पर डामर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

77. दांथला-हलेड (भीलवाड़ा) सड़क पर डामरीकरण करने पर चर्चा के लिये ।

78. साकरिया खेड़ा-वरखोद (भीलवाड़ा) की अधूरी सड़क को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

79. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता, विद्युत उपखण्ड प्रथम के स्थान पर की गई नियुक्ति एवं पदोन्नति में हुयी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

80. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के नवनिर्मित छात्रावास के एक भाग के घटिया निर्माण के कारण ध्वस्त हो जाने पर चर्चा के लिये।

81. नगर परिषद् अजमेर के सार्वजनिक उद्यानों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं करने से उनकी बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

82. विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा को व्यवस्थित करने एवं ठेकेदारों तथा इन्जिनियरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के विपरीत आचरण से होने वाली हानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

83. बस्सी पंचायत समिति में राजपुरा–पातलवास ग्राम विस्तार कार्यकर्ता के लिये रोजवाड़ी में आवासगृह का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

84. बस्सी तहसील भवन के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

85. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास हेतु जयपुर में आवासगृहों का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

86. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर जिले में महादेवपुरा राजपुरा (रोजवाड़ी) एवं पालावाला जाटान में उप-केन्द्र भवनों का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

87. जयपुर जिले में एडपोस्ट वेनाड़ा के भवन के अभाव को दूर करने के लिये वेनाड़ा एडपोस्ट भवन एवं नर्सेज आवास गृहों का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

88. सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को सम्हालने या बाहर से मिलने आये व्यक्तियों के लिये बाहर शोचालय एवं स्नानगृह का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

89. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में अनेक्सी का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

90. जयपुर जिले के माइन्स बाहुल्य क्षेत्र बस्सी में जयपुर–आगरा रोड बांसखोह रेलवे फाटक से बांसखोह सड़क से झर वाया निमोरा, खोरी सड़क का निर्माण किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

91. राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में केन्टीन एवं भवन के लिये स्वीकृत कार्यों के पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

92. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा आमन्त्रित निविदा दिनांक 25 सितम्बर, 1982 द्वारा कराये गये निर्माण का कर्मचारियों द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों की जांच नहीं करने एवं भुगतान करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

93. सहायक अभियन्ता, उपखण्ड आमेर कार्यालय में फर्जी यात्रा बिल उठाने पर चर्चा के लिये।

94. सहायक अभियन्ता, आमेर द्वारा वर्ष 1983 में बिना अवकाश के यात्रा पर चर्चा के लिये।

95. आमेर के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के बावजूद जिला उपखण्ड दक्षिण सहायक अभियन्ता के पद पर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

96. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अजमेर स्थित यान्त्रिक खण्ड में की जा रही हेराफेरी एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

97. सड़कों की देखरेख व रख-रखाव के लिये बांसखोह-भूडला सड़क पर ग्राम रोजवाड़ी में पी. डब्ल्यू. डी. चौकी स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

98. राज्य में लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक खर्चे में लगातार बढ़ोतरी एवं विकास व्यय में आनुपातिक रूप से अत्यधिक कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण के अभाव में किसान को उत्पादन का पैसा पूरा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग द्वारा सड़कों के मैटीरियल की जांच के परिणामस्वरूप स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होने पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने से भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये।

101. टोंक से गहलोद, डोडगडी नानरे-सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. नेशनल हाई वे नं. 12 (टोंक) से लाम्बा तक सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. टोंक नेशनल हाई वे श्योपुरी से सारेरा सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

104. टोंक से बम्बारे, रिचन्द्रेड़ा चाकसू सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. टोंक जिले में छान से सोंखना सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. नेशनल हाई वे से डारडाहिण्डी सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. टोंक जिले से सोनवा, अरनिया भाना होते हुए नगर फोर्ट सड़क कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. डारडा तुर्की से बगड़ी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)
श्री रामनारायण डूडी (बिलवाड़ा)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री शिवदान सिंह राठोड़ (जैतारण)
श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)
श्री माणकमल मेहता (पाली
श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. मुख्य सड़कों का चौड़ा करने तथा सड़क (मुडिया, कंकरीट तथा डामर) बनाने के पहले पुलिया या रपट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

2. टोंक के बनास नदी के पुल की जीर्णशीर्ण स्थिति को ठीक नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. निवाई बोंली रोड पर निवाई के पास पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा पास के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

4. भेरून्दा से डेगाना वाया नीम्बड़ी डामर सड़क को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

5. पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से अविलम्ब जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

6. समस्त फेमिन सड़कों को सार्वजनिक विभाग के तहत मानकर मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमरपुर)
श्री असलम खां (बाली)

7. मारवाड़ जंक्शन से जोजावर तक

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

सड़क एवं पाली जिले में वरसाती नदियों पर पुल वनाने पर चर्चा के लिये ।

8. सड़कों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये ।

9. मारवाड़ जंक्शन से राणावास होकर डिगोद प्याऊ एवं सम्पर्क सड़क से सारण होकर बोरीयादा तक डामर सड़क बनाने पर चर्चा के लिये ।

10. राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के आधार पर पाली जिले के प्रत्येक पंचायत मुख्यावास को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

11. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों और पुलों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

12. चाकसू फागी रोड पर डाबिच के पास बान्डी नदी पर पुल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव)

13. जैसलमेर जिले की जैसलमेर किन्यान्याली रोड पक्की बनाने पर चर्चा के लिये ।

14. जैसलमेर व बाड़मेर जिले की फतेहगढ़ हरसोनी सड़क पक्की बनाने पर चर्चा के लिये ।

15. वाड़मेर जिले की रायसर सजनका पार सड़क पक्की वनाने पर चर्चा के लिये ।

16. वाड़मेर जिले के ग्राम सवाई-पदम सिंह से डन्ड वाया रतेऊ उमर तक डामर रोड वनाने पर चर्चा के लिये ।

17. बाड़मेर जिले के ग्राम रतेऊ काशमीर सड़क बनाने पर चर्चा के लिये ।

18. बाड़मेर जिले के ग्राम गुंगा से स्वामी का गांव पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये ।

19. बाड़मेर जिले के ग्राम खडीन से दुधवा वाया गेगाल पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

20. सूरजगढ निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों एवं पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

21. जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें एवं पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम जैन (वेगू)

22. तहसील बेगू में अधूरी सड़कों को

(श्री घनश्याम जैन)

पूरा करवाने एवं उन पर पुलियाओं का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

23. तहसील बेगू मोतीपुरा के निकट बेडल पर एवं बारोल में ब्राह्मणी नदी पर पुलियाओं का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

24. निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

25. सड़कें स्वीकृत करने में बरते गये पक्षपात से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

26. छांई नदी पर पुलिया निर्माण नहीं करने से सिकराय क्षेत्र की जनता में व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

27. नीमकाथाना, विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबला से पांवडाकलां तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

28. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के गोडावास से पुरानावास तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

29. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के चीपलाटा से शाहपुरा वाया सांवलपुरा तंवरान अजमेरी सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

30. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के हसामपुर से काला खेड़ा तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

31. डोकन से लादीकावास वाया रायपुर पाटन तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

32. खोकरा से सीहोड तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

33. पाटन (नीमकाथाना) से दलपतपुरा हरियाणा बोर्डर तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

34. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला पंचायत समिति बांसवाड़ा के अन्तर्गत त्रिपुरा सुन्दरी से छीछ वाया चोवीसा का पाडला, मनवासा सड़क को पूरा कराने में असफल रही, जिस संबंध में चर्चा के लिये।

35. बांसवाड़ा जिला के पंचायत समिति बांसवाड़ा के अन्तर्गत नवागांवा से वदरोल वाया गणाऊ सड़क नहीं बनने पर चर्चा के लिये।

36. सरकार बांसवाड़ा जिला के मामदा चौराहे से महेशपुरा वाया खेड़ा बड़ली पाड़ा रोड को बनाने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

37. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के पंचायत समिति पीपलपुर अन्तर्गत छोरी सरवन से फेफर सड़क को बनाने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये ।

38. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखुर के अन्तर्गत कड़छी ऊकाला से सालमगढ़ वाया कोइवाव सड़क को बनाने में विफल रही, जिसके संबंध में चर्चा के लिये ।

39. राज्य सरकार जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलपुर के अन्तर्गत दानपुर से घण्टाली वाया घोड़ी तेजपुर सड़क को बनाने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये ।

40. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में हर पंचायत को बड़ी सड़क से जोड़ने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये ।

41. बांसवाड़ा जिला के अन्तर्गत, लीमथान से सायरीया सड़क को नहीं बनाने से आम लोगों को होने वाली तकलीफ के संबंध में चर्चा के लिये ।

42. राज्य सरकार बासवाड़ा से दाहोद रोड पर ग्राम बोखट में पुल बनाने में विफल रही, जिस सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

43. राज्य सरकार जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति बागीदोरा के अन्तर्गत बड़ोदिया से घाटीया आम्बा सड़क को बनाने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

44. भाखीदा तथा सूतनगर के पास चम्बल नदी पर पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये ।

45. लवान स्टेशन से भाखीदा सड़क बनाने पर चर्चा के लिये ।

46. पापड़ी से बड़ा खेड़ा, बांसवाड़ा एवं अरनेठा से जयस्थल, भालाभी से बराना तथा कापरेन से कोटेदा सड़कें बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)
श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

47. खनिज विभाग, जनजाति विभाग एवं कृषि विभाग व नगर पालिकाओं से सड़क निर्माण का पैसा मिलने के पश्चात् भी विभाग द्वारा काम पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव)

48. बाड़मेर जिले के मोखाग्राम की लिंक रोड का कार्य सम्पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये ।

49. बाड़मेर जिले के ग्राम मेडसर की लिंक रोड अधूरी को सम्पूर्ण न कराने के लिये चर्चा के लिये ।

50. बाड़मेर जिले के ग्राम मीबली से काशमीर सड़कें पक्की बनाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री अमीन खां)

51. बाड़मेर जिले के ग्राम तामलीदार को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

52. बाड़मेर जिले के ग्राम गढ़रारोड से सून्डा सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली)

53. बाली तहसील, जिला पाली के नागा से भीमाणा व फालना से रानी के बरसाती नालों पर पुल बनाने की चर्चा के लिये।

54. बाली जिला पाली के बलवना से बोया, मुण्डारा से लाटारा व मुण्डारा से रानी, नाना से आमलिया, नाना से भीमाणा, सादड़ी से सेवाड़ी की सड़को के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री कनक जरा मेहता (सांचोर)

55. अपूर्ण रही सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

56. फागी तहसील के नालों पर पुल नहीं बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

57. सरकार टोंक में बनास पुलिया की मयाद पूरी होने पर भी पुलिया का कार्य चालू नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

58. मुहानारोड सांगानेर से ग्राम शाईपुरिया मदोरियावाल लाखणा बासड़ी बावड़ी पहाड़िया तक सडक नहीं बनाई जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

59. पहाड़िया से ग्राम तीतरिया वाया सकतपुरा जसीगपुरा गोगीवास बाजडोजी खुमारिया बास तक सरकार द्वारा सड़क नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

60. भोजपुरिया से दतुली माधोराजपुरा तक सड़क बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

61. डीडवाना तहसील जिला नागौर में सड़कों व पुल की भयंकर खस्ता हालत के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

62. गांवों में पक्की सड़कें बनाकर मुख्य सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

63. पंचायत समिति जालौर एवं सायला में बनी पुरानी सड़कों के नदी नालों पर पुलिया बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

64. ग्रामीणों को यातायात की सुविधा

(श्री फते सिंह)

उपलब्ध कराने हेतु पक्की सड़कें बनाने में राज्य सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

65. कुशलगढ़ से भोपण घाटी तक पक्की सड़क व पुलिया बनाने में राज्य सरकार असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

66. कुशलगढ़ से ग्राम महेशपुरा वाया कोटडा तक पक्की सड़कें बनाने में राज्य सरकार असमर्थ रही इस के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री पीरूराम (टीबी)

67. टी. बी. निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पुरानी पुलियाओं के नवीनीकरण पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

68. जैसलमेर जिले में सड़कों का प्रसार किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

69. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

70. ग्रेवल सड़कों को विभाग द्वारा पक्की सड़कों में बदलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

71. ग्राम पाठन से काठूबास, ग्राम झाढन से सोतों, मांजरी कलां से निहालपुरा अपूर्ण सड़क कस्बा बहरोड़ से हमीदपुर, खोहरी बनहड़, आरोली एवं हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण करवाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

72. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

73. सरकार की घोषणा के अनुसार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

74. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में सेना के प्रशिक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

75. बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

76. कोटा जिले में रामगंजमंडी से जुल्मी सड़क पर छोटी एवं बड़ी पुलिया नहीं बनने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

77. कोटा जिले की सड़कों का मास्टर प्लान बन गया है उसके अनुसार सड़कों के निर्माण कार्य शुरू न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

78. झालावाड़ व कोटा जिले में सड़कों के रख रखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

79. झालावाड़ व कोटा जिले में पुलों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

80. पंचपहाड़ गंगधार तथा रामगंज-मंडी तहसील की सम्पूर्ण सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये ।

81. कोटा से जयपुर मार्ग पर चम्बल नदी पर बन रहे पुल में भारी घोटाले एवं धीमी गति से काम होने पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

82. दातां से रानोकी वाया दूधवा, कोछोर सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

83. चौमू चन्दवाजी रोड पर पुलों के निर्माण पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

84. जैतपुरा नदी पर पुल निर्माण करवाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

85. जिला सवाई माधोपुर में सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

86. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र में गुहाला नदी पर पुल व कोटड़ी नदी पर पुल बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

87. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

88. खण्डेला क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

89. वेजनाथ पालड़ी सड़क पर पुलिया बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

90. ग्राम उचियारड़ा नदी पर पुल बनवाकर जन-धन की हानि से बचाने हेतु चर्चा के लिये ।

91. जोधपुर से जालेली फौजदारा व कालीबेरी से माणेई तक पक्की सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

92. टोडाराय सिंह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मालाहेड़ा से भासुद्धाया, नासिं धामोर से सुद्धारिया व टोड़ा से वरद्धास महरू से कीरपाल भेरू, रीडूलिया, हमीरपुर आदि सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिते ।

श्री नाना लाल (राजसमन्द)

93. कांकरोली से रेल मगरा जाने वाली सड़क पर बनास नदी पार करने के लिये पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. रेलमगरा तहसील के गांव कुरज के पास बनास नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

95. लाड़नु तहसील में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

96. बाड़मेर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. बाड़मेर जिले की गुढा-जालौर, नाईयों की ढाणी से अरनीयाली, सरली-भाटाला, बाडमेर-गुढ़ा, सरनू से होडू तथा सिणधरी से नोखड़ा आदि सड़कों पर डामर बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

98. भीलवाड़ा जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

99. नागल से गढ़ तकनेत (सीकर) सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

100. भादवाड़ी से महरोली वाया कोटड़ी, मऊ (सीकर) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

101. श्री माधोपुर-अजीतगढ़ (सीकर) मार्ग पर अधूरे सड़क निर्माण को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

102. श्री माधोपुर से भामरड़ा (सीकर) सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

103. श्री माधोपुर से भादवाड़ी (सीकर) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

104. श्री माधोपुर से लालेटवाड़ा (सीकर) सड़क निर्माए के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

105. थोई से रूपपुरा (सीकर) सड़क निर्माण के लिये चर्चा के लिये ।

Page No 148

(148)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

106. अजीतगढ़ से हाथीदेह (सीकर) सड़क निर्माण के लिये चर्चा के लिये।

107. झाड़ली से हाथी देह वाया हरदास का बास (सीकर) सड़क निर्माण के लिये चर्चा के लिये।

108. बाई पास सड़क कस्बा श्री माधोपुर (सीकर) का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

109. खरपीना से अन्दरी सड़क का अधूरा कार्य पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

110. टीड़ी से रवां सड़क का अधूरा कार्य पूरा कराने एवं इस मार्ग में आने वाले पुलों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

111. ओडा से जावर माइन्स, जावर माइन्स से पलोदड़ा और जावर माइन्स से चनावदा, परसाद सड़कों का अधूरा कार्य पूरा कराया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

112. सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री घाराराम फुलवारिया (सिवाना)

113. बाड़मेर जिले में समदड़ी कल्याणपुर अपूर्ण सड़क को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

114. बाड़मेर जिले में समदड़ी लूनी नदी काजवे (रपट) को शीघ्र प्रारम्भ कर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (रामगढ़)

115. अधूरी सड़कों को पूरा कराने व नदी नालों पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

116. गुलपाड़ा से जुरहेरा, पलडी से वाया छीमरी बोडर हरयाना, कस्बा कामां से वाया कनखाडा कदुमकुन्डी एवं कस्बा पहाड़ी से वाया मल्लाका सामरेल आदि सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिन्डौन)

117. हिन्डोन बयाना रोड से खरेटा स्वीकृत सड़क एवं पुल नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

118. महुवा से कैला देवी रोड एवं कैली पुरा से मोठीयापुरा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जी लाल मीणा (बामनवास)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

119. सवाई माधोपुर जिले की टूटी सड़कों की मरम्मत एवं बनास नदी पर बने अपूर्ण पुल को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

120. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन तहसील की कोनरा नवातला अधूरी सड़क को पूरा नहीं करने से उस क्षेत्र के लोगों में भारी असन्तोष है, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर)

121. परबतसर में बस्सी रोड पर पुल बनाने तथा मकरी के पास पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)
श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

122. जिला बीकानेर में दातौर, जगासर की डामर सड़क को ग्राम कर्न्नीसर मंगनवाला, भूरासर, मंसेवाला व बरसलपुर तक बनाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

123. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के ग्राम मानकासर से भलूरी गोकुल, छीला कश्मीर व बरसलपुर को पक्की सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. बीकानेर से रणजीत पुरा सड़क का बीकमपुर ग्राम तक डामरीकरण कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. जिला बीकानेर में रणजीत पुरा, बरसलपुर वाया राववाला की कंकरीट सड़क पर डामर करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

126. बाड़मेर से ग्राम विसाला वाया गेई तक पक्की रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

127. चौमू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग से लिंक रोड का निर्माण तथा काजवे व पुलियाओं का निर्माण एवं अधूरी सड़कों को पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

128. स्टेट हाई वे नम्बर 19 के इटावा से इन्द्रगढ़ तक के कच्चे रास्ते को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. मांगरोल से बमोरी कलां सड़क शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. कोटा-इटावा सड़क पर इटावा के पास सूकनी पुलिया व अधूरी सड़क को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

131. मांगरोल से सीसवाली सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. पीपल्दा क्षेत्र की रजोयाठीपरी, गैंता-ठीपरी, अधाना-पीपल्दा, तथा अयाना से ठीपरी, काली सेंघ सड़कों को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. पीपल्दा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से शीघ्र जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. स्टेट हाई वे नम्बर 19 पर चम्बल नदी पर शीघ्र पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. कोटा-ग्वालियर वाया खातौली, श्योपुर मार्ग पर खातौली के पास पार्वती नदी पर बनी पुलिया की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. कोटा—ग्वालियर मार्ग वाया खातौली, श्योपुर मार्ग में पड़ने वाली काली सिंध एवं पार्वती नदी की पुलियाओं को ऊंचा उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. खातौली से गुढ़ला सड़क मार्ग पर पार्वती व चम्बल नदी पर पुलिया या रपट बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. इन्द्रगढ़ से ठीपरी सड़क का शीघ्र निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. इन्द्रगढ़ से सवाई माधोपुर एवं इन्द्रगढ़ से उनियारा सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर)

140. सेवर—हेलप सड़क में बीच में जो काजवे हैं उन पर बरसात में पानी भरा रहता है इसलिये उन्हें ऊंचा उठाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

141. भरतपुर—डीग रोड कुम्हेर कस्बे में बहुत कम चौड़ी है तथा दशा भी उसकी खराब है, इस पर चर्चा के लिये।

142. कुम्हेर सौंख सड़क की दशा खराब है, इस पर चर्चा के लिये।

143. भरतपुर गनसारा, गोवरधन सड़क ग्राम अजान के पास नीची बनी हुई है जिससे बरसात में उस पर पानी भरा रहता है वह ऊंची की जानी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

144. हेलक से ग्राम आजऊ को जो सड़क बनी है, उसमें बीच में एक पुलिया का निर्माण कई साल से अधूरा पड़ा है तथा आजऊ बान्ध के पास सड़क नीची है, पानी भरा रहता है, इस पर चर्चा के लिये।

145. कुम्हेर—पपरेरा सड़क का निर्माण कार्य अति धीमी गति से चल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

146. भरतपुर जिले में सड़कों का रख-रखाव बिल्कुल शून्य है, दशा बहुत खराब है इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (साचोर)

147. सांचोर क्षेत्र में वेडिया–खेजड़ियाली ग्रेडका, खासखी, सूथई, सूरलंद, सुराचन्द-रांपी, होथी गांव, सीवाड़ा झाव आदि अर्से से पड़ी अधूरी सड़कों को चालू कराने के सम्बन्ध में तथा खासखी व मेसूरी के बीच पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (वस्सी)

148. वस्सी—सांभरिया सड़क पर वस्सी कस्बे में डामर कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

149. बीकानेर शहर के रामपुरा बस्ती में सड़क डामरीकरण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

150. बीकानेर शहर की जो सड़कें विभाग के पास रख-रखाव हेतु हैं उनमें मरम्मत का कार्य कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

151. जिला बीकानेर के ग्राम कोलायत, गजनेर, हांडला से कोलायत देशनोक से नापासर सड़कों की मरम्मत न करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के के लिये।

152. जिला बीकानेर के ग्राम सौवा, मोरखाना, सिन्दू, बेरासर, व बच्छासर से से बरसिंगसरमुगाढवाला से किलचू, केशरदेसर जाटान. केसरदेर बोहरान, बेरास तक व कोटड़ी, हिम्पतासर, बीकानेर से सुरधणा, सुरधणा से आम्बासर, व आम्बासर से उदयरामसर रेलवे स्टेशन तक ग्रेवल सड़कों की मरम्मत कर डामरीकरण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

153. जिला बीकानेर के ग्राम मोटावतां से खारी, अकासर, से चौढ़ासर नाईयों की वस्ती, कोटड़ी से मढ़, कोलासर वाई पास, भोलासर से बरसिंगसर, नोखा से झझू, पलाना से सूजासर, उदयरामसर से अम्बासर, गीगासर, जोहड़बीड़ सुरधणा, केशरदेसर बोहरान, केशरदेसर जाटान की ग्रेवल सडकों की मरम्मत कर डामरीकरण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. जिला बीकानेर के ग्रामगुड़ा से लाखासर, चौडासर से चानी व भोलासर से भोजुसर सड़क बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ाम-लानी)

155. बाड़मेर जिले में लूनी पर सिणधरी में पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. बाड़मेर जिले में गुड़ा जालौर सड़क पर रपट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवारिया (दूदू)

157. क्षेत्र की अधूरी पड़ी हुई सड़कों के सम्बन्ध में नेशनल हाई वे नं. 8 से साबरदा नारायना मरवा सड़क को गारोता मौजयाबाद सड़कों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी)

158. राजकीय उच्च मार्ग संख्या 2 के करोली से धोलपुर तक अत्यधिक खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. बाड़ी सरमथुरा रोड बामजी नदी पर पुल बनवाने की चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

160. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र मनोहरथाना की ल्हास-लसोड़िया शाह सड़क के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र मनोहरथाना की मनोहरथाना-हरनावदा सड़क के निर्माण के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र की 45 ग्राम पंचायत में से 30 ग्राम पंचायत क्षेत्र सड़कों से जुड़ा हुआ न होने से क्षेत्रीय जनत में व्याप्ता असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

163. जिला बीकानेर में सड़कों पर गति रोधक सही तकनीक व एकरूपता से नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

164. उदयपुर के जावर माता बस स्टेण्ड से स्कूल जाने के लिये नदी पर पुलिया या रपट निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

165. ओगण से कूकड़ा घाटा, सोम का घाटा की सड़कों का विभाग द्वारा निर्माण नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

166. कमोल पंचायत कमोल तहसील गोगुन्दा की पुलिया व सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

167. उदयपुर से राणकपुर घाटा को चौड़ा करके दुर्घटनायें टाली जा सकती हैं, इस पर चर्चा के लिये।

168. सड़कों और पुलिया में घटिया सामग्री उपयोग कर राज्य सरकार को दिये गये नुकसान पर चर्चा के लिये।

269. विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के कार्यों में अनियमितताओं और व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

170. गोगुन्दा से भारोडी वाया काछ बाकी सड़क का कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये।

171. नेशनल हाई वे नं. 8 के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(श्री मेघराज तावड़)

172. नेशनल हाई वे नं० 8 उदयपुर से रतनपुर रोड पर उन्डावाला पर वन वे पुलिया ,निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

173. गोगुन्दा, झाडोल कोटडा आदिवासी इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये ।

174. गोगुन्दा से झाडोल वाया बगडून्दा रोड का अविलम्ब प्लान में लिया कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

175. विषमा से गोरिया गोगुन्दानी उदयपुर रोड पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

176. गोगुन्दा से झाडोल वाया ओगणा रोड की पुलिया सहित पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये ।

177. गोगुन्दा से रावलिया ढोल कमोल पानेर, कडवा सड़कों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

178. अकाल में बनी सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनको प्लान में सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

179. पंचायत समिति खेतड़ी के छोटे-छोटे पुलों का निर्माण किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

180. पंचायत समिति खेतड़ी में सड़कों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

181. जालौर जिले में एस..आर. (स्पेशल रिपेयरर्स आफ रोड) के तहत आवंटित धन राशि के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये ।

182. जालौर जिले में सड़कों एवं पुल पर किये जाने वाले व्यय में भारी अनियमित त बरतेजाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

183. भीलवाड़ा की सांगानेर-ढीफोला सड़क पर रलावट बनाने पर चर्चा के लिये ।

184. सोमरिया खेडा-बरडोद सड़क (भीलवाड़ा) में मोदूकोटा के पास कोठारी नदी पर काज वे बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

185. भीलवाड़ा की आमली पुरावतान सड़क को चित्तोड़ जिले से जोड़ने हेतु कलवर्ट का निर्माण करने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

186. जिला बीकानेर की बीकानेर-

(श्री देवी सिंह भाटी)

रणजीतपुरा सड़क को राववाला, वरसलपुर तक गत बीस वर्षों से बनी कंकरीट सडक का डामरीकरण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

187. बीकानेर से रणजीतपुरा सड़क को बीकमपुर तक डामरीकरण कर जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

188. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम बज्जू से मिठड़िया, ग्रांधी, गिरजासर सड़क निर्माण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

189. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा से सांखलों की बस्ती से रणजीतपुरा कोलायत सड़क से जोड़ने की चर्चा के लिये।

190. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुडा की सड़क से लाखासर, पाबसर, सिन्दुका, राणासर, धुरजड़ा सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

191. जिला बीकानेर में राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 837 से शेरूवाला, बिजेरो. भलूगी, गोकुल, छीला, कश्मीर, बरसलपुर ग्राम सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

192. जिला बीकानेर में दंतोर, जगासर, सड़क करनीसर मगनवाला, भरासर, मूगेवाला. वरसलपुर ग्राम तक जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

193. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों व पुलों के बनाने में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

194. भीलवाड़ा जिले की सड़कों व पुलों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

195. भीलवाड़ा की वरडोद सड़क पर जर्जरित कलवर्ट को ठीक कराये जाने पर चर्चा के लिये।

196. भीलवाड़ा जिले की सभी फेमिन में बनी बड़ी सड़कों पर सोलिंग लगा कर डामर कराने पर चर्चा के लिये।

197. भीलवाड़ा के आमली पुरावतान गांव के बाहर बड़े नालों पर पुल बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

198. सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सुजानगढ़-गोपालपुरा रोड के बीच पड़ने वाली नदी पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

199. पंचायत समिति खण्डार क्षेत्र के गन्डावर रोड पर ठेकेदार को एक लाख के करीबन फर्जी पेमेन्ट कर सरकारी धन का गोलमाल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हंसराज शर्मा)

200. भगवत गढ़ सुखाल रोड के मध्य से ग्राम पंचायत तक रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. ग्राम श्याम पुरा से भुरी पहाडी डूंगरी तक रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. सवाई माधोपुर, गंगापुर रोड पर मोरम डलाने में ठेकेदार द्वारा फर्जी भुगतान करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. तहसील बौंली में अकाल राहत कार्यों में बनी सभी रोडों पर लाखों का मैटीरियल पड़ा है तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु इस सड़क को विभाग के अधीन दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

204. नफ्ची घाटी नायला रोड के मस्टररोल नं. 3596 तथा रामगढ़ रोड के मस्टररोल नं. 3581, 3590, 3591, 3860, 3868, 3869, 3874, 3875, 3570, 3573, 3936 कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरोध के बावजूद सहायक अभियन्ताओं द्वारा फर्जी मस्टररोल भरकर बिना पास किये भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

5. उपखण्ड आमेर के सहायक अभियन्ता द्वारा मस्टररोल नं. 3980, 3981, 3982, 3983 फर्जी भरवाकर फर्जी भुगतान उठाया गया, इस पर चर्चा के लिये।

206. उप-खण्ड आमेर के सहायक अभियन्ता द्वारा मस्टररोल न. 3880, रामगढ़ रोड के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

207. उपखण्ड आमेर के सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी सीमेन्ट का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

208. रामगढ़ रोड के निर्माण में मस्टररोल न. 3977 से 3979 एवं 3985 से 3996 तक फर्जी मस्टररोल भरकर की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये :

209. वर्ष 1982 में रामगढ़ रोड के निर्माण के लिये डिपार्टमेन्ट के क्रेशर का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

210. नेशनल हाई वे न. 8 पर अजमेर के समीप घूघरा घाटी स्थित हेलीपेड से ब्यावर रोड 5 को मिलाने वाले बाईपास के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

211. अजमेर में तारागढ़ सम्पर्क सड़क के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

212. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वेरी पंचायत समिति पिपरासी को सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये ।

213. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तारपुरा, जिसकी जनसंख्या चार हजार से अधिक है, को सड़क से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

214. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिहासन, जिसकी जनसंख्या तीन हजार से ऊपर है, को सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये ।

115. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय चेकपुरा-चारणका वास को सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये ।

216. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय चन्दपुरा को सड़कों से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये ।

217. सीकर से खंडेला उप तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय को सीकर से उदयदास की ढाणी, दुल्हाकीढाणी, चाटन का वास, सांगटवा, पलसाना बराल बराल, गुढ़ा, एवं श्यामगढ़ होते हुए खंडेला तक जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

218. सीकर विधान सभा क्षेत्र स्थित भारतबर्ष में सिकराय माता के नाम से प्रसिद्ध महान पूजास्थल शाकम्भरी देवी के मन्दिर तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

219. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय राजपुरा, जिसकी जनसंख्या करीब 2 हजार से अधिक है, को राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 से पलसाना ग्राम से सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

220. सीकर विधान सभा क्षेत्र की के ग्राम पंचायत मुराठडा ग्राम को पलसाना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

221. सीकर नगर से बीकानेर और पिलानी राजमार्गों पर बाईपास बनाना कई वर्षों से स्वीकृत है परन्तु अभी तक बाईपासों का निर्माण न होने पर चर्चा के लिये ।

222. सीकर नगर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के बंगले के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

223. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथ गढ़ में आने वाली नदी पर आवागमन हेतु पुल बनाने पर चर्चा के लिये ।

224. कस्बा मण्डावा में झुंझुनू-फतेहपुर बाई-पास सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

225. पंचायत समिति आमेर में ग्राम पंचायत सिरसली के मुख्यालय को सम्पर्क

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

सड़क से जोड़ने के लिये ताखरों की ढ़ाणी तनबिहारीपुरा से सिरसली सड़क का निर्माण किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

226. तूंगा-लवाण सड़क पर छोटी-छोटी पुलियाओं का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

227. जयपुर-आगरा रोड से बेनाड़ा सड़क, जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गयी थी, को ठीक करवाने, डामर करवाने तथा सम्भावित दुर्घटना से यात्रियों को बचाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

228. जयपुर-आगरा रोड बांसखोह रेलवे फाटक से बांसखोह रोड पर झर की नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

229. जयपुर-आगरा रोड से बस्सी रेलवे स्टेशन की सड़क पर शारण नदी पर पुल बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

230. बस्सी एवं चाकसू में तीव्र गति से सड़कों का निर्माण कर सड़क सुविधा सुलभ कराने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

231. तूंगा से कोटखावदा सड़क की मरम्मत एवं रिकार्पेट कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

232. जयपुर-आगरा रोड से जटवाड़ा एवं जटवाडा रेलवे स्टेशन की दोनों सड़कें जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, की आवश्यक मरामत कराये जाने व सड़क में लगने वाले कटाव को रोकने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

233. जयपुर जिले में एक लाख की जन संख्या पर केवल 63·05 कि. मी. सड़क ही बनने से जिले की जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

234. अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अर्द्ध निर्मित सड़क जटवाड़ा से बड़वा कृषि फार्म वाया टहटड़ा, पड़ासोली, बड़वा सड़क कार्य पूर्ण कराने एवं डामर कराने के संदर्भ चर्चा के लिये ।

235. जयपुर आगरा रोड बस्सी चक से कस्बा बस्सी सड़क को चौड़ी कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

236. जयपुर आगरा रोड बस्सी चक से कस्बा बस्सी रोड पर पानी के निकास के लिए नाली का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिए ।

237. पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के कार्यक्रम के अन्तर्गत तूंगा से बाड़ा पदमपुरा वाया दैनाऊकलां देवगांव सांभरिया सड़क का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

238. चाकसू से दौलतपुरा वाया गरूड़-वासी, ठोकरियागुजरान को प्राथमिकता देकर बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

239. जटवाड़ा से भूडला वाया पाटन तिलपट्टी को पूर्ण करने एवं डामर करवाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

240. भारत सरकार की सहायता से विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने वाली पंचायत समिति बस्सी द्वारा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के संदर्भ में चर्चा के लिए ।

241. बांसखोह-भूडला सड़क पर माइलेज पत्थर पर गलत दूरी अंकित करने पर चर्चा के लिये ।

242. बस्सी से साम्भरिया एवं साम्भरिया से चाकसू का निर्माण यथा शीघ्र कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

243. बांसखोह-भूडला सड़क पर बरसात से लगे कटाव को रोकने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

244. बस्सी से साम्भरिया वाया कंचोलिया सड़क का निर्माण कराने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

245. जयपुर-आगरा रोड पर जटवाड़ा नदी पर तकनीकी दृष्टि से नदी के पानी के निकास हेतु नया पुल बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

246. बस्सी-देवगांव सड़क कार्य गत तीन वर्ष से भी पूर्ण नहीं कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

247. जयपुर जिले की सड़क बांसखोह भूडला पर रोजवाड़ी ग्राम में 13 फर्लांग अधूरी सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिए ।

248. कानोता-साम्भरिया एवं बांसखोह-भूडला सड़कों के निर्माण में किसानों की आयी कृषि भूमि का मुआवजा लम्बे अर्से के बाद तक न दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

249. करोली, गंगापुर, लालसोट से जयपुर आने वाले यात्रियों एवं वाहनों को वाया दौसा होकर लम्बी यात्रा को कम करने के लिये तूंगा-रामगढ़ पचवारा रोड के अपूर्ण कार्य को पूरा कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

250. 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम गरूडवासी तहसील चाकसू जिला जयपुर को सड़क से जोड़ने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

251. 1971 की जनगणना के अनुसार 1600 से अधिक की आबादी के ग्राम वडवा तहसील बस्सी जिला जयपुर को सड़क से अब तक न जोड़ने के क्रम में चर्चा के लिये ।

252. अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अर्द्ध निर्मित सडक साम्भरिया से कोटखावदा सड़क को डामर रोड बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

253. पंचायत समिति सांगानेर में पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से जोड़ने

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

के लिये जयपुर-टोंक रोड 10 मील से दाधिया वाया कल्यावड ब्राह्मणों की गंवार सड़क का निर्माण किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

254. वस्सी पंचायत समिति में पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से जोडने के लिए देवगांव से काशीपुरा सम्पर्क सडक का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

255. पंचायत समिति चाकसू में पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए तूंगा-कोटखावदा सड़क से महादेवपुरा एवं कोटखावदा से खेडारानीवास का निर्माण करवाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

256. कानोता–सांभरिया रोड पर रतनगंगा नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

257. अकाल राहत कार्य में अर्द्ध निर्मित सड़क पाटन से मटेरी को पूर्ण कर पंचायत मुख्यालय को संपर्क सड़क से जोड़ने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

258. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अर्द्ध निर्मित सड़क बांसखोह-लवाण रोड़ से राजपुरा-पातलवास को पूर्ण कर पंचायत मुख्यालय को संपर्क सड़क से जोड़ने के संदर्भ में चर्चा के लिए ।

259. चाकसू-कोटखावदा सड़क पर ढूढ नदी में रपट बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

260. अर्द्ध निर्मित सड़क तूंगा-रामगढ़ रोड से अणतपुरा का कार्य पूर्ण कराकर पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के क्रम में चर्चा के लिये ।

261. तूंगा-लवाण सड़क माधोगढ़ 2 कि.मी. सड़क पर डामर करवा कर पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

262. एक लाख की जनसंख्या पर राज्य की औसत सड़कें 135.49 कि.मी. के समकक्ष लाने के लिये सड़कों का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

263. देव गांव से कोहल्या वाया काशीपुरा, रांढोली एवं जयपुर-आगरा रोड से चावड़िया वाया श्यामपुरा सड़कों का निर्माण कराये, जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

264. भटेरी से हंस महल वाया कानेटी, खेड़ेलाबास एवं जयपुर गोनेर रोड से बूडथल सम्पर्क सड़कें बनाकर पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

265. कोटखावदा से झोपदा वाया देहलाला का निर्माण कर पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़े जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

266. धूला से जयपुर-आगरा रोड वाया बड़वा, पड़ासोली नांगल बैराठी का कार्य तीव्र गति से बरसात से पूर्व कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

267. रोजवाड़ी--माधोगढ़ सड़क से दूबली बांध सड़क का निर्माण किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

268. बस्सी चक से चांवड़ियां अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

269. सड़कों की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें बस्सी से जीतावाला, बस्सी देवगांवा सड़क पीलिया से खेतपुरा, बस्सी-देवगांव सड़क से पालावाला जाटान, बस्सी-तूंगा सड़क गढ़ से करणगढ़ का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

270. कानोता से बेनाड़ा वाया हरड़ी-घाटी, कानोता-नायला रोड से रामरतनपुरा कानोता-सांभरिया सड़क से फाल्यावास, कानोता सांभरिया सड़क से पालावाला जाटान, कानोता-सांभरिया सड़क से गोनेर, बस्सी से दूधली वाया कल्याणपुरा-रोहतास-पुरा सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. बस्सी से नई का नाथ बांसखोह वाया बिराजपुरा, चरणवास, रायपुरा गुढ़ा एवं तूंगा-लवाण सड़क माधोगढ़ से अणत-पुरा वाया विहारी पुरा सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. बांसखोह से नई नाथ महादेव क्षति ग्रस्त सड़क का सुधार कार्य करवाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

273. बसवानी से गुढ़ा भगवानदा, माचला से पाचोड़ी नागौर से चून्टीसरा साइजी का टांका तक प्रस्ताव फिडोद से थिरोद, कडलू, मुन्दिमाड, सेनणी असावरी तक सड़कों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

274. खांवसर से बराथल तक डामर सड़क एवं मेड़ से बराथल मुडिया सड़क की स्वीकृति दी जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

275. मचींद से फतहपुर के बीच एक पुलिया के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

276. नाथद्वारा–सांचों का खेड़ा, नाथद्वारा, मचींद की कच्ची सड़कों पर पुलियाओं की स्वीकृति नहीं होने से वर्षा ऋतु में आवागमन अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

277. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव खमनोर एवं मोसेसा के बीच बनायी गयी अधूरी पुलिया को अविलम्ब पूर्ण कराने

(श्री सी. पी. जोशी)

की चर्चा के लिये।

278. पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

279. मास्टर प्लान में प्रस्तावित जिला परिषद से अनुमोदित विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु अविलम्ब वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

280. जयपुर जिले के मानपुरा कलां गांव से साइवाड, बड़े कस्बे को जोड़े जाने वाली लिंक रोड, जो मात्र 5 किलोमीटर कच्ची है, बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में चांवड के मण्ढ से नायला तक बनाई जा रही रोड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

282. जयपुर नगर की सड़कों के रख-रखाव में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

283. कूडा, नटाटा, कूकस, साइवाड नीम्बीरायसर रोड के ही कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. जयपुर स्थित घाटगेट आगरा रोड पर स्थित नाहर सिंह जी की पुलिया, जो 81 की बाढ़ में टूट कर बह गयी थी, आज तक न बनाये जाने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

285. बाढ़ में टूटे जयपुर नगर के पुलों की व्यवस्था न सुधारे जाने से नागरिकों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

286. जयपुर नगर के मोहल्लों डाकोतान के पुल को मण्डी खटीकान से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. एशियाड के समय में गलत व्यक्ति के द्वारा सड़कों का काम कराये जाने से मानदण्ड के अनुसार कार्य न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

288. निर्माण के कार्यों में मानदण्ड के अनुसार मैटीरियल न लगाये जाने तथा सड़कों को पास कर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. जमवारामगढ़ पंचायत समिति के द्वारा से नायला व लाली से नायला वाया पापड़-रूपवास की लिंक रोड्स को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. जमावारामगढ़ कस्बे की सड़क व नालियों की दशा ठीक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. जयपुर के जमवारामगढ़ गांव से डेढ़ मील दूर मुख्य सड़क से साऊ गांव तक

(श्री मती उजला अरोडा)

सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

292. नायला कस्बे की सड़क को ठीक कराये जाने व नालियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

293. आगरा रोड पर दौसा तक बन रही सड़क पर धीमी गति से किये जा रहे कार्य से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

294. जयपुर नगर में बाढ़ 81 की क्षति ग्रस्त सड़कों को न सुधारे जाने एवं टूटी सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिये ।

295. आमेर रोड से कूकस के पास से अजबगढ़ होते हुए नटाटा रोड से एक नई सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

296. प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी, दलोट सालमगढ़ व अरनोद पीपलौदा गौतमेश्वर सड़क में अवाप्त खातेदारी भूमि का कृषकों को मुआवजा अब तक नहीं चुकाये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

297. बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सड़क पर चौकीदार विभागद्वारा अब तक स्थायी नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

298. राज्य में सड़क निर्माण में बनवाये गये मास्टर प्लान के अनुसार हर पंचायत समिति क्षेत्र में 15 या 20 किलोमीटर सड़क बनवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

299. सवाई माधोपुर शहर में प्रवेश द्वार से शहर तक रोड काफी तंग होने तथा भारी वाहनों के निकलने में असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

300. खण्डार तहसील में ग्राम गन्दावर से गोण्डा रोड के सम्बन्ध में गलत भुगतान किया गया है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

301. स्टेशन सवाई माधोपुर से बनाये जा रही लिंक रोड सवाई माधोपुर को अधिकारियों की लापरवाही से पूर्ण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

302. बनास नदी सवाई माधोपुर पर जो पुल बनाया गया है जिस का एक पोल

(श्री हंसराज शर्मा)

ठेकेदार द्वारा छोडा गया है उस को विभाग द्वारा बनाया गया है उस में भारी भ्रष्टाचार किया गया है उस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

303. सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ रोड बनायी गई है उस में चार इन्च की लम्बाई एक इन्च रोडी कुटाई करा कर फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

304. सवाई माधोपुर में कई रोड बना गई हैं परन्तु उनका मुआवजा आज तक भी नहीं दिया गया है उस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

305. तहसील दौसा के ग्राम सहदा से खवा रावजी तक की रोड पर बोलदर बिछाने के बाद से उस रोड का कोई काम नहीं किया गया है जिससे आम जनता को तथा बसों को चलने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है, उस संबंध में चर्चा के लिये।

306. तहसील दौसा के ग्राम अहूदा से ग्राम पंचायत खवारावजी तक जो रोड बनायी जा रही थी उसका कार्य बन्द कर दिया गया है उस को चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल (खंडार)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरु)

307. बनास एप्रोच रोड सवाई माधोपुर में ग्राम इव्वी के लोगों को फर्जी भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

308. सांगानेर के विधानी-गोनेर मार्ग पर बाढ़ से वहुत वडा नाला बन जाने से इस मार्ग पर वाहनों व व्यक्तियों का आना मुश्किल हो रहा है अतः इस मार्ग के सुधार की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

309. झुन्झुनू जिले की उदयपुवाटी तहसील के दो हजार से अधिक की आबादी के पंचलगी, बांगाली, सराय, धमोरा, वामलास, केड-खटकड, ककराना, इन्द्रपुरा पंचायत मुख्यालयों को सडकों से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

श्री भैरू लाल भारद्वाज (रामगढ़)

श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली)

श्री. सी. एल. कंवरिया (दूदू)

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट)

310. एक लाख की जनसंख्या पर राज्य में सडकों का औसत 135 कि. मी. कच्ची-पक्की सडकों के मुकाबले जयपुर जिले का औसत 65 कि.मी. होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. सड़कों के विकास की दृष्टि से जयपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर वर्ष 1984-85 में अधिक सड़कों की किर्माण करा कर अन्य जिलों के समकक्ष लाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

312. सड़कों एवं पूलों के निर्माण में योजनानुसार कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

313. टोंक जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण में काम आने वाले सामान के पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

314. टोंक जिले में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. टोंक का बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

316. नेशनल हाई वे न. 12 पर बनास नदी पर नये पुल का शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

317. टोंक बनास नदी के पुल का समय समाप्त होने से जगह जगह क्रेक हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा)

1. शराब व अन्य मादक पदार्थों के ठेके देने में बरती जा रही अनियमितताओं से सरकारी कोष में हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

2. राज्य उत्पादन शुल्क की चोरी होने, विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसे रोकने की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

3. मद्य निषेध प्रणाली पुनः लागू किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

4. अजमेर नगर में 2 वर्षों के लिए पांच होलसेल दुकानों के बजाय एक ही मालिक की चार फर्मों को ठेका देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

5. अजमेर नगर के ठेकेदारों द्वारा हरी शराब 9 रु. के बजाय 30 रु., केसर 48 रु., गुलाब 34 रु. बेचने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. आबकारी विभाग की ज्यादतियों तथा जहाजपुर स्थित आबकारी गोदाम का नये बाजार में निर्माण के बावत चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

7. अफीम की तस्करी से राज्य सरकार को होने वाली आय में हानि पर चर्चा के लिये ।

8. आबकारी में चोरी को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

9. गुजरात के समीप के क्षेत्र के निवासियों द्वारा कच्चा शराब बनाना तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

10. कच्ची शराब जो पिछड़े क्षेत्रों में बनाई जा रही है उसे रोकने को सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री पीरूराम (टीबी)

11. टीबी क्षेत्र में आधिकारियों की अव्यवस्था से सरकार को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये ।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

12. बहरोड़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों में नाजायज शराब निकालने एवं ऐसे अनैतिक धन्धे को बन्द करवाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

13. आबकारी विभाग एवं गंगानगर डिस्टलरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे सरकारी कोष में हानि हो रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

14. कोटा जिले की लाड़पुरा तहसील में बनाई जा रही अवैध शराब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

15. झालावाड़-कोटा जिले में अधिकारियों के सहयोग से खुले आम अवैध शराब बेचे जाने व बनायी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सरांडा)

16. नाजायज शराब बनाने के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार तथा पकड़ कर परेशान करने के बावत चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

17. राजस्थान में आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

18. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

19. टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र में आबकारी के अधिकारियों की लापरवाही से अवैध शराब निकालने के धन्धे को रोकने में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

20. आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने से रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)
श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

21. झालावाड़-पिड़ावा मोटर स्टेण्ड पर सरकारी धर्मशाला में शराब की दुकान से क्षेत्र में अशान्ति हो गई है इस पर चर्चा के लिये।

22. झालावाड़ के सिलेगढ़ ग्राम के मोटर स्टेन्ड पर शराब की दुकान लगी हुई है उसे हटाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा के लिये।

23. झालावाड़ के डग कस्बे के मोटर स्टेन्ड पर शराब की दुकान लगी हुई है उसे वहां से हटाया जाना चाहिए, इस बाबत चर्चा के लिये।

24. झालावाड़-कोटा-बूंदी तथा राज्य के कई जिलों में शराब की दुकानें मन्दिर, मोटर स्टेन्ड, स्कूलों के पास लगी हुई हैं उनको हटाया जाना चाहिए, इस बाबत चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

25. आबकारी विभाग द्वारा वसूली नहीं करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

26. प्रदेश में आबकारी वसूली में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

27. आबकारी विभाग द्वारा गांवों में दुकानों पर महंगी शराब बेची जाती है जब कि डिस्टिलरियों से सरकार सस्ती शराब खरीदती है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

28. वर्ष 84-85 को जो देशी शराब के ठेके भरतपुर-सवाई माधोपुर जिलों में हुये हैं उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

29. जिला बीकानेर के कस्बा गंगाशहर में स्कूल, मुख्य सड़क, मन्दिर के सामने विदेशी शराब का ठेका होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

30. हरिजन मोहल्लों में देशी शराब की दुकानें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (रामगढ़)

31. बांध जमवारामगढ़ पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत शराब का स्टॉक रखने व वेचे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

32. सरकारी आबकारी आय से नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

33. उदयपुर नगर की शराब की दुकानें बाजार में स्थापित की जायं न की बस्तियों में, इस पर चर्चा के लिये।

34. उदयपुर शहर के कई शराब के ठेके पर लोग बैठ कर शराब पीते हैं एवं झगड़े करते रहते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

35. नेशनल हाई वे एवं स्टेट हाई वे पर स्थापित शराब की दुकानें तुरन्त बन्द कर जन जीवन की रक्षा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. गरीब एवं आदिवासी के जीवन में सुधार शराब बन्दी से ही किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिये।

37. उदयपुर नगर में शराब की कई दुकानें विद्यालय एवं मंदिरों के पास स्थित हैं पिछले तीन वर्ष से उन्हें हटाने के जनता की शिकायतों पर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

38. मुआ की शराब बना कर बेचना अनुचित है किन्तु इसकी शराब निकालने से रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

39. कच्ची मुआ बेचने का लाइसेन्स दिया जाता है इससे मुआ की शराब बनाने को प्रोत्साहन मिलता है, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

40. जिला उदयपुर में गरीब आदिवासियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाने पर असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

41. सुजानगढ़ कस्बे में शराब के ठेकेदारों द्वारा बस स्टेण्ड व नया बाजार में लगाये शराब के ठेके के कारण आये दिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण उत्पन्न चिंताजनक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

42. भीलवाड़ा जिले में धार्मिक स्थान स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों के पास से शराब की दुकानों को हटाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

43. आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से शराब के ठेकेदार शराब की कीमत अधिक लेते हैं, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. शराब के ठेकेदारों की मिली भगत से आबकारी अधिकारियों द्वारा निरपराध व्यक्तियों को अकारण ही परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

45. आबकारी नीति की विसंगतियों तथा ठेकों की नीलामी से राज्य कोष में होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

46. बेनामी ठेकों के कारण से कुछ लोगों का इस कारोबार पर एकाधिकार से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

47. सीकर में रानी सती मन्दिर के पास शराब के ठेके से उत्पन्न असन्तोष तथा उसे वहां से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. अवैध शराब बनाने वालों की सांठ-गांठ से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

49. देशी शराब एवं विदेशी शराब के ठेकों की नीलामी में किये गये अनियमित कार्य एवं भ्रष्टाचार से राजकोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

50. जिला सवाई माधोपुर में आबकारी विभाग द्वारा अपनी दारू बेचने के लिए प्रत्येक शहर तथा पंचायतों में गलत तरीकों से दुकाने खोल कर दारू बिक्री करवाने के सम्बन्ध चर्चा के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

51. जयपुर शहर के देशी शराब के ठेके की मोतबीर जमानत प्रस्तुत नहीं होने

(श्री कैलाश मेघवाल)

के बावजूद दुकानें चलाने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

52. जयपुर जिले में शुष्क दिवसों पर पर शराब की बिक्री पर अधिकारियों की मिली-भगत से वास्तविक प्रतिबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

53. जयपुर शहर में जमवारामगढ़ एवं शास्त्री नगर की देशी शराब की दुकानें शिकायतों पर हटा देने के बावजूद भी यथा स्थिति चलाई जाने पर चर्चा के लिये।

54. जयपुर जिले में देशी मदिरा की उप दुकाने चलनें की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

55. वर्ष 1982-83 में जयपुर शहर के विदेशी मदिरा के जोन नम्बर 6 में में बकाया दस लाख रुपये की वसूली करने में की जा रही टिलाई पर चर्चा के लिये।

56. दौसा, सांगानेर, बान्दीकुई एवं दूदू की भांग एवं डोडा पोस्त की दुकानों का एक समूह बना कर ठेका देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

57. जयपुर शहर की विदेशी मदिरा के बोन्डेड बेयर हाउस में अनधिकृत शराब रख कर राज्य कोष को आबकारी कर की हानि पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

58. आबकारी विभाग द्वारा अधिकृत शराब की दुकानों के खुलने व बन्द होने के समय की शर्तों के उल्लंघन को अनदेखा करने पर चर्चा के लिये।

59. जयपुर नगर में देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें अनुज्ञापत्र की शर्तों के प्रतिकूल खुली रहने पर चर्चा के लिये।

60. जिला आबकारी कार्यालय कोटा द्वारा शराब के आठ ठेकेदारों की सवा दो लाख रुपये की जमा राशि को लौटाने में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

61. जिला आबकारी कार्यालय द्वारा इन्दौर की हल्के किस्म की भारत निर्मित विदेशी मदिरा डिप्लोमेट व अरिस्टोक्रेट दिलवाने पर चर्चा के लिये।

62. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के बिना आबकारी निरीक्षक से सहायक आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी से आबकारी अधिकारी के रूप में की गई पदोन्नति में हुये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

63. जिला आबकारी कार्यालय कोटा के क्षेत्राधिकार में खातोली की दुकान का शराब का ठेका देने में की गई अनियमिताओं पर चर्चा के लिये।

64. जिला आबकारी कार्यालय कोटा के क्षेत्राधिकार में डोडा पोस्त की समस्त दुकानें एक ही व्यक्ति को देने में की गई गड़बड़ पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

65. अंग्रेजी शराव की दुकान अन्ता, आंव एक्षं गोविन्दपुर वावड़ी जिला कोटा की अलग अलग बोली आने पर भी राज्य हितों के प्रतिकूल समूह में नीलाम करने पर चर्चा के लिये ।

66. जिला आबकारी कार्यालय कोटा द्वारा 1982–83 की बकाया वसूली में की जा रही अनियमितता व पक्षपात पर चर्चा के लिये ।

67. जिला आबकारी कार्यालय कोटा के क्षेत्राधिकार में बून्दी क्षेत्र में देशी व विदेशी मदिरा के टेण्डरों के वर्गीकरण में की गई अनियमितता से राज्य कोष को हुई हानि पर चर्चा के लिये ।

68. आवकारी विभाग द्वारा अधिकृत शराब की दुकानों पर ही बोतले खोल कर शराव वेचने व वहीं पर पीने की प्रवृति रोकने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

69. जिला आबकारी कोटा द्वारा वर्ष 1984—85 के लिये शराब को दुकानों को समूह में नीलाम कर उस कार्यवाही को दबाकर पुनः नीलामी से हुयी हानि पर चर्चा के लिये ।

70. जयपुर में भांग एवं डोडा पोस्त का ठेका अलग अलग दुकान लेने वाले तत्पर होने के वावजूद एक समूह में देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

71. जयपुर नगर एवं जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देशी व विदेशी मदिरा की दुकाने खोलने की स्वीकृति देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

72. टोंक जिले में निरोधक दल द्वारा अनियमित कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

73. निरोधक दल में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पादन शुल्क में भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

74. टोंक जिले में शराब की दुकानें मन्दिर स्कूल एवं धार्मिक स्थानों और अनुसूचित जाति की बस्तियों में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

75. अफीम एवं भांग की खरीद में विभाग में भारी अनियमितता किये जाने पर चर्चा के लिये ।

76. शराब एवं स्प्रिट की खरीद में विभाग द्वारा की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

77. जनजाति क्षेत्र में भेदभावपूर्ण तरीके से प्रोहिबिशन लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

78. जयपुर में कच्ची बस्ती गन्दी बस्तियों के समीप शराब की दुकानें खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. शराब की दुकानों पर समय सीमा का निर्धारण न होने से रात्रि के 12 बजे व दो बजे तक भी खुले रहने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

80. महात्मा गांधी की इच्छा के विपरीत राजस्थान में शराब बिक्री से सरकार के गिरते चरित्र पर चर्चा के लिये।

81. शराबबन्दी के लिये हाल ही में बनी वित्त मन्त्री की अध्यक्षता की कमेटी की बैठकें न होने तथा रिपोर्ट तैयार न होने से संकल्प की विफलता पर चर्चा के लिए।

82. राजस्थान में शराबबन्दी पुनः लागू की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. शराब की दुकानों पर अवैध शराब की खुली बिक्री होने से और नियंत्रण के अभाव पर चर्चा के लिये।

84. राज्य में मादक पदार्थों की बिक्री अविलम्ब रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. शराब के चंद व्यापारियों को ही विक्रय के ठेके दिये जाने से उत्पन्न असामाजिक तत्वों के सिर उठाने पर चर्चा के लिये।

86. शराब के पुराने ठेकेदारों के पास से विभाग की बकाया वसूली न किये जाने से राज कोष में हुई क्षति पर चर्चा के लिये।

87. शराब की आय से उत्पन्न हो रहे समाज के कुसंस्कारों पर चर्चा के लिये।

88. नीति निर्देशों की अवहेलना करके मादक पदार्थों को औषधियों के प्रयोजनार्थ ही न रख कर सीधे उपभोग कराने पर चर्चा के लिये।

89. मादक पेयों के उपयोग से मानव के गिरते स्वास्थ्य से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

90. सरकार की ओर से विद्यार्थियों को मादक द्रव्य शराब आदि से विरत करने के लिये लोक शिक्षा की स्कीम के अभाव पर चर्चा के लिये।

91. जयपुर जिले के गांवों में कच्ची भट्टी में शराब निकाले जाने से व्याप्त अन्तोष पर चर्चा के लिये।

92. शराब पीकर वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

93. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

94. नाजायज शराब निकालने की जानकारी देने, पकड़वाने के लिये हर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

तहसील में एक इन्फोर्मर बनाने व उससे गुप्त सूचना एकत्रित करने तथा इन्फोर्मर की सूचना सही मिलने पर उसे प्रोत्साहन राशि देने के क्रम में चर्चा के लिये।

95. जयपुर जिले की तहसील बस्सी, चाकसू, सांगानेर, जमवारामगढ़ में नाजायज शराब निकालने के खुल्ले व्यापार को न रोक कर सरकार को हर माह हो रही लाखों रुपये की हानि के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

96. बीकानेर शहर की पुराने पावर हाउस सड़क पर शराब का ठेका 500 मीटर के रेडियस में दो स्कूल, लेवर आफिस, बर्फ फैक्ट्री, ऊर्जा विभाग कार्यालय व फैक्ट्री हरिजन बस्ती के पास खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. बीकानेर नगर की अलखसागर देशी शराब ठेका दुकान विभागीय निर्देशों के विरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. बीकानेर शहर के चोखूंटी मोहल्ला के देशी ठेका के हरिजन बस्ती में होने से गत दस दिनों से हरिजनों द्वारा धरना देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर में नाजायज शराब की बिक्री रोकने से असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा देशी शराब के ठेकों की अनधिकृत ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांचों को बिक्री की खुली छूट देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27, 19, 21, व 13 पर विचार

श्री सभापति : माननीय सदस्यों द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे और जो वितरित कर दिये गये हैं वह उन माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये हुये माने जायेंगे।

कटौती प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ करने के लिये माननीय श्री सुजान सिंह।

श्री सुजान सिंह यादव [बहरोड़] : सभापति महोदय, आज इस विधान सभा में मांग संख्या 27, 19, 21 और 13 पर जो विस्तुत चर्चा होने जा रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं और कुछ सुझाव इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि मांग संख्या 27 है जीवन के लिये, जीवित मनुष्य के लिये परम आवश्यक है, जल प्राप्त करना। यदि जल प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य भी जिन्दा नहीं रह सकेगा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्यगण।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान राज्य है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया शांत रहें बैठे बैठे बात नहीं करें। शान्त रहें।

श्री सुजानसिंह यादव : दूसरे स्थान पर आता है, जिसका क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख किलोमीटर में आता है और जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 43 लाख है इतने बड़े प्रदेश के लिये जल की व्यवस्था करना राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी प्राब्लम है।

इस विभाग का 30 अगस्त सन् 1965 से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य संचालन हुआ करता था। वह विभाग केवल इस विभाग का एक अंग था। इतने बड़े प्रदेश और इतनी बड़ी जन संख्या के लिये एक विभाग अलग से कायम करने के लिये राज्य सरकार ने सोचा और यह तय किया गया, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आधा भू–भाग मरुस्थलीय है और जिसमें 10–11 जिले ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था आज तक भी हमारी सरकार सुचारु रूप से नहीं कर पाई है। इस लिए राज्य सरकार ने 30 अगस्त, 1965 को अलग से एक विभाग कायम किया। उस विभाग को कायम कर यह सोचा गया कि तीन सौ पचास लाख जनसंख्या के लिए जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाया जाय। इसके लिए राज्य सरकार ने तीन स्रोत कायम किये। इन तीन स्रोतों में से पहला हैंड पम्प, दूसरा टी.एस.एस. और तीसरा पी एण्ड टी, पम्प एण्ड टैंक की योजना राज्य सरकार ने निश्चित की और निश्चित करके अलग-अलग योजनाएं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी राज्य सरकार ने समस्त प्रदेश के नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने की तैयार कीं। अब इसके लिये मैं राज्य सरकार के सामने और आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये योजना किस तरह से कामयाब हों, कैसे जन जीवन को जल की सुविधायें प्रदान की जावें। इसके लिए 11 जिलों का जो इलाका है वह ऐसा इलाका है जहां बारह महीनों में दो या पांच दिन तक वर्षा होती है। अधिकतर उस इलाके के आदमी पानी के अभाव में इधर-उधर दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहले कम खर्चे वाली स्कीम को हाथ में लिया। इससे पूर्व मैं निवेदन करूं, इन गांवों में सन् 1951 से और 1980 तक राज्य सरकार ने ऐसी स्कीम बना रखी थी कि या तो जोड़ों में तालावों में पानी इकट्ठा करना या कुए खुदवाना और कुए खुदवा कर पानी गांवों में पाइप लाइन के जरिये से भिजवाना। उसमें राज्य सरकार ने कामयाब न होकर एक ऐसी स्कीम तैयार की जिसके कारण गांव-गांव में हैंड पम्प, टी.एस.एस.

(श्री सुजानसिंह यादव)

और पम्प एण्ड टैंक की स्कीमें तैयार की गई। मैं इसके बारे में आपसे निवेदन करूं कि हैंड पम्प एक ऐसी स्कीम है जिसको हर एक ग्रामवासियों ने, हर एक नगरवासियों ने पसन्द किया है। इसको सबने पसन्द किया है। इसमें कम खर्चा आता है और पानी की उपलब्धि जल्दी होती है। आज हमारे राजस्थान में बिजली के लिए त्राहि त्राहि मच रही है। बिजली कभी आती है, कभी नहीं आती है। इस तरह से राज्य सरकार ने यह तय किया कि हैंड पम्प की स्कीम को हाथ में लिया जाय। अब राजस्थान में 33,305 गांव हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार की समिति ने 24097 गांव प्राब्लमेटिक विलेजेज निश्चित किए हैं। यह तय किया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना में इन लगभग चौबीस हजार गांवों को किस तरह से पेयजल उपलब्ध कराया जाय। अब राज्य सरकार ने सबसे पहले तय किया कि जल की उपलब्धि कैसे हो, तो जो प्राब्लमैटिक विलेज थे उनके लिए तीन आधार तलाश किए गए। प्राब्लमेटिक विलेज कैसे होंगे कि कोई भी गांव जहां जल स्रोत डेढ़ मील की दूरी पर हो। दूसरा जहां 15 से 50 मीटर तक की गहराई तक के जल स्रोत हों। तीसरे जहां पर भी पानी में क्लोराइड है, फ्लोराइड है या उसमें नारू का रोग, हैजे के कीटाणु हैं। ऐसे पानी को राज्य सरकार ने यह माना कि ये प्राब्लमेटिक विलेजेज हैं इनको किस तरह से समाप्त किया जावे। इसके लिये सरकार ने सबसे पहले हैण्ड पम्पों की रेट कायम करके यह तय किया कि हैड पम्प सबसे पहले लगाये जावें। इसके पूर्व हैंड पम्पों की योजना राष्ट्रपति शासन के टाइम में भी थी जनता पार्टी शासन के टाइम में भी ये समस्यायें थीं। उन्होंने भी इस तरह के ठेके दिए। मगर राज्य सरकार के पास वित्तीय साधन नहीं होने की वजह से, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होने की वजह से ये हैंड पम्प की योजनायें कामयाब न हो पाईं। मगर उस टाइम में भी राज्य सरकार ने यह हैंड पम्प की रेट इस तरह से निर्धारित की थी कि दस मीटर तक डेढ़ सौ रुपया तय किया था राज्य सरकार ने। दूसरे ग्यारह मीटर से ऊपर के 175) रु. राज्य सरकार ने हैंड पम्पों की रेट तय की थी। यदि कहीं रोकी स्टोन हो और रेगिस्तान का जहां हिस्सा हो उसमें 240) रु. पर मीटर के हिसाब से राज्य सरकार ने तय किया था। यही रेट जनता सरकार के टाइम में भी थी और जब राष्ट्रपति शासन था उस टाइम में भी ये रेट तय थीं। इनके अनुसार राज्य सरकार ने यह तय किया कि जल्दी से जल्दी फ्रेश निविदायें मांगी जायें और निजी ठेकेदारों से काम करवाया जाये। इस प्रकार से टाइम टाइम पर राज्य सरकार ने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले पत्रों में छपवाया करवाया, उनका प्रकाशन करवाया गया ठेकों के लिए। दैनिक अखबार जो राजस्थान में प्रकाशित होते हैं उनमें भी प्रकाशित करवाया गया और इस प्रकार से ये रेटें तय की गई। मगर दुर्भाग्य की बात है, कहीं एक दो मसले हुए हैं, उसमें हमारे माननीय सदस्यों ने अनेकानेक दोषारोपण लगाये। मैं इन दोषारोपण में शामिल नहीं होकर यही निवेदन करूंगा कि जितना भी राज्य सरकार ने इन हैंड पम्पों के बारे में काम किया है वह एक सराहनीय काम है और

(श्री सुजानसिंह यादव)

जनता को जल्दी कम पैसों में पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार का हमेशा ध्येय रहा है

अब मैं आपके सामने निवेदन करूं, मेरे इलाके की बात आपके समक्ष प्रस्तुत करूं कि मेरा इलाका दो तरफ से हरियाणा प्रान्त से लगता हुआ है। वहां हर एक गांव में यह तीनों स्कीमें आज से दस साल पहले प्रचलित हैं, चालू हैं। वहां का जनजीवन इन तीनों स्कीमों से बड़ा भारी प्रभावित है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि उस इलाके के समान आने के लिए, मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमारे यहां पानी के लिए पी. एच. ई. डी. मन्त्री महोदय से मैंने बारम्बार निवेदन किया कि मेरे इलाके में जल स्रोत है और गहरा जल स्रोत नहीं है। केवल 30-35 फीट पर पानी आता है और पानी भी इतना बढ़िया है जो कि मीठा पानी है। हर एक गांव में हैण्ड पम्प की स्कीम लागू हो सकती है। मैंने पिछले सत्र में भी यही निवेदन किया था कि मेरे इलाके में टी. एस. एस. स्कीम और पी एण्ड टी स्कीम कामयाब नहीं हो पाई है। केवल एकमात्र यही हैंड पम्प हैं; लोगों ने, ग्रामवासियों ने इस हैण्ड पम्प को इतना सराहा है, मैं तो इस विधान सभा में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री श्री परसराम जी के गीत हमारे इलाके की महिलाओं ने गुणों का गीत तक जोड रखा है। गाती हैं इस पानी के लिए। पानी को इकट्ठा करने के लिये महिलायें जाती तो गीत के साथ, उच्चारण करके महिलायें हैंड पम्प से पानी प्राप्त करती हैं। हमारे इलाके की जो महिलायें हैं, मुझे गीत तो याद नहीं है, गीत की लाइन तो याद नहीं है पर मैंने सुना है कि जब भी मैं गांवों में गया हूं। कोई पांच सात गांव रह गए मेरे इलाके के जिनमें या तो टी. एस. एस. नहीं है या हैंड-पम्प नहीं है या पम्प एण्ड टैंक की सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है। मेरे इलाके में ज्यादातर हैंड पम्प लगे हैं। हैंड पम्पों में मुझे यह मालूम पड़ा कि हैण्ड पम्प की बढ़ियां स्कीम है। कब भी कहीं राज्य सरकार की तरफ से यह प्रपोजल आए हैं, मैंने जहां भी कोशिश की तो हैण्डपम्पों लिए के कोशिश की है। हैंड पम्पों में कई गलति हुई हैं जिसको मैं मानता हूं लेकिन मेरे इलाके में मेरे ख्याल से 98 पर्सेंट या 97 पर्सेंट हैंड पम्प हमेशा चालू रहते हैं। इनका रखरखाव है। हमारे यहां बिजली की उपलब्धि है। हमारे गांवों के आदमी भी इस मामले में ज्यादा होशियार हो चुके हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार रुपये का खर्चा आता है। केवल एक वाशर खराब होता है। यदि वाशर तीन रुपये या चार रुपये का लगा दिया जावे तो हैंड पम्प इतने स्मूथली चलते हैं। कि पांच साल का बच्चा भी एक हैंड पम्प से पानी भरकर घर पर ला सकता है। इतने स्मूथली चलते हैं, इतने हल्के चलते हैं, इनका रखरखाव इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया स्कीम है। आसपास के गांवों में, हरियाणा के गांवों में भी इससे बढ़िया स्कीम मैं नहीं मानता। मेरे इलाके में 98 पर्सेंट या 97 पर्सेंट आज भी हैण्ड पम्प कामयाब हैं। दो तीन पर्सेंट जो हैण्ड पम्प

(श्री सुजानसिंह यादव)

हैं वह इस आधार पर खराब हैं कि या तो आपस की पार्टीबन्दी है गांव में, या गांव में यह हैण्ड पम्प हमारे घर के सामने लगाना चाहिए या हमारी हवेली में लगना चाहिए या हमारे मोहल्ले में लगना चाहिए, इस पार्टीबाजी की वजह से दो या तीन पर्सेंट हैण्ड पम्प खराब हैं। इस बारे में ज्यादा न कह कर मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि हैण्ड पम्प की जो स्कीम है वह कामयाब है, समय के अनुसार है, कम खर्चीली है और हर इलाके ने उसको पसन्द किया है।

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पांच सात जो मेरे इलाके के गांव बचे हुए हैं, वहां हैण्ड पम्पों को ज्यादा तरजीह देकर मेरे इलाके में पेयजल की उपलब्धि कराने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें।

अब मैं आपसे निवेदन करूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हैण्ड पम्प के मामले में बड़ा जबरदस्त घोटाला है। माननीय सदस्यों ने यह नहीं सोचा कि ये जो हमारे गांवों में प्राइवेट हैण्ड पम्प लगाते हैं उसमें पांच छः हजार रुपये खर्च आता है और वह हैण्ड पम्प भी किस किस्म का है, मैने उस हैण्ड पम्प को भी देखा है कि वह हैण्ड पम्प किस किस्म का हैण्ड पम्प है। वह केवल दस पन्द्रह बीस फेमिली मैम्बर्स के लिए कामयाब हो सकता है, ज्यादा फेमिली मैम्बर्स के लिए कामयाब नहीं हो सकता। उसके मुकाबले में हमारे ये जो हैण्ड पम्प लगे हैं ये इतने स्मूथली चलते हैं कि तीन सौ, चार सौ परिवारों के लिये पानी उपलब्ध कराया जाता है।

(2.00 म. प.)

मेरे इलाके में मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया जहां भी हैण्ड पम्प लगे हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत को, गाँव के मुखिया आदमियों को इकट्ठा किया और मैंने कहा कि मैंने आपके गांव में हैण्ड पम्प स्वीकृत कराये हैं, अब आप लोगों की यह ड्यूटी है कि जहां भी कोई ठेकेदार आये, आप उस हैण्ड-पम्प को अपना हैण्ड पम्प मानकर लगवायें। हैण्ड पम्प में कहीं ठेकेदार गड़बड़ी नहीं कर जाय, वह जो बोर करेगा वह पक्का बोर होना चाहिए उसमें पाइप लाइन शुरू से आखिर तक लगनी चाहिए, हैंड पम्प का ठेकेदार जिसमें चोरी नहीं करता है, यदि पाइप लाइन सही डल जाये और चालीस फीट या पचास फीट में पानी मिल जायेगा तो मैं कह सकता हूं कि यह हैंड पम्प पचास साल तक खराब नहीं होने वाली स्थिति में है बशर्ते कि उसका पानी बढ़िया हो। अगर उसमें खारा पानी होता है या साल्टिश पानी होता है तो पाइप लाइन मे सुखार हो जाता है, यदि सुराख हो जाये तो मशीन काम करना बन्द कर देती है। मशीन में कहीं गड़बड़ नहीं है, केवल पानी अगर खारा होता है तो उसमें पाइप लाइन जो अन्दर डलती है उसमें छेद हो जाते हैं, इससे हैण्ड पम्प काम नहीं करता है। यदि हैण्ड पम्प को गलत बतायें, तो निर्मूल बात है, निराधार बात है। हैण्ड पम्प बहुत बढ़िया चीज है। बहुत

(श्री सुजान सिंह यादव)

स्मूथली चलता है। इसलिए मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके यह कहा कि इसमें गलती न हो पाये। इसी कारण मैं वहां का विधायक होने के नाते, सजग होने के नाते, गांव-गांव में जहां-जहां भी हैण्ड पम्प खुदे हैं वहां मौके पर रहा हूं, मैंने ठेकेदारों को भी काम करते हुए देखा है, गांव वालों से पूछताछ की है कि इस हैंड पम्प में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं रही है। इसलिए मैं इस उद्देश्य से, भावना से कह सकता हूं कि हैण्ड पम्प स्कीम है राजस्थान के लिए और मेरे इलाके के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। मैं ज्यादा नहीं कह कर इतनी बात कह सकता हूं कि नगरीय क्षेत्रों में भी जहां भी मेरे इलाके में बड़े-बड़े गांव हैं, कस्बे हैं, जैसे बहरोड़ म्यूनिसिपल का एरिया है वहां भी हैंड पम्प ज्यादा कामयाब हुए हैं। राज्य सरकार ने टी. एस. एस. स्कीम चालू कर दी, मोटर लगवा दी, कनेक्शन कर दिया मगर दुर्भाग्य की बात है कि बिजली कभी समय पर आती है, कभी नहीं आती है, कभी सही आती है, कभी गलत आती है। उससे मोटर जल जाती है। ग्राम पंचायत के पास इतना धन होता नहीं। एक हजार रुपये की मोटर होती है, जल जाती है, गांव में पैसे नहीं होते हैं, प्रायोरिटी बेसिस की यह स्कीम मृत प्राय: हो चुकी है गांव वालों के पास पैसा नहीं होने की वजह से। राज्य सरकार ने तो जो उपलब्धि करानी थी वह करवा चुके। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प स्कीम एक बहुत बढ़िया स्कीम है जैसे हमारे इलाके में अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है और इलाके के लिये तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कितनी गहराई में पानी होगा, जहां पर पचास मीटर तक पानी की गहराई है, यह हैण्ड पम्प अच्छी तरह से सुचारु रूप से चालू हो सकता है। यह मेरे विचार हैं, यह मेरे अपने इलाके की बात कह रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हैण्ड पम्प की स्कीम है, मेरे ख्याल से उस वक्त हैण्ड पम्प लग रहे होंगे, जैसा मैंने अर्ज किया है, आपने गौर नहीं किया, यदि हैण्ड पम्प अच्छी तरह से लग जाते तो कामयाब हो सकते थे।

अब मैं निवेदन करूं इस मांग संख्या पर तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में सबसे ज्यादा हैण्ड पम्प कामयाब हुए हैं और हैण्ड पम्प कामयाब होने का कारण सिर्फ यही है, वहां का विधायक, वहां के जन-प्रतिनिधि, वहां की ग्रामीण जनता इतनी सजग होने से उन हैण्ड पम्पों में किसी तरह का घोटाला नहीं होने की वजह से आज हैण्ड पम्प बहुत बढ़िया और सुचारु रूप से चालू हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि इस मांग को मैं यहीं समाप्त करता हूं....

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन स्वास्थ्य) : माननीय सदस्य टी. एस. एस. की जगह हैण्ड पम्प लगाना चाहते हैं? टी. एस. एस. बढ़िया है?

श्री सुजानसिंह यादव : जी हां। टी.

(श्री सुजान सिंह यादव)

एस. एस. इसलिए फेलयोर है कि बिजली कभी आती है, कभी नहीं आती है, मोटरें फुंक जाती है। गांवों में ग्राम पंचायत के पास फण्ड नहीं है, राज्य सरकार फण्ड दे नहीं सकती। यह जो टी. एस. एस. स्कीम है वह इसलिए कामयाब नहीं है कि ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है, मोटर पूरी दुबारा बंधवाई जाती है, उसमें दो-तीन महीने लग जाते हैं। तो राज्य सरकार से मेरा इलाका बार-बार यही निवेदन करता है कि मेरे इलाके में ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगाये जायें और यही स्कीम मेरे इलाके में कामयाब है। इसी उद्देश्य से मैंने विधान सभा के अन्दर कटौती प्रस्ताव भी रखे हैं और उन्ही कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं।

अब इसी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं सडकों और पुल के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इस गणतन्त्र में सड़कों का होना परमावश्यक है। जिस प्रदेश में सड़कें या पुल नहीं हों, आवागमन के साधन नहीं हों उस देश को समृद्धिशाली कहा नहीं जा सकता। अब राजस्थान में सड़कों का बहुत भारी अभाव है। मैं अपने इलाके को राजस्थान से जोड़ता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान का इलाका मेरे ख्याल से पचास साल में भी हरियाणा के मुकावले में नहीं आ सकता। वहां गांव-गांव में सड़कें हैं, गांव-गांव में आने-जाने के साधन हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, रोडवेज आती-जाती है। मेरे इलाके में केवल चार-पांच हजार किलोमीटर की सड़क हैं। इतना पिछड़ा इलाका है। अब मैं आपके सामने निवेदन करूं कि इसी मास्टर प्लान में मैंने मेरे पूरे इलाके की सड़कों का, मंत्री महोदय पूरा नक्शा दिया है। यदि दो-चार किलोमीटर की सड़कें उन मेन सड़कों से जुड़ जायेंगी तो मैं यह स्वाभिमान के साथ इस विधान सभा में कहना चाहता हूं कि हम सड़कों के लिहाज से हरियाणा से कम नहीं रहेंगे। कहीं एक किलोमीटर लिंक रोड रह जाती है, कहीं पांच किलोमीटर लिंक रोड रह जाती है, मिसिंग लिंक हैं, यदि उनको जोड़ दिया जाता है तो मैं विधान सभा के सामने और मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जब भी यह मास्टर प्लान का कार्य चालू हो यह मिसिंग लिंक हैं, इनको जोड़ दिया जाये। इसके लिए पूर्व में भी मंत्री महोदय से अच्छी तरह से लिखकर प्रस्ताव ग्रामवासियों ने या मेरी तरफ से देकर सड़कों को लिंक रोड से और मिसिंग लिंक को जोड़ने के लिए निवेदन किया है। यदि उस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे तो मेरा इलाका हरियाणा के मुकाबले में आ सकता है। ऐसी केवल पचास-साठ किलोमीटर सड़कें होंगी। इसके निमित्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में एक साहिबी नदी लगती है, मेरा इलाका चार महीने के लिए जिला हैड क्वार्टर से कट आफ हो जाता है। साहिबी नदी ने, आपने सुना होगा, दो-चार साल पहले दिल्ली और हरियाणा में भी त्राहि-त्राहि मचाई थी। यदि इस नदी पर पुल बन जाता है तो मेरे इलाके का जो आवागमन है, 15–15 मिनट की बस सर्विस है, उस आवागमन को सुचारु

(श्री सुजान सिंह यादव)

रूप से करने के लिए साहिबी नदी पर एक छोटा-सा पुल बना दिया जाये। हमारे इलाके का आदमी जब भी विधान सभा में आता है, विजयी होकर विधान सभा में आता है यह पुकार सबसे पहले करता है, यह निवेदन सबसे पहले करता है, इस पुल को बना दिया जाए। मेरा इलाके चार महीने बरसात के दिनों में अलग-थलग हो जाता है जिला हैड क्वार्टर से। मैं मंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि इस पर ज्यादा खर्च वाली बात नहीं है। मंत्री महोदय स्वयं मौके पर पधारें, मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। एक नदी विकराल रूप धारण करती है, चार महीने लिटीमेंट्स होते हैं मेरे इलाके में जितनी सड़कें हैं वह 90 मील घूमकर जिला हैड क्वार्टर पर पहुंचते हैं। जो बहरोड़ से अलवर तक सड़क जाती है उसके बीच में साहिबी नदी पड़ती हैं उस पर एक पुल बना दिया जाय। इस पर मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और पुल निर्माण में योगदान करें। अब मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के अभाव में मेरा इलाका हरियाणा के सामने बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि पचास-साठ किलोमीटर की सड़कें हों और जो मिसिंग लिंक हैं उनको जोड़ दिया जाए तो मेरा इलाका हरियाणा के मुकाबले में आ सकता है। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरा कटौती प्रस्ताव है, दोनों मंत्री महोदय विराजे हुए हैं सदन में, सहानुभूतिपूर्वक जो भी कमियां हैं उसकी पूर्ति करें। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणक मल मेहता।

श्री माणकलाल मेहता (पाली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदय, हम इस समय उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके साथ-साथ रियासतों का एकीकरण हुआ और रियासतों में भी जहां दोहरी गुलामी थी वहां पर एक नयी प्रकार के शासन की संरचना हुई। राजस्थान बना सन् 1949 में और उसके बाद बृहत्तर राजस्थान बना जिसमें जयपुर हमारी राजधानी हुई। लेकिन इस समय हम उस अतीत को देखें तो हमें यह लगेगा कि उस समय लोगों की क्या दशा थी जो राजाओं के राज्य में रहते थे और विशेष रूप से वह लोग जो राजाओं के बाद भी जागीरदारों की रियाया के नाम से कहलाते थे। मैं यह निवेदन करता हूं कि आजादी के बाद लोगों की आकांक्षायें, उनकी इच्छायें और उनकी भावनायें बढ़ीं और चहुंमुखी जो उन्नति हुई उसमें हमारी जन कल्याणकारी सरकार के प्रतिनिधि चुनकर के आये। सन् 1952 से जो विधान सभा आपके समक्ष है उसके जो प्रतिनिधि यहां पर आये और उन

(श्री माणक लाल मेहता)

प्रतिनिधियों में से चुने हुए लोग जो कि ट्रेजरी बैंन्चेज पर बैठे है उन्होंने उन लोगों, जिन्होंने उनको प्रतिनिधि के रूप में भेजा था की, तकलीफों को और उनके अभाव अभियोगों को दूर करने की बात सोची उसके साथ साथ यह सोचा कि इनका, हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है। हमारे जो प्रधान मंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा थे उन्होंने फाइव ईयर प्लान के हिसाब से एक नियमबद्ध रूप से और एक फेज्ड प्रोग्राम के हिसाब से अपनी योजनायें बनायीं और उन योजनाओं के हिसाब से इस देश का विकास आरम्भ हुआ। उसी तरह से हमारे राजस्थान में भी जो कांग्रेस की सरकारें आईं उन्होंने अपना विकास आरम्भ किया।

मैं जिस इलाके से आता हूं वह इस प्रदेश का वह पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते रहे हैं, यह आज ही से नहीं सदियों से और प्राचीन समय से, उस समय से जब हमारी सभ्यता का सूर्य उदय हुआ था, उस दिन से आज तक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस इलाके की, पश्चिमी राजस्थान की, वहां पर हमेशा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे हैं, हमारी इस जन कल्याणकारी राज्य ने ही इस बात का बीड़ा उठाया। जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में, इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र में उन्नति की या विकास के चरण हमने आगे बढ़ाये उसके साथ हमने यह सोचा कि मूलभूत आवश्यकतायें जो मनुष्य की होती हैं उन आवश्यकताओं में सबसे पहली जो आवश्यकता है वह जल की है। मनुष्य को अगर अन्न नहीं मिले तो वह जिन्दा रह सकता है लेकिन जल के बिना कोई भी मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता। जिस इलाके को हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं जहां पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का क्षेत्र पुरानी रियासतों का आया हुआ है उसमें बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर के जो इलाके हैं, यह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लोगों की बहुत ही कठिन समस्यायें थीं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल पानी की कमी ही नहीं वर्षा का अभाव हमेशा रहा। हर पांचवे वर्ष, तीसरे वर्ष अकाल पड़ता रहा है। अब तो यह विभीषिका आ रही है कि हम हर दूसरे वर्ष अकाल का सामना करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस अकाल के समय में जब पानी की एक एक बूंद के लिए हम तरसते हों और पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो मेरे इलाके में जहां से मैं आता हूं वहां रोहित पंचायत समिति के क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा ब्लेकिश वाटर है, खारा पानी है, पीने के पानी की की कोई व्यवस्था नहीं है वहां टैंकर्स से भी व्यवस्था की हमारी इस कांग्रेस की सरकार ने और करती आ रही है।

उसके साथ-साथ यही नहीं किया बल्कि सन् 1980–81 में हमारे पहाड़िया जी जिस वक्त मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में हम

(श्री माणक लाल मेहता)

इस पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ें और दस साल के अन्दर राजस्थान का एक भी गांव ऐसा नहीं रहे जो पानी से प्यासा रहे। उसके लिए योजनायें बनाई और सबसे पहले अभी माननीय सुजानसिंह जी ने जिस तरह से कहा कि हैंड पम्प की स्कीम को उन्होंने हाथ में लिया। हैंड पम्प की स्कीम के लिए मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह ऐसी स्कीम है जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती और जिस स्थान पर मीठा पानी निकल सकता है उसके लिए हमने यह सोचा था और हमारी सरकार ने यह सोचा कि उस क्षेत्र में हैंड पम्प को बोर कराके वहां के निवासियों को लाभान्वित किया जाये और उनको पानी दिया जाये। तो हैंड पम्प खुदे। मेरे अपने इलाके में 260 के करीब हैंड पम्प लगाये गये और उससे, वहां की जनता को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। यह कहा जाता है, अब हमारी राजनीति के हिसाब से सरकार में और ट्रेजरी बेन्चेज में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनके ऊपर लांछन लगाने के लिए हमारे विरोधी पक्ष के लोग कुछ न कुछ बात बनाने की हमेशा सोचा करते हैं। लेकिन जनता जनार्दन जो हमें वोट देकर के, मत देकर के विधान सभा में भेजती है वह इस बात को जानती है कि आखिर सच्चाई क्या है। यदि उनकी बातों में सच्चाई होती तो ट्रेजरी बेन्चेज में इतनी संख्या में लोग नहीं होते, इस तरफ ज्यादा होते लेकिन केवल छिद्रान्वेषण करना और गलत बातों को निकालना और उनको पाइन्ट आउट करके इस बात की कोशिश करना कि किसी तरह से हम सरकार को लांछित करने की कोशिश करें, लेकिन सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता। सच्ची बात हमेशा सच्ची ही रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़िया जी ने आने के बाद इस बात को सोचा कि पश्चिमी राजस्थान के जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाये और वहां की पानी की समस्या को सुलझाया जाये। उसके लिए हैंड पम्प की स्कीम उन्होंने अपने हाथ में ली और हैंड पम्प हमारे यहां खुदे। मेरा यह दुर्भाग्य जरूर था कि मेरे कुछ इलाके में जहां हैंडपम्प खोदे गये वहां ब्लेकिश वाटर होने की वजह से कुछ गांवों में पानी मीठा नहीं मिल पाया लेकिन फिर भी किसी तरह को पानी कुछ भी नहीं था, जो पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते थे, खारा पानी भी गरम करके ठीक किया गया और उसके बाद उन लोगों की पिपासा शान्त हुई और उनकी पानी की समस्या का समाधान हुआ। हमने टैंकर्स से भी पानी भेजा। टैंकर्स से भी समस्याग्रस्त गांवों में पानी हम भेजते रहे। मैं इस समय हमारे जो पी० एच० ई० डी० मिनिस्टर हैं उनको और मुख्य मंत्री महोदय को....

श्री परसराम मदेरणा : 1981 में सबसे कम बरसात हुई पाली डिस्ट्रिक्ट में। फेमिन के काम जून से लगातार कन्टीन्यू हुए, उस समय की समस्या क्या थी? उस समय में वहां के हालात क्या थे? चार साल के बाद तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कह सकते हैं लेकिन 1981 में जो सर्वे करने का आप कह रहे हो कड़वे पानी

(श्री परसराम मदेरणा)

का एरिया है उस वक्त सप्लीमेंट करने के लिए आप लोग, जन प्रतिनिधियों की मांग क्या थी और इस मामले में कि पानी उपलब्ध हो सके किसी भी सोर्स से वह स्थिति क्या थी ?

श्री माणकमल मेहता : मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में जब मुख्य मंत्री और पी०एच० ई० डी० मंत्री गये थे, उस वक्त भी और उससे पहले भी हमने बार-बार आपसे यह निवेदन किया कि हमारे यहां आप किसी तरह से हैंड पम्प खुदवा कर इस समस्या का समाधान कीजिए। टैंकर्स भिजवा कर समस्या का समाधान कीजिए। वहां के लोगों की हालत यह थी, झुंड के झुंड आदमी आ करके खड़े हो जाया करते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि रात को एक-एक बजे औरतें पानी के लिए मटका लेकर अपने गांव से निकलती थीं और उसके बाद शाम को चार-चार बजे तक छोटे-छोटे कहीं पर नदी के किनारे पर थोड़ा-थोड़ा खोद करके बेरियां बनाती थीं उससे घड़ा भरकर अपने घर पर ले जाती थीं। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह कल्पना तो आप सोच भी नहीं सकते और कोई भी माननीय सदस्य नहीं सोच सकता कि उस इलाके की कितनी जबरदस्त समस्या है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने उन समस्या ग्रस्त गावों में जो मेरे रोयट पंचायत समिति के 74 विलेजेज हैं उनकी स्कीम बनाई और स्कीम बना करके रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को उन्होंने क्रियान्वित करने के लिए उसको प्रारम्भ कर दिया है और 2 करोड़ 34 लाख रुपये की स्कीम बना कर इस बात को सोचा कि इस इलाके को हमें सर्वप्रथम पानी देना चाहिए। मैं धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता सरकार को और उन मंत्रियों को को जो इससे संबंधित हैं, जिनके पास यह विभाग है, उन अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता जो बड़ी द्रुत गति से, बड़ी तेजी से इसको क्रियान्वयन करने में संलग्न हैं और लगे हुए है, सन्नद्ध हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस रीजनल पाइप लाइन स्कीम से करीब 54 विलेजेज हमने कवर कर लिये हैं। 54 विलेजेज जब हमारे कवर कर लिये हैं तो बाकी के 20 विलेजेज, यह मैं एक साल की बता रहा हूं कि एक साल के अन्दर डवलपमेंट में किया है। उन्होंने उतनी तेजी से और द्रुत गति से काम किया है। केवल 20 विलेजेज बाकी रहते हैं। मेरी निश्चित रूप से मान्यता है, और मेरा विश्वास है कि यह विलेजेज भी बहुत ही जल्दी इस पाइप लाइन स्कीम में शामिल कर लिये जायेंगे और चूंकि इनकी स्कीम बनी हुई हैं, इनके एक्जीक्यूशन का जो टाइम है, एक्जीक्यूशन टाइम लगेगा उसके अन्दर उनकी भी समस्यायें ठीक हो जायेंगी। सभापति महोदय, यदि आपको मौका मिले और आप मेरे क्षेत्र में जायें तो इस लोग मानकर चलते हैं

(श्री माणकमल मेहता)

भागीरथी योजना। पानी की जो सबसे बड़ी समस्या हमारी थी, उसका निदान यदि हो जाता है, उस समस्या का हल मिल जाता है, समस्या के मूलभूत में जो तकलीफें हैं वे अगर मिट जाती हैं तो हम समझते हैं कि हमारे यहां गंगा एक प्रकार से आ गई। वहां पर इस तरह से जब यह पाइप लाइन की स्कीम गई और जब पाइप्स डाले गये और उसके बाद जिन-जिन गांवों में कमीशन किया गया, पानी आया, तो लोगों ने गांवों में बदावना कहते हैं उसको, ढोल धमाका लकर के उन गांवों के अन्दर यह कहा, हमारे यहां गंगा उतर कर आ रही है। अब आप उनके हृदय की भावनाओं को समझने की चेष्टा कीजिये। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि उस आदमी को जो रात भर से प्यासा हो और एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाया हो या जिस मरते हुए इन्सान को एक बूंद पानी मिल जाती है तो आप बतायें, वह जिन्दा हो जाता है वापस। तो इस तरह से इस कठिनाई के दौर से वे गुजरे हैं। राजस्थान सरकार ने उनकी इस कठिनाई को समझा है और मेरे निवेदन पर यह जो ने हमारा ट्वेन्टी पाइंट प्रोग्राम हमारी महान नेता इन्दिरा गांधी का है उसमें आठवां सूत्र जो पानी का है, उस पानी के सूत्र में उस समस्या को हमेशा के लिये दूर करने के लिये, पानी मुहैयया कराने के लिये जो हमारे 54,20-74 विलेजेज है उनका फेज प्रोग्राम बनाया है, पांच-पांच, दस-दस हजार विलेजेज को हर साल लेकर जिस तरह से मेरे यहां की समस्या हल की गई है, उसी तरह राजस्थान के जो दूसरे समस्या ग्रस्त ग्राम है उनकी समस्या को भी हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम के लिये आप अच्छे अफसरों को वहां पर भेजें और उसके साथ देखें, यह फरमायें कि हम यह सोचते हैं, जल्दी से जल्दी इस साल के बाद जो नेक्स्ट सैशन आता है उस सैशन के पहले हमारे यहां की करीब सारी स्कीम्स को मैटीरियलाइज किया जाय और कमीशन हो जाये तो मेरा यह निवेदन है कि वहां के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हम विकास के मामले में दूसरी किसी चीज को इतना महत्व नहीं देते जितना पानी को देते हैं। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। एक मेरा यह निवेदन था कि यह जो स्कीम्स हैं इन स्कीम्स में रोहिट के अन्दर अगर एक रिजर्वायर बनावकर के वहां का जो तालाब है उसमें पानी डाल दिया जाये तो बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जा सकता है। यह अभी उस स्कीम में नहीं लिया गया है इस लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रोहिट के तालाब में जवाई का जो पानी आता है उस पानी को वहां पर स्टोर कर दिया जाये और स्टोर करने के बाद में उस पानी को अगर आगे

(श्री माणकमल मेहता)

भेजा जाता है तो वहां पर ज्यादा सुविधाजनक रहेगा और इन ग्रेडियन्ट होने की वजह से वह पानी आगे जा सकेगा। इस के साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में माननीय बृज सुन्दर जी साहब ने जल प्रदाय के लिये बजट भाषण में यह लिखा है कि हमने शहरी जल प्रदाय योजनाओं में जहां पेय जल की उपलब्धि 10 गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है वहां वर्ष 1984-85 में जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन की स्वीकृति देने में प्राथमिकता दी जायेगी। यह भी आपने अपने बजट भाषण में फरमाया है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाली शहर की करीब करीब एक लाख की जन संख्या हो चुकी है और वहां पर जो भी पहले की स्कीम्स हैं वे स्कीम्स बहुत पुरानी हैं, करीब 15, 20 वर्ष उन स्कीम्स को हो गए। जब तक हम इनका आगमेंट नहीं करेंगे और उनका पुनर्गठन नहीं करेंगे उस वक्त तक वहां के जो गरीब तबके लोग हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको किसी तरह से राहत नहीं मिल सकेगी चूंकि आबादी बढ़ गई है। पाली उम्मेद मिल के नाम की जो मिल है वह पांच या 6 हजार मजदूरों को केटर करती है, आप समझिये कि उनके लिये जब तक कि हम नई स्कीम्स या नई पाइप लाइन स्कीम्स को आगमेंट करके बड़ी स्कीम्स नहीं बनायेंगे और उसके लिये हम अलग से पैसा ईयर मार्क करीब 20, 25 लाख रुपया पाली शहर को नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं चल सकेगा। इस लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बजट में जो प्रोवीजन रखा है, इस प्रोवीजन को देखते हुए यह पाली शहर की जो समस्या है पानी की उसको सोल्व करने के लिये, उसको सुलझाने के लिये आपको कम से कम 20, 25 लाख रुपया ईयर मार्क करके अलग हमारे पाली को देना चाहिये। यदि आप म्यूनिसिपलिटी को देना चाहें, तो म्यूनिसिपलिटी को दे सकते हैं और पी. एच. ई.डी. को इस स्कीम्स में जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं और वार्ड्स हैं उनके अन्दर इन स्कीम्स को लगा करके वहां की पाइप लाइन को बढ़ायें तो मैं समझता हूं वहां के लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। यह एक बहुत ही नितांत ज्वलंत प्रश्न है जिसके ऊपर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो स्कीम्स रोहिट वगैरह की हैं इनको आप जल्दी से कमीशन करा दें और उसके बाद पाली शहर और गांवों के लिये 20, 25 लाख रुपया अलग से ईयरमार्क करके आप हमारी पानी की समस्या को सुलझायें तो मैं समझता हूं हमारे इस पिछड़े क्षेत्र की, पश्चिमी राजस्थान के इस इलाके की जहां पानी एक वरदान साबित होता रहा है, हमेशा के लिये बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि जो हमारी हैण्ड पम्प की स्कीम्स हैं उन के लिये निश्चित

(श्री माणकमल मेहता)

रूप से जिन इलाकों में जहां पर पानी मीठा है और जहां दूसरी कोई स्कीम्स फ्रुटफुल नहीं हो सकतीं, इसी को मेन्टेन किया जाये। इसके लिए आपने जो प्रोवीजन बनाया है कि पंचायतों को हम कुछ ग्रान्टस देंगे जिससे वे मेन्टेन कर सकें। मिस्त्री आदि के लिये जो बात रखी गई है कि मिस्त्री वे देंगे, लेकिन हमारी पंचायतों की आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वे उसको चला सकें। फिर भी यदि आप उन ग्रान्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो मैं समझता हूं कि पंचायतें भी हैण्ड पम्स के मेन्टीनेंस का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकेंगी और यह समस्या, जिसको आपने दूर करने का बीड़ा उठाया है, के अन्दर एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति माननीय श्री भूपाल सिंह।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेडा) : सभापति महोदय, आज आबकारी और दूसरी मांगें चल रहीं हैं उनके विषय में कुछ अर्ज करना है। आबकारी विभाग ऐसा विभाग है, चाहे इस विभाग को लुटेरों का विभाग कह दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि इसमें मुनाफा कमाने इतनी छूट दे रखी है कि व्यापारी, और आफिसर्स और दूसरे जितने भी कर्मचारी हैं वह इतनी कमाई करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जो पीने वाले हैं उनको इतना लुटा जाता है कि उसके लिये मैं आपको डिटेल से अर्ज करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

ऊपर से लगाकर नीचे तक के लिए मैंने अर्ज किया है उसमें सभी आ जाते हैं। इसलिये डिटेल में अगर में यह कहूं कि केवल मंत्रीजी हैं, मंत्रीजी को तो चाहिए कि ऐसे अच्छे कानून बनायें जिससे जनता लूटी नहीं जा सकें। ऐसे कानून ये बनाते नहीं हैं। यह हैं तो वकील इसलिये कानून के ज्ञाता हैं लेकिन हिसाब किताब के मामले में बहुत कमजोर हैं। तो आबकारी के महकमे वाले, उनके ठेकेदार इतने होशियार हैं कि आपको समझाने में वे सफल हो जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री भूपाल सिंह : मेरा ठेका नहीं है, इसीलिये तो बोल रहा हूं। अगर ठेका होता तो मुझे भी दबना पड़ता। तो मेरा अर्ज करना ऐसा है कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा जो है, इसके लिये मैं आपसे अर्ज करूं इसमें तीन क्वालिटी हैं ए, बी, और सी। ए क्वालिटी के अन्दर बढ़िया शराब पीटर स्काट वगैराह हैं, दूसरे में रिस्टोकोट वगैरह आती है, और तीसरे में ड्यूक वगैरह के सारे हैं। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि होलसेलर्स जो पहले क्या देता था रिटेलर्स को और अब क्या दे रहा है? सरकार को उससे क्या हानि है और क्या लाभ

(श्री भूपाल सिंह)

है ? ठेकेदार को क्या हानि है और क्या लाभ है ? यह मैं आपको बताना चाहता हूं । पहले नम्बर की जो शराब है 58 रुपये 85 पैसे में होलसेलर रिटेलर को देता था और 13) रुपये उसकी एक्साइज ड्यूटी थी 72 रुपये, 49 सेल्स टैक्स के और 5) रु. उसको मुनाफा मिलता था । यूं करके 116-117 रुपये में बेचता था । दूसरे नम्बर की शराब जो 14 रुपये 8 पैसे में बोतल मिलती थी उस पर 86 पैसा गेट फीस लगता था 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी और 19 रुपये सेल्स टैक्स और 10 रुपया उसको मुनाफा मिलता था । इसी तरह से तीसरी क्वालिटी 7 रुपये 8 पैसे में होल सेलर रिटेलर को देता था और 86 पैसे गेट फीस, 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 20 रुपये 94 पैसे में पडती थी उसमें 14 रुपये सेल्स टैक्स के और 7 रुपया उसको मुनाफा मिलता था । यह कुल मिलाकर 40-42 रुपये में बिकती थी । अब जो है आजकल वही शराब 58 रुपये 25 पैसे में होलसेलर देता है और गेट फीस 43 रु० और एक्साइज ड्यूटी 26 रुपये कर दी 13 के बजाय और सेल्स टैक्स का 50 रुपया उसके बजाय । लास्ट पाइन्ट पर जो मुनाफा पर लगता था अब फर्स्ट पर 10 प्रतिशत कर दिया गया । वह केवल 8 रुपये 45 पैसे लगते हैं । पहले 50 प्रतिशत था उसको 10 प्रतिशत कर दिया गया । सरकार को यह समझाने के लिये कि सेल्स टैक्स कम दो और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो, इससे आपको फायदा होगा लेकिन फायदा नहीं हुआ है, उल्टा इससे नुकसान हुआ है । अगर मैं कहीं गलती पर हूं तो मंत्री महोदय मुझे सुधार दें या अपने जवाब में बता दें । तो यह 148 रुपये में, 150 रुपये में, पहले दर्जे की शराब मिलती थी और दूसरे दर्जे की इसी तरह से हिसाब लगायें, डिटेल में बोलूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन 14 रुपये 8 पैसे में मिलती है 86 पैसे गेट फीस, 26 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 4 रुपये सेल्स टैक्स के । इस शराब के 19 रुपये लगते थे अब वहां केवल चार रुपये लगते हैं । तो यह 25 रुपये 8 पैसे उस व्यापारी को मुनाफा मिलने के बाद 70 रुपये में बिकती है । इसी तरह तीसरे नम्बर की शराब जो 7 रुपये 8 पैसे में होलसेलर देता था और 26 रुपये एक्साइज ड्यूटी, तीन रुपये 31 पैसे केवल सेल्स टैक्स । यूं करके 52 रुपये में बिकती है । 60, 51, 52, 53 रुपये में मिलती है । तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले जिस आदमी को पहले नम्बर की शराब पर 5 रुपये 29 पैसा मुनाफा मिलता था उसको आज 48 रुपये 35 पैसे मिलता है क्योंकि सेल्स टैक्स कम करने से उसका मुनाफा बढ़ गया कीमती चीज पर । तो इसमें 43 रुपये का सरकार को नुकसान है । इस तरह दूसरे नम्बर की शराब पर जहां 11 रुपया मुनाफा मिलता था अब 25 रुपया मिलता है, 14 रुपये का फर्क पड़ गया...

(व्यवधान)

पानी तो अलग है, पानी इंगलिश में नहीं चलता है, रिफाइन्ड है । उसके लिये तो मैं आगे बताऊंगा कि पानी कहां चलता है ।

(शीतूराल सिंह)

इसी तरह 7 रुपया छ: पैसे जिस शराब पर मुनाफा मिलता था उस आदमी को अब 14 रुपये उस पर मुनाफा मिलता है। तो डब्ल मुनाफा हो गया। इस तरह सरकार को पहले नम्बर की शराब पर पहले 52 रु० टैक्स का मिलता था अब केवल 35 रु० मिलता है। यह सारा सैल्स टैक्स और सब मिलाकर पहले 52 रु० मिलता था अब 35 रु० मिलता है। 17 रु० 55 पैसे इसका फर्क है। इसी तरह से दूसरे नम्बर की जो शराब है उस पर 2 रु० का फर्क पड़ता है। पहले 32 रु० सरकार को मिलते थे अब सरकार को 30 मिलते हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ठेकेदारों का मुनाफा इतना बढ़ गया है और वह मुनाफा इसी तरह से बढ़ा है कि 182 रु० पर 88 रु० उसको मुनाफा मिलता है। 270 रु० कुल वे वसूल करते हैं। इस तरह 50 पर्सेन्ट से भी अधिक है यानि इतना उनको मुनाफा मिलता है। उन्होंने जो यह किया है दो वर्ष, एक वर्ष, मैं आगे चलकर दोनों को एक साथ अर्ज करूंगा। इस तरह देशी के लिये अर्ज करूंगा इंगलिश में ऐसा है लेकिन जो देशी मदिरा है उसका अगर आप हिसाब देखेंगे तो आपको ताज्जुब हो जायेगा। शायद विश्व में कहीं भी इतना मुनाफा किसी और जगह नहीं है और हमारे पड़ोसी राज्यों में भी नहीं है। पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमत कम है और टैक्स कम है और सस्ती मिलती है इसलिये वहां की शराब यहाँ आकर बिकती है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है गुलाब की शराब जो है वह 10 रु० 80 पैसे में सरकार इनके वेयर हाऊस से ठेकेदार को देती है उसमें 6 रु० 48 पैसे सैल्स टैक्स लगता है। उस पर 60 प्रतिशत सैल्स टक्स था क्योंकि रिफाइन्ड नहीं है। देशी वाले सीधे सादे आदमी हैं। अब इस साल रिफाइन्ड लोग आये हैं इसलिये स्कीम को बदली है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वह अर्ज कर रहा हूं 6 रु. 48 पैसे सैल्स टैक्स, लगता है 72 पैसे उनको बोतल घुलाई का और खर्चा करने के बाद कुल 18 रु. में शराब की बोतल उस ठेकेदार को मिलती है और वह 35 रु. में बेचता है, यानि 18 रुपये को जो चीज मिले वह 35 रु. में डंके की चोट पर बेचता है। बन्द बेचना चाहिये बोतल-पव्वा आता है उसके बजाय खुले आम खोल कर पानी मिलाकर बेचता है। पानी मिलाना तो अलग रहा, कम देना तो अलग रहा लेकिन उसकी बोतल से बोतल अगर बिना पानी मिलाये बेचे तो भी 18 से 35 रुपये यानि 17 रु. का मुनाफा मिलता है। इस तरह दूसरी सादा शराब है वह 7 रु. 80 पैसे में वेयर हाउस से इश्यू होती है और 4 रु. 68 पैसे उस पर सैल्स टैक्स लगता है, 52 पैसे और आप गिन लीजिये, उसकी घुलाई वगैरह का खर्चा, उसको 13 रु. में मिलती है। वह 13 रुपये वाली 28 रुपये में जयपुर में और पूरे राजस्थान में बिकती है। अगर मैं गलत हूँ तो इसी वक्त किसी को भेजकर दुकान पर पता लगवा लिया जाय। जो 13 रु. की शराब है वह 28 रुपये डबल से भी ज्यादा में बिक रही है, इसी तरह 60 यू. पी. की जो एक शराब है जो हल्की शराब है वह 4 रु. 50 पैसे में इश्यू होती है वेयर हाउस से। 2 रु. 70 पैसे सेल्स टेक्स के, 30 पैसे और खर्चे के मान लीजिये तो साढ़े

(श्री भूपाल सिंह)

सात रुपये में ठेकेदार को पड़ती है और वह 16 रु. में बेचता है....

(व्यवधान)

कहीं 24 रु. में भी बिकती होगी लेकिन जनरली जो है वह साढ़े सात रुपये वाली शराब 16 रु. में बेचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 38 रु. 50 पैसे में शराब खरीदता है उस पर 40 रु. मुनाफा लेने के बाद 79 रुपये वसूल करता है बिना पानी मिलाये। और पानी मिलायें वह अलग है। इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि ये दोनों किस्म की शराब इतने भारी मुनाफे में बिकती है। क्यों बिकती हैं पहले इंगलिश वाइन, देशी वाइन जितने भी वाइन के ठेकेदार थे अलग अलग थे जैसे इधर जयपुर के अन्दर लाते थे लोग अच्छी क्वालिटी 100 या 110 दुकाने हैं तो अलग अलग अलग दुकाने थीं, कम्पटीशन था, अच्छी क्वालिटी की थी। अब वह पूरा जिला एक पार्टी को दे दिया गया है। इसलिये उसकी मोनोपोली है। मोनोपोली में और कोई नहीं आ सके, सरकारी नियम ऐसे हैं कि उस बोतल को एक हजार रुपये में भी बेचे तो न मिनिस्टर, न इन्सपेक्टर और न कोई देवता कुछ कहने वाला है, न और कोई अफसर कहने वाला है। मेरा मतलब है उसको कोई देवता भी रोक नहीं सकता है। कानूनन उनको ऐसी छूट है। तो यह मोनोपली इसलिए उन्होंने की कि इतना भारी मुनाफा कमाया जाय, करोड़ों रुपये के ठेके लिये जायं और करोड़ों रुपये कमाये जायं। तो इसमें ठेकेदार तो पैसा कमाता है और सरकार को इस तरह से मजबूर कर दिया है एक आदमी को, एक पार्टी को पूरा जिले दे रखा है। एक-एक पार्टी के पास 7-7 जिले हैं। यह नहीं कि एक जिला है। ऐसे ग्रुप बना लिये हैं उन्होंने कि अरबों रुपये की वह शराब लेते हैं और देते हैं और अरबों रुपये कमाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय को क्या पता लगे, किसी को पता ही नहीं लगने देते हैं कि क्या हो रहा है और अफसरों और इन्सपेक्टरों को तो मानते ही नहीं हैं क्योंकि आते ही मिनिस्टर साहब से ट्रांसफर करा लें, और करा लें, दूसरों से करा देते हैं। उनकी तो भारी पहुंच है। जो लाखों रुपये रोज कमाते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं। तो यह मोनोपली सिस्टम जब से हुआ यानि हमारे सामन्तवाद के बाद जब प्रजातन्त्रवाद आया तो उसमें सबसे पहले यह घोषणा थी कि हम उसमें मोनोपली खत्म करेंगे लेकिन 30 वर्ष में पुन: मोनोपली कायम करने लग गये और मोनोपली भी ऐसी कि आधे राजस्थान पर एक आदमी का कब्जा....

श्री परसराम मदेरणा : सामन्तवाद में क्या हाल था ? सामन्तवाद के वक्त में क्या स्थिति थी ?

श्री भूपाल सिंह : सामन्तवाद के वक्त में हरेक दुकान अलग-अलग आदमी को दी जाती थी। जो जो अच्छी क्वालिटी की बेचता, जो अच्छी देता, जयपुर के अन्दर 50 दुकानें थीं, जहां अच्छी मिलती वहां से आदमी खरीदता। अब जहां जाओ वैसे की वैसी ही है। मोनोपली कर दी।

श्री परसराम मदेरणा : अफीम खिलाकर लड़ाई पर भेज दिया ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : यह वह सरकार कर रही है जिसमें चन्दन मल जी वैद आचार्य तुलसी के शिष्य रहे हैं और वह मन्त्रिमण्डल में हैं और उनकी राय से यह शराव की नदिया बह रही हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : हमारे जमाने में दूध की नदियां बहती थीं, अब शराब की नदियां बह रही हैं ।

श्री सभापति : शान्त रहें कृपया ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : शराबबन्दी में भी लोग ज्यादा पीने लग गये, पीनी नहीं छोड़ी, ज्यादा पीने लगे तभी खोलनी पड़ी ।

श्री भूपाल सिंह : पीने का नहीं, पीने का तो मैं किसका नाम लूं, सब अपनी-अपनी छाती पर हाथ धरकर देख लें । ये तो हम तो बदनाम थे, हमारी बदनामी तो खत्म हो गई यह तो राज के साथ चलती हैं । दारू रण्डी यह जो राज करेगा उसी के लारे रहेगा । भले ही कुछ करें । तो मैं मूल बात पर आता हूं ।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या कहना है, सिंचाई मंत्री जी, इस बारे में ।

श्री भूपाल सिंह : तो इन्होंने क्या शर्त दी है दो वर्ष में ठेका देने में कि इस साल जो दे दिया आइन्दा साल भी वही ठेकेदार रहेगा लेकिन क्या किया जायेगा कि 10 पर्सेन्ट गारण्टी उससे बढ़ा दी जायेगी । तो 10 पर्सेन्ट नहीं, वहां 20 पर्सेन्ट तो पापूलेशन बढ़ गयी है, कालेज से निकलने वाले नौकरी में जा रहे हैं वह सब सीख गये हैं दूसरे चुपके से पीने वाले इतने बढ़ गये हैं कि 10 नहीं 20–25 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हो रही है····.

एक माननीय सदस्य : अब तो शर्मा लोग भी पीने लग गये हैं ।

श्री भूपाल सिंह : शर्मा वर्मा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी का नाम नहीं लेता । न पीने वाला हरिजन भी नहीं पीता है और पीने वाला ब्राह्मण भी पीता है । यह तो एक कामन चीज बन गयी है इसलिए किसी को बदनाम करना या किसी का व्यक्तिगत नाम लेना यह तो इस युग में अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई शिक्षा-दीक्षा जैसी कुछ भी है राज चलाने वाले, राज के लारे यह लवाजमे चलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : सिंचाई मन्त्री जी से कहना जो छोटे-छोटे····

श्री भूपाल सिंह : अब इसमें छोटे व्यापारी बेचारे मारे गये इस धन्धे में ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री भूपाल सिंह : छोटे-छोटे लोग जो धन्धा करते थे सबका उनका धन्धा छीनकर और कोई तो दिल्ली से पार्टी....

श्री परसराम मदेरणा : आप और मैं जनप्रतिनिधि हैं.......

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस लिये अलाउड है आपको ।

श्री परसराम मदेरणा : और जनप्रतिनिधि हैं तो जनता को अपना रिप्रेजेन्ट करते हैं इसलिए जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है उसका प्रतिनिधित्व ही तो करते हैं हम ।

श्री भूपाल सिंह : हां, तो आप जनता को जैसा सिखाओगे और जैसा बनाओगे वैसी ही जनता बनेगी इसमें तो कोई हर्ज नहीं है । अगर प्योर दूध मिलने लग जायेगा तो प्योर दूध पियेंगे और 40 पर्सेन्ट फेट वाला जो अभी निकलकर थैलियों में बन्द सुबह सबको देते हैं तो 40 वाला ही पियेंगे क्योंकि मोनोपली है । जैसी दूध की मोनोपली है वैसे ही अपनी इस शराब में भी है । इसमें भी गारण्टी है ।

तो यह मेरा अर्ज करना ऐसा है कि ये मोनोपली इसलिए आ गयी कि इसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है । उस हेराफेरी होने से मेरा ख्याल है पुश्तों का इलाज हो गया । हरियाणा में शराब सस्ती, दिल्ली में सस्ती, मध्य प्रदेश में सस्ती, गुजरात में तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि आंकड़े मेरे पास नहीं हैं बाकी जितनी अड़ोस पड़ोस में शराब होलसेल से रिटेलर्स को सस्ती मिलती है, मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहां तक व्यवस्था की है गरीबों की कि जो भी आदिवासी इलाके हैं जिसमें झालावाड़ वगैरह मिले हुए हैं उनको फ्री कर दिया कि निकालो और पिओ, इन दूसरों की लूट से बचो । वह निकालते हैं और पीते हैं । यहां आदिवासियों में एक दिन कह रहे थे कि लाइसेन्स क्यों वहां तो महुवा है इसलिए कोई चलेगा नहीं वह तो । तो इस तरह से इस महकमे में यही बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो मैं आपके सामने वर्णन करने वाला हूँ, वैसी विश्व में आपको नजीर नहीं मिलेगी । वह कसे कि शराब बन्दी के वक्त में और शराब जब चालू हुई वापस तो नये लाइसेंस देने शुरू हुए तब लाइसेंस फीस लेने लगे । वैसे अगर लाइसेंस फीस लेंगे तो रसीद देनी पड़ेगी । तो इन्होंने एक सिस्टम निकाला । उस वक्त उदयपुर डिवीजन में राजस्थान के कमिश्नर तो मिस्टर भण्डारी थे और एक बोहरा साहब थे, यू० के० बोहरा–उदयशंकर जी बोहरा, वह उदयपुर के डी० एस० थे, उन्होंने राजस्थान के लिए ऐसी स्कीम निकाली कि भई बाकियात तो करोड़ों रुपये की सरकार की की है उसको कैसे जमा किया जाय । यानि वसूली नहीं की जाय, नये ठेकेदार से बोली लगाकर या टैण्डर ले कर या किसी और तरह से बाकियात को वसूल करनी है इसलिए तुम जितनी बाकियात दोगे उतनी देशी दुकान । यह दुकान अगर तुमको लेना है तो 50 हजार रुपये हमको बाकियात के देने पड़ेंगे और 10 हजार रुपये फीस के । यह दुकान लेनी पड़ेगी तो 3

(श्री भूपाल सिंह)

लाख तो बाकियात के और 40 हजार फीस के। इस तरह से वह फीस तो कायदे से डिक्लेयर्ड थी और बाकियात अन-डिक्लेयर्ड थी। तो बाकियात का मतलब क्या था कि लेने वाला भूपालसिंह, दुकान तो वह लेगा एक लाख या डेढ़ लाख या 50 हजार, जैसी दुकान वैसी बाकियात के नाम पर और वह जमा हो रामलाल के खाते में और रामलाल के जमा किये या नहीं यह भगवान जाने। न लेने वाले को रसीद दी न देने वाले को रसीद दी। बाकी मेरा जहां तक ख्याल है मुझसे कहा कि मुझसे एक लाख रुपये के नोट लेंगे हुजूर, एक लाख तो ज्यादा हो गया तो ठीक है 50 हजार लिये 30 ऊपर के, फिर वह तय हुआ। फिर उसने कहा कि बेटा अब तेरे खाते में जमा कर दिये तो फिर उससे पैसा वसूल किया गया और वह पैसा उसके खाते में जमा हुआ। खाते में जमा होने के बाद वह केसेज हाईकोर्ट और दूसरी कोर्टों में चल रहे थे तो कई ठेकेदार फिर वापस जीत गये सरकार से कि इससे नाजायज वसूली की। तो जो मुझसे वसूल हुआ और उसके खाते में पैसा जमा हुआ इसलिए उसने उससे वापस रिफण्ड ले लिया यानि सरकार को तो कहीं सामने लाये ही नहीं। हेराफेरी उसमें इतनी जबरदस्त हुई, गये साल भी मैंने प्रस्ताव दिया, इस साल भी दिया है कि वह लिस्ट सदन की मेज पर रखी जाय लेकिन नहीं रखी जायेगी। क्यों नहीं रखी जायेगी कि उसका हिसाब ही इस तरह से गड़बड़ सड़बड़ है। अभी कहा कि रामलाल से लिया। तो मैं रामलाल से पूछूं कि तुझसे कितना लिया तो पता लग जाय। इसलिए इसकी भी एक इन्क्वायरी बैठनी चाहिए जिससे पता लगे कि इसमें कितनी गड़बड़ हुई है। करोड़ों रुपये की गड़बड़ हुई है। इस तरह से सरकार को, एक तरफ मन्त्री महोदय विराजे हुए हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि ऐसे भी किया है।

दूसरा मुझे याद आ गया जो अर्ज कर दूं आपको कि जैसे सैल्स टैक्स है, यह तो 50 का 10 किया और दूसरे लोगों को कैसे बचाया जा रहा है वह भी मैं आपको अर्ज कर दूं। सीमेण्ट फैक्ट्रियां हैं वह टैक्स बचाने का उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। क्या निकाला कि 67 पर्सेन्ट जो सीमेण्ट है वह तो सरकार लेवी से बिकवायेगी और 33 पर्सेन्ट फ्री कर दी। तो उन्होंने राजस्थान से बाहर अपनी दुकानें खोल दी हैं। जैसे निम्बाहेड़ा जे० के० सीमेण्ट फैक्ट्री ने 20 दुकानें अपनी राजस्थान के बाहर खोल रखी हैं उन 20 दुकानों पर वह 33 पर्सेन्ट जो सीमेण्ट बिकता है उसका एक लाख रुपया सैल्स टैक्स पड़ता है.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आबकारी पर ही आपका है, कृपया आबकारी पर ही बोलें।

श्री भूपाल सिंह : एक जानकारी दे रहा रहा हूं कि इस तरह से हो रहा है।

श्री सभापति : वह तो ठीक है लेकिन आप आबकारी पर ही बोलें। कृपया आबकारी पर बोलें।

श्री भूपालसिंह : इस तरह से यह बड़ा भारी जो हो रहा है सेठ लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, जिसमें यह रेफरेंस क्यों दे रहा हूं कि जे० के० सीमेंट फैक्ट्री की बीस दुकानें बाहर हैं। उनको छूट है। उनके साथ में मंत्री महोदय के घर में अपने नाम से उन्होंने सी० आई० डी० छोड़ रखी है कि खबर लगे। सभापति महोदय, सुधाकर शर्मा है वह जे० के० का नौकर है....

श्री सभापति : कृपया कटौनी प्रस्ताव आपने इस सम्बन्ध में दिया नहीं है, आपने कटौती प्रस्ताव जो दिया है उसी पर बोलें। बिना सूचना के जो सदन के बाहर के सज्जन हैं उनके बारे में नहीं कहें।

(व्यवधान)

कृपया, कृपया, आबकारी पर ही बोलें।

श्री भूपाल सिंह : उसी पर बोल रहा रहा हूं लेकिन रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि नहीं। कम्पेयर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आबाकारी पर ही कर रहा हूं कि सुधाकर शर्मा कौन हैं। यह जानकारी देता हूं। लेकिन यहां तक लोग कहते हैं कि इनका लड़का है और टेलीफोन नम्बर वगैरह सब लगभग वही है जो वित्त मंत्री के घर के सामने रहते हैं। मेरे पास कार्ड मौजूद है, दस्तखत हैं सुधाकर के जो सिफारिश की चिट्ठी लिखी है जे के. वालों को। तो खैर, मैं अपनी मूल बात पर आता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो मेरा ही लड़का है।

श्री भूपाल सिंह : भीम काण्ड मैंने यहां पर प्रस्तुत किया था इसी एक्साइज डिपार्टमेंट का, उसमें 21,36,911 रु० का तो गबन सरकार ने मजूर किया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि सुधाकर शर्मा मेरा लड़का है और जे० के० में नौकर है।

श्री भूपालसिंह : हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : ये कह रहे हैं कि सुधाकर शर्मा इनका ही लड़का है और जे० के० में नौकर है।

श्री भूपालसिंह : उनके टेलीफोन आपका लगा हुआ है और वित्त मंत्री का टेलीफोन यूज कर रहे हैं वे लोग। मैं भी तो यही कह रहा हू कि मिसयूज हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपसे में बातें नहीं। आसन को सबोधित कीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : उनकी सर्विस में है तो टेलीफोन उनका लगेगा ही।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह गलत है, उनका नम्बर अलग है उनके कमरे में।

श्री भूपाल सिंह : ××× मेरे पास कार्ड पर नम्बर है उनका और कार्ड भी मैंने नहीं

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित किया गया।

(श्री भूपाल सिंह)

छपाया है। सुधाकर शर्मा के हस्ताक्षर हैं जो वहां के मैनेजर को सिफारिश लिखी है कि फलां को, मेरा आदमी है भेज रहा हूं, इसको नौकर रख लेना।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा लड़का है तो वहां रहेगा ही।

श्री भूपालसिंह : वित्त मंत्री का टेलीफोन नम्बर है उसके पास।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप गलतफहमी में हैं। उसका कम्पनी का नम्बर अलग है उसके अपने नम्बर से बात होती है। अगर किसी ने गलत नम्बर पर टेलीफोन कर दिया मेरे नम्बर पर तो सुनने की भी मनाई है क्या ?

श्री भूपालसिंह : नहीं नही, सुधाकरजी के कार्ड पर आपके नम्बर हैं, यह कह रहा हूं।

श्री सभापति : यह तो बहुत पुराना कार्ड होगा, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह : ××× नहीं साहब, ताजा है।

श्री सभापति : बहुत पुराना कोई कार्ड होगा।

श्री भूपालसिंह : ××× नहीं हुकुम ताजा है 6/12 का है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : वित्त मंत्रीजी का निजी टेलीफोन भी तो है, उसका नम्बर नहीं दे सकते ? सरकार के अलावा एक निजी और भी तो है।

श्री सभापति : आपस में नहीं। कृपया आपस में नहीं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : इसमें आपत्ति क्या है ? उनका लड़का इनके टेलीफोन पर बात नहीं कर सकता ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

शांत रहें, कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भूपालसिंह : इसी एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में मैं यह कहता हूं....

श्री सभापति : अब आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भूपालसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं कि भीम के ठेकेदार का, जो अभी ताजा ही केस पकड़ा गया है और सरकार ने 21,36,911) रुपये वसूल किये हैं,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भूपाल सिंह)

सरकारी टैक्स चोरी का केस है। मेरा अर्ज करना यह है कि उसके तीन गोदाम हैं और 10 जगह शराब पकड़ी हैं। शराब उसकी नहीं होते हुए भी उसको मालिक बना रहे हैं। लाखों रुपयों की शराब है वह उसका मालिक नहीं है। शराब वहीं बेच सकता है जहां सरकार ने मंजूरी दे रखी है। वह साठ पर्सेंट नाजायज शराब है उसका सौदा हो रहा है। उसके यहां पर इन्कम टैक्स का छापा पड़ा है परसों के दिन और एक लाख रुपये का कैश उसके पास और निकला है। एक साधारण आदमी था पन्द्रह बरस पहले, उसने बोरों की पांती में करोड़ों रुपये कमा लिए। यहां तक कि उसके भाई ने XXX के साथ दिल्ली में लाखों रुपयों का होटल खरीदा है। यनि XXX के भाई ने, उनके भाई ने लाखों रुपयों का होटल खरीदा है दिल्ली में। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं इसके साथ कि रेफरेंस है, हालांकि मुझे XXX का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन उनका इन पर फोर्स पड़ रहा है कि इसको छोड़ो। 15 लाख में सौदा हो रहा है। एजेंसी बन्द होने के बाद इस नाम पर काम होगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हालांकि हमको दो असेम्बलीज और करनी हैं हम भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। लेकिन सौदा जो हो रहा है वह अर्ज कर रहा हूं मैं कि इसको कौन फोर्स कर रहा है। आपको यह बताया है कि वह बड़ा होटल खरीदा है इसलिए उनकी दोस्ती है, इन पर फोर्स पड रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब तो उठा ही दिया है, मामला कैसे निपटेगा।

श्री भूपाल सिंह : XXX साहब, सब निपट जाएगा। एक्साइज के अन्दर लाखों रुपयों का गबन होता है केस कम्पाउण्ड हो जाता है। आपके एक्ट में कम्पाउण्ड का प्रोवीजन है, इसलिए कम्पाउण्ड करना आपके हाथ में है। हजार रुपया जुर्माना किया जावे और मूल वसूल कर लिया जावे और कम्पाउण्ड हो जाएगा। वह मालिक उसको जबरदस्ती बना रहे हैं जो माल उसका है ही नहीं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है हुकुम कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डिपार्टमेंट का जो चिट्ठा है वह तो आपने देख ही लिया। इसलिए मेरा अब अर्ज करना यह है मंत्रीजी को कि जनता को लुटाने से बचाने के लिए, एक के दो प्रोफिट टुकड़ा करने से बचाने के लिए और नियमों को कठोर बनाने के लिए किसी को इस तरह का मौका नहीं मिले ऐसा कानून में संशोधन करें और नियमों का पालन करवायें, यही मुझे कहना है, यही मिनिस्टर साहब को सुझाव है और यही उनको कहना है कि यह केस कैसे करते हैं, देखेंगे आइन्दा असेम्बली मे। आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

XXX नाम शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे एक विशेष पेय से सम्बन्धित मांग पर। जीवन में जब न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं और मानव मादकता की ओर बढ़ता है उससे सम्बन्धित मांग पर आप चर्चा कर रहे थे। मैं अपनी बात शुरू करूंगा उस मांग से जो कि मनुष्य के लिए वायु के पश्चात् अत्यधिक आवश्यक वस्तु है, जो कि जीवन की प्राण रेखा है। विना उसके जीवन हो नहीं सकता। मैं पेयजल से सम्बन्धित मांग पर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, श्रीमन्। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पर वर्षा का औसत 2 बटा 3 भाग में दो इंच से लेकर पांच इंच तक ही रहता है और यहां की स्थिति ऐसी चली आई है कि यहां का मरु क्षेत्र इतना विशालकाय है, जिसको देख कर मैं समझता हूं कि प्रकृति ने भी यह सोच लिया था कि राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान होगा ही नहीं। यही समझ करके प्रकृति ने यहां पर उस क्षेत्र में विशेष तौर पर जहां पर रेगिस्तान है, वहां पर जीवन इस प्रकार के पैदा किए, वहां जानवर भी इस प्रकार के प्रकृति ने पैदा किए जो कि पानी की कम से कम उपलब्धता में भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जो एक दिन पानी पीकर सात-सात, आठ-आठ दिन तक पानी नहीं पी सकें, इस प्रकार के प्राणियों को प्रकृति ने यहां पर पैदा किया हैं। उस परिस्थिति में आप देखें कि सरकार ने प्रकृति की इस प्रकार की चैलेंजकारक चैलेंजेबल समस्या का समाधान किया है। इसके लिए मै अपनी सरकार को बधाई देने के साथ अपनी बात शुरू करता हूं।

(3.00 प. म.)

हमारी जब छठी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई उस समय, श्रीमन् राजस्थान के सैंतीस हजार गांवों में से केवल साढ़े चार हजार गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान हो सका था। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, राजस्थान के 34668 गांव में से24037 गांव भारत सरकार ने समस्याग्रस्त घोषित किये और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो प्रगति थी इस समस्या ग्रस्त काम की, पेयजल के समाधान की, वह परिस्थितियों के हिसाव से संतोषप्रद होगी लेकिन आज हम उसका मूल्यांकन करने बैठते हैं तो उस पर संतोष नहीं किया जा सकता। कुल उस समय 1979–80 तक 4859 गांवों में पानी उपलब्ध था और उसके पश्चात् जिस त्वरित गति से काम हुआ है, 1980–81 में 3028 गांवों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई, 1981–82 में 3890, 1982–83 में 4060 और इस वर्ष, श्रीमन् 3 हजार और गांवों के अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने के बाद आज राजस्थान में करीवन 19 हजार गांवों में समस्या का निदान हो सका है। केवल बात यह है कि इतनी राजस्थान की प्रगति को देख करके जिस समस्या में सरकार की और सरकारी अधिकारियों की हमें सराहना करनी चाहिये उसके वजाय हमें राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप में ले जायं तो कोई वात उचित नहीं होगी। राजस्थान में, श्रीमन्, कई बातों को लेकर के विशेष चर्चाएं चलीं। चर्चा यहां

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

तक भी हुई कि सरकार ने जो पानी उपलब्ध कराया है पीने का, वह पानी भी किस प्रकार का उपलब्ध कराया जो कि मानव के लिये पेय नहीं है। उसको पीकर मनुष्य अस्वस्थ हो सकते हैं। कहा यहां तक भी गया कि पानी नहीं बल्कि जहर पिलाया गया। मैं, श्रीमन्, इस बात की ओर आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां को देख कर जो पेयजल के मापदण्ड है, पानी के अन्दर जो रासायनिक तत्व हैं उनके जो मानक इण्डियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने तय किये हैं उनके बारे में चर्चा करनी होगी। यदि उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा को शुरू नहीं करेंगे कि क्या उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है. उनमें भी परिवर्तन करने चाहिये या नहीं करने चाहिये, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की परिस्थितियां को देखते हुए हम पेयजल की समस्या का निदान कर नहीं पायेंगे और निदान करना चाहेंगे तो इतना अधिक पैसा हमें लगाना पड़ेगा जो राजस्थान का बजट बरदाश्त कर नहीं पायेगा।

(3.04 म. प.)

(श्री राम नारायण चौधरी,
सभापति, पीठासीन)

राजस्थान में, श्रीमन्, जो मानक प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, इण्डियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च उनको यदि हम देखे तो वह इस प्रकार हैं कि राजस्थान की भूमि में उनको आसान से उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। वह कोई मानक ऐसे नहीं हैं श्रीमन् जो आय के अधीन हों जो कि कोई एक बार कह दे तो उस पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी नजर नहीं डाल सकें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि आई. सी. एम. आर. ने यह तय किया है कि पानी में कुल जो घुलनशील लवण हैं उनकी मात्रा 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिये। कहते वह यह है कि 500 तो वह मात्रा है जहां पर बहुत आइडल पानी मिलता है और 500 से लेकर 1500 तक वह इस पानी को कहते है कि पानी का उपयोग किया जा सकता है और उसमें जो और कम्पोनेंट्स हैं जैसे क्लोरायड है उसके बारे में कहते हैं कि 200 पीपीएम से 600 पीपीएम तक पानी की खपत की जा सकती है। नाइट्रेट 45 पीपीएम से लेकर 100 पीपीएम तक की खपत जा सकती है। फ्लोराइड 8 पीपएम से लेकर 1.5 पीपएम तक की खपत की जा सकती है। तो मैं, श्रीमन्, ये आपसे निवेदन कर रहा था कि यह तो एक आइडल परिस्थितियां में आइडल मानक हैं जहां पर कि पानी बहुत अच्छा उपलब्ध है उस पानी में से हमें देखना पड़ता है कि उसमें से हम कौनसा अच्छा पानी छांटें। इसके लिये, श्रीमन्, मापदण्ड है। हमारे गांवों के अन्दर विदेशी टीम आई थी, मटावरी गांव में स्वीडिश टीम आई थी। गांव में कुएं को देख कर ताज्जुब करके यह कहने लगे कि यह गांव के आदमी जिन्दा कैसे हैं, खुले कुएं से पानी भर रहे हैं, कुएं के पास गड्ढा है जिसमें गन्दा पानी भरा हुआ है। यहां के

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

इन्सान जिन्दा कैसे हैं। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि वे स्वीडन से भारतवर्ष आये हैं और भारत वर्ष के भी सुदूर गांवों में आये हैं जहां पर कुआं भी उपलब्ध है पानी पीने का और खुला हुआ कुआं है उससे यह अब से नहीं बल्कि जब से कायम हुआ है तब से पानी पीते चले आ रहे हैं और किसी आदमी को पीने के पानी की वजह से कोई बीमारी नहीं हुई। यह भी नहीं, हिन्दुस्तान की बात आप छोड़ दीजिये, जब कभी भी इस प्रकार से पानी की समस्या रहती है तो विदेशी मुल्कों में भी इन मानकों से हटे हैं। मैं आपको भारतवर्ष का नहीं बल्कि एक अखबार है सण्डे मैगजीन जो कि ब्रिटिश पेपर है, श्रीमन्, उसके कुछ उद्धरण इस संबंध में अपनी इस बात की ताईद में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह मानक ऐसे मानक नहीं हैं, जिनको हम आइडल मानकर चलें। उन पर हमें राजस्थान की दृष्टि से पुर्नविचार करना होगा जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था नाइट्रेट 45 पीपीएम से अधिक पाया जाता है तो उसमें अस्वस्थता के चिन्ह आ सकते हैं ऐसा वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का कहना है। लेकिन राजस्थान में या भारतवर्ष में जहां के लोग पानी अपनी पुराने परम्परागत स्रोतों से पीते चले आये हैं वह पानी जो इन मानकों से कहीं मेल नहीं खाता है उस पानी को पीने के बाद भी लोग पूर्ण स्वस्थ हैं। राजस्थान के आदमी, इस प्रदेश के आदमी जिसे कि लोग मरुस्थल कहते हैं इस पानी को पीकर के अस्वस्थ नहीं हुए बल्कि ज्यादा स्वस्थ उन्होंने अनुभव किया है। मैं इस संबंध में आपका सण्डे-मैगजीन 18, 19 मार्च, 1984 के उद्धरण को एक मिनट में पढ़ना चाहता हूं। सण्डे मैगजीन का कहना है कि—The World Health Organisation recommended in uppr limit of 50 milligrams of nitrate per litre of water in Europe and the EEC has adopted this as a mandatory ceiling. Some rivers and under ground water in south east England (and other parts of Europe) already exceed this level regularly. What is more much future pollution is now unavoidable 'today's surface nitrates will percolate due to deep water. resources to contaminate tomorrow's drinking water.

तो कहते हैं कि यह मैक्जीमम सीलिंग है और सीलिंग भी मेण्डेटरी सीलिंग है यह जो अत्यावश्यक सीलिंग है, घट ही नहीं सकती। इसके बारे में उन्होंने कहा—The Royal society team non the less believes that the EEC directive is unnecessarily strict.

वह कहते हैं कि यह जो डायरेक्शन, निर्देश दिये हैं, अत्यावश्यक रूप से बहुत ही सख्त हैं—In the the year 1976 drought many water supplies in Britain exceeded 100 milligrams of nitrate per litre yet doctors warned to look-out for

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

methaemaglobinaemia found no cases. The British water industry will probably seek (and get) waivers against the directive in certain cases.

यहां पर ब्रिटेन में 1976 में पानी की कमी हुई वहां इन्होंने नाइट्रेट पानी के अन्दर जो 100 पीपीएम से अधिक था वह पानी सप्लाई हुआ और जैसा कहते हैं कि डाक्टर्स ने उस नाइट्रेट के बढ़ने से मेथाएमाग्लोबीनिमीया की बीमारी होती हैं जिससे बेबीज नीले पड़ जाते हैं, बच्चे नीले हो जाते हैं, इस प्रकार के केसेज डाक्टर्स की वार्निंग के बाद भी वह एक भी ट्रेस आउट नहीं कर पाये। तो इस संदर्भ में मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि जब कि वहां के व्यक्ति, ऐसे फारेन कंट्रीज के व्यक्ति जहां पर कि प्रदूषण अत्यधिक कम है, जहां के लोगों की क्षमता है बीमारी को रोकने की हमारे हिसाब से से बहुत कम है, वहां भी इन मानकों से गिरे हुए पानी को पिलाया गया तब भी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि राजस्थान में जो मानक प्रेस्क्राइब हैं उन पर एक नजर वैज्ञानिक दृष्टि से भी डालनी पड़ेगी और यह मान कर चलना पड़ेगा कि जहां कहीं पानी इस प्रकार का होता है उस पानी को पिलाते हैं तो आवाज उठाने लगते हैं कि राजस्थान की सरकार इस प्रकार का पानी पिला रही है जो कि मानव को जहर पिलाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इस पर पुनः दृष्टि डालना आवश्यक हो गया है।

मैं यहां, श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि वर्ष 83–84 के अन्दर पेयजल की समस्या भारतवर्ष में निदान करने में राजस्थान प्रथम आया है। इसकी सराहना की है योजना आयोग ने और यह सराहना की सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कि राजस्थान की प्रगति इस मामले में अत्यधिक सराहनीय रही है। और तभी तो राजस्थान प्रथम रहा, श्रीमन्, इस समस्या का निदान करने में। राजस्थान में प्रगति हुई है उसमें अवरोध पैदा हुआ है, एक दिक्कत पैदा हुई है और अधिकारियों का मनोबल गिरा है। यह जो चर्चा थी श्रीमन्, यह भी काफी दिनों तक चलती चली आयी कि राजस्थान में जो रेट्स ड्रिलिंग की दी गयी, रेट्स हैण्ड पम्पों की दी गयी वह इतनी अधिक थी उसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई गोलमाल हुआ होगा। यह भी काफी दिनों तक बात चली। मैं समझता हूं कि इस संबंध में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल एक बात सदन के सामने रखना चाहूंगा कि वह रेट्स जो कि राजस्थान सरकार ने, इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 1980 के बाद में दी क्या उन रेट्स से पहले काम नहीं होता था? क्या उन रेट्स पर कांग्रेस (आई) सरकार आई उसके पहले काम नहीं किये गये थे? उसमें कितना फर्क था उस पर भी आपको एक नजर डालनी पड़ेगी, श्रीमन्। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तारीख 21–1–1980 को जो चीफ इंजीनियर थे,

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

अजमेर डिवीजन में इस समय की सरकार नहीं थी पूर्व की सरकार थी, उदयपुर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, डूंगरपुर और अजमेर के लिए जो टेण्डर इन्वाइट किए, उनमें उस समय क्या रेट्स आयीं ? उस समय रेट्स आई हैं सोफ्ट सोइल की 150 रुपये प्रति मीटर, हार्ड राक पर 240 रुपये प्रति मीटर और प्लेटफार्म बनाने के लिए जो रेट्स आयी 50 पर्सेन्ट बी० एस० आर० से अबव थीं। एक ही टेण्डर नहीं, एक ही जगह पर टेण्डर नहीं, बल्कि एडीशनल चीफ इंजीनियर, अजमेर ने जब कोटा, बूंदी और झालावाड़ के टेण्डर मांगें, जिसका एप्रूवल, श्रीमन् हुआ, 23-1-1980 को उस टेण्डर में भी यही रेट्स थीं, 150 रुपये सोफ्ट सोइल की रेट्स थीं, 240 हार्ड राक की और बी० एस० आर० से 50 पर्सेन्ट अबव कन्स्ट्रक्शन आफ प्लेटफार्म की थी। यही रेट्स, श्रीमन्, करीब-करीब रिपीट हुई हैं। एस० ई० कोटा ने कोटा और झालावाड़ के लिए 13–9–1980 को टेण्डर इन्वाइट किए। जब इस बात की ज्यादा चर्चा हुई, रैनी सीजन्स में अलाऊ करने के लिए, काम का रैनी सीजन्स का फायदा देने के लिए उसी रेट्स के अन्दर काम दिये। श्रीमन्, 4-9-1980 को जो कमेटी ऑफ डायरेक्शन की थी, इन्हीं रेट्स को बेस मान कर काम आगे चला। तो यह दो चर्चा हुई। श्रीमन्, राजस्थान की पेयजल समस्या के निदान में जो प्रगति होती चल आ रही थी उसमें निश्चित रूप से अवरोध पैदा किया, बिना बात का एक बतंगड़ जो बना, अकारण ही उस सरकार को दोष में रखने का प्रयास किया गया, बिना कारण ही सरकार पर लाँछन श्रीमन्, लगाये, कारण कुछ नहीं। जो रेट्स पूर्व वर्ती सरकार के सामने थीं और एक ऑफिसर के सामने नहीं आयीं, एक रीजन्स में नहीं आयीं बल्कि 3–4 रीजन्स के अन्दर जो रेट्स आयीं, उन्हीं रेट्स को कमेटी ऑफ डायरेक्शन ने मानकर 4–9–1980 का, श्रीमन. काम, को सम्भाला गया। उसका इस प्रकार से चित्रण किया गया, राजस्थान के अखबारों में, हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के बाहर विदेशों के अन्दर उस बात की छवि बिगड़ी। एक बात सामने आयी कि राजस्थान के अन्दर कोई बहुत ही इस प्रकार से काम किया जा रहा है पेयजल की समस्या के अन्दर, जहां पर किसी को विशेष रूप से फायदा दिया जा रहा हो और राजस्थान सरकार जैसे कोई आँख मींचकर काम कर रही हो, यह मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसमें वास्तविकता क्या है वैसे तो....

श्री परसराम मदेरणा : 1980 के अन्दर जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त में जो रेट्स एक्सेप्ट हुई थीं उसमें एक्सक्लूड करने का था। यह जो सितम्बर, 1980 के अन्दर हुए हैं उसमें लेजिस्लेशन का पीरियड जो है माइनस किया जायेगा, उसमें घटाया जायेगा।

श्री हरिसिंह : यह बात नहीं है। यह बात नहीं है लेकिन रेट्स तो वह ही थीं।

श्री परसराम मदेरणा : रेट्स तो वही सेम रेट्स ।

श्री हरिसिंह : यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सेम रेट थीं, वह ही रेट थीं और वही रेट्स उस सरकार के सामने थीं । मैं कोई सरकार के ऊपर यह नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार ने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया । लेकिन जो रेट्स उस समय आयीं वही रेट्स इस समय आयीं, रिपीट हुई और उसके बाद भी....

(व्यवधान)

यहां रिकमण्डेशन का सवाल भी नहीं है । जो टेण्डर होते हैं, अखबारों में साया होता है, वह रेट्स रिपीट होती हैं उससे अगर कोई कम करवाना चाहे तो मना करते हैं, रेट्स कम करवाने के लिए कोई मैदान में आये, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है, कोई काम करना नहीं चाहता । लेकिन आरोप लगाने के लिए, प्रत्यारोप लगाने के लिए तैयार होते हैं । उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था, मेरी हर्गिज मन्शा यह नहीं है कि आप इसकी रेट्स बढ़ा दें या इसकी रेट्स घटा दें । रेट्स बढ़ाना या घटाना किसी के हाथ की बात नहीं है । रेट्स तो ओपन टेण्डर में जो आती हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है । मैंने सिर्फ आपके सामने यह बात रखी कि वही रेट्स थीं जिसके बारे में चर्चा हुई, जो रेट्स 4-9-80 से इतने टाइम पहले मांगी गयी थीं ।

मैं, श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि इस को देखते हुए मैंने आपको निवेदन किया, एक तो अपने जो रासायनिक मापदण्ड हैं उस पर विचार करना होगा । दूसरा, मैं अपने जिले की जो समस्या है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे पड़ोसी मित्र, जो बहरोड़ से आये हैं चर्चा की इस बात की कि उनके यहां पर हैण्ड पम्प की स्कीम अच्छी तरह से सक्सेस्फुली चल रही है । मैं इससे कोई इन्कार नहीं करता, मैं इसका कोई विरोध भी नहीं करना चाहता हूं । वहां पर किसी भी स्कीम में उनके यहां हैण्ड पम्प कारगर हुए होंगे, उन्होंने इस बात के लिए ध्यान भी दिलाया और खुद जाकर हैण्ड पम्प लगाये, लेकिन कहीं-कहीं पर....

श्री समरथ लाल : यह भी कहा है कि केवल वहीं पर सजग एम०एल०ए० हैं और कोई नहीं ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : यह बात सही हो सकती है कि वे सजग रहे हों, और भी एम० एल० ए० सजग ही हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर समस्या ऐसी होती है कि वहां पर कोई स्कीम कारगर होती है, कहीं पर कई स्कीम कारगर नहीं होती हैं

श्री अनंग कुमार जैन : सजग एम० एल० ए० तो....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, भाषण जारी रखें ।

श्री हरिसिंह : मैं किसी के पानी उतारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पानी दिलाने की बात कर रहा हूं। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि हमारा जो क्षेत्र है, भरतपुर का जो इलाका है, भरतपुर में भी खास करके जहां से मैं आता हूं उसमें पानी जो अवेलेबल है, जब आप सर्वे ऑफ इण्डिया का नक्शा देखें तो उसमें आपको यह नजर आयेगा पूरा इलाका ब्रेकिस वाटर दर्ज किया हुआ है। वहां पानी मीठा उपलब्ध ही नहीं है। पानी आप नीचे कितना भी चले जायें, 100 मीटर जावें, 200 फीट जावें, 300 तक भी अगर आप चले जाय तब भी मीठा पानी आपको मिलेगा नहीं। जहां पर मीठा पानी है ही नहीं वहां पर यह आपके हैण्ड पम्प की स्कीम में सिवाय उन इलाकों को छोड़कर जहां मीठा पानी मिल जाता है अधिकांश गांव के अन्दर हैण्ड पम्प लगाने मे मीठा पानी उपलब्ध नहीं होगा। यह आप तर्क दे सकते हैं कि आदमी के लिए 100 लीटर की आवश्यकता में कम से कम 50-40 लीटर पानी नहाने या किसी और काम आ सकता है। लेकिन इस तर्क से हम किसी तरह की योजना लगायें उससे अपना निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में जहां से मैं आया हूं, जहां पर मीठा पानी है नहीं, खारा पानी है और जब खारे में हैण्ड पम्प लगायेंगे तो खारा पानी आयेगा। जब खारा पानी आयेगा तो खारे पानी के हैण्ड पम्प को लोग पसंद नहीं करेंगे, कम से कम इस हिसाब से उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, इस हिसाब से मेन्टेन नहीं करेंगे जैसा कि खुद का कोई हैण्ड पम्प हो। वह जो उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी उस हैण्ड पम्प के अन्दर है वह उसी क्षण कम हो जाती है कि उसमें खारा पानी देखते हैं। कितना भी सजग से सजग गांव हो, कितना भी सजग से सजग एम० एल० ए० हो, खारे पानी को मीठे पानी में परिणत नहीं कर सकता। खारे पानी के हैण्ड पम्पों को ग्राम के निवासी मेन्टेन नहीं कर सकते। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर पर कि मीठा पानी नहीं है, केवल खारा पानी है, हैण्ड पम्पों की स्कीम के स्थान पर आपका जितना भी पैसा है, यह तो सरकार के बजट पर निर्भर करता है कि कितना पैसा है, जो भी पैसा है आप इस प्रकार की रीजनल स्कीम में लगायें जो कि स्रोत देख कर जहां मीठा पानी है वहाँ लगाये। मैं सरकार से इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो हमारा क्षेत्र है वहां पर हैण्ड पम्पों की गुंजाइश बहुत कम है, वहां पर रीजनल स्कीम की जरूरत है। इस प्रकार से वहां के गांवों को जहां मीठा पानी दे सकें वहां शुरू करें। इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर हमारा क्षेत्र तो कम से कम राजस्थान में पेयजल की इस बात की सराहना कर रहा था कि राजस्थान पेयजल की समस्या का निदान करने में भारतवर्ष में प्रथम रहा है वहां हमारा इलाका आपके राजस्थान में दौड़ में पीछे हैं। हमारे गांवों में उतना निदान नहीं कर सके जितना कि निदान राजस्थान का इस सम्वन्ध में हो चुका है। आप गांव की आवादी के हिसाव से ले लें, कितनी जनसंख्या लाभान्वित की है। मैं मानता हूं इस बात के लिए कि राजस्थान में आपने आज तक 67 प्रतिशत लोगों को

(श्री हरिसिंह)

लाभान्वित कर दिया है। राजस्थान में पैसा भी इस समस्या के हल के लिये काफी खर्च किया है। जहां 1975–76 के अन्दर 2.49 करोड़ खर्च किया था, 1978–79 में 3.49 करोड़ खर्च हुआ, 1979–80 में 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 1983–84 में आप देखें तो 33.64 करोड़ तो सामान्य पैसा था और साढ़े सात करोड़ रुपये का बोनस का राजस्थान सरकार को इस बात के लिये दिया कि राजस्थान में सराहनीय काम हुआ था। राजस्थान में 41 करोड़ रुपया इसके निदान के लिये खर्चा हुआ। जहां पर 1979-80 में 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था इस समस्या के निदान के लिये वहाँ पर 1983-84 में 40 करोड़ खर्च हुआ यानि कि 20 गुना खर्चा हुआ। 20 गुना लाभान्वित हुआ है। प्रगति का तो कोई अन्दाज नहीं, पिछले सब इन्डेक्स फैल हो जाते हैं, लेकिन इसके हिसाब से मैं दुबारा आपका ध्यान यहां लाना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में इस प्रगति को देखते हुए पीछे हैं। हमारे यहां पर रीजनल स्कीम का काम पूरा नहीं हो पाया है। कारण यह बताया जाता है कि हमारे यहां की रीजनल स्कीम्स को केन्द्रीय सरकार ने जो ए. आर. पी. है ग्रामीण क्षेत्र में त्वरित योजना है, उसमें मंजूरी नहीं मिली है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान को यह मानकर चलते हैं कि वहां पर पानी की कमी नहीं है। ठीक है वहां फ्लड आती हैं, यह सही है कि फ्लड की पोजीशन होती है, यह ठीक है कि नदियों के अन्दर पानी आ जाता है और इलाके में पानी फैल जाता है लेकिन अगर एक साल भी पानी नहीं आता है तो पानी नीचे चला जाता है और मीठा पानी खारा हो जाता है। उसको इस हिसाब से मानकर चलें और भारत सरकार के सामने इस पक्ष को रखें। पूर्वी राजस्थान में ऐसे पाकेट्स हैं चाहे सर्वे ऑफ इण्डिया की बात उनके सामने रख सकते हैं, नक्शे रख सकते हैं, पानी का नमूना लेकर लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट्स हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। वहां पर ए. आर. ई पी. की स्कीम्स में कन्वर्ट करके इन स्कीम्स को करें, यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, पेयजल के सम्बन्ध में।

जहां तक, श्रीमन्, सड़कों का सवाल है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनट में बात समाप्त रहा रहा हूं। सड़कों के सम्बन्ध में काफी दिनों से चर्चा सुनने में आ रही है कि सरकार एक-एक क्षेत्र में 45–45 किलोमीटर सड़क बनायेगी। ईश्वर करे सरकार की बात पूरी हो। लेकिन मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि 45 किलोमीटर न बनाये, कम बनाये, चाहे 15–20 किलोमीटर ही बना दे तो उसके लिए ही हम आपको अपने हृदय से मन से कहेंगे आप, हजारों साल जीयें, भगवान आपको मालामाल करे, भगवान आपके लिए और तरक्की करे।

(व्यवधान)

(श्री हरिसिंह)

मालामाल करे से मतलब यह है कि जब-जब बजट में कमी की बात आती है तो वित्त मंत्रीजी सड़कों के पैसे को कम करते हैं। वे सोचते हैं कि 50 लाख का खर्चा कहां कम करूं, तो 2-4 करोड़ एक ही आइटम में कम कर देता हूं। जब वित्त मंत्रीजी का कुल्हाड़ा चलता है तो सड़कों के आइटम पर ही चलता है जब कि सड़कों की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज हर ग्रामवासी चाहता है, मांग करता है तो यह करता है कि सड़क चाहिए। औषधालय की मांग करता है, स्कूल की मांग करता है।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, कारागृह) : 9 करोड़ तो एन.आर.ई.पी. ने दिये हैं।

श्री हरिसिंह : यह तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप 9 करोड़ को 90 करोड़ कर दें, डांगी साहब, तो आपको और धन्यवाद देंगे। हम तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि 9 करोड़ से तो आप 15-15, 20-20 किलोमीटर सड़क आसानी से बना सकते हैं, हर क्षेत्र में। आज सड़कों की राजस्थान में सबसे ज्यादा मांग है, मैं समझता हूं कि हर कोने से मांग है। सड़कों के सम्बन्ध में तो, वित्त मंत्री जी, आप हर वर्ष में एक बहुत ही कठोर रुख अपनाते रहे हैं, उसमें थोड़ी लीनियेंसी बरतें और सड़कों के लिए जो आश्वासन दिया है सरकार ने उसको पूरा करने के लिये वित्त मंत्री जी सड़क मंत्री जी की सहायता करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिये समय देने पर आभार प्रकट करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या 27 पेयजल योजना, 19-लोक निर्माण कार्य, 21-सड़कें एवं पुल, 13-आबकारी पर चर्चा कर रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब पर बोलेंगे क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : एक पर बोल लें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने कुछ कट-मोशन दिये हैं पेयजल योजना के ऊपर और मैं विशेष रूप से पेयजल योजना पर ही बोलना चाहूंगा। राजस्थान में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पूरे प्रदेश के अन्दर पेयजल की व्यवस्था करे। हमारी सरकार इस पर प्रयत्नशील है। आज पेयजल की पुराने समय से जो समस्या चली आ रही है, पहले राजाओं के राज थे, कहीं भी किसी गांव में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि गांवों के पेयजल की समस्या को राज्य स्तर पर हल किया जाय। लेकिन हमारी सरकार ने इस पेयजल समस्या को हल करने के लिये राज्य स्तर पर कार्य करने शुरू किये और 1974 के अन्दर राजस्थान के अन्दर सर्वे किया गया कि

(श्री मोहनलाल मोदी)

किन-किन गांवों में विशेषरूप से पहले हम को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए इस हिसाब से 34,968 गांव हैं उनके अन्दर 24,037 गांव समस्या-ग्रस्त राजस्थान में आये जिनमें की हमको पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी थी। यह मापदण्ड बनाया गया। वैसे समस्याग्रस्त गांवों की 1974 के अन्दर जो स्थिति उन्होंने ली है, मैं समझता हूं कि उस स्थिति में आज काफी बदलाव आया है। उस वक्त लोगों को इतना ध्यान नहीं था। आज भी जो सुविधा देने जा रहे हैं उसके अन्दर एक गांव के साथ जो बराबर लगा हुआ गांव है, उस गांव में हम यह सुविधा उपलब्ध करा देते हैं दूसरे जो बरा-बर का गांव है वह उससे महरुम रह जाता है। हालांकि परिस्थिति एक ही है इसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं आती...

श्री अनंग कुमार जैन : जो चाहते हैं वह बोल दें नीमकाथाना का।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी थके हुए हैं आप थोड़ा, इतनी जल्दी क्या है? आपका नम्बर तो शायद आयेगा नहीं क्योंकि काफी समय पहले ही ले लिया है। नीम-काथाना की बात है, आप ही की बात कह रहा हूं आप तो कह नहीं सकते हैं, आपकी बात कह दूं पहले फिर मेरी कह दूंगा। तो जो समस्याग्रस्त गांव की स्थिति उस वक्त रखी जिन गांवों को समस्याग्रस्त लिया, मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में वह सही नहीं है। आज की स्थिति में पूरा का पूरा एरिया ही हमको शामिल करके चलना पड़ेगा। अभी हमारे बजट भाषण में यह लिया कि इस वर्ष 17,490 जो गांव हैं, हम इन समस्या-ग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। हालांकि पिछले वर्ष से इस वर्ष मैं समझता हूं कि अभी जो मांग मंजूर करायी जा रही है उसमें काफी धनराशि अधिक रखी गयी है। यह पेयलज की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे पैसा अधिक है, डबल के करीब राशी है। पिछले वर्ष 83 करोड़ 10 लाख 80 हजार की राशि की डिमांड मन्जूर करायी थी इसके अन्दर। आज आपने 163 करोड़ 57 लाख 85 हजार की करायी हैं। इस स्थिति को देखते हुए हम आशावान हुए हैं कि हमारे पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। आज सबसे पहले आवश्यकता है, आदमी के जीवन में सबसे अगर जरूरी है तो पानी है। पानी सबसे आवश्यक है और आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में लोग जगह-जगह प्याऊ लगाते हैं इसीलिए कि हर आदमी को पानी की आवश्यकता रहती है। उसको कहीं कुंए पर जाने के बजाय सड़क पर ही पीने के लिये पानी आराम से मिल जाय। आज पानी की इस देश में जो स्थिति है, उस में चार तरह की योजनायें चल रही हैं। एक तो हैंडपम्प योजना चालू की है, एक पर-म्परागत स्रोत योजना है, तीसरी पम्प एण्ड टैंक योजना है, चौथी क्षेत्रीय योजना है। इस तरह से आप पेयजल की सुविधा उप-लब्ध कराना चाह रहे हैं। बहुत से मान-नीय सदस्यों को हो सकता है कि हैंड पम्प से कुछ एलर्जी हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हैंड पम्प योजना इस राज-स्थान के लिये वरदान है और क्यों है यह

(श्री मोहनलाल मोदी)

मैं समझाना चाहता हूं कि आप उस हैंडपम्प को जिस मोहल्ले में लगाते, हैं जिस व्यक्ति के मकान के आगे लगाते हैं उस को घड़े, वर्तन रखने की भी जरुरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अपने घर से सीधे आकर के लोटा भरकर भी पानी पी सकते हैं और गांव के अन्दर भी 24 घंटे पानी उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गयी कि एक तो आपने 250 आदमियों की जनसंख्या पर एक हैंडपम्प दिया। एक पंचायत में आपने 5-5,6-6 हैंड पम्प दे दिये। पंचायत की आबादी जो है वह काफी फैली हुई रहती है, कहीं 50 घर हैं, उस स्थिति में ये हैण्ड पम्प कुछ ही इलाकों में ही लग पाते हैं। उस पंचायत के पूरे क्षेत्र में नहीं लग सकते हैं। अब हमारे बजट भाषण में हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जो ढाणियां पंचायत के अन्दर हैं और जिनकी 250 की आबादी है उनमें भी यह हैंड पम्प लगाये जायेंगे। जैसा उन्होंने कहा है मैं समझता हूं कि इससे काफी राहत मिल सकेगी। लेकिन वे इस योजना को लम्बे समय में नहीं लगा करके पहले इसको निश्चित करें कि किन ढाणियों के अन्दर, लगायेंगे। मैं समझता हूं कि सब जगह से लिस्ट आपके विभाग को पहुंच चुकी है, ढाणियों की भी लिस्ट चली गयी है, उसमें एक ऑब्जेक्शन तो आपने ये करके भेज दिया कि तहसील से सर्टिफाई कराके भेजें। मैं समझता हूं कि पंचायत ने लिख दिया, पंचायत समिति ने मंजूर करके भेज दिया तो उसमें विशेष विवाद नहीं करके आपस में इस समस्या को हल करने के लिये विशेष रूप से ध्यान रखें।

एक और भी समस्या आपके सामने आयेगी। पानी है ही नहीं जिन इलाकों में उनके लिये आप किस तरह योजना करेंगे। मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि पहाड़ी एरिया है सारा, उसके अंदर बहुत गहराई तक जायेंगे, पानी नहीं मिल पायेगा। हैंड पम्प की स्थिति यह है, जो लगे हैं उनमें 90% हैंड पम्प काम कर रहे हैं, मीठा पानी भी उपलब्ध है उनके अन्दर, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आयी है कि पानी थोड़ा नीचे चला गया। पानी नहीं आता उसमें तो ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहाड़ी एरिया है उनके अन्दर छोटे-छोटे नाले रोक करके यह व्यवस्था करनी चाहिये कि वहां पानी की मात्रा, पानी का लेवल कुछ ऊपर आये और लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि समस्या ग्रस्त गांव की एक लिस्ट आपकी बनी उसके अन्दर मेरे यहां के 50% गांव आ गये और उन 50% गांवों में हैंड पम्प की योजना पूरी हो गई। पूरे वर्ष के अन्दर, 1,84 के अन्दर एक हैंड पम्प नया नहीं लग पाया। आपके यहां से एक आदेश हुए हैं। अब ये समस्या ग्रस्त गांव में हैंड पम्प लग गये बाकी गांव क्या करें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपको कम से कम एक हिसाब से करना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष आप कुछ गांवों को जहां समस्या ग्रस्त

(श्री मोहनलाल मोदी)

गांव आपकी लिस्ट में नहीं हैं वहां भी उस तरह के गांव में इस योजना को स्वीकृत करें। आपने जिला परिषद को यह अधिकार दिया है कि कुछ समस्याग्रस्त गांव जो रह गये हैं जिनको समस्याग्रस्त आप घोषित करना चाहें तो जो समस्या ग्रस्त गांव हैं उनको हटाकर उनकी जगह आप अपना जोड़ सकते हैं। जिस जगह ऐसी स्थिति नहीं है उनका आप क्या करेंगे ? आप कम से कम उसके अन्दर ये सुधार करिये कि जो गांव समस्या ग्रस्त घोषित होने से रह गये और जिला परिषद आपको लिखकर भेजे उनको आप समस्याग्रस्त घोषित करके और इस पेय जल की सुविधा को गांव में उपलब्ध करायें।

एक आपके यहाँ जो वाटर वर्क्स की योजनाएं चल रही हैं, बहुत पुरानी योजनाएं किसी जगह दस साल पहले शुरु हुई थी, किसी जगह 15 साल पहले की शुरु है। आज जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। आज मैं नीम के थाने का जिक्र करूं। नीम के थाने प्रोपर के अन्दर आज से दस साल पूर्व वाटर वर्क्स की योजना शुरू हुई थी। उस समय आबादी वहां पर 8 हजार की थी, 10 हजार की थी। आज वहां पोपुलेशन 25 हजार की हो गयी। उस 25 हजार की पोपुलेशन के लिये वाटर टैंक भी और चाहिये, पाइप लाइन भी बदलनी पड़ती है। उसके लिये आज स्थिति यह है वहां के पूरे के पूरे कस्बे के अन्दर आधे घंटे पानी मिलता है। लोग अब को कैसे बाल्टी भरे ? पहले पुराने जमाने में कुओं से पानी लेकर आते थे लोग लेकिन वह बन्द हो गया। अब आज यह स्थिति है कि एक दिन बिजली नहीं आये, पानी मिले नहीं तो सारे गांव के अन्दर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बिजली की भी ऐसी समस्या है कि बहुत अधिक समय तक उनको बिजली मिल नहीं पाती। जिस वक्त बिजली में कोई खराबी हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो तुरंत लोगों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। नीम का थाना मंडी की एक योजना आपके यहां आयी हुई है कि वहाँ दूसरा टैंक बनाकर के उस आबादी को उसमें शामिल किया जाव। मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ आप अपना पूरा ध्यान देकर के अब इस की सुविधा उपलब्ध करायेंगे, वहां पर मेरे यहाँ और भी ऐसे गांव हैं, आपने क्षेत्रीय योजना जो रखी, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद जिस वक्त यह योजना लागू कर रहे थे उस वक्त सीकर जिले को भूल गये। सीकर जिले में क्षेत्रीय योजना मेरे को तो कहीं नजर आ नहीं रही है कि कहीं भी पांच गांव, चार गांव आपने इस तरह के शामिल किये हों। वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है एक जो नगर-पालिकाये हैं---

श्री सभापति : फतेहपुर में है।

श्री मोहनलाल मोदी : फतेहपुर में भी और गांवों को शामिल नहीं किया गया। उसने एक फतेहपुर ही है ऐसा कि जिसके टल का ही गांव है। उसके पास में भी कोई

(श्री मोहनलाल मोदी)

दूसरा विलेज नहीं है उसके अन्दर क्षेत्रीय योजना आप इस तरह की लेंगे कि 5-7 गांवों को उसमें शामिल करें और उसके हिसाब से चलें। अगर एक ही पंचायत या नगरपालिका के एरिया को उसमें शामिल कर दिया जाय तो वह तो क्षेत्रीय योजना कहलायेगी नहीं, सीकर जिले को तो विशेष तौर से जहां पानी की समस्या है, आज यह स्थिति सबसे बड़े आ रही है कि हम लोगों के मन, में आम आदमी के अन्दर एक असंतोष बढ़ रहा है कि हमारे बराबर हरियाणा है। हरियाणा में आप चले जाइये, गांव-गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, एक-एक गांव के अन्दर बिजली पानी की व्यवस्था है। तो आज हमारे सारे लोगों के मन में इस तरह का आता है, उनके बराबर रिश्तेदार रहते है यानि मेरे यहां बिल्कुल सारी बाउंड्री से मिला हुआ हरियाणा का एरिया है। वहां पर सारी सुविधाएं हैं और हमारे यहां आज न सड़क है, न बिजली है, और न पानी की यह स्थिति है। इस तरह से सारे गांव में है आज इस तरह का वातावरण लोगों के दिमाग में आता हैं। सड़क का ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमन्, बात जो कह रहा हूं सारे राजस्थान की बात है। अब अपने क्षेत्र की बात है....

श्री सभापति : राजस्थान बहुत विशाल है।

श्री मोहनलाल मोदी : तो आज ऐसी स्थिति है वहां पर कि सड़कों से एक-एक गांव एक-एक ढाणी जुड़ी हुई है हरियाणा के अन्दर और आज मेरे क्षेत्र कीबात, जैसा बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमारा एक पंचायत यानि तहसील हैडक्वार्टर भी सब जगह से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर माननीय मंत्री महोदय को मैं ध्यान दिलाऊं तो नीम के थाने पुरी कांस्टी ट्युएंसी में एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि जो आठ साल के अन्दर इन्होंने नयी स्वीकृति देकर बनायी हो। तो मैं सड़क के मामले में तो बाद में कहना चाहूंगा लेकिन हरियाणा के मुकाबले में हम लोग यह चाहते हैं वहां बराबर के जो प्रदेश हैं छोटा सा हमारा हरियाणा है और हमारे राजस्थान, हालांकि राजस्थानि की स्थिति, फायनेंस की स्थिति अकाल के कारण बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पेयजल का मामला जहां तक है, हम लोगों को, आम आदमी को पानी की व्यवस्था करने के लिये पूरी तरह से सजग रह करके मैं समझता हूं कि इसको पूरा करना चाहिये...

(समय समप्ति सूचक घंटी)

बहुत समय नहींमें लूंगा। मैं तो थोड़ी सी बातें कह कर ही समाप्त करना चाहूंगा।

मेरे यहां कई गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हैंड पम्प भी एक दो जगह लगाये गये वे भी कामयाब

(श्री मोहनलाल मोदी)

नहीं हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानावास और नापावाली पंचायत है उनके अन्दर पानी की विशेष दिक्कत है। जहां एक पीला जोला नाम का एक जोहड़ है जहां पानी बहुतायत में मिलता है, इस 4-5 कि. मी. के एरिया में 5-7 गांव आस पास लगते हैं उनके अन्दर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्षेत्रीय योजना बनाकर उन गांवों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करें और जो गांव हैंड पम्प की योजना से महरूम रह गये हैं उनके अन्दर अधिक से अधिक इस सुविधा को दें, यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

सड़क के मामले में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नीम का थाना एरिया सड़कों से बिल्कुल वंचित है, शायद मंत्री महोदय का ध्यान सीकर जिले की तरफ बहुत कम है। सीकर जिले का दुर्भाग्य तो इस बात से मैं मानता हूं कि मंत्रिमण्डल में वहां का कोई सदस्य नहीं होने की वजह से सीकर जिला हर एक काम में पीछे रहता है। लेकिन सड़कों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप एक भी सड़क नहीं दे पा रहे हैं। आपकी इस वर्ष की योजना है, आप 45-40 किलोमीटर सड़कें हर एक क्षेत्र में देना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे गांवों की तरक्की होगी। हमारा एरिया ऐसा है कि वह पहाड़ी एरिया है। यातायात के साधन नहीं होने से, सड़कें नहीं होने से न बस जा सकती है, न और कोई साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक ध्यान देकर इन सड़कों पर भी पूरी तरह से ध्यान दें।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं पहले तो पानी के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। उसके बाद में एक-दो मिनट सड़कों के बारे में बताऊंगा। मेरा क्षेत्र कामां ऐसा कस्बा है जहां पर हर साल करीब-करीब दो बार यात्री लोग आते रहते हैं। क्योंकि यह कस्बा हमारे तीर्थ के नाम से मशहूर है, यहां पर कन्हैया जी ने जन्म लिया, जहां जहां भी उन्होंने अपनी गऊ चराई, और जहां उन्होंने पानी पिलाया, जहां उन्होंने गऊओं को बिठाया, जिस जगह पर भी अपनी लीलायें दिखाई, उन्हीं को देखते हुए वहां दूर दराज के हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यात्री लोग आते रहते हैं। उन लोगों के लिए वहां पर पानी की बिलकुल सुविधा नहीं है। छोटे से कस्बे के अन्दर, जो एक कस्बा है, एक टंकी सरकार ने बनाई है, वह सबसे नीची है। जबकि कस्बे के अन्दर बहुत ऊंचा गढ़ है, जहां पर राजा का महल बना हुआ है। वहां एक किला भी है। उसके पास उसमें 3-4 वार्ड भी हैं उनमें उन लोगों को एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचता। इसलिए मैं बार बार यह कहता चला आ रहा हूं सरकार को कि गढ़ के ऊपर एक छोटी टंकी बना दी

(श्री चाव खां)

जाये तो पूरे कस्बे को आराम से पानी पहुंच सकता है। वरना उन लोगों ने कनेक्शन तो कटवा लिये और वह दुखी हैं, परेशान हैं। जब भी मैं वहां पर पहुंचता हूँ, वह एक ही बात की शिकायत करते हैं। इस लिए एक टंकी का वहां बनाया जाना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र के अन्दर जहां पानी की बात है, वैसे मेरे क्षेत्र में करीब करीब 55 या कमोवेश गांवों में हैंड पम्प लगे हुए हैं।

इस बात की खुशी है कि सरकार ने जो हैण्ड पम्प लगाये वह इस नीयत से लगाये कि वहां पर लोगों को पानी की सुविधा मिले। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उन हैण्ड पम्पों में से 80 फीसदी ऐसे हैं जो खराब हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जिला भरतपुर के अन्दर आम तौर पर पानी आपको खारा मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार का पैसा बेकार खर्च हो। जहां हमारे पास मीठा पानी मौजूद है सरकार वहां पर अपना पैसा बिलकुल खर्च नहीं करे, हैण्ड पम्प लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आप से कभी भी इस बात की मांग नहीं करूंगा कि जहां हमारे पास पानी मीठा है, जहां हमारे पास कुएं हैं वहां हैण्ड पम्प लगाये जायं कोई बात नहीं। हम वहां चाहते हैं, जहां पानी नहीं है, वहां हैण्ड पम्प लगायें। नीचे भी पानी नहीं वहां पर जहां से भी पानी मिले सरकार वहां से लाकर उन गांवों को पानी दे।

कस्बा पहाड़ी की बात करता हूं। कस्वा पहाड़ी के अन्दर, जब मैंने शुरू में 1981-82 में पानी के बारे में निवेदन किया था तो छपरे में आपके अधिकारियों ने बराबर मुझे बताया कि हम आपको फिलहाल पानी दे सकते हैं लेकिन हमें एक कुए की व्यवस्था करनी है। मैं दो तीन दिन तक छपरा गांव में गया। क्योंकि वहाँ पर मीठा पानी है, वह गांव पहाड़ी के पास में है, वहाँ उन लोगों से कुआं लिया और कुआं लेकर उन लोगों को समझाया कि अगर यहाँ पर आप यह कुआं सरकार को पानी के लिए दे देते हो तो यहां पर आपके लिए सड़क भी आयेगी, आपको बिजली भी जल्दी से जल्दी मिलेगी। इसी बात को उन्होंने मद्दे नजर रखते हुए एक कुआं दे दिया, जिसकी रजिस्ट्री सरकार को करा दी गयी। इसके उपरान्त जब वह पानी वहाँ से कस्बा पहाड़ी के लिए दिया जा रहा है, मैं यह कहता हूं, वह ना के बराबर है। उसका कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि नल जो लोहे के होने चाहिऐ थे वह सीमेण्ट के लगा दिये। वह सीमेण्ट का नल भी अगर होता तो कम से कम 3-3 फीट नीचे दबाया जाता, जिससे जो जंगल में रहते हैं वह उसको खराब नहीं करते। जगह-जगह पर उसको तोड़ दिया जाता है। इसके बावजूद, पानी इतना मीठा है कि जिसके बारे में मैं आपको कह नहीं सकता। एक खारी कुआं पहाड़ी में है। उस पहाड़ी से फिर पानी को खारे पानी में डाला जाता है। जब वह पानी उसमें डाला जाता है तो उसका जायका बहुत खराब हो जाता है। उसमें से फिर टंकी में पानी पहुंचाया जाता

(श्री चाव खां)

है। तब वह कस्बे को दिया जाता है। इसके अलावा भी वहां पर एक महीने में करीब करीब कस्बे के लिए 20 दिन ही पानी मिलता है। 10 दिन तक वह परेशान रहते हैं। कभी उनकी बिजली काम नहीं करती है, कभी वह लापरवाही कर जाते हैं इसलिए वह पानी न मिलने के बराबर है इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हू कि वहां पर जब तक टैंक नहीं बनाया जायेगा तब तक पानी सही ढंग से कस्बे को नहीं मिलने पायेगा।

इसके अलावा मैं यह भी सरकार को दरख्वास्त करता हूं कि जो भी आस पास के गांव हैं, जैसे खुद मेरे गांव का इलाका है, वह उस नल से 200–250 मीटर की दूरी पर है। जहां बिलकुल पानी नहीं है. वहां हमारी माता बहनें 2–2, 3–3 कि. मी. से जाकर पानी लाती हैं, सिरों पर उठाकर लाती हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उस नल से मेरे गांव को भी जोड़ा जाय क्योंकि वहां से सिर्फ 200-250-300 गज की दूरी पर से नल जा रहे हैं।

इसके अलावा, मेरी तीन पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बिलकुल पानी नहीं है। वह है घाटमी का पंचायत। उस पंचायत के किसी भी गांव में पानी नहीं है। लोग पानी के लिए बहुत तरसते हैं। बड़ी दूर दराज से, जहां से, जिस गांव से पानी मिलता है वहां से पानी लाते हैं। एक घाटमी का पंचायत, घौलेट पंचायत और यह ऊंचेड़ा पंचायत, इन गांवों में बिलकुल भी पानी नहीं है। जहां भी कुएं लगाये गये, पम्प लगाये गये वे सब खारी हैं, बेकार हैं. जो पैसा खर्च हुआ सिवाय बरबादी के उनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

अब मैं थोड़ा सा सड़कों के ऊपर भी आ जाता हूं। सड़कों का मामला ऐसा है, मैं 4 साल से सरकार को यह बताता चला आ रहा हूं, मुझे तो शर्म आती है क्योंकि मैं वहां पर रहता हूं लेकिन मेरी सरकार को शर्म नहीं आती। कामां के अन्दर जो यात्री लोग आते हैं वह जैसे अगर, आप जान नहीं सकते, अरब के अन्दर जहां जहां भी हम लोग जाते हैं, वहां सरकार ने छाया के लिए उन सड़कों को पटवा दिया है और आप यहां पर 3–3, 4–4 किलोमीटर की सड़कें उन यात्री लोगों के लिए नहीं बनवा सकते। बड़े शर्म की बात है। बार बार मैंने कहा। मेरे क्षेत्र कामां के अन्दर जहां जहां भी यात्री लोग जाते हैं, बरसाना है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वह कामां से 3–4 किलोमीटर की दूरी पर है. एक कदमकुण्डी है, जहां कन्हैया जी, कृष्ण जी अपनी लीलायें दिखाते थे, वहां कदम्ब के पेड़ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, वह क्षेत्र वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन यात्री, ज्यादातर औरतें वहां पर बेचारी बीच में पानी में पैदल चलकर वहां पहुंचती हैं लेकिन वहां पर सड़क नहीं बनाई जाती। पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर, मंत्री महोदय वहां के रिश्तेदार भी हैं, आते जाते भी रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, इन यात्री लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए क्योंकि सोचते। मैं अपने लिए नहीं मांगता। मेरे इलाके में दूसरी सड़कें बनाई जायें या नहीं बनाई जायें लेकिन यात्रियों के लिए और तीर्थ स्थानों के लिए खुदा के लिए, ईश्वर के लिए सड़क दे दी जायं। बार बार मैंने मंत्री

(श्री चांद खां)

महोदय से कहा कि आप चलकर देखिये सारे यात्री 84 कोस की परिक्रमा लम्बे लौट—लौट करके, दण्डवत देकर देते हैं उन लोगों की इतनी समस्या है और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। यहां पर सरकार का जो पैसा खर्च होता है उसका मुझे बड़ा दुःख होता है। वहां पर लोग यह कहते हैं कि हमारा नुमाइन्दा मुसलमान हो गया है। इसलिये हमारे क्षेत्र के तीर्थ— स्थानों के लिये लोग कोशिश नहीं सकते हैं। मैं बार-बार यहां पर कहता हूं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। इसलिये फिर कहता हूं कि उन सड़कों को इसी साल जोड़ा जाय।

जय हिन्द।

श्री सभापति माननीय श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, आज जल—प्रदाय सड़कों के सम्बन्ध में और आबकारी की मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में मैंने भी अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, जैसा महुआ से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि राजस्थान में कुल 34,968 गांव हैं उसमें से 24037 गांव समस्या ग्रस्त हैं। इन गांवों में राजस्थान सरकार ने जून में बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से काम किया ! क्योंकि 1980 तक 4,425 गांव जुड़े हुये थे बाकी के सारे गांव 1980 से लेकर 1984 के बीच में जोड़े गये। इसी तरह से जितने भी गांव अभावग्रस्त थे। उनमें 17,700 गांव करीबन पानी से जुड़े हुये हैं लेकिन जोड़े जाने के बाद अभी भी उन गांवों में व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं है। सरकार तो धन्यवाद की पात्र है ही कि 1980 तक इनके लिये कोई योजना नहीं थी और 1980–81 में 10 जिलों को विश्व बैंक के अन्तर्गत ऋण लेकर के योजना लागू की गई, तो 10 जिलों को विश्व बैंक से ऋण लेकर लाभान्वित किया जायेगा।

श्रीमान् सभापति महोदय, उस वक्त मुख्य मंत्री पहाड़िया जी ने यह घोषणा की और उस घोषणा के आधार पर इन 10 जिलों के सिवाय राजस्थान के सारे जिले इस योजना के अन्तर्गत लिये गये थे। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि जहां पर विश्व बैंक का ऋण नहीं मिलेगा वहां समस्त जिलों पर पानी उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान सरकार अपने बजट में से पैसा मुहैया करायेगी। इस तरह से कुल मिलाकर के विश्व बैंक का ऋण और राजस्थान सरकार ने जो धन उपलब्ध कराया था उन सबको मिलाकर राजस्थान सरकार ने जो पिछले सालों में जिन गांवों को पानी उपलब्ध कराया है यह वास्तव में ही सराहनीय कार्य है। यह आंकड़े जो आपके सामने प्रस्तुत किये थे यह उनसे भी स्पष्ट जाहिर है। मैं आंकड़ों में दुबारा नहीं जाऊंगा, श्रीमान्, लेकिन एक बात मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा। वह यह है कि बार-बार इस सदन में जोधपुर के पानी के सम्बन्ध में, जोधपुर में जो हैण्ड पम्प लगाये

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गये थे उनके सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। 1983 से निरन्तर यह चर्चा की जाती है कि जोधपुर को जो पानी दिया जा रहा था वह जहरीला था। वह पानी जोधपुर को नहीं दिया जाना चाहिये था। सरकार ने इसके बारे में कई बार उत्तर दिये थे और यह जस्टीफाई करने की कोशिश की थी कि जोधपुर को जो पानी दिया गया था वह ठीक था।

इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है वह मैं सरकार के समक्ष इसलिये रखना चाहता हूं कि अगर वह जानकारी सही है तो वास्तव में सरकार तो धन्यवाद की पात्र है लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष को इस तरह की गलतफहमी क्यों हैं और वह क्यों जनता को सड़क पर गुमराह करता है। अगर मेरे को जो जानकारी है वह सही नहीं है तब मैं सरकार से यह चाहूंगा कि वह अपने आपकी स्थिति स्पष्ट करे कि वास्तव में यह हैण्ड पम्प के मामले जो बार-बार सदन में उठ रहे हैं उसमें वस्तुः स्थिति क्या है।

मान्यवर, जोधपुर में पानी का संकट 1981 में आया। 1981, जून में जब वर्षा नहीं हुई थी तो वहां पानी की कमी को देखते हुये जो अमूमन जोधपुर को पानी हेमावास–पाली के बन्धे से मिलता है या सुमेरपुर से मिलता है। जब इन बन्धों में पानी नहीं आता है और जोधपुर में वर्षा नहीं होती है तो पानी की बहुत कमी हो जाती है। उस वर्षा को देखते हुये और पानी की कमी को देखते हुये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जोधपुर में लोकली पानी उपलब्ध कराने के लिए तथा समस्या से निपटने के लिये हैण्ड पम्प बनवाये जायं। हैण्ड पम्प की स्वीकृति दे दी गई थी। यह हैण्ड पम्प सितम्बर, 1981 में जब बनकर तैयार हो गये थे तब जोधपुर को 1–9–1981 से एक समय पानी देना शुरू कर दिया गया और बाकी के जोधपुर के निवासियों को यह आगाह किया गया कि अपने इलाके में जो हैण्ड पम्प खोदे गये गये हैं उनसे आप पीने के सिवाय अन्य जितने भी कार्य हैं उनके लिए इस पानी का उपयोग कीजिये।

उसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 7–5–1982 को जब केन्द्रीय सहायता टोली आई थी, उसके सम्मुख जोधपुर के निवासियों ने और वहां की नगर परिषद् के लोगों ने यह निवेदन किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी तरह के प्रतिनिधि थे, जोधपुर में जो हैण्ड पम्प बनाये गये थे उससे निश्चित रूप से हमें लाभ हुआ है इसलिये हमारे यहां पर डेढ़ सौ, दो सौ हैण्ड पम्प और बनवाये जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष ने और विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने हैण्ड पम्प वाले मामले में जो टिप्पणियां की हैं और जिस तरह से यह मामला सदन में पेश किया था यह समझ में नहीं आता कि जोधपुर की जनता और जोधपुर के लोग तो चाहते थे कि हैण्ड पम्प लगवाये जायें और उन्होंने यह बात कही कि हैण्ड पम्प गलत बने हैं।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 1983 में माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने यह मामला सदन में प्रस्तुत किया, सन् 1982 में जब हम लोग माउन्ट आबू गये थे, हमारी कमेटी जब वहां पर गई थी, उस समय माउन्ट आबू में बहुत बारिश हुई थी, सुमेरपुर में और छोटी-बड़ी जगहों के सब बन्धे भर गये थे, आने जाने के रास्ते रुक गये थे, रेलें बन्द हो गई थीं, उसके बाद में जब सदन में यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय आये तो यहां आते ही उन्होंने यह मामला उठाया था कि जोधपुर में जितने हैण्ड पम्प बने हैं वह सब जहरीले पानी के हैं। तो यह बात समझ में नहीं आती कि 1981 से लेकर 1983 के पूर्व में जब वर्षा नहीं हुई थी और पीने का पानी उपलब्ध नहीं था तब यह मामला सदन में क्यों नहीं उठाया और जब जोधपुर को पानी उपलब्ध होने के लिये सारे बन्धे भर गये तब यह मामला सदन में उठा तो उसका कारण क्या था? यह दोनों ऐसे मामले हैं जो सिवाय सदन को और जनता को गुमराह करने के और कुछ नहीं करते।

मैं आपको और स्थिति स्पष्ट करने के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को के उन्होंने राजनीति से जोड़ा राजनीति से जोड़ कर इस सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर यह लांछन लगाया कि जितने भी हैण्ड पम्प जोधपुर में बनाये गये थे वह वहां होने वाले नगर पालिका के, नगर परिषद् के चुनाव को ध्यान में रखते हुये बनाये गये थे। अगर यह बात सही है, अगर यह किया गया था तो इसका मतलब फिर भी है. हैण्ड पम्प जो बनाकर दिये गये उनका पानी खराब है या अच्छा है इससे आपका सम्बन्ध नहीं था आपका राजनीति से सम्बन्ध था। क्योंकि राजनीतिक सम्बन्ध से कोई भी काम किया जाता है तो पहले यह देखा जाता है कि वह पानी कैसा है, उसका जनता को वास्तव में लाभ होगा या नहीं होगा, धन्यवाद जनता से उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन यह मामला भी नहीं था, उस समय विपक्ष ने इस सदन में जितने भी मामले रखे वह गुमराह करने के लिये रखे।

चुनाव फरवरी, 1983 में हुये थे, सभापति महोदय, और उस वक्त तक 345 में से 229 हैण्ड पम्प बनकर तैयार हो गये थे और चुनाव समाप्त होने के बाद भी जून में यह हैण्ड पम्प खुदते रहे। जब जून में यह हैण्ड पम्प खुदते रहे तो इसका मतलब यह है कि इन हैण्ड पम्प का चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके बाद में 22-12-1981 को ए. पी. सी. से स्वीकृति हुई थी उस वक्त चुनाव का कोई मसला सामने नहीं था क्योंकि चुनाव फरवरी, 1983 में हुआ था। इसलिये आपके सम्मुख यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो यह मसला सदन में बार-बार रखा गया था और जो कांग्रेस पार्टी को और सरकार को ब्लेम किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि आपने स्वार्थ के लिये किया है यह कतई गलत बात है, इसमें कोई तन्त नहीं है। सारा मसला सारा हैड पम्प का जितना मामला था वह जोधपुर की समस्या को देखकर, ध्यान में रखकर उन को

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

पानी उपलब्ध कराने के हिसाब से हैण्ड पम्प खुदवाये गये थे ।

उसके साथ में, माननीय, यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो पानी हैण्ड पम्पों का पीने के योग्य नहीं है जिस पानी में फ्लोराइड क्लोराइड नाइट्रेट या ऐसे तत्व है जो पानी पीने से मनुष्य को हानि कर सकते हैं । उनके सम्बन्ध में आगाह किया गया था कि इन हैण्ड पम्पों का पानी पीने के काम में नहीं लें । मैं इसके लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जितने भी दैनिक पत्र निकलते हैं वह भी धन्यवाद के पात्र हैं और विशेषकर राजस्थान पत्रिका ने 13–3–1982 को एक चेतावनी दी थी और उस अखबार में निरन्तर छापा था और उसमें लिखा गया था, कि जोधपुर में जो हैण्ड पम्प बनाये गये हैं जिन पर कि रंग किया गया था, जो लाल रंग से रग कर दिये गये थे उन हैण्ड पम्प का पानी पीने के लिये काम में नहीं लें क्योंकि वह पानी पीने के योग्य नहीं है । इस चेतावनी से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बिल्कुल सतर्क थी और सरकार ने जितने भी हैन्ड पम्प बनवाये थे, हैण्ड पम्प बनाने के बाद और पानी निकाल कर के पीने को देने से पहले सारा पानी टेस्ट करवाया था और टेस्ट कराने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचते हुए कि किन-किन हैण्ड पम्प का पानी दिया जाय और किन-किन का पानी नहाने-धोने के काम में लिया जाय, यह चेतावनी दे दी गई थी कि हैण्ड पम्पों का रंग लाल किया गया है । इसलिये, माननीय सभापति महोदय, इससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि विपक्ष ने जो लांछन लगाये थे वह निराधार थे, गलत थे और उनमें कोई तन्त नहीं था । अब इसमें थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो हैण्ड पम्प लगाये गये थे वह कुल 440 हैण्ड पम्प थे । इनमें 392 हैण्ड पम्प तो मार्च, 1982 तक खुदाये गये और 53 हैण्ड पम्प उसके बाद में खुदे थे । सभापति महोदय वैसे तो पानी में कई तरह के तत्व होता है, पानी में कई तरह की चीजें होती हैं जैसे जिप्सम उसमें होता है, जिंक भी होते हैं, क्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड भी होता है और पोटास भी होता है । मतलब सभी चीजें पानी में उपलब्ध होती हैं, अब चाहे वे कम मात्रा में हों चाहे ज्यादा मात्रा में हों । इसके लिए साइन्टिफिक रिसर्च करके यह तय किया जाता है कि किस तरह का पानी पीने योग्य है । लेकिन फिर भी राजस्थान में मुख्यतया पीने के पानी के लिए जो चीजें गौर की जाती हैं उसमें यह देखा जाता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं । इनका प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है, वो क्लोराइड हों या और तो या डिजोल्वड सोलिड्स होते हैं या नाइट्रेट और थोड़ा फ्लोराइड होता है और इन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा पानी पीने के लिए ठीक है और कौन सा पानी पीने के लिए योग्य नहीं है । इसके आधार पर, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो हैण्ड पम्प लगाये गये थे उसमें 51 पम्प ऐसे थे जिनमें क्लोराइड 500, टोटल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

टी. डी. एस 1500 और नाइट्रेट 50 और फ्लोराइड दो पी. पी. एम थे। 47 ऐसे हैण्ड पम्प थे जिनमें एक हजार फ्लोराइड, दो हजार टी डी एस और सौ नाइट्रेट और 3 पी पी एम। तो ये जो कुल मिलाकर करीब 100 हैण्ड पम्प बनाये गये इनका पानी तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, शुद्ध पानी होता है, ये इस सीमा में आते थे। मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 143 दूसरे और हैंड पम्प थे जिनमें नाइट्रेट की मात्रा थोड़ी सी अधिक थी लेकिन वे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थे। इसलिए उन हैंड पम्पों का मसला भी यह नहीं होता कि पानी पीने के योग्य नहीं था या और कोई काम लेने के योग्य नहीं था। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन उसमें 148 हैंड पम्प ऐसे थे जिनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक थी। परन्तु नाइट्रेट के लिए अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में बताया था कि नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कुछ बीमारियां होने की आशंका रहती है। उन्होंने उसमें ब्रिटेन के एक अखबार का हवाला देकर, मान्यवर, यह बताया था कि ब्रिट्रेन के अन्दर, जो रिपोर्ट आई, उसके लिए यह बताया गया कि इस तरह से जो बीमारियां हो सकती हैं उसमें 100 पी पी एम तक में भी नहीं हुई। इससे यह आवश्यक हो गया है कि जो साइन्टिफिक रिसर्च है और जो मानक तय किए गए हैं गुणों के आधार पर, इनको दुबारा तय किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कुछ बीमारियों में जो खून होता है उसमें पतलापन आ जाता है और रंग बदल जाता है और अन्य तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन इस तरह की बीमारी की कोई रिपोर्ट नहीं है। जोधपुर में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई बताई जाती जिससे यह पता लगता हो कि पानी से किसी भी तर की हानि हुई है। मैं यह बात इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विपक्ष ने निरन्तर हमारे पक्ष पर या राज्य सरकार पर या कांग्रेस पार्टी पर यह लांछन लगाया था लेकिन इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितने लांछन विपक्ष ने लगाये वे निराधार थे और उनमें कोई तन्त नहीं था। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में करीबन 105 से लेकर 180 गैलन लाख प्रतिदिन की आवश्यकता होती रही है। उसके साथ में जिन दिनों में पानी की कमी थी, एक सौ लाख गैलन पानी जो पीने का है, स्वच्छ पानी है, शुद्ध पानी है वह उपलब्ध कराया जायेगा। इन हैंड पम्प का टोटल मिलाकर जो पानी था वह आठ लाख गैलन था। आठ लाख गैलन में से दो लाख गैलन हैंड पम्प का है जिनका पानी बिल्कुल ठीक था और नार्म्स के आधार पर अच्छा था। इसका मतलब यह हुआ कि छः लाख गैलन पानी था वह छः लाख गैलन पानी नहाने धोने के लिए उपलब्ध कराया जाता था। तो इससे यह नहीं लगता है कि वह जहरीला पानी जोधपुर के लोगों को दे दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जितने बड़े शहर हैं उन सब जगहों पर डबल पाइप

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लाइन डाली हुई है। पीने का पानी अलग मुहैय्या कराया जाता है, नहाने धोने और बगीचे के लिए अलग पानी मुहैय्या कराते हैं और स्पष्ट तौर से यह चेतावनी होती है, यह निर्देश होते हैं कि किस वक्त का पानी पीने के लिए है और किस वक्त का पानी नहाने धोने के लिए काम में लिया जाता है। यह देखकर किया जाता है कि पीने का पानी उपलब्ध कराना जब बहुत मुश्किल हो जाता है या इतना पानी उपलब्ध नहीं होता जिसको साइन्टिफिक तरीके से क्लोरीन वगैरह डाल करके साफ करके दिया जाय तब डबल लाइन डाल करके दूसरे कामों के लिए दूसरा पानी दिया जाता है। यह सभी जगह होता है।

मान्यवर, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दुनियां में ऐसे-ऐसे देश भी हैं जहां पीने का पानी नियमित रूप से कुछ बोटल्स में या बड़े-बड़े टिनों में बन्द करके दिया जाता है और बाकी सारा पानी अन्य कामों के लिए जो काम में आता है, जो पीने योग्य नहीं होता, वह दिया जाता है। तो, मान्यवर, हमारे यहां भी कभी ऐसी समस्या पैदा हो जाय या सरकार उस व्यवस्था को उस तरीके से निपटने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था करती है तो इसमें कौन सा अपराध करती है। इसलिए मैं विपक्ष के और प्रतिपक्ष के सदस्यों से और माननीय नेता महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अगर जोधपुर के लोगों को इस तरह के हैंड पम्प लगा करके और छः पर्सेंट पानी वहां उपलब्ध कराया गया जिसे वे नहाने धोने और दूसरे कार्यों में ले सकें और इसका उपयोग कर सकें तो इसमें कौन सा अपराध किया है। बल्कि सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इन दिनों में जब जोधपुर में पानी की विकट समस्या थी, पानी के लिए लोग त्राहि-त्राहि कर सकते थे, पानी के लिए जोधपुर को खाली कराया जा सकता था उस वक्त उस संकट की घड़ी में सरकार ने हैंड पम्प बना करके और उनको सहूलियत उपलब्ध कराई। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो सी पी एच ई ओ ने हमें जो आंकड़े दिये हैं कि व्यक्तियों के लिए कितना पानी चाहिए। उसमें एक तर्क यह है कि पीने के लिए तीन लीटर पानी चाहिए, कुकिंग के लिए 5 लीटर पानी चाहिए और अलनुसीह परपज के लिए, हाथ पांव धोने, रसोई को धोने या छोटे-मोटे कामों के लिए 20 लीटर, नहाने धोने के लिए 25 लीटर और दूसरे परपज के लिए 75 लीटर। इस तरह से 137 लीटर पर हैड पर डे का यह विवरण है। अब इसमें से जो पानी जोधपुर में दिया गया वह टोटल मिला करके छः पर्सेंट बैठता है और बाकी जो 84 पर्सेंट पानी उपलब्ध कराया गया था जो कि पीने के लिए और कुकिंग के लिए आठ पर्सेंट जो होता है वह अन्य मायनों में हाईजनिक होना चाहिए, बाकी न भी हो तो अन्य दूसरे देशों में, संसार में काम चलाया जाता है वैसे यहां भी चलाया जा सकता था। इसलिए सरकार निश्चित तौर पर धन्यवाद की पात्र है और प्रतिपक्ष ने जितने लांछन लगाये हैं वे बेकार हैं।

मान्यवर इसके साथ ही मैं यह निवेदन फिर करना चाहूंगा जो कि आगे भी माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

राजस्थान में पानी के रासायनिक गुणों के मानक दण्डों में परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की आवश्यकता कई कारणों से है लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कुछ कारण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे यहां पर जो जल योजनायें हैं रीजनल, एक-एक जल योजना से कई-कई गांवों को, पचास-पचास, साठ-साठ गांवों को पानी दिया जाता है जो कि पी.एच.ई.डी के माननीय मन्त्री जो अभी विराजमान हैं वे तब भी अकाल सहायता के मन्त्री थे और उन्होंने ही उस स्कीम को लागू किया था। उसके साथ ही दूसरी भी हमारे यहां पर जो रीजनल स्कीम्स हैं जिससे टोटल बारह-बारह गांवों को पानी दिया जाता है। मेरे यहां पर एक गांव है जहां पर मैं साइन्टिफिक तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि उस पानी को पीने के बाद में चालीस साल का जब आदमी हो जाता है तो उसकी हड्डियों को इफेक्ट करता है और वह टूट जाता है। ऐसे कई गांव थे जहां पर इन रीजनल स्कीम्स से पानी सप्लाई किया गया, उसके साथ ही एक दूसरा गांव है कितलवर नाम से जहां से कई गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस गांव में जो पानी है उसका जो पी पी एम है वह इस तरह से है :– क्लोराइड 450, डिलाइडसोलिक 1670, नाइट्रेट 40, फ्लोराइड 8। अमूमन यह कहा जाता है कि फ्लोराइड तीन पी पी एम के ऊपर होता है तो नुकसानदायक होता है। मैं आपसे यह कहता हूं कि नुकसानदायक होता है तो किन हालात में होता है। आपने देखा होगा, बोर्डर पर फौज लड़ने के लिए जाती है या सरकार के जो अन्य ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर नियमित तौर पर पानी उपलब्ध नहीं हो तो जो पानी उपलब्ध होता है वह काम में लिया जाता है। वहां पर जब फ्लोराइड और क्लोराइड की कमी होती है तो उन फौजियों को या बार्डर पर रहने वाले सिक्योरिटी के लोगों को फ्लोराइड और क्लोराइड की टेबलेट अलग से दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस पानी में इसकी कमी हो उस कमी की पूर्ति करने के लिए उनको यह दोनों चीजें अलग से मुहैया करायी जाती हैं। तो पानी में इनका होना तो आवश्यक है लेकिन कितनी मात्रा में होना आवश्यक है और कहां ज्यादा होना आवश्यक है, यह एक दूसरी बात है। मैं यह सोचता हूं कि जो मानक तय किये गये हैं उनमें या तो त्रुटि रही है या हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उसके हिसाब से उसको देख करके इन मानकों को तय नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डेगाना को जो पानी कितलवर से मिल रहा है उसमें फ्लोराइड 8 पी पी एम है। जिन लोगों को मैं देखता हूं जो तीस साल के बुजुर्ग हैं उनमें और उनसे लेकर उनके बच्चों तक आज तक उस पानी से शरीर पर कोई किसी तरह का असर आया हो ऐसी बात नहीं है।

मैं पी.एच.ई.डी. के और दूसरे जितने भी इससे रिलेटेड वैज्ञानिक हैं उनसे कई दफा वार्ता कर चुका हूं। अमूमन वह कहते हैं कि जिस पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है वह नुकसान दायक होता है। हमारे ऊपर जो इफेक्ट हुआ है वह इतना हुआ है कि

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

चालीस साल के बाद में दांत पीले हो जाते हैं, इसके सिवाय और कोई असर नहीं है। मुझे यह जानकारी हुई कि क्लोरराइड अकेला नुकसानदायक नहीं होता। फ्लोराइड के साथ क्लोराइड, नाइट्रेट या दूसरे सोलिक या कापर या साइनाइट, जिंक और मैंगनीज यह जो सारी चीजें हैं इनका पर्सेन्टेज क्या है, यह भी देखना होता है। सदन में जितना प्रतिपक्ष ने कहा है इन दो चीजों पर विशेष जोर देते हुए कि नाइट्रेट और फ्लोराइड ज्यादा है इसलिए पानी खराब है, सिर्फ इन दो चीजों से पानी खराब नहीं हो सकता। इसके लिए मैं, सभापति महोदय, सरकार को आपको माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि जो मानक निर्धारित किये गये हैं, वह गलत हैं। जो दृष्टांत आपको माननीय सदस्य ने ब्रिटेन के सम्बन्ध में पढ़कर सुनाये थे, वहां पर 50 पी पी. एम. का नाइट्रेट यूज में लेते थे, इससे अधिक पी. पी. एम. के पानी को खराब पानी माना जाता था। उनके वहां पर जब पाल्यूशन हुआ, नदियों में जब नाइट्रेट का प्रतिशत बढ़ गया तब उन्होंने 100 पी. पी. एम. तक के नाइट्रेट को काम में लिया। उसके बाद उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पेश की है। डाक्टरों ने यह लिखा है कि 200 पी. पी. एम. नाइट्रेट वाले पानी से भी किसी तरह की बीमारी कहीं होना नहीं पाया गया है। इसलिए जो मानक का निर्धारण किया गया है वह पुनः किया जाना चाहिए राजस्थान के हालात देखते हुए, राजस्थान के क्लाइमेट को देखते हुए, राजस्थान के लोगों की बर्दाश्त करने की शक्ति को देखते हुए। इसका पुनः अध्ययन करके मानक तय किये जाने चाहिये।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हैण्ड पम्प में जो घोटाला हुआ जिसके सम्बन्ध में यहां बार-बार कहा गया। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया था चाहे वह इन्जीनियर हों, चाहे ठेकेदार हों, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। इन मामलों में जो गुनाहगार व्यक्ति हैं उनको सजा दी जायेगी। इस घोषणा से वह धन्यवाद के पात्र हैं और हम सराहना करते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के किसी व्यक्ति को जिन्होंने घोटाला किया है उनके साथ में सख्ती बर्ती जाये, किसी तरह की लीनेंसी नही बर्ती जाये। एक निवेदन यों करना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प जिन इलाकों में खोदे गये हैं उनमें थोड़े दिन पानी आया, नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जिस ठेकेदार ने हैण्ड पम्प बनाये थे उनके लिए खुदाई करनी थी 100 फीट गहरी और की 50 फीट और उसके बाद में किसी ने वहां जाकर माइन्यूटली इसको देखा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं, जिनको आप पंचायतों से ठीक करवा रहे हैं या खुद ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दो दिन पानी आता है, नहीं आता है, इसका यही कारण नहीं है कि मेकेनिकली हैण्ड पम्प काम नहीं करता, उसमें आप यह भी देखिये कि ठेकेदार ने जो हैण्ड पम्प बनाया है और जो उसने गहराई बताई है, जिसका पेमेंट आपने दिया है, आज वह उतना गहरा है या नहीं है

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

और पानी नहीं आने का दूसरा कारण तो नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प के बारे में पहले घोषणा की गई थी और यह बार-बार कहा जा रहा है कि हैण्ड पम्प ग्राम पंचायतों को मरम्मत करके सुपुर्द कर दिये जायं। मैं आपकी इस राय से व्यक्तिगत तौर से सहमत नहीं हूं। इसलिये मैं अपने विचार इस सम्बन्ध में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब हैण्ड पम्प आप ठीक करके ग्राम पचायत को देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को इसके बाद में ठीक करने के लिए मेकेनिक भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए पैसा भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि ग्राम पंचायतों को जो ग्रांट इन एड मिलती है उसमें से, पचास या डेढ़ सौ रुपये काटकर के, जो पैसा आप उनको दे रहे हो वह उनको डाइवर्ट नहीं करके आप पैसा ले लीजिए और मैकेनिक उनको आप खुद ही उपलब्ध कराइये। यह इसलिए निवेदन कर रहा हू कि एक पंचायत समिति में अगर मान लो, दो मिस्त्री रखे, उस समय हैण्ड पम्प वहां पर ज्यादा खराब हैं और वह दो मिस्त्री उन हैण्ड पम्पों को देख नहीं सकते। पेरेलल ही एक दूसरी पंचायत समिति है जहां हैण्ड पम्प खराब नहीं है और वहां पर मिस्त्री बेकार बैठा है, लेकिन उस पंचायत समिति का मिस्त्री वहां नहीं जा सकता। अगर यह सारा कार्य राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले तो निश्चित तौर से वह इस बात को देख सकती है कि कहां पर अधिक काम है और कहां कम है। जहां कम काम है वहां के मिस्त्री को जहां अधिक काम है वहां पर डाइवर्ट करके ठीक करवा सकती है। यह व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चल सकती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं पांच-सात मिनट और निवेदन करूंगा। इसलिए जो हैण्ड पम्प पंचायत समितियों को देख-भाल के लिए या ग्राम पंचायत को देखभाल के लिए दिये जा रहे हैं, यह बिलकुल गलत होगा। ग्राम पंचायत को आप टैक्स भी करेंगे और उनको आप पानी से दूर भी रखेंगे। इसलिए यह सारा काय आप अपने हाथ में रखिये।

मैं इसके साथ में यह भी निवेदन में की है, करना चाहता था कि आपने पानी की जो व्यवस्था गाव अर्बन एरिया में की है, उस सम्बन्ध में मैं इसलिये नहीं कहना चाहूंगा कि एक बड़ी आबादी एक जगह आकर बस जाती है इसलिए वह निश्चित तौर से रीजनल स्कीम की तरह हो जाता है और वह आर्थिक स्थिति से भी गांव के बनिस्पत ज्यादा ठीक होते हैं। फिर वह इतने नजदीक बसे होते हैं वहां पर लाइन निकालने से इकानामिक हो जाती है और सरकार को हर्जाना नहीं होता है। लेकिन देहात में जो आप लाइनें खींचते हैं उसमें खर्चा भी ज्यादा आ सकता है। आपने जो स्कीमें देहात में चलाई हैं वह चला करके देहात में सौतेला व्यवहार पैदा कर दिया है। लोगों में इस तरह की भावना पैदा हो रही है कि एक तरफ तो आपने क्षेत्रीय योजना बनाई है वहां पर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

लोगों को मुफ्त में पानी मिल रहा है। एक तरफ आपने हैण्ड पम्प लगाया है उसकी मरम्मत करने का मामला उन पर छोड़ना चाहते हैं। दूसरा आप जो एडीशनल टी. एस. एस. लगा रहे हैं उसको भी आप लगाकर के ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को देने के बाद यह जिम्मेदारी ग्राम पचायत को देना चाहते हैं कि वह उसको चलाये, बिजली का पेमेंट वह करे, उसको ठीक वह कराये और मशीन आप खरीदें। इसमें एक पाइन्ट तो यह है, सभापति महोदय, कि जो मशीन खरीदकर देते हैं वह अपने हिसाब से देते हैं। इस तरह की मशीन उस इलाके में नहीं होती। दूसरी यह कि कितना उसका पर-सन है, कितना उसका हैड है, यह बिना देखे हुए मशीन लगा देते हैं और उससे मशीन पर लोड पड़ता है तो वह जल जाती है। हमारे यहां पर अमूमन इलाके में काश्त-कार मशीन को काम में लेते हैं। उनको चाहिए कि जो मशीन उपलब्ध करायें तो वह वही मशीन हो जो आम काश्तकार काम में लेता है ताकि उसको मरम्मत कराने में और उसको काम में लेने में सहू-लियत रहे। दूसरा आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पर भी अगर टी. एस.एस. लगायें और ग्राम पंचायत चलाये तो उसका मासिक दो सौ-तीन सौ के करीब बिजली का खर्चा आता है। फिर वहां पर एक आदमी निरन्तर रखना पड़ेगा, उसका पांच-छः सौ रुपया मासिक का खर्चा होता है। कुल मिलाकर एक हज़ार रुपये महीने का खर्चा ग्राम पंचायत को आ जाता है और बरसात के मौसम में तालाब का या और किसी का पानी काम में ले तो भी बिजली का और आदमी का खर्चा है वह तो देना ही पड़ता है। उसके पेरेलल ही आपकी रीजनल स्कीम में एक पैसा नहीं देना पड़ता। तो यह जो सौतेला व्यवहार है इसको आप बन्द करिये। टी. एस. एस. हो, हैण्ड पम्प हो, चाहे कोई भी पानी की योजना हो यह सारी सरकार के हाथ में होनी चाहिए। सरकार खुद इसकी देखभाल करे। अगर सरकार यह समझती है कि वह इतना भार वहन नहीं कर सकती, उसकी देखभाल और बिजली का खर्चा, तो आपको, मैं इस आधार पर लोगों से मिला हूं, बात-चीत की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जितना बिजली का बिल है, जितनी आदमी की तनख्वाह लगती है वह आप उस ग्राम पंचायत से सरकार में जमा करवा लीजिये। हम आपको महीने के महीने जमा कराने को तैयार हैं, लेकिन उसका खर्चा और देखभाल सरकार अपने जिम्मे ले। ग्राम पंचायत के जिम्मे नहीं रखे।

इनके बाद में आपकी पी.एण्ड टी. और रीज-नल स्कीम्स हैं। पी.एण्ड टी. में आप पाइप लाइन और टैंक स्कीम लगा करके उस गांव में पानी मुहैया कराना चाहते हैं। उस गांव में ऐसे लोग हैं जो पाइप और टैंक के बाद में कनेक्शन लेना चाहते हैं। आप कनेक्शन्स उनको देना नहीं चाहते। इसलिए कि एक जगह टैंक बना दिया वहां से आकर पानी ले जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है वर्ल्ड बैंक के आधार पर और उनकी पालिसी के आधार पर आपने यह बनाया है, लेकिन जहां पाइप और टैंक बना हुआ है वहां 100 आदमी कने-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

क्शन लेना चाहते हैं और आप 12 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से चार्ज करते है तो निश्चित तौर से 100 कनेक्शन से आपको 12 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से 1200 रुपये प्रति महीने की आय होती है, तो आपको क्या एतराज है ? गांव वाला तो पानी पीता ही पीता है। पानी वहीं से ले जायेगा, आपको मुहैया कराना पड़ेगा। उसके एडीशन में अगर आपको कनेक्शन देकर पैसा मिलता है तो निश्चित तौर से पी. एण्ड टी. स्कीम जो आपने चालू की है उसमें कनेक्शन देकर आपको ये पैसे लेने चाहिये और कनेक्शन दे देने चाहिये। रीजनल स्कीम में मैं आपको कहना चाहूं कि कि आपको जो रिजर्वायर्स बनाने चाहिये थे, वह आपने बनाये नहीं हैं। रिजर्वायर्स ऊपर नहीं बनाकर के जो ग्राउन्ड लेवल पर रिजर्वायर्स बनाकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं उससे प्रेशर नहीं बनता और विना प्रेशर के पानी गांव में नहीं जाता है। कुल मिलाकर इस स्कीम में भी जहां बहुत गांव आये हुये हैं उनको दिक्कत हो जाती है। फिर यह दिक्कत भी रहती है कि जो आपका आदमी पानी खोलने वाला है वह एक गांव का पानी खोलता है और दूसरे का नहीं खोलता है। इसलिये आप इसके लिये कुछ ऐसी योजना बनाइये कि एक ही पाइप लाइन में जितने गांव आते हैं उनको एक साथ पानी मिले। आप छोटे कंट्रोलिंग वाल्व लगा दीजिये कि जब उस लाइन का पानी निकलता है तो उस रास्ते में दो-चार जितने गांव हैं उन गांवों को एक साथ पानी मिले। बीच में आपका आदमी वाल्व खोलने या बन्द करने की हेरा-फेरी करता है, उसके हाथ में इसको मत रखिये क्योंकि गांव में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की राजनीति होती है। यह मामले ऐसे हैं जिनको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह आपकी योजनायें बनी हुई हैं लेकिन पानी नहीं जाता। जिन गांवों में पानी नहीं जाता उसमें गांव वालों को पानी अपने आप मुहैया करने में कितना खर्चा आता है ? हमारे गांव में अमूमन यह रिवाज है कि एक आदमी और एक औरत को एक यूनिट मानते हैं। जो महिला वहां पैदा हुई लड़की है उसको काउन्ट नहीं करते। जिस महिला को बाहर से आना है उसकी एक यूनिट काउन्ट करते हैं। ऊंट बैल को भी एक यूनिट मानते हैं। भेड़ और बकरी की 5 के बराबर एक यूनिट काउन्ट करते हैं। इस तरह से यूनिट लगाकर हम लोग पैसा इकट्ठा करके, अपने आपकी मेहनत से जो कुआं चलाकर पानी उपलब्ध कराते हैं इसका महीने का खर्चा 3 हजार रुपये से लगा कर 5 हजार तक आता है। जहां पर आपकी रीजनल स्कीम चल रही हैं, जहां आपने लागू कर दी हैं, जहां पानी नहीं मिल रहा है वहां हमको मजबूरन, क्योंकि पानी एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसकी हवा के बाद सर्वाधिक जरूरत होती है और इसके बगैर इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता, तो यह हमारी मजबूरी है और इसके साथ में सरकार की भी जिम्मेदारी है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन गांव

(श्रीराम रघुनाथ चौधरी)

वालों से जितना पैसा उचित समझते हैं पर यूनिट ले लीजिए, पर जहां सारी स्कीम आपकी बन गयी हैं वहां आप निश्चय तौर से उनको पानी दीजिए और निश्चय तौर से यह सारी स्कीम आप अपने हाथ में रखिये और इस जिम्मेदारी को टालने के लिए ग्राम पंचायतों को या पंचायत समितियों को ट्रान्सफर करने की कोशिश मत कीजिए या ऐसा मत सोचिये । अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से यह जनता के साथ, ग्रामीण जनता के साथ सौतेला व्यवहार होगा ।

मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जितने भी गांवों में हौज बनाये हैं मवेशियों की संख्या आपने काउन्ट नहीं की है । एक गांव है जहां सात मील तक पानी उपलब्ध नहीं है । गांव वाले पानी कहां से पीयें और मवेशियों को कहां ले जायें ? बहुत बड़ी समस्या है । मैं आपको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने आगे यह बात कही थी कि मवेशियों के लिए हमने भारत सरकार को लिखा है और 'जितनी स्कीम बन रही हैं मवेशियों को भी आदमी की यूनिट के साथ काउन्ट कर रहे हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपकी यह स्कीम नहीं बने तब तक वहां पर जहां पर आपने टैंक बनाये हैं, सार्वजनिक कुओं को जो टांके, टैंक या हौद बने हुए हैं उनसे जोड़ दीजिए उनसे जोड़ने के बाद में एक सरकार का बनाया हुआ टांका और एक उनका खुद का बनाया हुआ हौद दोनों मिलाकर फिलहाल गांव की जो समस्या है उसको साल्व करने में काफी मदद कर सकेंगे ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कई जगह पर जमीन काली है जो पानी को कम सोखती है । बड़े-बड़े तालाब हैं । तालाब का पानी वैसे तो स्वास्थ्य की नजर से नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें नारू और दूसरी बीमारियां होने की आशंका रहती है और जानवर भी उसमें जाते हैं उससे भी ज्यादा बीमारियां होती हैं लेकिन, मान्यवर, जब पानी दस-बारह मील तक उपलब्ध नहीं होता तो यह इन्सान की मजबूरी है, पानी उसको पीना पड़ता है । पड़ता ही नहीं है, पानी पी रहे हैं । मैं इसके सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे-ऐसे तालाब जो कि दस-दस और बारह-बारह गांवों में पानी उपलब्ध कराते हैं और जिनमें वर्ष भर पानी रहता है उनमें भी आप पम्प लगा दीजिए साइडवाई और उस तालाब में से निकाल करके बाहर पानी उपलब्ध कराइये ताकि वहां मवेशियों को उसमें जाने से रोका जा सके । गांव वाले भी यह प्रबन्ध कर देंगे कि उस पानी वाले तालाब में मवेशी नहीं घुसें और उनको उसके बाहर पानी पीने को मिल जाये । इसलिए इस दृष्टिकोण से भी आप इसको सोचिये ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे आपने कई बार कराया है लेकिन फिर आप डिटेल्ड सर्वे कराइये । कई बार आपके सर्वे के हिसाब से यह होता है

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

कि यहां पानी ठीक है । लेकिन पानी नहीं निकलता, ट्यूबवैल फेल हो जाता है । कई बार होता है कि यहां पानी नहीं है और वहां पानी निकल जाता है । इसका मतलब यह है कि सर्वे रिपोर्ट जो आपके पास उपलब्ध है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही है, त्रुटि रही है । इसलिए इसको सुधारने के लिये डिटेल्ड सर्वे पुनः करवाइये और उनके साथ ही जिन गांवों में पीने के लिये पानी का कोई सार्वजनिक कुआं है ही नहीं, या तो वह अपने व्यक्तिगत कुएं से पानी पीते हैं या और कहीं से लाते हैं, और अगर वहां पर भूमि का पानी मीठा है तो निश्चित तौर से प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक कुआं होना ही चाहिये ताकि कम से कम जब तक आपकी स्कीम लागू नहीं हो, वहां से पानी पी सकें ।

आपकी विस्तार योजना में जो पास में गांव आये हुये हैं वह पानी की उपलब्धता को देखकर जोड़ रहे हैं । उसके सम्बन्ध में

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

निवेदन करना चाहता हूं कि ढाणियों को आप छोड़ देते हैं । आजकल कई लोग गांव छोड़कर के ढाणियों में बस गये हैं । ढाणियों की संख्या दो सौ, चार सौ और पांच सौ तक पहुंच गयी है । इसलिये उन ढाणियों को भी गांव का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि गांव समझकर उनको भी पानी से जोड़िये और उनको आप पानी से अलग मत रखिये ।

मान्यवर, मैं अपने व्यक्तिगत इलाके की जो समस्यायें हैं उनके संबंध में ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो रीजनल स्कीम या स्कीम बनाई हैं, जहां पानी नही जा रहा है वहां आप अपने आफिसर्स को सख्ती से कहिये कि गर्मी के दिन आ रहे हैं और पानी के बिना इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता, उनको पानी मिले ही मिले ।

इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बिजली वालों का और आपका को-आर्डिनेशन नहीं है । वैसे मुझे जानकारी है क्योंकि मेरे यहां एक कुनास स्कीम बनी थी । उस कुनास स्कीम के लिए 367 लाख रुपया आपने उनको मुहैया किया था कि वहां पानी के लिए बिजली की लाइन खींची जाये । आपके पैसा जमा कराने के बाद में बिजली विभाग ने कोई लाइन ही नहीं लगाई । मीनव्हाइल उनकी भी आर. ई. स्कीम सेंक्शन हो गयी और उस आर. ई. स्कीम में उन्होंने बिजली उपलब्ध कराई । जब तक आप जनरेटर्स चलाते रहे । इसका मतलब यह हुआ कि आर. ई. स्कीम में जो वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया या भारत सरकार ने जो पैसा दिया उससे तो लाइन खिंची और आपने जो पैसा जमा कराया था उसका वहां पर कोई काम नही हुआ नतीजा यह है कि आपको पैसा जमा कराये हुए 4 साल हो गए और वहां पर जो वांछित ट्रान्सफार्मर है वह अभी तक नहीं लगा ट्रान्सफार्मर नहीं लगने से जो ट्यूबवैल आपने बनाये वह बेकार पड़े हैं । ट्यूबवैल में जहां 25 हार्स पावर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

का ट्रान्सफार्मर लगा है उसमें तो पानी दिया जाता है और बाकी चार ट्यूबवैल बेकार पड़े हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप जब पैसा जमा कराते हैं तो आपके डिपार्टमेंट के लोगों को चाहिये कि एग्रीमेंट के हिसाब से या अण्डरस्टैंडिंग के हिसाब से उस समय में काम हो जाना चाहिए। इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जितनी स्कीम बनाई हैं, वह 20 घंटे की बिजली की सप्लाई को ध्यान में रखकर बनाई हैं। हम बिजली के बारे में जानते हैं कि राजस्थान में कैसी स्थिति है। बिजली बराबर नहीं मिलती, 6 घंटे और 7 घंटे मिलती है और 6-7 घंटे में भी आप जब चलाते हैं तो कई कुएं साथ चलते हैं तो पानी उपलब्ध होता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी पी. एच. ई. डी. की जितनी भी रीजनल स्कीम हैं, आप जो पैसा जमा कराते हैं, बिजली बोर्ड से अपनी खुद की लाइन खिचवाते हैं तो आप उनको बाध्य कीजिए कि पी. एच. ई. डी. की लाइन पर किसी भी कुएं का कनेक्शन नहीं होना। बिजली की लाइन अलग हो और पी. एच. ई. डी. की लाइन अलग हो और पी. एच. ई. डी. की लाइन निरन्तर चाले। दूसरी कितनी हों पर इसमें कोई कटौती नहीं हो और इसको सबसे ज्यादा महत्व देकर 20 घंटे बल्कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाये, गांव वालों को पानी मुहैय्या कराया जाये। यह एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है।

इसके साथ में वैसे तो बहुत से मुद्दे ये पर मैं यहीं छोड़कर आपको सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में दो मिनट में दो-चार पाइन्ट कहना चाहूंगा....

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मै दो मिनट और।

सार्वजनिक निर्माण में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने एक सर्वे करके यह तय किया कि कौन-कौन सी मुख्य सड़कें हैं जो कि स्टेट हाइवे के नाम निकलेंगी। मैं इस पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक सड़क इन्होंने तय की है जो कि बिसार से जैतरण जायेगी और स्टेट हाइवे नम्बर 6 के नाम से जानी जायेगी। मेरा इसमें निवेदन है और मैंने लिखकर भी भेजा था कि इसको दुबारा देख लें और इसको मेड़ता रोड से न निकाल करके रेण होकर जो मुख्य गांव है और बड़े गांव हैं उधर से होकर इसको निकाला जाये। इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट हाइवे नम्बर 18 जो आप निकाल रहे हैं इसमें भी संशोधन करके इसको वाया मेरूंदा से नीमड़ी होकर निकालिये। हसौल होकर निकालने में आपको दस मील ज्यादा पड़ जायेगा जिसमें आपका खर्चा भी ज्यादा आयेगा।

इसके साथ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम नीड में आप उन गांवों की सड़कों को लेते हैं जिन गांवों की जनसंख्या 3 हजार, 4 हजार या 5 हजार है।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मेरे इलाके में अभी ऐसे गांव छूटे हुए हैं जैसे डेगाना जंक्शन है वह तीन गांवों से मिलकर है। रेवेन्यु बाउन्ड्री के हिसाब से वह अलग अलग है लेकिन वैसे एक ही जगह बसा हुआ गांव है और उसकी दस हजार से भी ज्यादा जनसंख्या है। वह अभी भी न तो जिले से जुड़ा हुआ है, न सब-डिवीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप जोड़िये।

एक यह हंड्रेड डेज प्रोग्राम जो लेण्डलेस और अनएमलायड पीपुल इनको आप दे रहे हैं इसमें आपने नागौर में दस सड़कें स्वीकृत की हैं। जिसमें से दो मूंडवा में, दो नागौर में, दो लाडनू में, दो जायल में, एक डीडवाना में और एक परवतसर में और बाकी जितनी भी अन्य तहसीलें या अन्य कान्सटीट्यूएन्सी हैं उनको आप ने बिलकुल छोड़ दिया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सड़कों की आवश्यकता तो सभी जगह है लेकिन आपने जहां सड़कें अधिक हैं उनकी तो स्वीकृति दे दी और जहां सड़कों की आगे ही कमी हैं जैसे कुचामन, परबतसर, डेगाना, मेड़ता इनको आपने कन्सीडर नहीं किया। तो यह, सभापति महोदय, बिलकुल सीधा सौतेला व्यवहार है और इस भावना से किसी तरह से काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके अधिकारियों ने आपके सामने प्रस्तुत किया तो आप उन अधिकारियों से जवाब तलब कीजिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने एक जगह तो दो-दो सड़कें ली हैं और एक किसी जगह ली ही नहीं हैं। इसलिए आप रीकन्सीडर करके यह प्लानस बनाइये और न्याय करने की कोशिश कीजिए कि जिस जगह आप सड़कें मन्जूर करें वहां सभी इलाकों को समान रूप से देखकर स्वीकृति दें।

एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि जहां आपकी फेमिन की रोड्स बनी हैं आपने उनको टेक-ओवर नहीं किया। टेकओवर करने के बाद में चाहे आप पैसा मत लगाइये लेकिन करिए बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को समझा बुझाकर तैयार किया कि यहां सड़क निकलने दो, क्योंकि फेमिन के अन्दर आप कभी एक्वायर करने का नोटिस निकालते नहीं, कोई कार्यवाही करते नहीं, यह हम ही लोगों पर है कि हम उनको कह सुनकर इसके लिए तैयार करते हैं। आप टेकओवर नहीं करते और काफी समय निकल जाता है तो लोग पुनः कब्जा करने लगते हैं। बार-बार लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक फेमिन रोड बन गयी है या सेंक्शन होकर अलाटमेन्ट कर दिया है तो उसको आप टेकओवर कर लें और यह मानकर चलें कि वह आपकी रोड है, उस पर कोई दूसरा कब्जा नहीं करे। दूसरी, आपकी जितनी सड़कें बनी हुई हैं उसके लिये आपका निश्चित है, कितनी जगह आजू में छोड़नी होगी वहां पर कोई निर्माण नहीं करेगा। लेकिन वहां पर लोग निरन्तर निर्माण करते जा रहे हैं। तो आपके वहां पर जो जे. ईएन. और ए. ईएन. हैं उनका यह कर्त्तव्य बनता है कि वे इस बात का ध्यान रखें।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

जो आदमी कब्जा करने का प्रयत्न करता है उसको नोटिस देकर हटाये और सड़को के आजू-बाजू जितनी भी जगह है उसको सेफ रखें। मान्यवर, आपने जो समय। उसके लिये मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरफ गौर दे और कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे भी कृपया बोलने का अवसर प्रदान करें, आपका आभारी रहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी समय देंगे।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मुझे, सभापति महोदय, वह जमाना याद है कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में 65 से 75 फुट बर्त और 4-5 मटके का एक चमड़े का चरस आदमी सर पर उठाकर गांव से 10-10 मील बाहर जाकर कुआं जोतता था और कुआं जोतने वाला आदमी दूसरे दिन अपने घर में आकर रात छाछ पीकर वक्त गुजारता था। आज उस जमाने में भी लोग इस तरह से हिम्मत वाले थे, लोग इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं समझते थे, हिम्मत से वक्त गुजारा करते थे। उस उस जमाने में रेगिस्तानी इलाके में जहां 75 फीट बर्त और 5 मटकों का चमड़े का चरस सर पर उठाकर गांव से 10 मील बाहर जाना पड़ता था, उन गांवों में आज व्यक्ति कल 75 फीट बर्त और 5 मटके का चरस उठाकर 10 मील गांव से बाहर पीने के पानी के लिये जावे और वापिस अपने घर में आवे, यह समझ में नहीं आता। यह पुराने आदमियों ने देखा है। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 75 फीट बर्त कुएं में डालकर चरस से पानी निकालकर गधे ऊंट या बैल की जोड़ी से पानी निकालकर लाये। यह बात सही है कि कई गांव अभी तक कमीशन नहीं हुए हैं लेकिन जो गांव कमीशन हुए हैं उस स्कीम पर इन गांवों का लोड़ पड़ता है इसलिये पीने के पानी की योजनाओं के बारे में और इस महकमे के बारे में हर जगह हर समय शिकायतें-ब-शिकायतें होती रहती हैं। शिकायतें, हमारी समझ में आई, इसलिये होती हैं कि पीने का पानी ऐसी दौलत है जिसकी मनुष्य और पशुओं दोनों के लिये 24 घण्टे में कई बार जरूरत पड़ती है। दुनिया में कई प्रशासनों में काम होता है। किसी आदमी का किसी महकमें से कतई ही काम नहीं पड़ता। कई ऐसे महकमें हैं जिनसे आदमी का महीने में या साल में एक दो बार काम पड़ता है लेकिन यह जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एक ऐसा विभाग है

(श्री अमीन खां)

जो 24 घण्टे में हर घण्टे इस विभाग की तारीफ या शिकायत याद आती है। तो, सभापति महोदय, मैं तो फख् के साथ कहता हूं, जैसे लोग कहते हैं, विपक्ष के भाई, कि पक्षपात करते हैं। जैसलमेर जिले में आप स्वयं जानते हैं कि कांग्रेस के कितने ही पक्ष में रहा। इसमें 421 गांवों में 240 गांव कमीशन कर चुके हैं और सरकार का उस पर प्रति व्यक्ति चार हजार रुपया खर्च आया है इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है। उसमें भी इनके ढाई साल के शासन में जैसलमेर जिले में 80 गांव मेरे क्षेत्र में भी आते हैं, ढाई गांव भी कमीशन नहीं किये और 1980 से लेकर आज तक 117 गांव कमीशन हुए। 240 में से 117 गांव सन् 1980 से आज तक कमीशन किये हैं, जिन गांवों में मवेशी भी पानी पीती है और मनुष्य भी पानी पीते हैं लेकिन शिकायतें इसलिये होती हैं कि अभी तक छठी पंचवर्षीय योजना में मवेशियों का प्रावधान नहीं है। लोग मवेशी वाले हैं मवेशियों के पीने के पानी की जिस गांव में योजना आई है उस योजना में पड़ोस में जिनकी योजना अभी तक नहीं पहुंची वे भी उस गांव में आकर पानी पीने लगते हैं, और मवेशिया तमाम वहां पानी पीती है। इस कारण से टोल वाले गांव, जो उस योजना के हैं, पानी से वास्तव में वंचित रहते हैं। उस वंचित का मतलब यह नहीं है कि विभाग उसकी तरफ सतर्क नहीं है, विभाग बिल्कुल अच्छी तरह से कोशिश करता है लेकिन मवेशियों के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण से और दूसरे गांव, जिनकी योजना थी, अभी तक कमीशन नहीं कर पाये हैं उन गांवों के लोग और सारे मवेशियों का लोड पड़ता है इस कारण से टेल वाले गांव बड़ी-बड़ी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मैं सरकार को, विभाग के मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में जितनी पानी की समस्या पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में है, जहां इन्सान को जरूरत है, जहां मवेशियों को पालने की जरूरत है जिनका और गुजारा मवेशियों पर है, जहां हिन्दुस्तान पाकिस्तान की सीमा लगती है, इस कारण से भी वहां पर ध्यान देना सरकार के लिए बहुत जरूरी था इसलिये सरकार ने पिछले दो सालों बाड़मेर, जेसलमेर में 14 करोड़ रुपये की योजनायें मन्जूर की है, इस से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मेरे से पूर्व हरिसिंह जी ने बताया कि सन् 80 में मात्र दो करोड़ की योजनायें हमारे जिले के लिए राजस्थान की योजना में से बना सके लेकिन पिछले दो वर्षों में हमारे दो जिले में 14 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत कीं, इस से ज्यादा सरकार की उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। मुझे वह दिन भी याद है कि जब हम लोग सिर्फ ऊंटों पर ही नहीं, गधों पर दो-दो मटके डालकर हमारे गांव से बाहर दूसरे गांव में जाते थे और रात को हमारे गांव से हमें बाहर रहना पड़ता था। दूसरी रात हम वापस दो मटके पानी लाकर के घर में रखते थे। उन दो मटकों के पानी का स्टाक घर वाले इस ढंग से रखते थे, लोग घी और दूध का भी इतना ख्याल नहीं रखते थे जितना दो मटके पानी का ख्याल रखना पड़ता था। आज वहां

(श्री अमन खां)

के लोगों में ऐसी हालत नहीं है। हमारे बाड़मेर जिले में कुल आबाद 865 गांवों में से अभी 464 गांव कमीशन हो चुके हैं, दूसरे भी तमाम गांवों की स्कीमें स्वीकृत हैं और उन स्कीमों का कार्य विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है जिससे हमें उम्मीद है कि एक साल के अन्दर अन्दर इन गांवों में, जो बचे हुए गांव है, पानी पहुंच जायेगा। लोग इस विभाग की ज्यादा आलोचना इसलिये करते हैं कि आज मेरे ख्याल से यह महकमा सबसे बड़ा महकमा हो गया है। कुछ वर्षों पहले यह महकमा नाम मात्र का महकमा था। इस महकमें से जहां रेगिस्तान में इन्सान को पानी नसीब नहीं होता था उसमें बड़ी तेजी के साथ गांवों में पीने के पानी की स्कीमों से लोगों को लाभ मिल रहा है। इससे कुछ साथी तो बौखला कर के कोई नहर का बहाना बताते हैं कोई कहते हैं कि टेल के गांव में पानी नहीं गया है और सरकार का काम कुछ भी नहीं हुआ है। वे हकीकत को जानते हैं कि हम ढाई साल में ढाई गांव कमीशन नहीं कर सके, ये सैकड़ों गांव कमीशन कर चुके हैं, तो लोग इनको चुकेंगे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इस विभाग के मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे इन्जीनियर्स के ऊपर भी हम फख्र करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम क्षेत्र में रात दिन घूमते हैं, जयपुर कम रहते हैं लोग बराबर स्कीमों को कामयाब करने में लगे हुए हैं और उससे लोगों को काफी राहत मिली है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के जैसा आप स्वयं जानते हैं, आपने देखा है, कई गांव विभाजन किये हैं। जो नये रेवेन्यू ग्राम घोषित हुए हैं, उन गांवों की कम से कम एक हजार से अधिक आबादी है ऐसे गांवों के लिये आपकी स्कीम की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन उन स्कीमों के लिये बजट का प्रावधान नहीं है। इसलिये ऐसे जो समस्याग्रस्त गांव हैं जिनकी एक हजार से अधिक की आबादी है और गांव घोषित किया जा चुका है. वे एन. आर. इ. पी. में संक्शन नहीं हो सकता है इसलिये आप मिनिमम नीड प्रोग्राम में ऐसे गांवों को जितना हो सकता है उतना कर दे तो काफी आने वाले लोगों को भी रिलीफ मिलेगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो ढाणियों वाले बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं जहां पशु ज्यादा जिस ऐरिया में है, उनमें आप अलग पशुओं वाली स्कीम को भी, आप व्यवस्था करें ताकि जो पुरानी स्कीमें चलती है उन स्कीमों को चलाने में दखल न हो।

आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप खुद जानते हैं कि यह बड़ा कठिन मामला है। बाड़मेर से गडरा रोड तक सरकार ने जो केनाल इरिगेशन के लिये सिंचाई की है वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है। इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है लेकिन हकीकत और ईमानदारी यह है कि जब तक इन्सान के लिये और पशुओं को पीने का पानी समय

(श्री अमन खां)

पर नहीं मिलेगा तब तक सिंचित की बात शायद याद नहीं आती है। इसलिये मेहरबानी करके प्रायरिटी इस केनाल के पानी की यह है. जिन गांवों में पीने के पानी का सोर्स नहीं है, कमजोर है—वाडमेर, जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में नहीं है उन गांवों के लिये लिफ्ट योजना और केनाल का पानी पीने के लिए और मवेशियों को पानी पिलाने के लिये और दूसरे फारेस्ट और चरागाह के लिये प्राथमिकता दें। इसके बाद में भारत सरकार और राज्य सरकार अगर गुंजाइश ज्यादा समझती है तो सिंचाई के लिये भी रखे लेकिन प्रथम इस पानी को इन्सान के पीने के लिये और मवेशियों के लिये तथा फारेस्ट और चरागाह के लिये रखे तो उस इलाके की एकदम सूरत बदलेगी, वहां के तमाम लोग अमन चैन से रहेंगे और हमेशा के लिये सुखी रहेंगे। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और विचार करके इस केनाल का पानी पीने के लिये और मवेशियों के पीने के लिये काम में लाने की व्यवस्था करेगी। इससे ज्यादा परमानेन्ट कोई और इलाज नहीं है।

अब मैं एक मिनट में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला होने के नाते मिलिट्री की एक्सरसाइज बहुत समय तक रहती है। फेमिन की सड़कें काफी बनी हुई हैं। सड़कों की कमी हम हमारे यहां महसूस नहीं करते हैं लेकिन उन सड़कों की एक्सरसाइंज की वजह से टायरों और गाड़ियों से ऐसी घिसाई हो चुकी है कि सड़कें न बनी जैसी हो गई है। इसमें भारत सरकार से इमदाद लें और राज्य सरकार सीमावर्ती इलाका होने के नाते विशेष इन्तजाम करके ऐसी सड़कों जो ग्रेवल रोड हैं की रिपेयर अवश्य करानी चाहिये। कई ऐसी सड़कें जो प्लान की भी हैं और पंचायत समिति हैड क्वार्टर से जुड़ी हुई हैं और उन पर प्राइवेट बसें चलती हैं, अभी पिछले दिनों मिलिट्री की एक्सरसाइज के बाद में कई रोडों पर बसों को बन्द करना पड़ा है। इसलिये उन रोडों की रिपेयर हर हालत में हाथ में ली जाय और दूसरा जो आपने मास्टर प्लान तैयार करवाया है और जन प्रतिनिधियों से जो सुझाव लिये हैं उसको काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक उस मास्टर प्लान का कोई भी वर्क चालू नहीं किया गया है। उसको आप जल्दी से जल्दी। करवायें मैं इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, कई विभागों की मांगें चल रही हैं। मैं सर्वप्रथम पी. डब्ल्यू. विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पी. डब्ल्यू. विभाग राजस्थान के अन्दर जिस धीमी गति से सड़कों का विकास कर रहा है, यह सदन अच्छी प्रकार से परिचित है और, सभापति महोदय, चिन्तित भी है।

(श्री समर्थलाल)

जिन सड़कों के मामले को लेकर के हर वर्ष जो बजट रखा जाता है वह बजट मूल रूप में उन्हीं कामों के लिये, सड़कों के विकास के लिये खर्च नहीं हो पाता हैं। अलवर जिले के अन्दर पिछले दो-तीन सालों से, जहां तक मेरी जानकारी है कोई नई सड़क नहीं बनी है। अलवर जिले के अन्दर सभापति महोदय, दो अधिशाषी अभियन्ता हैं। उनके पास उनका प्रशासनिक स्टाफ है। लाखों रुपये उस प्रशासनिक स्टाफ की तनख्वाह पर खर्च किये जाते हैं। जितने रुपये उस प्रशासनिक स्टाफ की तनख्वाह पर खर्च किये जाते हैं उतने रुपये वहां की सड़कों के निर्माण के लिये खर्च नहीं किये जाते। अलवर जिले की तरह ही मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान के दूसरे जिलों का भी यही हाल होगा। लेकिन जब से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री श्री चेतराम जी मीणा साहब आये है तब से कुछ सड़कें सवाई माधोपुर जिले में बनी हैं और सवाई माधोपुर जिले के अन्दर भी टोडाभीम, जो इनका चुनाव क्षेत्र है, उस चुनाव क्षेत्र के अन्दर दो पंचायत समितियां है टोडाभीम और नादौती इन दोनों पंचायत समितियों के अन्दर करीब सैकड़ों किलोमीटर सड़कें इनके कार्यकाल में बनी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी सड़कें इनके एक चुनाव क्षेत्र में बनी हैं उतनी सड़कें पूरे अलवर जिले में भी नहीं बन पायी हैं। इस प्रकार का यह राजनैतिक भेदभाव मंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूं यह भ्रष्टाचार की संज्ञा में आता है।

सभापति महोदय, इसके अलावा इन्होंने जो यह पत्रिका निकाली है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि सन् 1971 की जन गणना के आधार पर 1990 तक एक हजार की आबादी और 1500 की आबादी तक के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये था कि 1981 की जनगणना के आधार पर उन गांवों की सड़कों को जोड़ा जाता और गांवों की सड़कों को जोड़ करके राजस्थान के गांवों का और राजस्थान का विकास किया जाता। लेकिन मैं समझता हूं यह भी एक भ्रम की बात है। मेरा यह कहना है कि वर्षवार जितना बजट विधान सभा से पास कराया जाता है उतना बजट भी पी. डब्ल्यू विभाग के अन्दर लग नहीं पाता है। सभापति महोदय, 1981-82 के अन्दर केवल 238 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। सन् 1982-83 के अन्दर 212 किलोमीटर सड़कें बनीं और 83-84 के के अन्दर 445 किलोमीटर सड़कें बनानी चाहिये थी उसमें केवल 230 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। तो इस प्रकार से अब जैसा इन्होंने कहा है 1984-85 के अन्तर्गत कि हम 600 किलोमीटर सड़कें....

श्री चेतराम मीणा : ये आंकड़े आप कहां से दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री समर्थ लाल : मैं बताऊंगा, आपके विभाग के ही है। ये 600 किलोमीटर

(श्री समर्थ लाल)

सड़कें हम बनायेंगे 84–85 में और 1400 लाख रुपये हम खर्चा करेंगे । सभापति महोदय, जो वित्त मंत्री जी का भाषण है उसमें यह कहा गया है कि 2500 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे संसाधनों के आधार पर । मुझे संशय है और इस विभाग के मंत्री चेतराम जी मीणा जब तक हैं, और इस विभाग का जो मौजूदा सेट-अप है जो मौजूदा ढांचा है, उसके आधार पर यह शंका निश्चित रूप से की जानी चाहिये कि यह पैसा सही रूप से खर्च न होकर जितनी सड़कें इन्होंने बताई हैं 600 किलोमीटर की उन पर खर्च नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मैं आ रहा हूं, इस बात पर । मैं निवेदन कर रहा हूं राजस्थान के अन्दर जब से श्रीमान जी पधारें हैं चेतराम जी साहब तब से इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है । क्योंकि, सभापति महोदय, उच्च स्तर पर जब भ्रष्टाचार हो तो नीचे के स्तर पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मन्त्रीजी का हो रहा है या विभाग का ?

श्री समर्थ लाल : इस भ्रष्टाचार के के अन्दर विभाग और मन्त्री दोनों शामिल हैं । श्रीमान्, इस विभाग के अन्दर जितने भी परिवर्तन किये जाते हैं, चाहे वह जे. ईएन. का परिवर्तन हो, चाहे ए.ईएन. चाहे एक्स. ई एन. का परिवर्तन हो चाहे एस. ई. यह आम अफवाह है राजस्थान के अन्दर और यह सदन के माननीय

(4.50 म. प.)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति पदासीन)

सदस्य भी इस बात की चर्चा करते हैं कि बिना पैसे इस विभाग में परिवर्तन नहीं होते । बिना रुपयों के इस विभाग के अन्दर ट्रान्सफर्स नहीं होते । तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब बिना रुपयों के इस विभाग के अन्दर परिवर्तन नहीं होता तो जो अधिकारी या कर्मचारी रुपया देकर के मन्त्री जी को किसी जगह पर काम करने के लिए जायेगा तो उन रुपयों की वसूली तो वह अवश्य करेगा । इसके अलावा एक प्रकार से पैसा लेकर के जो उसका परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रकार से परोक्ष रूप से उसको रुपयों की वसूली करने की छूट दे दी गयी है । इसी प्रकार से अखबारों के अन्दर भी यह नयी सूचनाएं आये दिन निकलती रहती हैं, इन्जीनियर्स के लिए तबादलों का मौसम आ रहा है, कमाई की जगह पद-स्थापन करने की रेट है । जितना बजट उतना काम । कार्यक्रम-सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर 20 से 50 हजार रुपये, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 15 से 30 हजार रुपये, सहायक इंजीनियर 10 से 20 हजार रुपये और जूनियर इंजीनियर 5 से 10 हजार रुपये....

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : यह आपने छपवा रखे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है कोई खरीददार ?

श्री समर्थलाल : तो इस प्रकार से इन तबादलों के मामले को लेकर के विभाग के जब इस प्रकार के समाचार अखबारों में आते हैं तो, सभापति महोदय, यह आशा करना बड़ा मुश्किल है कि जो भी 1984–85 के अन्दर बजट रखा गया है और यह कल्पना की गयी है कि हम 445 किलोमीटर सड़क बना पायेंगे, मुझे इसमें पूरा संदेह लगता है । इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी खुद इस भ्रष्टाचार से पीछे नहीं रहे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से ये मन्त्री बने हैं तब से अब तक इन्होंने दो मकान बनाये हैं···

एक माननीय सदस्य : इन्होंने ?

श्री समर्थलाल : श्री चेतराम जी मीणा, पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री जी ने ।

श्री सभापति : मांगों पर ही अपने विचार प्रकट करें ।

श्री समर्थलाल : यह मैंने आपको सूचना दी है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो 272 में नोटिस सर्व किया जा चुका है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : यह व्यक्तिगत मांगों पर विचार थोड़े ही हो रहा है ।

श्री समर्थलाल : नहीं, मेरा यह निवेदन है कि मैंने इस संदर्भ में नोटिस दिया है । और जितना बजट हो···

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री जी की सहमति से बोल रहे हैं ।

श्री समर्थ लाल : श्रीमान, अभी अभी भरतपुर के अन्दर इन्होंने एक मकान बनाया है·····

श्री सभापति : कृपया विराजें । जरा एक मिनट, समय बढ़ाना है । आप विराजें जरा ।

श्री समर्थ लाल : और उस मकान के अन्दर····

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन की अनुमति से बैठक का समय जब तक आज की मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ाया जाता है ।

कृपया प्रारम्भ कीजिए माननीय सदस्य ।

मांग संख्या 27 13 19 व 21
पर विचार

श्री समर्थ लाल : जब तक

(श्री समर्थ लाल)

डी मन्त्री चेतराम जी हैं और आप अलवर से मन्त्री पद पर हैं तब तक तो अलवर में सड़क बनेगी नहीं, यह मेरा निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : चेतराम जी से सड़क तो नहीं बनवानी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : आपके टाइम में तो बनी थी न ?

श्री समर्थ लाल : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि भरतपुर के अन्दर एक मकान इन्होंने अभी बनाया है जिसमें करीब 6 या 7 लाख रुपये की लागत आयी है। हिण्डौन के अन्दर एक मकान बनाया है इन्होंने अभी, उसमें करीब ढाई तीन लाख रुपये का लागत लगायी है। इसके अलावा, सांगानेर रोड पर जयपुर में एक जमीन इन्होंने अभी खरीदी है, जिसके अन्दर करीब 50 हजार रुपये की तो जमीन खरीदी है, अब दो मकान वहां पूरे कर लिये हैं, तीसरा मकान यहां जयपुर में बनेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इतना धन जो इस अल्प समय के अन्दर जब से ये मन्त्री बने हैं इनके पास कहां से आया ? यह सब धन इस विभाग की देन है, यह धन इस विभाग के अन्दर जो होने वाला भ्रष्टाचार है उसकी देन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सड़कों का निर्माण किया जाय और राजस्थान में आवागमन के साधन बढ़े सड़कों के आधार पर, इस प्रकार की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। यह भरतपुर के अन्दर जो इन्होंने मकान बनाया है उस मकान के अन्दर शीशम के आजकल किवाड़ चढ़ रहे हैं। वह शीशम कहां से आयी ? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि वह शीशम महुआ और हिन्डौन रोड पर सड़क के पास जो खड़े हुए शीशम के पेड़ थे करीब 7 पेड़ उनको विभाग के द्वारा कटवाया गया और कटवाकर के उससे मकान के अन्दर शीशम के किवाड़ चढ़ाये जा रहे हैं। तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : सड़कें थीं तभी तो पेड़ आये, नहीं तो कहां से आते। पक्की सड़कें थी तब आये वह।

श्री समर्थ लाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब मन्त्री स्तर पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो, यहीं, नहीं, सभापति महोदय, एक ठेकेदार हैं जो इनके मित्र हैं सिंघल साहब, यह भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर के रहने वाले ये ठेकेदार साहब है, आपको इसकी जानकारी है, सभापति महोदय, इसके बारे में क्योंकि आप भरतपुर से ही आते हो। भरतपुर जिले में जितनी भी सड़कें बन रही हैं या बनी हैं, पिछले दो तीन सालों से सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जितनी सड़कें बन रही हैं और बनी हैं, 80 प्रतिशत सड़कें केवल इस कपूरचन्द ठेकेदार ने बनायी हैं। जो सड़क दो साल पहले बनायी थी वह सड़क आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जो सड़क तीन साल पहले बनायी थी वह सड़क

(श्री समरथ लाल)

आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इस प्रकार की अल्प मियाद की जो सड़कें इन्होंने बनवायी हैं अपने मित्र ठेकेदार से, सभापति महोदय, ठेकेदार जी के साथ इनके दो दामाद काम करते हैं। वह छोटे ठेकेदार हैं और श्री कपूर चन्द सिंघल बड़े ठेकेदार हैं और विभाग के अन्दर मन्त्री महोदय हैं ही। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम एक मन्त्री के जरिये अपने विभाग के द्वारा किया जाय और उस विभाग के अन्दर इस प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपाया जाये भ्रष्टाचार को शह दी दी जाय, सभापति महोदय, तो किस प्रकार से राजस्थान के गांव सड़कों से जुड़ेंगे, किस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे वह गांव जो सैकड़ों वर्षों से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी सड़क आयेगी, किस प्रकार सड़कों से जुड़ेंगे। सभापति महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब श्री चेतराम जी मीणा सन् 1980 में चुन करके विधान सभा में आए थे, मैंने और इन्होंने एक साथ वजन तोला था। इनका 70 किलो वजन था, आज इनका एक क्विटल वजन है। अब जो 30 किलो वजन बढ़ा है वह कहां से बढ़ गया? यह केवल भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ा है, माननीय सभापति महोदय और इस प्रकार से····

श्री सुजान सिंह यादव : आपने अपना दे दिया इनको।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री समरथलाल : सभापति महोदय, तो मेरा कहना है कि मन्त्री स्तर पर अगर भ्रष्टाचार होगा तो नीचे के स्तर पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपकी छबि को उज्ज्वल करना है तो इनको मन्त्री पद से हटाया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री अगर अपने मन्त्रिमण्डल को थोड़ा बहुत स्वच्छ रखना चाहते हैं, हालांकि स्वच्छ तो नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी स्वच्छ रखना चाहते हैं तो इस प्रकार के मन्त्री को इस प्रकार के काम के अन्दर जो गांवों से सम्बन्धित काम है, वह काम नहीं दिया जाकर बिना विभाग का मन्त्री बनाया जाना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री सुजान सिंह यादव : आज की मांग यही थी क्या?

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से इन मांगों पर बोलता हुआ इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप स्वयं जानते हैं, पिछले सदन में और उसके पूर्व के सदन में हैंड पम्प के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान माननीय मन्त्री महोदय का और राजस्थान सरकार का इस ओर आकर्षित किया कि हैंड पम्प

(श्री सी. पी. जोशी)

की जो योजना लागू की गयी है, उसके अन्दर जो पैसे डिसाइड किए गये हैं, उनके रेट्स डिटरमिनेशन में जिस तरह की स्थिति है वह राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं इस बात को प्रारम्भ करने से पूर्व मै आपका ध्यान इस ओर आर्कषित करू कि यह हैण्ड पम्प की योजना लागू कब हुई। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है सन् 1980 के अन्दर तत्कालीन जनता पार्टी और जनता पार्टी के मुख्य मंत्री, आज के प्रतिपक्ष के नेता इस बात से भलीभांति परिचित हैं, वर्ल्ड बैंक से यह स्कीम, उनके मुख्यमन्त्रित्व काल में प्रारम्भ हुई। इसकी पृष्ठभूमि मैं इसलिए बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सदन में वारबार यह चर्चा रही है कि हैंड पम्प में स्कैंडल हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस हैंड पम्प स्कैंडल की पृष्ठभूमि के बारे में माननीय सदस्य भी परिचित हों और प्रतिपक्ष के नेता और तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी सदन को इस बात के लिए अवगत करायें कि जो कुछ बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं जो बात उनके मुख्यमन्त्रित्व काल में हुई एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते वे कितना इस बात को सही मानते हैं और क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि है। माननीय सभापति महोदय, 4.9.80 को जो कमेटी बैठी थी राजस्थान में, जिस कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन राजस्थान वाटर एण्ड सीवरेज बोड के चेयरमैन थे जिसके अन्तर्गत लगभग....

श्री कैलाश मेघवाल : तारीख क्या है ?

श्री सी. पी. जोशी : 4-9-1980। मैं कोई भी बात इरेलेवेंट नहीं कहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत गम्भीरता से इस बारे में कहा है कि इस बारे में सदन को उस समय के तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी और वर्तमान मन्त्री जी के बारे में अवगत करायें कि वास्तव में वस्तु:स्थिति क्या है। जिससे कम से कम हमने जो इस प्रश्न के माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और जनता का ध्यान आर्कषित किया है वह स्थिति सदन के सामने स्पष्ट हो। मेरे अपने कुछ प्रश्न हैं इसलिए मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि दि. 4-9-1980 को जो minutes of the meeting held on 4-9-80. in the chamber of the Chairman, Rajasthan Water & Sewerage Management Board, Jaipur at 10.30 AM regarding finalisation of uniform rates of drilling of tubewells through private parties. इस कमेटी में उस समय के चेयरमैन डोंडियाल साहब थे, उस समय के फाइनेंस सैक्रेटरी थे, स्पेशल सैक्रेटरी प्लानिंग एण्ड पी. एच. ई. डी., चीफ इन्जीनियर पी. एच. ई. डी., एफ ए एण्ड सी ए. ओ. आर. डब्ल्यू. एस. एम. बी. एडीशनल चीफ इन्जीनियर हैड क्वार्टर, एडीशनल चीफ इन्जीनियर मैकेनिकल, थे। यह जो कमेटी बैठी थी इस कमेटी ने निर्णय लिया था कि इसकी रेट 240) रुपया होनी चाहिए।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, उस समय कम्परेटिव स्टेटमेंट इस बात का दिया गया कि Rates received after communication at Chief Engineer's level were examined and comparison was made with the rates received in the past in certain districts.

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह सरटेन डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेट दी गई थीं उसकी तरफ माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

1. Order dated 4.1.80 issued to M/s. General Agencies and Suppliers by Additional Chief Engineer, Ajmer.

2. Order dated 7.2.80 of the Executive Engineer, PHED, Bhilwara-118 Hand Pumps.

3. Order dated 4.2.80 of Executive Engineer P.H.E.D. (Project), Ajmer : 200 Hand Pumps.

4. Order dated 7.2.80 of Executive Engineer, P.H.E.D, District Division, Udaipur :–202 Hand Pumps.

5. Order dated 13.2.80 of Executive Engineer, PHED, Chittorgarh:–48 Hand Pumps.

The number is 568.

(505 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि यह जो आर्डर इश्यू किये गये थे, उस समय राजस्थान के अन्दर जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, आज प्रतिपक्ष के नेता, वही उस समय के तत्कालीन पी एच ई डी मिनिस्टर भी थे। मैं केवल मात्र यह बात पृष्ठभूमि के रूप में रखना चाहता हूं कि उस समय की कमेटी, जिसने यह निर्णय लिया कि हैंडपम्प की कास्ट 240) रु. होगी, ने इन 568 हैंड पम्पों को आधार मानकर कि इन 568 हैंड पम्पों को खोदने की रेट 240) रुपया है, इसको आधार मानकर इस कमेटी के अन्दर 240) की रेट को फाइनेलाइज किया। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन को माननीय तत्कालीन मुख्यमन्त्री इस बात को अवगत करायें कि यह जो 568 हैंड पम्पों का हमने आर्डर प्लेस किया उस समय, उस समय की यह जो रेट राजस्थान सीवरेज और वाटर वर्क्स का बोर्ड बना था जिसके चेयरमैन मुख्य मंत्री जी नहीं थे, पी एच ई.डी. मिनिस्टर नहीं थे उस समय के टेक्निकल आदमी, ये जो मैंने नाम बताये हैं, मैम्बर थे

(श्री सी पी. जोशी)

लेकिन उसके साथ जो डायरेक्टिव कमेटी बनी हुई थी, मेरी जानकारी के अनुसार उसके मेम्बर और अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी और पी एच ई डी मिनिस्टर थे। अब यह डेट जो मैंने कोट की है उस डेट में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिहजी थे और उस समय के पी एच ई डी मिनिस्टर का चार्ज भी इण्डीपेंडेंट किसी के पास नहीं था। हालांकि उस समय के पी एच ई डी मिनिस्टर थे वह माननीय महबूब अलीजी थे लेकिन इण्डीपेंडेंट चार्ज उनके पास भी नहीं था, इण्डीपेंडेंट चार्ज नहीं होने के कारण मैं समझता हूं कि केबिनेट और उसमें सारे प्रपोजल पास कराने की जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी की थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन को इस बात के लिये अवगत कराया जावे कि टेक्निकल कमेटी में जो 4-9-80 को 240) रु० की रेट को आधार माना था और इन 568 हैंड पम्पों को 240) रु० पर मीटर में राजस्थान में खोदने का आर्डर दिया उसकी नैतिक जिम्मेदारी किस की थी? मैं समझता हूं कि श्री भैरोंसिहजी शेखावत राजस्थान के बहुत काम्पीटेंट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे और भ्रष्टाचार मिटाने की उन्होंने सदन के सामने घोषणा की थी अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा था, कि ये भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे, तो 240) रु० पर-मीटर का जो उन्होंने एडमिशन माना और जिसके आधार पर यह 568 हैंड पम्पों का आर्डर दिया, मेरी अपनी मान्यता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय के इण्डीपेंडेंट किसी भी आदमी से इवेल्यूएट करवा लिया जावे, उस समय की कास्ट 240) रुपया नहीं आ सकती थी। यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उस समय जब 4-9-80 को एक डेटा दिया गया था उसमें एक मीमो दिया गया है। उस मीमो के अन्दर यह बात लिखी गई कि ये जो 12 पार्टियां हैं इनको तीन साल का कांट्रेक्ट हमने क्यों दिया। उसके पीछे भी एक रीजन दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय, Copy of agenda item No. 14 of the meeting of Committee of Directors held on 6.9.80. उस समय कमेटी के अन्दर नोट पुट अप किया गया :

"Since other States are also taking up massive programmes of tackling water supply problem, it is just possible that the private contractors, who are available today, may not be available there to take up the drilling of tube-wells next year and might get engaged in other States. As a result of this, the rates would get inflated.

इसको आधार मानकर, 4-9-1980 को मानकर आर्डर दिया गया। इसको आधार मानकर तीन साल का कांट्रेक्ट दिया गया। अब यह तीन साल का आर्डर देने के बाद अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने रेट मंगाई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो मिनिमम रेट आई है वह रेट आई है 139) रुपया पर मीटर इन बांसवाड़ा

(श्री सी. पी. जोशी)

और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में रेट आई है वह 240) रु० से कम रेट है। मेरी अपनी मान्यता यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यदि उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी उस 240) रु० की रेट को आधार मानकर इन 568 हैंड पम्पों का आर्डर प्लेस नहीं करते तो बाद वाले मंत्री-मण्डल के सामने टेक्निकल आदमी ने जो रिपोर्ट रखी वह आधार नहीं बनता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके पीछे पृष्ठ-भूमि क्या थी, इसके बारे में माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी सदन को अवगत करायें। 4-9-80 को माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और वही उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही पी एच ई डी मिनिस्टर थे। इसलिये केवल मात्र इस 4-9-80 को इस कमेटी, जिसके अन्दर डोडियाल साहब और टेक्निकल सब आदमी थे, के 240) रुपये के पिछले आर्डर को आधार मानकर इस रेट को पास करवा लिया और तीन साल तक कान्ट्रेक्ट को उन्होंने बुक करवा लिया, यह कह करके कि तीन साल बाद इसकी स्थिति खराब हो जावेगी, तीन साल का आर्डर दे दिया। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने यह स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम यह नहीं कह सकते कि राजस्थान के अन्दर यह स्थिति बनने के कारण क्या थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की इण्टीग्रिटी पर मुझे एक परसेंट भी डाउट नहीं है, माननीय परसराम जी मदेरणा की इण्टीग्रिटी पर मुझे एक परसेंट डाउट नहीं है लेकिन यह राजस्थान में स्थिति बनी क्यों? इसके लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों को कि हम एक पोलिटिशियन जो दो पैसे की चोरी करता है उस पर खड़े होकर आरोप लगाते हैं, हल्ला करते हैं कि राजस्थान का यह मुख्य मंत्री चोर है, यह भ्रष्ट है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस रेट को आधार मानकर राजस्थान के टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स ने करोड़ों रुपयों का जो बंगलिंग किया है इसके लिये हमको सही आदमी को जिम्मेदार बनाना चाहिये और उसके बनाये बिना यदि हम सबक नहीं लेंगे तो आने वाले वर्षों में भी यह स्थिति बनेगी। आप स्वयं इस बात से परिचित हैं कि आपकी सरकार 16-2-1980 को समाप्त हो गई थी। 16-2-1980 के बाद मुख्य मंत्री पहाड़ियाजी बने थे। इसके बीच में प्रेसीडेंट रूल लागू हुआ था। उस रेट को, आपकी रेट के डिटरमिनेशन को आधार मानकर प्रेसीडेंट रूल के समय जो टेन्डर नेगोशियेट किये थे, राजस्थान के टेक्नोक्रेट्स और जो आई. ए. एस. अफसर थे उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ इतनी बड़ी मजाक कर दी। उसके बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट का स्टे आया जिससे आप स्वयं सब परिचित हैं। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस वक्त ज्यादा आकर्षित नहीं करना चाहूंगा, इस सारी पृष्ठ-भूमि बताने के पीछे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी मान्यता यह है ....

(श्री सी. पी. जोशी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डर्स कैंसल तो नहीं हुये जो आपने पढ़कर सुनाये।

श्री सी.पी. जोशी : मैंने जो कुछ भी बताये हैं. 4.9.80 को तीन साल का कांट्रेक्ट हुआ था वह 11-3-83 को पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर माननीय परसरामजी मदेरणा ने कैंसल किया। 1980 से लगाकर अब 11-3-83 तक, इस 4-9-80 के कांट्रेक्ट के आधार पर उस आदमी ने राजस्थान में काम किया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले वाले आर्डर्स कैंसल तो नहीं हुये जो आपने बताये फरवरी, 1980 के . . .

श्री सी.पी. जोशी : कोई आर्डर कैंसल....

(व्यवधान)

मैं समझता हूं, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं इसलिये काम्पीटेंट नहीं हूं कि न तो मैं इसका मंत्री हूं, लेकिन मैं खुद और सदन इस बात के लिये जानने के लिये उत्सुक हैं कि वस्तु-स्थिति क्या है। इसका जवाब या तो माननीय शेखावत साहब दे सकते हैं या माननीय परसरामजी मदेरणा दे सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं इस बात के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परसरामजी मदेरणा ने कहा कि हम इस स्कैण्डल की जांच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब सस्पेण्ड किसको किया? एक डिप्टी सैक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े टेक्नोक्रेट और मैकेनिकल आदमी ने 240 रुपये का आधार बना कर दिया। 3 साल का एक कांट्रेक्टर ने कांट्रेक्ट लेकर उन लोगों, जिन 12 फर्मों के पास रिग्स नहीं थी, जिनकी केपेसिटी असेस नहीं की, को माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल के लिये कांट्रेक्ट कर लिया। उस कांट्रेक्ट की अकाउन्टेबिलिटी के लिये जिम्मेदार किसको रखा? एक डिप्टी सैक्रेटरी को रखकर उसको सस्पेंड कर दिया। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न तो डिप्टी सैक्रेटरी के प्रति न्याय है और न ही जो आदमी राजनीति में काम करते हैं उनके प्रति न्याय है। मैं चाहता हूं कि इस सारी पृष्ठभूमि से सदन को जब तक अवगत नहीं करायेंगे तब तक हम यह बात कैसे कह सकते हैं कि हैंड पम्प में स्कैण्डल हुआ। मैं स्वयं इस बात को कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुये तकलीफ भी नहीं है लेकिन विधान सभा का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि पोस्टेरिटी इस बात की गवाह रही है कि इस राजस्थान के टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी पोलिटिकल जो लीडरशिप थी, उनको यह बात समझ में नहीं आई, उसको आधार बनाकर करोड़ों रुपयों का इस तरह का सौदा कर लिया जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। मैं चाहता हूं, माननीय परसराम जी मदेरणा जब अपना जवाब दें तो स्थिति स्पष्ट करें कि जो स्थिति यह मैंने बताई वह स्थिति कहां तक सत्य है और माननीय जब भैरोंसिहजी शेखावत अपनी बात बोलें तब भी सदन को इस बात के लिये अवगत करायें कि उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जब वह सबसे ज्यादा काम्पीटेंट और राजस्थान को चलाने वाले मुख्य मंत्री थे उनकी नाक के नीचे इस तरह का निर्णय कैसे हो गया और निर्णय होने के बाद

(श्री सी. पी. जोशी)

जो स्थिति बनी उससे सदन को अवगत करायें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि के बाद भी मैं इस बात के लिये तो राजस्थान सरकार के मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतने सब कांस्टेंट होने के बाद भी, इतना डीमोरलाईजिंग वातावरण होने के बाद भी, जिसके लिये हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं, उसके बाद भी प्रोग्राम को इन्होंने लागू किया और इसकी यार्डस्टिक यह है, अध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने परफारमेंस के आधार पर जिन स्टेट्स को ए. आर पी. का जो पैसा दिया है उसमें राजस्थान भी एक स्टेट है जिसको पांच करोड़, सात करोड़ ज्यादा इस बात के लिए मिले कि इसने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल योजना को लागू करने का काम किया । इसलिये इस परफारमेंस के आधार पर जो मैंने स्वयं निश्चित नहीं की, भारत सरकार स्वयं यह बात कह रही है कि राजस्थान स्टेट की परफारमेंस ठीक थी । यदि इसको आधार मानें तो जो कुछ भी इन्कास्टेंट के बाद भी हमारी उपलब्धि रही उसके लिये निश्चित तौर पर जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य बहुत से बोलने वाले हैं । लेकिन मैं इस तरह की सही पृष्ठभूमि के साथ माननीय मदेरणा जी से अपेक्षा करूंगा कि यह जो प्रोग्राम लागू कर रहे हैं उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं उनको भी आप इनकारपोरेट करें । अब आपने जिन विलेजेज में पी. एण्ड टी. स्कीम लागू की है उस पी. एण्ड. टी. स्कीम में, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विलेज को लिमिट माना है । रेवेन्यू विलेज में जैसा आप स्वयं जानते हैं कि एक रेवेन्यू विलेज की जो डेंसिटी आफ पापुलेशन है वह एक जगह पर बसे हुए नहीं हैं । इसमें हमारे यहां बागले कहते हैं, आपके यहां ढाणी कहते हैं । वे ढाणियों में स्केटर्ड हैं । उनको कहीं फले कहते हैं । उसको आधार मानकर पी. एण्ड टी स्कीम लागू कर दी । अब डेंसिटी तो केवल मात्र 1/3 एक जगह पर है लेकिन रेवेन्यू विलेज जिसमें 12 ढाणियां आती हैं वहां पी. एण्ड टी. स्कीम लागू हो गई । 1/3 जनता को पी. एण्ड टी. का पानी मिल रहा है और 2/3 जनता को स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है, वहां हैण्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं यह कौनसा नियम है ? इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ऐसे रेवेन्यू विलेज जहां पी. एण्ड टी. स्कीम लागू कर दी, उस रेवेन्यू विलेज के दो या तीन किलोमीटर की डिस्टेंस पर ढाणियां या बागले हैं वहां भी आप हैण्ड पम्प की स्कीम को इनकारपोरेट करें तब तो उन लोगों के साथ न्याय होगा और जो आप कह रहे हैं कि हमने एक विलेज में पानी दे दिया तब वहां स्कीम सही ढंग से लागू हो पायेगी । भविष्य में जहां डेंसिटी है जहां बस्ती है उसको आधार मान कर रेवेन्यू विलेज को नहीं, पी. एण्ड टी. स्कीम लागू करें तो लोगों के साथ न्याय होगा ।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, टी. एस. एस. की स्कीम के अन्तर्गत मैं नहीं कहता लेकिन यह तो अन्याय होगा, अध्यक्ष महोदय, टी. एस. एस. जिस विलेज में है उस विलेज के अन्दर भी डेंसिटी की स्थिति यही की यही है। ढणियां या बागले अलग हैं लेकिन रेवेन्यू विलेज में टी. एस. एस. है इसलिए वहां पर 500 की जनसंख्या में एक हैण्ड पम्प लगायेंगे यह भी उस विलेज की जनता के साथ अन्याय है। इसलिये जिन विलेजेज में टी. एस. एस. है उन विलेजेज में बागलों की जनता को कवर करने के लिये भी 250 की जनसंख्या को आधार माना जाय तब तो उन रेवेन्यू विलेज के साथ न्याय होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री परसराम मदेरणा : टी. एस. एस. कितने...

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : जिन विलेजेज को टी. एस. एस. से कवर कर रखा है और आपने लिख रखा है कि टी. एस. एस. से कवर्ड हैं उन विलेजेज में भी 250 की जनसंख्या के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये जायं। अभी आपने निर्णय पांच सौ की जनसंख्या का ले रखा है वह निर्णय उनके साथ अन्याय है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप निर्णय करते समय इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो मुझे खुशी है कि नम्बर आफ हेमलेट्स की जो लोकेशन है उसको आइडल मानना चाहिये आपको हैण्ड पम्प कवर करने के लिये, यह जनसंख्या का आधार ठीक नहीं है। हेमलेट्स की जो डिस्टेंस है वह पंचायत मुख्यालय से 4 किमी., 3 किमी. और पांच किलोमीटर है। एक हेमलट में 50 आदमी रहते हैं, दूसरे में 100 रहते हैं और तीसरे में 150 आदमी रहते हैं। आपने 250 की जनसंख्या का जो आधार मान रखा है, इससे दो हेमलेट्स के बीच में एक हैण्ड पम्प लगेगा तो दोनों की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये में चाहता हूं कि हेमलेट्स को आधार माना जाय। हेमलेट्स यदि 50 भी हैं और पंचायत मुख्यालय से दूरी उनकी दो किलोमीटर है तो वहां एक हैण्ड पम्प लगाया जाय, वहां इसका एक्सटेंशन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आप स्वयं परिचित हैं। वेस्टर्न राजस्थान की पीने के पानी की समस्यां अलग है, पूर्वी राजस्थान की पीने के पानी की समस्या अलग है और हम जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के आदिवासी जो पहाड़ों पर रहते हैं वहां आपने हैण्ड पम्प की योजना लागू कर दी। मशीनें वहां जा नहीं सकती, हैण्ड पम्प वहां खुद नही सकते इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि स्वच्छ पानी की योजना का लिंकेज किया जाय इरिगशन के साथ। जिन-जिन जगह पर पहाड़ी इलाका है वहां पर एनीकट और तालाब बना कर रीजनल

(श्री. सी. पी. जोशी)

पाइप स्कीम लागू की जायतब तो उन आदिवासियों को,पहाड़ी एरिया में रहने वाले लागों को पानी की सुविधा मिलेगी, अन्यथा वहां हैण्ड पम्प लगा दें तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। अब आप इसका टोटल देखें। माननीय अध्यक्ष महोदय. राजस्थान कैनाल का पानी जोधपुर में जायेगा, खुशी की बात हैं। राजस्थान कैनाल का पानी चूरू और जैसलमेर में जायेगा, खुशी की बात है। इतने करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के बाद हम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे यह बात हमें 35 साल बाद समझ में आई लेकिन पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के लिये कैसे पानी मुहैया करायेंगे इसके बारे में दिमाग में कोई कल्पना नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके लिये भी ज्योग्राफिकल कंडीशन का आधार मान कर सेपरेट योजना बनाई जाय तब तो जाकर इसमें कुछ कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप खुद देखेंगे इस बात को कि जो भी सिटी के अन्दर पानी की प्रोब्लेम है उसके लिये हम जितने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रूरल पापुलेशन के अन्दर जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप पापुलेशन के आधार पर इसमें चेंज करिये। रूरल पापुलेशन के लिये जोधपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है। उनके लिये हैण्ड पम्प भी जोधपुर में पानी की व्यवस्था के लिए लगायेंगे, जवाई से कैनाल भी लायेंगे, जोधपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो और कुछ भी काम करेंगे। अजमेर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो बीसलपुर योजना लागू करेंगे। बड़े शहरों की योजना लागू करने के लिये आप 56 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ खर्च करना चाहते हैं लेकिन गांवों में रहने वाले लोगों के लिये स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाइड्रोजीनियस डवलपमेंट होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप विलेजेज में पहले स्वच्छ पानी की व्यवस्था करावें उसके बाद सिटीज की प्राब्लम देखें तब तो बात समझ में आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर शहर की जो पीने के पानी की समस्या है, मैं समझता हूं, मुझे कहते हुए दुःख है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर शहर का जिस तरह का एक्सपांसन हो रहा है उसमें पीने के पानी की व्यवस्था अवेलेबल कराने के लिये या तो आपको देवास योजना कम्पलीट करनी पड़ेगी या वाकल की योजना कम्पलीट करनी पड़ेगी लेकिन हम आज दिन तक उस योजना को टेकअप नहीं करना चाहते। दो साल, तीन साल बाद जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर हम उदयपुर की इमरजेंसी को मीट-आउट करना चाहेंगे, वह स्थिति सुखद नहीं है। जोधपुर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की और सरकम्स्टांसेज में आपने हैण्ड पम्प लगा कर पानी की सुविधा दी उस तरह की स्थिति से हमें सबक सीख कर उदयपुर में जो पीने के पानी की प्राब्लम है उसको एंटीसिपेट करना चाहिये और उसके लिये उदयपुर में जो काम करने चाहिये वह काम अभी से सोच लेने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उदयपुर शहर में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में साढ़े तीन सौ, चार सौ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मंत्री महोदय, आप सही कह रहे हैं कि वहां हैण्ड पम्प लगे हुए हैं लेकिन हैण्ड पम्प जो हिरन मगरी सैक्टर–1 से 11 तक डवलप हो रहे हैं उनमें रहने वाले आदमियों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है यह स्थिति वैसी की वैसी हो जायेगी। इस लिये मैं चाहूंगा इसमें आप यह भी कर लें कि आप वाकल और देवास योजना के पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो गुजरात पानी का उपयोग कर लेगा तो बाद में स्थिति क्या बनेगी। इसलिये मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस पर भी सोचें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिये और निवेदन करूंगा, मैं जानता हूं कि समय ज्यादा हो रहा है लेकिन 20 सूत्री प्रोग्राम में जो हमने लिया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की बस्ती को हम पानी के लिए कवर करेंगे। अनफारचुनेटली माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मुझे करेक्ट करें इस बात के लिए जिन विलेजेज में हैण्ड पम्प लग गया उनकी शिड्यूल्ड कास्ट्स की वस्ती को हमने कौउंट कर लिया यह इसकी मंशा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन विलेजेल में हैण्ड पम्प दिये हैं उनमें नंबर आप शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स की वस्ती आपने आइडेंटिफाई की है उनके लिये एब्सोल्यूटली अलग से आर्डर निकालिये कि यह एस.सी., एस.टी. के लोगों की की बस्ती है, यहां हैण्ड पम्प लगेंगे और इसको 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इनकारपोरेट कीजिये। जिन विलेजेज में हैण्ड पम्प लग गये हैं, भूलचूक से शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों में लग गये हैं उनको काउन्ट किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 20 पाइन्ट प्रोग्राम की मंशा नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि पहले इस बात को डिक्लेयर कर दिया जाय कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइबस की कौन कौनसी बस्तियां हैं और कौन-कौनसे ईयर में किस-किस जगह पर हैण्ड पम्प लगेगा ताकि हम को कम से कम यह मालूम रहे कि इन शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों को आने वाले वर्षों में कवर करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पेयजल पर यहीं समाप्त करना चाहता हूं लेकिन जो दो और मांगें हैं उनके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। पी. डब्ल्यू. डी. की रोड्स के बारे में मेरा निवेदन है। मास्टर प्लान बनाया, बहुत खुशी की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में बहुत ज्यादा पैसा भारत सरकार रोड्स के लिये देने वाली है। यह आज से हम इन्फ्रास्ट्रक्टर डवलप नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपया जो आयेगा उस का हम उपयोग नहीं कर पायेंगे। आज आर. एल. ई. जी. पी. प्रोग्राम जो अप्रूवा हुआ उस के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान

(श्री सी. पी. जोशी)

की सरकार के कितने लैंड लैस आदमी हैं। उनका रिकार्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है। आज आर. एल. ई. जी. पी. मे 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, उस पैसे का हम उपयोग नहीं करना चाहते हैं। कुछ समझ में तो आये कि क्या करना चाहते हैं? सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार रोड्स पर खर्च करने जा रही है लेकिन आज हम इन्फास्ट्रक्चर डवलप करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि पहले इन्फास्ट्रक्चर डवलप करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम. एन. पी. में भारत सरकार डायरेक्ट पैसा देती है उसके अन्दर हैट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आज उदयपुर, चित्तौड़ में जितनी एम. एन. पी. की रोड्स आनी चाहिये उतनी रोड्स नहीं आई वहां पर। भरतपुर में रोड आई, जयपुर में रोड आई। मिनिमम नोड्स प्रोग्राम के अन्दर हम इस बात का ध्यान नहीं रखें, भारत सरकार के पैसे का हम उपयोग नहीं कर पायें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं कि मास्टर प्लान में जब आप फाइनेंशियल सेंक्शन दें तब एक बात यह देखिये कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी रोड्स हैं उनमें जिस डिस्ट्रिक्ट में रोड्स कम हैं उनको पहले लिया जाय। जिन पंचायत समितियों के पंचायत मुख्यालय पाकिटेज से जुड़े हुए हैं, और जिनके नहीं जुड़े हुए हैं उनका आधार बनाया जाय तब तो आगे आप काम कर पायेंगे। आज हमने यह कर लिया कि हर विधान सभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर रोड देंगे। इसका मतलब जो हमारा हैट्रोजीनस डिस्ट्रिब्यूशन है उसको तो हम मेंटेन करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति ठीक स्थिति नहीं। आज बाड़मेर जैसलमेर के लिए भारत सरकार डिफेन्स के अन्दर भी पैसा देती है उस पैसे का उपयोग नहीं किया जाय, एम. एन. पी. का प्रोग्राम है उसका उपयोग किया जाय लेकिन जिन विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर पंचायत मुख्यालय जुड़े हुए भी नहीं हैं उनको भी एक साथ में दूसरी दृष्टि से रखा जायेगा यह ठीक नहीं होगा। मास्टर प्लान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात को देखा जाये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि तहसील जुड़ी हुई है, एक तहसील से दूसरी तहसील जुड़ गई हो उनको प्रायोरिटी दी जाये, उसके बाद दूसरा पैसा खर्च किया जाय तब तो इस पैसे का उपयोग कर पायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा हम आज डेयरी रोड्स पर या कृषि मंडी या अकाल राहत में खर्च कर रहे हैं उन सबको भी पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स के अन्दर पार्ट लेकर खर्च करिये तब तो उस पैसे का सदुपयोग होगा। कच्चे इलाकों के अन्दर यदि आप रोड पक्की नहीं बना सकते हैं तो कम से कम वहां टी. डी. वर्क ही कम्पलीट करा दीजिये तभी हमारी रोड वायबल रहेंगी 12 महीने, लेकिन आप टी. डी. वर्क ही वहां करवाना नहीं चाहते। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम अपनी बात आबकारी के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की आबकारी नीति राजस्थान के दारू के ठेकेदार डिटरमिन करते हैं। मैं इसलिये

(श्री. सी. पी. जोशी)

कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले देशी शराब की दुकान के अलाटमेंट के नियम और विदेशी शराब की दुकान के नियम अलग-अलग थे लेकिन हमने एक ठेकेदार के कहने से इस तरह के आदेश दिये हैं कि उनको एटपार कर दिया। देशी शराब और फारेन लिकर, दोनों का एक ही ठेकेदार है। जो माननीय भूपाल सिंहजी ने बताया, यह स्थिति इसलिये पैदा हुई कि केवल एक ठेकेदार, जो अपनी पास वाली स्टेट का है, ने एक आइडिया प्रपोज किया है। उस आइडिया के आधार पर हमने राजस्थान में दोनों को एटपार कर दिया। इसलिये काम्पीटिशन ठीक नहीं हो रहा है, ठेकेदार पैसा कमा रहा है और बंगलिग हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस आबकारी नीति को रेस्ट्रेन करन की आवश्यकता है। जिस इलाके से हम आते हैं, उस आदिवासी इलाके में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदिवासी जो शराब निकालता है वह उसकी संस्कृति का पार्ट है वहां निश्चित तौर से आपको शराब निकालने की छूट देनी चाहिये अन्यथा उन गरीब आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। जो धार्मिक स्थान हैं, वहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिये। मेरे खुद के नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में एक इतना बड़ा मंदिर है वहां शराब की दुकान खोल दी। तो मैं चाहता हूं, जहां धार्मिक स्थान हैं वहां शराब की दुकान नहीं खोली जायं, इस बारे में राजस्थान सरकार को नियम बनाने चाहिये। इस आबकारी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो लीकेज राजस्थान में हो रहा है उसको चैक नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, इस आबकारी नीति को भी रेस्ट्रेन करने की आवश्यकता है।

मैं मेरी बात इसी आशा और विश्वास के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि जो भी बात मैंने उठायी उसमें प्रतिपक्ष के माननीय नेता और माननीय मंत्री महोदय हमको अवगत करायें जिससे भविष्य में राजस्थान के टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेटस मिलकर राजस्थान की जनता के साथ इस तरह का बंगलिंग नहीं कर पायें तो, मैं समझता हूँ, इस ओर से हम सबक सीखकर राजस्थान में आने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने पहली बार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, को ठीक प्रकार से ब्रीफ किया है। यह आवश्यक भी है। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य बोलें तो माननीय मंत्री महोदय का ब्रीफ करना उनके लिये बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी कहना चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि उन्होंने बोल कर मेरा काम बहुत हल्का कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न रखे । मैं उनका उत्तर तो देऊंगा लेकिन उसके पूर्व राजस्थान में पेयजल की क्या व्यवस्था है इसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । राजस्थान में आप सभी जानते हैं 33,305 ग्राम हैं और उनमें से 24,037 ग्राम समस्याग्रस्त हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों के आधार पर अब तक 18,345 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गयी । पिछले चार वर्षों में 13,486 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बातें सरकारी पत्रावलियों से प्रकट होती हैं, जिनमें से 10,758 गांव तो हैण्ड पम्प योजनान्तर्गत लिये गये और 2728 गांव टी. एस. एस., पी. एण्ड टी. और दूसरी स्कीम्स के अन्तर्गत लिये गये । कुल मिलाकर 13,486 गांवों का पीने के पानी का प्रबन्ध इन चार वर्षों में किया गया । अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होगी कि अन्य योजनान्तर्गत, जिसमें टी. एस. एस. की योजना भी आती है, केवल 2728 गांवों में पीने के पानी का प्रबंध किया गया और हैण्ड पम्प योजना के अंतर्गत 10,758 गांवों का ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि समस्याग्रस्त गांव कौन से हैं और समस्याग्रस्त गांवों के संबंध में भारत सरकार के नार्म्स क्या हैं । मैं यह भी यहां निवेदन करना चाहूंगा कि समस्याग्रस्त गांवों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ क्राइटेरिया तय किया है । वह क्राइटेरिया यह है :

"The following criteria have been adopted for categorising villages as problem villages—

1. Those which do not have any assured source of drinking water within a reasonable distance of, say, 1.6 kilometers or within a depth of 15 meters.

2. Those which have availability of water which has an excess of salinity, iron, fluoride or other toxic elements.

3. Those which are inclined to diseases like cholera, guinee worms etc."

अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार ने क्राइटेरिया तय किया है । अध्यक्ष महोदय, इस क्राइटेरिया को राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है । राजस्थान सरकार ने दो जगह इस बात की घोषणा की है । एक तो यह कि गांवों में नलकूप योजना का आधार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है । शुद्ध पेयजल । जहां जमीन में पानी मीठा है वहां हैण्ड पम्प लगाया जाता है, यह राज्य सरकार की घोषणा है । साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही राजस्थान सरकार ने यह भी आश्वासन इस सदन में दिया है, जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व जल स्रोतों की तथा जल मात्रा की उपलब्धि, उसमें उपस्थित हानिकारक रसायनों की उपस्थिति, जल का खारापन तथा कीटाणु आदि के संबंध में सर्वेक्षण, जांच किया जाना आवश्यक है। इस कार्य के लिये एक वरिष्ठ रसायनिज्ञ एवं मण्डल विशेष रूप से कार्यरत है। इस कार्य के लिये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में रसायनशालाएं भी स्थापित हैं। इसका मतलब यह है कि जो पानी उपलब्ध कराया जायगा, उपलब्धि से पहले जांच कराई जायेगी कि जो पानी उपलब्ध कराया जायगा वह पानी शुद्ध हो और शुद्ध पानी का क्राइटेरिया क्या है, यह भारत सरकार ने निर्धारित किया है और राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, जिन 10758 गांवों में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत पानी का प्रबंध किया गया उनके बारे में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि इन 10758 गांवों में क्या माननीय मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि जो पानी उपलब्ध कराया गया वह पानी शुद्ध है विदिन नॉर्म्स ? यदि यह बात नहीं कह सकते तो, अध्यक्ष महोदय, शुद्ध पानी उपलब्ध कराया इस बात का दावा नहीं किया जा सकता। अब मैं, पानी शुद्ध है या अशुद्ध, इस प्रश्न पर आने से पहले कितने हैण्ड पम्प काम कर रहे हैं उस सम्बन्ध में इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में एक कैम्पेन चालू किया। जोशी जी ने मन्जूर किया है कि जिस समय कैम्पेन चालू किया गया उस समय 34,442 में से 14965 हैंड पम्प खराब थे। जिनकी रिपेयर हुई इस कैम्पेन में उनकी संख्या है 11245, बेलेन्स रहे 2243 में मेजर रिपेयर की आवश्यकता है। 1477 एबैण्डन मतलब बेकार हैं, यहां दूसरा बोरिंग करना पड़ेगा, यहां दूसरे हैण्ड पम्प खुदवाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से दूसरा कैम्पेन चालू किया वह मार्च, 1984 में पिछले महीने। यह कैम्पेन जिस समय शुरू किया गया उस समय कुल 35240 हैण्ड पम्प में से 11365 हैण्ड पम्प खराब थे, 1904 की मरम्मत हुई, जिनमें मेजर रिपेयर की आवश्यकता थी या जिनको एबैण्डन करना था उनकी संख्या 2612 थी। उनमें से कुल 332 रिपेयर हो पाये। आउट ऑफ ऑर्डर उस समय थे 13977 जिसमें से 11236 की मरम्मत हुई बाकी जितने थे वे बेकार थे। अध्यक्ष महोदय, अब मेजर रिपेयर वाले 2243 में से 1477 जो पहले कैम्पेन में इन्होंने खराब घोषित कर दिये, इनकी रिपेयर नहीं हो सकती, दूसरा बोरिंग करना पड़ेगा। दूसरे कैम्पेन में 2612, कुल मिलाकर 6332 हैण्ड पम्प बेकार सिद्ध हुए जिसमें न तो मेजर रिपेयर हो सकती है, न इनकी मरम्मत की जा सकती है। 6332 हैण्ड पम्प बेकार चले गये। यदि एक हैण्ड पम्प की कीमत औसतन 15 हजार लगायी जाये तो, माननीय जोशीजी, मैं कहना चाहूंगा 9 करोड़ 49 लाख 80 हजार रुपये बरबाद हो गये। 9 करोड़ 49 लाख 80 हजार रुपये। ये बरबाद हुए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन हैण्ड पम्प में जो आज बिल्कुल बेकार हैं जिनकी कोई रिपेयर नहीं हो सकती और रिपेयर करना चाहेंगे तो जितनी मूल में कीमत लगी उतनी ही कीमत में उनकी रिपेयर हो सकती है। यह हालत है अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प की। अब, यह हैण्ड पम्प केवल कैम्पेन में ही दुरुस्त किये गये हों, ऐसी बात नहीं है। हैण्ड पम्प पंचायतों को दिये गये, पंचायतों की मार्फत ठीक कराये गये। अभी सरकार ने बताया कि सन् 1983-84 में 4321 हैण्ड पम्प खराब थे। पंचायतों को दिये गये 20797 हैण्ड पम्प से में 4321 हैण्ड पम्प खराब थे, 212 की मरम्मत करायी गयी और उनमें 145276 रुपये खर्च हुए। इस समय 5940 हैण्ड पम्प पंचायतों के पास खराब पड़े हैं और उनके लिए शायद राजस्थान की सरकार ने व्यवस्था की है कि हमें 28,13,222 रुपये खर्च करने के लिए चाहिए। इसका मतलब पंचायतों को जो दिये उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं। जो टोटल हैण्ड पम्प की संख्या है उसके अन्दर कहीं वन थर्ड कहीं आधे खराब पड़े रहते हैं। इसका मतलब जिन गांवों में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं वहां तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो हैण्ड पम्प की योजना में वह गांव लाभान्वित हो गये, इस बात को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि यह जितने भी कैम्पेन किये गये इस कैम्पेन के आधार पर यदि आप देखना चाहें तो, अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर राजस्थान में 45 हजार हैण्ड पम्प खुदवाये गये जिसमें सफल और असफल दोनों आते हैं। सारे डिपार्टमेंट का, रिग्स कॉस्ट का, केपिटल कॉस्ट का और इन्ट्रेस्ट का सारा हिसाब लगाकर देखें तो एक हैण्ड पम्प के ऊपर 15 हजार रुपये खर्च होते हैं। 15 हजार रुपये खर्च को यदि इसमें शामिल किया जाय तो लगभग 50–55 करोड़ रुपये इन हैण्ड पम्प के ऊपर खर्च हुए हैं। अब, अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प खराब हों, एक बात लेकिन हैण्ड पम्प की दूसरी बात देखनी पड़ेगी कि हैण्ड पम्प की वास्तव में हालत क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसमें पानी कैसा और कैसा नहीं है। नागौर जिले की पंचायत समिति मूंडवा और पंचायत समिति नागौर इन दोनों के अन्दर कुएं, हैंड पम्प तैयार किये गये 249, सफल 213 और असफल 36। इनकी कॉस्ट आयी, मैंने तो 15 का ही अन्दाज लगाया, इनकी कॉस्ट आयी है 45,95,595 रुपये। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे एक-एक हैण्ड पम्प पर 28–28 हजार रुपये खर्च आये हैं। किसी पर 28, किसी पर 27, किसी पर 26 और किसी पर 25 लेकिन अधिकांश हैण्ड पम्प का खर्च प्रति हैण्ड पम्प 25 हजार रुपये से ज्यादा आया है। अब इस सरकार से पूछा जाय, क्या आपने हैण्ड पम्प खुदवाने के पहले जांच करायी, क्या हैण्ड पम्प खुदवाया उसके बाद जांच करायी? तो 213 हैण्ड पम्प जो असफल घोषित हुए उनकी तो जांच नहीं हुई लेकिन 40 हैण्ड पम्प के पानी की जांच की गयी और सदन को जानकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ताज्जुब होगा कि 40 में से केवल 10 हैण्ड पम्प का पानी फिट पाया गया और बाकी किसी हैण्ड पम्प का पानी फिट नही पाया गया। अब मैं आपसे जानकारी करना चाहताहूं क्या आप हैण्ड पम्प बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच गये ? क्या आपने हैण्ड पम्प खोद दिये और लोगों के पेट में पानी पहुंच गया ? मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हैण्ड पम्प खराब पानी के खोदना, यह बहुत ज्यादा बुरी बात है। मैंने आपको उदाहरण दिये, यह उदाहरण बाकी की पंचायत समितियों पर भी लागू होते हैं। इसी उदाहरण के साथ, अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य राम रघुनाथजी बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि जब फ्लोराइड ज्यादा हो तो उससे मैंने किसी आदमी को कुबड़ा होते हुए नहीं देखा, मैंने किसी आदमी के बीमारी होते नहीं देखी। अध्यक्ष महोदय, प्रगति विवरणिका 1983-84 यह राज्य सरकार की है मेरी नहीं...

श्री रामसिंह विश्नोई : उन्होंने तो यह कहा कि नागोर में कुबड़ा होते हैं, जोधपुर में नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा यह कहा था। यह इन्हीं की किताब है, इसमें लिखा है अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित बालक। यह बालक का फोटो दिया है और बालक कुबड़ा है। यह तो सरकारी पत्रावली है और कुबड़ा होने की बात सरकार स्वीकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय और बाकी के माननीय सदस्य इस बालक का फोटो देखेंगे तो बालक की उम्र, मैं समझता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 12-13 वर्ष की होगी। इस 12-13 वर्ष की उम्र में यदि यह कुबड़ा हो गया तो इसका अन्दाज एक ही लगाया जा सकता है कि उस पानी का प्रभाव कितना होता है और उस पानी के प्रभाव से बालक किस प्रकार की स्थिति में पहुँच जाता है। माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं किताब मंगाकर देख लें, इसमें बालक का फोटो देखते ही आपको दया आयेगी और यह महसूस करने लगेंगे कि यदि फ्लोराइड ज्यादा होगा तो बच्चों की हालत इस प्रकार की होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आज सारे हैण्ड पम्प पर जितना भी खर्चा हुआ है 50–55 करोड़ रुपये का, राजस्थान की सरकार आज माने या नहीं माने लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय अपनी जुबान और मान्यताओं के बड़े पक्के हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी जुबान से जो बात निकल गयी उसको यह हर कीमत पर सही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं मुझे खुशी है इस बात की कि हैण्ड पम्प के मामले में भी इनको बहुत सफलता मिली है अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रासीडिंग्स दिनांक 24 मार्च, 1981 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उस समय आप उस कोने में आज जहां नानालाल जी बैठे हैं वहां बैठते थे। पहाड़ियाजी की सरकार थी।

श्री परसराम मदेरणा : कब की है ?

(250)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूं देऊंगा आप को।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 24 मार्च, 1981। इसमें आप बोल रहे हैं, मंत्रीजी को एड्रेस करके बोल रहे हैं, "मंत्रीजी, मैं आभारी हूं प्रगति विवरण अ परिशिष्ट-4 में इस बात का भी उल्लेख कि पश्चिमी राजस्थान में पानी 80 मीटर से 130 मीटर और कहीं-कहीं तो 200 मीटर गहरा है।

वहां पानी कई स्थानों पर अत्यधिक खारा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल स्रोत दूर दूर तक उपलब्ध नहीं हैं अथवा भूगर्भ में उपलब्ध पेयजल अत्यधिक फ्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि रसायनों से युक्त है।"

यह तो इन्होंने वस्तुस्थिति बता दी और दूसरी वस्तुस्थिति बता रहे हैं, हैंड पम्प की योजना बहुत ही यूजलेस स्कीम है। यह आप ही बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : भाषण तो इस पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किधर बैठता है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता जिस वक्त की बात कह रहे हैं, जब मैं आपकी आई कैंच करने के लिये उधर नानालाल जी के स्थान पर बैठता था। मैंने जिस संदर्भ में कही है, उस संदर्भ में कम्प्रोमाइज वाले मामले में इन्होंने एक लाइन पढ़ दी और ऊपर वाली लाइन छोड़ दी कि यह फाइल कभी भी मिनिस्टर और सैक्रेट्री को प्रस्तुत नहीं हुई। मैंने जिस संदर्भ और परिवेश में यह बात कही, मुझे मौका मिलेगा तब कहूंगा। लेकिन मैंने यह बात कही है कि पानी बहुत ही गहरा है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह बात मैंने कोई बहरोड़ या अलवर की तिजारा तहसील के लिए नहीं कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो जब माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे उस समय तक प्रोसीडिंग्स को पढ़ लेंगे। इसमें संदर्भ यही है कोई दूसरा बहरोड़ का संदर्भ नहीं है। कोई दूसरा सन्दर्भ नहीं है। पश्चिमी राजस्थान का खास तौर से संदर्भ है। आपने कहा है, हैंड पम्प की योजना बहुत यूजलेस स्कीम है, जिसको हाथ में लेकर, मैं समझता हूँ, जिस प्रगति विवरण में आपने पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का जो चित्रण किया है या तो चित्रण आपके स्वयं के अनुमोदन से नहीं है या जो अनुमोदन करा रहे हैं उनके पास कोई योजना नहीं है। इसलिये मुझे, सभापति महोदय, इस बात का बहुत दुख है कि आज जो योजना पश्चिमी राजस्थान में बनायी जा रही है न तो यह योजना व्यावहारिक है और न योजना की क्रियान्विति से ह्यूमन पापुलेशन को पानी उपलब्ध होने वाला है।

श्री रामधन : पश्चिमी राजस्थान का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी यह कह रहा हूँ। मैं तो जो ये बोल रहे हैं वहीं कह रहा हूँ मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। मंत्री महोदय ने सन् 1981 में जिस हैंड पम्प योजना को यूजलेस स्कीम बताया, मुझे इस बात की खुशी है कि 1984 में जो उन्होंने बताया था उसको सही सिद्ध कर दिया। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं। यूजलेस साबित कर दिया है। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं, मैंने आरम्भ में ही कहा कि मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं वे अपने शब्दों पर टिके रहते हैं और अपनी मान्यताओं, शब्दों को सही सिद्ध करने के लिये सरकार में भी आ गये तो कोई बात नहीं, सरकारी पद लेकर उन्होंने इसको सही सिद्ध कर दिया, इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आता है कि इन सारे हैंड पम्प के विषय में यदि आप यह क्लेम करके चलें कि हैंड पम्प की स्थिति बिलकुल ठीक है, अध्यक्ष महोदय हैंड पम्प्स के पानी के प्रश्न पर कि किस प्रकार का पानी हैंड पम्प्स से जा रहा है, किस प्रकार की स्थिति है, इसके सम्बन्ध में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने हैंड पम्प्स के मामले में जो नार्म्स तय किये हैं, भारत सरकार के जो नार्म्स हैं, जिनको इन्होंने स्वीकार किया है वह सारे के सारे टी. डी. एस., फ्लोराइड, नाइट्रेट, टोटल हार्डनेस, क्लोराइड, इन सब की मात्रायें दी गयी हैं कितने ग्राम होने चाहिए, कितने लीटर में कितना एक्सेप्टेबल है और कितना एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसके सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मंत्री महोदय जिस समय उत्तर देंगे उस समय बता देंगे कि क्या पोजिशन है और क्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जोधपुर में कितने हैंड पम्प्स खोदे गये जिसका जिक्र माननीय सदस्य, जो डेगाना से आये हैं, ने किया, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे याद दिला दिया उसके लिये उनको बहुत धन्यवाद। उन्होंने यह बात बतायी कि जोधपुर में जितने हैंड पम्प्स खोदे गये हैं, वे पीने के पानी के लिये नहीं बल्कि दूसरे कामों में लिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़कर सुनाया था पहले कि जब भी हैंड पम्प खोदे जायेंगे पीने के पानी के लिये खोदे जायेंगे, हैंड पम्प खोदने के पहले पानी की जांच की जायेगी, से कितने रसायन हैं, कौन से रसायन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, किस जगह पर हैंड पम्प खोदना है और किस जगह पर हैंड पम्प नहीं खोदना है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में 17.12.81 के पूर्व जांच करायी थी पानी की और जांच कराने के बाद में हैंड पम्प खोदे गये, उन हैंड पम्पों की संख्या 436 कुल होती है लेकिन साढ़े तीन सौ के करीब हैंड पम्प दिसम्बर, जनवरी और फरवरी इन तीन महीनों में खोदे गये। और यह बात भी सही है, मंत्री महोदय स्वीकार करें या नहीं करें, आप इमर्जेंसी स्कीम्स का नाम लेकर इसका जस्टीफिकेशन बताने की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोशिश करें लेकिन एक तथ्य है कि जोधपुर में 14.2.1982 को जोधपुर म्यूनिसिपल कौंसिल के चुनाव थे चुनाव में लोगों की जगह-जगह डिमान्ड्स थीं कि हैंड पम्प खोदो और वोट लो और हमारे मंत्री महोदय इस मामले में एक्सपर्ट हैं। इनको काम करवाने में कोई संकोच नहीं होता। पिण्डवाड़ा के इलेक्शन में श्रीमान् जी गये। पिंडवाड़ा के इलेक्शन में मंत्रियों की पूजा नहीं होती थी, मुझे उस समय बड़ा दुख हुआ कि लोकतंत्र में मंत्री की पूजा नहीं होती, मुख्य मंत्री जाते हैं उनकी पूजा नहीं होती लेकिन ड्रिलिंग मशीन की पूजा होती है। मुख्य मंत्रीजी किसी गांव में जायं तो माला उसी समय पहनने का मौका मिलेगा जब उनके पीछे काफिले के अन्दर ड्रिलिंग मशीन भी होगी। कई ड्रिलिंग मशीन पिंडवाड़ा में गयीं। न परसरामजी ड्रिलिंग मशीन के बिना गांवों में जाते थे और न मुख्य मंत्रीजी ड्रिलिंग मशीन के बिना जाते थे। अध्यक्ष महोदय, जैसे आज आतंकवादियों के डर से कोई मंत्री बिना गनमैन के नहीं निकलता है, उसी प्रकार से उस समय मंत्रियों की हालत यह हो गई कि यदि पिण्डवाड़ा क्षेत्र में घूमने के लिए जायें तो पिंडवाड़ा क्षेत्र में एक ड्रिलिंग मशीन पास होनी चाहिये। उस ड्रिलिंग मशीन की लोग पूजा करते थे, नारियल भी चढ़ाते थे और मंत्रीजी के नाम पर चढ़ने वाली माला मंत्री के गले नहीं पड़ती ड्रिलिंग मशीन के पैरों में जाकर पड़ती थी। इसमें कोई अन्दाज लगा लें....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चुनाव की हार की कसक निकल रही है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव आ रहा है, किसकी कसक निकलेगी वह तो पता लग जायेगा। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के पूरे पीरियड में वहां पर 23 ड्रिलिंग मशीनें गयीं और 120 हैंड पम्प केवल चुनाव के दिनों में खोदे गये। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हैंड पम्प खोदे उसकी जांच नहीं करवायी। हैंड पम्प में मीठा पानी आयेगा, खारा पानी आयेगा इसकी जांच नहीं करायी। जिस गांव में गये खोदो हैंड पम्प देवो वोट। देवो वोट देने का वादा और लेओ ड्रिलिंग मशीन। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से एक जगह मैं भी पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि मुख्य मंत्री जी अभी-अभी गये हैं और ड्रिलिंग मशीन खड़ी है। लोग कहने लगे कि साहब मुख्य मंत्री जी ने वादा किया है एक हैंड पम्प का लेकिन हमारे गांव में जब तक तीन नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है मुख्य मंत्रीजी ड्रिलिंग मशीन लाये हैं अब मैं आपको एक तरकीब बताता हूं कि जब तक तीन हैंड पम्प यहां नहीं खुदें तब तक इस मशीन को यहां से जाने मत दो। इस समय तो पुलिस भी नहीं आयेगी, लाठी चार्ज भी नहीं होगा और यह ड्रिलींग मशीन तीन हैंड पम्प खोद कर ही जायेगी। उस गांव में उस मशीन को रोक लिया, तीन हैंड पम्प खुदवाये और उसके बाद मशीन को छुट्टी दी। मैं इसलिये कह रहा हूं कि लोगों को विश्वास हो जाये, जोधपुर में जो हैंड पम्प खुदवाये गये इसके पीछे जोधपुर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में पीने के पानी की समस्या का समाधान करना नहीं था बल्कि वहां पर वोट किस प्रकार से प्राप्त किये जायं यही सबसे बड़ा दृष्टिकोण था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामधन चौधरी : यह सब वोट के लिये तो करते ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है तो इसको इन्कार मत करो। इन्कार करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब जोधपुर के हैंड पम्प के सम्बन्ध में दो लेटर मैं आपकी जानकारी के लिये प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार होती है, वोट भी लेना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने अगर यह तय कर लिया है कि सरकारी साधनों के बल पर वोट लेना चाहते हैं तो जब तक आपके हाथ में सरकार है तब तक तो आपको कोई रोक नहीं सकता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जाय इसका औचित्य नहीं है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : 1980 के अन्दर ये जो इलेक्शन हुए थे पिण्डवाड़ा के तब भी हम 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीते हैं और बाई इलेक्शन में भी 9 हजार और कुछ वोटों से जीते हैं। इसलिये वोट जो हमने प्राप्त किये हैंड पम्प के बेसिस पर नहीं किये हैं बल्कि हमारे में कांग्रेस आई में पूरी जनता की आस्था थी इस [illegible] लगे वे ट्राइबल एरिया के अन्दर लगे। तो अगर आप ट्राइबल एरिया के अगेंस्ट हो तो आप बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया के अगेंस्ट में कौन है और पक्ष में कौन है, यह तो जब दो-टुकड़े हो जायेंगे तब पता लगेगा आज पता नहीं है। आज जो हैंड पम्प खुद गये लेकिन आप ट्राइबल एरिया के लोगों के खिलाफ हैं क्या कि उनके दो टुकड़े हो जायं या उनके दांत पीले हो जायं या आंख की ज्योति उनकी चली जाये या उनकी आंते गल जायं। यदि आप इस पक्ष में रहे हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया आरम्भ के अन्दर कि जहां पर भी हैंड पम्प खोदे जायें वहां पर इस बात की जांच की जाय कि पानी कैसा है। जोधपुर के सम्बन्ध में दो लेटर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा। यह लेटर एक तो लिखा है वहां के टेक्निकल मेम्बर ने। वे लिखते हैं :

"Little has been done by the P.H.E.D. to ascertain about the potable quality of water. 12 samples were collected and tested, out of which all samples contained components more than the specified limit by Indian Council of Medical Research. It was advised to discontinue this scheme."

अब इसको तो आप स्वीकार करेंगे। ये तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैंड पम्प खुदवाने के पहले 17/12/81 का लेटर है :

"All the waters are having nitrate content more than 100 mgm. per litre, which is maximum permissible limit by the I.C.M.R. 1975."

"The water is unsuitable for drinking even for adults, and is not fit for infants as high nitrate beyond 50 mgm per litre may cause Myblofenamia and ultimately leads to sinusis. Excessive sulphate may prove purgative and cause gastro intestinal ittitation. Potassium with nitrate may cause health hazard."

यह अध्यक्ष महोदय, लैटर मेरा नहीं या विरोध पक्ष के किसी सदस्य का नहीं, सरकार के एक इंजीनियर का है जिसको पानी की रासायनिक जांच करने के लिए नियुक्त किया हुआ है, जिसके पास लेबोरेटरी है राज्य सरकार की। उसने सैम्पल्स लेकर इस प्रकार की बात कही है। उन्होंने लेटर लिखा, दूसरा--

"It is, therefore, a matter of concern to us to why pumps are being installed on sites where water is not chemically suitable for drinking purposes. I would like that proper instructions are given to the field staff for not installing hand pumps on sites where the above mentioned parameters are in action. For the locations, where hand pumps have already been installed, instructions should be painted on the hand pumps that water is unfit for human consumption."

जो खोद लिये उनके ऊपर तो रेड प्लेट लगा हो लेकिन आगे खोदो मत। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, सचिवालय की फाइल पर लिखा हुआ है :

"Water in all that 450 pumps has been tested by the P.H.E.D. Testing Laboratory, Jaipur, out of which, in 232 cases water is dangerous for human consumption.

अब मैं इस सदन के ऊपर छोड़ता हूं कि आप हैंड पम्प इन्स्टालेशन की बात को अच्छी समझते हैं? क्या हैंड पम्प के पानी से हैल्थ हैजर्ड क्रियेट करना चाहते हैं? यदि हेल्थ हैजर्ड क्रियेट करने की आपकी योजना है तो जो माननीय सदस्य आबूरोड से आये हैं, जो कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में हमने ये हैंड पम्प्स खोदे हैं, लगाये हैं, मैं उन सदस्य से पूछना चाहता हूं, क्या हैंड पम्प का पानी अमीर आदमी पीता है? क्या हैंड पम्प का पानी जो इन्कम टैक्स देते हैं वे पीते हैं? क्या अच्छे-अच्छे मकानों और भवनों में रहने वाले व्यक्ति हैंड पम्प्स का पानी पीते हैं? हैंड पम्प्स ज्यादा लगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कच्ची बस्तियों में, हैंड पम्प्स ज्यादा लगे गरीबों की बस्तियों में, हैंड पम्प्स ज्यादा लगे हरिजनों और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों की बस्तियों में और उन बस्तियों के अन्दर यदि इस प्रकार का पानी पिला कर यह राजस्थान की सरकार गरीब हरिजनों की सेवा करना चाहती है तो मैं समझता हूं ये सेवा नहीं है, यह उनकी मृत्यु का बुलावा है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस आधार पर आप आंकड़े मत बताओ कि हमने इतने हैंड पम्प खुदवा दिये, हमने इतने गांवों में हैंड पम्प की योजना तैयार करवा दी। मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिन गांवों के अन्दर हैंड पम्प्स लगे हैं, जो राजस्थान सरकार यह कहती है कि हमने 13 हजार गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया है, यदि ईमानदारी से जांच करायी जाय तो जांच कराने से पता लगेगा कि 13 हजार में से 10 हजार जगह ऐसी हैं जहां पर पानी, जो हमने नार्म्स फिक्स अप किये हुये हैं उसके हिसाब से नहीं है। और, अध्यक्ष महोदय, यदि यह सरकार तारीफ करना चाहती है भारत सरकार के सामने कि हमने 13 हजार कुछ सौ गांवों के अन्दर पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यह प्रबन्ध नहीं है, यह प्राब्लेमेटिक विलेजेज की समस्या का समाधान नहीं है; आपने उसी प्रकार की प्राब्लम रखी हैं। अभी माननीय सदस्य, जो डेगाना से आये, बांका पट्टी योजना का जिक्र कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बांका पट्टी योजना दूर से जहां से पानी लाये और जिसके लिये आप कई बार विरोध कर चुके हैं कि यह योजना मेरी ओरिजिनेट की हुई है, इस योजना का सूत्रधार मैं हूं, क्या उस बांका पट्टी योजना में जिन गांवों में पानी था उससे ज्यादा उस पानी के अन्दर क्लोराइड नहीं है। क्या आपने कभी इस बात की जांच करायी? वहां पर लाखों रुपये उस योजना पर खर्च हुये और खर्च होने के बाद भी यदि माननीय मंत्री महोदय उसकी केमिकल रिपोर्ट पेश कर दें सदन में तो उनको वाहवाही दूंगा और यदि वे नहीं पेश करें तो मैं पेश करूंगा कि उस बांका पट्टी योजना में कितना फ्लोराइड है, कितना नाईट्रेट है और कितना टी. डी एस. है जो हर प्रकार से हैल्थ के लिये हैजर्ड है। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की योजनाएं बनाकर यदि राजस्थान की सरकार यह कहे कि हमने 13 हजार गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे राजनैतिक लाभ के लिये आप हैंड पम्प खुदवायें या कुएं खुदवायें, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम पर इतनी तो जांच करवा लें कि जो लोग हमारे धोखे में आकर वोट देंगे उनके हाथ काटने की तो हमने कोई योजना नहीं बनायी है, उनको अन्धा बनाने की तो कोई योजना नहीं बनायी है, उनको कुबड़ा बनाने की तो हमने योजना नहीं बनायी है, उनकी आंतें गल जायं इस प्रकार की कोई योजना हमने नहीं बनायी है? एक तरफ तो आप उनसे वोट लेते हैं और वोटों के साथ ये धोखाधड़ी करते हैं कि वे हमारे हैंड पम्प का पानी पी जायं तो तीन चार वर्ष के अन्दर अन्धा हो जायेगा, 6 वर्ष में

(256)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुबड़ा हो जायेगा, 7 वर्ष में आंतें गल जायेंगी और 15 वर्ष के अन्दर फौत हो जायेगा। यदि फौत कराने का और मौत बुलाने का नाम लेकर आप वोट लेते तो समझ में आता लेकिन वहां पीने के पानी के नाम पर आप वोट लेना चाहें, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भविष्य में इस बात की हिम्मत नहीं करेंगे कि बिना जांच कराये हैंड पम्प खोदे जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सरकार से दावे से, चुनौती के साथ इस सदन को भी कहता हूं, माननीय मंत्रीजी को भी कहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं उनको भी एबसेंस में कहना चाहता हूं कि 13 हजार गांवों में से 10 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें केमिकल इतना ज्यादा घातक है कि लोगों ने लगातार पानी पीना शुरू कर दिया तो उसके कारण से लोगों की हेल्थ के ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो है आपकी पानी की योजना। अब इस पानी की योजना में कोई यह कहे कि पानी की योजना हमने इमर्जेंसी स्कीम के नाते ली थी। मै समझता हूं जब मैंने राज्यपाल महोदय को लैटर लिखा इस सारे प्रश्न के ऊपर कि जोधपुर में इस प्रकार का अन्याय हुआ है, तो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं और स्वयं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट में भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह पानी पीने योग्य नहीं है इसलिये हमने रेड प्लेट लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने आपको पैसा दिया क्या योजना में आपके पास ऐसा पैसा है कि जहां पर पानी खराब निकले और आप रेड प्लेट लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच जायें? वहां ये कहते हैं कि बरतन धोने के काम आता है, ये तो गलियों और सड़कें साफ करने के काम आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया। स्वयं जाकर मैंने हैंड पम्प जहां-जहां लगे हुए थे, लोगों से पूछताछ की। लोग कहते हैं कि इस पानी से साबुन नहीं लगता। इस पानी से कपड़े धोएं तो कपड़े फट जाते हैं। इस पानी से बरतन धोए तो बरतन में धारियां पड़ जाती हैं। इस पानी को यदि पत्थरों के ऊपर और मकान के आसपास ले जायें और मकान की दीवारें इससे धोयें तो खार निकलता है। मैं आज मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने आपको इजाजत दी है कि ऐसे हैंड पम्प खोद दें या वैसे स्थानों पर हैंड पम्प खोदें जहां पानी में रसायन इतनी मात्रा में ज्यादा हो, जिससे लोगों की हैल्थ खराब हो जाय। ये किस स्कीम में है? किसकी अनुमति से आपने यह किया है? अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रश्न के ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न, अभी माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आये हैं, मेरे सम्बन्ध में यह कहा कि जिस समय मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री था, 240) रुपये प्रति मीटर के हिसाब [illegible] की रेट आयी और 568 हैंड पम्प का उस समय कांट्रेक्ट दिया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी जानकारी है उस वक्त........

श्री अध्यक्ष : उसके थोड़े दिन बाद में आप चले गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी नहीं है कि उस समय कैसे आर्डर हुए, कितने इलाकों के आर्डर हुए लेकिन मुझे इतनी सी जानकारी जरूर है, मैंने सदन में पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया तो माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के ऊपर मुझे उत्तर देने के लिये कई बार इस सम्बन्ध में फाइल्स मंगवाई। उन फाइल्स का अवलोकन भी किया और अवलोकन से इनको पता लगा कि जहां अजमेर में रेट ज्यादा आयी वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रेट्स कम आयीं। जहां अजमेर में रेट्स ज्यादा आयीं वह आर्डर कैंसल भी हुए, ठेकेदारों को काम भी नहीं दिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि यदि उस समय मैंने गलती की हो, मेरे राज्य में मंत्री ने गलती की हो, मेरे साथ लगे हुए अधिकारियों ने गलती की हो, तो आज तो मैं सरकार में नहीं हूं, आज तो मंत्रीजी सरकार में है, आज तो कांग्रेस पार्टी सरकार में है, चार वर्ष तक अब तक मेरा चालान कर दिया होता, मेरे नीचे काम करने वाले अधिकारियों का चालान कर दिया होता, मेरे राज्य मंत्री का चालान कर दिया होता। आज तक ये सरकार बोली नहीं और केवल, अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : इस तरह के काम नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह हिम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज 1980 के बाद सन् 1984 में बोले और 1984 में बोले तो इसलिये बोले कि आगे जो घपला हो गया उसका जवाब सी. पी. जोशी से पहले ही दिलवा दो। अब आगे घपला क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये यहीं सदन में बताना चाहता हूं। आगे घपला इस प्रकार से हो गया कि पहले जो रेट्स आयीं 8.12.80 को, जिसका आपने जिक्र किया, वह रेट 150 रुपये प्रति मीटर, दस, मीटर की गहराई तक और राक में 240) रुपये प्रति मीटर-इसमें गहराई का कोई माप नहीं। अब, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि जोशी जी ने यह कहा कि फरवरी सन् 1980 में जो रेट थी,

(6.00 बजे सायं)

उसको आधार मानकर टेक्नोक्रेट्स और आफिसर्स ने सरकार को डुबो दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार तो आपकी है, टेक्नोक्रेट्स क्या विलायत में हैं, या दूसरे विदेश में हैं? क्या विदेश में डेपुटेशन पर चले गये? या इन पर सिविल सर्विसेज के रूल्स लागू नहीं होते? क्या इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता? क्या राजस्थान की सरकार इनका चालान नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर सकती ? आज तक इन्हीं अधिकारियों को लेकर यह सरकार क्यों बैठी है ? इन्हीं अधिकारियों से यह सरकार क्यों सलाह लेती है ? इसी सलाह के आधार पर सरकार आगे काम क्यों करती है ? वह नहीं करना चाहती। वह तो कोई आधार नहीं। आधार तो केवल यह है कि मैं आरोप लगाने वाला हूं इसलिए उसकी बचत के लिए फरवरी, 1980 को याद किया। मैंने तो आप से कभी माफी नहीं मांगी, कभी वकालत नहीं की, चाहे 1980 में किसी अधिकारी ने गड़बड़ की हो कि, उस अधिकारी के खिलाफ आरोप नहीं लगाये जायें। अध्यक्ष महोदय, यह कारण दूसरा हुआ। कारण यह हुआ कि उसके बाद में इन्होंने दुबारा टेण्डर्स इन्वाइट किये। दुबारा टेण्डर्स इन्वाइट किये मार्च, 1983 में। उनमें रेट्स का मार्जिन था, अब जैसे धौलपुर में रेट आई मिट्टी की 150, और 175) रु 10 मीटर की गहराई पर, राकी में आज 180 पहले 240 थी, वह घटकर 180 हो गयी। सीकर में 240 थी 180 हो गयी। बाड़मेर में 240 थी घटकर 180 हो गयी। भरतपुर में 240 थी वह घटकर 180 हो गयी। जैसलमेर में, अध्यक्ष महोदय, मिट्टी की आई 150 और 10 मीटर की गहराई पर 175, राकी के लिए 240 और 16 पर्सेंट बिलो मतलब वहां भी रेट कम आई। उसी प्रकार से जोधपुर में भी रेट कम आई है। अलवर में रेट कम आई है। जयपुर में रेट कम आई है। बूंदी में रेट कम आई है। और, अध्यक्ष महोदय, जालौर में, डूंगरपुर में, गंगानगर में, डूंगरपुर में तो 34 प्रतिशत 240 के मुकाबले में रेट कम आई है। गंगानगर में 30 प्रतिशत कम, चूरू में 240 रुपये आये। झालावाड़ में 16 पर्सेंट बिलो, सिरोही के अन्दर 20 पर्सेंट बिलो। अध्यक्ष महोदय, 1980 के नवम्बर में, 8.12.80 को, या मेरी समझ में, सितम्बर, 1980 में रेट्स फाइनल हुईं, और 1980 के बाद सन् 1983 में टेण्डर्स इन्वाइट किये। उन टेण्डर्स में जो रेट्स आई हैं वह पहले वाली रेट्स से बहुत कम आई हैं। अब जब वह आरोप लगने वाला था तो मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से मेम्बर्स को ब्रीफ कर दिया कि तुम जनता पार्टी के शासन की रेट्स बताओ ताकि इन रेट्स का, पहले वाली रेट्स, जो 80 में तय की थीं, का जस्टीफिकेशन हो जाय।

श्री सी. पी. जोशी : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले प्रश्न उठाये हैं उनकी प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लीजिये आप, मैंने यह बात उस समय कही है, आज भी कही है और अब भी कहता हूं, मेरे को किसी ने ब्रीफ नहीं किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से कहा, लेकिन लगता ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा ब्रीफ हैं। जोशी जी, मैं आपको 4 वर्ष से सुनता आया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप ब्रीफ हुए हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं पिछली प्रोसिडिंग्स लाकर बता दूंगा। पिछली प्रोसिडिंग्स में भी यह सब बातें उठायी हैं। मैंने स्पेसिफिक कहा है कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रॉसीडिंग में भी बता दूंगा, अध्यक्ष महोदय, 1980 में जो रेट्स दी हैं उन रेट्स के बारे में एक लैटर, जो मुझे अभी मिला है, उसको भी मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय तमिलनाडु की सरकार का एक डेपुटेशन आया। उस सरकार के डेपुटेशन ने यह रेट्स दी थीं, जिस पर डिविशनल चीफ इन्जीनियर, हैड क्वार्टर, पी एच ई डी का नोटिंग है फाइल में। उन्होंने जो रेट्स दीं थीं वह रेट्स, जो सरकार ने रेट्स फिक्स की है, उससे कम हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर्स को नहीं दिया जाय, हमारे पास ड्रिलिंग मशीन्स हैं, हमको कॉन्ट्रेक्ट दे दिया जाय। हम उन रेट्स पर काम करेंगे, सरकार का ड्रिलिंग डिवीजन जिन रेट्स पर काम करता है। थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी। अब, यह लैटर भी, अध्यक्ष महोदय, जिस समय डिसीजन लिया गया उस समय सरकार के हाथ में था। जो जो नोट है वह है 18 जुलाई, 1980 का और फैसला किया है सरकार ने सितम्बर में। ऑर्डर्स हुए हैं दिसम्बर में, और एग्रीमेंट हुआ है, शायद मार्च में। यह सब कुछ होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं सरकार से, क्या उस समय जनता पार्टी का शासन था? क्या उस समय मैं बैठा था? क्या उस समय भी यही सरकार थी? हो सकता है, पहाड़िया जी मुख्य मन्त्री हों, हो सकता है शिवचरण जी माथुर मुख्य मन्त्री हों, लेकिन जिस समय सरकार को तमिलनाडु गवर्नमेंट की आपको ऑफर थी कि जितने भी हैण्ड पम्प आप खुदवाना चाहते हो वह हैण्ड पम्प हमारा ड्रिलिंग डिवीजन खोदेगा। उन हैण्ड पम्प पर आपका खर्चा कम आयेगा। यह लैटर मन्त्री महोदय चाहें, तो मैं आपकी जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दूं, आप पर्सनली देखना चाहें तो पर्सनली भी मैं आपको बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अब जहां भी रेट्स कम आई हैं, उन रेट्स के कम आने का कारण, यह जवाब मुझे मिला, अध्यक्ष महोदय, इन हैण्ड पम्प में घोटाला कितना है, यह मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं श्री सी. पी. जोशी के शब्दों में। सी. पी. जोशी क्या कह रहे हैं, मेरा कॉन्क्रीट चार्ज है, यह राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा फ्रॉड है।

श्री सी. पी. जोशी : आज भी कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो दूसरे ढंग से कहा है।

यह, 9 सितम्बर, 1980 से, जिस दिन से आपने ठेका दिया, फर्मों के पास कोई रिग्स अवेलेबल नहीं थीं। 3 साल तक काम करेंगे। इसका मतलब, केवल मात्र एक साल में राजस्थान सरकार 8.77 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा दे रही है, और उनके पास रिग्स भी अवेलेबल नहीं हैं, टैक्निकल नो हाउ भी नहीं है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

(व्यवधान)

मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो आपने अच्छी बातें कही हैं वही कोट कर रहा हूं।

श्री सी पी. जोशी : मैंने वही बात कही जो उसमें लिखी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो जो आपने अच्छी बातें कही वह यहां सदन में रिपीट कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर "करोड़ों रुपयों का घोटाला।" अब आपके दूसरे मैम्बर दीपेन्द्र सिंह जी बोले हैं। वह कह रहे हैं, "सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए तभी कुछ सामने आयेगा, इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला... यह भी कोई जनता पार्टी का या लोकदल का सदस्य नहीं बोल रहा है। आपने 7 करोड़ का घोटाला बताया और यह माननीय सदस्य दीपेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है। अब, अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य भी ऐसे समय में चुप नहीं रहते हैं, इन्होंने भी कहा, करोड़ों का घोटाला है। यह भी आप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब, और भी कई कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के घोटाले की स्थिति में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मामले की जुडिशियली इन्क्वायरी कराई जाय। जिसके अन्दर अगर मैं दोषी हूं, मेरी सरकार के वक्त का कोई दोषी है वह दोषी निश्चित रूप से अपना दण्ड भोगेगा। लेकिन यह सरकार यदि दोषी है तो यह सरकार भी बच नहीं सकती। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने खारा पानी पिलाया, आपने लोगों को हैण्ड पम्प के अन्दर ज्यादा पैसे दिये, आपने इस सम्बन्ध में विधान सभा में जो घोषणा की थी उस घोषणा का भी पालन नहीं किया। आपने तीन घोषणायें की थीं यहां पर कि मैं एक कमेटी अपॉइन्ट करूंगा। वह कमेटी जाकर जांच करेगी कि हैण्ड पम्प कहां कहां खुदे, कितने हैंड पम्प खुदे और उन हैण्ड पम्प्स की स्थिति क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में तो केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय आपने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में एक तो मेहरा थे, बाकी दो इन्जीनियर और थे। तीनों ने मिलकर भीलवाड़ा की जांच की, नागौर की जांच की और पाली डिस्ट्रिक्ट की जांच की। जांच करने के बाद रिजल्ट क्या निकला ? उस जांच का परिणाम यह निकला कि खारे पानी वाले हैण्ड पम्प खोदे गये, रेत में हैण्ड पम्प लगाये गये, और रॉक के उन्होंने पैसे चार्ज कर लिये, जहां हैंड पम्प सही नहीं खुदे वहां भी भुगतान कर दिया गया है। यह उस कमेटी की फाइण्डिग्स हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसी कमेटी की रिपोर्ट को आप सदन की मेज पर रखिये। फिर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कमेटी को आपने फिर भंग कर दिया। केवल तीन जिलों की आपने जांच कराई। बाकी राजस्थान के 26 जिले हैं जहां हैंड पम्प योजना आपने लागू की, उसकी जांच क्यों नहीं कराई ? आपको लगता था कि पोल निकल रही है इसलिए तीन की रिपोर्ट के बाद में आपने इसको बन्द कर दिया और बाकी किसी प्रकार का काम नहीं कराया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प के मसले पर निश्चित रूप से इस सरकार को कैटेगरिकली एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि जितने भी हैंड पम्प खुदे हैं, जितनी भी योजनायें ली हैं, माननीय मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि टी. एस. एस. या पी. एण्ड टी योजना जनता शासन की योजना है ? मुझे गर्व है कि यह उस समय की योजना है। यदि उस समय पानी की कमी आती है तो हमें यह नहीं चाहिए कि हम योजनाओं के नाम पर लोगों को जहर पिला दें, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। यदि मेरे समय की किसी योजना में पानी में खराबी है तो सरकार को बंद करनी चाहिए और उनको शुद्ध पानी देने की दूसरी आल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यह कह कर नहीं बच सकते कि उस समय की कुछ योजनाओं की हमने जांच कराई, और जांच भी तब कराई जब मैंने जोधपुर का मामला उठाया। उसके बाद में सरकार को यह चिन्ता लगी कि जितने ज्यादा हैंड पम्प की जांच कराओगे, अध्यक्ष महोदय, मैं अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में धरियावाद की तरफ गया। एक गांव में रुक गया वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि हैण्ड पम्प तो बहुत हैं लेकिन चालू नहीं हैं। चालू नहीं हैं, फिर क्या हुआ ? मैंने स्वयं जाकर देखा, हैण्ड पम्प देखे. उन पर कैप लगी हुई थी, टोपी। अब भगवान जाने वह टोपी कब उतरेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन टोपी लगी हुई थी। मैंने लोगों से पूछा कि इसमें टोपी क्यों लगी हुई है ? कहने लगे कि इसमें पानी ठीक नहीं है और ना हैण्ड पम्प का पानी पिया। लोग उस हैण्ड पम्प के पानी को पीते नहीं हैं. लोग उस पानी को पीते नहीं है। लोगों में यह है कि इसमें खारा पानी है, जहां पानी पीओ वहां पानी खारा। अभी कुछ दिन पहले मैं दौसा गया वहां लाल लाइन खींची हुई है। मैंने कहा कि भई, यह लाल लाइन किस बात की है, न तो कुछ लिखा हुआ है कि पीने योग्य पानी नहीं है, लाल लाइन खींच दी। गांव वाले कहने लगे कि लाल लाइन का मतलब है पानी पीओ मत। धौलपुर की तरफ गया। वहां पर कई जगह लाल लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो पढ़ने में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, रेड प्लेट ही लगानी थी, लोगों को खारा पानी ही पिलाना था तो यह हैण्ड पम्प खोदे क्यों गये ? इसलिये मेरी मांग है कि हैण्ड पम्प की खुदाई के पर वह चाहे डिप्टी हो, चाहे दूसरे हों, पानी खारा है या मीठा, राजस्थान में जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये, फुल फ्लेज जुडिशियल इन्क्वायरी हो, उससे यह साफ हो जायेगा कि हमने 13 हजार गांवों में जो पीने के पानी के प्रबन्ध की व्यवस्था की है, वह बात कहां तक सही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज इस डिपार्टमेंट की हालत क्या है ? इस डिपार्टमेन्ट में, अध्यक्ष महोदय, यदि आप देखना चाहें तो देखें कि काम कितना होता है या नहीं होता है, लेकिन लगभग इस डिपार्टमेन्ट में 30 करोड़ रुपये के 40–50 करोड़ रुपयें के पाइप्स पड़े हुये हैं, पाइप्स रखने की जगह नहीं है। जयपुर वाला कहता है कि सांगानेर ले जाओ, सांगानेर वाला कहता है कि बगरु ले जाओ, हमारे पास पाइप्स रखने को जगह नहीं है। 40 से 50 करोड़ रुपये का माल पड़ा है और मार्च, सन् 1984 में 20 करोड़ रुपये के और पाइप्स खरीदने के लिये आर्डर्स दिये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पाइप्स महंगे हो रहे हैं ? गये साल जो पाइप्स की रेट थी उसमे पाइप्स की रेट्स गिरी है, आप इतना स्टाक किस बात के लिये कर रहे है ? माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप स्टाक की पोजीशन इस सदन में बतायें, आपने इतने पाइप्स क्यों खरीदे, उसकी वजह क्या है, क्या जस्टीफिकेशन है, यह बतायें। जहां मांग थी वहां मांग पर यह पाइप्स लगे क्यों नहीं, इस बात की भी सदन को जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय इस आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि कई बार तो पाइप्स खरीदने के लिये टेण्डर्स जो हम लेते हैं उसकी विश्व बैंक से एप्रूवल लेनी पड़ती है लेकिन दुर्भाग्य से नेगोशियेशन से करते हैं। नेगोशियेशन को कोई भी फारेन एजेन्सी स्वीकार नहीं करती है. नेगोशियेशन्स से यदि हुए तो उनके हिसाब से वह टेन्डर्स मन्जूर किये जायें या नहीं किये जायें यह प्रश्न रूलआउट हो जाता है। इस सरकार ने भी विश्व बैंक से जो एप्रूवल कराना था, उस एप्रूवल कराने में समय लग गया, नेगोशियेसन किये गये और नेगोशियेशन के बेसिस पर विश्व बैंक से उसका एप्रूवल करने के लिये भेजा, माननीय मंत्री जी की जानकारी में होगा कि विश्व बैंक ने यह कह कर टेन्डर्स रिजेक्ट कर दिये कि हम नेगोशियेशन के आधार पर नहीं चलते। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बहुत होशियार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, आपने राजस्थान जल प्रदाय सिवरेज निगम अधिनियम, 1979 के सेक्शन 3 के मातहत जो बोर्ड का गठन होना चाहिये था वह आज तक क्यों नहीं किया? आपने केवल एक मैनेजमेन्ट बोर्ड बना दिया, आप उस मैनेजमेन्ट बोर्ड के चेयरमेन बन गये। यदि आप कान्स्टीट्यूशन करते उसका, बोर्ड का गठन करते तो भी आप बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे लेकिन इस बोर्ड में केवल मैनेजमेन्ट का काम लेकर इन्होंने इस एक्ट की किस प्रकार से अनुपालना रोकी जाय इसकी केवल व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा, मंत्री जी, कानून इस विधान सभा ने बनाया है तो इस कानून की पालना करना यह भी आपके हाथ की बात है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आज यह एक्ट लागू होता, अध्यक्ष महोदय, तो मंत्री जी ने जो दो घोषणायें और की थीं एक तो टेक्निकल कमेटी की और दो वित्तीय समितियों की एक वित्तीय समिति रेट्स के मामले में जांच करेगी और दूसरी वित्तीय समिति इस बात की जांच करेगी कि जो टेन्डर्स इन्वाइट किये और मंजूर किये गये वह टेन्डर्स किस आधार पर मंजूर हुये ? मै, मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन समितियों की रिपोर्ट आप क्यों नहीं पेश कर रहे ? यदि यह बोर्ड बनाया हुआ होता तो इन समितियों की रिपोर्ट आज बोर्ड में मंगवाई जातीं और व्यवस्था सारी हो जाती। अध्यक्ष महोदय, पानी के मसले पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

अब मैं 5-7 मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के मामले में। अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. की रोड्स और अन्य बातों में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं केवल एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह बात यह है, अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से राजस्थान सरकार फैमिन के वक्त काम कराती है, पी. डब्ल्यू. डी. उसका माध्यम होता है, पी. डब्ल्यू. डी. का लैटर इस दन को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, इससे आपको अन्दाज हो जायेगा कि इस सरकार की क्या स्थिति है ? यह लैटर 17, 12-1983 का लिखा हुआ है—

Office of the Chief Engineer (Roads), PWD, Jaipur

To All the Superin tending Engineers, PWD, Sub—Discharge of famine relief liability, sambat 2039. 1-4-82 se 31-10-82.

इस लैटर में लिखा है—"The funds released by the Government up to Oct. 1983 were allocated to the various divisions. On information received from various divisions it was revealed that all labour payment has been cleared and only material payment is to be released. However as the Government has asked for district-wise information of exact labour and meterial liability, it is found that the liabilities are as under for the entire State :"

इसका मतलब पहले तो रिपोर्ट दे दी कि कोई लायबिलिटी नहीं है और दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से जानकारी की तो लायबिलिटीज का पता लगा कि मैटीरियल—192 करोड़ 15 लाख, लेबर का 186, 92 लाख और टोटल 397.07 लाख। अब इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी फैमिन वर्क्स हैं उनका हिसाब किस प्रकार से रखा जाता है, यह भली भांति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी रखी जाती हैं । सरकार को यह पता नहीं है कि मैटीरियल कम्पोनेन्ट में कितनी जिम्मेदारी है, लेबर कम्पोनेन्ट में कितनी जिम्मेदारी है । यह दफ्तर कहता है कि कोई जानकारी नहीं है, दूसरा अफसर कहता है कि 379 लाख की जिम्मेदारी है । अब, अध्यक्ष महोदय, यह तो आपस में विवाद हो गया लेकिन उस लेबर का क्या होगा जिस लेबर का आज तक भुगतान नहीं किया गया ? वह लेबर इन कागजों में नहीं जाना चाहता है, वह लेबर तो चाहता है कि जो कुछ हमने मजदूरी की है उसका हमें सही प्रकार से भुगतान हो । मैं यही कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस सम्बन्ध में वे जानकारी दें । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कितना घपला होता है, समयाभाव के कारण मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस सदन के सभी माननीय सदस्य और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के सदस्य जानते हैं कि फैमिन के अन्दर 40 पर्सेन्ट मैटीरियल और 60 पर्सेन्ट लेबर के कम्पोनेन्ट के हिसाब से सारे काम चलते हैं । लेकिन माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जोधपुर का हिसाब देख लीजिये । जोधपुर में 149.12 करोड़ रुपया मैटीरियल में खर्च हुआ है और 171.58 करोड़ रुपया लेबर में खर्च हुआ है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह 40–60 के रेशो में है क्या ? जो सरकार ने नार्म्स तय किये हैं, जोधपुर में इस मात्रा में यह नार्म्स तोड़े गये तो इसका कारण क्या है ?

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि टी. एण्ड पी, टूल्स एण्ड प्लान्ट्स के कारण से बार-बार खर्चा होता है । माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि टी. एण्ड पी. आपके पास कितना है, क्या आपने कभी फिजिकल वैरीफिकेशन कराया है, अकाल के बाद कितनी तगारें, परातें, कुदाली आपके पास रहती हैं, आपने कभी इस बात की जांच कराई है ? अध्यक्ष महोदय, टी. एण्ड पी. कितना राजस्थान सरकार के पास में है, अगले वर्ष के लिए कितना स्टोर में पड़ा है, कितनी नयी खरीद करनी है, इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई अकाउन्ट नहीं है लाखों करोड़ों रुपयों का टी. एण्ड पी. आज राजस्थान सरकार का नहीं है, न सरकार के पास में है, लोग मर्जी आए जिस समय ले जाते है जिस समय अकाल पड़ेगा, उस समय खरीदने की तैयारी करते हैं । अध्यक्ष महोदय, इतना ही पी. डब्ल्यू. डी. के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा ।

अन्त में मैं शराब के ऊपर नहीं बोलूंगा तो निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मेरी पार्टी के कहीं नाराज नहीं हो जायं इसलिये मुझे बोलना आवश्यक होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें ही निवेदन करना चाहता हूं । एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 2 वर्ष का ठेका किस आधार पर दिया ? आप आज तक एक-एक साल का ठेका देका देते हुये आ रहे थे आपने दो वर्ष का चालू कर दिया । आप यह कहेंगे कि 10 पर्सेन्ट एनहान्स करके हमने दिया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है, लेकिन आपकी विज्ञप्ति यह बताती है कि 10 पर्सेन्ट से ज्यादा एनहान्स नहीं हुई रेट्स। आप अगर इसका हिसाब लगायेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 पर्सेन्ट से ज्यादा भी रेट्स गई हैं लेकिन इस बार आपने फैसला कर लिया कि एक वर्ष नहीं अब दो वर्ष के लिये ठेके दिये जायेंगे। इसका मतलब है कि जो ठेकेदार है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि शराब की नीति ठेकेदार बनाते हैं सरकार नहीं बनाती है। जिस समय आपने घोषणा की थी उसके एक महीने पहले यह चर्चा हो रही थी कि सरकार दो वर्ष का ठेका करेगी, ठेका दो वर्ष का करने वाली है, यह फैसला हो गया। मैं इसके जस्टिफिकेशन के लिये, माननीय मंत्री महोदय, आपसे जानकारी करना चाहूंगा, साथ ही यह भी पूछना चाहूंगा कि आपने इन 2-3 वर्षों में जो भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है उस सम्बन्ध में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, 1982-83 में आई. एन. एफ. ए. के इश्यू पर आपने जयपुर में जोन्स बनाये। 5 और 8वां जोन यह ठेकेदारों ने बन्द कर दिया। सरकार को 50 लाख रुपये की हानि हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जोन्स बन्द हुये तो आपने उन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लिया जाना आवश्यक था। अध्यक्ष महोदय, किया क्या? क्यों जोन बन्द कर दिया उनकी दुकानें दूसरे जोन में थीं शराब की तो बिक्री होती नहीं है, उनकी आय तो होती नहीं लेकिन जोन बन्द होने के कारण सरकार को घाटा हुआ, वह लगभग 50 लाख रुपये का घाटा हो गया। मैं मन्त्री जी महोदय से इसका जवाब चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 82-83 में कन्ट्री लिकर सूरतगढ़ के ठेके में गारन्टी पूरी नहीं होने से 30 लाख रुपये का सरकार को घाटा होगा। इसी तरह 83-84 में बीकानेर के ठेके में 18-20 लाख रुपये का नुकसान होगा, वहां भी गारन्टी पूरी नहीं हुई। इसी तरह 82-83 में कन्ट्री लिकर के ठेके में देशनाक और गजनेर में 22 लाख रुपये की छीजत हुई आज तक ठेकेदारों से इसकी वसूली भी नहीं हुई। मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं, आप कहते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट पर हमारा पूरा कन्ट्रोल है, यह हालत, अगर कन्ट्रोल होता, नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की कन्ट्री लिकर के हिसाब से वसूली होनी चाहिए। सन् 82-83 में 92 लाख रुपये की वसूली नहीं हो सकी। लाइसेन्स और एक्साइज ड्यूटी वसूल होनी चाहिए डिपार्टमेन्ट की, 7.84 लाख रुपये वसूल नहीं हुए। इसी तरह नान रिकवरी आफ एक्साइज ड्यूटी आन वेस्टेज आफ मोलेसिस पर आपने 7.77 लाख रुपये की वसूली नहीं की और बाकी जो ड्यूटी भी लगाई जाती है शार्ट रिकवरी के मामले में 184.65 लाख रुपये की वसूली आपने नहीं की। तो इस तरह कुल 10 करोड़ रुपये की वसूली आपने नहीं की। मैं इसका भी कारण आपसे पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भीम के मामले का प्रश्न सदन में उठाया उसमें मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं और जाता भी नहीं लेकिन मन्त्री महोदय ने जिस तरह से इस मामले को पोलिटिकलाइज किया, मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसमें आपत्ति हुई। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि बोन्डेड वेअर हाउसेज क्या नियमों के अनुसार या ठेके की शर्तों के अनुसार हैं? इनके ऊपर डबल लोक नहीं लगता? डबल लोक में क्या एक सरकार का नहीं होता? और उस डबल लोक में क्या एक ठेकेदार का लोक नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारी की मौजूदगी में सामान रखा जाता है और सरकारी अधिकारी की मौजूदगी में ही सामान निकाला जाता है। दोनों के ताले होते हैं। किस आधार के ऊपर ऐसे गलत बोन्डेड वेयर हाउसेज के अन्दर जिसको आप कहते हैं रेगुलरली तो सामान किस स्थान पर रखा, क्या वह सामान एक दिन रखा, क्या वह सामान एक वक्त में रखा गया? और वर्षों से वहां सामान रखा क्या यह सरकार की जानकारी में नहीं था या आज आप कहेंगे कि वह सामान वहां पर रखने गया वह बोण्डेड वेअर हाउस रेगुलर नहीं था। वह नियमित नहीं था। लाइसेन्स में शामिल नहीं थे। तो क्या सामान आपने रखा था, अफसरों के ताले में सामान रखा जा रहा था? अध्यक्ष महोदय, उसकी दूसरी शर्त है बोन्डेड वेयर हाउसेज में जो सामान रखा जायेगा वह सात दिन में सामान में डिसपोज आफ होना चाहिये। अगर सात दिन में वह सामान डिसपोज आफ नहीं। होता है तो उस पर पैनल्टी लगती है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके दो ताले हैं बिना रजिस्टर में एन्ट्री कराये माल नहीं निकाल सकता, न माल अन्दर रख सकता है आज दिन तक माल नहीं निकालने के कारण आपने उसके ऊपर पैनल्टी इम्पोज नहीं की, उसके ऊपर कोई एसाइज एक्शन नहीं लिया इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने उसके खिलाफ जब यह मामला पकड़ा गया उससे पहले कितने एक्साइज एक्ट में चालान किये? कोई नहीं हुआ। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन डिस्टलरी से उस आदमी ने शराब इम्पोर्ट की है राजस्थान में, अपने वेयर हाउसेज के लिये आज तक इस सरकार ने उन डिस्टलरी की जांच नहीं की कि कितनी लीटर वो ले गया, कितनी बोन्डेड वेयर हाउस में मिली, कितनी निकाल कर ले गया, कितनी लीटर के टैक्सेज की चोरी हुई। अध्यक्ष महोदय हम यहां पर स्मगलिंग की चर्चा कर रहे हैं यह जो शराब है वह राजस्थान में नहीं पी जाती, राजस्थान में इस शराब का खरीददार नहीं है, यह सारी शराब जो भीम से आयी है, जांच करायें मंत्री महोदय, तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि सारी शराब पाकिस्तान गयी है। ये स्मगलिंग का काम है जिस से कमा सकता है। इतनी शराब बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन पीने वाले हैं आई. एम. एफ. कौन पीता है यह सारी शराब? चूंकि इस व्यक्ति का जोर्डन में भी ठेका है। वहां यह व्यक्ति अपनी शराब भेजता है। वहां से यह शराब पाकिस्तान जाती है तो यह स्मगलिंग का धंधा इस सवाल के माध्यम से जुड़ा है अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र हित में और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिफेन्स के पाइन्ट आफ व्यू से भी घातक है इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस मसले को गहराई से देखें। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और अन्तिम मैं पीता तो नहीं लेकिन पीने वाले शिकायत करते हैं और वो शिकायत सबसे बड़ी यह है कि राजस्थान सरकार ने सब चीजों के भाव तय कर रखे हैं, भारत सरकार ने भाव तय कर रखे हैं, सीमेन्ट का भाव तय है, खाद के भाव तय कर रखे हैं, शक्कर के भाव तय कर रखे हैं, कपड़े के भाव तय कर रहे हैं, कोई चीज नहीं है जिसके भाव तय नहीं कर रखे हों। एक हिन्दुस्तान में अगर छूट है जिसको चाहे जिस भाव से बेचो, पं. बृज सुन्दर जी शर्मा तो वे आपने छूट दी है शराब पर 17 रुपये की डिस्टलरी से बोतल निकले 40 रुपये में बेच दे, आपको कोई आपति नहीं, जो शराब 20 रुपये में मालिक को पड़ जाये प्रोफिट निकालें तो 25 रुपये में वो शराब बिकवाये, आपको आपत्ति नहीं है। सरकार तो लूट रही है लेकिन ठेकेदारों को लूट का मौका देने में पीछे नहीं रहती है। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नीति कितनी घातक, अध्यक्ष महोदय, शिवचरण जी माथुर जी की पांच, चार, तीन वर्षों में यदि सबसे बड़ी उपलब्धि है तो केवल एक है, गांधी जी का स्वप्न जनता शासन में पूरा हुआ, राजस्थान में शराब बन्दी की, गांधी जी के चेले कहे जाने वाले शिवचरण जी माथुर ने राजस्थान की जनता के साथ पाप किया यदि गांधी जी के विचारों को यदि आघात पहुंचाया, उनकी × × × तो केवल शिवचरण माथुर ने, जिन्होंने यहां घोषणा की कि राजस्थान में शराब बन्दी नहीं होगी, शराब की नदियां बहेगी। तो शराब की नदियां तो बहाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके हाथ में सरकार है, आप हैण्ड पम्प का पानी पिलाओ, शराब पिलाओ लोगों की सेहत खराब करो, मुझे इसमें आपत्ति तो है लेकिन सरकार आपके हाथ में है। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन प्रश्नों का जवाब दें, अध्यक्ष महोदय, यह सारी गड़बड़ क्यों हुई ? अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं वो ये न समझे कि मेलाइन की दृष्टि से रखी हैं यह सब जो हैं इनका तथ्यों के आधार पर जवाब चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि यह सरकार इनका जवाब देगी।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सदन की चार वित्तीय समितियों जनलेखा समिति 1984–85, प्राक्कलन समिति (क) 1984–85, प्राक्कलन समिति (ख) 1984–85, व राजकीय उपक्रम समिति 1984–85 के लिये निम्नलिखित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :

जन लेखा समिति 1984–85 :

1. श्री महेन्द्र कुमार

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
3. ,, जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
4. ,, देवीसिंह भाटी
5. ,, माधवसिंह दीवान
6. ,, माणकमल मेहता
7. ,, जनार्दन सिंह गहलोत
8. ,, छोगालाल कवरिया
9. ,, शिवदानसिंह राठौड़
10. ,, मोहनलाल मोदी
11. ,, जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
12. ,, कैलाश मेघवाल
13. ,, घनश्याम तिवाड़ी
14. ,, दीपेन्द्र सिंह
15. ,, ललित किशोर चतुर्वेदी

प्राक्कलन समिति (क) 1984–85

1. श्री रतनलाल ताम्बी
2. ,, भैरूलाल भारद्वाज
3. ,, रामसिंह विश्नोई
4. ,, उम्मेदसिंह
5. ,, रामनारायण ढूड़ी
6. श्रीमती सूरज देवी
7. श्री भंवरलाल मेघवाल
8. श्री मानसिंह देवड़ा
9. ,, नानूराम कुमावत
10. ,, भैरूसिंह गुर्जर
11. ,, असलम खां
12. ,, गोकुलचन्द शर्मा
13. श्रीमती विद्या पाठक
14. श्री समर्थ लाल
15. ,, श्री गुलाबचन्द कटारिया

प्राक्कलन समिति (ख) 1984–85

1. श्री कनकराज मेहता
2. ,, मोहनलाल चौधरी
3. ,, बाबूलाल बैरवा
4. ,, उदयराम धाकड़
5. ,, रामपाल उपाध्याय
6. ,, महाराम चौधरी
7. ,, रामरघुनाथ चौधरी
8, " सुजान सिंह यादव
9. ,, फते सिंह
10. ,, गोपाल पचेरवाल
11. ,, गोविन्द आमलिया
12. ,, महावीर प्रसाद जैन
14. ,, रघुवीरसिंह कौशल
14. ,, राम किशोर मीणा
15. ,, चुन्नीलाल जेलिया

(श्री अध्यक्ष)

राजकीय उपक्रम समिति 1984–85

1. श्री तेजपाल
2. ,, नानालाल
3. ,, सी. पी. जोशी
4. ,, मेघराज तावड़
5. ,, हेमाराम चौधरी
6. ,, सूरजपालसिंह
7. ,, जगन सिंह
8. ,, हरेन्द्र मिर्धा
9. ,, मांगीलाल आर्य
10. ,, महादेवसिंह
11. ,, देवदत तिवाड़ी
12. ,, सुनील विश्नोई
13. सुश्री पुष्पा जैन
14. श्री भंवरलाल शर्मा
15. ,, भैरोंसिंह शेखावत।

मांग संख्या 27, 13, 19 व 21 पर विचार

मांगों पर वाद-विवाद।

श्री नानूराम।

(अनुपस्थित)

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पेयजल की समस्या के विषय पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो कुछ भी राजस्थान सरकार ने इस विषय में किया है वह निश्चय ही सराहनीय है न केवल इस वात को देखते हुए जितने भी प्रोगाम हमारे यहां पर हुए हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में जो विशेष रूप से आठवां सूत्र है उसके अन्दर भी उसका विवरण है,

उस चीज के महत्व को देखते हुए विश्व में भी उस के ऊपर वहुत बल दिया जा रहा है, पेयजल की जो उपलब्धि है वह एक सुचारु ढंग से, अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दो–एक बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के मामले को बहुत उछाला जा रहा है, लेकिन सब चीजों को मिलाकर के जो कुछ राजस्थान सरकार को करना था, जितने ग्राम समस्या ग्रस्त घोषित थे उन सबको देखते हुए क्या उपलब्धि हुई है इस सब पर वृहद रूप से प्रकाश डाला गया है, उस सबको देखते हुए यह बात पाई गई है कि राजस्थान सरकार ने इस विषय में जितना कुछ भी किया है, वह सराहनीय है।

मैं मेरे जिले के लिये इस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जो इस विषय में काम किया है वह और भी ज्यादा सराहनीय रहा है। उसमें अभी 14 करोड़ रुपये के राहत कार्य स्वीकृत हुए है उनको देखते हुए ऐसा मालूम

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

पड़ता है कि अब की बार बाड़मेर के अन्दर समस्या है समग्र रूप से, उसका उन्मूलन हो जायेगा। केवल दो–चार बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि जहां-जहां पानी का प्रबन्ध किया गया है वह दो तरह से किया गया है, एक तो इस प्रकार से किया गया है कि लाइनें बहुत लम्बी है। कोई-कोई लाइन तो 110 किलो-मीटर लम्बी है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर और कोई 80 किलो-मीटर है। इस प्रकार की उनकी लम्बाई है, इसको देखते हुए यह एक बड़ी भारी दुविधा पैदा हो गई है कि जो टेल एण्ड के ऊपर गांव आये हुए हैं या बस्तियां आई हुई हैं उन बस्तियों में पानी नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता भी है तो बड़ी कठिनाई से पहुंचता है और कभी-कभी पहुचता है। दूसरी कठिनाई इसमें यह है कि जिस जगह पर भी पानी पहुंच रहा है वह पानी सुचारु ढंग से वहां नहीं पहुंचता। सुचारु रूप से पानी जहां नहीं पहुंचता है वहां जो पहले साधन थे उन साधनों को लोगों ने उठाकर रख दिया है। अब वह साधन उनके पास नहीं रहे हैं। इसलिए बड़ी भारी कठिनाई हो जाती है कि पानी सुचारु रूप से कुछ दिन तो मिले और जब नहीं मिले तो वैसी अवस्था में लोग क्या करें। जिनके पास पहले साधन थे उन साधनों को लोगों ने उठाकर रख दिया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं पाइप का। पाइप एक बहुत दूर की वस्तु है। जहां पानी नलकूप से पहुंचाया जाता है वहां इतना ही पानी एकत्रित करने के दूसरे साधन नहीं हैं और न दूसरा कोई पानी उपलब्ध है। ऐसी जगह पर यदि 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए पानी बन्द हो जाये तो, अध्यक्ष महोदय, यह आप स्वयं सोच सकते हैं कि वहां के लोगों की हालत कितनी दर्दनाक हो जाती होगी और वह पानी कहां से उपलब्ध करते होंगे। इसलिए जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था की है, मैं सरकार से चाहूंगा और यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हल करने में पूरा-पूरा ध्यान दे। इसके लिये एक सुझाव तो यह है कि वहां के लिए डबल लाइन डाली जाये या इस तरह से डाली जाये कि जहां बीच में पानी रोक लिया जाता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है तो आधी दूर तक या आधी से ज्यादा दूर तक वह लाइन फी ले जाई जाये और उसके बाद पानी उसमें रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : जैसे लम्बी दूरी की रेलें होती हैं वह सब जगह ठहरती नहीं हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : इसीलिए ऐसी लम्बी दूरी की जो लाइनें हैं वहां पर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ताकि डबल पाइप लाइन डालकर सुचारु रूप से पानी पहुंचाया जाए। इसका एक यह भी उपाय हो सकता है, वह बहुत आवश्यक है कि जो पहले कुएं बनाये गये हैं, अब जो कुएं बनाये जा रहे हैं, या किसी भी तरह से ट्यूबवेल खुदवाये जाते हैं इनमें बड़ा भारी अन्तर है। वह अन्तर यह है कि अभी जो कुएं बनाये जाते हैं वह 4-5 साल में फेल हो जाते हैं और पहले के बने हुए कुएं दस-दस साल, पन्द्रह-पन्द्रह साल या इससे ज्यादा समय से चल रहे हैं। इस चीज को देखना

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

नितान्त आवश्यक है। इस तरह से कुएं जो नये बनवाये जायें वह उसी केटागरी के और उसी ढंग के या उसी फर्म से बनवाये जायें जो कि 15-20 साल तक चलने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो कुओं के बनाने के ऊपर जो पैसा व्यय होता है वह ज्यादा होता है और इतने कुएं नहीं बनाये जा सकते हैं कि बार-बार इस स्कीम को ठीक कर सकें या सुचारु रूप से चला सकें। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि जो कुएं बनवाये जायें वह ऐसे इलाकों के लिये इस प्रकार के बनाये जाये जो लम्बे ड्यूरेशन तक चलने वाले हों। जहां ऐसे कुओं।

श्री परसराम मदेरणा : कुओं की बात कह रहे हो या ट्यूबवैल के सम्बन्ध में कह रहे हो।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं ट्यूबवैल के लिए कह रहा हूं कि ट्यूबवैल जो पहले बने हैं आप देखेंगे कि वह लम्बे समय तक चले हैं और अब जो ट्यूबवैल बन रहे हैं वे जल्दी खराब हो जाते हैं। उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो आप यह भी कह सकते हैं, आपके इंजीनियर्स कह सकते है कि जो मशीनें लगाते हैं वह मशीन अच्छी नहीं है। आप देखकर ऐसी मशीन उस तरीके की लगाइये जो लम्बी अवधि तक चले अथवा ट्यूबवैल को ऐसा बनवायें जो लम्बी अवधि तक चले। नहीं तो यह आपकी स्कीम बार-बार फेल होने वाली है। इसको आप रोक नहीं पायेंगे; और अगर आप रोकेंगे तो बड़ी कठिनाई पड़ेगी।

अब इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो व्यवस्था आप कर रहे हैं इस व्यवस्था में आपने जानवरों की पहले गिनती नहीं लगाई। इसकी ओर मैं ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं और न ज्यादा कहना चाहता हूं क्योंकि आप भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं। मैं इस ओर भी आपको नहीं कहना चाहता कि जगह-जगह हमको ढाणियों में पानी दिया जाये। आपने इस ओर भी भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रखा है। लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि जहां 1.6 कि. मी. दूर आपका कुआ होता है और उसके आस-पास ढाणियां हैं, तो पाइप लाइन का 1 6 कि. मी. का आधार या कोई भी पाइंट दे दीजिए ताकि वहां ढाणियां हैं वे पानी ले लें। अगर आपकी 70 किलोमीटर लम्बी लाइन है, अगर आपकी 110 किलोमीटर लम्बी लाइन है तो उस लाइन में आपको कितने ही पाइंट मिल जायेंगे जहां वह सामूहिक रूप से पानी ले सकेंगे आपकी कृपा से। इससे लोगों को चार-पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जो पहले आठ-दस कि. मी. दूर जाते थे। तो ऐसी चालू लाइन से काफी समस्या हल की जा सकती है, ऐसा मेरा अन्दाज है। अगर सरकार यह बात करेगी तो मैं समझता हूं कि इससे काफी लोगों को राहत मिल जायेगी।

एक मैं आपका ध्यान यह भी दिलाना चाहता हूं कि जहां ट्यूबवैल के चलाने का प्रश्न आता है तो कई बार हम लोगों ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि वहां पर ऐसे इंजिन लगाये जायें जो कि उन ट्यूबवैल को चला सकें। वह इंजिन

(श्री देवत्तदतिवाड़ी)

चलाने में या इन्डीपेन्डेन्टली चलाने में काफी दुविधायें आई हैं। दुविधायें भी देखने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। वहां पर कुओं पर लोग इंजिन का चलना बताते हैं और कुओं पर बिजली भी चलाते हैं तो उनका चलना बताते हैं और डीजल बेच देते हैं इत्यादि–इत्यादि। तात्पर्य यह है कि वहां पर जो बिजली की सप्लाई है वह उनको सही वोल्टेज में नहीं मिलती है। कहने को तो यह कहा जाता है कि वहां वोल्टेज बाइस-बाइस घंटे तक बराबर सही देते हैं और बाइस–बाइस घंटे बराबर लाइन में सही वोल्टेज होता है लेकिन अधिकांश जगह पर यह देखा गया है कि उनकी मोटरें फेल होती रहती हैं। और मोटरों के फेल होने का कारण वह यही बतलाते हैं कि वोल्टेज ठीक नहीं है। इन मोटरों के बार-बार फेल होने से जो स्कीम है वह कई समय तक रुकी रहती है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि या तो आप फिर इतनी मोटरें रखिये और इतने इम्पलीमेंट्स वगैरह कुछ ऐसे रखियेगा कि एकदम से मशीन को लोअर करके दूसरी मशीन फीट करके काम निकाला जा सके और अगर यह बात नहीं होती है तो आप बिजली विभाग वालों से ऐसा कोई तारतम्य बैठाइये कि जिससे आपको सही वोल्टेज मिले।

मैंने पिछली दफा, एक दफा और निवेदन किया था दूसरे मसले पर बोलते हुए, उसमें यह एतराज किया गया था कि आप किसी एक विशेष काम का नाम क्यों लेते हैं कि वहां पावर हाउस से सीधा वोल्टेज क्यों दिया जाता है। आप अपने यहां की मांग करिये। तो मेरा यह कहना है कि मैं उस जगह का नाम नहीं लेता लेकिन किसी दूसरे स्थान तक कोई एक स्पेशल फीडर ले जाई जा सकती है तो इस टेल एण्ड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां आप इस तरह का अवश्य ही कोई फीडर ले जाइये जिससे कि हमको इस तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। जहां दूसरी जगह सिंचाई का महत्व है, मैं यह नहीं कह सकता कि सिंचाई का महत्व घटा देना चाहिए अथवा कोई महत्व कम है, लेकिन पीने के पानी की जहां समस्या आती है वहां यह चीज बहुत ही एक कारगर तरीके से चलनी चाहिए, सप्लाई बिजली की कारगर तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो पीने के पानी की जो समस्या है वह उससे ज्यादा अहम है। लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है तो बड़ी भारी कठिनाई पैदा होती है। मेरा निवेदन करने का सारा मकसद यही है कि जहां हम इस तरह का कोई स्पेशल फीडर ले जा सकते हैं, जैसे मैंने पाइप लाइन ले जाने के लिए कहा था ऐसे ही नये फीडर की मैं पावर हाउस में डिमाण्ड करता हूं कि यह होना चाहिए।

एक दूसरा प्रश्न यह आया था कि हैंड पम्प जो लगाये गये हैं इन हैंड पम्पों में काफी गड़बड़ हुई हैं। हुई भी होंगी, मान भी लिया जाये तो अब नये सिरे से टेन्डर कराइयेगा और जहां जहां पर कामयाब हैं वहां तो कम से कम लगवाइयेगा। अब तो आपको यह भी अनुभव हो गया है कि कहां कामयाब है और कहां कामयाब नहीं हैं...

श्री परसराम मदेरणा : वह तो नये टेन्डर्स इन्वाइट भी हो गए और उनकी रेट भी कम आई है। उसी का तो वह जिक्र कर रहे थे।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : कम आई है तो उस पर नये सिरे से करिये। उस पर तो कोई स्टे नहीं है उस पर तो कोई रोक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो नयी रेट्स भी आ गयी हैं। लागू भी हो गयी हैं कम आई है, इसमें दो राय नहीं है। कितनी कम आई हैं वह मैं बता दूंगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जहां जहां कामयाब हैं वहां लगवाइये। कई कई ऐसी जगह हैं इन पाकेट्स के बीच में जहां लगाये गये हैं। कई जगह ऐसी हैं, पहाड़ी स्थल ऐसे आये हुए हैं जहां बिलकुल कामयाब हैं इनको ठीक करने की जो व्यवस्था है– एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह व्यवस्था आप दूसरे डिपाटमेंट को या बी. डी. ओ. को मत सौंपिये। आपका ही विभाग अच्छे ढंग से सही तरीके से उनको ठीक कराये। आपके पास इन्जीनियर्स कम पड़ते हैं तो आप अपने इन्जीनियर्स को बढ़ाये लेकिन फिर आप डुअल गवर्नमेंट कर देंगे तो गड़बड़ हो जायेगी और सारा काम बिगड़ जायेगा। इसलिए जिन जिन जगह पर जहां अच्छे ट्यूबवेल लगे हुए हैं और कामयाब लगे हुए हैं वहां आप इस बात को देखिये कि अगर कोई पानी ठीक से देता था, अब ठीक नहीं देता है और कोई पाइप को लोअर करने से भी ठीक हो सकता है तो आप उसको ठीक करके उसको सुचारु ढंग से कीजिए। इस व्यवस्था को आप अपने पास में ही रखिये तो यह ठीक रहेगा अन्यथा यह काम ठीक नहीं रहेगा।

एक मैं आपसे और निवेदन इस विषय में करना चाहता हूं। वह यह है कि जो आप यह सारी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें पुराने तरीके से जहां पानी पहले पहुंचाया जाता है उसको भी आप ध्यान से देखियेगा उसको देख करके आप उस व्यवस्था को भी काम में लीजिए। जब कि बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहां टांका बना करके उस टांके के अन्दर अगर किसी टैंकर से पानी पहुंचा दिया जाये, तो आप फेमिन के समय में तो पानी पहुंचाते हैं और कई जगह आप पानी इस तरह से पहुंचाते हैं तो अब उनकी कहां से समस्या हल होगी। अब तो उनको और भी यह मालूम पड़ गया कि हमको इस तरह से पानी आसानी से मिल सकता है। अब तो उन लोगों को और भी मुसीबत पैदा हो गयी है यदि आप वहां पानी नहीं पहुंचाते हैं। अभी भी 116 गांव हमारे यहां ऐसे हैं जहां फेमिन है वहां पर आप इस तरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जहां जहां आपने पहले इस बात को देख लिया है, पानी टैंकरों से पहुंच जाता था वहां रेगुलर टांके बनवाकर आप टैंकर्स से पानी पहुंचाने की व्यवस्था तब तक कीजिए जब तक आप दूसरी कोई व्यवस्था लागू नहीं कर देते हैं

एक मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कोई कोई ऐसी बड़ी स्कीम हैं जिन

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

स्कीम को आज आठ-आठ और दस-दस साल हो गये हैं आप उनको पूरा नहीं करा रहे हैं। एक हमारे यहां नीमला बायतू की स्कीम पर कोई आठ दस साल से काम चल रहा है और गांव के अन्दर एस. आर. भी बना दिए गये, वहां पाइप लाइन भी डाली गयी, लगाने के लिए डाली गयी थी लेकिन न तो वह पाइप लाइन ही वहां पर लगी और न एस. आर. ही काम में आ रहे हैं। उन एस. आर. में पानी नहीं भरा गया किसी और माध्यम से तो वह बेकार हो जायेंगे, फूट जायेगे और बाद में वह एस. आर. और पाइप लाइन इत्यादि क्या काम आयेंगे ? इस चीज को भी आप देखियेगा कि किसी तरह से वह लाइन ठीक तरह से कामयाब हो जाये। उनमें आप अभी से डबल लाइन डलवाकर ले जाइये जिससे दूर का प्रश्न नहीं रह जाये आधी दूरी तक आप उन लाइनों को नहीं खोलिये।

एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहूंगा। आपके यह ट्यूब वेल हैं, और आप जितना पानी स्टोर कर रहे हैं या कहीं भी आपको मिल रहा है यह पेरेनियल सौर्स नहीं है। अगर यह 20 साल में फेल नहीं हुए हैं तो पचास साल में यह फेल हो जायेंगे। निश्चय ही फेल हो जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इन्जीनियर लोग चाहे कैसी भी राय देते रहें क्योंकि जमीन के अन्दर इतना पानी नहीं है कि पेरेनियल सोर्स हमेशा के लिए कायम रह सकें। इसलिए अभी जैसा माननीय सदस्य, जो शिव से आते हैं, ने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि जो यह राजस्थान केनाल आ रही है और जो गडरा रोड तक जायेगी इस नहर को वहां तक आप ले जायें, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जिस तरह से आप जोधपुर को पानी ले जा रहे हैं ठीक इसी तरह से बाड़मेर जिले के लिए अभी से पाइप लाइन डालने की या कुछ न कुछ व्यवस्था करियेगा, नहीं तो आप देख लेना, मैं आपसे अभी कहता हूं, अभी आपसे यह बात कह रहा हूं कि हमारे यहां पापुलेशन बढ़ती है। दूसरे जिलों से हमारे यहां पर पापुलेशन ज्यादा बढ़ी है। मैं आपको यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यह आपकी अच्छी पापुलेशन का अच्छे पानी की व्यवस्था भी एक कारण है। जहां जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई है वहां हमारे यहां गांव बस जाते हैं, नगर बस जाते हैं, कस्बे के कस्बे तैयार हो जाते हैं और सब जगह पापुलेशन बढ़ जाती है। पूरे प्रान्त में और पूरे जिले में जब यह पहुंचा देंगे तो पूरे जिले की पापुलेशन इससे दो तीन गुनी हो जायेगी....

श्री अध्यक्ष : आपके वहां का पानी अच्छा दिखता है।

श्री परसराम मदेरणा : पापुलेशन तो आपकी 38 पर्सेन्ट बढ़ी है डिस्ट्रिक्ट एज ए होल में। इसलिए पानी वानी में कुछ नहीं है वह तो बढ़ाई ही जा रही है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : बढ़ाई नहीं जा रही है। आप यह समझिये कि उसमें यह भी एक फेक्टर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्डिया का 31 पर्सेन्ट एवरेज है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : पाकिस्तान से आये थे इसलिए बढ़ी है ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पाकिस्तान से आये थे तो पाकिस्तान वापस चले गये । यहां से फेंक दिये गये और कोई चले भी गये । लेकिन वैसे भी पापुलेशन बढ़ी है और परिवार नियोजन के उपरान्त भी बढ़ी है । जैसा कि यह कहा जाता है कि गरीब लोगों की पापुलेशन ज्यादा बढ़ती है और अमीरों की कम बढ़ती है । उसका कोई भी प्लाजीवल कारण नहीं दिया जा सकता । इसी तरह से जहां पानी का अच्छा इन्तजाम होता है वहां पापुलेशन बढ़ती है । लोगों को आराम मिलता है । रात रात भर उधर लगे रहते हैं, उससे उनको इधर फुरसत नहीं मिलती है ।

श्री सुजानसिंह यादव : पानी का प्रभाव है ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पानी का प्रभाव है इस बात के लिए भी निश्चित कहूंगा । आप यह कहते हैं हमारे यहां फ्लोराइड है या फलाना है । मैं तो यह कहता हूं कि हमारे यहां के आदमियों को देखिये, हमारे यहां के जानवरों को देखिये कितने उनके सीने चौड़े, कितनी उनकी ऊंचाई और क्या उनकी लम्बाई है । उन जानवरों जिनको हम खारा पानी पिलाते हैं उल्टा उनकी ज्यादा बढ़त अच्छी होती है, उल्टे उनकी सेहत ज्यादा अच्छी होती है बनिस्बत दूसरे और जानवरों के । इसलिये मैं तो यह कहता हूं कि भारत सरकार को हमारे यहां के घी के लिये नार्म्स पलटने पड़े हैं । यह कहते थे, यह आपका जो घी है वह एक डिग्री कम होता है । बाद में उन्होंने यह मूल स्वीकार की । सेवन घास खाये हुए जानवर का घी ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा ताकतवर होता है । अध्यक्ष महोदय, एक गिलास छाछ पी लें तो आपको गैल आ जाये, आपको खुमारी आ जाये । ठीक इसी तरह से पानी भी पाचक और इतना बढ़िया है, इसको इतना खराब नहीं कह सकते । मेहरबानी करके ऐसे कोई ट्यूब वेल है जो भाखड़ा भाखड़ा नहर में लगे हुए हैं जहां का जानवरों को पानी पिलाया जा सकता है वहां का पानी पिलाने से एक भी जानवर नहीं मरा जानवरों को पानी पिलाने के लिये तो कम से कम खोल दें, तब तक के लिए खोल दें जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेते, तब तक उनको पानी पी लेने दो । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो राजस्थान नहर आ रही है इसके लिये अभी से व्यवस्था करके नहीं रखेंगे तो यह कुए बाद में सूख जायेंगे । इतनी बढ़ी हुई पोपूलेशन, ऐसी निकमी होई हुई पापूलेशन क्योंकि इसकी आधारित हो जायेगी उसके लिये बाद में आप क्या करेंगे । इस लिये आप मेहरबानी करके अभी से कोई न कोई व्यवस्था बना करके रखकर चलिये ।

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के बरसाने की व्यवस्था आपने...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको याद दिला रहा था।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं यह कहना चाहता था पानी के बारे में कि यह जो थ्योरियांबना रखी हैं कि दरख्तों से पानी बरसता है, यह बातें किसी हद तक साइंटिफिक और सही नहीं हैं, पानी से दरख्त होते आये हैं और होते हैं, लेकिन पानी नही पहुंचेगा तो करोड़ों दरख्त आपके लगाये हुए एक ही झोंके में सब के सब सूख जायेंगे। हम ने देखा है हमारे चौहटन के इलाके में, हमारे बाड़मेर के इलाके में जहां कि बहुत ज्यादा वनस्पति पहले लगी हुई थी। कोई पांच–छः अकाल मेला मेल पड़े, एक साथ ही पड़े तो सारे के सारे कुएं एक साथ सूख गये। न जाने क्या हुआ अभी आपने जो दरख्त लगाये हैं वे दरखत भी पानी की कमी से, एक ठंडी हवा चली जिससे धान तो फिर भी बच गया लेकिन दरखत सब सूख गये। आपने देखा है सड़कों के किनारे हजारों दरख्त खड़े हुए हैं फिर एक हवा के अन्दर जल जायेंगे। इसलिये पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, हमारे यहां इलाका ऐसा है जिसके अन्दर मई से लेकर सितम्बर तक इतने कच्चे बादल चलते हैं कि जिस से यदि हम वर्षा आर्टिफिशियल करा सकें तो आपका यह पश्चिम इलाका बिल्कुल सर हो ज येगा। नाडियों के अन्दर, तालाबों के अन्दर और दूसरे टांकों वगैरह में बहुत ज्यादा पानी आयेगा, सभी लोग खुश होंगे, जमाना भी आपका अच्छा होगा। हजारों-हजारों टन जो अनाज पैदा होता है, बाजरी वहां बरसात से होती है इसलिये आप कम से कम यह करियेगा। आर्टिफिशियल रेन की आप तैयारी कराइये। यदि नहीं होती है तो कम से कम आप एक करोड़ रुपये का इनाम निकालिये जिससे कोई थोड़ी माथा फोड़ी करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई कामयाब हो, नहीं तो जबरदस्ती कोई इनाम नहीं ले जायेगा। अगर वह कामयाब हो जाये तो आप कृपा करके इस प्रकार करिये, इनाम तो रखिये। कम से कम 2200 करोड़ रुपया हम खर्च करने वाले हैं और एक करोड़ रुपये का हम इनाम नहीं निकाल सकते। कोई आर्टिफिशियल रेन बाड़मेर जिले में कर देगा तो हम उसको देंगे, ऐसा आप प्रबन्ध करिये। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि भगवान आपको सद्‌बुद्धि दे तो आप ऐसा करेंगे, नहीं तो जैसे हम पहले ही मर रहे हैं फिर से फिक्र करेंगे, कोई फायदा होगा नहीं।

थोड़ी सी बात मैं सड़कों के विषय में और पुलियाओं के बारे में और कह दूं। हमारे यहां सड़कें खूब हैं और हमारे यहां सड़कें सब से ज्यादा टूटती भी हैं, आपके 50 साल भी नहीं टूटेंगी। हमारे यहां मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है उससे एक साथ ही जिले की आधे से ज्यादा सड़कें तोड़ कर फेंक देते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप इन सड़कों को देखें। सन् 65 में सड़कें कम थीं और हम कमजोर थे, हम हार रहे थे। 1971 में यह सड़कें हमारे जिले में काफी थीं उसकी वजह से हम आगे बढ़े और

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

छाछोड़ तक हमने उस मुल्क को जीत लिया। तो अच्छी सड़कें हों, हमारी सरकार ने एक पालिस बना रखी है। यह तो अलग-अलग लोगों की पालिसी होती है, उनकी पालिसी यह है कि हम छाछोड़ से हैदराबाद के बीच कोई भी इस तरह की सड़कें वगैरह नहीं बनायेंगे लेकिन हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारी सेनायें वहां तक आसानी से मूव हो सकें इसके लिये हम अच्छी सड़कें बना करके रखेंगे तो ये वक्त पर किसी दिन काम देंगी और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे।

अब दो पुलियाओं के बारे में कहूंगा एक सीन्द्री के पास और एक बालोतरा के पास, यह दो पुलियायें बन जायें तो बरसात में जब कि हम लोग कट आफ हो जाते हैं, सारा पश्चिमी इलाका, जिले का कट आफ हो जाता है, सारी सीमा कट जाती है तो उससे हमको बहुत भारी बचत होगी। मिलिट्री भी इस बात को चाहती है। या तो आप यह सारी सड़कें मिलिट्री को सौंप दें, तो वे अपने आप ही बनायेंगे। यह आप दो पुलियां अवश्य रूप से बना दीजिये नहीं तो इन दो पुलियाओं की कमी के कारण बड़ी भारी हानि का मुकाबला करना पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने समय दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पेयजल की जो समस्यायें हैं वह भिन्न-भिन्न साइड के अन्दर अलग-अलग तरह की हैं। पूर्वी राजस्थान की पेयजल की समस्या अलग तरह की है और पश्चिमी राजस्थान के पेयजल की समस्या अलग तरह की है। पूर्वी राजस्थान के पेयलज की समस्या और पश्चिमी राजस्थान के पेयजल की समस्या जब हम बराबरी में समझते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के पेयजल की समस्या भयंकर समस्या है.। उसके समाधान के लिये राज्य सरकार को कोई अपनी नीति अलग तरह से निर्धारित करनी पड़ेगी। जिस गति से और जिस तरीके से हम पश्चिमी राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं उस तरीके से राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अन्दर पेयजल सुलभ कराने में विशेष प्रगति नहीं रहेगी। जितनी भी आपकी पेयजल की योजनायें पिछले सालों के अन्दर बनी हैं उनमें से अगर मैं यों कहूं कि यह जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें या ट्यूब वैल बनाकर उन्हें पानी उपलब्ध कराया गया है उनसे 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत आदमी लाभान्वित होते हैं, इससे ज्यादा कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। यह बहुत जरूरी बात है। इस बात के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि पिछले अर्से में ढाणियों को शुमार नहीं करते थे, जब सबसे पहले मैंने विधान सभा में ढाणियों की बात की थी तो लोगबाग यह समझ रहे थे यह असंसदीय भाषा बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इस बात के लिये धन्यवाद दे दूं क्योंकि बाद में पेयजल योजना के बारे में मैं जो बात कहूंगा तो इसमें शायद मैं इसेभूल न जाऊं। इसके साथ-साथ पशुओं के लिये

महाराम चौधरी)

पेयजल को गुमार कराने के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो धन उपलब्ध कर रहे हैं उससे क्या पता कहां तक सफलता मिलेगी। यह धन उपलब्ध कराने की जितनी बात करते हैं उसके साथ-साथ पेयजल योजनाएं जो आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बना रहे हैं वह योजनायें आपकी इतनी खर्चीली हैं और इतनी अवैज्ञानिक हैं, जैसा मैं आपको बताता हूं कि एक जल प्रदाय योजना को ले लीजिये, ढाई लाख रुपये के आस-पास आप एक टंकी बनाते हैं, एक लाख रुपया गांव के अन्दर टूंटियों में खर्च करते हैं, 35 हजार रुपये के आस पास इन्जन घर बनाने वगैरह में खर्च करते हैं और एक लाख रुपया जनता टाइप क्वार्टर बनाने में खर्च करते हैं। 35 हजार रुपया आप चार दीवारी बनाने में खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह यह खर्च करीब 6 लाख रुपये के आस-पास तो आपके निर्माण कार्यों में हो जाता है। असली काम ट्यूब वैल या ओपन वेल या जिस पाइप लाइन से पानी पहुंचे वह है। उसमें खर्चा ही तो शायद गांव वालों की ज्यादा सुविधा हो सकती है। 6 लाख रुपये के अन्दर या साढ़े पांच लाख रुपये के अन्दर तो आप कम से कम तीन चार पाइन्ट पर, गांव की सरहद के अन्दर या ढाणियों के अन्दर पानी उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह आप निर्माण कार्य करें लेकिन यह निर्माण कार्य उसके बाद ही करायें। सबसे पहले ट्यूब वेल आपका सक्सेसफुल हो जाय और पाइप लाइन से तीन-चार पाइन्ट पर पानी आप उपलब्ध करा दें। इस के बाद अगर आपको धन और उपलब्ध हो जाय तो यह बात आप सैकन्ड नम्बर पर लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो पेयजल के सम्बन्ध में खर्च करना चाहती है। शहरी क्षेत्र के अन्दर संधारण के लिये या सुधारने के लिये या मरम्मत करने के लिये यह योजना आप बना रहे है या यूं कहिये कि 100 लीटर से 135 लीटर तक पानी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शहरों में भी पानी की आवश्यकता है, वहां पर भी आप पानी दीजिये और जो पुरानी आपकी पाइप लाइनें हो गई है या पुरानी जल योजनायें हो गई हैं उनमें भी आप सुधार कीजिये। लेकिन अभी जो चल रही है उनको चलने दीजिये। उनमें सुधार आप तब कीजिये जब ग्रामीण क्षेत्र में पानी उपलब्ध करा दें ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के बाद में शहरी क्षेत्रों में जो पानी की कमी है या पानी की मात्रा बढ़ानी है उसको आप दूसरे नम्बर पर लीजिये। प्रथम तो ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल के सम्बन्ध में कहूंगा, जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें अगर और ज्यादा पानी बढ़ायेंगे तो पानी का वेस्टेज भी होगा। अध्यक्ष महोदय, विधायक नगर के अन्दर चार दिन से पानी इस तरह सड़क पर गिर रहा है, बिखर रहा है कि उसको देखकर मुझे तो ठेस लगी। कहां तो यह और कहां वह ग्रामीण क्षेत्र जहां

(श्री महाराम चौधरी)

पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और यहां पर पानी बेकार में ही ढुल रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह भी निवेदन करना चाहता हूं. वहां की स्थिति यह है कि जिस घर में पांच आदमियों का एक परिवार है, जो पांच सदस्य परिवार में है, उन पांच में से जो 10–12 घंटे आदमी के जागने के होते हैं, उसमें एक आदमी तो पीने के पानी के लिये जाता है और दूसरा आदमी जानवरों के लिये जाता है। यानि पांच में से दो आदमी की जितनी भी शारीरिक मेहनत है वह पानी लाने में ही खर्च हो जाती है। अगर इनको पानी उपलब्ध हो जाय तो इस देश में उत्पादन करने के लिये दो आदमियों को यह सारा टाइम मिल जाता है जिससे देश के उत्पादन में उनका काफी योगदान हो जाय। मैं समझता हूं इससे हमारे देश के उत्पादन की शक्ति बढ़ेगी और दूसरी सुविधायें भी होंगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर कुछ जगह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें हैं, या एडीशनल जल प्रदाय योजनायें हैं जिससे पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन है कि जिस जगह से पाइप लाइन निकल रही है, जो पाइप लाइन एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, लम्बी दूरी में जाती है, उस रास्ते में जहां से पाइप लाइन निकल रही है चौकीदार तो रखते है, जहां जहां पर ढाणियों के समूह हैं उन जगहों पर एक इन्च की टूटी दे दें तो भी वहां के आदमियों को पीने का पानी सुलभ हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेन पाइप लाइन पर जो वासणी की मेघवालों की ढाणियां आती है उस पर आप अगर एक इन्च की टूटी दे दें तो 50–60 मेघवालों की ढाणियों को पानी उपलब्ध हो जायेगा। इसी तरह से शतेरन गांव के अन्दर, शतेरन की सरहद पर तो पानी जरूर दे दिया और कई जगह ये कहते हैं कि एक गांव में एक सोर्स से पानी उपलब्ध करा देंगे। उसी जगह सोर्स से पानी उपलब्ध करायेंगे जहां पानी बढ़िया है लेकिन इस गांव के अन्दर 100 फीट पर तो पानी दे दिया....

श्री अध्यक्ष : इस तरह की गिनती तो बहुत लम्बी हो जायेगी, माननीय सदस्य। सभी माननीय सदस्य कह देंगे, उस ढाणी में तो आ गया और इस ढाणी में रह गया। कोई सिद्धान्त की बात कहिये।

श्री महाराम चौधरी : सिद्धान्त की बात है, अध्यक्ष महोदय। पाइप लाइन वहां से निकल रही है और पाइप लाइन निकलती है तो...

श्री अध्यक्ष : और ढंग से कह दीजिये-पाइप लाइन जहां से निकलती हो वहां पर पाइन्ट दे दें।

श्री महाराम चौधरी : वही तो कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप तो विस्तार से ढाणियां गिना रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : ढाणी उसी को कहते हैं जहां 40—50 या 50—60 घरों की बिखरी हुई आबादी है। वह एक जगह आकर पानी ले लेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि शतैरन गांव के अन्दर जो ढाणियां हैं और उसमें मेघवाल जो बसे हुए हैं उनको पानी उपलब्ध नहीं कराया। अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसलिये पानी उपलब्ध कराने की कृपा करावें। इसी तरह ढूढवालों की ढाणियां है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदत किया कि आपकी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर 50, 60, 100 गांव होंगे उसमें 8–8, 10–10 प्रत्येक में ढाणियों के समूह हैं। एक एक की गिनती होने लगी तो तो कहां समय मिलेगा और मंत्री महोदय भी उसका क्या उत्तर देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जैसा मैं समझा हूँ इनको ढाणियां कितनी हैं और कितनी नहीं हैं इस बात की चिन्ता नहीं है। इनको ज्यादा चिन्ता है और व्यग्रता है कि मेघबालों की ढाणियां बच गई हैं, उसकी ज्यादा चिन्ता है। मेघवालों के नाम से ये चाहते है कि हमारे यहां व्यवस्था हो जाय।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सिर्फ मैं बात बता रहा हू, अध्यक्ष महोदय। मैं पूरे क्षेत्र की बात नहीं बता रहा हूं। मेन पाइप लाइन पर कुछ ऐसी ढाणियां हैं। जहां आपकी पाइप लाइन पास से निकल रही है।

श्री अध्यक्ष : आप उस बात को कह दीजिये और खास तरीके से कह दीजिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खास बात कहने की है वह यह है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर, नागौर तहसील के अन्दर, नागौर या मूण्डवा पंचायत समिति में हैन्ड पम्प का कार्य जब शुरू हुआ तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जल पहले से ही गहरा था। बार बार विरोध करने के बाद भी करीब 12 गांवों में 220 हैण्ड पम्प खोद दिये गये। उन हैण्ड पम्पों का जब प्रश्न आया जैसा कि मैंने यह प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का 30–3–84 को जो जवाब दिया गया सरकार ने उसमें यह मंजूर किया है कि आपके क्षेत्र के अन्दर जो पानी हमने टैस्ट कराया, 40 का पानी टैस्ट कराया जिनमें से सिर्फ 10 का पानी पीने के योग्य है। 10 जो टैस्ट किये हैं उसके बाद टैस्ट कराना भी छोड दिया क्योंकि उसके बाद उनको पानी खारा ही खारा महसूस हुआ था। मैं इस सम्बन्ध में बार बार कई दफा यह निवेदन कर चुका हूं कि अहूर में खारे पानी का तो अब मुझे मालूम हुआ है किन्तु वास्तव में चलने वाले भी बहुत कम हैण्ड पम्प है। ऐसे गांवों के बारे में जब बार बार पूछा जाता है तो जवाब यही दिया जाता है कि हैण्ड पम्प का पानी सुचारु रूप से उपलब्ध हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनके जो टैक्निकल आदमी हैं वह वहां पानी पीकर आ करके कहते है या यूं ही आ करके कह देते हैं, लेकिन हमारे सरपंचों ने लिखकर दिया है, वे इस नतीजे पर आ गये हैं कि हैण्ड पम्पों की योजना से पानी मिल रहा है।

(श्री महाराम चौधरी)

पर एक्चुअली पानी नहीं मिल रहा है। यह करीब करीब सभी गांव जो हैं उनमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि शहर के अन्दर आपकी पेयजल की योजना बनी हुई थी तो भी आपने वहां हैण्ड पम्पों से पानी उपलब्ध कराया है। इसी तरह से जिन गांवों में हैण्ड पम्पों से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है या खारा पानी है उन गांवों में भी दूसरी योजना बना कर तुरन्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में नागडी, धारणास आदि गांवों की ऐसी हालत है कि इतने दिनों तक जो पानी तालाबों में था, वह पानी उपलब्ध हो रहा था और उनका काम चल रहा था लेकिन आज उन तालाबों का पानी बिल्कुल ही खतम हो गया है, उनकी हालत यह हो गई है कि पहले हैंड पम्पों की योजना सुन करके लोगों के पास में जो पुराने सांचे, लाव, चड़स वगैरह थे वे प्रबन्ध भी अब उनके पास नहीं रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन गांवों में पानी का विशेष तौर से प्रबन्ध किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जो आपकी पेय जल योजनायें बना रहे हैं और पेयजल योजना के अन्तर्गत जो मेरे क्षेत्र में टेक्निकल आदमियों ने कम से कम 8-10 जगह ट्यूब-वेल बनाये है उनमें से 8-10 ट्यूबवेल तो हन्ड्रेड पर्सेंट फेल हो चुके हैं। फेल हो जाने के बाद भी उन लोगों ने निर्माण कार्य, सिविल वर्क्स इस तरह कर दिये है कि पानी का पता नहीं है और पहले ही अगले काम कर दिये जिसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी बार-बार शिकायतें करने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं यह चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में मेरी जो शिकायतें की हुई है, उन पर समय रहते कार्यवाही कर ली जाती तो मैं समझता हूं कि लाखों रुपये पाइप लाइन लगाने में या इंजन वगैरह लगाने में बेकार खर्च नहीं होते। पोयलासिद्धा के अन्दर एक बहुत ऊंची टंकी बना दी। लेकिन अभी तक ट्यूबवेल का कोई पता नहीं है। भेंड़ के अन्दर इन्होंने ट्यूब वेल बना दिया, वह ट्यूब वेल बिल्कुल सक्सेसफल नहीं हुआ। इसी तरह से इन्होंने अडाण में दो ट्यूब वेल बनाये तो वे ट्यूब वेल भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ये ट्यूब वेल सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि इन्होंने स्थानीय पंचायतों की, स्थानीय सरावों की या स्थानीय जो गांव के मौअज्जिज आदमी थे उनसे थोड़ी सी भी यदि वहां की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान कर लेते तो मैं समझता हूं कि शायद वह ट्यूब वेल वहा पर सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन इस बात की कभी परवाह नहीं की और मनचाहे जहां ले जाकर ट्यूब वेल लगा दिया और वह ट्यूब वेल वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो ट्यूब वेल से पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है, उससे भी बढ़िया यह है कि जो पुराने ओपन वेल हैं, परम्परागत या ट्रेडीशनल गांव वालों ने जो कुएं बनाये हैं उन कुओं को ही सबसे पहले प्राथमिकता देकर टैस्ट करना चाहिए। अगर वह कुएं सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह उनका सबसे बड़ा सदुपयोग है और कम खर्च में होगा। उन्हीं कुओं के

(श्री महाराम चौधरी)

पास में गांव वालों ने हौज भी बनाये हुए हैं, हमारे यहां चेला वगैरह बनाने का भी अननैसेसरी खर्चा नहीं होगा। जब कभी भी हमारी स्कीम फेल होगी या बिजली नहीं आयेगी या जैनरेटर नहीं चलेगा तो कम से कम गांव वाले बाल्टी भरकर पानी तो निकालेंगे। ट्यूब वैल के बारे में आज कल काफी जगह से यह शिकायत सुनते हैं कि इन ट्यूब वैलों की उम्र भी बहुत कम है। कई जगह तो 5-6 साल पहले जो ट्यूब वैल बनाये थे उन ट्यूब वैलों के अन्दर जमीन के नीचे जो बाला है, बाला चल चलाकर बगारा, यह कहना चाहिए भूगड़ कट जाता है और वह ट्यूब वैल अनसक्सेसफुल हो जाता है। फिर वहां उसकी रिपेयर की नौबत आती है। इसलिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, पानी उपलब्ध कराना चाहती है और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना चाहती है तो सबसे बढ़िया और सबसे पुराना जो तरीका है वह गंवाई सरावों का सहयोग लेकर बनायें। अध्यक्ष महोदय, सरावे आप तो जानते हैं, दूसरे माननीय सदस्य इन सरावों की परिभाषा नहीं समझते हैं। जिस तरह से पुराने टाइम में, आज भी पुलिस रजिस्टर्ड जो वाकी होते हैं, चोर को पकड़ने के लिए खोज निकालकर और उनका पता लगा लाते हैं इसी तरह से जो हमारे यहां पानी को सूंघने वाले या बाटने होते हैं। जमीन के अन्दर पानी का पता लगाने वह कोई भोपे नहीं है। वास्तव वहां की जमीन, वहां की जलवायु वहां पर कौन सा पेड़ लगा हुआ है वह उन सब अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे जो सरावे हैं उन सरावों को सरकार को रजिस्टर्ड करके उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाकर जो ट्रेडीशनल सोर्स हैं उनको सक्सेसफुल करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मेरा यह है कि पी०एच०ई०डी० की जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायी जा रही है यह पी. एच. ई. डी. अपना काम करता है उसके साथ-साथ न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों के अन्तर्गत पशु कुंड वगैरह बनाने के सम्बन्ध में जो दूसरी जितनी भी एजेन्सियां हैं वह पैसा ही इकजाई करके पी. एच. ई. डी. के साथ में लगाकर इसका मास्टर प्लान बनाकर पैसे का सदुपयोग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने और बंजारों ने जिस तरह से जगह-जगह पर अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए या जिस जगह भी पड़ाव किये उस जगह उन्होंने बड़े-बड़े तालाब बनाये, उन तालाबों को आज के दिन सब भूल गये हैं। सब इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि तालाबों का गंदा पानी पीने से आदमी बीमार हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो तालाब हैं जो बरसात के दिनों के अन्दर भर जाते हैं और बरसात में भरने के बाद में भादों उतरते से लगाकर और आसोज उतरने तक जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वह तालाब पर सीधी पड़ती हैं कोई न कोई ऐसी वैज्ञानिक चीज है उन किरणों से तालाब के अन्दर चाहे जैसा गंदा हो, चाहे पानी खराब हुआ

(श्री महाराम चौधरी)

हो उस पानी का शुद्धिकरण हो जाता है। उसमें कोई ऐसी शक्ति है। जितने भी आपके शुद्धिकरण के प्लान्ट हैं उन प्लान्टों से भी यह पानी शुद्धिकरण का सबसे बढ़िया प्लांट है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो तालाब हैं इन तालाबों का ट्रेडीशनल सोर्सेज के नाम पर उपयोग होना चाहिए और उन तालाबों को बंधाना चाहिए। उन तालाबों को भी पी. एच. ई. डी. को दिया जाकर उनकी मरम्मत करायी जानी चाहिए जिससे उन तालाबों का पानी पीने योग्य हो जायेगा। आखिर जो ये योजनायें हैं, इन योजनाओं से इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आखिर उसी पुरानी जगह जाकर हम हमारा ठहराव कर सकते हैं। जल स्तर भी इससे ऊंचा होगा। अध्यक्ष महोदय, इन सभी चीजों को निवेदन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों के अन्दर हैंड पम्पों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है उन गांवों में से बिजली गयी हुई है। बिजली गयी हुई है तो मामूली खर्चे से उन गांवों को पानी उपलब्ध हो सकता है। वह खर्चा उतना ही लगेगा जितना खर्चा इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इन हैण्ड पम्पों को ठीक करने में एक दफा में इतना खर्च हुआ, दूसरी दफा में इतना खर्च हुआ यानि उंदड़ी के लारे डाय जो देणो है। फिर कोई परपज सिद्ध नहीं होगा इससे अच्छा है कि इन हैण्ड पम्पों को यहां का यहीं एक तरह से खतम कर दिया जाय और जहां पर बिजली चली गयी है, वहां उन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अब नाम पुकार लिया, विराजो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जलप्रदाय योजना, सड़कों और आबकारी के ऊपर विचार हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने राज्य के अन्दर जो जलप्रदाय योजनाएं चल रही हैं और उससे जो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, वह कितनी मिली, क्या उपलब्धि रही, उसके बारे में जरा आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पानी का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। राजस्थान जैसे विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है जब किसी क्षेत्र में वहां की रहने वाली जनता को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि उस क्षेत्र में एक तो पानी खारा है और दूसरे जो पानी कहीं है तो इतनी कम मात्रा में है कि गांव वालों के लिए या मवेशी के लिए पूरा नहीं पड़ता और तीसरे बहुत दूर से लाना पड़ता है। इसलिए उस परिवार को या उस परिवार के मुख्य सदस्य को केवल पानी लाने के लिए ही अपना पूरा जीवन समाप्त करना पड़ता है। यह स्थिति विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर है। वहां जब यह स्थिति अच्छी हो जाती है,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जब सरकार या कोई विभाग उस क्षेत्र के अन्दर पेयजल की अच्छी उपलब्धि कर देता है तो लोग उसको वरदान समझते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों ने काफी सरकार की, विभाग की प्रशंसा की। अब उन्होंने कोई योजना बनाने के लिए की हो या कोई किसी तरह से चापलूसी की हो, मैं यह तो नहीं समझता कि उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन अपने प्रान्त के अन्दर बहुत बड़ी धनराशि इस प्रोग्राम के ऊपर खर्च हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, धनराशि ज्यादा खर्च होने के कारण 16-17 हजार गांवों को राजस्थान के अन्दर इसका लाभ मिला है, लाभ तो नहीं मिला है लेकिन योजना बनी है 16-17 हजार गांवों की। मैं दूसरे रूप में इसको इसलिए कहूंगा कि केवल योजना बनाने से तो फायया होता नहीं है। लेकिन जब करोड़ों, अरबों रुपये खर्च हुए हैं तो किन्हीं न किन्हीं अधिकारियों को, किन्हीं व्यक्तियों को फायदा ही हुआ होगा। इसलिए मैं भी इस बात की ताईद करता हूं कि ये जो योजनाएं बनी हैं इनके ऊपर जो इतनी बड़ी धनराशि खर्च हुई है इसका फायदा यहां रहने वाले हमारे इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तो कम से कम हुआ ही होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लूणी नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर लूणी का मतलब खारा। पूरे 130 गांव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिनमें केवल एक गांव है कुरा जिसके अन्दर ट्यूब-वेल है और मीठे पानी का स्रोत है, केवल एक गांव है। मेरे खयाल से राजस्थान के अन्दर ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा कि जिसके अन्दर किसी गांव में पानी पीने का जरिया नहीं हो और पानी है तो वह पानी खारा है। केवल एक गांव है जहां पर पांच दस ट्यूब वेल खोद रखे हैं डिपार्टमेंट ने और वहां से कम से कम बीस तीस गांवों को फायदा मिलने की योजना बनाई हुई है। दूसरी योजना जो मेरे क्षेत्र में बनी हुई है वह जवाई कैनाल से बनी हुई है, खेजड़ली के अन्दर या अभी मोडीसूतरा के अन्दर यह प्रोग्राम बनाया हुआ है, पूरी तौर से स्कीम बनाई हुई है। यह स्कीम भी पांच दस साल पहले बनाई हुई थी। यह भी पच्चीस तीस गांवों की योजना है। तो करीब दो तीन चार योजनायें इस प्रोग्राम के अन्तर्गत चल रही है और तीसरी योजना मेरे क्षेत्र के अन्दर पिचाक एक गांव है, जसवन्त सागर डैम बिलाड़ा के पास आया हुआ है जहां पर कम से कम पांच दस ट्यूब वेल बने हुए हैं। एक बसी गांव है वहां पर अथाह पानी है, उस गांव की योजना बनी हुई है। कुल मिला कर मेरे क्षेत्र के अन्दर करीब बिलाड़ा और लूणी के काफी गांवों को, इस तरह सित्तर से अस्सी पर्सेन्ट गांवों को इन योजनाओं के अन्तर्गत जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो हैं नहीं, लेकिन राज्य मंत्री महोदय बिराजमान हैं, मेरा इनसे एक ही निवेदन है कि यह जो योजनायें बनी हुई हैं इनका फायदा गांवों के लोगों को कितना होगा यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर जो योजनायें बनी हुई हैं, हमारे क्षेत्र जोधपुर सम्भाग के चीफ इंजीनियर साहब यहां पधारे हुए हैं, एस. ई. साहब भी यहां पर पधारे हुए हैं। मेरा

(श्री रामसिह विश्नोई)

यह दावा है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जो करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं, एक योजना यह मंत्री महोदय को आकर बता दें जिससे टेल तक पानी प्रतिदिन नहीं तो कम से कम तीन दिन के बाद भी पहुंचता हो । तो एक योजना का भी उनमें से मुझे नाम बता दें जिसको मैं पढ़ रहा हूं । मेरे क्षेत्र में पीचियाक से होरपाड़ा स्कीम बनी हुई है । पीचियाक से हुण गांव होलेपुर स्कीम बनी हुई है । पीचियाक से लाम्बा बाला ओलवी रामासनी स्कीम है । पीचियाक से तिलवासनी सिलारी स्कीम है । रनसी गांव जालखा, बोयल, कापरडा, रणसी गांन से कूकन्डा स्कीम, वासनी से खेडीसालवा स्कीम है । लूणी क्षेत्र के अन्दर डोली से धावा, डोली से फीच, डोली से बड़लियां, काली जाल डोली से जालर देसर, हिगोला चेचडली, राबडिया, धून्धाडा से उतेसर कागनाडा, खेजडली से काकेलाव रूडकली, खेजडली से मोगड़ा, धींगाणा, वाणियावास से खारावेंठा, कूढी से फिटकासनी, ये सब स्कीमें बनी हुई है मेरे क्षेत्र के अन्दर । लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, इन स्कीमों के अन्दर कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनसे पिछले दस वर्षों के अन्दर एक दिन भी गांव के अन्दर टैस्ट के रूप में भी पानी नहीं पहुंचा है । मैं आपको ठीक कहता हूं कि पचास-पचास लाख रुपये उस स्कीम पर खर्च हुए हैं । इससे बड़ा जनता के धन का दुरुपयोग क्या हो सकता है । कितने माननीय सदस्यों को इससे फायदा होता होगा उनके क्षेत्र के अन्दर ? मुझे मालूम है, एक गांव के अन्दर भी, यह मैंने आपको जो बता ये हैं, पानी नहीं पहुंचा है । आज करीब 130 गांव हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर जहां पर कोई आठ दस साल पहले स्कीम बनी हुई थी । मैंने पिछले सात आठ वर्षों में पचासों पत्र लिखे हैं कि यहां पर पानी नहीं पहुंचता है, स्कीम डिफेक्टिव है, बांडूनला में पानी रुक जाता है, आगे, जब वह फीच गांव है, करीब चार हजार की आबादी का गाव है तालाब के अलावा एक भी कुआं उस रेवेन्यू विलेज में नहीं है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आठ साल से लगातार कोशिश करने के बाद भी आज दिन तक मुझे बता दें फागुण से बरसात होने तक । वहां पर तालाब है इसलिए पानी की फागुण तक जरूरत होती नहीं है, लेकिन फागुण के बाद मे अगर कोई चीफ इंजीनियर, कोई एस. ई., कोई मंत्री महोदय मुझे बता दें वहां पर एक दिन तो जाने दें, दो-चार घण्टे भी पानी पहुंचाया हो तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा । यह स्थिति है हमारे एक-एक स्कीम की । यही हाल है हमारे बड़लिया स्कीम का । यही की यही स्थिति हमारे कुडी से फिटकः तक है । वहां पर जावली खोजर स्कीम और कांकणी मोगर कलां, धींगांणा, मेरे है खयाल से आठ-आठ साल हो गए एक दिन भी इस प्रोग्राम के अन्तर्गत पानी नहीं पहुंचा है । तो जिन योजनाओं के ऊपर पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये खर्च हुए हों, जिनके लिए इन्होंने भारत सरकार से एक इनाम लेने की उपलब्धि प्राप्त की है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव शामिल लिखने से इनको ईनाम मिलते हैं । मैं तो खुद काफी खुशनसीब हूं कि हमारे को फायदा नहीं हुआ; मेरे क्षेत्र की जनता को फायदा भले हीं मत हो लेकिन इन बेचारों को तो पैसे मिलते ही हैं । फिर कोई स्कीम बना कर कवर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

करेंगे। इसलिए मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हू कि इन्होंने भारत सरकार का न मालूम कैसे मानस बना कर के उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो यह स्थिति हमारे क्षेत्र के अन्दर है कम से कम इस बात पर धन्यवाद देता हूं मेरे विभाग को और राज्य सरकार को कि मेरे क्षेत्र के अन्दर करीब 80 पर्सेन्ट गांवों को इस स्कीम के अन्तर्गत कवर किया गया है लेकिन पांच पर्सेन्ट भी गांवों को, गांवों की जनता को फायदा नहीं हो रहा है। फायदा कोई एक दिन या दो दिन का नहीं हुआ हो तो अलग बात है लेकिन मैं लगातार 15 सालों से तो वहां का विधायक हूं, आपको मालूम है कि वहां से चुन कर आ रहा हूं और 12 साल से मैं रेगुलर लिख रहा हूं लेकिन मुझे मालूम है कि इन अधिकारियों के कण्ट्रोल में न तो वहां की लेबर है, लाइनमैन इनको धारते नहीं हैं, इनके जे.ई एन, इनका ए.ई एन, कभी मौके पर जाते नहीं हैं। एक्स.ई. एन. का कभी मौके पर जाने का प्रश्न नहीं होता, बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। एक्स. ई. एन. के बाद में एस. ई. और. चीफ इंजीनियर साहब के जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। गांवों में जब तक नहीं जाते हैं, अपनी आंखों से लोगों के मटके और घड़े, जो खाली पड़े हुए हैं जो इनको रोते है, इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और हमारे को कोसते हैं, उनका दारुण दृश्य देखें तब जा करके इनको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में यह आपकी उपलब्धि है या आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है यहां की जनता के साथ में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की सरकार या यहां के अधिकारी लोग जो कागजों के अन्दर हमारे यहां की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटते हैं, इन आदमियों को क्या हक है कि गांवों की जनता का मखौल बना करके लोगों को बेवकूफ बनायें। हम दस दस साल से वहां से चुने हुए आदमी, वहां का सरपंच, वहां का प्रधान, वहां के विधायक बार-बार यह मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा और टेल के गांवों में तो पानी पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। केवल एक गांव से पानी पहुंचता है वहां से स्कीम निकलती है और दस-दस गांवों को हमारी स्कीम के साथ में जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति क्षेत्र में हो और यहां पर खड़े होकर हम चमचागिरी करें, यहां पर मैं खुशामद करूं, इसकी उपलब्धि बताऊं, मेरे बस की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे बस की बात है नहीं और जिन माननीय सदस्यों के यहां पर पानी नहीं पहुंचता है चाहे बिजली की वजह से, चाहे लेबर इनके कण्ट्रोल में नहीं हो या किन्हीं कारणों से लेकिन फिर भी चूंकि पार्टी के आदमी हैं इसलिये हमारा पक्ष करना चाहिये। हम इस पक्ष के नहीं है। हमारी विचारधारा इस तरह की है नहीं। बहुत बड़ा गुनाह करते हैं माननीय सदस्य जब इस प्रकार उनकी पीड़ा है, उनके क्षेत्र के अन्दर, नागौर के अन्दर पानी टेढ़ा हो जाता है, हमारे जोधपुर के अन्दर खारा पानी है। हम कहते हैं कि भाई हैंड पम्प से फायदा नहीं हुआ लेकिन जोधपुर का बता देते हैं कि यहां पर फायदा हुआ है। यह कैसी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बात है। यह विडम्बना की वात है। इस तरह की वात कह करके आप गड़वड़ियां करते हैं। ये जो अधिकारी लोग हैं यहां पर इन लोगों ने स्कीम बना दी दस-दस साल पहले स्कीम वना कर इन्होंने अपना पर्पज सर्व कर लिया। वहां पाइप लाइन डाल दी, उनके क्वाटर्स वना दिये, इन्होंने हौज वना दिये, इन्होंने टंकियां बना दीं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं पहुंचा उससे पहले ही बना दीं। मरने से पहले ही वाम खोद दी। कितने ताज्जुब की बात है। पानी इनके आता नहीं, ट्यूब वेल खोदा नहीं, पानी का अता-पता नहीं, पांच-पांच साल तक आपको मालूम है आप खुद ओर ओर गांवों में जाते हैं लेकिन डांगावास आप गये होंगे, वहां पर इनके क्वार्टर बने हुए हैं जे, ई एन. या लाइन मैन के, न पानी आने का प्रश्न ही नहीं। दस साल पहले स्कीम बनी थी। उस क्वार्टर में से किवाड दरवाजे निकाल कर ले गये। जब देखा कि कोई कहने वाला तो है नहीं तो वहां से पट्टियां ही उतार कर ले गये। फिर भी इन लोगों को मालूम नहीं पड़ा। वहां पर जो पाइप हैं वह निकाल दिये, इनके छोटे-छोटे हौद बने हुये थे वह निकाल दिये, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिये क्या हो सकती है। और हम भारत सरकार से भी इनाम प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बहुत ताज्जुब है, हो सकता है कि मेरे क्षेत्र में नहीं हो बाकी जगह सबको फायदा हुआ होगा, इसलिये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह की उपलब्धि है तो। बाकी क्षेत्र के माननीय सदस्यों के यहां है तो मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और सरकार भी प्रशंसा योग्य है कि उनको फायदा है। लेकिन मेरे एरिया के अन्दर बार-बार लिखने के बाद, बार-बार कार्यवाही करने के वाद भी जो अधिकारी लोग, चीफ इंजीनियर वगैरह वहां वैठे हैं। उनसे एक रत्ती. भर भी फायदा नहीं हुआ। इनका लेबर, इनका लाइनमैन इनको धारता नही। मैं लंबे समय से मांग करता आ रहा हूं कि बिजली की वजह से भी आपके विभाग की बहुत बदनामी होती है। 5-6 घंटे किसानों को जो बिजली देते हैं उससे भी बहुत नुकसान होता है। ट्यूबवैल के चलाने के लिये तो कम से कम सेपरेट लाइन कर दीजिये। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन उसके वाद भी उनको विजली नहीं। पानी नहीं आता है। तो उनको तो मालूम है कि अपना कुछ होना तो है नहीं। जब बिजली नहीं आयेगी या पानी नहीं आयेगा तो गांव वालों को कह देंगे कि साहब विजली तो है नहीं। हमारा तो आदमी तैयार है. ट्यूबवैल तैयार है। जब पानी नहीं आयेगा तो कह देंगे कि बिजली आई नहीं बिजली के लिये पूछते हैं तो कह देंगे यहां तो थी, कहां बन्द हो गई। इस तरह से गांव की जनता के साथ जो ये लोग धोखा करते हैं, फ्राड करते हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में पहले तालाव थे, बावड़ियां थीं, कुएं थे, कई जगह टांके बने हुए थे, प्याऊ थीं उनको जब मालूम हुआ कि सरकार ने स्कीम बनाई हैं, लाखों करोड़ों खर्च किये हैं तो हो सकता है कि हमारे को पानी का फायदा मिलेगा तो उन्होंने जो जो कुएं थे, बावड़ियां थीं, टांके थे उन सबको काम में लेना बन्द कर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक तो स्कीम के फायदे से महरूम रह गये और दूसरा नुकसान यह हुआ कि गांव में पानी पहुंचता नहीं है। अकाल पड़ता है तो जहां पर स्कीम बनी हुई है वहां पर न तो टैंकर लगता है, न पानी की व्यवस्था सरकार करती है क्योंकि वहां पर स्कीम बनी हुई है। पानी नहीं जाता है यह तो उनको मालूम है नहीं। अगर पानी नहीं जाता है और कहते हैं तो कह देंगे कि तुमने स्कीम क्यों बनाई ? अगर कह दें कि पानी जाता है तो हम लोग मरते हैं जो वहां पर बैठे हैं। क्योंकि पानी वहां जाता तो है नहीं। यह स्थिति है गांवों की। सही स्थिति मेरे क्षेत्र की तो यह है। बाकी इन लोगों ने कितनी बड़ी उपलब्धि की है, भगवान इनको अशोक चक्र दिलावे या और कुछ दे मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं।

एक, अध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है, मंत्री महोदय हैं नहीं, शायद चाय पीने गये हों, मेरे यहां एक खेजड़ली गांव है जहां आपको मालूम है 7-8 वर्ष पहले एक ओवर हैड टैंक बना था। वह कोई गांव के ठेकेदार ने बनाया होता तो भी मैं समझता कि बेचारे को ज्ञान नहीं होगा या नक्शा उसकी समझ में नहीं आया होगा। वह मेरे क्षेत्र में ही नहीं बनाया था बल्कि राजस्थान में 5-6 जगह नये ओवर हैड टैंक बनाये थे बड़े ताज्जुब की बात है कि छहों जगह पर ही सबका उसने कल्याण कर दिया। हालांकि जहां पर भी बनाया, मेरे खयाल से टैस्ट किये होंगे लेकिन टैस्ट के साथ ही ध्वस्त हो गये।

श्री अध्यक्ष : वह चिलम बनाई होगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : जी हां, चिलम बना दी। वह खेजड़ली में ही नहीं राजस्थान में 6 जगह बनाये और 6 जगह ही ध्वस्त हो गये। बेचारा इंजीनियर भी कहीं आराम कर रहा होगा और इन लोगों ने भी आराम किया होगा। क्योंकि इन्जीनियर इनका था इसलिये उसकी पैरवी तो इनको करनी थी। इनको आयोग विठाने की जरूरत थी नहीं, न कोई शिकायत करने की ज़रूरत थी। डिपार्टमेंट ने खुद ही जैसे हैण्ड पम्प में जांच कर दी, जांच खुद ही करते हैं इसलिये जांच करके रफादफा कर दिया होगा। वह तो समय आयेगा तब बात होगी। लेकिन 7-8 साल के बाद में पैसा खा गये। वह खराब हो गया। ठेकेदार ने काम किया या किसी ने किया लेकिन वहां की जनता ने क्या बिगाड़ा था ? जितने गांव की, 50 गांवों की स्कीम बनाई हुई है ओवर हैड टैंक नहीं बनने से गांव के लोग बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। 7-8 साल पहले जब वह खराब हो गया तो अक्लमंदी की बात तो यही होती कि दूसरे साल और बना देते चोरी छिपाने के लिये, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत रखी और करम फूटे गांव के लोगों के। किसी को भी पानी का फायदा नहीं मिला। वहां पर 8 साल से गांव के अन्दर ओवर हैड टैंक नहीं बना पाये हैं और 30 गांव अभी तक रो रहे हैं पी. एच. ई. डी. के अधिकारियों को।

अध्यक्ष महोदय, यूं तो मैंने काफी कह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिया इसलिये नहीं चाहता कि ज्यादा कहूं। कहने में कोई सार नहीं है क्योंकि 10 साल में कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि मेरे बोलने से अब कोई सुधार हो जायेगा। लेकिन चूंकि सब लोग बोल रहे हैं और मैं नहीं बोलूंगा तो कहेंगे कि बोलता नहीं, इसलिये मैंने बोलने की धृष्टता की थी। अब, अध्यक्ष महोदय, अगर भगवान् इनको सदबुद्धि दे और इनकी अक्ल में आ जाता है तो जो भी मेरे दिमाग में है वह सुझाव इनको देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो यह है कि सैपरेट लाइन के लिये मैंने निवेदन किया है। मेरे ख्याल से इन्होंने बनाई भी हैं। जहां-जहां ट्यूबवैल बने हुए हैं वहां सैपरेट लाइन पी. एच. ई. डी. खींच करके अलग से बिजली का कंट्रोल नहीं करेगी तब तक गांव की जो ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनी हुई है उसका फायदा गांव की जनता को नही होगा। एक गांव ट्यूबवैल के पास आया हुआ है वहां तो 2-2, 3-3 घन्टे चलने से पानी आ जायेगा लेकिन जो गांव 25-30 कि. मी. दूरी पर हैं, आखिरी जो गांव हैं, वहां पानी नहीं पहुंच सकेगा। इसलिये सैपरेट विद्युत की लाइन होनी चाहिये। इसके लिये इनको चाहे कितना ही खर्चा करना पड़े, दूसरी जगह खर्चा कम करके सैपरेट विद्युत की लाइन का प्रपोजल बनायें और यहां पर घोषणा करें कि गांवों में जितने भी ट्यूबवैल हैं जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सैपरेट करके आइन्दा जो पानी की दिक्कत है उसको दूर करेंगे। एक तो मेरा यह पाइन्ट है।

दूसरा मेरा पाइन्ट है कि इनके लाइनमैन होते हैं वे जे. ई. एन. के नीचे होते हैं। वे लाइनमैन गांव के अन्दर रहते ही नहीं हैं। और रहते इसलिये नहीं हैं कि गांव में पानी जाता नहीं है इसलिये गांव के लोग उनको पीटते हैं कि पानी तो है नहीं इसलिये तू यहां क्या करता है। पानी महीने - महीने, किसी गांव में नहीं जाता है तो बेचारा डर के मारे भाग जाता है। पानी इसलिये नहीं आता है कि कभी बिजली नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी चलाता नहीं है। इसलिये एक तो ट्यूबवैल को 24 घन्टे बिजली मिलनी चाहिये। एक तो यह व्यवस्था होनी चाहिये। इसके बाद, बिजली दिलाने के बाद ट्यूबवैल 24 घन्टे चले तो जितने गांव हैं जहां-जहां योजना बनी हुई है प्रत्येक गांव में लाइनमैन उपस्थित रहना चाहिये। उपस्थित रहने का सबूत क्या है? वह महीने में 20 दिन तो अपने ससुराल में, अपने मायके में, अपने घर पर, अपने बाल-बच्चे, मौसी की देखरेख करता है और तनख्वाह लेनी होती है तो जो 5-6 सौ उसको मिलते हैं वह उठा कर ले जाता है लेकिन पानी कितने दिन पहुंचा इससे उसका कोई मतलब नहीं। इसलिये मेरा एक सुझाव है, हालांकि यह करेंगे नहीं, क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है, फिर भी मैं आपको सुझाव इसलिये देता हूं, मंत्री महोदय को सुझाव इसलिये देता हूं कि यह आप लाजिमी कर दें ताकि इनकी पोल खुल सके कि गांव में पानी जाता नहीं है, पानी जाये तो ये वहां के मुख्य अध्यापक या वार्ड पंच या सरपंच के साइन करायेंगे डेली डायरी के ऊपर कि अमुक दिन यहां

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पर पानी आया है। यह अगर करा देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान में जो योजनाएं बनी हुई हैं, आपको मालूम हो जायेगा कि 80 प्र. श. योजनाएं मृत प्राय: हैं या वहां पानी आज जाता नहीं है। इससे इनकी पोल-पट्टी पूरी खुल सकती है। लेकिन यह करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, जोधपुर में इसका एक्सपेरीमेंट किया था तो यह सब यूनियन वाले भेले होकर गये एक्स. ई. एन. के पास और कहा कि ये सरपंच साहब हमारे से गाय-भैंसें बंधवाते हैं, हमारे से घर के काम कराते हैं। और तो उनके पास कोई दूसरा चारा था नहीं, उन्होंने यह एक उदाहरण दिया, एक यह बहाना बनाया कि हमारे से दूसरे घर के काम कराते हैं। इसलिये अगर घर के काम ही करना हो तो हमसे डेली डायरी भरवा लें। तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बुरी बात है यह कैसे हो सकता है इसलिये वापस तुमको बरी किया जाता है, अब तुम्हें कोई डेली डायरी भरने की जरूरत नहीं है। पानी नहीं आता तो करम-फूटे गांव की जनता के, इनकी तनख्वाह में तो कोई काल पड़ता नहीं, इनके कोई डाका पड़ता नहीं, इनके कोई गड़बड़ होती नहीं हैं। इसलिये इनके तो इससे बड़ी मौज है नहीं। जितनी बड़ी योजनाएं बनी हुई हैं, इनके खुद के लेबर लग रहे हैं जो इनके घर पर काम करो चाहे और कहीं पर काम करो इन लोगों को कोई नुकसान नहीं है। इसलिये यह मेरा सुझाव है। दूसरा जो बड़ी स्कीमें बनी हुई हैं उन स्कीमों से जो छोटे-छोटे हौज गांव के अन्दर है, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, टंक हैं, कोठे और खेलियां बनी हुई हैं, सब जगह पर उनको कनेक्ट करना चाहिये। यह बात हम 10 साल से विधान सभा में कह रहे हैं लेकिन आज तक उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है ? क्योंकि इनको मालूम है कि कहीं जनता को फायदा नहीं हो जाय और जनता को फायदा मिल गया तो हमारे को गड़बड़ न हो जाय। मेरे खयाल से जनता को पीड़ा देने में इनको कितना आनन्द आता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 10 साल से लगातार यहां के माननीय सदस्यगण यह चिल्लाते आ रहे हैं कि पुराने जो प्राचीन समय से बने हुए कुएं हैं, बावड़ियां हैं, टांके हैं, कोठे हैं, खेलियां हैं उनको आप कनेक्ट कर दो लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इसलिये आप, मंत्री महोदय, इनकी मीटिंग ले करके इनको लताड़ दें, आइन्दा के लिये प्रोग्राम बनायें कि एक महीने में राजस्थान में जितने भी पुराने सोर्सेज हैं उन सबको आप कनेक्ट कर देंगे। इसके लिये इन लोगों को आप बाध्य करें। इन लोगों जे.ई.एन., एक्स. ई.एन. और चीफ इन्जीनियर तक को गांवों में जाने के लिये आप निर्देश दें। ये लोग शहरों में क्या करते हैं ? जे. ई. एन. से लगाकर चीफ इन्जीनियर तक जयपुर में, जोधपुर में और बड़े-बड़े शहरों में बैठे रहते हैं। चीफ इन्जीनियर तक की ड्यूटी होनी चाहिये महीने में कम से कम दो बार किसी योजना पर जाकर खुद अपनी आंखों से देखें कि वास्तव में पानी पहुंचता है या नहीं। टेल के गांवों में जाकर देखें कि पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। लेकिन हमारे चीफ इन्जीनियर या एस. ई. साहब बहुत बड़े

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आदमी है। कोई गांव में जाने के काबिल तो है नहीं, जहां गर्मी पड़ती हो, लू चलती हो। गांवों में जावें तो पानी आवे नहीं। तो लोग अलग मारें गांवों में जावे तो? इसलिये डर से नहीं जाते हैं वह ठीक बात है लेकिन ये व्यवस्था करके जावे ताकि गांवों मे लोग इनकी इज्जत करें, लोग माला डालें इनके गले में, लोग इनका अभिनन्दन करें। इस तरह का प्रोग्राम बना कर इनको गांवों में जाना चाहिये।

काफी बातें मैंने कह दीं इसलिये ज्यादा कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं पी. डब्ल्यू. डी. के सम्बन्ध में अब कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. का जहां तक मामला है, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मन्त्री महोदय को और विभाग को कि इन्होंने पूरे राजस्थान के विकास की दृष्टि से जो 40–50 किलोमीटर सड़क हर जगह देने का प्रोग्राम बनाया है उससे सब लोगों को फायदा होगा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे किसी तरह का हो, सब जगह समान रूप से विकास हो सकेगा। इसलिये इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है उसके लिये मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक सब से बड़ी कमजोरी इस विभाग के अन्दर है। यह जो गैंग है, यह आपके बस की बात नहीं है।

(व्यवधान)

हम तो इसलिये कह देते हैं कि हमारे को जो कहना चाहिये वह नहीं कहें तो आपको मालूम नहीं चलता है। आप इसमें जोर लगाओ, आपकी जितनी ताकत है। यह जो 25–30 हजार की गैंग है, ये परखाऊ आदमी हैं। परखाऊ उसे कहते हैं जो कमाता नहीं है, बैठे-बैठे तनख्वाह ले लेता है। ये आपके बजट का एक तिहाई ले लेते हैं। मान लो 6 करोड़ का बजट है तो दो करोड़ रुपया तो ये सड़क के किनारे पर, किसी खेजड़ी की छाया में, किसी नीम के नीचे या अपने घर बैठे बैठे ले लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : 15 करोड़।

श्री रामसिंह विश्नोई : कितने ही करोड़ रुपये हों। इसलिये इनका तो आप कल्याण कर दें, तभी जाकर आपकी सड़कें बन पायेंगी। दूसरा, मेरा एक और निवेदन था। कुछ अपने क्षेत्र के अन्दर जैसे जयपुर दिल्ली, जयपुर–अजमेर रोड है। ये तो बड़ी लम्बी चौड़ी रोड्स हैं इनके बारे में मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां सिंगल रोड बनी हुई है 12 फीट की, वहां के ट्रैफिक को देखते हुए, राजस्थान की आबादी और गाड़ियों की संख्या को देखते हुए सड़क कम पड़ती है। लेकिन डबल करने की स्थिति में आप हैं नहीं, न विभाग के पास पैसा है। तो मेरा एक सुझाव है कि जो 3–3 फीट की पटरी है उसके नीचे आप पक्की कर दें, चाहे डामर नहीं करें, कंकरीट डालकर रोलर घुमा दें तो 12 फीट और 3–3 फीट, इस तरह 18 फीट की होने से काफी रिलीफ मिलेगी। जो एक्सीडेण्ट आज आपने बताये थे, करीब 5,000 आदमी जो मरे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं राजस्थान के अन्दर, वह संख्या भी आपकी कम हो जायेगी । इसलिये मेरा आपको सुझाव है कि आपको 12 फीट की जगह करीब 18 फीट की सड़क करनी चाहिये । यही बातें कहते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा ।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल और सड़क की मांगों पर अनेक मैम्बरों के विचार सदन में रखे गये हैं । यह जो पेयजल योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, वह पता नहीं किस प्रकार से सरकार बनाती है । कई जगह हमने देखा है पीने के लिये पानी का कुआं है, पानी मीठा है वहीं पास में इन्होंने हैण्ड पम्प लगा दिया और जो लोग तकलीफ में हैं, जिन लोगों को दूर से पानी लाकर, कीड़ों का पानी पीना पड़ता है वहां सरकार की कोई नजर नहीं गई है । इस प्रकार मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में यही स्थिति होगी । आज यह हैण्ड पम्पों की व्यवस्था को देखकर के प्रत्येक नागरिक लालायित है । वे जन प्रतिनिधि हो, या सरपंच हो, प्रधान हो या विधायक हो, उनसे पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि फलां गांव में हैण्ड पम्प लग गया चाहे वह पम्प खराब ही पड़ा हो, लेकिन बराबर गांवों में होड़ लगी हुई है । इस विषय पर अच्छी तरह से योजनाबद्ध ठोस कार्य कर, प्लान बना कर सभी लोगों को पेयजल पहुंचाने की कोई ठोस योजना सरकार नहीं बना पायी है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हैण्ड पम्पों को लगाने से गांवों में छुआछूत को और ज्यादा बढ़ावा मिला है । क्योंकि अगर किसी छोटे गांव में एक हैण्ड पम्प लगा दिया तो उसमें सवर्ण जाति वाले पानी ले लेते हैं और बेचारे हरिजन लोग, जिनको खास पीने के पानी की जरूरत थी, वे लोग उससे वंचित रह जाते हैं । वह मारे डर के, जरा सी गांव वालों द्वारा धमकी देने पर, "तुम इससे पानी नहीं पी सकते हो सरकार कांग्रेस की है

(7.44 रात्रि)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पीठासीन)

है तुम कांग्रेस के वफादार हो, तुम दूसरा हैण्डपम्प लगवा लो, उस हैण्ड पम्प से पानी नहीं पी सकते हैं, इस प्रकार की गांवो में स्थिति पैदा हो रही है । हमारे सामने कई जगह इस प्रकार की बातें सामने आई हैं, इस विषय में कई शिकायतें भी आई हैं । तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि हैण्ड पम्प लगाते समय इस बात का विचार किया जाय कि उस गांव में कौनसा उपयुक्त स्थान है, उनको लगाने से सभी लोगों को फायदा होगा । अगर सवर्ण कास्ट के किसी आदमी के पास कुआं है, वहां हरिजनों के नजदीक हैंण्डपम्प लगने से उनको एतराज है तो वह अपने कुएं से पानी लेकर पी सकता है लेकिन हरिजनों की इतनी हैसियत नहीं है कि वह कुआं बनाकर अलग से अपना

((श्रीराम कंवार बैरवा)

स्वयं का इन्तजाम कर ले। वह सरकार के भरोसे पर बैठा है। उनको इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम रेनवाल माचीका में टंकी बने करीब डेढ़ साल हो गया लेकिन अभी तक जो कुआं बना कर ट्यूब वैल जहां लगाना है उसकी सरकार ने कोई जगह भी तय नहीं की है और उसकी शुरूआत भी नहीं की है। टंकी बहुत ऊंची और लम्बी चौड़ी बन कर तैयार हो गई है, अब सरकार पता नहीं किस प्रकार सो रही है। इसी प्रकार से माधोराजपुरा में व्यवस्था है, काफी दिनों से टंकी की योजना बनाकर सरकार चुपचाप बैठी है। वहां लोग बहुत लालायित है। न तो वहां हैण्ड पम्प लगा है और न कोई टंकी की योजना है। इस प्रकार की दोषपूर्ण व्यवस्था चल रही है। इसलिये मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से इस बात की जांच पड़ताल करें और गांवों में सरपंच हों, वहां का कोई मुखिया हो, उनसे सलाह लें। अभी मेरे से पूर्व वक्ता विश्नोई जी ने बताया था कि गांव वालों से जब तक वे सम्पर्क नहीं करेंगे तब तक इनको सही सुझाव नहीं मिल सकते हैं। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हमको भी विशेषकर प्रत्येक गांव की स्थिति का कोई पता नहीं रहता है। जो गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं उनको सारी बातों का ज्ञान है कि इस गांव में किस प्रकार से पेयजल की समस्या हल हो सकती है। इस प्रकार से उनसे सलाह मशविरा करके इस योजना को बढ़ाना चाहिये। दूसरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चित्तौड़ा गांव में जलदाय विभाग की एक योजना बनी थी। वहां टंकी बन कर तैयार हो गई है और उससे आठ दस गांवों को पानी देने की बात थी, लेकिन उसमें पहले तो बिजली का बहाना बनाते रहे। पिछले एक साल से बिजली भी चली गई लेकिन उन गांवों में कोई लाइन बिछाने या पानी की व्यवस्था करने का कोई काम सरकार शुरू नहीं कर रही है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपने जिस उद्देश्य से इस टंकी को बनाया था और जिन-जिन गांवों को पानी देने की योजना बनायी थी उनमें पानी देकर वहां के लोगों की प्यास बुझायी जाय ताकि उन लोगों को यह अहसास हो कि सरकार जो वायदा करती है उस काम को वह पूरा भी करती है।

इसके साथ ही साथ मैं सड़कों के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी सरकार द्वारा सड़कें बनायी जाती हैं, सड़क बनाते समय अगर कोई किसान जो लट्ठधारी हो, लट्ठ लेकर खड़ा हो जाता है तो वह सड़क अधूरी रह जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चन्दलाई तीतरिया सड़क गई है, बीच में चार फर्लांग सड़क कच्ची पड़ी हुई है। इसी प्रकार से चित्तौड़ा से पीपला जाने वाली सड़क 5–6 फर्लांग कच्ची पड़ी हुई है क्योंकि बीच में कुछ किसान लोग सड़क को निकालने नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद ठेकेदार ने पूरा पेमेंट उठा लिया होगा। यह मुझे पूरा मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे

(श्री राम कंवार बैरवा)

रही है। बरसात के अन्दर सड़कों पर आवागमन बिलकुल अवरुद्ध हो जाता है और वहां के नागरिकों को चार महीने तक उससे वंचित रहना पड़ता है। बीच में पानी भरने से वहां आवागमन बिलकुल रुकने से वहां के नागरिकों को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के जितने भी अधूरे कार्य है सड़कों के उनका पता लगा कर उनको पूरा किया जाना चाहिये ताकि सड़क का अधूरापन दूर हो सके और वहां के नागरिकों को पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार से सड़कें जो हैं। मैंने आज एक प्रश्न पूछा था, पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के लिए। सरकार द्वारा जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उस मास्टर प्लान में पंचायत हैड क्वार्टर को जोड़ने की बात मैंने आज पूछी थी, लेकिन यह अच्छा हुआ मैं गांव से लेट आया और इन मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसी में मैं अपनी बात कहूंगा मास्टर प्लान के मामले में। जब मास्टर प्लान बनाया गया तो वह अधिकारियों के द्वारा बनाया गया। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भी गांव के लोग हो चाहे वह कस्बा हो या तहसील हैड क्वार्टर हो उनका आना जाना रहता है, लेकिन वह सड़क दूसरी तरफ जोड़ी गयी है जिसमें दिन भर में 10 लोग भी वहां से नहीं जाते हैं। इस प्रकार का मास्टर प्लान बना है। वहां के लोगों ने उस मास्टर प्लान में संशोधन दिया। उस संशोधन पर सरकार ने जिलाधीश वगैरह से राय मांगी है लेकिन इन संशोधनों को मन्जूर नहीं किया। जो सरकार ने मास्टर प्लान बना दिया, वो ही एक थोथी मशीन हो जाती है। ऐसी सड़क बनाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बात को देखे, उस पंचायत हैड क्वार्टर तक गांव के लोगों को दैनिक वस्तुएं लाने के लिए और इधर-उधर आना जाना पड़ता है, इस बात को विशेष रूप से देखा जाय और उसी सड़क से उस गांव को जोड़ा जाय।

इसी के साथ-साथ यह पुलिया के मामले में कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चाकसू से कोटकावदा रोड है जहां ढूंढ नदी बीच में पड़ती है, बहुत बड़ी नदी है, जहां 1981 में काफी लोगों की मृत्यु हुई, पूरा का पूरा गांव बहकर चला गया। उस जगह पर ढूंढ नदी के कारण करीब 5-6 महीने आवागमन बिल्कुल बन्द रहता है। पुलिया न होने की वजह से। वह नदी थोड़ी बहुत हमेशा बारह मास बहती रहती है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ढूंढ नदी पर पुल जरूर बनाया जाये। अब इस पुल का बनना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि कानोता योजना में एक बहुत बड़ा बांध बनाना गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। जब यह बांध बनेगा तो उस बांध बनाने से पानी हमेशा नदी में चलता रहेगा, अभी भी जो चल है उससे अधिक मात्रा में। इसलिए मैं सरकार से मांग करता है कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राम कंवार बैरवा : एक दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री राम कंवार बैरवा : ढूंढ नदी पर पुल बन जाने से वहां के लोग आ जा सकेंगे। चाकसू तहसील के सारे हिस्से और तहसील हैड क्वार्टर पर आने के लिए पंचायत समिति है, वहां थाना है, बैंक है यानी प्रत्येक नागरिक को रोजाना आना जाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ढूंढ नदी पर सांढेल खुर्द के पास में कोटखावदा रोड पर पुल बनाया जाये।

इसी प्रकार से चाकूस से फागी, दूदू तक जो सड़क है उसमें डाबिच के पास में बांडी नदी पर पुलिया नहीं है। बांडी नदी क्या है, उसमें 4–5 महीने तक लोग बिल्कुल पैदल चलते हैं। इधर की बसें इधर खड़ी रहती है बीच में एक किलोमीटर पैदल चल कर बस पकड़नी पड़ती है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसी प्रकार से पुरानी सड़कें हैं उनकी बहुत हालत खराब है। डिग्गी मालुपरा रोड पर आप कभी भी पधारेंगे तो आपका दो गुणा टाइम खर्च हो जायेगा, बीच में बड़े-बड़े खड्डे हैं और उन खड्डों को बचाने में ड्राइवर को बहुत कठिनाई होती है। इसी प्रकार मे जहां पर भी सड़क का वर्क चल रहा है इसमें मैंने एक बात देखी है कि सड़कों पर वहां मैटीरियल ज्यादा डाल देते हैं और थोड़ा बहुत पुरानी सडक को रिपेयर करने के बाद वहां से उठा कर फिर आगे ले जाते हैं। इस प्रकार की आपकी व्यवस्था चल रही है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप इस सारी व्यवस्था को गहराई से दिखलायें, देख-रेख करें। आगे के लिए मास्टर प्लान में आपने इस वर्ष जो रखी हैं, मैंने तो पहले ही एक बात बोली थी कि आप और खर्चों में कटौती कीजिये लेकिन सड़कों के मामले में आप कन्जूसी मत कीजिये क्योंकि सड़कों से एक तो गांवों के विकास का मार्ग खुलता है और दूसरा गांव के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। तो मेरा यह निवेदन है कि इन सड़कों के मामले में जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करें। एक पहाड़िया से लाखणा जो सड़क जाती थी उसको बन्द कर दिया है। तो मैं अब मांग करता हूं कि पहाड़िया से लाखणा गांव है, पहाड़िया गांव में भी सड़क है, लाखणा गांव में भी सड़क है तो पहाड़िया से लाखणा वाया बावड़ी वासड़ी तक केवल 6 किलोमीटर जोड़ दी जावे ताकि लोग सीधे आ जा सकें। यही मेरा निवेदन है, यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडाराय सिंह) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार को कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, अरबों रुपयों की धनराशि राज्य सरकार ने खर्च की लेकिन पेयजल की घोर समस्या राजस्थान प्रदेश में अभी भी समाप्त होने का आधार दिखता नहीं, यह दुःख की बात है। जब तक इन लोगों की समस्या, पेयजल की समस्या दूर नहीं होगी तब तक यह भी

(श्री चतुर्भुज)

एक कठिनाई की बात है। जहां अरबों रुपये खर्च करे और पेयजल की समस्या दूर नहीं हो तो कोई न कोई कारण है। राज्य सरकार से, आपकी मार्फत अधिकारीगणों से यह निवेदन करना है कि मूल समस्या दूर करने के लिये कोई न कोई योजना बनायी जाय। पेयजल की समस्या दूर नहीं होती है, हर साल बढ़ती जाती है और इस पर दुगुना धन खर्च होता है, यह समझ में नहीं आता। आबादी बढ़ती जा रही है इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को, मूल समस्या को दूर करने का आधार बनाया जाना चाहिए। अभी दो-तीन साल से हैण्ड पम्प की योजना चली है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प केवल टेम्प्रेरी है, कोई मूल समस्या दूर करने वाली योजना नहीं है। हैण्ड पम्प से तो टेम्प्रेरी समस्या दूर हो सकती है, मूल समस्या दूर हो, ऐसी बात नहीं है। मूल समस्या दूर हो, इसलिये मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमको दुःख के साथ कहना पड़ता है, जैसा हमारे रामसिंह जी लूनी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं भी वही बात दोहराना चाहूंगा। आज के 13 साल पहले से अजमेर को पानी दे रहा है मेरा क्षेत्र, उनको पानी दे रहा है। मैं राज्य सरकार को कहना चाहूंगा कि 13 पिछले साल से मैं हर विधान सभा सत्र में, कट मोशन से, प्रस्ताव से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से राज्य सरकार से, अधिकारियों से निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन जहां जिस स्थान से पानी आ रहा है, जो स्थान पानी दे रहा है अजमेर को, उस स्थान की जनता के कुएं फूंक दिये, उनकी फसल जल गयी, पानी नहीं है, मनुष्य के लिए पानी नहीं है इन 8–10 पंचायतों में, अब तो नगरपालिका वालों को भी संकट पैदा हो गया। इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कम से कम जनता को तो मत मारो, उनके साथ न्याय तो करो। शहरों में पानी दे रहे हैं, गांवों में पानी नहीं दे रहे हैं क्या कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

यह कौन से न्याय की बात है? जो बाहर जाते हैं तो आपकी सरकार है, गांव में जाते हैं तो आपकी और हमारी सरकार है, सरकार ही हमारी है तो आप को सही कहूं कि शहरों में आपको वोट कौन देता है। लेकिन आप शहरों में कितना धन देते हैं। फिर कहूं यह न्याय की बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर वोट ही क्यों देते हो।

एक माननीय सदस्य : यह तो घर की लड़ाई है।

श्री चतुर्भुज : इस समस्या के लिये आपके माध्य से सरकार को कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं। अब वह जनता नहीं रही, पुराने जमाने वाली जनता नहीं रही है। अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, जनता न्याय चाहती है। जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो अब वह जनता पुराने

(श्री चतुर्भुज)

जमाने वाली नहीं रही, अन्याय सहने वाली नहीं रही अब वह क्रांति का रूप धारण कर लेगी अगर इस समस्या को दूर नहीं करेंगे तो, राज्य सरकार अगर पेयजल की समस्या को दूर नहीं करेगी तो । जो अजमेर को पानी दिया जा रहा है उससे उस क्षेत्र के ग्राम गावडी नासरिया, माडूला, मालाहेडा, और काशीर ये पंचायतें हैं जहां पर 4–5, 5–5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, दुःख की बात है कि फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है । कम से कम तीन सौ बार दरख्वास्तें दे चुके हैं इस पर असेम्बली में कहा है, वहां आज 20 दिन से पानी नहीं है । 6–8 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना पडता है । इतने दिनों से तो बनास में पानी आ रहा था अब वह सूख गया है । अब उस क्षेत्र को बड़ी मुश्किल हो गयी है । इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है । दुःख है इस बात का कि जनता दुखी है । आज उसको न्याय नहीं मिलता है, पेयजल नहीं मिलता है । समस्या को दूर नहीं करेंगे तो गांव की जनता छोड़ेगी नहीं, मैं यह कह मैं देना चाहता हूं, जनता नहीं मानेगी फिर चाहे जेल में धर दो, जेल में भी कितनों को भरोगे, पाइपों को तोड़ देंगे, जो शहरों में जाते हैं, उनको हम हटा देंगे, पहले हम को पानी दो । हम को मार दो, यही चाहती है सरकार ? स्थानीय जनता को पानी मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना जरूरी है । देवली नगरपालिका में तो, सभापति महोदय, अब हड़ताल भी होने लगी है, आये दिन वहां पर स्ट्राइक होने लगी है । वहां की योजना बनी हुयी है लेकिन पानी पता नहीं कब मिलेगा । यह तो जरूरी है कि जिस स्थान पर पानी के भण्डार मिल गये हैं तो कम से कम उस क्षेत्र की जनता को, पंचायतों को पानी देने में क्या मुश्किल हो रही है । एक ट्यूब वैल के खर्चे से सारी पंचायतें निपट सकती है, इतना खर्चा है । उन लोगों को कोई दवाई खिला दें, जिससे सारा टन्टा ही मिट जाये । सभापति महोदय, मैं सही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पहाड़ी इलाका है, टोडारायसिंह और देवली एक ही पहाड़ है, बनास उसी पहाड़ को काटकर निकली है । तीन नदियां आयी हैं, वहां पर रेगिस्तान भी है, उसको चाहे आप रेगिस्तान मान लें लेकिन पानी दें । पानी की समस्या है । मनुष्य और दूसरे जानवर और दुख को तो सहन कर सकते हैं लेकिन पानी के बिना जिन्दा नहीं रहे सकते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से अजमेर को पानी दिया जा रहा है उस क्षेत्र को पानी दिया जाना जरूरी है । उस क्षेत्र को मुआवजा मत दो, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ती मत करो लेकिन उनको पानी तो दो । कृषि मंत्री बैठे हैं, उनके सामने जनता की आवाज रखी थी, उनको दुःख हुआ, उन्होंने भी कई बार लैटर लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक पानी के बारे में उस स्थान के बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुयी । एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 पंचायतें और नगरपालिका देवली के लिये पानी की व्यवस्था दी जाय ।

(श्री चतुर्भुज)

अब मैं आपका ध्यान सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं । अभी आपने रोडों की योजना बनायी है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, स्वागत तो हमेशा करता हूं लेकिन स्वागत करने वाला आपके पीछे नहीं रहेगा तो कौन स्वागत करेगा । घोषणा करें तो पूरी अवश्य करें । हमारे यहां पर 6 साल पहले घोषणा की थी कि हर पंचायत हैड क्वार्टर की रोड से जोड़ देंगे । लेकिन एक किलोमीटर भी सड़क नहीं पहुंचे तो क्या हो ? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में टोडारायसिंह और देवली में सड़क अभी तक नहीं पहुंची है। पता नहीं कब पहुंचेगी । आप हर निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत को सड़क से जोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे यहां तो तहसीलको तहसील से ही जोड़ दें । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तो एक तहसील भी दूसरी तहसील से जुड़ी हुयी नहीं है । 32 लाख का टैक्स तो प्राइवेट बस वाले ही दे देते हैं । हमारी जो कच्ची रोड है उस पर जो प्राइवेट बसेंज चल रही हैं उनसे 32 लाख रुपया 10 साल में रोड टैक्स का ले चुके हैं । तो जो आपको टैक्स की आमदनी हुयी वह तो दे दें । वह कहां गया ? एक पंचायत को दूसरी से जोड़ने की घोषणा तो आप में दम हो तो करें । हजार की जनसंख्या होगी वहां पर करेंगे, यह घोषणा करके काम नहीं कराया । तो मैं सुझाव देना चाहता हूं और सरकार के हित में देना चाहता हूं, पार्टी के हित में देना चाहता हूं कि घोषणा वही करें जो कर सकते हों, नहीं तो मत करो । अगर कांग्रेस को जिन्दा रखना चाहते हैं, तो झूंठी घोषणा मत करो । वही घोषणा करो जो काम कर सकते हैं । यह नहीं कि जनता को आप कहें कि एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ देंगे और फिर एक किलोमीटर भी सड़क बनाये नहीं । एक तहसील को ही दूसरी तहसील से जोड़ दो । वहां की जो आमदनी है वही वहां पर लगा दो । पैसा कहीं पर पैदा हो रहा है लग कहीं और रहा है । हम को जनता को जवाब देना होता है. वोट ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, जनता हम को वोट नहीं देती है, जनता काम को वोट देती है । काम पर ही वोट मिलेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजना बनायी जाय, आज घोषणा कर दी, पहले योजना थी एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने की, अब घोषणा की है कि इतनी लम्बी चौड़ी योजना है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस साल में यह सड़क देंगे, इस क्षेत्र में देंगे । एक किलोमीटर भी अगर नहीं देंगे तो अखबार में आ जाये, अखबार को लिये बैठे रहना आप कार्यकर्ता और जनता नहीं सुनेगी, हम को तो मत कुटवाओ आप । हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं वे गवाही देंगे, वन विभाग के मंत्री भी बैठे हैं, टोडारायसिंह में घोषणा की थी कि काम बंद नहीं होगा, एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ने की सड़क का काम अब बन्द नहीं होगा । यह 20 हजार आदमियों में घोषणा की थी मुख्य मन्त्री जी ने, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ । अनर्थ हो रहा है । वह नहीं कर रहे हैं आप । पी. डब्ल्यू.

(श्री चतुर्भुज)

डी. के मंत्री बैठे हैं, आपके मुख्य मंत्री जी ने, आपके नेता ने घोषणा की है, आप खुद मौजूद थे, 4-4 मंत्री वहां पर मौजूद थे, उस घोषणा की भी आज परवाह नहीं है। एक मजदूर भी वहां काम नहीं कर रहा है। हम तो मुख्य मंत्री को बराबर ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें ले जाकर! 20 हजार के सामने कहा था कि अब इस रोड का काम बंद नहीं होगा, कल से ही चालू हो जायेगा। 15 दिन तक काम चला फेमिन में और फेमिन का काम बंद होने के बाद आज तक नहीं चला। मैं निवेदन करूं कि मुझे टिकट मत देना लेकिन कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस को जिन्दा रखो, महात्मा गांधी की कांग्रेस है, इसे जिन्दा रखो। देश टूट जायेगा, ऐसी झूठी घोषणा मत करो। नहीं तो ऐसे भाषण देने वाले तैयार बैठे हैं। यहां पर हमने शपथ ग्रहण की है कि सदा सत्य बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। लेकिन सौ में से एक प्रतिशत भी सत्य नहीं बोलते हैं। जो पूरा कर सकते हैं उसकी ही जनता में घोषणा करें। नहीं करना है तो घोषणा मत करो। यह आखिर कब तक चलेगा? यह बहुत बुरी बात है। हमारे अहित की बात है, देश के अहित की बात है। आम जनता के अहित की बात हो रही है संस्था के अहित की बात हो रही है। मेहरबानी करके कुछ करें। जो करें वही कहें।

एक तो वह घोषणा करो जिसको आप कर सको। दूसरी बात है कि जो घोषणा आपने कर दी है उसको तो आप पूरी करो। फिर अगला साधन होवे है तो आगे काम होवे है।

तीसरी बात पानी की समस्या है। पानी के बिना जनता जिन्दी नहीं रह सके। यह पानी की समस्या है इने आप दूर करो। तीन गांव म्हारा ऐसा है ईमानदारी से आप जांच करा लो, तीसरी बरस पाछे चौथे बरस बलद जिन्दा नहीं रह सके और 20 वर्ष 22 वर्ष के अन्दर आदमी कुबड़ो हो जावे। खेचरावास पंचायत माधोलाई, एक रघुनाथपुरा पंचायत श्यामबद तहसील देवली और एक साड़दा जो पंचायत बासोड़ा तहसील टोडारायसिंह में है। तीनों ठौर खतरनाक पानी है। यह विभाग की रिपोर्ट है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चतुर्भुज : यह पानी इन गांवों में पीने के वास्ते दियो नहीं जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चतुर्भुज : इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं आप तीनों गांवों का सर्वे कराकर पानी की व्यवस्था करें और इस रोड की व्यवस्था करें। जिस स्कीम से अजमेर को पानी दे रहे हो, उस क्षेत्र में तो पानी की व्यवस्था करो। मैं यही निवेदन करता हूं आपसे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री पीरूराम।

(व्यवधान)

आपको अवसर मिलेगा। विराजें।

श्री पीरूराम (टी. बी.) : सभापति

(श्री पीरू राम)

महोदय, आज कटौती प्रस्तावों के माध्यम से पेय जल सड़क एवं पुल और आबकारी पर चर्चा हो रही है। इस बारे में मैं पेयजल पर कुछ...

श्री सभापति : और माननीय सदस्य भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी काफी लम्बी सूची है।

श्री पीरूराम : चर्चा करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : सूची में मेरा नाम है या नहीं, यह तो बता दीजिये।

श्री सभापति : नाम तो जो इच्छा प्रकट करते हैं उनका आ जाता है।

श्री पीरू राम : पेयजल पर जो चर्चा हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है राजस्थान के लिये क्योंकि राजस्थान का इलाका पिछड़ा इलाका है और प्रांतों और प्रदेशों की बजाय। खास तौर से मैं ज्यादा लम्बा टाइम नहीं लेकर इतना ही कहना चाहता हूं गंगानगर जिले के बारे में कि 710 गांव इस गंगानगर जिले में हैं और हजारों की संख्या में ढाणियां और चक हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय घोषणा करते हैं, अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं उसके बावजूद कई चक एवं ढाणिओं में व्यवस्था ठीक नहीं रहती है क्योंकि वाटर वर्क्स नहीं है। तो मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में जो वाटर वर्क्स ऐसे हैं, एक तो गंगानगर खुद का है और एक हनुमानगढ़ टाउन का है जो टाउन जंक्शन को पीने का पानी देता है। गंगानगर में यह पोजिशन है कि इसी हाउस में तीन साल पहले 82 में मंत्री महोदय ने एलान किया था कि यह वाटर वर्क्स पी. एच. ई. डी. ले लेगा। किन्तु अभी तक यह वाटर वर्क्स नहीं लिया गया है। जिस नगर परिषद के पास तनख्वाह देने के लिये भी पैसे नहीं हैं कर्मचारियों के लिये, वह कहां से पानी पिलायेगा ? यू. आई. टी. ने पिछले दिनों ही 45 लाख रुपया लगाकर दो ओवर हैड टैंक बनवाये हैं। तो मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि यह आपका विभाग हमारे गंगानगर जिले के वाटर वर्क्स ले ताकि नगर परिषद को लाभ मिल सके। इसी के साथ एक उदाहरण है हनुमानगढ़ का। वहां पर कुछ वार्डों में तो नगर पालिका वर्क कर रही है पानी देने का, कुछ में वाटर वर्क्स व्यवस्था कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां वाटर वर्क्स की व्यवस्था है वह ठीक है और नगर पालिका की व्यवस्था है वहां अव्यवस्था है। तो पानी की सुविधा का लाभ देने के लिए उसे पी. एच. ई. डी. ही कंट्रोल में हमारे यहां नगर पालिका बगैर कुछ लिये दिये ही देने को तैयार है वाटर वर्क्स।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं एक तो यह कि 14-12-81 को एक समझौता हुआ नगरपालिकाओं से

(श्री पीरू राम)

पी. एच. ई. डी. का, जिसमें पहले 80 पैसे प्रति हजार लीटर की रेट पानी देने की थी उसको 40 पैसे कर दिया गया पर पी. एच. ई. डी. अब भी उनसे यह कर रहा है कि हम तो 80 पैसे के बजाय 40 पैसे आज से लेंगे। तो मेरा यह कहना है कि यह 80 पैसे उसी दिन से लिये जायं जो नगर-पालिकाओं का 14-12-81 को समझौता हुआ।

इसी के साथ में मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि रावतसर वाटर वर्क्स के लिए आई विधान सभा में एक सुझाव देता हूं कि हमारे गंगा साथ में बहती है, वहां एक छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम के डब्ल्यू डी है उसको रावतसर योजना से जोड़ा हुआ है। रावतसर की जनसंख्या करीब 15 हजार है। तो राजस्थान कैनाल से अगर इसे जोड़ दिया जाय तो पानी की कभी भी कमी नहीं आयेगी क्योंकि कोई लम्बा फासला नहीं है, सिर्फ दो किलोमीटर के डब्ल्यू डी नहर से राजस्थान कैनाल पड़ती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि, पेयजल विभाग को क्या ऐसी मुसीबत है कि वह रावतसर को राजस्थान कैनाल से नहीं जोड़ता है।

इसी के साथ एक खास बात मैं यह बताना चाहता हूं कि गंधेली से तारानगर की एक स्कीम निकली वाटर वर्क्स महकमे की तारानगर ले जाने की। मैं यह नहीं कहता कि वहां नहीं जाना चाहिए। पानी मेरे गंधेली के इर्द गिर्द के गांव वाले अब भी गंधेली से चार चार पांच पांच किलोमीटर से पानी लाते हैं। गंधेली के आस पास के लालपुर, रायको की ढाणी ऐसे करीब दस बारह गांव हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ा जाता। उन्हें भी जोड़ दिया जाय। क्यों जोड़ दिया जाय, मेरे क्षेत्र की हरगसाली पंचायत है, खोडा पंचायत है, इस तरह सात पंचायत नोहर तहसील में पड़ती हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गंगानगर जिले में हैं सारे। एक तरफ तो सरकार पेयजल स्वच्छ देने की बात करती है, दूसरी तरफ जो हमारे पानी के सोर्स है, पुराने जो तालाब हैं विशेष आवंटन में उनकी जमीन बेच दी गई पानी वर्षा का आयेगा कहां से जब जमीन नहीं होगी। तो उसकी चार गुनी कीमत पर सरकार ने जमीन बेच दी और तालाब के लिए पानी का सोर्स भी नहीं रहा इसलिए मेरा यह कहना है कि जहां उपनिवेशन क्षेत्र में जमीन सरकार ने बेच दी है तो वह पैसा तो कम से कम पानी की सुविधा के लिए उन गांवों में लगाया जाय।

इसी के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हैंड पम्प की बात, हैड पम्प मेरे क्षेत्र में तीन गांवों में लगे थे। जहां जाने से मैं डरता हूं, मैं उन गांवों में नहीं जाता, जब भी जाता हूं। एक तो सरेका गांव में हैड क्वार्टर, है, ग्राम पंचायत हैड क्वाटर, और एक है कमराणी, एक है तेदूरवाली जब भी गांवों जाता हूं तो मैं तीनों के चारों तरफ फिरता हूं, इन गांवों में नहीं जाता। जब भी जाता हूं तो एक ही बात होनी है, साहब, हैंड पम्प खराब पड़े हैं, यह अधिकारी ठीक नहीं करते हैं। फिर खराब हो गये कई दफा उनको ठीक कर दिया है। हमारे वहां हैंड

(श्री पीरू राम)

पम्प के बजाय जो ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर सरेका, कमराणी, तेंदूरवाली है इनमें सरकार ने जो स्कीम अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल की बना रखी है, उससे ही पाइप लाइन से यह भी जोड़े जायं, सलेमगढ़ भी है उसके साथ।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन पुरानी स्कीम में सरकार ने गांवों में लगा दी, उनमें खास तौर से क्या है. बीस सूत्री कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया पूरा हो गया है पेयजल में क्योंकि जितने भी हरिजनों के मोहल्ले हैं आम तौर पर किसी भी मौहल्ले में पाइप लाइन बिछायी नहीं गई। एक्स ईएन को बार बार आकर कहते हैं, तो एक्स ईएन कहता है कि मैंने पांच लाख हनुमानगढ़ डिवीज़न में मांगे थे ताकि छोटी मोटी पाइप लाइन लगा दी जाय। कहीं पर कोई मांग आ जाय 30 हजार रुपये मुझे मिला है तो अब बताइये, तीस हजार रुपये में तो पाइप जोड़ो का सर्किट नहीं आता। तो उसमें पूरा बजट अरबों रुपये का आता है। तो पूरा बजट एक्स ईएन को पैसा नहीं देंगे तो एक्स ईएन आकर क्या हाथ लगायेगा उस पाइप लाइन के आगे। खास तौर पर नियम में भी यह है, हरिजनों को पानी सब से पहले दिया जाय, यह स्कीम मेरे से पहले लगा दी गई, उन गांवों की चर्चा कर रहा हूं। तो, खास तौर से मेरा यह कहना है कि जिन गांवों में, किसी क्षेत्र के अन्दर नोहर पंचायत समिति, हनुमानगढ़ पंचायत समिति में हरिजनों की गलियों में पाइप लाइन नहीं है वहां पाइप लाइन डाली जाय, ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम दोनों पंचायतों में पेयजल का पूरा हो सके।

इसी के साथ मैं सड़कों के बारे में कुछ मेरे सुझाव रखना चाहता हूं कि आये दिन मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी की अखबारों में बड़ी एडवर्टाइजमेण्ट होती है कि हरेक ग्राम पंचायत को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा, ग्राम पंचायत अब तो मैं जाते हैं तो आम तौर पर यही कहते हैं कि हर ग्राम पंचायत सड़कों से जुड़ जायेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं, जो काम नहीं हो सकता उसके लिये न कहें। अब इसी साल में 84-85 में मंत्री महोदय ने हमारे बडा तगड़ा कमाल किया है, 2 सड़कें भादरा तहसील में, जो भादरा कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, उसको दे दीं, दो करनपुर को दीं बाकी 9 एम. एल. ए. मुंह की तरफ देखते रह गये मंत्री जी के, कि कब मंत्री जी सड़के दें और कब हम कार्य शुरू करायें। मेरे वहां हनुमानगढ़ में 2 सब डिवीजन में 2 एक्स ईएन बैठे हैं। 10-10 लाख का साल का खर्चा उनका आता है और उनके पास मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं है। एक रोड हनुमानगढ़ से रावतसर जाती है, उसके ऊपर एक लिंक रोड मैना वाली बनी हुई है। उसके ऊपर, सभापति महोदय, यह हाल है कि मैंने रोडवेज के अधिकारियों कह कर बस लगाई, पर उन्होंने हटाली। कई दफा वहां पर गिट्टी भी गिर गई मरम्मत के लिए, कई दफा उठा ली गयी। उनके पास पैसा नहीं था। यही हालत मेरे टीबी गांव के अन्दर है। गांव के अन्दर 2 किलोमीटर सड़क टूटी पड़ी है उस सड़क के

(श्री पीरूराम)

लिए एक्स ईएन को बारबार कहते हैं, अब की ठीक कराऊंगा, अब की ठीक कराऊंगा, बात यह है कि पीसा कोनी, बजट कोनी यह हालत है। इसी के साथ काफी देर से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन्तजार कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के साथ एक चाइया गंधेली सड़क है। उसमें 4 लाख रुपया कृषि उपज मण्डी समिति नोहर ने लगाये थे। उसके बाद रावसर कृषि उपज मण्डी समिति अल्हदा होने से वह सड़क रावसर के नीचे आ गयी। रावसर के पास पैसा नहीं। पी डबल्यू डी में 4 लाख जमा करा दिये, 3 लाख का उस रोड का अर्थ वर्क हो गया, कुछ गिट्टी भी वहां आकर पड़ गई, 1 लाख पी डबल्यू डी सैकण्ड डिवीजन के पास पड़े हैं, मास्टर प्लान में ले ली गयी है। ग्राम पंचायत गंधेली बहुत बड़ा कस्बा है, ग्राम पंचायत है तो, मंत्री महोदय से यह कहा

(8·24. रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कि इसको इससे जोड़ दिया जाय। दूसरी है गंधेली से सोनड़ी। नोहर जो सोनड़ी से 5 किलोमीटर पड़ता है, बहुत बड़ा कस्बा है नोहर का। आम तौर पर काश्तकार, गांव वासी वहां आते जाते हैं। तो यह सड़क, सोनड़ी से गंधेली जोड़ दी जाय तो पब्लिक को भी लाभ होगा। इसी के साथ रावसर-गुंसाईसर, जो सड़क पीछे से सूरतगढ़ से पल्लू आती है, तो उस सड़क पर गुंसाईसर है पंचायत, उसी के साथ हरदासवाली पंचायत आयेगी, खोडा पंचायत आयेगी, तो इस तरह तीनों पंचायतें इसमें कवर हो सकती हैं। इसी के साथ धन्नासर, जो हनुमानगढ़ से सरदारशहर रोड जाती है वाया रावसर तो उसको खोडा पंचायत से जोड़ दिया जाय, उसी पर धन्नासर गांव पड़ता है, तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ एक खास बात मैं बताना चाहता हूं, नौहर से अलनाबाद वाया खीनाणिया-श्योदानपुरा उस रोड का क्या महत्व है कि रायसिंहनगर से सीधे नौहर आने के लिए, शहर आने के लिए सीधी रोड है। तो यह रायसिंहनगर से गंगानगर, हनुमानगढ़, टीबी आवागमन की व्यवस्था हो। जो प्लान में सड़क है ग्राम पंचायत जोड़ने का, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कसाण गांव है, हरियाणा की बार्डर पर। उस खीनाणिया को मिलाया बल्कि इस रोड को उस प्लान में नहीं लिया जिससे कि कई शहर जुड़ सकें और आने जाने की पूरी सुविधा हो। एक तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दईदास से अलनाबाद यह रोड जोड़ दी जाय तो तीन पंचायतें बीच में जुड़ जायेगी। जसाणा से खीनाणिया जोड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं एक एलान करू, इन सड़कों ''

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : सिर्फ दो मिनट। तो, मुख्यमंत्री का घग्घर बाढ़ के नुकसान के टाइम में, जैसा माननीय सदस्य देवरी का जिक्र कर रहे थे, इसी तरह पीर का बढ़िया गांव में लोगों ने स्वागत किया। एक दरख्वास्त दी कि सूरेवाले से बणी तक सड़क बनाई जाय तो हमारे शहर से आने जाने में बड़ी सुविधा रहेगी। मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, यह बन जायेगी, इसी साल में बना देंगे। यहां आकर एक अग्रवाल पी. ए. है, उसने मुझे बुलाया कितने किलोमीटर सड़क है। मैंने बताया 4 किलोमीटर है या साढ़े तीन किलोमीटर बहुत बढ़िया सड़क है। मुख्य मंत्री जी एलान करके आये यह सड़क तो इस साल में बना दी जायेगी। घग्घर बाढ़ की चर्चा को करीब 2 साल हो गये आज तक जाकर पूछा तक नहीं। मुख्य मंत्रीजी से बात करें, मुख्य मंत्रीजी एलान करके गये थे, मुख्य मंत्रीजी ने एक दफा कह दिया कि जरूर बन जायेगी तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं सड़कों के मसले में जो महत्व की सड़क हो पंचायत हैड क्वार्टर जोड़ने की बात हो तो इसमें काम करने की बात है। यह तो रहा नयी सड़क का। अब मैं पुरानी सड़क की थोड़ी सी चर्चा बता दूं। टीबी से बसीर वाया तंदूरवाली, इस सड़क में क्या है कि यह सड़क अधूरी पड़ी है वहां के काश्तकारों को मुआवजा, जमीन का पैसा नहीं दिया। मंत्री महोदय कह देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा 700 रुपया बीघा जमीन का देते हैं वह बीघा जमीन है जो 20 हजार रुपए की है। काश्तकार भी तंग आ गया इसलिए लेगा। इसी तरह टीबी से अलनावाद का है। किसी सड़क की चर्चा हो तो पहले भी मुआवजा नहीं देना, हमारे तलवाड़े में एक कमाण्डर है उसको मुआवजा नहीं देने से इस बात के लिए सड़क रोक दी कि जब तक पिछली का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आगे की सड़क नहीं बनने देंगे। छोटी-छोटी बातों को देखकर।

इसी के साथ और बताना चाहता हूं हनुमानगढ़ से सतीपुरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं वह सड़क बड़े महत्व की है। हनुमानगढ़ से जंक्शन की रोड भी बड़े महत्व की है। साढ़े तीन किलोमीटर की रोड है। कुम्भाराम जी के टाइम में उस सड़क में कुम्भाराम जी ने नहर बनाई दोनों तरफ तीन-तीन फीट की ऊंचाई बनाकर, उस सड़क में आये दिन दुर्घटना होती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ सोलिंग लगी हुई है इसे चौड़ा करने में ईंटों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिर्फ कुटाई कारपेट की जरूरत है, वह सड़क चौड़ी हो जाय तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ पैसा हमारी नगर पालिका, हनुमानगढ़ खर्च कर देगी इस मसले पर कितना पर्सेंटेज अगर आप चाहो तो, ताकि टाउन जंक्शन का आवागमन बड़ी सुविधा से चल सके, आये दिन दुर्घटना नहीं हो सके। क्योंकि वहां 3-3 फीट की बाढ़ होने से 2 गाड़ी आ जा सकती है इसलिए तीसरी गाड़ी आयेगी तो फंस जायेगी। इसलिए आये दिन दुर्घटनायें होती हैं।

(श्री पीरूराम)

इसी के साथ पुलों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। टीबी से बसीर का पुल आपके एन. जी. सी. नहर के ऊपर है। मैंने परसराम जी से डेढ़ लाख रुपयों के लिए भीख मांगी, झोली फैलाई, आपके आगे फैलाई, कृषि उपज मण्डी मंत्रीजी से कहा कि वह सड़क टूटी पड़ी है, पैसा नहीं है आपके डिपार्टमेंट के पास, न डेढ़ लाख रुपया दे सकता है। वहां के प्रमुख की भी बेइज्जती कर रहे हैं कि उनका गांव बसीर है तुम्हारा काम है और यह पुल नहीं बन रहा है। इस सड़क का क्या करें हम। लकड़ी का पुल बनाकर बस आती है, इधर से इधर की सवारी उतार कर बिठाई जाती है और उधर से उधर की सवारी चली जाती है। वह लोग यह कह रहे हैं कि हमें अनुमति दे दें हम तो चन्दा करके बनवा लेंगे इस पुल को। इसके अलावा इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा, सतीपुरा का पुल सन् 66 में बना था। हनुमानगढ़–सतीपुरा रोड पर घग्घर पर पिल्लर बना दिये गये। मंत्री महोदय, सिर्फ स्लेब के लिए इतनी कीमती है, बेकार पड़ी हुई है। स्लेब के अन्दर बहुत थोड़ा-थोड़ा खर्चा ढाई लाख रुपये का खर्चा है। एक दफा रोड खुल जाय जंक्शन की रोड पर तो ट्रैफिक कम हो जावे और नुकसान भी नहीं हो।

इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि जंक्शन का पुल है टाउन जंक्शन पुल तो 1966 में कुम्भाराम जी ने बनवा दिया था, पुल के अन्दर बैरिंग फिश प्लेट होती है एक वह जाम हुई पड़ी है जिससे पुल को खतरा पड़ा हुआ है। बाढ़ आवे, घग्घर नाला आवे, फिश प्लेट गिरने वाली है, पुल पर जाम हुई है, जंग लगी हुई है, पुल को खतरा हो रहा है।

अब मैं सूरतगढ़—रावतसर जो ब्रिज कारपोरेशन वहां पर पुल बना रहा है राजस्थान नहर पर और घग्घर नहर पर तो उसके अन्दर साल भर से मेंटीरियल गिरा पड़ा है, आगे काम खिसक नहीं रहा है तो, मंत्रीजी से मैं यह बात कहूं कि 45 किलोमीटर रावतसर से सूरतगढ़ सड़क है वह रावतसर को सूरतगढ़ को आपस में जोड़ती है। अब सूरतगढ़ से हमारा उपनिवेशन विभाग से बहुत ज्यादा काम पड़ता है बड़े-बड़े महकमे वहां हैं। एस. ई. इरिगेशन वहां बैठते हैं, एक्स. ई. एन. 3 वहां बैठते हैं, ए. सी. सी. वहां बैठते हैं, सभी विभाग वहां हैं इसलिये अगर यह हो जावे तो दो दिन में जो कार्य होता है वह एक दिन में करके शाम को वापस हो जाय और यह दोनों पुल बन जायं। रुपया आपने मंजूर कर दिया ब्रिज कारपोरेशन कार्य चालू कर रहा है फिर उसमें ढील क्यों बरती जा रही है। इसी के साथ मैं…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई मांग पर चर्चा नहीं होती है, लम्बी-चौड़ी सूची दे दी। इसलिए माननीय सदस्य आवश्यक होता है कि आप नीति सम्बन्धी बातें हों वही करें….

श्री पीरूराम : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष।

(श्री पीरूराम)

चार पुल घग्घर नाले पर बने हुये हैं, उसके अन्दर क्या है. कि पुल तो बना दिये 10 फीट के पुल, मैं यह नहीं कहता कि 20 फीट के बनाये उसके अन्दर एंगल आयरन साइड में लगाकर, साइड में दीवार नहीं है। एंगल आइरन टूट गई हैं, घग्घर आप जानते हैं कि कितनी चौड़ी नहर है सीन्ध नाला आता है—एक पुल तो है मुण्डा से मसीता वाली उसकी एंगल आयरन खराब हो रही हैं, दूसरा पुल है हनुमानगढ़ से मैनावली उसका स्लेब खराब हो गया और एंगल आइरन खराब हो रही है, तीसरा टी.बी. से वसीर रोड पर, वहां पर तो पिछले दिनों कार पड़ गई। शुक्र है भगवान का उसमें पानी नहीं था, क्योंकि उसका एंगल आयरन टूट गया था, स्लेब पड़ा हुआ है, एंगल आयरन भी लगा दिया जावे वह सीधी, एंगल आयरन लगाकर इन्तजाम कर दिया जावे। जो चौथी हनुमानगढ़ से टी.बी. रोड के···

श्री अध्यक्ष : यह बात लिख करके मंत्रीजी को सब दे दें।

श्री पीरू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करू कि मैंने कई दफा सिंचाई मंत्रीजी को लिखकर दे दिया···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कृपया बैठिये। आर्डर, आर्डर। दो सौ माननीय सदस्य सब सूची दे दें तो यह सम्भव नहीं है कि सब का उत्तर आ सके, कृपया बैठ जायं।

श्री पीरूराम : मैं आबकारी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक खुशखबरी बता दूं एक मिनट के लिये···

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य बैठ जायं, मैंने निवेदन कर दिया है। अब भाषण पर समय सीमा लगेगी इसलिये अधिक से अधिक 7 मिनट का समय। कृपया उस समय के अन्दर अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें, उसमें कोई छूट नहीं दी जायेगी—5 से 7 मिनट।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : केवल दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर दे दूंगा।

(व्यवधान)

इधर से कोई बोलना चाहते हैं क्या माननीय सदस्य ?

श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीतिगत प्रश्नों पर संक्षेप में अर्ज करना है कि यह पेयजल की दृष्टि से जो अलग-अलग स्कीम्स पी. एण्ड. टी. स्कीम्स, टी. एस. एस. स्कीम्स और कुछ स्थानों पर तो पिछले 2-3 वर्षों में पेयजल की दृष्टि से कुएं भी खुदवाये। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि जिस पी. एण्ड. टी. की स्कीम्स के बारे में यदि हमने कोई स्कीम्स कहीं भी शुरू की है तो उसको अधूरा छोड़ने के बजाय, उसको हम निश्चित

(श्री बंसीलाल पटवा)

अवधि में पूरा करें। जहां-जहां भी, भीलवाड़ा जिले में पी. एण्ड टी. स्कीम्स आरम्भ की गई दो साल हो गये आज दिन तक उसका काम अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। जहां मान लीजिये शिड्यूल्ड कास्टस के मोहल्लों में पाइप लाइन बिछानी है वह नहीं बिछाई गई। जहां मान लो माइनोरिटीज के आदमी रहते हैं वहां लाइन बिछानी चाहिये थी वहां नहीं बिछाई गई। तो इस तरह से जैसे गुडला की स्कीम्स है या और जिले में दूसरी स्कीम्स हैं उनको लिया जा सकता है। यह निश्चित अवधि में पूरी की जाये।

इसके साथ-साथ जैसे दूसरी स्कीम्स भी हैं टी. एस. एस. स्कीम्स हैं, पी. एच. ई. डी. विभाग की। टी. एस. एस. स्कीम्स यदि मान लो कि रिकार्ड में दर्ज है, आपकी टी. एस. एस. स्कीम्स बनी है लेकिन जहां पर टंकी नहीं बनी है तो कम से कम अपने रिकार्ड से तो उसको हटा दें। टी. एस. एस. की स्कीम्स जब भी हैण्ड पम्प का मामला आता है तो टी. एस. एस. स्कीम का नाम लेकर वहां हैण्ड पम्प अमुक आबादी तक लगाये जायेंगे, अमुक अमुक आबादी तक नहीं लिये जायेंगे। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम टी. एस. एस. स्कीम्स जहां पर लागू नहीं है, कारगर साबित नहीं हुई, जहां पर टंकी नहीं बनी है, उसको अपने रिकार्ड से हटा दें और जहां पर टी. एस. एस. स्कीम लागू है, वहां पर टंकी बन चुकी है और पिछले सदन में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि जहां-जहां पर टी. एस. एस. स्कीम्स हैं और वहां पर कारगर है, बिजली की व्यवस्था है, मोटर चल रही है— वहां हम पाइप उनको दे देंगे। लेकिन आज दिन तक उन इलाकों में पाइप नहीं दिये गये। जहां पंचायत समिति में टी. एस. एस. की स्कीम्स कारगर ढंग से काम कराना चाहते हैं, वह सिंचाई विभाग में पैसा जमा करा रहे हैं, मोटरें चालू हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि यदि टी. एस. एस. स्कीम्स जहां पर कारगर साबित हो चुकी हैं वहां पर पाइप लाइन देकर के उनको राहत की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से यह व्यवस्था की जाय। क्योंकि अभी भीलवाड़ा जिले में कई जगह टी. एस. एस. स्कीम्स कारगर साबित नहीं हुई, कई जगह कारगर साबित हुई लेकिन पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं की गई। आज दिन तक विभाग उसको टालता रहा। इसी दृष्टि से वहां पर पेयजल की दृष्टि से आपने पिछले तीन साल से कुएं तो खुदवा दिये लेकिन उन कुओं के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और उन कुओं के रिजल्टस लेकर जहां आवश्यकता है कि जो काम हाथ में लिये गये, पानी की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से उनको पूरा किया जाय, क्योंकि यदि आपने 20 हजार रुपये कुएं पर लगा दिये, पानी तो थोड़ा है, तो उसमें पानी तो पूरा आना चाहिये और किसी न किसी माध्यम से उसको ठीक करवायें, व्यवस्था करिये और यदि नहीं कर सकते तो 20 हजार रुपये जो हमने कुएं पर लगाये हैं, पेयजल की दृष्टि से, वह व्यर्थ जायेंगे।

इसके अतिरिक्त अरबन एरियाज के

(श्री बंसीलाल पटवा)

अन्दर और रूरल एरियाज के अन्दर जहां पर मान लो कुए हैं, जैसे अरबन एरियाज को मान लें वहां पर वाटर वर्क्स की बड़ी स्कीम्स लागू हो जाती हैं, कई जगह बन्द करवा देते हैं लेकिन जब पानी के अभाव में अकाल के दिनों में उन्हीं कुओं को ढूंढ़ते फिरते हैं तो इस दृष्टि से जितने भी कुए अरबन एरियाज में हैं उनको बन्द करवाने की बजाय सुरक्षा की दृष्टि से प्रबन्ध कर दें ताकि जब आवश्यक हो तब हम कम से कम अकाल के दिनों में उस पानी का उपयोग तो कर सकें।

इसके साथ-साथ जहां-जहां पर भी हैंड पम्प लगवाये हैं, हैण्ड पम्प के बारे में सरकार बार-बार यह कहती है कि साहब हमने पंचायतों को सौंप दिये हैं, पंचायत ठीक करवायेगी। लेकिन भीलवाड़ा जिले में आन्दोलन के रूप में जिस तरह से कम्पेन चलाया जाता है उस तरह से दो हजार हैण्ड पम्प ठीक कराये गये लेकिन फिर भी हैण्ड पम्प खराब रह गये हैं। तो इस दृष्टि से मेरा निवेदन यह है कि हैण्ड पम्प जहा-जहां हमने लगाये हैं, एक तो फिजिबल साबित नहीं हुये, सक्सेस नहीं हुये हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिये क्योंकि जहां भी अभी हमने यह हैण्ड पम्प खोदे हैं वहां सक्सेस नहीं हुये हैं, फिजिबल साबित नहीं हुये हैं। भीलवाड़ा जिले के कान्दा का नाम लेकर निवेदन करूं कि वहां पर हैण्ड पम्प 3 खोदे गये, बोर किये गये, सक्सेस नहीं हुये फिजिबल साबित नहीं हुये। तो कम से कम पी. एण्ड टी. की दृष्टि से या और पेयजल मुहैया कराने की दृष्टि से हम वहां पर कोई न कोई स्कीम तो लागू करें। लेकिन कोई स्कीम लागू नहीं करते। जैसे आखिर मान लो वहां पर भील हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं तो इस तरह की जो भी बस्तियां जिस-जिस क्षेत्र में हैं, वहां कम से कम इस तरह की व्यवस्था करें जहां पर कि हैंड पम्प सक्सेस नहीं हुए हैं. वहां पर कोई न कोई पेयजल की दृष्टि से दूसरी स्कीम्स लागू करें, यथार्थता के आधार पर वहां की जो परिस्थितियां उसको अलाउ करती हैं, क्या नहीं करती हैं उस आधार पर इस दृष्टि से हम लागू करें। इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन यह भी है कि अरबन एरियाज में जहां-जहां पर बड़ी स्कीम्स हैं, बिजली के अभाव में वहां पर कई बार पानी मुहैया नहीं होता है। भीलवाड़ा नगर में आज 15 दिन से पानी मुहैया नहीं हो रहा है थोड़ा आ रहा है और कल से थोड़ा सा ठीक आने लगा है। तो मेरा इस बारे में निवेदन है कि इस बारे में हम साधन सोचें। बिजली आती नहीं है तो बिजली के लिए जनरेटर लगायें। जो इस तरह की बड़ी स्कीम्स हैं, जब ये स्कीम्स लगाई हैं तो उनके रिटर्न्स आने चाहिए। अगर रिटर्न्स नहीं आयेंगे तो वह स्कीम्स लगाने का अर्थ क्या है।

अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जैसे माण्डल है, अरबन एरियाज में वहां कई वर्षों से पाइप लाइन बिछी हुई है लेकिन उन पाइप लाइनों की सफाई पहले नहीं हुई। कई जगहों का मैं आपको बताऊं कि मकानों के नीचे पाइप लाइने चली गयी और वहां पर पाइप लाइन जगह-जगह से

(श्री बंसी लाल पटवा)

टूट चुकी है। उन पाइप लाइनों को बदला नहीं जाता है तो इस दृष्टि से आज भी लोगों को गन्दा पानी पीने को मिलता हैं। वहां पर टंकियों की हालत यह है कि उसमें कुत्ते गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं और वही पानी पिला दिया जाता है। आज भी पी. एच. ई. डी. द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस दृष्टि से समुचित व्यवस्था और इसका यथार्थता के आधार पर यह जो कुछ मैंने अर्ज किया है उसके अनुसार काम होना चाहिये। मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं वह आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, पर यथार्थता के आधार पर हम इसको धरातल पर खड़ा कर के लागू करें। चाहे कोई स्कीम हो जो भी स्कीम हो उसको कारगर ढंग से सफलता की दृष्टि से लागू करें और यह देखें कि कितने रिजल्ट्स हम ला सकते हैं वह प्रयत्न करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा सा संक्षेप में मैं पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में फैमिन वर्क्स के तहत अर्थवर्क तो करा लिया, कई जगहों पर हमने ग्रेवल रोड तो बनाली है पर उनके काजवे नहीं बनाये हैं। कई जगह पर काजवे बन गये हैं, कई जगहों पर नहीं बनाये गये हैं और इस के कारण वहां पर सड़कें अधूरी पड़ी हैं। उन सड़कों में जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, नीति के आधार पर हम उन सड़कों को लें ताकि वह अर्थ वर्क बेकार नहीं जाय। उन सड़कों का उपयोग होकर एक दूसरी पंचायत हैड क्वार्टस से जुड़ जाय तो गांव के लोगों को आने जाने की सुलभ साधन उपलब्ध हो। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि यह जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है उसको रोका जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि अमुक सड़क को ही पूरा किया जाय। हो सकता है कि कहीं पर चार किलोमीटर ज्यादा बन जाये और कहीं पर चार किलोमीटर कम सड़क बने तो····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया है। आप बैठ जायं। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, बैठ जायं। भाषण समाप्त हुआ। आर्डर। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग राजस्थान के जन जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसका पेयजल से सम्बन्ध है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों के काम और आबकारी विभाग की मांगों पर भी विचार करेंगे। वैसे अध्यक्ष महोदय, समस्या काफी है और मैंने काफी तैयारी भी की है और उसमें आप अपनी उदारता का परिचय देते हुए मुझे बोलने का समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट का समय है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान में जहां 1980 में 4225 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी वहां पर आज 83–84 में करीब 18 हजार गांवों में विभिन्न योजनाओं के जरिये पेयजल की समस्या का समाधान किया गया है। इसमें दो राय नहीं है राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में हैण्ड के जरिये जनता को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हुई और इस योजना को विश्व बैंक के माध्यम से सन् 1979-80 में लागू किया गयी उसस मय प्रतिपक्ष के नेता महोदय मुख्य मन्त्री थे। पर आज ये ही यहां पर इस योजना का विरोध करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हैण्ड पम्प की योजना के माध्यम से राजस्थान के जन जीवन में वर्तमान सरकार के द्वारा जिस मुस्तैदी के साथ मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए पेयजल की सुविधा जनता को उपलब्ध करायी गयी है, यह समस्या हैण्ड पम्पों की नहीं है बल्कि राजनैतिक संकट पैदा हो गया है ऐसा महसूस करके सारी व्यवस्था को नकारा जा रहा है। इसलिये मैं सबसे पहले तो राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए उन गांवों, जहां पर कोई अन्य साधन सुलभ नहीं हो सकते थे, में यह व्यवस्था की गयी है। हैण्ड पम्प लगाने, उसकी ठेकेदारी और कई प्रकार की बातें यहां पर की जा रही हैं। मेरे से पूर्व वक्ता श्री सी. पी. जोशी साहब ने विस्तार से बताया कि किस समय कान्ट्रेक्ट हुआ क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। यह सारी बातें अलग से हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के सबसे पहले सन् 1983 में यह मामला नजर में आया। राज्य सरकार ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया। मैंने भी उस समय अपने विचार व्यक्त किये थे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। माननीय जनस्वास्थ्य मन्त्री जी ने उस को गम्भीरता से लेकर कान्ट्रेक्ट समाप्त करके नये टेंडर कॉल किये। जहां तक रेट का सवाल है मैं देखता हूं कि कुछ रेट्स में डिफरेन्स हो सकता है लेकिन कुल मिला कर कोई बहुत ज्यादा डिफरेन्स नहीं था। मगर गहराई के मामले में मेरा उस समय भी कहना था और आज भी कहता हूं कि कि बड़ा अन्तर है। पेयजल की दृष्टि से उनको और गहरा खोदने आवश्यकता थी। पर इस बारे में ध्यान नहीं दिया। जैसा आपने समय दिया उसके हिसाब से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 3-8-1979 से 16-2-1980 तक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता इस सारी योजना से जुड़े थे। उन्होंने हैण्ड पम्पों की बहुत सराहना की थी। राजस्थान के 1980 के चुनावों में इस हैण्ड पम्प और पेयजल की सुविधा के लिए यशोगाथायें गाई गई थीं। आज वे इस प्रकार की बातें करें तो मैं तो सबसे पहले इन बातों के लिए यही कहूंगा कि इस प्रकार की बातें इसलिये की जा रही हैं कि केवल जनता की समस्याओं का समाधान राजनैतिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की योजनायें बन रही हैं, एक तरफ पेयजल का संकट है, कुछ गांवों में जहां सोर्स का अभाव है वहां की अलग स्थिति है लेकिन मैं सीधे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर आना चाहूंगा कि मेरे यहां पर जहाजपुर नगर योजना है और 9 ग्रामीण योजनायें हैं। जहाजपुर नगरीय योजना, सन् 1965 में यह गांव था तब ग्रामीण योजना के नाम से थी। सन् 1972 में नगरीय योजना बनी और उस समय 25 हजार गैलन डेढ़ सौ कनैक्शन्स के नाम से योजना तैयार की थी उसके बाद में ढाई सौ कनेक्शन्स के लिए और 75 हजार गैलन की 1972 में पुनर्गठित योजना बनी थी। 1981–82 में तत्कालीन जन स्वास्थ्य मंत्री श्री बनवारी लालजी शर्मा के समय हमने उनके सामने प्रस्तुत की थी यह सारी समस्या, तो इसको पुनर्गठित करके साढ़े चार लाख गैलन की योजना स्वीकार की गई थी। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी जहाजपुर जैसे नगर में जहां राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ नाग नदी जिसमें बारहों महीने पानी रहता है जहाजपुर नगर से आधा फर्लांग दूरी पर वह पानी जा रहा है और वहां की आठ फीट की बावड़ी 75 हजार गैलन पानी सप्लाई कर रही है उसके बाद आज आवश्यकता साढ़े चार लाख गैलन की है। 15 हजार से अधिक वहां की आबादी है। एक कुआं सन् 1981 में खोदा गया जिसमें 10 फीट गहरा पानी था। खोदते ही उसमें इतना गहरा पानी आया जो कण्ट्रोल नहीं हुआ और चार इंजन बीस-बीस हार्स पावर के लगाए। वह कुआं जहां का तहां रह गया और साढ़े चार लाख रुपये नष्ट हो गए और वह योजना आज तक पुनर्गठित नहीं हुई। इसको लेकर वहां की जनता में बड़ा असंतोष है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 11 तारीख को वहां एक अभियन्ता की पिटाई हुई। 13 तारीख को जहाजपुर बन्द रहा। इतनी गम्भीर समस्या होते हुए भी, मैंने विधान सभा में बार-बार ध्यान आकर्षित किया है और माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने गत सत्र में इसी डिमाण्ड के दौरान यह आश्वासन दिया था कि 83–84 में जहाजपुर की योजना को पुनर्गठित करके इस समस्या का समाधान किया जायेगा। मैं आपकी मार्फत माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई, आप यहां असेम्बली में साढ़े तीन करोड़ जनता के प्रति समर्पित होकर घोषणायें करते हैं और वह लागू नहीं होती है तो यह बड़ी विडम्बना की बात

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। मैं चाहूंगा कि इस बार साढ़े बारह लाख की योजना, जो जहाजपुर नगर की है, की तरफ आपका ध्यान जाएगा। पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जहाजपुर की स्थिति कितनी गम्भीर हो गई है और अगर 15 मई तक राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हजारों व्यक्तियों के साथ में मैं धरने पर बैठूंगा। मैंने यह सारी स्थिति जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय और अधिकारियों को निवेदन कर दी है।

इसी के साथ बिजोला पहाड़ी के ऊपर टीटोरा गांव स्थित है, वहां पर दस साल पहले योजना बनी हुई है। वहां पर सोर्स डवलप किये जा रहे हैं, ट्यूबवैल सैक्शन हो गए हैं, टंकी बनी हुई है, लाइनिंग का का काम शुरू है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की काफी पुरानी योजना है, यहां जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है। बड़े-बड़े गांव हैं वहां पर, अन्य विकास कार्य तो हो रहे हैं पानी का सोर्स भी डवलप हो है लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जहां पानी की कमी है वहां तो दिक्कत आ सकती है परन्तु यहां पर तो बनास नदी पास में बह रही है। उसके साथ में कितनी ही योजनायें बन सकती हैं चार-चार, पांच-पांच बड़े-बड़े गांवों की। जहाजपुर की योजना बन सकती है। जहाजपुर की योजना का सर्वे किया गया। 13 मील दूर देवली को वहां से पानी देने को, एक लाख की जन संख्या को पानी देने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर जहाजपुर में वर्तमान में जो बावड़ी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त हुआ भाषण।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं साहब, दो मिनट और।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री भगवान दास।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) : माननीय अध्यक्ष, लम्बी चौड़ी लाइनें नहीं लगाकर जहां ट्यूबवैल सफल हो सकते हैं वहां ट्यूबवैल लगाये जायें, जहां यह नहीं लग सकते वहां पर ओपन वैल बनाये जाये, लेकिन लाइन नहीं डाली जाए। यह जहां भी डाली गई वहां पर पानी नहीं मिलता है। दूसरा यह जो पम्प एण्ड टैंक की स्कीम है इसका हमारे यहां तो कोई सोर्स नहीं है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इधर राजस्थान नहर से हमारी समस्या का अन्त किया जाये उधर सबसे खारा पानी जो खारी गांव में है, उसके पास में ही जालोर जिला है, वहां से उसको जोड़

(श्री भगवान दास डोसी)

दें ताकि पानी की समस्या हल हो। बाकी काफी जगह ट्यूबवैल का काम जोरों से हो रहा है। इतना ही मेरा निवेदन है।

सड़कों के बारे में यह निवेदन है कि हमारा इलाका एक साइड से पहाड़ी से कटा है जहां 20 मील तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है। इस साल मंत्री महोदय ने सुझाव मांगे हैं, मैंने भी सुझाव दिया है कि एक सड़क पंचायत समिति चौहटन से पोनवा से नवातला आती है वह करीब 60 किलोमीटर है जो पच्चीस मील दूर जाकर चौहटन से मोड़े की ओर बना दी जाये तो इन गांवों को सड़क की सुविधा मिले। वरना न तो वहां मास्टर प्लान जा सकता है, न ही ट्यूबवैल की मशीन जा सकती है। इसलिए जो मेरा सुझाव है उसको मान्यता दें, यह ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोनड़।

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र लालसोट की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में आजादी के बाद से 1980 तक विरोध पक्ष के उम्मीदवार जीत कर आये हैं और वहां कोई काम नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि आजादी से पहले एक सड़क थी आज भी वही एक सड़क है यातायात का साधन। लालसोट से वाया डोसा होकर आने के बाद 80 किलोमीटर लम्बी दूरी पड़ती है। हमारी एक सड़क रामगढ़ धतूवाला से दूंगा वाया बिगोता सन् 1959 से मंजूर होती चली जा रही है लेकिन आज तक उस सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में अकाल राहत के तहत कुछ सड़कों का काम हुआ। कच्चा वर्क हुआ और मिट्टी पड़ गई लेकिन आज तक थोड़ा सा काम ही इन सड़कों पर हुआ है। उस क्षेत्र की समस्या की ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है लिख कर और सुझाव भी दिया है इसलिए उस सड़क को पूरा कराया जाये। अकाल राहत में नीजना तक का काम हो चुका जिसमें मिट्टी और रोलर तक चल गये। वैसे ही लालसोट से राजोली से इखलाक तक वाया बीजो सड़क का कच्चा काम और उसमें रोड़ी पड़ गई वह फिर अधूरी की अधूरी है। वैसे ही हमारे मंडावरी से मारवा तक यानी इतनी सड़कों का राहत में कार्य हुआ, राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ, कुछ में सड़क पूरी बनी कुछ में नहीं। यातायात का साधन बन्द है। इतने लम्बे क्षेत्र में एक सड़क है इसलिए सड़कों के बारे में हमारे क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

वैसे ही पेयजल की समस्या के बारे में मैं निवेदन करूं कि हमारा क्षेत्र इस तरह का बना हुआ है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक साइड में कटाव है जमीन काफी पथरीली है। सन् 1981 जुलाई में उस क्षेत्र में बाढ़ आई थी उस बाढ़ से क्षेत्र का कुआं तहस-नहस हुआ, मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री मौके पर भी पहुंचे। इस क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ, 12-13 गांव इस क्षेत्र में बह गये उनको नया बसाया

(श्री रामसहाय सोनड़)

गया उनमें पम्प नहीं लगाये । लीलापुर से पानी लाना पड़ता है । एक ग्राम पंचायत कठूमर पहाड़ी इलाका है । इस ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों में वहां के लोग दूसरी पंचायत में जाकर बसते हैं । इसलिए पेयजल की समस्या अधिक है, वह दूर की जाये । अभी जन सम्पर्क अभियान में हमारे ग्राम पंचायत नाहरीया में विभाग की तरफ से ड्रिलिंग मशीन से बोर किया गया, वह सही नहीं हुआ । चार बोर किये गये, तीन में पानी नहीं है । इसकी जांच कीजिए । वहां नलकूप से पानी की व्यवस्था की गई है जो पर्याप्त नहीं है । आप लोगों की कृपा से जो वहां समस्या है वह दूर हो, यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

श्री रामसहाय सोनड़ : इसलिए निवेदन है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल 12 बैठे हैं । कोरम नहीं है ।

श्री रामसहाय सोनड़ : ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में हमारे समस्याग्रस्त गांव में भी हैण्ड पम्प नहीं लगा और ज्यादा लोग ढाणियों में बसते हैं । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह अधिक ध्यान दें और ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करें । आपने समय दिया इसके धन्यवाद देता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घंटी बजवा दें ।

श्री अध्यक्ष : कोरम है । श्री रामधन ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को अवसर दें ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नागौर जिला वैसे ही राजस्थान का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा जिला है । इसमें पशु धन की संख्या भी बहुत ज्यादा है । हमारी जो पुरानी स्कीमें बनी हुई हैं वह आज बिल्कुल कम पड़ रही हैं । वैसे पेयजल के सम्बन्ध में काफी कुछ विभाग प्रबन्ध कर रहा है जहां उसके बावजूद भी आज की यह ज्वलंत समस्या है । अध्यक्ष महोदय, अभी मैं दो-तीन गांवों में जाकर आया हूं । बिजली वाले चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं देते हैं । आप स्वयं जानते हैं कि एक स्कीम से 10 गांव को पानी देते हैं और चार घण्टे से उस पाइप लाइन से टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच सकता । इसलिये मंत्री महोदय से मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : 10–12 घण्टे अगर बिजली आती हो तो सब क्षेत्रीय योजनाओं के सब गांवों में पानी जाता है क्या ?

श्री रामधन चौधरी : नहीं जाता है ।

श्री अध्यक्ष : जो समस्या है वह आप बतायें।

श्री रामधन चौधरी : समस्या यही है कि आज चार घण्टे बिजली आती है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि 12–14 घण्टे आती हो तो क्षेत्रीय योजना के सब गांवों में आखिरी गांव में पानी जाता है या नहीं जाता है ?

श्री रामधन चौधरी : इसमें एक-दो गांव पड़ते हैं। आजकल समस्या यह है कि कौन-से गांव में बिजली आती है।

श्री अध्यक्ष : क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में बिजली पूरी हो तो भी सब गांवों में पानी नहीं जाता है। यह कहो।

श्री रामधन चौधरी : बिजली में जो कमी है यही तो बता रहा हूं साहब और दूसरा मोटरें जल जाती है इनकी बार-बार शिकायतें की है......

श्री महाराम चौधरी : अरे पानी ही नहीं तो बिजली से काई मायो फोड़ियो ?

श्री अध्यक्ष : था के काई-काई है ये बता दियो म्हारे आजकल से है जिमी में बताओ था आली तो थे बताओ।

श्री रामधन चौधरी : तो कम से कम मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि आज कल गर्मी के दिनों में 15-16 घण्टे बिजली पीने के पानी के लिए ही दें। हमें सिंचाई के लिये नहीं चाहिए सिर्फ पीने के पानी के लिये चाहिए, वह भी बिजली नहीं मिलती है। तो आजकल गर्मी के दिनों में, अध्यक्ष महोदय, लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ कहने को नहीं आता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी स्कीमें हैं, जो रीजनल स्कीमें इन्होंने बनाई हैं 10-15 गांवों की, इसमें निवेदन करूं कि छोटी नहीं करेंगे तब तक तो गांवों को लाभ नहीं मिलेगा। 10-15 गांवों में से पांच को लाभ मिलता है और पांच को नहीं मिलता है। पांच गांवों का जो सोर्स है उसका उपयोग नहीं करते हैं। पाइप लाइन डालते हैं 13 किलोमीटर तक, तो उनका ज्यादा खर्च होता है। वीच में ट्यूबवैल लगाते हैं तो वह ट्यूबवेल का खर्चा पाइप लाइन के खर्च में से ही निकल जाता है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा मंत्री महोदय को कि जब पिछले साल रामनिवास जी आये थे उनकी विशेष कृपा हुई, एक हजार मीटर तक पानी निकला था। वहां एक ट्यूबवैल खोदा और पता नहीं कहां से सोर्स बढ़ गया कि वह पानी आया।

(9.00 रात्रि)

अध्यक्ष महोदय, पांच सात गांवों के बीच में उन्होंने पांच सोर्सेस तय किये थे वह कामयाब हो जाते तो मैं समझता कि मेरे यहां पानी की समस्या हल हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे नागौर जिला के लिये पशुओं और ढाणियों को लेकर जो स्कीम छोटे रूप में बनी उससे तो दुखी था ही था, उसके बावजूद लाडनूं तहसील में सबसे पहले पानी वाली जो बीमारी थी यह सबसे बड़ी थी, क्योंकि यह पेयजल पीने

(श्री रामधन चौधरी)

का पानी एक तरफ तो मेघवा से लाते हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट में वो यह ट्यूबवैल खोदते हैं और वहीं से बिजली का कनेक्शन मिलता है पूर्वी साइड के गांवों को। बिजली नहीं मिले तो सीकर जाओ उसको कहने के लिए। दूसरे लाडनू से प्रापर लाडनू में जो पानी का सोर्स मिला था जिससे सुजानगढ़ को पानी देते थे आज, अध्यक्ष महोदय, उनको भी पानी नहीं पहुंच रहा है जब कि उसकी आज तक शिकायत नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तो समयाभाव से मैं नहीं बोलता लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिजली वाले महकमे को थोड़ी सी ताकीद दें तो अच्छा रहेगा। गरीब जनता प्यासी मर रही है और बहुत बुरी हालत हैं पशुओं की और इन्सानों की। इसलिए आप उस पर थोड़ा सा जोर देकर सुबह ही उनको टेलीफोन करें तो बहुत अच्छा होगा।

अब मैं पी. डब्ल्यू डी. मंत्री जी को तो विशेष धन्यवाद देता ही हूं क्योंकि बीस साल से मेरे यहां एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूं हमारे कृषि मंत्री जी को कि जिन्होंने यह तो साबित किया कि डामर रोड बनती कैसे है। 20 साल तक के और 25 साल तक के नौजवान यह नहीं जानते थे कि डामर रोड किस चीज से बनाई जाती है। इन्होंने कृषि उपज मण्डी की तरफ से सात आठ किलोमीटर पिछली साल सड़क बनवाई है और उसका काम भी चल रहा है। तो यह अनुभव हुआ कि यह किस प्रकार से बनती है। मैंने बार-बार निवेदन किया और आज भी कर रहा हूं, मंत्री महोदय, मेरे यहां निम्बा-जोधा से नागौर 60 किलोमीटर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पंचायत हैडक्वार्टर से जोड़ने की, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से पंचायत समिति को जोड़ने की बात है–मैं तो कहता हूं कि मेरे तहसील हैडक्वार्टर को तो जिला हैडक्वार्टर से जोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 65 किलोमीटर का रास्ता है और दूसरी तरफ 140 कि लो मीटर का रास्ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने प्लान भी बनाया है और पता नहीं क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, हर साल सड़कों के टेन्डर होते हैं, पैसा लैप्स हो जाता है, कभी सैंक्शन नहीं आती और जब सैंक्शन नहीं आती कि अब काम शुरू कर रहे हैं, थोड़ी गिट्टी डालते हैं और कहते हैं वह पैसा लैप्स हो गया। अब नहीं बनेगी। तो चार साल से यही रवैया चल रहा है। अब यह एक सड़क यदि बन जाती है तो कम से कम मैं यह तो समझूं कि हमारी तहसील को जिला हैड क्वार्टर से जोड़ दिया। एक तो आखिर की तहसील है, अध्यक्ष महोदय, और दूसरे वाया डीडवाना जाने से पैसा और समय दोनों डबल लगते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कि लाडनू निम्बाजोधा तक सड़क बनी हुई है, निम्बाजोधा से नागौर सड़क सीधी है और दिन में बीसियों बसें चलती हैं। आप इस को अपने इसी प्लान में लें और जिस तरह से भी हो चाहे किधर से भी बनायें, अधिकारियों ने कहा है कि हम तीन टुकड़े करेंगे। तो तीन साल में एक एक

(श्री रामधन)

टुकड़ा भी बनायें तो भी यह पूरी हो जाती है। तो विशेष महरवानी करके इस पर विशेष ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं कहना। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। मेरी पंचायत समिति में एक ग्राम है गीलवा जो पंचायत हैडक्वार्टर है और अधिकारी उसको डीडवाना से जोड़ रहे हैं। आना है उसको लाडनूं और डीडवाना के बीच में पड़ता है। जब मैंने उनको लिखा तो वह कहते हैं कि हमने तो डीडवाना से जोड़ दिया। अभी तक जोड़ा-वोड़ा नहीं है। अभी प्लान में लिया है। मैंने जब लिखा कि यह लाडनूं पंचायत समिति की पंचायत है इसको डीडवाना से जोड़ने से क्या फायदा है, जिधर से भी जुड़ जाये जुड़ जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भूख लगी है और आप कह दें कि पानी पीलो, प्यास लगी है और आप कहें खाना खालो, यह किस प्रकार का मेल है ? यह घोषणा करते हैं कि पंचायत हैड-क्वार्टर को हम जोड़ेंगे। या तो जोड़ें ही नहीं और जोड़ें तो सीधे रास्ते तो जोड़ें। तो यह....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामधन चौधरी : यह मीठागीदौड़ा ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर को आप लाडनूं से जुड़वाने के लिए कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उधर से तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं और इधर से एक भी नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुबह से यहीं पर हूं। मैं तो कहीं घर भी नहीं गयी खाना खाने।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : मेरा तो चौथा नाम ही है। मैं यहां से छोड़कर ही नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आसन को कई बातों का ध्यान रखना होता है-क्षेत्र, जिला। आपके जिले से कई बोल गए और कई जिलों के बोले ही नहीं अभी तक।

श्री हेमाराम चौधरी : समस्या तो हमारे यहां है बाकी तो हाका कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इच्छा व्यक्त करते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। माननीय सदस्य, मजबूरी है। आपके जिले से तीन चार बोल दिये। आर्डर, आर्डर। श्री बजारी।

श्री विष्णु बजारी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आक-र्षित करना चाहूंगा कि बीसलपुर योजना

(श्री विष्णु बजारी)

का कार्य, जो इस वर्ष इन्होंने योजना में लिया है, के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का बहुत ही आभरी हूं। इसके साथ ही जो मेरे विधान सभाई क्षेत्र में नीमाज योजना की बनाई गई उसका कार्य भी आरम्भ हुआ। उसके ऊपर राजस्थान सरकार का 198 लाख रुपया खर्च भी हुआ लेकिन इस योजना का जितना लाभ ब्यावर नगर को मिलना चाहिए था उतना लाभ इस योजना का बिलकुल भी नहीं मिला। इस बात की ओर मैंने खत के माध्यम से बारबार मंत्री महोदय और अधिकारी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे ब्यावर नगर के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत दो ओवर हैड टैंक भी बनाये गये। न बड़े दुख की बात है कि एक ओवर हैड टैंक है वह तो बिलकुल कम्पलीट हो चुका लेकिन उसको पाइप लाइन से अभी तक नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण ब्यावर नगर की जनता को आज भी पीने के पानी का होते हुए जिस प्रकार से वितरण होना चाहिए उस प्रकार से वितरण नहीं होता और से नगर की जनता के पास जो पानी पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता इस लापरवाही के कारण। जब हमारी राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपया खर्च किया ब्यावर नगर की जनता को पीने का पानी देने के लिए किन्तु अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह कार्य अभी तक पूरा नहीं होने के कारण नगर की जनता आज भी पीने के पानी के लिए दुख उठा रही है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 1981-82 के अन्दर पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय ने इसी विधान सभा में घोषणा की थी कि ब्यावर नगर का जो जलदाय विभाग है उसको हमारी राजस्थान सरकार अधिग्रहण कर लेगी। 1981-82 में घोषणा करने के बाद भी इसको नगरपालिका से आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया जिसके कारण न तो नगर परिषद पूरा इसके अन्दर कार्य करती है और न पी. एच. ई. डी. इसके अन्दर कार्य करता है। इसके कारण नगर की जनता को पानी के वितरण की व्यवस्था में बहुत ही दुख उठाना पड़ता है।

इसके साथ ही आपके माध्यम से एक बात औरनिवेदन करना चाहूँगा कि 1982-83 के अन्दर एन. एस. जी. डॉ. मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसके अन्दर ब्यावर नगर के लिए जो पुरानी पाइन लाइन है उसको बदलने के लिए, 15 लाख रुपये की राशि पी. एच. ई. डी. ने स्वीकृत की थी लेकिन बड़े दुख की बात है कि दो साल निकलने के बाद भी आज तक उसके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जिसके कारण वितरण व्यवस्था बिलकुल ही खराब हो रखी है और आज भी ब्यावर नगर के अधिकांश हिस्सों के अन्दर जो पानी पहुंचना चाहिए वह पानी नहीं पहुंचता। इसलिए

(श्री विष्णु बजारी)

आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो मैंने यह दो तीन बातें आपसे निवेदन की हैं उसके बारे में आप ध्यान देंगे ।

इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति के दो तीन गांव हैं उनके अन्दर नल योजना बनाई थी हराखेड़ा, बड़ाखेड़ा, कोटड़ा और काबरा । इनके काम भी अभी तक शुरू नहीं हुए । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष की योजना में इन गांवों को लेकर उनमें नल योजना आरम्भ करें ।

धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मुगलों के जमाने में शराब का दौर चला करता था, मुगल साम्राज्य चला गया लेकिन हमारी सरकार की शराब की जैसे लाटरी खुल गई हो । यह भी आप भूल गये कि संविधान के लिए शपथ खाई है कि हम उसकी पालना करेंगे । अनुच्छेद 47 को अगर हम पढ़ें तो देखेंगे, "राज्य, अपने लोगों के पौषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने को और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।" मंत्री महोदय शपथ आपने भी खाई होगी, मैंने खाई है इसलिये आपको बार-बार याद दिला रही हूं, आपको आग्रह करती हूं कि यह शराब बन्द कर दी जाये । मंत्री महोदय, आपने और मुख्य मंत्रीजी ने एक जगह आश्वासन दिया और वह भी एक ऐसे सन्त आदमी को आश्वासन दिया आपने कि हम पूर्ण शराबबन्दी की ओर चलेंगे । एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके आपने यह कहा कि हम इसकी मीटिंग आयोजित करेंगे और इसकी रिपोर्ट पर विचार करेंगे । मीटिंग में आप गये नहीं । आपकी सरकार के जो कुछ और लोग नियुक्त थे वे भी वहां गये नहीं । लगातार यह टाइम बढ़ता जा रहा है । यह 1983 तक का टाइम था, आपने मार्च तक का लिया । अब आप यह चाहते हैं कि इसमें और टाइम बढ़ा दें दो महीने का । केवल आपका मन्तव्य लगता यह है कि आप विधान सभा सत्र समाप्त हो जाये, इसकी इन्तजार कर रहे हैं और करना जाना कुछ नहीं । आपका मन बनाइये । आपको कोई कष्ट नहीं देगा । सारे प्रदेश की जनता आपके साथ है । प्रधान मंत्री जी ने जो 50 पर्सेन्ट आपका नुकसान होगा उसको भरने का कहा है । उन्होंने कहा कि हम केन्द्र से देंगे । मैं आपसे कहती हूं कि 50 प्रतिशत कहीं से भी झोली से मांग कर लायें । मैं मांग कर लाऊंगी और आपका जो खामियाजा होगा उसको पूरा करूंगी । मैं आपसे आग्रह करूंगी आप प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिये और सामाजिक अच्छा वातावरण बनाने के लिये शराबबन्दी कीजिये । हमारे सारे धर्मों का उपदेश है, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिन्दू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई यह नहीं कहता कि शराब पी जाय, पिलाई जाये । मान्यवर, आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो ब्राह्मण हैं, वित्त मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी आप कठोर कदम किस तरह से ले रहे हैं, आप ऐसे हैं नहीं, आप कृपा करके इस शराब को बन्द कीजिये। आपने किया क्या है बहाना बनाने के लिये कि स्कूल और कालेज संस्थाओं के पास हम शराब बन्द कर देंगे। लेकिन आपके एक्साइज एक्ट की धारा 75 है, उसमें स्कूल नहीं जोड़ा और कालेज एजूकेशन केवल जोड़ दिया इससे आप बच गये। आपने यह और कह दिया, देवस्थान के जो रजिस्टर्ड मन्दिर हैं, यह तो बहुत कम हैं, हमारे यहां तो गली-गली में बहुत पास-पास में मन्दिर हैं। मन्दिर के पास आपने दुकानें खोल रखी हैं, मस्जिद से पास आपने शराब की दुकानें खोल रखी हैं। मान्यवर, यह अन्याय प्रदेश पर मत कीजिये। आपको कहीं चालू करवानी है तो जहां पियक्कड़ रहते हों उस जगह जाकर करवाइये। आपने एक बार कहा कि यदि आपको कोई लिखकर दे देंगे कि वहां की जनता नहीं चाहती तो हम शराब वहां पर बन्द कर देंगे। आपको बार-बार आग्रह किया गया। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगी, शास्त्री नगर के ठेके का। अभी तक बन्द नहीं हुआ है, मान्यवर।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : वहां की दुकान उठ गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां पर दुकान की बोतलें अभी पड़ी हैं जिससे आशंका यह है कि फिर ताला खुल जावेगा जैसे गई बार खुल गया था। आप चाहते हैं, करना, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं शराबबन्दी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि कोई अवैध शराब बनाकर न पी जाये। परसों के अखबार को पढ़ लीजिये। अजमेर जिले में पीसांगन में दो आदमी मर गये और 8 ऐसी हालत में पड़े हैं जिसके लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा। आप कह सकते हैं आप बहुत चिन्तित हैं कि कोई जहरीली शराब न पीये। आपने शराब खोल दी, फिर जहरीली शराब पीयेंगे, अवैध शराब पीयेंगे। आप कहां नियंत्रण कर पाये। इन सारे कामों में मैं समझती हूं आप निर्णय लीजिये। चार साल बीत गये। यह बात जरूर है पागल बनाने के लिये, चुनाव में, बेवकूफ बनाने के लिये आप लोगों को फिर शराब चाहिये इसीलिये आप बन्द करना नहीं चाहें तो आपकी नीयत में बदनीयती समझूंगी। मैं यह कहना चाहूंगी, आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि उनको तो आप किसी और चीज से प्रोत्साहन दे देना लेकिन आप मेहरबानी करके इस प्रदेश में शराब बन्द कीजिये। पूर्णत: शराब बन्द कीजिये। पूर्णत: शराबबन्दी कीजिये। 26 के 26 जिलों में। मान्यवर, शराबबन्दी थी परन्तु एक दिन सपना आया, 11 अगस्त को शराब खोल दी। मुख्य मंत्रीजी ने आते ही शराब खोल दी। शराब की जो लाबी है इसको फेल कीजिये। मैं कहती हूं कि आपने संविधान की जो सौगन्ध खाई है उसकी रक्षा के लिये भी, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिये भी आपको शराबबन्दी करनी चाहिये।

(824)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये और कहना चाहती हूं कि हमारे जो स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज रात को दो बजे तक सड़कों पर दुकानें खुली पड़ी हैं ? इनके ऊपर कोई शाप एक्ट लागू नहीं होता, बच्चों को, जो पढ़ते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। एक लाख आदमी ये केवल शराब पीने वाले, जनता पार्टी की सरकार ने शराब बन्द की थी, उनके लाइसेंस बनवा दिये गये थे। एक लाख आदमियों के लिये आपको इतनी चिन्ता है कि आपने उनके लिये शराब की दुकानें खुलवा दीं। जो पीते हैं उनको तो लाइसेंस मिल ही रहा था। और आने वाले बच्चे नहीं बिगड़ते। अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाइये, ये अनसमझी का काम कर रहे हैं, शराब बन्द कीजिये, पूर्णतः शराब बन्दी कीजिये। वित्त मंत्री महोदय, इस आय से कोई विकास का काम होने वाला नहीं है। पाप की आय बुराई के मार्ग पर ले जायेगी। और बुराई में जब ले जायेगी तो राजस्थान जिस पर हमको गर्व है और सभी सोचते हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कनक राज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सक्षेप में मैं अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : सभा उठने को है, इसलिये जल्दी-जल्दी आप कह दीजिये।

श्री कनकराज मेहता : मेरे यहां जो क्षेत्रीय योजना है वह बहुत बढ़िया चल रही है और जो नई योजना चालू की है उसके लिये मैं राज्य सरकार को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर शराबबन्दी नहीं करें तो इनको पैसा नहीं दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या।

श्री कनकराज मेहता : मंत्री महोदय, आप इन योजनाओं के जरिये जहां पानी नहीं पहुंचता था वहां दो सालों के अन्दर पानी पहुंचाने का निर्णय ले कर उस जनता को बहुत लाभान्वित किया है, इसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। इसके साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर के अंदर 6 और क्षेत्रीय योजनायें हैं जो पुरानी हैं और काफी पुरानी हो चुकी हैं, उसके ट्यूब वैल कहीं पर तो सूख गये हैं। जैसा कि सीरू के अन्दर ट्यूब वैल हैं वे बिल्कुल सूख चुके हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बारे में उनकी निगरानी थोड़ी ठीक

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कनकराज मेहता)

ढंग से नहीं होने के कारण, और ठीक ढंग से नहीं चलाने के कारण 6 ट्यूब वैल सूख गये और कम से कम 8, 10 गांवों का पानी बिल्कुल बन्द हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन ट्यूब वैलों को जल्दी से जल्दी साफ करा करके शुरू करवायें और यदि शुरू न करवा सकें तो कोई आल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऐसा किया जाये ताकि आने वाली भीषण गर्मी के अन्दर इस योजना से जहां पानी पहुंच सकता है वहां पानी पहुंचे। मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर के अन्दर पानी अनाप-शनाप है सांचौर खास में, लेकिन सांचौर प्रापर की जो क्षेत्रीय योजना है सांचौर हाड़ी योजना वह बहुत पुरानी योजना है। इस योजना को करीब बीस साल हो गये और इस योजना के अन्दर आज दिन तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। 50, 60 कनेक्शन थे जो अभी 500 कनेक्शन उसी लाइन पर हो गये हैं। तो मेरा यह निवेदन है और मैंने राज्य सरकार को भी लिखा था इस योजना के लिये, जो पहले योजना बनी थी वह ग्राम पंचायत के समय में बनी थी अब सांचौर एक नगरीय क्षेत्र हो गया है इसलिये इसको नगरीय योजना में कनवर्ट किया जाये। राज्य सरकार ने मुझे यह कमिटमेंट दिया था कि हम जल्दी से जल्दी नगरीय योजना में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वहां पानी अनाप-शनाप है, ट्यूब वैल काफी हैं, एक ओवर हैड टैंक ही आपको बनाना है। जब तक एक टैंक सांचौर के अन्दर आप नहीं बनायेंगे तब तक, जब बिजली बन्द रहती है तो अनाप-शनाप भीड़ बढ़ जाती है। क्षेत्र के अन्दर जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जिसकी हद नहीं। ग्रामों से भी काफी लोग आते हैं, काम-काज के लिये आते हैं, कृषि मण्डी भी है, उद्योग बस्ती भी है, तहसील हैड क्वार्टर भी है उन लोगों को पेयजल नसीब नहीं होता। तो मेरा यह निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर सांचौर के अन्दर एक ओवर हैड टैंक बनाया जाये। इस टैंक के बनने से क्या होगा कि सांचौर से जो क्षेत्रीय योजना के अन्दर हाड़ेचा की तरफ के करीब 15–20 गांवों को पानी पहुंचाया जाता है उसके अन्दर वह प्रेशर कम पड़ेगा। जो एक टंकी बनी हुई है वह तो गांवाई क्षेत्र को दे दीजिये और नगरीय क्षेत्र के लिए अगर यह एक टंकी बन जाती है तो नगर का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। गांवाई योजना के अन्तर्गत जो हाड़ेचा विलेज है और जो 20 गांवों को पानी दिया जा रहा है उनको भी अच्छी तरह से मिलेगा और प्रेशर भी बढ़ जायेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि इन योजनाओं पर कुछ अधिकारियों का ठीक ढंग से मानीटरिंग न होने के कारण लोग सुस्ती कर जाते हैं। जहां पर आपने कमीशन कर दिया, उसके आंकड़े तो आ जाते हैं, लेकिन साथ में आप इन लोगों को यह भी बाधित करिये कि एक महीने में किस किस योजना में किस किस गांव में पानी जाता है और किस, किस गांव में नहीं जाता है। मेरे क्षेत्र में काफी गांव तो ऐसे आये हुए हैं जहां धरती के अन्दर पानी नहीं है, वहां पानी के सोर्स नहीं हैं इसलिये

(श्री कनकराज मेहता)

वहां अगर हर तीसरे रोज भी पानी पहुंच जाय तब तो ठीक है वरना भीषण गर्मी में लोगों का जीवन खतरे में हो जायेगा। तो आप अधिकारियों को बाध्य करिये कि वे यह देखें कि कहां-कहां पानी पहुंच रहा है और कहां कहां पर नहीं पहुंच रहा है या फिर कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट के जरिये जहां पर धरती में पानी नहीं है वहां कम से कम तीसरे रोज पानी पहुंचना चाहिये।

मेरा निवेदन है सांचौर में बिजली का कनेक्शन अभी हुआ है लेकिन बिजली रेगूलर न आने के कारण चार-चार, पांच-पांच रोज तक पानी बन्द रहता है। इससे शहर के लोगों और गांवों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और पशुओं को पानी पिलाना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसी योजना आपके पास है जहां आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट किया जा सकता है जैसे सांचौर खास में कई बेरे हैं उनमें एक मोटर लगा दी जाय तो मेरे खयाल से पानी की कमी नहीं रहेगी। वैसे देवड़ा हाड़ेचा से कल, परसों ही मैं आया हूं, तीन चार बेरे ऐसे हैं जिनमें पानी अनाप-शनाप है अगर वहां आप लम्बी योजना न बना कर उस गांव के अन्दर जो पानी के सोर्सेज हैं उनको टैप करके कनेक्शन दिया जाय तो मेरे खयाल से काफी रिलीफ मिल सकता है। पानी एक आवश्यक चीज है और जिस योजना को आपने फैलाया है उसमें सुचारु रूप से पानी हर क्षेत्र को हर योजना के अन्दर मिलता रहे, यह भी देखना बहुत आवश्यक है। मेरा यह भी निवेदन है कि इस क्षेत्र के अन्दर जब पाइप लाइन बन्द रहती है, 15-20 गांव ऐसे हैं जहां महीनों तक पानी नहीं पहुंचता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर जो वाटर मैन रखे हुए हैं वे क्या करते हैं। न तो पूरी ड्यूटी देते हैं, जहां पाइप लाइन टूट जाती है वहां पर नहीं जाते हैं। सारा पानी वेस्ट होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सांचौर क्षेत्र में इतनी लम्बी चौड़ी योजना होने के बावजूद वहां जीप एक भी नहीं है। पांच दिन के लिये या सात दिन के लिये केवल उनको जीप मिलती है और सांचौर जालौर जिले का इतना लम्बा क्षेत्र होने के कारण वहां बिना जीप के कन्ट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिये जब तक होल टाइम जीप नहीं देंगे तब तक इस क्षेत्रीय योजना का कन्ट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जायेगा। बस पानी के लिये मुझे इतना ही निवेदन करना है।

रोडों के लिये मेरा निवेदन है कि सांचौर बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, सांचौर से भाखर जो रूट है, एम. पी. आर है वह सबसे पुराना रूट है। सांचौर में मेरे खयाल से जब से गाड़ियां चलना शुरू हुआ तब से यह रूट अभी तक पक्का नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र में मैटीरियल की कमी है लेकिन फिर भी अकाल के अन्दर लाखों रुपया खर्च हो गया है। रूट पक्का न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी रहती है। यही रूट ऐसा है जो सांचौर की सबसे बड़ी ग्रेनरी है, जो अनाज पैदा करने वाला क्षेत्र है, उसको कनेक्ट करने से कृषकों को बहुत फायदा मिलता है। अगर यह रूट पक्का हो जाता है तो बैलगाड़ियां, ऊंटगाड़ियां

(श्री कनकराज मेहता)

और भी गाड़ियों से माल लाते हैं उसके लाने में बहुत सुविधा रहेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कनकराज मेहता : तो मेरा यह भी निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने इस ढंग से तस्वीर पेश करने की कोशिश कि राजस्थान के अन्दर पेयजल के बारे में कोई काम हो ही नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, ढाई साल तक वे खुद भी मुख्य मंत्री रहे थे। बिलकुल सही है ढाई साल के अन्दर, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं बाड़मेर जिले में इन्होंने एक इन्च भी पाइप लाइन नहीं बिछाई। अध्यक्ष महोदय, यह उनका दोष नहीं है। वे एक बार हमारे यहा बाड़मेर, जैसेलमेर से लोक सभा का चुनाव लड़े थे। उस समय वहां की जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था इसलिये उनकी हमारे जिले पर कृपा उसी ढंग से ढाई साल तक रही…

(व्यवधान)

अगर आपको ज्यादा ही घमण्ड है तो मैं इस बार आमन्त्रण देता हूं कि वहां आकर चुनाव लड़ें फिर आपको पता लग जायेगा कि पिछले तीन-चार सालों में हमारी सरकार ने कितना काम किया है, या नहीं किया है। प्रतिपक्ष के नेता फरमा रहे थे कि पिंडवाडा के अन्दर ड्रिलिंग मशीन की पूजा हो रही थी। तो ड्रिलिंग मशीन की पूजा नहीं करें तो क्या आपकी पूजा करेंगे। पूजा हमेशा काम की होती है, अध्यक्ष महोदय, कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की पूजा नहीं होती है। जब वहां पर मशीन जायेगी और हैण्ड पम्प लगेगा और लोगों के पीने के पानी की समस्या हल होगी तो क्यों नहीं पूजा होगी। पूजा इसी की तो करनी है, पानी की ही तो पूजा करनी है और पूजा किस बात की करनी है ? जो हमारी मूल समस्या है वह यही तो है। पीने के पानी की जो समस्या है उसको सभी माननीय सदस्य मान रहे हैं कि यह सबसे गंभीर समस्या है और सबसे मूल समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन की समस्या वायु है, वह किसी के कन्ट्रोल की बात नहीं है। उसके ऊपर सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं है लेकिन जो पीने का पानी है वह सरकार के कन्ट्रोल की बात है और उसके लिये सरकार व्यवस्था करे। सरकार भी इसे मूल समस्या मानती है और इसके लिये जो व्यवस्था होती है उसको वे दूसरे ढंग से उछालने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय जवाई बान्ध में पानी समाप्त हो गया था तो यह भयंकर समस्या जोधपुर के अन्दर पीने के पानी की हो गई थी। उसकी आल्टरनेट व्यवस्था हैण्ड पम्पों के जरिये सरकार ने की और लोगों की जो एक तरह

(श्री हेमाराम चौधरी)

की समस्या थी उसको हल किया। तो इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, एक टेम्प्रेरी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उस समय ऐसी कौन सी व्यवस्था की जा सकती थी जिससे कि उन लोगों के लिये पीने की पानी की समस्या हल कर सकते थे, वह बता दीजिये। आपने क्या हैण्ड पम्प की व्यवस्था की? यह दूसरा आपके सामने विकल्प था। उस समय पानी उपलब्ध था भी तो एकदम कभी टैंकरों से व्यवस्था की जाती है, कभी हैण्ड पम्प के जरिये व्यवस्था की जाती है और भी कोई दूसरी व्यवस्था जो जल्दी से जल्दी की जा सकती थी वह सरकार ने की। अब इनकी प्रशंसा करना तो दूर रहा और यह कह दिया कि लोगों को जहर पिला दिया, अध्यक्ष महोदय, एक समस्या खड़ी कर दी हमारे सामने। बाड़मेर जिले में ट्यूब वैल बने और जो कुएं थे, उनका पानी कुछ कड़वा था। जो स्टेण्डर्ड सरकार ने नार्म्स तय किये उसमें हो सकता है कि उसके अनुरूप थोड़ी बहुत कमी रह जाती हो तो यह रिपोर्ट आती है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है इसलिये हम चालू नहीं करते। ग्राम पंचायतों के माध्यम कई गांवों में ट्यूब वैल बने। अध्यक्ष महोदय, वहां जो गांव वालों ने कहा साहब, हमारे यहां ट्यूब वैल बन गया और पानी हमने टैस्ट कर लिया है, पानी बहुत अच्छा है और हम तो पीने के लिये तैयार है। दूसरी जगह से आप पाइप लाइन बिछाओगे तब कहीं जाकर हमारे यहां पानी आयेगा तो आप तो इसमें मशीन लगा दो और हम पानी पीने के लिये तैयार हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने कहते हैं कि इस तरह के पानी को हम पिला नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें टी. वी. एस. ज्यादा है। इस तरह टी. वी. एस....

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ा पालर पानी मिला करके काम में लिया जा सकता है।

श्री हेमाराम चौधरी : उसके बारे में आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं अच्छी तरह वता सकता हूं। एक समय था, बायतू मेरा गांव है, 7 किलोमीटर तक मीठा पानी था नहीं, बिलकुल खारा जहर पानी था, तो लोग पानी के टांके वना बना कर उसके अन्दर पालर पानी इकट्ठा करके रखते थे। वही पानी पीते थे और पालर पानी भी बिलकुल एकदम टांके में रहता था। लोग फिर उसमें खारा पानी मिला करके जो कोरा बर्तन होता है मिट्टी का नया उसके अन्दर रख करके ठण्डा करके उसको पी पी करके टाइम निकालते थे। हमें तो इस बात की जानकारी है कि उस टाइम क्या दिक्कत थी और आज क्या दिक्कत है। ठीक है, आज हम चाहते हैं कि पानी की जो समस्या है उसका हल हो। हमारे गांव में पानी आया है। वह ढाणी से पांच किलोमीटर पड़ता है तो हम चाहते हैं कि पांच किलोमीटर पानी लेने के लिये क्यों जायं। हमारे यहां ढाणियां हैं और हमारे यहां भी 300–400 की आवादी है इसलिये हमारे यहां भी आना चाहिये लेकिन हम पहले जो 20 किलोमीटर से पानी लाते थे, अब केवल पांच किलोमीटर ही जाना

(श्री हेमाराम चौधरी)

पड़ता है, तो हमारी मांग वाजिब है। मांग करनी भी चाहिये। जब शहरों में घर-घर में टूंटी लगी हुई है रसोई में अलग, बाथरूम में अलग, सब जगह है तो वे भी लोग अपने क्षेत्र की मांग करते हैं। मांग करना तो वाजिब है लेकिन यह कहना कि पीने के पानी के बारे में सरकार का कतई कोई ध्यान नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रही है और बिलकुल ध्यान है ही नहीं, एक पैसा ही खर्च नहीं कर रही हैं और बिलकुल सो रही हैं तो इस तरह की तस्वीर तो इसलिये है कि चुनाव का समय नजदीक है इसलिये ऐसा कह कर उसको पेश करना चाहते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में पीने के पानी के लिये जितना पैसा खर्च किया गया है और जितना काम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की कोई व्यवस्था बिलकुल कतई नहीं थी और अब यह जो व्यवस्था हुई है उसमें काफी राहत भी मिली है। माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में बहुत सारे गांव हैं इसलिये हमें धैर्य भी रखने की जरूरत है। सैंकड़ों की तादाद में ट्यूबवैल बने हैं, पानी जगह-जगह पहुंचाया है और भी जो बहुत सारे गांव हैं, उनमें भी पानी जायेगा, ट्यूबवैल भी खोदे जायेंगे और तरह से भी पानी मुहैया कराया जा रहा है और कराया जायेगा। तो इस तरह पीने के पानी की व्यवस्था करने में कोई जादू का डण्डा तो है नहीं जिसको घुमा दिया और पानी हो गया लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह सजग है।

अध्यक्ष महोदय, तो जो पहले की पानी की स्थिति थी उसमें काफी सुधार आया है फिर भी यह जो ढाणियों की बात है उसके लिए मैं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के पास में एक बार गया था। उन्होंने एक लैटर लिखा था बूटासिंह जी को ढाणियों के बारे में। मैंने उसके बारे में पूरी तौर से पढ़ा तो ढाणियों का जिक्र था। तो उनको ढाणियों के बारे में सब ध्यान है कि इस तरह से पीने के पानी की ढाणियों की समस्या है उसको भी हल करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो ट्यूबवैल बनाकर और कुओं के ऊपर बिजली या डीजल पम्पिंग सैट लगाकर व्यवस्था करने की बात है इससे वर्तमान में जो पेयजल की समस्या है उसको तो हल कर लेंगे लेकिन आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए स्थायी हल करना है। हमारे बाड़मेर जिले की मैं बात कर रहा हूं तो उसके लिए एक स्थायी हल है, वह है राजस्थान नहर। जब तक राजस्थान नहर ने हमारे यहां पानी नहीं पहुंचाया जायेगा तो हम कुछ वर्षों के लिए....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सब को 7–7 मिनट का समय दिया। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बाड़मेर के बारे सुबह से आशा लगाये बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, इस पर कोई विवाद नहीं होगा। माननीय सदस्य, मैंने सभी माननीय सदस्यों को....

श्री हेमाराम चौधरी : दो मिनट तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। श्री भंवर लाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भंवर लाल दो हैं।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि चूरू जिले में 900 गांवों में से 353 गांवों के लिए राजस्थान नहर से पानी देने की योजना बनायी है। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि चूरू जिले के अन्दर 4 वर्ष के अन्दर करोड़ों रुपये जलदाय विभाग में पाइप लाइनों के ऊपर खर्च किये हैं लेकिन···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करोड़ों रुपये ?

श्री भंवरलाल मेघवाल : जिस प्रकार से लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बात रखी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर वही बातें लागू होती हैं जो रामसिंह जी ने यहां पर बतायी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जिसके अन्दर 150 गांव है, में से 100 गांवों के अन्दर पिछले वर्षों में रीजनल पाइप लाइन बिछाकर गांवों को जोड़ा गया है। 40 गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर सीकर जिले में पानी आता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दया है। हमारी दया है।

श्री भंवरलाल मेघवाल : 30 गांव ऐसे हैं, 2 शहर छातर और सुजानगढ़ जिसके अन्दर लाडनूं जिला नागौर से पानी दिया जा रहा है लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीकर जिले के अन्दर एग्रीकल्चर के कुएं ज्यादा हैं और जो लाइन पी.एच.ई.डी. के कुओं के अन्दर देते हैं उन्हीं में से कनेक्शन उन एग्रीकल्चर के कुओं को दिया गया है जिसके कारण से उन कुओं की कटौती की जाती है। उन्हीं के कारण सिर्फ 4 या 5 घन्टे उन जलदाय विभाग के कुओं को बिजली दी जाती है। अलग फीडर, अलग लाइन नहीं होने के कारण सिर्फ 4 घन्टे अगर बिजली रहे तो पहले 4 गांवों के अन्दर पानी पहुंच सकता है लेकिन आखिर के जो 15-15 गांव 30 30 किलोमीटर की लाइन में हैं उनके आखिरी छोर पर कभी भी आज तक पानी नहीं गया। ऐसे बीसियों गांव हैं जिनके अन्दर पाइप लाइन बिछे हुए किसी को 4 साल हो गये, कहीं 5 साल हो गये, कहीं 6 साल हो गये लेकिन जहां पर एक बूंद भी पानी नहीं गया है और पाइप लाइन टैस्ट ही नहीं हुई है। जब गांवों के अन्दर हम जाते हैं तो वहां की जनता एक ही बात कहती है कि इन पाइप लाइनों को उखाड़ कर दूसरे गांवों में ले जाओ ताकि वहां के लोगों को तो फायदा हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जो जलदाय विभाग के कुएं हैं इन कुओं के अन्दर बिजली विभाग की अलग से लाइन और अलग से फीडर रखा जाय ताकि उनको 24 घन्टे वहां पर बिजली

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

मिलने से टेल एण्ड के जो गांव हैं उनको पानी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इस साल नगरीय जो योजनाएं हैं उनके अन्दर पुनर्गठन में सुजानगढ़ का नाम है लेकिन उसके अन्दर सिर्फ 4-5 लाख रुपये ही स्वीकृत किये गये हैं। 30 साल से योजना बनी हुई थी। 30 साल पहले 30 हजार की आबादी का वह कस्बा सुजानगढ़ लगभग 51 हजार की आबादी का आज के दिन है। ऐसी स्थिति के अन्दर 5 लाख रुपये की जो धनराशि पुनर्गठन के लिए स्वीकृत की गयी है वह बहुत कम है। अभी तक वह जो राशि स्वीकृत हुई है उसका भी काम चालू नहीं हुआ है। सुजानगढ़ के अन्दर आज से 30 साल पूर्व मशीनों के द्वारा वहां कुएं खोदने की चेष्टा की गयी थी लेकिन उस समय ड्रिलिंग मशीनें नहीं थीं जिससे वहां का ग्रेनाइट पत्थर नहीं तोड़ा जा सका। आज से दो साल पूर्व ग्रेनाइट पत्थर को वहां ट्रायल पर बोर किया गया है और वहां पर मीठा पानी निकला है। मुझे यह उम्मीद है कि सुजानगढ़ के अन्दर अगर उस ग्रेनाइट पत्थर को तोड़ा जाय तो निश्चित तौर पर वहां पर मीठा पानी निकल सकता है। 5 लाख रुपये जो स्वीकृत हुए हैं, उनके अन्दर ट्रायल के आधार पर एक कुंआ खोदा जाना चाहिए। इसी प्रकार से 1966 के अन्दर जब योजना बनी थी उस समय से करीबन 5-7 लाख रुपये के लोहे के पाइप उस स्कीम के पड़े हैं। वह लोहे के पाइप वहां पर काम में नहीं आ रहे हैं। अगर उन लोहे के पाइपों को दूसरे जिलों के अन्दर, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, भेजा जाय और उनकी एवज में दूसरा पाइप भेजा जाय तो वहां की जनता को काफी लाभ हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के अन्दर कहीं भी पानी नहीं है। अगर है तो वह बहुत थोड़ा है, गहरा है। धीरे-धीरे पानी से खत्म होता जा रहा है। आगे आने वाले समय में वह पानी भी बहुत कम मिलेगा। ऐसी स्थिति के अन्दर हमारे चूरू जिले के लोगों की यह पूरी मांग है कि राजस्थान नहर से जिस प्रकार से 353 गांवों को जोड़ा जा रहा है हमारे चूरू जिले के सभी गांवों को उसी पानी से जोड़ा जाय ताकि उन लोगों को पीने का पानी आगे आने वाले समय में मुहैया हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार को निवेदन करूंगा कि इस मांग को निश्चित रूप से वह माने। दूसरे, पी. डब्ल्यू. डी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायें। श्री भंवर लाल अन्तिम वक्ता होंगे उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भंवर लाल जी क्या बोलेंगे हवामहल से आते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखिये, मेरी बात सुनने के लिए तो मुख्य मंत्रीजी भी आ गये। अजी वे तो कुछ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समझते भी हैं, आप तो समझते ही नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बड़ा कम है इसलिए मैं बात बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। माननीय आबकारी मन्त्रीजी से तो मैं चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य पढें तो आपने जो लाइसेंस की शर्तें रखी हैं उसमें 11 (ख) है इसमें आपने लिखा है, "लाइसेंसधारी शराब की दुकान अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 500 मीटर के अन्दर नहीं लगा सकता।" इसमें आपने जो शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख किया है, शिक्षण संस्थाओं का मतलब मैं यह समझता हूं कि जो भी रिकग्नाइज़्ड ऐसे स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी हों, चाहे उसके ऊपर की क्लासेज के हों और चाहे वह सरकारी हों, चाहे सरकारी नहीं हों, उनसे 500 मीटर की दूरी पर दुकान खोली जा सकेगी। लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वह कभी-कभी इसका अर्थ कुछ दूसरा लगा लेते हैं। तो आप यह स्पष्ट करें कि शिक्षण संस्थानों से मतलब जो मैंने आपके सामने रखा है वही है या इसमें भी कोई फर्क है। एक तो यह बात बता दें।

दूसरा, जब आपकी शराब की दुकान खुलती है तो मनमाने ढंग से शराब का ठेकेदार दुकान खोलता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ब्रह्मपुरी है हमारी, जिसके नाम से पता लगता है कि सिवाय ब्राह्मण के कोई रहता ही नहीं, जहां दारू को पीने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा।...

श्री सुजान सिंह यादव : पण्डित लोग तो आजकल पीते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पण्डित जो शराब पीते हैं वह इधर नहीं रहते, वह उधर रहते हैं, बूंदी की तरफ रहते हैं। तो वहां तो यह आपत्ति की बात नहीं रही। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब आप स्थान का चयन करें उस समय यदि आप वहां के जन प्रतिनिधियों की सलाह ले लें कि भाई, बताओ यह स्थान ठीक है या नहीं। इससे दो लाभ होंगे। एक तो जनता में अशांति पैदा नहीं होगी, जन प्रतिनिधियों को भी दिक्कत खड़ी नहीं होगी। फिर जब आपको शिकायतें आती हैं तो दो महीने बाद, चार महीने बाद आपको दुकान बन्द करनी पड़ती है। तो वह भी नुकसान होता है। इसलिए...

श्री सुजान सिंह यादव : चोरी नहीं होगी आपके हल्के में। वह रात भर जागते रहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे तो उधर चोर रहते ही नहीं है। जाने नहीं देते चोर को वह तो आपकी तरफ होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा और इसमें जोड़ें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक होगा। यह तो दारू पानी की बात हुई, अब मैं पानी की बात करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का प्रेशर रहता है तो जयपुर शहर में भी पानी का प्रेशर रहता है, साहब, और जैसे-जैसे विधान सभा का प्रेशर कम होता है तो जयपुर शहर के पानी का प्रेशर भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कम हो जाता है। अब यह छः छः महीने में एक बार मिलते हैं तो इस तरह से प्रेशर कहां से बढ़ाते रहें। हालांकि इनके जो अधिकारी हैं उनके कार्य में कोई कमी नहीं रहती हैं बड़ी तत्परता से काम करते हैं लेकिन उनकी एक शिकायत रहती है कि पानी की तो हमारे पास कमी नहीं है लेकिन इस पानी को जो लाया जाता है उसका तरीका है बिजली, वह बिजली हमको मिलती नहीं है और बिजली नहीं मिलती तो हम पानी नहीं ला पाते हैं और जब बिजली वालों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि यह झूठा आर्गूमेंट देते हैं, बिजली की कमी नहीं है बिजली तो इनको सबसे ज्यादा देते हैं। इसलिए ऐसा कोई रास्ता बताइये जिससे यह बात तो समझ में आवे कि गलती है किस की।

दूसरा, मैंने पिछली बार भी एक सुझाव दिया था, माननीय मंत्री महोदय यहां पर नहीं है, कि आप जिन्दा लोगों को तो पानी नहीं पिला सकते तो यह बात तो समझ में आ गई क्योंकि आप सब लोगों ने यह शिकायत की है, धन्यवाद तो दिया है लेकिन आखिर में खाट खड़ी कर दी है सरकार की। आप जिन्दा लोगों को तो पानी नहीं पिला सकते परन्तु श्मशान मे तो पानी का हैण्ड पम्प लगा दीजिए। जो श्मशान हैं वहां पर आपको तो जाने का मौका नहीं मिलता लेकिन जो लोग गये होंगे उनको पता होगा कि वहां पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। वहां पानी नहीं होने से कितनी तकलीफ होती है। धार्मिक संस्कारों के लिए पानी चाहिए होता है, वहां तिलांजलि, जलांजलि आदि आदि कई बातें ऐसी हैं जिनको करनी पड़ती है। वहां पानी नहीं मिलता है। आपने इतने हैंड पम्प लगाये हैं तो एकाध श्मशान में भी लगा दें तो आपको आने वाला समय याद करेगा कि भाई, जिन्दा लोगों को तो पानी नहीं पिलाया था लेकिन मरने के बाद तो आपने पानी की व्यवस्था की। यह व्यवस्था तो कम से कम आप कर दें।

दूसरी जो कठिनाई अभी पैदा कर रखी है जयपुर शहर में जब तक आपको जे. डी. ए. यह लिखकर न दे, नो आब्जेक्शन, तब तक आप पानी का कनेक्शन नहीं देते। हजारों मकान जयपुर शहर में बन गए। उन्होंने पैनल्टी के, डवलपमेंट चार्जेज के सारे पैसे दे दिए, अब भी आप पानी का कनेक्शन नहीं देते। तो शायद आपका लक्ष्य यह रहा होगा कि कहीं यदि कभी इनको तोड़ना पड़ा तो पानी का कनेक्शन रहेगा तो इनको हटाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि आप वाटर कनेक्शन दे देंगे तो उनको हटाने में कठिनाई पैदा करेंगे। अगर यह थिंकिग है आपकी तो बहुत पूअर है, यह कोई बेस नहीं रखता। जिसका मकान बन गया लाखों रुपयों का, अगर आपकी ताकत है कि लाखों रुपये के मकान वाले को, नाजायज कब्जे को हटा सकेंगे तो नल के टुकड़े को हटाने में क्या देर लगने वाली है आपको। इसलिए एक अनावश्यक रूप से उनको नल और बिजली देने की आपने मना कर रखी है। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप भी यहां बिराजमान हैं मैं आपको ही निवेदन करना चाहता हूं कि,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह पानी का कनेक्शन नहीं देने के लिए आप कोई तर्क दीजिए कि आप पानी का कनेक्शन क्यों नहीं देना चाहते हैं। आपको वह पैसा देता है, आपको बिल चुकाएगा, he is a bonafied consumer वह आपका कस्टूमर है, आप उसको पानी क्यों नहीं देना चाहते ? और उन मकानों में देना नहीं चाहते, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके आपने पैसे ले लिए, जे. डी. ए. ने ले लिए, सारे ले लिए· · ·

श्री अध्यक्ष : किसको कनेक्शन देना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मकान मालिक को, कंजूमर को, मकान मालिक को····

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी और बिजली के कनेक्शन बन्द कर दिए हैं आठ महीने हो गए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने बन्द इसलिए कर रखा है कि इसको पानी का कनेक्शन दिया· · ·

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आपने 28 महीनों तक हमको तंग किया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया था आपको ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो हमारे पुराने कनेक्शन काट लिए थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके कनेक्शन अभी कटने वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बात करते हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या बैठ जावें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके कनेक्शन तो कटने वाले हैं। हमने क्या कर दिया, वह तो जब हम जेल से छूट कर आए थे ना, आपको अन्दर रखना चाहिए था। यह तो हमारी उदारता थी जो आपको बाहर रखा। क्या बात करते हो। इस बात को छोडो और वही बदला निकालना चाहते हो, अगर आप यही बदला निकालना चाहते हो जनता के साथ तो आपके कनेक्शन काट देंगे। क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, इसका बदला आप इस तरह से करना चाहते हो। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो।

श्री सुजानसिंह यादव : अजी कोई ××× होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ××× जो भी आदमी अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ××× पैसा जमा करता है उसको पानी का कनेक्शन दीजिए। क्यों नहीं देते हैं आप ? तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी आज की यह बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आप विचार करके इसका उत्तर दिलवायें आपके मन्त्री जी से।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक दूसरा, अध्यक्ष महोदय---

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

अब सरकार की ओर से उत्तर होगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब सम्भव नहीं है ।

अब सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल की जो मांग है उसका उत्तर सरकार की ओर से कल दिया जाएगा और उस पर मतदान भी कल होगा । अवशेष तीन मांगों पर सरकार की ओर से उत्तर और मतदान अभी होगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (आबकारी मंत्री) पहले मैं बोल लूं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप बोल दो। दारू वाले बोल दो ।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा तो पांच मिनट का जवाब है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दे दो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आबकारी का ताल्लुक है, बहुत कम माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर बोला है और बोलने वालों में से मैं समझता हूं कि सिवाय बहिन उजलाजी और भंवर लालजी माननीय सदस्य ही यहां मौजूद हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन दोनों का ही जवाब दे दो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन दोनों का ही दे दूं । वह रिकार्ड पर रह जाएगा । तो दोनों माननीय सदस्यों ने यहां एक उसूल की बात उठाई है । माननीय उजलाजी ने कहा कि साहब, शराबबन्दी होनी चाहिए । कमेटी है वह अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी है, चल रही है । तो इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया है और उस पर मेरी बीमारी की वजह से पहले मीटिंग नहीं हो सकी और अब उस की बाकायदा मीटिंगें होना शुरू हो गई हैं । जहां तक माननीय भंवरलाल जी का सम्बन्ध है, जहां-जहां की शिकायतें हैं, जयपुर शहर के बारे में

(8·46 रात्रि)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पीठासीन)

आई है उसके ऊपर हमने एक्शन लिया है । जहां तक उजलाजी का वह शास्त्रीनगर का सम्बन्ध है, उसके लिए मैंने आर्डर कर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ही दिया था लेकिन अबकी वार तो उसमें नीलामी की जगह से उठा दिया है। नीलामी में शामिल ही नहीं किया है। माननीय भंवरलाल जी साहब ने कहा कि यह हमारी कमेटी हो जावे, यह सम्भव होता नहीं है क्योंकि जोन्स बने हुए रहते हैं। जो उस जोन का ठेका लेता है उसको उस जोन के अन्दर कहीं भी दुकान लगाने की छूट है। अत्र वहां कोई आब्जेक्शन होता है तो दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरी जगह जाता है। इस तरह से करके अब कई दुकानें उसमें पड़त भी रह जाती हैं। कइयों की गारण्टी भी लैप्स हो जाती है और जो ठेकेदार लेना चाहता है उसको उसी एरियां के अन्दर खोलनी पड़ती है दुकान। जहां तक शिक्षण संस्थाओं का ताल्लुक है हम इस बात को मानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स का जहां तक ताल्लुक है वह तो आप समझिये कि आज के जमाने में गली-गली में हैं और प्राइमरी स्कूल तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। वहां के बच्चे भी छोटे होते हैं उनके ऊपर इस शराब का ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन प्राइमरी स्कूल के ऊपर की जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं, उन शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसका पालन कराने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो उसकी लैंग्वेज है उसको एक्ट में शामिल करने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लैंग्वेज है उसमें......

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है ?

श्री सभापति : कृपया विराज जावें, आप विराजें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरा एक वित्त मंत्री होने के नाते लक्ष्य यह भी रहता है कि अपने को सबसे ज्यादा कमाई होनी चाहिए और मुझे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकती हूं कि आप चाहते नहीं हैं। आप शराब की कमाई पर विश्वास करते हैं ? आप नैतिकता के आधार पर विश्वास करते हैं।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : देखिए, मैं आपको . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यक्तिगत रूप से आप चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : व्यक्तिगत रूप में आप मुझ से बाद में बात कर लेना लेकिन अभी मैं आपकी तरह ही इस सदन में कमिट कर जाऊं कि आप जो चाहती हैं वही मैं चाहता हूं तो यह अलग सवाल है। अपनी-अपनी इसके ऊपर राय अलग हो सकती है लेकिन मुझे जिस वक्त यह सदन कह देगा कि शराबबन्दी हो गई, उसी रोज बन्द कर लूंगा। लेकिन जब तक मैं हूं और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

शराबबन्दी होती नहीं है तो मेरा उसूल तो यही है कि जो काम मुझ को दिया जावे मैं अच्छे से अच्छे तरीके से उसको निभाकर चलूं और मेरा उद्देश्य यही रहा है अभी तक तो कि आबकारी जब जारी है और शराबबन्दी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आमदनी आबकारी से हो। गारण्टी सिस्टम जो है अभी तक कोर्ट में भी गए उसके बारे में, वर्षों से गारण्टी सिस्टम हमारे यहां पर लागू है। जब प्राहिबिशन हुआ और उसके बाद प्राहिबिशन खत्म किया गया उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उस साल 33 करोड़ की आमदनी हुई। गत वर्ष हमारी जो आमदनी हुई वह 55 करोड़ हुई। इस साल हमारी आमदनी, मैं समझता हूं, 64 करोड़ के आस-पास होगी। अब आप एक बात देखेंगे, सदन में कितनी तंगी से हम लोग चलते हैं। मांग तो माननीय सदस्य बहुत उठाते हैं लेकिन उनकी सब मांगों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी डेफिसिट में आपके सामने बजट पेश किया है। 64 करोड़ के डेफिसिट में। उजलाजी कहती है, मांग तुम करते हो, 25 करोड़ तो यों ही ले आयेंगे। लेकिन मुझे तो उम्मीद अभी होती नहीं। आज ले जायेंगे रुपया या कुछ पैसा...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी यहां पर भीम के बारे में एक सवाल उठाया गया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भूपाल सिंहजी को तजुर्बा है क्योंकि वे शराब की ठेकेदारी कर चुके हैं, एकाध बार टेण्डर भी उन्होंने लिये हैं इसलिये उनको यह शिकायत हो सकती है कि छोटे लोगों को शराब की दुकान ही नहीं मिलती। इसकी हमको कोई गर्ज नहीं है कि छोटे आदमी को मिले या नहीं मिले। हम तो यह चाहते हैं कि छोटे आदमी शराब का धंधा ही काहे के लिये करें। हमको तो जो ज्यादा पैसा देता है, ग्रुप्स में या इण्डिविजुअल में, एक लाख से ऊपर की जो दुकान होती है, उसका तो टेण्डर इन्वाइट करते हैं, टेण्डर इन्वाइट करके जिसकी ज्यादा बोली होती है उसको देते हैं। इस तरह से कोई दुकान बाकी रह जाती है तो उसको ग्रुप के साथ मिला कर देते हैं। पहले इण्डिविजुअल में करते हैं, फिर ग्रुप्स में करते हैं, जिसमें ज्यादा रुपया आ जाता है उसी को हम ठेका देते हैं। ये नियम बने हुए हैं, सारी चीजें साफ हैं। जो भूपाल सिंह जी साहब ने और विपक्ष के नेता महोदय ने भीम के बारे में कहा, उसके बारे में तो निवेदन यह है कि उसकी एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज करा दी गई है। एफ. आई. आर. एक्साइज में भी मौजूद है, रिटें भी चल रही हैं, मैं यह मान कर चलता हूं कि जो कोई भी इसमें दोषी पाया जायेगा सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। जो अधिकारियों का दोष है, अभी मैं यह कहना चाहूंगा, उस दिन भी मैंने कह दिया था, दो इन्सपेक्टर्स सस्पेंड किये थे, अभी जो एग्जेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट सैल आफिसर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

भी इसमें और कसूरवार होगा उसको सजा देने में कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग को स्वीकार करें।

श्री सभापति : सार्वजनिक निर्माण मत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक प्रश्न कर लूं।

श्री सभापति : काफी प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्होंने जवाब दिया नहीं है। प्रश्न तो अब कर रहा हूं, पहली बार।

मंत्री महोदय, जो आपने यह कहा कि शिक्षण संस्थाओं का यह अर्थ लगाया गया है उसके लिये तो आपको धन्यवाद। लेकिन स्पष्ट यह हुआ ना कि प्राइमरी क्लासेज के जो स्कूल्स हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। बाकी उसके अलावा जितने भी और स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी नहीं, ज्यादा हैं उन पर यह लागू होगा कि उनसे 500 मीटर की दूरी के अन्दर यह नहीं खोली जायेंगी। यही मतलब है न आपका ?

धन्यवाद।

एक सैकण्ड।

आपने सिर हिलाया है इसका मतलब क्या हुआ ? ये लिखेंगे क्या ? आप हां कहिये, हां फरमा दीजिये ताकि लिखें यह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका अर्थ यही है ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्कूलों के बारे में हां कह दीजिये जिससे लिखा जाय, रिकार्ड में आ जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात रिकार्ड हो जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन-जिन स्कूलों के बारे में इस प्रकार की स्थिति आई है, हटाई है हमने दुकानें वहां से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं-नहीं, यह नहीं कहा। मिडल स्कूलों के पास में नहीं होगी दुकानें, ऐसा आपने कहा है ना ?

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां, मैं कहता हूं ना, जहां भी अभी तक शिकायतें आई हैं हमने हटाया है।

श्री सभापति : बिराजिये आप, बात स्पष्ट हो चुकी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक प्रश्न और पूछना चाह रही हूं, जो नीति निर्देशक तत्व का 47 वां अनुच्छेद है उसके बारे में आपका क्या तर्क है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी है। अब वे डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक चलेंगे यह कोई कुछ नहीं कह सकता है। There is endeavour. जो शब्द है : The State Shall endeavour

इसलिये स्टेट एंडवर करेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसमें तो कहा है हम बंद करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चेतराम (मीणा राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21, लोक निर्माण कार्य, सड़क और पुल के बारे में इस सदन के 85 माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये और 425 कट मोशन प्रस्तुत किये गये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन कटौती प्रस्तावों में 301 कटौती प्रस्ताव नयी सड़कों के बारे में, 30 प्रस्ताव सड़कों की मरम्मत के बारे में, 49 प्रस्ताव भ्रष्टाचार के बारे में और 58 प्रस्ताव छोटे-छोटे थे।

सभापति महोदय, इस सदन में आज के वाद विवाद में 28 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और 28 माननीय सदस्यों में से 20 माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण से सम्बन्धित मुद्दों पर सुझाव दिये और विचार प्रकट किये।

सभापति महोदय, मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों का निर्माण विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सड़कों के निर्माण के लिये कोशिश की जाती रही है। चारों तरफ से नयी सड़कों की मांग आती है, चाहे इस सदन के माननीय सदस्य हों, चाहे कोई दूसरे जन प्रतिनिधि हों, सभी नयी सड़कों की मांग करते हैं।

मैं इससे पहले कि हमारी क्या स्थिति है, इसके बारे में निवेदन करूं, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के लिये हमें धनराशि कितनी मिलती है।

सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कुल बजट था प्लानिंग का वह 54.14 था और सड़कों के लिये 4.98 था। यानि 9.20 प्रतिशत धनराशि मिली।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारी प्लान की राशि थी वह 102.74 करोड़ थी और सड़कों के लिये 10.07 करोड़ थी यानि 9.80 प्रतिशत राशि हमें मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में 212.70 करोड़ थी और सड़कों के लिये 9.60 करोड़ यानि 4.52 प्रतिशत राशि दी गई।

जहां यह 9.80 और 9.20 प्रतिशत थी यह घट कर 4.52 प्रतिशत रही। चतुर्थ

(श्री चेतराम मीणा)

पंचवर्षीय योजना में जो योजना की धनराशि थी वह 303.79 करोड़ थी, सार्वजनिक निर्माण के लिये 9 97 करोड़ दी गई जो फिर घट कर 3.28 प्रतिशत रही ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमारी जो योजना की राशि 611.19 करोड़ थी हमें दी गई 25.48 करोड़, जो 4.17 प्रतिशत रही । और हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना चालू है, इस योजना की राशि 2025 करोड़ है, हमें 100 करोड़ का अलाटमेंट हुआ लेकिन एक्चुअल में अब चूंकि पंचवर्षीय योजना का अन्तिम साल है 14 करोड़ का इसमें सड़कों के लिये प्रावधान है । इस तरह से 65 करोड़ मिले । यह घट कर 3.20 प्रतिशत राशि रही । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां सड़कों की लागत एक तरफ बढ़ती जाती है लेकिन सड़कों के लिये जो अलाटमेंट था प्लान में, वह राशि घटती रही और प्रतिशत भी घटता रहा । छठी योजना में जहां 100 करोड़ का प्रावधान था, गये साल, जो 31 मार्च को समाप्त हुआ है, तक हमें 51 करोड़ मिले और इस साल 14 करोड़ का प्रावधान है इस तरह 65 करोड़ मिलेंगे । जिस समय हमने 100 करोड़ रुपये के हिसाब से लक्ष्य रखे थे, कुल सड़कों के निर्माण का जो लक्ष्य था वह 4000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था । हम अभी तक 2458 किलोमीटर सड़क बना पाये हैं । अभी जो प्रावधान है उसमें 600 किलोमीटर और सड़क बना पायेंगे । 4000 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 3058 किलोमीटर सड़कें पायेंगे ।

सभापति महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों ने नयी सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मास्टर प्लान के बारे में कहा । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों का मास्टर प्लान राजस्थान में तैयार किया गया । इसकी आवश्यकता इसीलिये महसूस हुई कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण की जो एजेंसियां थीं वह कई थीं । सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण करता है, कृषि उपज मंडी से सड़कें बनती हैं, खनिज विभाग से सड़कें बनती हैं, इरिगेशन विभाग की होती हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की होती हैं, मिल्क रूट्स की होती हैं और इनके निर्माण का जो तरीका था वह इस तरह का था कि योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण नहीं होता था । हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं कि कहीं तो एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर सड़क मिल जाती है और कहीं लम्बी दूरी तक सड़कों का अभाव है । इसलिये सोचा गया कि सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हो ,जिससे हमारी धनराशि का सही मायने में सदुपयोग हो सके । इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मास्टर प्लान, जो हमने बनाया है, को इसी उद्देश्य से बनाया है कि सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हो । इस योजना में जैसा कि हमारी एन्नुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इसमें दिया हुआ है कि मास्टर प्लान में हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितने भी पंचायत

(श्री चेतराम मीणा)

मुख्यालय हैं वे सब सड़कों से जुड़ जायं और इसलिये तय किया गया है कि सड़क बनाने के लिये कोई यूनिट, इकाई ऐसी होनी चाहिये कि जिस लक्ष्य पर हम पहुंच सकें। इसलिये पंचायत हैड क्वार्टर को एक इकाई माना गया, एक हजार से अधिक की आबादी के जो गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ना है, विशेष रूप से उनको पूरा करना है और जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनको करना है, जो बहुत बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको सड़कों से जोड़ना है, मंडियों को सड़कों से जोड़ना है, इस तरह से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके हिसाब से मास्टर प्लान बनाकर काम करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में 7304 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और 4451 सड़कों से जुड़े हुए हैं, इस समय 2853 मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। ये जो 2853 पंचायत मुख्यालय हैं इनके लिये हमने योजना बनायी हैं। इसमें 17602 कि. मी. सड़कों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिये वर्तमान दर है उसके हिसाब से 388·55 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह तो सिर्फ मास्टर प्लान के लिये हम को आवश्यकता है। लेकिन मास्टर प्लान में जो हमने बिन्दु, निर्धारित किए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से सभी सड़कें बनाना चाहते हैं तो हमें 40713 कि. मी. सड़कें बनानी पड़ेंगी और वर्तमान दरों से 986.80 करोड़ की आवश्यकता होगी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्यों ने यहां पर शंका व्यक्त की कि मास्टर प्लान बन गया और यह कभी भी पूरा नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं होगा।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के स्वीकृत कार्य हैं और उनका खर्च है वे कुल स्वीकृत कार्य 495 थे। उनके लिये जो लागत स्वीकृत की गई थी, राशि स्वीकृत की गई थी वह 93.23 करोड़ रुपये थी। मार्च, 84 तक यानि अभी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसमें हमने 83.50 करोड़ रुपये अब तक खर्च किये हैं। इस तरह से बैलेंस 9.50 करोड़ रुपये का है। हम मान कर चलते हैं जैसा कि अब हंमगाई बढ़ती जा रही है, इन कार्यों को पूरा करने के लिये पांच करोड़ और लग सकते हैं। इस तरह से कुल आवश्यकता होगी वह साढ़े चौदह करोड़ की होगी। तो इस साल 14 करोड़ रुपये का नई सड़कों के लिये प्रावधान है उसमें से 84-85 में 9 करोड़ लगेंगे और अगले साल में साढ़े पांच करोड़, इस तरह से साढ़े चौदह करोड़ के काम पूरे करना चाहते हैं। 84-85 में जो प्लान की राशि उपलब्ध है 14 करोड़ की उसमें से 9 करोड़ चालू कार्यों पर खर्चा करना चाहते हैं।

(श्री चेतराम मीणा)

समापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की कि इतनी बड़ी योजना बनाई और माननीय सदस्यों के सुझाव भी लिये गये कि हर पंचायत समिति के स्तर पर हम सड़क स्वीकार करना चाहते हैं, यह धनराशि कहां से आयेगी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे कागज दे दो।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बनेगी नहीं।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे सप्तम पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है, उसमें सड़कों को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है। इस साल 1984–85 में 5 करोड़ का जैसा मैंने निवेदन किया वह प्रावधान है, 1985-86 में 25 करोड़ का प्रावधान होगा और 86–87 में 30 करोड़ का प्रावधान होगा। इस प्रकार से हमारे पास धनराशि 60 करोड़ रुपये की होगी। उस हिसाब से हम सड़को के जो प्रस्ताव हैं उनको पूरा कर देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, नई सड़कों के बारे में प्रस्ताव है उनको, आगे लाने के बारे में निवेदन किया है…

(व्यवधान)

सभापति महोदय, 1984–85 में हमारे पास जो योजनाएं हैं उनके अनुसार प्लान के द्वारा 14 करोड़ का प्रावधान है–कृषि उपज मण्डी समिति में 8 करोड़, राजस्थान नहर विश्व बैंक के द्वारा 4.87 करोड़ का प्रावधान है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार में 9.86 करोड़ की सैंक्शन हुई हैं। इस साल 8 करोड़ देना चाहते हैं, अगली साल एक करोड़ देना चाहते हैं और इस तरह से हम 35.87 करोड़ का प्रावधान करके चल रहे हैं। अगले साल, उसके बाद में चालू काम में 25 करोड़ और कृषि उपज मण्डी में 8 करोड़ और राजस्थान नहर पर विश्व बैंक के द्वारा 5 करोड़ और आर. एल. ई. जी. पी. ग्रामों में भूमिहीन रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ और इस तरह से 40 करोड़ का प्रावधान करके चल रहे हैं। यह हमारी इस तरह की योजनाएं हैं। सभापति महोदय, नई सड़कों के बारे में निवेदन किया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने कुछ रिपेयर्स के बारे में भी कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी के बारे में जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमें 8 करोड़ इस साल स्वीकृत हुए हैं जिसमें टोटल 229 कार्य स्वीकृत हुए हैं और 26 जिलों में और इसमें 9.86 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है।

सभापति : महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने नई सड़कों के बारे में कहा और यह भी शिकायत की कि जो सड़कों की हालत है वह बहुत

(श्री चेतराम मीणा)

खस्ता है, मरम्मत नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस समय 46422 कि. मी. सड़कें हैं उनमें से 2329 कि. मी, सड़कों का सुरक्षा मण्डल के द्वारा मरम्मत का कार्य होता है, 2443 कि. मी. राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आती है इसलिये उनका केन्द्र से खर्चा होता है और 41740 कि. मी. सड़कों का रख रखाव और मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत के लिये कुछ मानदण्ड, नार्म्स निर्धारित किये हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मानदण्डों के हिसाब से हमें इनकी मरम्मत की आवश्यकता होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट हाई वे, हैवी ट्रैफिक जिस पर...

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी को सुन लीजिये, वह आपकी समस्याओं का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें। संक्षेप में मंत्री महोदय बता दें।

श्री चेतराम मीणा : इन मानदण्डों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो इकतालीस हजार कि. मी. से अधिक सड़कें हैं, मानदण्डों के हिसाब से हमें गये वित्तीय वर्ष में 45.58 करोड़ की आवश्यकता थी, इस 45.58 करोड़ के अगेन्स्ट में हमें सिर्फ 23.52 करोड़ की धनराशि मिली है। इस तरह से 50 प्र.श. हमें धनराशि मिली। हम जो आर्थिक संकट में हैं इसलिये हमें परेशानी होती है। अभी जो बजट का प्राविजन करके चल रहे हैं उसमें हमें 53.35 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां माननीय 20 सदस्यों ने सदन में अपने कटौती प्रस्ताव रखें। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नयी सड़कों के बारे में रखा। जैसा मैंने निवेदन किया कि अपने सीमित साधनों के हिसाब से किया जायेगा। इसी तरह कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा। मास्टर प्लान बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए तो बधाई दी, लेकिन उसके साथ ही साथ सड़कों की स्वीकृति बहुत जल्दी दी जाय, यह भी कहा। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि बजट प्रावधान के हिसाब से की जायेगी। नीम के थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सीकर जिले के बारे में कहा कि सड़कों की उपेक्षा हो रही है। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीकर जिले में 287 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से आधे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने भी नयी सड़कों के बारे में कहा है। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दो स्टेट हाई वे, जिसमें स्टेट हाई वे नम्बर-6, स्टेट हाई वे नम्बर-18 है, के एलाइनमेण्ट के बारे में कहा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारी बातें प्रासीडिंग्स में लिखी हुई हैं। जवाब तो दे नहीं रहे हैं कि भई, यह करेंगे। हमने जो कहा वह तो प्रासीडिंग्स में है।

श्री सभापति : आप विराजें। आप विराजें। मंत्रीजी को सुन लीजिये। वे संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री चेतराम मीणा : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दो स्टेट हाई -वे, स्टेट हाई वे नम्बर-6, स्टेट हाई वे नम्बर-18 के एलाइनमेंट के बारे में सजेशन दिये कि पब्लिक की उपयोगिता के लिए किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इसको गुणावगुण के आधार एग्जामिन करवा लेंगे। इनके साथियों ने यह बात कही कि फेमिन में अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें बनती हैं, उनको पी. डब्बलू. डी. को समर्पित करें। सभापति महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि फेमिन के समय जो सड़कें बनती हैं, जो कि डामर की सड़कें बन जाती हैं उनका पी. डब्बलू. डी. बाद में मेन्टिनेंस करता है। दूसरी सड़कों का आर्थिक स्थिति के कारण से मेंटिनेन्स नहीं कर पाता है। शिव से आने माननीय सदस्य ने नयी सड़कों के बारे में तो कहा ही, उसी तरह से ग्रेवल की सड़कों पर डामर के बारे में कहा। एक बात उन्होंने और कही कि उनके एरिया में और उनके जिले में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के कारण सड़कें ज्यादा खराब हो गयी हैं उनकी रिपेयर होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका सर्वे करवाकर के स्थिति क्या है, बहुत जल्दी हम रिपोर्ट सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को और सुरक्षा मण्डल को लिख रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसके बारे में सोचा जायेगा। राजगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये, मेरे ऊपर व्यक्तिगत भी लगाये और कार्य करने की शैली और पी. डब्ल्यू. विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में लगाये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा कि ये बडी धीमी गति से काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर में दो एक्स.ई.एन. दो डिवीजन हैं इनकी क्या जरूरत है। एक डिवीजन पर अनुमानतः 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि दो के बजाय एक ही रखना चाहें तो कुछ ऐसा खर्चा एस्टेब्लिशमेंट पर होगा, जे. ईएन, ए. ईएन और जो उनके अण्डर में स्टाफ है जो फील्ड के अन्दर काम करते हैं, सिर्फ कुछ पोस्टें इस तरह की हैं यदि उनको नहीं हटाया जाय तो भी उन पर ज्यादा खर्चा नहीं आता है। आपने यह भी कहा कि अलवर में कोई भी काम नहीं होता। तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि अलवर में 1982-83 में 1610 किलोमीटर सड़कें थी और एक साल बाद 1676 किलोमीटर सड़कें हो गयीं यानी 66 किलोमीटर बढ़ी हैं। इसके बाद उन्होंने एक बात सवाई माधोपुर के बारे में कही। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर में 31 मार्च, 1982 को खतम होने वाले वर्ष में 1030 किलोमीटर सड़कें थीं, और वहां एक साल में 76 किलोमीटर बढ़ गयी हैं। लेकिन मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां अलवर में 100 वर्ग मील के क्षेत्र में 20.75 किलोमीटर सड़कें हैं वहां सवाई माधोपुर में 10.55 किलोमीटर सड़कें हैं। जन संख्या के आधार पर एक लाख व्यक्तियों पर अलवर में 98·18 किलोमीटर सड़कें हैं, वहां सवाई माधोपुर में 72.34 किलोमीटर

(श्री चेतराम मीणा)

सड़कें हैं। इसी प्रकार उन्होंने यह कहा कि अलवर में कुछ खर्च नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अलवर में गये वित्तीय वर्ष में 274.87 लाख रुपये दोनों डिवीजन्स में खर्च हुए और नयी नयी सड़कें भी वहां मन्जूर हुई हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर में 1983–84 में कोई नयी सड़क मन्जूर नहीं की गयी। सभापति महोदय, उन्होने यह कहा कि ट्रान्सफर्स में करप्शन है। उन्होंने राशि भी बताई एक्स. ई एन के ट्रान्सफर होते हैं तो 40–50 हजार रुपये खर्च होते हैं। सभापति महोदय, यह एक वेग एलीगेशन है, उन्होंने कुछ नहीं लिया। अब उन्होंने मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाये कि मैंने दो मकान बना लिये, एक भरतपुर में बना लिया जिसकी कीमत 6-7 लाख रुपये है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भरतपुर में मेरे नाम से अथवा मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से या मेरे किसी रिलेटिव के नाम से कोई मकान नहीं है। सभापति महोदय, आप....

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर किस के नाम से है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : वो बता रहे हैं। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिये। कृपया आप बिराजें। कृपया व्यवधान न डालें। यह उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आपके नाम से नहीं है तो फिर किस के नाम से है ? यह बता दीजिये।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, आप स्वयं भरतपुर के रहने वाले हैं, आप बता दीजिये, आप स्वयं जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : भरतपुर में मकान की बात तो छोड़ो, एक गज का प्लॉट भी कोई मेरे नाम नहीं है। सभापति महोदय, उन्होंने यह भी कहा कि हिण्डौन में मैंने ढाई तीन लाख का मकान बना लिया। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जमीन पर मैंने मकान बनाया उस जमीन का एलाटमेंट यू. आई. टी., हिन्डौन से 1970 में मुझे हुआ। मैंने 1980 तक जब तक मैं एम. एल. ए. नहीं बना था अगले दो कमरों को छोड़ करके पूरा हिस्सा बना लिया। जब मैं एम.एल.ए. बन गया तो अगले दो कमरे बना लिये, मेरे मंत्री बन जाने के बाद सिर्फ अगले दो कमरों पर सीमेन्ट फर्श वगैरह बनाये और कुछ नहीं बनाये। इन्होंने यह कहा कि महुआ, हिण्डौन सड़क का 60 प्रतिशत सामान भरतपुर के मकान में लगवाया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने भरतपुर में कोई मकान ही नहीं बनाया तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपने यह भी कहा, उन्होंने एक सफेद असत्य बोला, उन्होंने यह कहा कि

(श्री चेतराम मीणा)

हम साथ-साथ तुले थे और 70 किलो इनका वजन था, यह बिल्कुल निराधार कहा उन्होंने। हम कभी साथ-साथ नहीं तुले उन्होंने कहा कि अब एक क्विन्टल वजन हो गया। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अनतुले मान लेते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर नहीं तुले तो आपको अनतुले मान लेते हैं।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो उन्होंने आरोप लगाये लेकिन इसका जवाब सुनने के लिए माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कोई पंचायत समिति में प्राइमरी स्कूल में टीचर थे आज उनकी सम्पत्ति के बारे में क्या स्थिति है। यदि माननीय सदस्य यहां होते तो मैं उनको बता देता। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा वजन बढ़ा है तो मुझे उनकी इस बात पर तुलसी दास जी की वो चौपाई याद आ रही है जिसमें कहा गया है, ऊंच निवास नीच कर्म की एक न करे भलाई काहू की। इसलिए सभापति महोदय, उनका जैसा स्टेण्डर्ड है, भगवान ने उनको इतने ऊंचे सदन में बैठा दिया लेकिन उनकी मनोवृत्तियां प्रवृत्तियां वही हैं जो उनकी होनी चाहिए थी। सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने-वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अग्रिम प्लान के तहत इस बार बहुत सारे पैसे मिलेंगे लेकिन इन्फास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया है। भारत में एक राजस्थान ही इस तरह का राज्य है जिसने मास्टर प्लान बनाकर प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय सरकार ने भी इसकी बहुत सराहना की है और कई प्रांतों को लिखा कि आप राजस्थान का एक नमूना लेकर बनाइये। हमारे यहां से सैम्पल लेकर कई स्टेट्स काम कर रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा, यह कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो जिले सड़कों के मामले में पिछड़े हुए हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाय। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो आज सड़कें बन रही हैं, कृषि उपज मण्डी, फैमिन या दूसरे में उनका स्टेण्डर्ड पी.डब्ल्यू.डी. के हिसाब से नहीं होता इसलिए सड़कों में सुधार होना चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय नेता ने 17 दिसम्बर, 1983 के पत्र का हवाला दिया। उन्होंने यह कहा कि यह किस तरह से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र का हवाला माननीय सदस्य दे रहे थे, वह भुगतान के आथोराइजेशन के सम्बन्ध में था और वह मैटीरियल के एडजस्टमेंट के लिये नहीं था। इसलिये जो कुछ उस लैटर

(श्री चेतराम मीणा)

में कन्टेंट्स हैं वह सही हैं । माननीय विपक्ष के नेता ने एक बात और कही कि लेबर और मैटीरियल का 40 और 60 का अनुपात रहना चाहिए । तो, सभापति महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 41 : 59 का अनुपात रहा है इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है । माननीय विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि टी. एण्ड पी. का कोई हिसाब नहीं है । कब खरीदे गये और क्या उनका है, कहां हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1982–83 में यानि मार्च 83 में फैमिन के लिये टी. एन. पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन से खरीदे गये थे और वे सुरक्षित हैं । 1983–84 में और पर्चेज नहीं हुए हैं । उसके बाद उनका हिसाब अलग से रखा जाता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोई काम नहीं आता है । फैमिन के किसी कार्य के लिये दिये जाते हैं तो सम्बन्धित कलेक्टर और फैमिन कमिश्नर की स्वीकृति से दिए जाते हैं । इसलिए माननीय विपक्ष के नेता ने जो बातें कही थी उनके बारे में मैंने यह निवेदन किया । उन्होंने जो कुछ कहा उसमें सार नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सार तो आपकी बातों में है ।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में कहा, उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया । लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने मास्टर प्लान के बारे में बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया । एक उन्होंने कहा कि यह जो वर्क चार्ज लेबर है, वह कुछ कार्य नहीं करता है । सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि 25–30 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय अकुशल कर्मचारी हैं वे 12 हजार के लगभग हैं और कुशल करीब 2 हजार के लगभग हैं और सुपरवाइजरी स्टाफ है वह करीब एक हजार है । इस तरह से 13 हजार कर्मचारियों पर 13 करोड़ रुपया खर्च होता है ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : कुल मेंटीनेंस का खर्चा 23 करोड़ का है और उसमें से 13 करोड़ तो स्टाफ पर ही है ।

श्री चेतराम मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उनके कार्य करने की शैली के लिए कि 1977 में उनके जो नार्म्स बने हुए हैं इसके हिसाब से वे काम करते हैं । अब एक कमेटी बनायी हुयी है इन नार्म्स को रिवाइज करने के बारे में आगे सोचा जायेगा । सभापति महोदय, फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने नयी सड़कों के बारे में कहा, पंचायत हैडक्वार्टर के बारे में यह कहा कि यह पंचायत हैडक्वार्टर तो है फागी और दूसरी जगह से जोड़ा रहा है तो इसके लिये देख लेंगे । उन्होंने अन्य कार्यों के बारे में कहा है ।

टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कई अन्य कार्यों के बारे में कहा और टी. बी. से आने वाले माननीय सदस्य ने भी नये कार्यों के बारे में कहा है । सभा-

(श्री चेतराम मीणा)

पति महोदय, माननीय जिन सदस्यों ने नये कार्यों के बारे में कहा उनके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल आसन की तरफ से यह आदेश हुआ था कि क्वालिटी कंट्रोल, निर्माण कार्यों के लिये बड़े-बड़े एक्सपेरीमेंट्स किये जा रहे हैं, हमारे राजस्थान में जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर उदयपुर में इसकी प्रयोगशालाएं हैं और आवश्यकता होती है तो ओन दी स्पोट भी इसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन की तरफ से आदेश हुआ था कि हमारे देश में प्राप्त मैटीरियल है उसका क्यों नहीं प्रयोग करें। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने चूने के बारे में एक्सपेरीमेंट किया। उदयपुर, कोटा के क्षेत्रों में चूने का प्रयोग कर काम किया जा रहा है। इसी तरह से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आदि स्थानों पर किया जा रहा है, कोटा में जो सड़क बन रही है उसमें 5 प्रतिशत चूना मिलाकर बना रहे हैं। किस्म को सुधारने के काम में लिया गया है। कई छोटी पुलियाओं के निर्माण में प्रयोग किया गया है। तो आसन ने जो आदेश दिया था उसके बारे में मैंने यह निवेदन किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज्ञाकारी हो गये हो ?

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैंने जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कट मोशन्स के द्वारा इस सदन में, उसके बारे में निवेदन किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांग प्रस्तुत की गयी है उसको पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय....

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : मैं पांच मिनट निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जो कुछ बातें कही हैं उससे सम्भवतः यह इम्प्रेशन लेकर आप जायेंगे कि हमारी जो योजना का आकार था 100 करोड़ का उसको घटाकर 65 करोड़ कर दिया गया और सरकार ने जो लक्ष्य रखे थे उसमें काफी कमी हुई है। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। सम्भवतः उन्होंने अपने विभाग का पक्ष रखने की कोशिश की है और समग्र रूप से राजस्थान में जो सड़कों का निर्माण हुआ है उसका एक विहंगम दिग्दर्शन उन्होंने नहीं दिया है। इससे सम्भवतः यह भ्रांति माननीय सदस्यों के मन में रहे और उनके वक्तव्यों के द्वारा अखबारों में जाकर जनता में भी भ्रांति आए....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अखबार वाले तो हैं ही नहीं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये मैं इस बात को स्पष्ट करना अपना कर्तव्य समझता हूं। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों से भयंकर अकाल की स्थिति हमारे प्रदेश में रही है। अकाल जब पड़ता है तो हमारी चाहे दूसरी कोई भी प्राथमिकतायें हों, चाहे सिंचाई की हो या दूसरी प्राथमिकतायें हों, हमको काम दिलाने की दृष्टि से अन्तिम विकल्प के रूप में सड़कों के काम को काफी चलाना पड़ता है। सड़कों का काम बढ़ता है तो प्लान से कहीं ज्यादा पैसा हमको सड़कों पर खर्च करना पड़ता है। मैं कुछ आंकड़े जो अभी मैंने विभाग से लिये वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको स्पष्ट होगा कि हमारा जो प्लान का प्रोविजन 100 करोड़ रुपये का था और उसको मान लीजिये घटाकरके इस साल का 65 करोड़ का भी मान लिया जाय तो इसके अलावा इन चार सालों में जो खर्चा हुआ है अकाल राहत कार्यों में सड़कों पर, उसके फिगर्स अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा प्लान 100 करोड़ नहीं उससे कहीं बहुत आगे बढ़ रहा है। सं० 2037, 2038 और 2039 के अकाल में जो खर्चा किया

(रात्रि 10.30 बजे)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

गया सड़कों के ऊपर उसमें कुल मिलाकर के सड़कों के ऊपर 141.37 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो 141 करोड़ रु० ये मिला दीजिये और 65 करोड़ रुपये मिला दीजिये। तो इसको मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपये से ऊपर, 206 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च होता है, जिसमें इस साल का प्लान जोड़ना अभी और बाकी है। कुल मिलाकर के सड़कों की जो मंजूरी दी गयी थी वह 131.28 करोड़ रु० तक की स्वीकृति थी। उसके मुकाबले में खर्चा जो हुआ वास्तव में अब तक इन चार सालों के अन्दर और एडवांस प्लान असिस्टेंस के रूप में, सड़कों के मद में 141.37 करोड़ रु० हुआ। इसके अचीवमेंट की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शायद प्लान में जो हमारी सड़कें बनी हैं, उससे बहुत अधिक सड़कें राजस्थान के अन्दर बनी हैं। मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से दावे के साथ में कि इस अकाल राहत कार्यों में, इन पिछले दो वर्षों के अन्दर में हमने बहुत स्थायी कामों को हाथ में लिया है। यहां तक कि बड़ी-बड़ी नदियों के काज वेज क्रौस ड्रेनेज वर्क, बी टी वर्क और अच्छी मैटल रोड्स हमने बनायी हैं जो कि काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। फिजीकल अचीवमेंट्स पाइंट्स से इन पिछले चार सालों के फेमिन के समय में 2037 और 2038 सम्वत में करीब 822 किलोमीटर में बी. टी. रोड्स का निर्माण किया गया। 2705 के करीब किलोमीटर

(श्री शिवचरण माथुर)

की मैटल रोड्स बनायी गयी और करीब 14,728 किलोमीटर ग्रेवल रोड बनायी गयी जिसमें इम्प्रूवमेंट रोड्स और रिपेयर रोड्स भी शामिल है और करीब 152 नं० सी डी रोड्स को इस पीरियड में पूरा किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के कार्यो के दौरान में इतना मैटीरियल इकट्ठा किया गया, सडकों के किनारे पर अर्थवर्क किया गया, इसके अलावा जो गिट्टी इकट्ठी की गयी उसमें आगे कितनी रोड्स हमारी बन सकती है, इसका भी अगर हम अन्दाजा लगायें तो उससे एक वहुत बडा अचीवमेंट हम पूरा कर सकते हैं। वह फिगर्स मैं आपको देना चाहता हूं। इसके अलावा जो पटरियां बनायी गयीं सडकों के किनारे जिनको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं. उनका भी निर्माण किया गया वो 7600 किलोमीटर था....

श्री घनश्याम तिवाडी : इस मंत्री को तो हटाओ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर: उन्होंने अपने विभाग का पक्ष कहा है, मैं समग्र रूप से पिक्चर आपके सामने दे रहा हूं ताकि एक बात सामने आये। सोलिंग स्टोन बेलास्ट ग्रेवल जो रोड साइड पर क्लेक्ट किया गया वो आगे आने वाले 787 किलोमीटर रोड्स के लिये काफी होगा और 4443 किलोमीटर सड़क पर सोलिंग बिछाने के लिये और 1924 किलोमीटर ग्रेवल रोड्स को मैटल करने के लिये काफी होगा, अध्यक्ष महोदय। यह तो सड़क के किनारे की बात है इसके अलावा जो क्वेरीज पर है, खानों पर जो मैटीरियल पड़ा हुआ है उसके लिये आप अन्दाज लगायें तो उस मैटीरियल से 805 किलोमीटर के करीब रोड लेन्थ हम कवर कर सकेंगे। 805 में सोलिंग कर सकेंगे और 3414 किलोमीटर में हम ग्रेवल रोड्स पर गिट्टी बिछा सकेंगे।

यह स्थिति है जो कि आगे आनेवाले प्रोग्राम में एम. एन. पी में और आर. एल. ई. जी. पी. में उन सारे मैटेरियल का जो आज क्वैरीज पर क्लेक्टेड हैं और जो रोड के साइड पर कलेक्टेड हैं का हम यूज करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज हमने इन सारे मैटीरियलों की उपलब्धता को देखते हुए, जो साइट पर अवेलेबल हैं, क्वैरीज पर अवेलेबल हैं उसका सारा हिसाब लगाया पहली बार। अध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे पास में अलग-अलग विभागों के अमाउंट हैं उसको पूल करने के बाद में टोटल व्यय का अनुमान किया और यह भी तय किया कि जितना अर्थवर्क हो चुका है उसको हम घटा दें, साधारण तौर से आप स्पेयर से सड़क को बनाना शुरू करें तो उसमें ढाई-तीन लाख रुपया एक किलोमीटर पर खर्च होगा। हमने जो अंदाज लगाया कि साइट पर कितना अर्थवर्क हो गया है, कितनी गिट्टी पड़ी हुई है, कितनी क्वैरीज पर पड़ी हुई है हमने उसका एस्टीमेट पर किलोमीटर घटाया। करीब लाख और सवा लाख

(श्री शिव चरण माथुर)

रुपये पर किलोमीटर का एस्टीमेट लगा करके और फिर एक बड़ा प्लान हमने राजस्थान के लिये बनाया है, जो कि हमने तीन साल का प्लान बनाया है जिसमें पहले साल में 1984–85 में हमने 2500 कि. मी. की जो अपने बजट में घोषणा की है उसका एक आधार है, अध्यक्ष महोदय। वह आधार यही है कि आज जो हमारे पास मैटीरियल क्लेक्टेड है वह एस्टीमेट घटा करके आपको दिखता तो 35 करोड़ रुपया है, जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कुल मिलाकरके 35 करोड़ रुपये की धनराशि उनके पास उपलब्ध है लेकिन जो मैटीरियल उपलब्ध है वह भी तो एक प्रकार से इनपुट है। तो उन सबको मिला करके मेरा निश्चित मत है कि जो हमने अपने बजट में घोषणा की है 2500 कि. मी. सड़क के निर्माण की उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे और मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं एक साल के अन्दर, कभी भी बिना अकाल के, अकाल की स्थिति नहीं हो उस समय इतना बड़ा कार्यक्रम 2500 कि. मी. घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे एक आधार है, उसके पीछे बेसिस है उसको हम पूरा करेंगे। उसको केवल एक साल तक हम लेने नहीं जा रहे हैं, उसका हमने तीन साल तक का प्लान बनाया है। वैसे हम सातवी पंचवर्षीय योजना का पांच साल का प्लान बना सकते थे। कम से कम एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 40–45 कि. मी. के आसपास का एक प्लान बना करके हम चले हैं। मेरा ऐसा अंदाज है कि जो हमारी योजना है उसके आधार पर हम तीन साल के अन्दर 10 हजार कि. मी. सड़कों का निर्माण निश्चित रूप से करेंगे। इसके आधार पर हमने ये निश्चय किया है कि एक हजार की आबादी वाले गांवों को हम जोड़ेंगे पंचायत हैडक्वार्टर्स को हम जोड़ेंगे और वह केवल हवा में नहीं कहा है। उसके पीछे एक निश्चित इकोनोमिक्स है, उसके पीछे सारे आंकड़ों को हमने इकट्ठा किया है और उसके आधार पर हमने बात की है।

इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो हमारे प्लान की और एडवांस प्लान की बात रही। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारा ब्रिज कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से जो हम इन्स्टीट्यूशनल फायनेंसेज प्राप्त करते हैं और उसमें बड़े-बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है वो आज तक कभी नहीं हुआ। हमने राजस्थान की बड़ी-से बड़ी नदियों को जहां पर पुलों से नहीं जुड़ी हुई थीं उनको जोड़ने का प्लान बनाया है। इन दिनों में ब्रिज कार्पोरेशन की जो रिपोर्ट आयी है उसको देखा होगा। मैं पढ़कर के ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन पेज 8 पर यदि आप देखें तो ब्रिज कार्पोरेशन ने जो पुल अपने हाथ में लिये हैं वे बहुत ही प्रेस्टिजस और मेजर ब्रिजेज राजस्थान के अब की बार हाथ में लिये गये हैं। जयपुर के अन्दर 1981 में जो बाढ़ आयी थी और एक भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी, जयपुर के लोग जानते हैं कि पहले कभी भी

(श्री शिवचरण माथुर)

इतने बड़े पुल निर्माण नहीं हुए थे। हमारे हीदा के नाले पर चार-पांच पुल बनाये जा रहे हैं। ये सारा का सारा जवाहर नगर का जो इलाका है, जो बाढ़ लाता है उसको चैन करके एक बड़ी योजना करीब चालीस करोड़ रुपये की आज जे. डी. ए. के मार्फत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के जितने फंड्स हैं उनको पुल करके, अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी योजना हमने अपने हाथ में ली है। तो बहुत ही फॉर्वर्ड लुकिंग और राजस्थान को आगे ले जाने वाली योजना हमने सड़कों की बनायी है। अगले साल यानि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में आने वाले और चार साल के अन्दर में हमने सड़कों पर तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी देने का एक प्रावधान किया है। इस प्रकार से एक्सपेरीमेंट हम कर रहे हैं। इस लिये यह मानना कि हमारा प्लान जो 100 करोड़ रुपयों का था वह घटकर 65 करोड़ रुपया रह गया, सही नहीं है। सड़क के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भी आप देखें तो हमने इससे दुगुने से ज्यादा पैसा खर्च किया है सड़कों पर और लक्ष्य भी हमने उससे अधिक प्राप्त किये हैं। यही मुझे इस संबंध में निवेदन करना था। शायद यह भ्रांति माननीय सदस्यों के भी दिमाग में रह जाय और अखबारों के जरिये से राजस्थान की जनता के पास भी भ्रांति पहुंचे इसलिये मैंने ये बीच में स्पष्ट करना उचित समझा। यही बात मुझे कहनी थी।

श्रीमती उजला आरोड़ा : मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी केवल...

श्री अध्यक्ष : देर काफी हो गयी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 15 करोड़ रुपया बाढ़ राहत कार्यों के लिये पी. डब्ल्यू. डी. को दिया गया था जिसके माध्यम से 368 काम आपने लिये थे वो काम पूरे नहीं हुए, वे क्यों नहीं हुए पूरे ?

श्री अध्यक्ष : ये नया विषय है। माननीय सदस्या, नया विषय है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें एक पुस्तक है जिसमें सारे अकाउन्ट के बारे में है कौन सी सड़क कहां-कहां कितने रुपये में बनेगी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। यह चर्चा में नहीं आया है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्री महोदय बतायें कि 15 करोड़ रुपये का 81 से अब तक यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। माननीय सदस्या, यह चर्चा में नहीं उठाया गया है. . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : कटौती प्रस्ताव में सब बातें दी हुई हैं और कटौती प्रस्ताव का, मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं। बहुत रात हो गयी है। प्रश्न यह कि मांग संख्या 13···

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाढ़ राहत के तहत जितने भी काम थे, 15 करोड़ रुपया इनको दिया काम के लिये। अब भी सड़कें टूटी पड़ा हैं पुलियां टूटी पड़ी हैं। आप दावे से कहते हैं काम करायेंगे, कराये हैं।···

(व्यवधान)

मांग संख्या 13 19, 21 का पारण

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,75,01,000 रुपये (सात करोड़ पिचहत्तर लाख एक हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,04,09,69,000 रुपये (एक सौ चार करोड़ नौ लाख उन्हत्तर हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,21,89,000 रुपये (चौवन करोड़ इक्कीस लाख नवासी हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

(तदानन्तर सदन की बैठक रात्रि 10.40 बजे मंगलवार दिनांक अप्रेल, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 666 की सूचना :

वर्ष, 1960 के बाद समय-समय पर नये विभागों के सृजन एवं रोगियों की बढ़ोतरी के कारण शैयाओं में जो वृद्धि की गई है की तालिका :

1.	जन० मेडिसन	54
2.	जन० सर्जरी	5
3.	अस्थि मय रीहेब्लिटेशन वार्ड	80
4.	नेत्र	13
5.	नाक, कान एवं गला	23
6.	पेईंग वार्ड	21
7.	कार्डिक-थोरेसिस	36
8.	प्लास्टिक सर्जरी	30
9.	यूरोलोजी	53
10.	ओब्जरवेशन वार्ड	12
11.	नेफोलोजी	17
12.	न्यूरो सर्जरी	36
13.	रेडियाथेरेपी	18
14.	डेन्टल	2
15.	इन्टेन्सिव केयर यूनिट	8
16.	आईसोलेशन वार्ड	8

(352)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 89 की सूची

गत तीन वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जिलेवार तालिका

क्र. सं. नाम जिला	मृतकों की संख्या			घायलों को संख्या		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
1. अजमेर	224	106	119	640	485	371
2. भीलवाड़ा	95	75	34	340	223	70
3. नागौर	38	37	28	97	112	95
4. जयपुर	157	150	271	1035	595	771
5. झुन्झुनू	14	5	17	167	67	65
6. सीकर	13	13	43	90	71	127
7. टोंक	9	7	18	72	45	26
8. भरतपुर	8	29	39	83	85	110
9. अलवर	17	18	54	137	120	131
10. सवाई माधोपुर	30	30	30	97	89	136
11. धौलपुर	—	9	55	—	41	65
12. बीकानेर	98	152	59	478	312	229
13. चूरू	7	6	8	89	75	57
14. गंगानगर	45	35	127	140	188	210
15. जोधपुर	104	94	55	348	279	204
16. जालौर	10	12	13	77	98	65
17. जैसलमेर	22	18	9	62	130	37
18. बाड़मेर	18	7	10	87	53	56
19. पाली	80	72	48	172	130	230
20. सिरोही	6	9	50	98	62	70
21. कोटा	118	115	74	435	430	453
22. बूंदी	15	12	15	148	123	53
23. झालावाड़	32	30	18	105	96	95
24. उदयपुर	72	82	105	294	210	213
25. बांसवाड़ा	17	12	24	104	110	181
26. चित्तौड़गढ़	13	13	43	72	62	68
27. डूंगरपुर	28	21	15	66	76	77
28. जी. आर. पी.	—	—	—	—	—	—
योग :–	1290	1169	1347	5533	4369	4265

परिशिष्ट "क"

यात्री बस दुर्घटना अनुग्रह योजना के अन्तर्गत मृतकों अपंगों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

क्रमांक	मृत/अपंग यात्री का नाम व पता	वारिस का नाम व पता जिसको अनुग्रह राशि दी गयी	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती ओलोल बाई, सामरिया कला तहसील वेगूं, जिला चित्तौड़।	श्री बरदा पुत्र श्री देवीजी बलाई, पति निवासी चित्तौड़गढ़।	15000/–
2.	श्रीमती मेमुना बाई, निवासी आबादी पार्क बांसवाड़ा।	श्री तैस्यब अली पुत्र श्री अलीभाई निवासी बांसवाड़ा	15000/–
3.	श्री विजय कुमार, कल्याण कालोनी बांसवाड़ा।	श्रीमति पुष्पा देवी, बांसवाड़ा	15000/–
4.	श्री प्रकाश चन्द निवासी जिला काहुआ (मध्य प्रदेश)	श्री मनसुख लाल पुत्र श्री कोडरजी कलाल निवासी, मध्य प्रदेश	15000/–
5.	श्री रूपनारायण माहेश्वरी, निवासी जमुवारामगढ़, जयपुर।	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री रुपनारायण माहेश्वरी निवासी जमुवारामगढ़, जयपुर	15000/–
6.	श्री मिश्रीलाल जटिया, निवासी भीलमाल, जिला नागौर।	श्रीमती झमकू देवी, पत्नी श्री मिश्री लाल, जटिया जिला नागौर	15000/–
7.	श्री बद्री प्रसाद, निवासी ढाणी गादला, ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय, जयपुर।	श्रीमती ग्यारसी देवी, पत्नी श्री बद्री प्रसाद निवासी सिकराय जयपुर	15000/–

Page No 354

(354)

1	2	3	4
8.	श्री मूलचन्द जांगिड, निवासी विराट नगर जिला जयपुर ।	श्रीमती पिस्ता देवी, पत्नी श्री मूल चन्द जांगिड, निवासी विराट नगर जयपुर	15000/–
9.	श्री जाकिर अली, निवासी बांसवाड़ा	श्रीमती शमा बेगम पत्नी श्री जाकिर अली, बांसवाड़ा	15000/–
10.	श्री जगदीश प्रसाद, निवासी भरतपुर ।	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी भरतपुर	15000/–
11.	श्रीमती सज्जन बाई केडिया, निवासी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ।	श्री सज्जन लाल केडिया पुत्र श्री देवी राज केडिया, निवासी बांसवाड़ा	15000/–
12.	श्री मोती सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निचरावों का गुडा तहलील गोगुन्दा	श्रीमती फैफी बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री मोति सिंह चरावों का गुडा तह, गोगुन्दा	15000/–
13.	श्री कपूर चन्द पुत्र श्री पने चन्द सेवक निवासी, सादड़ी तह० देसूरी जिला पाली ।	श्रीमती सुन्दर बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री कपूर चन्द निवासी, सादड़ी तहसील देसूरी, जिला पाली	15000/–
14.	श्री डाल चन्द इन्द्रावत, पुत्र श्री सरदार मलजी, प्रताप चौक गोगुन्दा तह० गोगुन्दा ।	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व० श्री डालचन्द इन्द्रावत, प्रताप चौक, गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा जि० उदयपुर	15000/–
15.	श्री कना पुत्र श्री धना मेघवाल नि० सायरा तह० गोगुन्दा	श्रीमती शांति बाई पत्नी स्वर्गीय कना मेघवाल, निस सायरा तह० गोगुन्दा	15000/–

Page No 355

(355)

1	2	3	4
16.	श्री नाथूलाल कलाल, पुत्र श्री जगरूप कलाल, नि० पदारारणा तह० गोगुन्दा।	श्रीमती कूकू बाई पत्नी स्वर्गीय नाथू लाल कलाल, नि०पदारारणा तह. गोगुन्दा	15000/-
17.	श्री देवी लाल सुराणा, पुत्र श्री कालू लाल जी सुराणा, नि० ठाकुर देसरा, गोगुन्दा, पो० गोगुन्दा।	श्रीमती लेहर बाई पत्नी स्व० देवी लाल सुराणा निवासी ठाकुर देवरा, गोगुन्दा पोस्ट गोगुन्दा।	15000/-
18.	श्री चतर सिंह, पोरवाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी पोरवालों सहरी गोगुन्दा, पो० गोगुन्दा।	श्रीमति सुशीला देवी पत्नी स्व० चतर सिंह, पोरवाल तनवारी पोरवालों की सहरी, गोगुन्दा पोस्ट गोगुन्दा	15000/-
19.	श्री भजा पुत्र श्री नार्थ मेघवाल निवासी पदरारबा, पोस्ट गोगुन्दा, तह० गोगुन्दा।	श्रीमति धूली बाई पत्नी स्वर्गीय भजा निवासी पदारारणा गोगुन्दा	15000/-
20.	श्री वक्ता पुत्र श्री उदा गाडलो निवासी सहगढ़ तह० गोगुन्दा।	श्रीमति सरसी बाई, पत्नी स्व० वक्ता नि० सेमड तह० गोगुन्दा	15000/-
21.	श्री रूप सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह निवासी सायरा, तह० गोगुन्दा	श्रीमति हरी बाई पत्नी स्व० रूपसिंह नि. सायरा तह.गोगुन्दा	15000/-
22.	श्री गरणेश लाल पुत्र श्री किशनलाल नागदा निवासी भवानी बाग सबीना खेडा, सैक्टर नं० 11 के पास सबीना।	श्रीमति यशोदा बाई पत्नी स्व०श्री किशन लाल नागदा निवासी भवानी बाग सबीना खेडा सैक्टर नं० 11 के पास सबीना	15000/-
23.	श्री चांद मोहम्मद पुत्र श्री इब्राहीम निहारघरों का मोहल्ला, चूडीघरों की मस्जिद, उदयपुर।	श्री इब्राहीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद निहार घरों का मोहल्ला चूडीघरों की मस्जिद उदयपुर	15000/-
24.	श्रीमति जडाव बाई पत्नी श्री नाहर सिंह, नि० सायरा, तह० गोगुन्दा।	श्री नाहर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी सायरा तह० गोगुन्दा	15000/-

Page No 356

(356)

परिशिष्ट "ख-'

सोलेटियम फण्ड स्कीम के अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मरने वाले अथवा घायलों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

क्रमांक	मृतक/घायल का नाम	वारिस का नाम व पता जिले राशि दी गयी	स्वीकृत राशि
1.	श्री जगदीश मलहोत्रा	श्रीमती संयोगिता रानी, 523-ए राजापार्क, जयपुर।	5,000
2.	श्री देवेन्द्र सिंह मेहता	श्रीमती हेमलता मेहता, मेहताब टीबा, उदयपुर।	5,000
3.	श्रीमति शाहिदा	श्री अब्दुल शमी बास बदनुपुरा जयपुर।	5,000

राजस्थान मुख्यमंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से वर्ष 1981–82 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों को दी गई वित्तीय सहायता की जिलेवार सूचना।

क्र.सं.	जिलों का नाम	मृतक के परिवार को मृत्यु के मामले में दी गई राशि		घायलों को दी गई राशि	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	अलवर	3	5500/–	1	500/–
2.	अजमेर	12	22000/–	9	5200/–
3.	भरतपुर	9	9500/–	7	3500/–
4.	बाड़मेर	1	1000/–	–	—
5.	बांसवाड़ा	7	9000/–	16	8400/–
6.	भीलवाड़ा	4	10000/–	2	1000/–
7.	चित्तौड़गढ़	1	1000/–	–	—
8.	चूरू	1	500/–	–	—
9.	डूंगरपुर	9	9000/–	17	4500/–
10.	जयपुर	2	8000/–	16	4600/–
11.	झालावाड़	3	5000/–	–	—
12.	झुन्झुनू	1	2000/–	12	3000/–
13.	कोटा	2	2000/–	–	—
14.	पाली	3	11000/–	10	9500/–
15.	सवाई माधोपुर	14	14000/–	11	3750/–
16.	सीकर	1	2000/–	1	200/–
17.	सिरोही	1	2000/–	–	—
18.	उदयपुर	1	1000/–	–	—

358.

राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से वर्ष 1982–83 में हुई दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों को दी गई वित्तीय सहायता की जिलेवार सूचना।

क्र.सं.	जिले का नाम	मृतक के परिवार को मृत्यु के मामले में दी गई राशि		घायलों को दी गई राशि	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	अलवर	1	5000/–	–	—
2.	अजमेर	7	10000/–	20	7300/–
3.	भरतपुर	2	4000/–	2	2500/–
4.	बांसवाड़ा	8	8000/–	13	1600/–
5.	भीलवाड़ा	15	44000/–	23	11500/–
6.	बीकानेर	1	1000/–	–	—
7.	बून्दी	2	1000/–	2	200/–
8.	चित्तौड़गढ़	8	9000/–	14	4500/–
9.	चुरू	12	24000/–	—	—
10.	डूंगरपुर	3	2500/–	6	3000/–
11.	गंगानगर	4	6000/–	14	4500/–
12.	जयपुर	17	50000/–	6	4000/–
13.	झालावाड़	1	2000/–	–	—
14.	झुन्झुनू	3	2500/–	–	—
15.	जोधपुर	4	7000/–	5	2500/–
16.	पाली	1	1000/–	2	2500/–
17.	सवाईमाधोपुर	2	4000/–	–	—
18.	सीकर	5	7000/–	–	—
19.	उदयपुर	7	5000/–	1	500/–

पथ परिवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के वारिसों को अनुग्रह राशि के रूप में 29,900 रुपये व घायलों की चिकित्सा में 28635–30 रुपये की राशि दी गई है।

राजस्थान मुख्यमंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से वर्ष 83–84 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों को दी गई वित्तीय सहायता की जिलेवार सूचना।

क्र.सं.	जिले का नाम	मृतक के परिवार को मृत्यु के मामले में दी गई राशि		घायलों को दी गई राशि	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	अलवर	3	3000/-	–	—
2.	अजमेर	8	8000/-	34	14150/-
3.	भरतपुर	8	25000/-	–	—
4.	बाड़मेर	4	14500/-	4	3500/-
5.	धोलपुर	13	13500/-	12	6000/-
6.	भीलवाड़ा	10	17000/-	6	3000/-
7.	चित्तौड़गढ़	3	3000/-	2	1000/-
8.	डूंगरपुर	–	—	1	1000/-
9.	सिरोही	13	24000/-	38	17000/-
10.	श्रीगंगानगर	5	7500/-	2	1000/-
11.	पाली	1	1000/-	–	—
12.	कोटा	6	6000/-	–	—
13.	जालोर	11	43500/-	–	—
14.	टोंक	3	4250/-	1	1000/-
15.	उदयपुर	23	47000/-	21	19000/-
16.	चूरू	16	31000/-	27	13500/-
17.	नागोर	4	9000/-	7	9000/-
18.	बांसवाड़ा	8	13300/-	2	1000/-
19.	झालावाड़	–	—	1	1000/-
20.	झुंझुनू	4	5000/-	–	—
21.	जोधपुर	15	23750/-	5	4500/-
22.	सवाईमाधोपुर	10	10000/-	3	1500/-
23.	सीकर	3	3000/-	1	500/-
24.	बूंदी	3	6000/-	–	—
25.	जयपुर	27	66500/-	2	1000/-

Page No 360

(360)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 670 की सूची

Rajasthan Board of Homoeopathic Medicine JAIPUR.

List of 46 candidates alongwith the Roll No. in whose copies were changed in the organon of medicine paper Ist of first year D.H.M.S. (Diploma) Annual Examination held in the month of

MAY—JUNE 1983.

S.No.	Name of student	Roll No.
1.	Anand Sharan	2
2.	Devesh Kumar Gupta	7
3.	Davendra Singh	9
4.	Jaiveer Singh	11
5.	Raj Kumar Singh	17
6.	Sanjeev Pawar	22
7.	Atul Kumar	27
8.	Yatendra Singh	28
9.	Gori Shankar Mishra	34
10.	Ashok Kumar Singh	35
11.	Balbir Singh	39
12.	Mahesh Kumar Pareek	53
13.	Upendra Kumar	57
14.	Manoj Kumar Gupta	65
15.	Dhirendra Kumar Arya	66
16.	Govind Singh Bhakundi	72
17.	Ashok Kumar Lhohani	76
18.	Budhpal Singh	77
19.	Dinesh Kumar	79
20.	Lalit Kumar	87

1	2	3
21.	Prem Chand Garg	95
22.	Ramesh Chand	100
23.	Sanjeev Rumar Malik	104
24.	Suresh Chand	108
25.	Kum. Sunil Ahuja	112
26.	Sanjeev Kumar Vatsa	115
27.	Sanjay Kumar	117
28.	Shashi Kumar Arora	118
29.	Vinod Kumar	121
30.	Y‹ ges Kulshreestha	124
31.	Yashbir Singh Yadav	125
32.	Mukesh Garg	129
33.	Sanjeev Kumar	132
34.	Mahipal Singh	139
35.	Ram Naresh	143
36.	Tej partap singh	147
37.	Ganesh Pal Singh	149
38.	Gyanendra Singh	163
39.	Jainedndra Kumar	164
40.	Mohd. Zuhair	169
41.	Rajesh Kumar Sharma	175
42.	Rajendra Singh	180
43.	Rambilas Yadav	182
44.	Vijay Singh Chauhan	187
45.	Arun Kumar Singh	191
46.	Santosh Singh	8 (Supp.)

Page No 362

(362)

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 674 का विवरण

तालिका संख्या—1

टैंकरों द्वारा पेयजल का परिवहन करके तहसील नोखा एवं तहसील कोलायत के जिन ग्रामों में संवत् 2038 एवं संवत् 2039 में व्यवस्था की गई उनका विवरण

तहसील कोलायत संवत् 2038

नाम तहसील	वर्ष	क्र. सं.	नाम ग्राम	अवधि
1	2	3	4	5
कोलायत	संवत् 2038	1–	मोखिया	16–4, 26–4, 7-6 21–6, एवं 15–7–82
		2–	रानेरी	2–5–82
		3–	शम्भू का बुर्ज	2–5–82, 3–5–82
		4–	राणासर	5-6, 10-6, 15-6 एवं 17-7-82
		5–	पाबूसर	16–6–82
		5–	रणधीसर	17–6–82
		7–	सुरजड़ा	18–6–82
		8–	फूलासर बड़ा	2–7–82
		9–	छीला कश्मीर	3–7–82
		10–	सासला बस्ती	13–7–82
		11–	माधोगढ़	13–7–82
		12–	टोकला	13–7–82
		13–	शेरूवाला	18–7–82 एवं 28–7–82
		14–	बिजेरी	18–7–82
		15–	मिटाननाला	18–7–82
		16–	मगनवाला	18–7–82
		17–	जगासर शेरूवाला	29–7–82
		18–	नोखडा टोकला	30–7–82
		19–	लूम्बाना मूलवास	30–7–82

1	2	3	4	5
		20–	मानकासर	17–5–82
		21–	भादला	19–6–82
		22–	लम्बाना मूलवान	20–6–82
		23–	कोडमदेसर	5–7–82
		24–	विजयसिंहपुरा	6–7–82
		25–	बरसलपुर	30–7–82
		26–	खारा लोहान	26–4–82
कोलायत	संवत् 2039	1–	कोलायत	13–4–83
		2–	खारा लोहन	26–4–83
		3–	बरसलपुर	30–4–83
		4–	बज्जु में बरसलपुर	10–5–83

तहसील कोलायत के जल परिवहन का व्यय संवत्–2038 रु. 19,996·00
तहसील कोलायत के जल परिवहन का व्यय संवत्–2039 रु. 7,944·50

तहसील नोखा संवत् 2038

नाम तहसील	वर्ष	क्र. स.	नाम ग्राम	अवधि	ट्रीप संख्या
1	2	3	4	5	6
नोखा	संवत् 2038	1–	ककू मय भादवा ढ़ाणी	21–2–82	1
				22–2–82	2
			ककू	23–2–82	1
		2–	साठिका	13–3–82	1
				14–3–82	1
				19–3–82	1
		3–	मेघासर	13–3–82	1
				14–3–82	1
				19–3–82	1
		4–	जयसिंहदेसर कनियां	22–3–82	1
				23–3–82	1

1	2	3	4	5	6
नोखा	संवत् 2038			23–4–82	1
				8–6–82	1
		5–	बनिया	24–2–82	1
				25–2–82	1
				27–2–82	1
				28–2–82	1
				1–3–82	1
				3–3–82	1
				6–3–82	1
				7–3–82	1
				8–3–82	1
				21–3–82	2
				22–3–82	1
				23–3–82	1
				21–4–82	3
				22–4–82	3
				23–4–82	2
				2–5–82	2
				3–5–82	4
				4–5–82	3
				5–5–82	3
				15–5–82	1
				16–5–82	1
				20–5–82	1
				21–5–82	1
				22–5–82	3
				23–5–82	2

1	2	3	4	5	6
नोखा	संवत् 2038	5-	बनिया	24-5-82	1
				25-5-82	2
				26-5-82	3
				27-5-82	2
				28-5-82	3
				29-5-82	2
				30-5-82	1
				31-5-82	2
				4-6-82	3
				5-6-82	3
				6-6-82	4
				7-6-82	3
				9-6-82	2
				10-6-82	3
				11-6-82	3
				14-6-82	2
				15-6-82	1
				16-6-82	3
				11-7-82	2
				12-7-82	2
				13-7-82	2
				14-7-82	2
				15-7-82	2
				16-7-82	2
				17-7-82	
				18-7-82	1

1	2	3	4	5	6
नोखा	संवत् 2038	6–	मऊसर	25–2–82	1
				26–2–82	1
				2–3–82	1
				7–3–82	1
				21–3–82	1
				22–3–82	1
				23–3–82	1
				21–4–82	1
				22–4–82	1
				23–4–82	1
				10–5–82	1
				11–5–82	1
				12–5–82	1
				16–5–82	1
				20–5–82	1
				23–5–82	1
नोखा	संवत 2039		शून्य		

तहसील नोखा के जल परिवहन का व्यय संवत्–2038 रु. 5,038·25

तहसील नोखा के जल परिवहन का व्यय संवत्–2039 रु. शून्य

तालिका संख्या (2)

तहसील नोखा एवं तहसील कोलायत में सम्वत 2038 एवं 2039 में दी गयी पीबाई का विवरण

नाम तहसील 1	वर्ष 2	क्र. सं. 3	नाम ग्राम 4	व्यय की राशि 5
नोखा	2038	1.	विलनियासर	4880–00
		2.	बासी	2730–00

1	2	3	4	5
नोखा	2038	3.	चिताणा	4550–00
		4.	मु मासर	5950–00
		5.	मुरीदसर	5950–00
		6.	ढीगसरी	5700–00
		7.	खिचियासर	3080–00
		8.	दावा	3640–00
		9.	तालिया नाडी (भावला)	3500–00
		10.	भदवाके की ढाणी	5650–00
		11.	कुभासर	3640–00
		12.	साजिका	2730–00
		13.	मेघसर	2275–00
		14.	शेखासर	4560–00
		15.	मूंदड	4880–00
		16.	जैसिगदेसर (कलिया)	4880–00
		17.	माण्डेलिया	3210–00
		18.	दूदावास	2440–00
			योग—	74245–00
कोलायत	2038	1.	पावूसर सिदूका	4560–00
		2.	मियांकोर	4320–00
		3.	भेलू	4800–00
		4.	भेलू एणी	3360–00
		5.	लम्बान गुलबान	2800–00
		6.	लम्बान भाटियान	2800–00
		7.	खारा लोहान	2790–00
		8.	खारियापालावासन	3360–00
		9.	नैनिया	2825–00
		10.	उदत	3360–00
		11.	बालो का मोल	5350–00

Page No 368

(368)

1	2	3	4	5
		12.	चारणवाला	4410–00
		13.	रावलोताव का तला	4270–00
		14.	गजेवाला	4880–00
		15.	भुटेवाला	2700–00
		16.	कोलासर	3500–00
		17.	लोहिया	4240–00
		18.	खतालाई गुलवास	4248–00
		19.	पाबूसर	2675–00
		20.	फतूवाला	3690–00
			योग—	73938–00
कोलायत	2039	1.	लूम्बसर	2820–00
		2.	गजेवाला	3960–00
		3.	रावलोतान का तला	3465–00
			योग—	10245–00
नोखा	2039		शून्य	

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण विधान सभा में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नगरपालिका लाडनूं द्वारा हड्डियों का ठेका

677. श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं में वर्ष 1982-83 में हड्डियों का ठेका दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह ठेका नगरपालिका मण्डल के सदस्य के नजदीकी रिश्तेदार को दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ठेके की ऊंची बोली 5200/– रु. की होने के बावजूद ठेकेदार से सिर्फ 2,600/– रु. ही आज तक जमा हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से पांच रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट नहीं लिखाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। पूर्ण राशि जमा हो चुकी है।

(4) ठेकेदार ने सम्पूर्ण राशि इकरारनामा की शर्तों के अनुसार एक साथ जमा नहीं कराई। इसलिए पांच रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट नहीं लिखा गया।

'पिछड़े को पहले' योजना में लाभान्वित व्यक्ति

678. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)
श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या आयोजना (बीस सूत्री प्रकोष्ठ) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1980 से 1983 तक 'पिछड़े को पहले' सूत्र के तहत कितना अनुदान, ऋण देकर कितने व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाया गया ? इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने परिवार हैं ? कृपया जिलेवार पृथक्-पृथक् संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में 'गरीबों को छप्पर' देने के सूत्र के तहत कितने गरीब परिवारों को निःशुल्क भू-खण्ड आवंटित किये गये तथा भवन बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछड़े को पहले सूत्र के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिलेवार लाभान्वित व्यक्तियों, अनुदान एवं ऋण वितरण वर्ष 1980—81

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुदान कुल (80–81) (रु. लाखों में)	ऋण वितरण (80–81) (रु. लाखों में)	लाभान्वित परिवार कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	44·56	66·53	5824	633	236
2.	अलवर	92·09	204·07	7023	2699	903
3.	बांसवाड़ा	35·89	60·36	1677	303	1441
4.	बाड़मेर	12·41	16·99	946	551	67
5.	बीकानेर	23·97	25·00	1344	479	—
6.	भीलवाड़ा	28·98	51·19	2168	310	250
7.	भरतपुर	86·86	161·55	6722	1541	1410
8.	बून्दी	20·80	47·03	1748	596	413
9.	चित्तौड़गढ़	73·89	108·14	4474	1720	808
10.	चूरू	32·14	54·25	2387	1635	8
11.	डूंगरपुर	30·21	44·58	1526	398	986
12.	गंगानगर	27·05	63·25	1831	1235	73
13.	जैसलमेर	11·95	12·51	524	380	33
14.	जयपुर	84·02	187·22	6381	2200	1100
15.	जालौर	23·35	49·64	2462	1001	100
16.	झुंझुनू	27·07	66·77	2256	800	299
17.	झालावाड़	19·61	20·22	1576	853	84
18.	जोधपुर	34·68	61·01	3276	1517	146
19.	कोटा	23·30	35·38	1198	468	195
20.	नागौर	52·66	133·43	4046	1449	15
21.	पाली	53·12	69·04	2535	602	177
22.	सवाई माधोपुर	48·35	103·13	3161	1440	910
23.	सीकर	33·78	96·22	3374	1100	199
24.	सिरोही	30·24	56·24	3460	1206	1010
25.	टोंक	33·45	53·22	3372	1540	559
26.	उदयपुर	150·25	246·07	9192	2356	3004
	योग :—	1114 68	2093·04	82683	28912	14295

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिलेवार लाभान्वित व्यक्तियों, अनुदान एवं ऋण वितरण वर्ष 1981–82

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुदान (81–82) (रु. लाखों में)	ऋण वितरण (81–82) (रु. लाखों में)	लाभान्वित परिवार कुल	अनु. जाति	जन जाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	66·22	102·11	5577	1922	338
2.	अलवर	108·18	152·65	8367	3326	720
3.	बांसवाड़ा	48·25	52·32	3252	71	2544
4.	बाड़मेर	42·02	58·49	3651	1463	543
5.	बीकानेर	61·50	98·10	3341	2045	—
6.	भीलवाड़ा	70·13	93·08	4229	1221	582
7.	भरतपुर	95·23	147·53	8235	3669	413
8.	बूंदी	17·21	20·00	1677	630	404
9.	चित्तौड़गढ़	87·29	116·26	7837	2614	1937
10.	चूरू	52·75	73·59	4132	2092	31
11.	डुंगरपुर	31·03	51·19	2170	287	1544
12.	गंगानगर	59·75	99·05	4532	2973	—
13.	जैसलमेर	23·56	31·21	1569	970	113
14.	जयपुर	150·26	208·79	10250	4694	2230
15.	जालौर	44·08	84·41	4240	1964	651
16.	झुंझुनू	41·51	77·51	3621	1970	331
17.	झालावाड़	48·22	46.30	3927	1800	750
18.	जोधपुर	44·76	66·28	3901	1425	248
19.	कोटा	69·71	118·70	4635	2182	779
20.	नागौर	42·52	84·46	3472	1644	18
21.	पाली	56·37	89·15	4730	1118	168
22.	सवाई मांधोपुर	77·16	119·39	5556	2662	766
23.	सीकर	51·28	84·03	4218	2125	186
24.	सिरोही	30·01	57·94	3776	1621	1107
25.	टौंक	42·27	60·91	3814	1276	643
26.	उदयपुर	128·61	147·60	6867	1604	3226
	योग :—	1598·88	2341·05	1,21,576	49,368	20;372

(372)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिलेवार लाभान्वित व्यक्तियों, अनुदान एवं ऋण वितरण वर्ष 1982—83

क्र. सं	जिले का नाम	कुल अनुदान (82–83) (रु. लाखों में)	ऋण वितरण (82–83) (रु. लाखों में)	लाभान्वित परिवार कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	68·00	90·33	5310	1872	218
2.	अलवर	134·94	206·46	9678	3881	910
3.	बांसवाड़ा	75·45	96·16	5127	774	3607
4.	बाड़मेर	49·82	54·6	4384	1878	519
5.	बीकानेर	49·25	57 71	3507	2216	—
6.	भीलवाड़ा	91·88	108·95	9781	2882	1250
7.	भरतपुर	100·59	141·38	7679	3946	315
8.	बून्दी	37·15	44·51	3611	1373	683
9.	चित्तौड़गढ़	130·23	175·80	10391	3378	6572
10.	चूरू	69·35	116·65	5488	2893	52
11.	डूंगरपुर	40·19	47·50	3514	427	2706
12.	गंगानगर	81·53	132·99	6720	4086	—
13.	जैसलमेर	28·80	40·66	1803	895	184
14.	जयपुर	165·67	206·61	12418	5095	1546
15.	जालौर	70·90	100·77	7277	3579	1199
16.	झुंझुनू	78·03	132·10	6087	2815	309
17.	झालावाड़	61·62	76·62	6207	2645	858
18.	जोधपुर	80·85	129·90	6603	2634	479
19.	कोटा	102·90	185·00	9236	2829	1986
20.	नागौर	108·58	179·70	7585	4132	4
21.	पाली	79·60	163·38	7094	2761	499
22.	सवाई माधोपुर	118·14	177·74	8865	3754	1465
23.	सीकर	70·54	114·76	5883	2951	337
24.	टौंक	45·25	87·35	4806	1594	1005
25.	सिरोही	53·40	54·93	4318	1943	1439
26.	उदयपुर	183.67	179·69	16880	4081	7559
27.	धोलपुर	36·98	37·98	3150	1473	57
	योग :—	2213·31	3142·26	1,83,402	72787	31758

Page No 373

(373)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिलेवार लाभान्वित व्यक्तियों, अनुदान एवं ऋण वितरण वर्ष 1983–84
(दिसम्बर, 1983 तक)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल अनुदान (83–84) (रु० लाखों में)	ऋण वितरण (83–84) (रु० लाखों में)	लाभान्वित परिवार कुल	अनु. जाति,	अनु, जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	42·00X	50·00X	3014X	1100X	100X
2.	अलवर	91·37	128·54	7798	3141	983
3.	बांसवाड़ा	36·25	30·61	3343	454	2537
4.	बाड़मेर	33·83	46·80	3301	1125	351
5.	बीकानेर	15·16	23·62	1007	506	—
6.	भीलवाड़ा	50·51	66·73	4961	1591	554
7.	भरतपुर	43·75	49·29	2825	1547	127
8.	बून्दी	25·42	26·75	1916	614	428
9.	चित्तौड़गढ़	76·45	105·26	6086	1791	1403
10.	चूरू	53·97	91·93	4227	2035	30
11.	डूंगरपुर	18·00	34·91	1383	136	1026
12.	गंगानगर	52·84	83·55	3910	2399	—
13.	जैसलमेर	24·56	39·66	1349	359	105
14.	जयपुर	56·15	70·36	3533	1506	452
15.	जालोर	40·00X	55·00	3808	1725	678
16.	झुंझुनू	45·43	80·07	3541	1170	199
17.	झालावाड़	36·03	58·22	3210	1188	490
18.	जोधपुर	48·42	68·91	3484	1394	292
19.	कोटा	55·25	55·00X	5411	2000X	700X
20.	नागौर	53·81	96·13	3756	1914	13
21.	पाली	33·22	51·73	3210	1255	299
22.	सवाई माधोपुर	79·53	128·59	5205	1902	1047
23.	सीकर	40·35	65·57	3445	1517	223
24.	सिरोही	22·34	42·53	1950	893	453
25.	टोंक	29·67	42·39	2333	672	525
26.	उदयपुर	86·62	98·00X	6399	1340	2404
27.	धौलपुर	21·45	28·97	1561	791	23
	योग :—	1212·38	1719·12	95966	35995	15442

अनुमानित—I

गरीब को छप्पर योजना के तहत वर्ष 1980–81 से 1983–84 (फरवरी, 84) तक नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन एवं भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि—

वर्ष	भूखण्ड आवंटन (सं०)	भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1980–81	कोई योजना नहीं	238–45
1981–82	103165	323–00
1982–83	115954	635–40
1983–84 (फरवरी, 84)	61398	771–98

———

प्रतापगढ़ क्षेत्र में अवैध वन कटाई

679. **श्री नंदलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उपवन संरक्षक, प्रतापगढ़ के पास वर्ष 1982-83 एवं दिसम्बर, 1983 तक कितने जन प्रतिनिधियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने अवैध वन कटाई की सूचना लिखित में दी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं कर्मचारी वन कटाई को रोकने में अब तक असफल रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को वर्ष 1982–83 तक शिकायतें एवम् दिसम्बर, 1983 तक 8 सूचनाएं अवैध कटान की प्राप्त हुई। इस पर की गयी कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

(2) वनों के अवैध कटान को रोकने हेतु स्थानीय अमले के साथ-साथ गश्ती दल द्वारा भी रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। अवैध कटान में दोषी पाये जाने वाले 17 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर 7 कर्मचारियों को दण्डित किया गया। 10 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

प्रश्न संख्या 679 की सूचना

क्र. सं.	वर्ष	शिकायत की निन्दा	शिकायत का हवाला	जांच किस अधिकारी को दी	जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई या नहीं	जांच पर लिया गया निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	82–83	श्री अर्जुनलाल पंचाल नि. जालर	बाबत	क्षेत्रीय देवड	नहीं	
2.	”	ग्रामवासी	नाके के स्टाफ के विरुद्ध जंगल में नुकसान बाबत	क्षेत्रीय प्रतापगढ़	नहीं	
3.	”	निवासी लसाड़िया	साझेदार लसाड़िया के विरुद्ध बाबत जंगल कटा कर निकास कराना	क्षेत्रीय गश्तीदल	”	
4.	”	जनता बांसी	क्षेत्रीय द्वारा घावड़े की डाडीया बल्लीया कटवाने	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	”	
5.	”	”	निजी वीड़ की आड़ में जंगलात की लकड़ी की अवैध कटाई	क्षेत्रीय गश्तीदल	”	
6.	”	सरपंच बाराबरदा तहसील प्रतापगढ़	नाके के स्टाफ के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्रीय देवगढ़	”	स्टाफ का स्थानान्तर कर दिया है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	82–83	सदस्य नगरयुवा कांग्रेस कमेटी बड़ी सादड़ी	बड़ीसादड़ी वनपाल द्वारा वन उपज का खुले आम व्यापार	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	नहीं	वनपाल का स्थानान्तर कर दिया ।
8.	”	श्री शंकरलाल निवासी धानपुर	खड़े वृक्षों को नुकसान पहुंचाने बाबत	क्षेत्रीय गश्तीदल	नहीं	वनपाल का स्थानान्तर कर दिया । गया ।
9.	”	ग्रामवासी धोलापानी	जंगल में नुकसान बाबत नाका सियाखेड़ी	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	हां जी	दोषी वनपाल को 17 के तहत् सर्विस रोल वार्निंग दो ।
10.	82–83	भूतपूर्व चैयरमैन छोटी सादड़ी नगर-पालिका (मौखिक)	डांडियों की निकासी बाबत नाकेदार छोटी सादड़ी के विरुद्ध	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय छोटी सादड़ी	हां जी	वनपाल को 17 के तहत नोटिस जये सं. 7097-98 दिनांक 12-10 83 से दिया गया है । जवाब प्राप्त हो चुका है जिस पर क्षेत्रीय की टिप्पणी अपेक्षित है ।
11.		ग्रामवासी मुंगाना	मुंगाना के गार्ड के विरूद्ध बाबत जंगल से नुकसान कराने	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	हां जी	रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है ।
12.		अगदीराम नि. जालमिया	शिकायत विरुद्ध स्टाफ नाका सियाखेड़ी	क्षेत्रीय छोटी सादड़ी	हां जी	रिपोर्ट झूठी पाई गई अतः शिकायत शामिल फाइल की गई ।

1	2	3	4	5	6	7
13.	82–83	जनता नि. बड़ी सादड़ी व वान्सी	अवैध बांसों की निकासी	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़ व उदयपुर	हां जी	क्षेत्रीय छोटी सादड़ी व वनपाल बड़ी सादड़ी के विरुद्ध सी. सी ए. रूल, 16 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किए गये थे। कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु वापिस प्राप्त हुए है।
14.	”	उदयराम धाकड़ विधायक	बांसी में अवैध कटान	सहायक वन संरक्षक उदयपुर	हां जी	आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध आगे कार्यवाही जारी हैं।
15	”	जनता छोटी सादडी (मौखिक)	जलाऊ लकड़ी का अवैध निकास एवं नर्सरी में गड़बड़ी बाबत	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	हां जी	क्षेत्रीय वनपाल के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स की धारा 16 के सहत प्रस्ताव बनाकर जये सं. 12124 दिनांक 17–12–82 प्रेषित किए जा चुके हैं।
16.	”	श्री केशरसिंह प्रधान पंचायत समिति धरियावद	जलाऊ लकड़ी की अवैध निकासी	उप वन संरक्षक व क्षेत्रीय बांसी	हां जी	उप वनपाल की 17 के तहत 2 वेतन वृद्धियां 'रोकी गईं इसे निलम्बित भी किया गया था।
17.	82–83	जनता मूंगाना व श्री उदयराम जी धाकड़ विधायक	मूंगाना स्टाफ के विरुद्ध अवैध वन उपज निकासी बाबत्	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	हां जी	मूंगाना स्टाफ के कर्मचारियों की 2-2 वेतन वृद्धियां रोकी गईं।

1	2	3	4	5	6	7
18.	82–83	निवासी जनता पारसोला	पारसोला से अवैध लकड़ी निकासी	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	हां जी	वन रक्षक को निलम्बित किया गया तथा 17 के तहत चेतावनी दी गई ।
19.	"	श्री कारूलाल पिता आशाराम नि. अमलावद	अवैध वन उपज नहीं पकडने बाबत्	सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़	"	क्षेत्रीय के विरुद्ध 17 का नोटिस बना कर वन संरक्षक महोदय पश्चिमी वृत, उदयपुर को पत्र सं. 17 दिनांक 31–3–83 प्रेषित किया गया है ।
20.	"	निवासी बांसी (मौखिक)	शिकायत विरुद्ध स्टाफ बाबत नुकसान जंगल	क्षेत्रीय बांसी	"	वनपाल को 17 के तहत नोटिस दिया जा रहा है । वनरक्षक का स्थानान्तर कर दिया गया है ।
21.	"	नाथु पुत्र राध टेलर	बोरियां में आरा मशीन पर अवैध लकड़ी बाबत	क्षेत्रीय धरियावद	नहीं	
1.	83–84	श्री अहमद खां नि. बांसी	नाकेदार द्वारा कूप की लकड़ी की अवैध निकासी	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	हां जी	वनपाल को निलम्बित किया गया, जांच प्राप्त हो चुकी है, दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सी. सी. ए. रूल्स 16 के तहत आरोप पत्र बनाये जा रहे हैं ।
2.	"	आम जनता नि. मूंगाना	मूंगाना नाके से अवैध वन उपज निकासी बाबत	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	नहीं	

1	2	3	4	5	6	7
3.	82–83	जनता नि. बांसी	बांसी रेंजर द्वारा अवैध कटान कराने बाबत	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	नहीं	
4.	,,	श्री गजराजसिंह	बांसी रेंजर द्वारा अवैध लकड़ी कटान बाबत	,,	हां जी	जांच रिपोर्ट वन संरक्षक महोदय को जयें सं. 19–20 दिनांक 29–1–84 भेजी गई। क्षेत्रीय का स्पष्टीकरण चाहा गया है।
5.	,,	श्री गजराजसिंह	दामी तलाई स्टाफ, व रेंजर बांसी के विरुद्ध अवैध लकड़ी निकासी बाबत	,,	,,	क्षेत्रीय वनपाल के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स 17 के तहत प्रारूप नोटिस बनाया जाकर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	,,	ग्रामवासी बरी तहसील धरियावद	जंगल काटकर अवैध काश्त करना।	सहायत वन संरक्षक प्रतापगढ़	,,	कर्मचारियों की मिली भगत होना जाहीर नहीं होता परन्तु अतिक्रमण के प्रकरण में बेदखली बाबत प्रगति क्षेत्रीय से मांगी है।
7.	,,	सरपंच बोहड़ा (जिलाधीश की मार्फत)	आरा मशीनों पर अवैध लकड़ी का जाना	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	नहीं	
8.	,,	निवासी मूंगाना	बिना टी. पी. लकड़ी ले जाना	सहायक वन संरक्षक गश्तीदल प्रतापगढ़	,,	

(379)

(330)

जिला बांसवाड़ा में खोले गये औषधालय

680. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

वर्ष 1983-84 में बांसवाड़ा जिले में कितने औषधालय स्वीकृत हुए ? स्वीकृत औषधालय खुले अथवा नहीं, ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1983–84 में 6 औषधालय स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 29–3–84 तक 5 औषधालय खोले जा चुके हैं। शेष एक औषधालय दिनांक 26–3–84 को ही स्वीकृत हुआ है, जिसे खोलने हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी, बांसवाड़ा को आदेश दिये जा चुके हैं।

नागौर में खोले गये पशु चिकित्सालय

681. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला पशुपालन प्रधान जिला है ? यदि हां, तो पशुओं की तुलना में जिले में पशु चिकित्सालय कितने हैं ? क्या यह सही है कि पशुधन की अपेक्षा चिकित्सालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कब तक व कितने नये पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे ?

(2) क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार नागौर जिले में पशु चिकित्सालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

नागौर जिले में 17 पशु चिकित्सालय, 14 पशु स्वास्थ्य केन्द्र, 8 पशु औषधालय एवं 3 चल पशु चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत हैं। जो 25104 गौवंश इकाई पर एक पशु चिकित्सा संस्था आती हैं,

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) नागौर जिले में वर्ष 83–84 में कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है। इसी आधार पर 2 पशु औषधालय खोले गये हैं।

जैसलमेर-झिनझिनयाली सड़क का निर्माण

682. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री अमीन खां (शिव)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले की जैसलमेर-झिनझिनयाली सड़क की कुल कितने किलोमीटर की लम्बाई है ? उक्त सड़क के निर्माण हेतु कितनी अनुमानित धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(2) उक्त सड़क पर कितने किलोमीटर कार्य पूर्ण करा दिया गया है व कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(श्री अमीन खां)

(3) क्या यह सही है कि निर्मित सड़क पर पानी के निकास हेतु कई स्थानों पर प्रबन्ध नहीं किया गया है ? उक्त स्थानों पर पानी के निकास हेतु कब तक प्रबन्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जैसलमेर झिनझिनयाली सड़क की कुल लम्बाई 85 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण हेतु 16·00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) 26 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है। 15,82,547,00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(3) गत वर्ष पानी के बहाव को देखते हुए पानी के निकास हेतु प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है जिसे अगले वर्ष तक किए जाने की सम्भावना है।

गंगानगर जिले की मण्डियों में रूई की फसल की सुरक्षा

683. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि गंगानगर जिले की मण्डियों में किसानों की रूई की फसल 15 या 20 दिन तक पड़ी रहनी है और किसानों को खुले आकाश में अपनी ढेरियों की सुरक्षा के लिए दिन रात पड़े रहना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो क्या कृषि उपज समितियों द्वारा इस समस्या का कोई समाधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गंगानगर जिले में कपास का विक्रय बहुत अधिक विलम्ब से नहीं होता है। माल की सुरक्षा हेतु चौकीदारों की व्यवस्था है तथा कृषकों की सुविधा हेतु कृषक विश्राम गृह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, केसरीसिंहपुर, पीलीबंगा एवं सादुलशहर में है। इसके साथ-साथ आकस्मिक क्रेताओं को अनुज्ञापत्र देने व भारतीय कपास निगम की सेवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिससे कपास का विक्रय शीघ्र होता रहे।

8 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत पुलिस कर्मी

684. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निरीक्षक आरक्षी या ऊपर के पद वाले कर्मचारियों पर एक जिले में 8 वर्ष से ज्यादा समय

(श्री हंसराज शर्मा)

कार्यरत रहने पर सरकार द्वारा पाबन्दी लगाई हुई है ? यदि हां, तो जनवरी, 1984 तक किस-किस जिले में 8 साल से अधिक समय से ऐसे अधिकारी सेवारत हैं और क्यों ? कृपया जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर में 8 साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को कब तक हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला चूरू, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, बांसवाड़ा, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बून्दी, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, अजमेर एवं जयपुर में कुछ अधिकारी 8 वर्ष से अधिक समय से प्रशासनिक अथवा कम्पेशनेट कारणों से पद स्थापित है। जिलावार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला सवाई माधोपुर में ऐसा केवल एक पुलिस अधिकारी पदस्थापित है। यह अधिकारी वर्तमान पद पर गत कुछ महीनों से ही हैं। इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार को ध्यान में रख कर आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

जिलेवार सूची

जिला का नाम	अधिकारी का नाम मय पद
चूरू	श्री उदयराम, उपनिरीक्षक
भरतपुर	श्री प्रहलाद सिंह, उपनिरीक्षक
चित्तौड़गढ़	श्री गम्भीरसिंह, उपनिरीक्षक
अलवर	श्री प्रेमचन्द, उपनिरीक्षक
बांसवाड़ा	श्री करण सिंह उपनिरीक्षक
,,	श्री चुन्नीलाल, उपनिरीक्षक
झुंझुनू	श्री फैश मोहम्मद, उपनिरीक्षक
नागौर	श्री कालूराम, उपनिरीक्षक
,,	श्री भंवरसिह, उपनिरीक्षक
,,	श्री शक्तिदान, उपनिरीक्षक
,,	श्री प्रभूनारायण, उपनिरीक्षक
जोधपुर	श्री सखतसिंह, एम० टी०
उदयपुर	श्री मोडीराम, उपनिरीक्षक
,,	श्री रणजीतसिंह, उपनिरीक्षक

Page No 383

(383)

1	2
उदयपुर	श्री संग्रामसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री शिव नारायण, उप निरीक्षक
,,	श्री मदनसिंह, उप निरीक्षण
,,	श्री छोगालाल, उप निरीक्षक
,,	श्री भीमसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री निर्भवसिंह, उप निरीक्षक
सवाई माधोपुर	श्री बलवन्तसिंह, पुलिस निरीक्षक
बूंदी	श्री जगदीश चन्द, उप निरीक्षक
,,	श्री भूरालाल, उप निरीक्षक
गंगानगर	श्री जलेसिंह, पुलिस निरीक्षक
,,	श्री हुक्मसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री विचित्र कुमार, उप निरीक्षक
भीलवाड़ा	श्री पुरुषोत्तम, उप निरीक्षक
,,	श्री हरदयालसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री मांगीलाल, उप निरीक्षक
,,	श्री कल्याणसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री गुलाब सिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री अशवंतसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री बहादुरसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री ईश्वरलाल, उप निरीक्षक
गंगानगर	श्री रामेश्वरलाल, उप निरीक्षक
अजमेर	श्री आर० के० शर्मा, उप निरीक्षक
,,	श्री के० एन० जैन, उप निरीक्षक
,,	श्री नानू लाल, उप निरीक्षक
,,	श्री भंवरसिंह, उ० नि०
जयपुर	श्री रतनलाल, उप निरीक्षक
,,	श्री लल्लू राम, उप निरीक्षक
,,	श्री सोहनलाल, उप निरीक्षक
,,	श्री मगनसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री मनोहर खां, उप निरीक्षक
,,	श्री केशरसिंह, उप निरीक्षक

Page No 384

1	2
जयपुर	श्री बंशीधर, उप निरीक्षक
,,	श्री भेरूदानसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री रतनलाल पुत्र श्री मुंशीलाल, उप निरीक्षक
,,	श्री मोहम्मद अकील, उप निरीक्षक
,,	श्री हरिसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री भवानीसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री भीमसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री गिरवरसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री मूलचन्द, उप निरीक्षक
,,	श्री हरिशचन्द, उप निरीक्षक
,,	श्री सालगराम, उप निरीक्षक
,,	श्री भगवान सहाय, उप निरीक्षण
,,	श्री अब्बास अहमद, उप निरीक्षक
,,	श्री रामजल, उप निरीक्षक
,,	श्री भगवानसिंह पुत्र बिशनाराम, उप निरीक्षक
,,	श्री बद्री प्रसाद, उप निरीक्षक
,,	श्री भोलाराम, उप निरीक्षक
,,	श्री गुरुबक्ससिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री दिलीपसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री शेरसिंह, उप निरीक्षक
,,	श्री दरियाव सिंह उ. नि.
,,	श्री मामराज, उ. नि.
,,	श्री मोतीलाल मीना, उ. नि.
,,	श्री महावीर प्रसाद राय, उ. नि.
,,	श्री नाथूसिंह, उ. नि.
,,	श्री प्राण शंकर शर्मा, उ. नि.
,,	श्री रूपसिंह, उ. नि.
,,	श्री राधा प्रसाद, उ. नि.
,,	श्री सुजानसिंह, उ. नि.
,,	श्री लज्जाराम, उ. नि.
,,	श्री होशियारसिंह, उ. नि.
,,	श्री जगदीश सिंह, उ. नि.

1	2
जयपुर	श्री फूलचन्द, उ. नि.
,,	श्री नथमल पारीक, उ. नि.
,,	श्री सत्य प्रकाश, उ. नि.
,,	श्री घासीलाल, उ. नि.
,,	श्री भगवती प्रसाद, उ. नि.
,,	श्री पूर्ण प्रताप निर्मल, उ. नि.
,,	श्री सुरेन्द्र कुमार, उ. नि.
,,	श्री रिछपालसिंह, उ. नि.
,,	श्री कानसिंह, उ. नि,
,,	श्री राम बहादुर सक्सेना, उ. नि.
,,	श्री बंशीसिंह, उ. नि.
,,	श्री घनश्याम दत्ता, निरीक्षक
,,	श्री ओम प्रकाश सैनी, निरीक्षक

सिंचाई खण्ड, बून्दी का बजट

685. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी सिंचाई खण्ड को 1983-84 में कितना बजट सरकार द्वारा आवंटित किया गया था ?

(2) बूंदी सिंचाई खण्ड को सन् 1983–84 के लिए आवंटित बजट में से बूंदी खण्ड द्वारा अब तक कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गई ? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बूंदी खण्ड द्वारा फरवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के केमरे फोटू लिए गए ? यदि हां, तो कृपया दिनांक, कारण, फोटू हेतु खर्च की गई राशि की पूर्ण तालिका तथा फोटुओं की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड बूंदी को वर्ष 83-84 में विभिन्न मदों मे कुल 104.71 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया।

(2) सिंचाई खण्ड बूंदी द्वारा वर्ष 83–84 में आवंटित बजट की तुलना में 109·78 लाख रुपये खर्च किये गये। खर्चे का मदवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, फरवरी, 83 से फरवरी, 84 के बीच विभाग एवं यू. एस. आई. डी. द्वारा दिनांक 14.2.83 से 18·2·83 तक एक वाटर मेजरमेंट की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस दौरान सम्पादित कार्य एवं कार्यक्रमों के रेकार्ड रखने हेतु रंगीन फोटो लिये गये। इस पर विभाग द्वारा कुल व्यय 8205/—रु. का किया गया। इस खर्चे का यू. एस. ए. आई. डी. द्वारा पुन-भरण कर दिया गया है। अतः फ़ोटो की प्रति रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(386)

सिंचाई खण्ड बूंदी को वर्ष 1983-84 में मदवार बजट आवंटन एव उसकी तुलना में व्यय का विवरण। (लाखों में)

क्र० सं० बजट मद	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	वास्तविक व्यय
1. 533-केपिटल आउट ले (ख) माडर्नाइजेशन (प्लान)	15.00	15.00	17.92
2. 533-केपिटल आउट ले (ख) माइनर इरिगेशन (प्लान)	40.71	46.21	46.38
3. 533-केपिटल आउट ले (ए. पि. ए. फैमिन)	20.00	22.00	23.69
4. 313-फोरेस्ट (ङ) प्लान्टेशन स्कीम	0.25	0.90	0.65
5. 333-आई. एन. डी. एफ. सी पी. (ग) अदर इरिगेशन वर्क्स (1) मेन्टीनेन्स	17.00	17.00	17.00
6. कार्मशियल गुढ़ा प्रोजेक्ट	3.60	3.60	4.14
योग :—	96.56	104·71	109.78

जोधपुर नगर की बलदेवनगर की सड़क का निर्माण कार्य

686. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982-83 में जोधपुर नगर की बलदेवनगर योजना सड़क के विस्तार के निर्माण कार्य में न्यास कोष को रु.39,342/ की हानि पहुंचाई, जिसका आक्षेप लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इण्डियन पेनल कोड के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 (ए) के अनुसार उनसे उपरोक्त धन-

Page No 387

राशि की वसूली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) कृपया सम्बन्धित ऑडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर विकास न्यास, जोधपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982–83 में जोधपुर नगर विकास न्यास की बलदेव नगर योजना सड़क के विस्तार के निर्माण में न्यास कोष को रुपये 39,422/– की हानि होना बताया है ।

(2) आडिट रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात ही इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

(3) संबंधित आडिट पैरा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

नगर विकास न्यास जोधपुर के 82–83 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 30 की प्रति

30. मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कम्पनी को बलदेव नगर योजना में सड़क के विस्तार में रु. 2003.38 का अधिकार भुगतान व न्यास कोष को रुपये 39422/– की हानि ।

वाउचर संख्या 155 दिनांक: 27–8–82

नगर सुधार न्यास जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 5471 दिनांक 22-12-81 के द्वारा बलदेवनगर योजना क्षेत्र में डामर सड़क के विस्तार का ठेका मैसर्स जोधपुर कन्सट्रक्शन कम्पनी को 18.5% प्रतिशत बिलो पर 121110/– का स्वीकृत किया ।

उक्त कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका संख्या 313 का अवलोकन करने पर निम्न आक्षेप पाये गये है :—

(क) उक्त कार्य की माप पुस्तिका 373 के पृष्ठ संख्या 85 के अनुसार स्टोन एग्रीगेट 63 एम एम 40 एम एम का उक्त ठेकेदार को 206 क्यूबी मीटर का भुगतान किया गया है लेकिन पत्रावली में उपलब्ध उपयोग मानचित्र के अनुसार उक्त कार्य में स्टोन अग्रिगेट (केकरी) की मात्रा 203.94 कयुबी मीटर उपभोग में होना स्पष्ट होता है । अतः उक्त ठेकेदार को 2·06 क्यूबी मीटर का अधिक उपयोग बता करके भुगतान किया गया है जो अनियमित है । अतः ठेकेदार से उक्त आइटम में निम्नानुसार वसूली की जावे ।

आइटम	मात्रा	दर	राशि
स्पोल एग्रीगेट 63 एम एम 40 एम एम	2·06	63·20 प्रति	130·19
घटाये (टेण्डर दर 18.5% बिलो)			
		योग	106·09

(ख) उक्त कार्य की पत्रावली के अनुसार कुल 234 डामर के ढोल उपयोग में लिये गये है तथा उक्त ठेकेदार ने उक्त खाली ढोल वापस न्यास भण्डार में जमा कराने का उल्लेख किया है तथा भण्डार पाल ने भी उक्त खाली ढोल न्यास भण्डार में जमा करने का उल्लेख रिर्टन मिमो में किया है लेकिन भण्डारपाल के पास खाली डामर के ढोल की पंजिका के पृष्ठ संख्या 71 से 75 तक का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ है कि भण्डारपाल ने उक्त खाली डामर के ढोलों का उक्त पंजिका में इन्द्राज नहीं किया है जिससे उक्त ढोल न्यास भण्डार में वापस जमा कराने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करता है। अतः भण्डारपाल का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा जावे एवं उक्त ढोलों के न्यास भण्डार में प्राप्ति की जांच की जावे। अगर भण्डारपाल उक्त खाली ढोलों का इन्द्राज स्पष्ट करने में असमर्थ हो तो भण्डारपाल से 234 खाली ढोलों की कीमत 234 × 31 = रु० 7254/-- तत्काल वसूल किये जावें। पालना से इस विभाग को अवगत करावें।

(ग) इस कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका संख्या 373 के पृष्ठ संख्या 83– व 85 के अनुसार उक्त कार्य में ठेकेदार ने 164 डामर के ढोल यानि 25-26 मैट्रिक टन अपने स्वयं के साधनों से इस कार्य पर उपयोग में लेने का उल्लेख किया है तथा न्यास ने उक्त डामर की कीमत रुपये 70529-96 13048·04 रु० 57481–92 का भुगतान किया है। डामर साधारणतया बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। डामर का प्रदाय हिन्दुस्तान व भारत पैट्रोलियम से होना सम्भव होता है। तथा उक्त फर्म सरकार विभागों को ही प्रदाय करती है अन्य व्यक्ति या फर्म को प्रदाय सम्भव नहीं होता है। तथा न्यास ने उक्त डामर की कीमत का भुगतान रु० 472/– प्रति ढोल या 2792 प्रति मैट्रिक टन से किया है लेकिन उक्त ठेकेदार ने उक्त डामर कोठारी केमिकल जोधपुर से खरीदने का उल्लेख किया है तथा इस कम्पनी के असल बिल संख्या 325 दिनांक 7-12-78, 324 दिनांक : 16-12-78 व 331 दिनांक : 6-2-79 का प्रस्तुत किया है जो उक्त कार्य की पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त बिलों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त कम्पनी ने उक्त बिलों में मात्र asphalt (डामर) का उल्लेख किया तथा कीमत प्रति ढोल रुपये 182·25 का उल्लेख किया है। लेकिन बिलों में डामर के ढोलों के साइज 80 × 100 का उल्लेख नहीं है तथा उक्त डामर किस कम्पनी द्वारा उत्पादित है, उत्पादित आदि का कोई उल्लेख नहीं है तथा प्रति ढोल के वजन का भी उल्लेख नहीं किया है तथा उक्त ठेकेदार ने उक्त डामर के ढोल रु० 182.25 से खरीद कर न्यास से प्रति ढोल रु० 472/– का भुगतान प्राप्त करना स्पष्ट होता है यानि उक्त ठेकेदार ने न्यास से रु० 289.75 प्रति ढोल अधिक भुगतान प्राप्त किया है जो एक आपत्तिजनक भुगतान प्रतीत होता है। न्यास के तकनीकी अधिकारियों ने इस तथ्य की जांच करने का कोई

प्रयास नहीं किया है। तथा उक्त डामर की शुद्धता की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थित प्रयोगशाला से कराने के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण उदासीनता प्रकट की है। इसके अलावा उक्त ठेकेदार ने उक्त वर्ष 78 में खरीद कर न्यास को वर्ष 82 में प्रदाय किया है अर्थात करीब चार वर्ष पश्चात 'प्रदाय किया है जिससे डामर ढोलों से गर्मी के कारण निकलना व खराब होना सम्भव है अर्थात न्यास के तकनीकी अधिकारियों ने उक्त ठेकेदार से घटिया स्तर का डामर खरीद कर उक्त कार्य पर उपभोग में लिया जाना पाया जाता है जिससे न्यास को घटिया किस्म की डामर के खरीद में 289.75×164 = रु० 47,519/5-8098 = रु० 3942/– का अधिक भुगतान करना पड़ा है जिसके लिए श्री लालचन्द अभियन्ता एवं श्री डाडमारी सहायक अभियन्ता उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

इस कार्य के स्वीकृत तख्मिना में डामर की कीमत रुपये 2700 प्रति मेट्रिक टन का उल्लेख किया जब कि न्यास के तकनीकी अधिकारियों ने अपनी उदासीनता के कारण उक्त ठेकेदार को रु० 2792,16 प्रति मैट्रिक टन से भुगतान किया है। नियमानुसार एवं अनुबन्ध की धारा 12 के अनुसार तख्मीना में स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान उक्त ठेकेदार को देय नहीं है। इस प्रकार उक्त ठेकेदार को रुपये 92.16 प्रति मैट्रिक टन से अधिक भुगतान हुआ है जो अनियमित है। अतः उक्त ठेकेदार से रु० 1897.29 तत्काल वसूल किये जावें।

उक्त मामला सचिव नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल राजस्थान जयपुर के ध्यान में लाया जाकर लेख है कि ऊपर वर्णित दोषी अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही से दन्डित किया जावे एवं हानि की प्रति पूर्ति कराई जाकर इस विभाग को अवगत कराया जावे।

---

(390)

गॉव गावडी के चरागाह में सघन वृक्षारोपण

687. श्री भरोसी लाल (हिन्डौन) **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या गांव गावड़ी तहसील सिकरांय के चरागाह में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

(2) चरागाह पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिये विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह कार्य अगस्त, 1984 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

(2) चरागाह से अतिक्रमण हटाने का कार्य वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

जिला बीकानेर की पंचायत समितियों में निर्माण कार्य

688. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले की पंचायत समिति कोलायत, लूनकरणसर, नोखा व बीकानेर में वर्ष 1982-83 व 83-84 में कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है ? कृपया पंचायतवार कार्य विवरण मय स्वीकृति-तिथि के सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्राम पंचायतवार किस-किस निर्माण कार्य की मजदूरी व निर्माण सामग्री का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? कृपया पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) बीकानेर जिले में पंचायतवार कितने निर्माण कार्य गत दो वर्षों से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं ? क्या राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर की पंचायत समिति कोलायत लूणकरणतर, नोखा व बीकानेर में वर्ष 1982-83 तक 267 कार्यों व वर्ष 1983-84 में 24 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी, जिनकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट-I पर है जो सदन के पटल पर रखी जा रही है ।

(2) जिला बीकानेर के निर्माण कार्य की मजदूरी व सामग्री का भुगतान जिस-जिस कार्य पर नहीं किया गया है उसकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट-II पर है, जो सदन के पटल पर रख दी गई है । इनका भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा ।

(3) बीकानेर जिले में पंचायतवार 210 कार्य गत दो वर्ष से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं । इन अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है किन्तु कार्य पूर्ण कराने का समय निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

जिला ग्रामीण विकास अभीकरण बीकानेर

वर्ष 1982–83 व 83–84 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की पंचायत समिति वार ग्राम पंचायत वार सूची

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत	क्र० सं० कार्य का नाम व गांव	स्वीकृत क्रमांक दिनांक		वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीकानेर	मूंडसर	1. मूंडसर पंचायत की दुकानें निर्माण	2842/27-4-83		82-83
			2. सूरतसिह पुरा शाला भवन निर्माण	5035/	6-5-82	
			3. मूंडसर अपूर्ण शाला को पूर्ण करमा	7018/19-7-83		
		कालासर	4. कालासर ग्राम में धर्मशाला निर्माण	6238/15-6-83		
			5. लाखूसर शाला निर्माण	6238/15-6-83		
			6. जालवाली शाला भवन निर्माण	2627/25-10-82		
			7. रुपवाईसर शाला भवन निर्माण	929/23-1-82		
		जामसर	8. दाऊदसर शाला भवन निर्माण	929/23-1-82		
			9. खिचियां शाला भवन निर्माण	929/23-1-82		
			10. पंचायत जामसर की दुकानें	3191/8–8–82		
		अम्वासर	11. अम्वासर पंचायत भवन विस्तार	815/17-2-83		

1	2	3		4	5	6	7
			12.	अम्बासर मिडिल स्कूल विस्तार	4559/24-4-82		
		गुंसाईसर	13.	गुंसाईसर अध्यापक क्वार्टर	883/23-1-82		
			14.	गुंसाईसर शाला विस्तार	8819/10-9-82		
		शेरेरा	15.	शेरेरा पंचायत भवन निर्माण	3988 15-4-82		
			16.	शेरेरा कांजी हाउस निर्माण	5035, 6-5-82		
		रुणियाबडा वास	17.	रुणिया में तीन दुकाने निर्माण	3988/15-4-82		
			18.	सारडा में अध्यापक क्वार्टर निर्माण	2251/19-2-82		
			19.	राजेरा में पंचायत की दुकानें	3988/15-4-82		
			20.	धर्मशाला निर्माण रुपेरा	2251/19-2-82		
		गाढवाला	21.	कोटडी शाला भवन निर्माण	915/23-1-82		
			22.	गाढवाला धर्मशाला निर्माण	915/23-1-82		
			23.	गाढ़वाला कांजी हाउस निर्माण	942/23-1-82		
		नालवडी	24.	नालवडी में पंचायत की दुकानें	2231/19-2-82		
			25.	डाईयां ग्राम में धर्मशाला	2231/19-2-82		
		कानासर	26.	हुसंगसर में पंचायत की दुकानें	2827/25-2-82		
		उदयरामसर	27.	उदयरामसर में पंचायत भवन निर्माण	915/23-1-82		
		करमीसर	28.	करमीसर में प्याऊ निर्माण	898/23-1-82		
		वरसिंहसर	29.	वरसिंहसर में अध्यापक क्वार्टर	5134/28-4-83		
			30.	वरसिंहसर सहकारी समिति प्रबन्धक क्वार्टर	6930/18-7-83		

1	2	3		4	5 6	7
			31.	वरसिहसर स० स० अधूरा गोदाम	6930/18-7-83	
			32.	वरसिहसर कम्पाउन्डर क्वार्टर	5129/28-4-83	
			33.	वरसिहसर शाला में दो कमरे	871/23-1-82	
		करनीसर भाटियास	34.	वरजू शाला भवन निर्माण	3008/3-3-82	
		मालासर	35.	मोलानिया शाला भवन विस्तार	5037/6-5-82	
		उदासर	36.	पेमासर जल होज निर्माण	898/23-1-82	
		शिववाडी	37.	शिवावाडी शाला मरम्मत	942/23-1-82	
			38.	धड़सीसर शाला भवन की चारदीवारी	5035/6-5-82	
		जयमलसर	39.	कावनी शाला भवन निर्माण	2130/8-4-83	
			40.	जयमलसर चिकित्सालय निर्माण	4397/22-4-82	
			41.	जयमलसर पंचायत भवन निर्माण	2130, 8-4-83	
		बम्बलू	42.	वम्वलू में अध्यापक क्वार्टर	889/23-1-82	
			43.	धनपालसर जल होज निर्माण	883/23-1-82	
			44.	वम्वलू में तीन शिक्षक क्वार्टर	2480/25-2-83	
		लालमदेसर	45.	वरुपदेसर में शिक्षक क्वार्टर	3191/8-3-82	
		केसरदेसर जाटान	46.	केसरदेसर गंगागुरान में जल होज निर्माण	898/23-1-82	
			47.	गीगासर धर्मशाला निर्माण	2627/25-2-82	
		रामसर	48.	कल्याणसर शाला भवन निर्माण	898/23-1-82	

वर्ष 1983-84 में स्वीकृत कार्यों का विवरण

बीकानेर	वरसिहसर	1.	वरसिहसर धर्मशाला निर्माण	6844/13-7-83	
	अम्वासर	2.	सुजासर शाला भवन निर्माण	6883, 13-7-83	

परिशिष्ट 1

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर

वर्ष 82–83 व 83–84 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की पंचायत समितिवार व ग्राम पंचायत सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.सं.	कार्य का नाम व गांव	स्वीकृति सं.	दिनांक	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नोखा	ढिगसरी	1	कम्पाउन्डर क्वारीर ढिगसरी	831	22.11.81	82–83
2.	नोखा	ढिगसरी	2	ढिगसरी वस स्टेण्ड विश्राम गृह	16312	2.11.81	,,
3.	नोखा	ढिगसरी	3	बंधाला वस स्टेण्ड विश्राम	,,	,,	,,
4.	,,	,,	4	अध्यापक क्यारी मूणासर	,,	,,	,,
5.	,,	,,	5	धर्मशाला भवन मूणासर	,,	,,	,,
6.	,,	धरनोक	6	पंचायत भवन धरनोक	831	23.1.82	,,
7.	,,	कूदसू	7	तलाई खुदाई शेखसर	2587	24.2.82	,,
8.	,,	,,	8	जलकुण्ड हंसासर	831	23.1.82	,,
9.	,,	,,	9	अध्यापक क्वार्टर्स कूदसू 3	2587	24.2.82	,,
10.	,,	,,	10	तलाई खुदाई कूदसू	2587–96	,,	,,
11.	,,	रोडा	11	प्राथ. चिकित्सा केन्द्र कूदसू	9312–25	2.6.81	,,
12.	,,	,,	12	शाला भवन चारदिवारी-2	5118–27	10.5.82	,,
13.	,,	नोखागांव	13	सामु. विकास केन्द्र नोखा गांव	831	23.1.82	,,
14.	,,	,,	14	शाला भवन हियादेसर	,,	,,	,,

1	2	1	4	5	6	7	8
15.	नोखा	नोखा गांव	15	ग्रामीण आवासीय भवन–43	991–48	23.1.81	82–83
16.	„	पांचू	16	शाला भवन चार दिवारी	5118–87	10.5.82	„
17.	„	„	17	पंचायत दुकाने पांचू ।	831	23.1.82	„
18.	„	„	18	जलहोज पांचू	2990–280	26.2.82	„
19.	„	„	19	शाला विस्तार पांचू	10020	20.9.82	„
20.	„	„	20	सड़क के गढ़े भरवाना पांचू	„	„	„
21.	„	साधूणा	21	अध्यापक क्वार्टर साधूणा	831	23.7.82	„
22.	„	„	22	जल कुण्ड साधूणा	19256–306	24.11.81	„
23.	„	„	23	पंचायत दुकाने साधूणा	8200–14	12.5.81	„
24.	„	„	24	पंचायत दुकाने वितरणा गांव	8633	26.5.81	„
25.	„	„	25	पंचायत दुकाने वितरणा काहिरा	1205–15	2.5.81	„
26.	„	सारडा	26	धोरावाली शाला भवन	16312	2.11.81	„
27.	„	„	27	यादवों की ढाणी में अध्यापक क्वार्टर	„	„	„
28.	„	„	28	माडोलिया अध्यापक क्वार्टर	„	„	„
29.	„	„	29	ग्राम सेवक क्वार्टर मूनामडा	6189	20.1.81	„
30.	„	„	30	मिडिल स्कूल भवन मूनामडा	2812–21	26.2.82	„

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	नोखा	कक्कू	31	यादवों की ढाणी शाला वि.	16308	2.11.81	82–83
32.	,,	,,	32	अध्यापक क्यारी कक्कू 2	,,	,,	,,
33.	,,	,,	33	अध्यापक क्यारी ढाणी सिगान	,,	,,	,,
34.	,,	,,	34	अध्यापक क्यारी यादवों की ढाणी	,,	,,	,,
35.	,,	,,	35	ग्राम सेवक क्वार्टर कक्कू	,,	,,	,,
36.	,,	,,	36	विश्रामगृह कक्कू	,,	,,	,,
37.	,,	,,	37	धाटपालों की ढाणी अध्यापक क्यारी	831	23.1.82	,,
38.	,,	,,	38	कुवा मरम्मत कक्कू	529	14.1.82	,,
39.	,,	काकडा	39	अध्यापक क्वार्टर चरमडा 2	19938–49	7.12.81	,,
40.	,,	,,	40	मूलवास कुवा बंधाई	565	14.1.82	,,
41.	,,	मांदला	41	पंचायत भवन मांदला	831	23.1.82	,,
42.	,,	,,	42	अध्यापक क्यारी शोभाणा	16308	2.11.81	,,
43.	,,	,,	43	अध्यापक क्यारी मादला	,,	,,	,,
44.	,,	,,	44	पंचायत दुकाने शोभाणा	,,	,,	,,
45.	,,	,,	45	पंचायत दुकाने मादला	,,	,,	,,
46.	,,	उदासर	46	अध्यापक 3	2790–2801	26.2.82	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	नोखा	जयसिंह देसरमाणा	47	शाला विस्तार	7478	22.7.82	82–83
48.	,,	,,	48	अध्यापक व पीपसासर	831	23.1.82	,,
49.	,,	,,	49	अध्यापक व जं० मगरा	,,	,,	,,
50.	,,	,,	50	मिडिल स्कूल चार दिवारी	1265	4.3.83	,,
51.	,,	जांगलू	51	तलाई खुदाई जांगलू	2748–59	26.2.82	,,
52.	,,	,,	52	तलाई खुदाई जांगलू	,,	,,	,,
53.	,,	,,	53	शाला विस्तार	,,	,,	,,
54.	,,	देमलसर	54	पानीहोज देमलसर	8502	25.5.81	,,
55.	,,	,,	55	पशुखेली	,,	,,	,,
56.	,,	,,	56	पानी होज बेगला	,,	,,	,,
57.	,,	,,	57	अध्यापक क्वार्टर देमलसर	1826–11	4.2.82	,,
58.	,,	,,	58	औषधालय भवन देमलसर	,,	,,	,,
59.	,,	,,	59	पंचायत दुकाने देमलसर	8502	25.5.81	,,
60.	,,	भामटसर	60	शाला विस्तार मान्याणा	5118–274	10.5.82	,,
61.	,,	,,	61	अध्यापक क्वार्टर	2780–88	26.2.82	,,
62.	,,	,,	62	धर्मशाला भवन पारवा	7341–7412	17.7.82	,,
63.	,,	,,	63	कन्याशाला भामटसर	7938–46	9.8.82	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	नोखा	भामटसर	64	अध्यापक क्वार्टर पारवा	2780–88	26.2.82	82–83
65.	,,	,,	65	पंचायत दुकाने भामटसर	2380–88	,,	,,
66.	,,	रासीसर	66	सार्वजनिक प्याउ रासिसर	831	23–1–82	,,
67.	,,	,,	67	पशुखेडी रासीसर	,,	,,	,,
68.	,,	सुरपुरा	68	चारदिवारी मिडिल स्कूल रासीसर	5118–27	10.5.82	,,
69.	,,	,,	69	अध्यापक क्वार्टर सुरपुरा	831	23.1.82	,,
70.	,,	,,	70	वैद्य क्वार्टर सुरपुरा	831	,,	,,
71.	,,	,,	71	कन्या पाठशाला	831	,,	,,
72.	,,	सुरण्डिया	72	शाला विस्तार सु०	602	14.1.82	,,
73.	,,	,,	73	अध्यापक क्वार्टर सु०	831	23.1.82	,,
74.	,,	,,	74	अध्यापक क्वार्टर चाद्ू	831	,,	,,
75.	,,	गजरूपदेसर	75	जलहोज गजरूपदेसर	,,	,,	,,
76.	,,	,,	76	जलहोज सोवा	,,	,,	,,
77.	,,	,,	77	अध्यापक क्वार्टर सोवा	2790–2801	28.2.82	,,
78.	,,	मोरवाणा	78	जलहोज मोरवाणा	831	23.1.82	,,
79.	,,	,,	79	जलहोज सिघु	831	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	नोखा	मोरवाणा	80	जलहोज विरतासर	831	23.1.82	82–83
81.	,,	,,	81	प० दुकाने मोरवाणा	2316–25	20.12.82	,,
82.	,,	,,	82	विकास केन्द्र मोरवाणा	,,	,,	,,
83.	,,	,,	83	पशु खेली	,,	,,	,,
84.	,,	बेरासर	84	तलाई बंधाई बेरासर	4569	10.6.82	,,
85.	,,	,,	85	अध्यापक क्वार्टर बेरासर 4	1899–1909	8.2.82	,,
86.	,,	,,	86	बेरासर जल होल 1	,,	,,	,,
87.	,,	कुचोर आगुणी	87	अध्यापक क्वार्टर कुचोर आगुणी 3	1061	25.1.83	,,
88.	,,	,,	88	पशु चिकित्सालय कुचोर–3	2996	3.3.82	,,
89.	,,	,,	89	जलहोज सालासर 4	6369–90	30.3.83	,,
90.	,,	,,	90	पशु खेली जं० कालिया	,,	,,	,,
91.	,,	साधासर	91	जलहोज मंसुरी	831	23.1.82	,,
92.	,,	,,	92	पशुखेली मंसुरी	,,	,,	,,
93.	,,	,,	93	अध्यापक क्वार्टर साधासर	,,	,,	,,
94.	,,	मैनसर	94	मैनसर शाला भवन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	नोखा	मैनसर	95.	धर्मशाला भवन मैनसर	831	23·1·82	82–83
96.	ससरासर		96.	शाला विस्तार जसरासर	614	14·1·82	,,
97.	,,		97.	पशुखेली जसरासर	831	23·1·82	,,
98.	,,	थावरिया	98.	पंचायत दुकान थावरिया	831	,,	,,
99.	,,	,,	99.	,, ,, झाडेली	,,	,,	,,
100.	,,	जलहोज थावरिया	100.	जलहोज थावरिया	,,	,,	,,
101.	,,	गजसुखदेसर	101.	तलाई खुदाई गजसुखदेसर	6120	10·6·82	,,
102.	,,	,,	102.	पंचायत दुकाने ,,	831	23·1·82	,,
103.	,,	,,	103.	जलहोज	,,	,,	,,
104.	,,	रायसर	104.	जलहोज रायसर	,,	,,	,,
105.	,,	,,	105.	,, बीरमसर	,,	,,	,,
106.	,,	,,	106.	,, रासनू	2790–2801	,,	,,
107.	,,	,,	107.	अध्यापक क्वार्टर रासनू	,,	26·2·82	,,
108.	,,	सिंजगुरु	108.	जल होज सिंजगुरू	831	23·1·82	,,
108.	,,	,,	108.	धर्मशाला सिंजगुरू	,,	,,	,,
109.	,,	,,	109.	शाला भवन केडलीं 2	17738–49	7·12·81	,,
110.	,,	,,	110.	अध्यापक क्वार्टर केडली 2	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	नोखा	सिंजगुरु	111.	अध्यापक क्वार्टर टेलासर 2	17738–49	7·12·81	,,
112.	,,	हिम्मटसर	112.	अस्पताल विस्तार हिम्मटसर	2683–88	26·2·82	,,
113.	,,	,,	113.	जलहोज हिम्सटसर 2	2576–85	24·2·82	,,
114.	,,	मुकाम	114.	पंचायत दुकानें मुकाम	831	23·1·82	,,
115.	,,	,,	115.	शाला भवन खिचायासर	7938–8006	9·8·82	,,
116.	,,	जैमलसर	116.	पंचायत दुकाने जैमलसर	831–11	23·1·82	,,
117.	,,	,,	117.	जलहोज गुन्दसर	,,	,,	,,
118.	,,	ओसलाय	118.	औषधालय भवन जैमलसर	1826	4·2·82	,,
119.	नोखा	सामलसर	119.	पंचायत दुकानें अगसीसर	831	23·1·82	82–83
120.	,,	,,	120.	जलहोज	,,	,,	,,
121.	,,	,,	121.	धर्मशाला ,,	,,	,,	,,
122.	,,	,,	122.	पंचायत भवन सोमलसर	2748–59	26·2·82	,,
123.	,,	,,	123.	पंचायत दुकानें ,,	,,	,,	,,
124.	,,	कुचोर आगुणी	124.	शाला विस्तार कुचोर आगुणी	,,	,,	,,
125.	,,	,,	125.	अध्यापक क्वार्टर ,, ,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	नोखा	कुचोर नागुणी	126.	पशु खेली लालमदेसर	2748–59	26·2·81	,,
127	,,	,,	127.	जलहोज कुचारे आगुणी	,,	,,	,,
				स्वीकृत कार्य कुल कार्य 1982–83	180		
128.	,,	नाथूसर	128.	प्राथमिक स्कूल नाथूसर	6803–44	13·9·83	83–84
129.	,,	,,	129.	धर्मशाला भवन नाथूसर	,,	,,	,,
130.	,,	कक्कू	130.	धर्मशाला भवन कक्कू	,,	,,	,,
131.	,,	,,	131.	शाला भवन सिसोगाई ढाणी	,,	,,	,,
132.	,,	गजसुखदेसर	132.	धर्मशाला भवन गजसुखदेसर	,,	,,	,,
133.	,,	मोरवाना	133.	शाला भवन मोरवाना	,,	,,	,,
134.	,,	,,	134.	,, ,, सिधू	,,	,,	,,
135.	,,	देशलसर	135.	,, ,, जेगला	,,	,,	,,
136.	,,	बेरासर	135.	,, ,, बेरासर	,,	,,	,,
137.	,,	जयसिंह देसर	137.	डिसपेंसरी भवन जयसिंह देसर	,,	,,	,,
138.	,,	थावलिया	138.	,, ,, थावलिया	,,	,,	,,
139.	,,	रायसर	139.	मिडिल स्कूल बीरमसर	,,	,,	,,
				स्वीकृत कुल कार्य	12		

परिशिष्ठ–1

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर

वर्ष 1982–83 व 1983–84 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की पंचायत समितिवार व ग्राम पंचायतवार सूची

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत	नाम ग्राम	कार्य का नाम	संख्या	स्वीकृति दिनांक	वर्ष
1	2	3	5	5	6	7	8
1.	कोलायत	सुरजडा	सुरजडा	पशुखेली	4000–9	15·4·82	82–83
2.		रानासर	रतनाधर	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
3.		सुरजडा	रनधीसर	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
4.		,, ,,	भयनेउ	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
5.		,, ,,	माधूसर	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
6.		,, ,,	सन्दुका	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
7.		अखासर	चानी	धर्मशाला	6803–44	13·7·83	83–84
8.		खींदासर	खींदासर	औषधालय	,, ,,	,, ,,	,, ,,

परिशिष्ठ-1

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर

वर्ष 1982–83 व 1983–84 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की पंचायत समिति वार व ग्राम पंचायतवार सूची

पंचायत समिति लूनकरणसर

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य का नाम	कुल व्यय कार्य की स्वीकृति क्रमांक	दिनांक	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	कालू	कालू	कम्पाउन्ड क्वार्टर	1302	2·02·82	1982–83
2.	कुजटी	कुजटी	पक्का तालाब	17218	24·11·81	"
3.	कपूरीसर	मलकीसर	शाला चारदीवारी	1265	02·02·82	"
4.	केलां	केलां	धर्मशाला	5041	17·07·82	"
5.	केलां	केला	पशुचिकित्सालय	2999	03·03·82	"
6.	केलां	राजासर	मिडिलस्कूल	3696	12·04·82	"
7.	करनीसर	मनफासर	प्रा. शा. भवन	1282	02·02·82	"
8.	करनीसर	अमरपुरा	उ. प्र. शाला	5582	20·05·82	"
9.	खोखराना	खियेंरा	धर्मशाला	1252	02·02·82	"
10.	खोखराना	खिलेरिया	शाला भवन	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7
11.	खोखराना	खियेरां	औषधालय	1252	02 02·82	1982–83
12.	गारबदेसर	गारबदेसर	धर्मशाला	2129	18·02·82	,,
13.	गारबदेसर	गारबदेसर	जलहोज	3248	15·03·82	,,
14.	धीरेरां	धीरेरां	धर्मशाला भवन	2014	10·02·82	,,
15.	धीरेरां	बामनवाली	औषधालय भवन	,,	,,	,,
16.	,,	,,	धर्मशाला भवन	,,	,,	,,
17.	महाजन	महाजन	शालाभवन	4415	23·04·82	,,
18.	महाजन	गंनोहरिया	शाला भवन	5362	6·05·83	,,
19.	महादेववाली	महादेववाली	औषधालय	1252	02·02·82	,,
20.	,,	,,	पंचायत भवन	,,	,,	,,
21.				,,	,,	,,
22.				,,	,,	,,
23.	सोढवाली	शोभोलाई	अध्यापक क्वार्टर	2014	10·02·82	1982–83
24.	,,	मकडासर	धर्म शाला	,,	,,	,,
25.	,,	किस्तुरियासर	पं. दुकान	,,	,,	,,
26.	,,	,,	सड़क निर्माण	2541	20·02·82	,,

1	2	3	4	5	6	7
27.	सोठवाली	मकडासर	सड़क निर्माण	2548	20·2·82	1982–83
28.	लूनकरणसर	लूनकरणसर	पंचायत दुकाने	1282	02·02·82	,,
29.	,,	जोगीआसर	शाला भवन	,,	,,	,,
30.	सुई	सुई	औषधालय	,,	,,	,,
31.	गारबदेसर	गारबदेसर	पक्का तालाब	7111	20·02·82	,,
32.	मोटासर	करनाली	शाला भवन	1252	02·02·82	,,
33.	रोझां	फूलदेसर	जलहोज	1282	02·02·82	,,
34.	खोखराना	खोखराना	शाला भवन	6803	13·07·83	1983–84
35.	कुजटी	सहजरासर	उ.प्र. विद्यालय	,,	,,	,,
36.	केलां	केलांफाटां	धर्मशाला	,,	,,	,,
37.	रामबाग	शेरपुरा	उ. प्र. शाला	,,	,,	,,
38.	करनीसर	करनीस	औषधालय	,,	,,	,,
39.	,,	ढाणीपाण्डूसर	धर्मशाला	,,	,,	,,
40.	महाजन	रतनीसर	शाला भवन	,,	,,	,,
41.	महाजन	चिकित्सालय	चिकित्सालय	,,	,,	,,

परिशिष्ट—2

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत वार निर्माण कार्यों की मजदूरी व निर्माण भुगतान अभी तक बकाया की सूची

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत	कार्य का नाम व ग्राम
1.	बीकानेर	मूंडसर	1. मूंडसर पंचायत की दुकान निर्माण
			2. मूंडसर अपूर्ण शाला को पूर्ण करना
		कालासर	3. जाल वाली शाला भवन निर्माण
			4. सवाईसर शाला भवन निर्माण
		जामसर	5. दाऊदसर शाला भवन निर्माण
			6. जामसर पंचायत की दुकानें
		गुंसाईसर	7. गुंसाईसर शाला भवन विस्तार
		रुणियावडावास	8. रुणिया में तीन दुकानें निर्माण
			9. खारडा अध्यापक क्वार्टर निर्माण
			10. राजेरा में पंचायत की दुकानें
			11. रूपेरा धर्मशाला निर्माण
		गाढ वाला	12. गाढ वाला कांजी हाउस निर्माण
		वरसिंहसर	13. वरसिंहसर शाला में दो कमरे निर्माण
		मालासर	14. मोलानिया शाला भवन निर्माण
		जयमलसर	15. कावनी शाला भवन निर्माण
			16. जयमलसर चिकित्सालय भवन निर्माण
			17. जयमलसर पंचायत भवन निर्माण
		वम्वलू	18. अध्यापक क्वार्टर निर्माण ग्राम वम्वलू
			19. पनपालसर जल होज निर्माण
			20. वम्वलू में तीन शिक्षक क्वार्टर
		लालमदेसर	21. स्वरूपदेसर शिक्षक क्वार्टर
		केसरदेसर	22. केसरदेसर गंगागुरान में जल होज निर्माण
		जाटान	23. गीगासर धर्मशाला निर्माण
		रामसर	24. कल्याण सर शाला भवन निर्माण
		मालासर	25. पंचायत की दुकानें निर्माण ग्राम मालासर
		वरसिंहर.	26 वरसिंहसर धर्मशाला निर्माण
		अम्बासर	27. सुजासर शाला भवन निर्माण

परिशिष्ठ—2

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार निर्माण कार्यों की मजदूरी व निर्माण सामग्री I

भुगतान अभी तक बकाया सूची का विवरण

पंचायत समिति कोलायत

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृति क्रमांक	दिनांक	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	सियाणा	सियाणा	धर्मशाला	8948	29·5·81	
2.	,,	,,	दुकाने	4100	18·3·81	
3.	गजनेर	गजनेर	शालाभवन	4095	18·3·81	
4.	,,	कोटडा	धर्मशाला	1200	27·1·82	
5.	,,	चोडासर	शालाभवन	2217	19·2·82	
6.	,,	,,	धर्मशाला	2217	,, ,,	
7.	,,	नाइयों की बस्ती	शालाभवन	,,	,, ,,	
8.	बीठनोक	माधोगढ़	शाला चारदीवार	8975	29·5·81	
9.	,,	बीठनोक	औषधालय ,,	,,	,, ,,	
10.	बीठनोक	गोविन्दसर	धर्मशाला	8948	,, ,,	
11.	सुरजडा	विश्नोई ढाणी	शालाभवन	1166	17·1·81	
12.	,,	अगनेउ	शालाभवन	1200	27·1·82	
13.	,,	रणधीसर	,, ,,	1200	,, ,,	
14.	,,	,,	पशुखेली	4000	19·4·82	

1	2	3	4	5	6	7
15.	सुरजडा	गणसर	पशुखेली	4000	19-4-82	
16.	बज्जू	बज्जू गांव	पशु चिकित्सालय	8948	29·5·81	
17.	,,	बज्जू	पंचायत की दुकानें	2185	27·1·82	
18.	,,	,,	धर्मशाला	,,	,, ,,	
19.	,,	आरडी 938	पशुखेली	1345	2·2·82	
20.	,,	,, ,, 945	,,	,,	,, ,,	
21.	कोलायत	कोलायत	घाट मरम्मत	1542	18·2·81	
22.	,,	,,	पं. सं. चारदीवार	2496	24·2·82	
23.	,,	पं. सं. हाल	पं. सं. हाल	2479	,, ,,	
24.	,,	कोलायत	प्रसूतिग्रह	7274	3·5·81	
25.	अकासर	अमासर	धर्मशाला	2717	19·2·82	
26.	,,	चानी	अध्यापक क्वार्टर	1200	27·1·82	
27.	दासोडी	खजोडा	अध्यापक क्वार्टर	1172	27·1·82	
28.	अकासर	चीनी	धर्मशाला	6803	13·7·83	
29.	दासोडी	भूलूढाणी	शाला भवन	1172	27·1·82	
30.	नगरासर	कोलासर	,,	1720	29·4·81	
31.	,,	पाबूसर	,,	,,	,, ,,	
32.	खींदासर	खींदासर	पशु चिकित्सालय	1272	27·1·82	
33.	,,	,,	औषधालय	6803	13·7·83	
34.	,,	भियाकोर	शाला विस्तार	1150	27·1·82	
35.	,,	नान्दडा	,,	,,	,,	
36.	खारी चा.	मोटावर्ता	अध्यापक क्वार्टर	1200	,,	

Page No 410

1	2	3	4	5	6	7
37.	खारी, चा	खारी	धर्मशाला	1200	27·7·82	
38.	,,	नोखा उपदिया	,,	,,	,,	
39.	दियातरा	दियातरा	अध्यापक	1215	27·1·82	
40.	,,	डेतोलाई	शालाभवन	495	18·3·81	
41.	गुड़ा	गुड़ा	धर्मशाला	17067	16·11·81	
42.	,,	लाखासर	सार्वजनिक केन्द्र	1155	27·1·82	
43.	भाणेका गांव	भाणेका गांव	अध्यापक क्वार्टर	1715	27·1·82	
44.	,,	,,	आवास ग्रह 25	5180	5·12·81	
45.	झझू	झझू	कम्पाउन्डर क्वार्टर	1301	2·2·82	
46.	,,	,,	शाला हाल	744	29·1·82	
47.	मणकासर	मोडायत	शाला भवन	2690	26·2·82	
48	,,	पंवारवाला	शाला भवन	,,	,,	
49.	,,	मपकासर	पंचायत भवन	,,	,,	
50.	हदां	हदां	धर्मशाला	1215	27·1·82	
51.	गिरजासर	गिरजासर	औषधालय	2508	23·2·83	
52.	गडियाला	ग्राण्णी	शालाचारदीवारी	1156	27·1·82	
53.	भाणेका गाव	रावनेरी	धर्मशाला	1215	27·1·82	
54.	माणकासर	माणकासर	पंचायत की दुकानें	1185	,,	
55.	बरसलपुर	बरसलपुर	धर्मशाला	,,	,,	
56.	,,	,,	अध्यापक क्वार्टर	5180	5·12·81	
57.	दियातरा	दियातरा मण्डाल	आवासग्रह	,,	,,	
58.	भाणेका गांव	खारिया उदट	आवासगृह 55			

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर परिशिष्ठ–2

पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार निर्माण कार्यों की मजदूरी व निर्माण सामग्री भुगतान अभी तक बकाया सूची

पंचायत समिति लूनकरणसर

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य का नाम	निर्माण कार्य की स्वीकृति क्रमांक	निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	महाजन	बडरेन	शाला भवन निर्माण	4313	19.3·81
2.	रावांसर	नवोदेशर	" "	" "	" "
3.	रामबाग	घेसूरा	" "	4822	26·3·81
4.	कुजटी	कुजटी	पक्का तालाब	17278	24·11·81
5.	केरनीसर	अमरपुरा	उ. प्रा. शालाभवन	5582	20·5·82
6.	केलां	रा. भाटियान	"	3696	12·4·82
7.	खोखराना	खिलेरियां	शाला भवन	1252	2·2·82
8.	महाजन	खियेरां	शाला भवन	5362	16·5·83
9,	कुजटी	मनोहारिया	उ. प्र. शाला "	6803	13·7·83
10,	महाजन	सहजरासर	चिकित्सालय भवन	"	13·7·83
11.	करनीसर	करनीसर	औषधालय भवन	"	13·7·83
12.	करनीसर	ढाणीयाण्डूसर	धर्मशाला	"	13·7·83

1	2	3	4	5	6	
13.	मोटासर	करनाला	शाला भवन निर्माण	1252	2.2·82	
14.	कपूरीसर	मलकीसरछोटा	शाला चारदीवारी	1265	2·2·82	
15.	रामबाग	शेरपुरा	उ. प्रा. शालाभवन	6803	13·7·83	
16.	महाजन	रतनीसर	शाला भवन निर्माण	”	”	
17.	केलां	केलां फांटा	धर्मशाला	6803	13·7·83	

नोखा

1.	नोखा	कूदसू	अध्यापक क्वार्टर कूदसू 3	2587–96	24·2·82	82-83
2.	”	”	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9312–25	2·6·81	”
3.	”	रोडा	शाला भवन चार दिवारी	25118–27	10·5·82	”
4.	”	नोखागांव	सामु विकास केन्द्र	831	23·11·82	23-1-82
5.	”	पांचू	शाला विस्तार पांचू	10020	20-9-82	”

1	2	3	4	5	6	7
6.	नोखा	सारूडा	शाला भवन धोरावासी	16312	2·11·81	23.1.82
7.	,,	,,	अध्यापक क्वार्टर यादवों की ढाणी	,,	,,	,,
8.	,,	,,	,, ,, माडोलया	,,	,,	,,
9.	,,	,,	ग्राम सेवक ,, सारूडा	6189	20.10.81	,,
10.	,,	,,	मिडिल स्कूल ,,	2812	26.2.82	,,
11.	,,	माडला	पंचायत दुकानें शोभाणा	16308	2.11.81	,,
12.	,,	उदासर	अध्यापक क्वार्टर 3	2790–280	26.2.82	,,
13.	,,	नैर्नसिंह देसर	शाला विस्तार जैयसिंह देसर	9498	22.7.82	,,
14.	,,	भामटसर	अध्यापक क्वार्टर मान्याणा	2980–88	26.3.82	,,
15.	,,	,,	धर्मशाला भवन पारवा	9341–94	17.7.82	,,
16.	,,	कन्या पाठशाला	कन्या पाठशाला नापासर	7938–6	9.8.82	,,
17.	,,	,,	अध्यापक क्वार्टर पारवा	2780–88	26.2.82	,,
18.	,,	रासीसर	मिडिल स्कूल चारदीवारी	5118–27	10.5,82	,,
			कुल स्वीकृति कार्य	23		
19.	,,		अध्यापक क्वार्टर सौडा	2790–28	26.2.82	82–83
20.	,,	कुचीर आ.	,, ,, कुचीर आ.	1061	25.1.82	
21.	,,	सालासर	,, ,, सालासर	831	23.1.82	,,
22.	,,	मैनसर	शाला भवन मैनसर	,,	,,	,,

414

1	2	3	4	5	6	7
23.	नोखा	मैनसर	धर्मशाला मैनसर	1831	23.1.82	82–83
24.	"	थांवरिया	पंचायत दुकाने थांवरिया	"	"	"
25.	"	"	" "	"	"	"
26.	"	दावा	अध्यापक क्वार्टर केडली 2	19938–49	9.12.81	"
27.	"	"	" " टैलासर	"	"	"
28.	"	हिम्मटसर	अस्पताल विस्तार हिम्मटसर	2683–88	26.2.82	"
29.	"	"	जलहोज	2576–85	24.2.82	"
30.	"	मुकाम	पंचायत दुकानें मुकाम	831	23.1.82	"
31.	"	कुचोर आगुणी	अध्यापक क्वार्टर कुवारे की आगुणी	"	"	"
32.	"	कक्कू	धर्मशाला भवन कक्कू	36803–44	13.7.83	"
33.	"	"	शाला भवन सिवरों की ढाणी	"	"	"
34.	"	मोरवाना	शाला भवन सिवरों की ढाणी	"	"	"
35.	"	देगलसर	" " खेगोला	"	"	"
36.	"	जयसिंह	डिस्पेन्सरी भवन जैयसिंह देसर	"	"	"
37.	"	थांवरिया	" " थावरिया	"	"	"
38.	"	रायसर	मिडिल स्कूल भवन बीरमसर	"	"	"

स्वीकृत कुल कार्य 49

आईडियल डेयरी रानीवाड़ा में तालाबंदी

289. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आईडियल डेयरी रानीवाड़ा, जिला जालोर, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ 50 लाख है एवं जिसमें 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, को यकायक नवम्बर, 1983 में तालाबन्दी कर दी गई जिससे डेयरी में कार्यरत सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डेयरी के बन्द होने से करीब 50,000 दुग्ध उत्पादकों के सामने अपने दूध को बेचने की विकट समस्या हो गई एवं आई. आर. डी. के तहत चयनित परिवारों को, जिन्होंने बैंक से गाय, भैंस के लिए कर्जा ले रखा था, कर्ज चुकाने की समस्या उत्पन्न हो गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त डेयरी को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । सरकार को ऐसी सूचना मिली है ।

(2) सूचनानुसार 4 हजार दुग्ध उत्पादकों द्वारा इस डेयरी को करीब 8000 लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जा रहा था। फिलहाल पाली दुग्ध उत्पादक संघ ने "आहोर" क्षेत्र में दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापित कर दिये है, जहां प्रतिदिन 1,000 लीटर (एक हजार) लीटर दूध संकलित हो रहा है ।

(3) जी, नहीं । अभी सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है । पर प्रयत्न है कि यदि कोई अन्य विकल्प सामने नहीं आता है तो पाली, जोधपुर संघों के माध्यम से जालौर जिले की अन्य तहसीलों से भी दूध संकलित किया जावेगा ।

जिला पाली में सड़कें, रपटे व पुल बनाने की योजना

690. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1984–85 की योजना के लिये पाली जिले में सड़कें, रपटें व पुल बनाने के लिये विभाग के जिला आधिकारियों ने क्या योजना प्रस्तावित की ?

(2) पाली जिले के अधिकारियों द्वारा प्रेषित योजना प्रारूप को जयपुर स्थित मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों ने राज्य सरकार को किस रूप में भेजा ?

(3) क्या राज्य सरकार ने पाली जिले के प्राप्त प्रारूप में हेर-फेर किया ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव (प्रपत्र–"क") सदन के पटल पर रख दिए गए हैं ।

(2 एवं 3) प्रस्ताव अभी राज्य सरकार को विभाग द्वारा नहीं भेजे गये है अतः हेर फेर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रपत्र "क")

(विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव)

क्र० सं०	पंचायत समिति	काम का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	2	3	4
1.	रोहित	गुमटी से मोग्यिा वाया चोटीला	23·03
2.	,,	सम्पर्क सड़क रोहट रेलवे स्टेशन	1·53
3.	पाली	सम्पर्क सड़क गुडा एन्दला	8·28
4.	,,	गमा सिया से मनिहारी	23·30
5.	रानी	सम्पर्क सड़क किरवा	0·63
6.	,,	खोड़ से नाडोल वाया जवाली	21·42
7.	सुमेरपुर	सम्पर्क सड़क चाणोद	11·71
8.	,,	सम्पर्क सड़क पालडी	4·68
9.	,,	सम्पर्क सड़क बिरामी	2·73
10.	बाली	नाना से भिमाना सड़क	10·80
11.	,,	सम्पर्क सड़क मोकनपुरा	0·63
12.	,,	सम्पर्क सड़क भिटवाड़ा	3·78
13.	,,	नाना से आमलिया	7·56
14.	देसूरी	नाडोल से सादड़ी	17·76
15.	,,	बरखना से दादीया	5·40
16.	,,	सम्पर्क सड़क मुछलवा महादेवजी	7·50
17.	सोजत	जोधपुर बोर्डर जाडन वाया सरदार समन्द	12·12
18.	,,	जोधपुर से मान्डला (सोजत से रूपवास)	6·00
19.	,,	सोजत सीटी से हींगावास	4·80
20.	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन से डिगोर की प्याऊ	15·00
21.	,,	बिलाड़ा देसूरी	4·76
22.	,,	सोजत रोड से बड़ा गुढा सहवाज तक	4·90
23.	रायपुर	बर बिरांटीया खुर्द गिरी रोड	18·63
24.	,,	एप्रो रोड गुडिया रेलवे स्टेशन से पीपलिया	5·46
25.	,,	एप्रोच रोड बर रेलवे स्टेशन	0·60
26.	जैतारण	जैतारण से देवरिया	8·33
27.	,,	एप्रोच रोड वलुन्दा	2·73
28.	,,	जैतारण चण्डावल	16·99

कृषि उपज मण्डी समितियों में मुख्य मण्डी यार्डों से बाहर कृषि जिन्सों का व्यापार

691. श्री रामेश्वर लाल (नावां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियां किसानों के संरक्षण के लिए बनाई गई थीं ? यदि हां, तो फिर नवीन मुख्य मंण्डी यार्डों में स्थानीय कृषि जिन्सों के व्यापारियों को नवीन मुख्य मण्डी यार्डों से बाहर ही व्यापार करने की छूट देकर किसान का शोषण क्यों करवाया जा रहा है ?

(2) राज्य में कौन-कौनसी मण्डी समितियों ने नवीन मुख्य मण्डी यार्डों में व्यापार स्थानान्तरित करवाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सब्जी व उनके व्यापारियों को जानवूझ कर मुख्य मण्डी यार्डों के बाहर रखा गया है जिससे वे टैक्स चोरी की सुविधा का भरपूर फायदा उठा सकें ? यदि हां, तो क्या सरकार सब्जी व ऊन के व्यापारियों को अविलम्ब नवीन मुख्य मण्डी यार्डों में स्थानान्तरित करवाकर किसानों को शोषण से मुक्ति तथा राज्य सरकार की टैक्स चोरी रोकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

कानूनन व्यापारियों को नवीन मुख्य मण्डी यार्डों के बाहर व्यापार करने की छूट नहीं है । यह मण्डी समितियां किसानों के संरक्षण के लिये ही बनाई गई हैं ।

(2) राज्य की जिन मण्डी समितियों का नवीन मुख्य मण्डी में व्यापार स्थानान्तरित करवाया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

जहां सब्जी व ऊन के लिए पृथक से यार्ड निर्मित नहीं हुए हैं वहां वर्तमान स्थानों पर व्यापार करने की छूट दी हुई है । आवश्यकतानुसार ऊन व सब्जी हेतु अलग से यार्ड निर्मित कराए जा रहे हैं ।

———

418

कृषि उपज मण्डी समितियों की सूची जिनके नवीन मुख्य मण्डी यार्डों में व्यापार स्थानान्तरित करवाया गया है

क्र० सं०	नाम मण्डी समिति	क्र० सं०	नाम मण्डी समिति
1.	बीकानेर	2.	पदमपुर
3.	जोधपुर	4.	पीपाड़सिटी
5.	पाली	6.	सुमेरपुर
7.	सोजत रोड	8.	जैतारण
9.	रानी स्टेशन	10.	भीनमाल
11.	बाड़मेर	12.	नागौर
13.	मेड़ता सिटी	14.	कुचामन सिटी
15.	अन्ता	16.	बारां
17.	छबड़ा	18.	इटावा
19.	रामगंज मण्डी	20.	भवानी मण्डी
21.	बूंदी	22.	केशव राय पाटन
23.	सुमेरगंज मण्डी	24.	देवली
25.	निवाई	26.	मालपुरा
27.	टोंक	28.	खानपुर
29.	कामां	20.	सीकर
31.	नदबई	32.	चौमू
33.	विजय नगर	34.	ब्यावर
35.	केकड़ी	35.	चाकसू
37.	जयपुर (अनाज)	38,	उदयपुर
39.	फतहनगर	40.	निम्बाहेडा
41.	प्रतापगढ़	42.	कपासन
43.	बेगूं	44.	भीलवाड़ा
45.	गुलाबपुरा	46.	आसिन्द
47.	मांडलगढ़	48.	बांसवाड़ा
49.	जयपुर (फल सब्जी)		

दाऊ भगवान मन्दिर गुढ़ा चन्द्रजी से मूर्ति की चोरी

692. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गुढ़ाचन्द्र जी (सवाई माधोपुर) स्थित दाऊ भगवान के मन्दिर की मूर्ति की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो कब ? क्या मूर्ति बरामद हो गई है ?

उत्तर

जी हां, दिनांक 6, 7-2-84 की दरमियान रात्रि को चोरी हुई थी । मूर्तियों का अभी पता नहीं लग पाया है । प्रयास जारी हैं ।

राजकीय महिला चिकित्सालय रतनगढ़ में महिला चिकित्सक का रिक्त पद

693. **श्री जयदेव प्रसाद इन्वोरिया** (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ के राजकीय महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का होना आवश्यक है ?

(2) यदि हां, तो वहां से महिला चिकित्सक को क्यों हटाया गया और इससे 20 सूत्री कार्यक्रम के बिन्दु संख्या 13 के कार्यान्वियन में कोई बाधा नहीं आती ?

उत्तर

(1) जी हां । महिला चिकित्सक का पद सृजित है ।

(2) 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु अन्य महिला चिकित्सक की सेवाओं का उपयोग करने से वहां कोई बाधा नहीं आई । दिनांक 8-3-84 से डा. राशि राजवंशी वहां पदस्थापित हैं ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड, उदयपुर द्वारा सीमेंट परिवहन निविदाओं में अनियमितता

694. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, उदयपुर द्वारा सीमेन्ट परिवहन निविदाओं में घोर अनियमितता करने के सम्बन्ध में एक शिकायत महेश एण्ड कम्पनी, उदयपुर द्वारा की गई है और राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 30-12-1983 से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर को 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये हैं ?

420

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

(2) यदि हां, तो कृपया शिकायत की प्रति, जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। जांच रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है।

क्र० एम ए सी/83/122

ओर से :—महेश एण्ड कम्पनी,
सी–श्रेणी कान्ट्रैक्टर, (सिचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग),
8, अग्रसेन नगर, उदयपुर
दि० 15–11–1983

महामहिम श्री ओ० पी० मेहरा,
राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।

विषय :—अधिशासी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, उदयपुर द्वारा सीमेंट परिवहन निविदाओं में घोर अनियमितता के सम्बन्ध में।

महोदयजी,

निवेदन है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर द्वारा सीमेन्ट परिवहन निविदा में घोर अनियमितता व पक्षपात कर राज्य कोष पर भारी दबाव डाला जा रहा है। पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, उदयपुर के अधिशासी अभियन्ता, श्री डी० एस० दर्दी ने दैनिक नवजीवन उदयपुर के 14 सितम्बर, 1983 के अंक में प्रकाशित अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 6044–80 दिनांक 8–9–83 के अनुसार उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर डबोक से जोधपुर, पाली, मारवाड़ चूरू आदि दस स्थानों के लिये दस परिवहन निविदायें आमंत्रित कीं।

(2) अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक कार्य के लिये कार्य की अनुमानित लागत के अनुसार धरोहर राशि व निविदा शुल्क अलग-अलग मांगी गई।

(3) निविदा सूचना की मुख्यत: निम्न शर्तें रखी गई (कृपया प्रकाशित निविदा की संलग्न फोटो प्रति भी देखें)

1. निविदा की प्रति निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करने वाले निविदा-दाओं को ही बेची जावेगी।

2. निविदादाताओं को मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा फैक्ट्री में कितनी राशि जमा है एवं वह राशि इस कार्यालय की लिखित अनुमति बिना नहीं लौटाई जावेगी, ऐसा फैक्ट्री से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3. रुपये 50000/–की बैंक गारण्टी या नकद या ड्राफ्ट के रूप में बतौर सिक्योरिटी इस कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

4. राज्य सरकार (खाद्य विभाग) नियुक्त हैण्डलिंग एजेन्ट होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर हैंडलिंग एजेन्ट भी खाद्य विभाग से रकम जमा कराने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। वह राशि भी इस कार्यालय की अनुमति बिना नहीं लौटाई जावेगी। ऐसा प्रमाण पत्र खाद्य विभाग से लेकर प्रस्तुत करना होगा।

5. विभाग में "ए" क्लास ठेकेदार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(4) दिनांक 26–9–83 को जब हमारी ओर से निविदा प्रति प्राप्ति हेतु अधिशासी अभियन्ता जी को प्रार्थना पत्र दिया गया तो हमारे द्वारा निविदा शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने को तत्पर होते हुए भी विभाग की ओर से निविदा प्रति देने से इन्कार कर दिया गया। अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि 50,000/– रुपये अग्रिम रूप से जमा कराओगे तभी निविदा प्रति मिल सकेगी एवं हमें निविदा प्रति योग्य होते हुए भी नहीं दी गई।

(5) निविदा खुलते समय जिन्हें पक्षपात करते हुए निविदा प्रति नहीं दी गई थी ऐसे ठेकेदारों को उपस्थित नहीं रहने दिया गया।

(6) दिनांक 27–9–83 को जब अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया गया तो हमने श्रीमान मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर को निम्न तार भेजा :—

"The Chief Engineer; P.H.E.D.; Jaipur.

Executive Engineer City Division Udaipur called cement transport tender with illegal conditions depositing in advance fifty thousand security in addition to two percent earnest money alongwith tender application. Tender copies not issued to Contractors depositing tender fees and earnest money. Heavy loss to Govt. Hire rates. mnipulated. Mahesh & Company, Udaipur."

422

27-9-83 को ही तार की प्रति हमारे पत्र संख्या 97 द्वारा मुख्य अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी जयपुर, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उदयपुर व सम्बन्धित विभागीय मन्त्री जी को भी जयपुर भेजी गई।

हमने हमारे रजिस्टर्ड पत्र संख्या 94 दिनांक 27-9-83 द्वारा अधिशासी अभियन्ताजी को पुनः निवेदन किया कि वे यह अनियमित निविदा रद्द कर नई आम स्पर्धा वाली निविदा आमंत्रित करें किन्तु उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया।

(7) विभाग की अनियमित व गैर कानूनी शर्तें (विभागीय शर्तें बिन्दु 3 में ऊपर दी गई हैं)

शर्त—1. अधिशासी अभियन्ता ने अपनी शर्तें 1 में लिखा है कि निम्न शर्तें पूरी करने वाले निविदादाता को ही निविदा प्रति बेची जायेगी।

शर्त—2. निविदाताओं को मैसर्स उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स से सीमेन्ट परिवहन हेतु कोई भी निविदा दाता या ठेकेदार फैक्ट्री में रजिस्टर्ड होने को फैक्ट्री द्वारा बाध्य नहीं है। कोई भी आम व्यापारी निविदादाता, परिवहनकर्त्ता बेरोकटोक वहां से सीमेन्ट परिवहन का कार्य कर सकता है।

शर्त—3. रु० 50,000/- रुपया, पचास हजार की बैंक गारन्टी नकद या ड्राफ्ट के रूप में सिक्योरिटी हेतु निविदा प्रति देने के पहले मांगने का कोई अधिकार विभाग को नहीं है। निविदा प्रति तो प्रत्येक निविदाकार को निविदा शुल्क जमा कराते ही विभाग को बेच देनी चाहिये। निविदाकार निविदा प्रति का अध्ययन करेगा एवं वह कार्य लेने का इच्छुक होगा तो धरोहर राशि जमा कराकर निविदा भरकर देगा। यदि उसकी निविदा न्यूनतम हो जाती है एवं विभाग उसे कार्य देने को तैयार हो जाता है केवल तब ही मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के निर्देश के अनुरूप ही निविदाता बैंक गारण्टी या नगद सिक्योरिटी राशि जमा कराने को बाध्य है, टेण्डर प्रति खरीदते समय किसी भी हालत में नहीं। इन दस निविदादाओं में से प्रथम निविदा को छोड़कर प्रत्येक कार्य 50,000/- के अन्दर ही अनुमानित किया गया है। कृपया निविदा संख्या 7, 8 का अवलोकन करें जिनकी अनुमानित लागत ही मात्र 4,000/- व 1,500/- रुपया है। यदि इसमें से किसी एक में भी उस परिवहन होने वाली सीमेन्ट की पूर्ण कीमत भी जोड़ दी जावे तो भी वह 50,000/- रुपया नहीं होती।

शर्त—4. राज्य सरकार के हित में व सीमेंट परिवहन के कार्य में यह शर्त अनुपयुक्त है ।

शर्त—5. "ए" क्लास ठेकेदार होने की तभी आवश्यकता पड़ती है जब कि विभाग लगभग 20,00,000/-रुपया, बीस लाख से ऊपर किसी भी बड़ी राशि का पक्का कार्य (सिविल वर्क) करावे । वर्णित निविदा सूचना में अधिकतम लागत का कार्य 1,65,000/- रु० का है जिसे "डी" श्रेणी ठेकेदार विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार कर सकता है । सच तो यह है कि सप्लाई व ट्रान्सपोर्ट कार्यों में किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं होती, न ही मुख्य अभियन्ता महोदय, या राज्य सरकार का ऐसा कोई निर्देश है ।

(8) इस प्रकार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, श्री डी० एच० दर्दी ने राज्य सरकार व मुख्य अभियन्ता महोदय के निर्देशों के विपरीत अपनी निरंकुशता से निविदा आमंत्रित की, अधिकारों का दुरुपयोग कर कुछ परिवहनकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से गैर कानूनी शर्तें रखीं । गैर वाजिब शर्तों के कारण प्रतिस्पर्धा कम हुई जबकि राज्य सरकार सबसे बड़ी व्यापार देने वाली पार्टी है एवं बिना पक्षपात प्रत्येक संविदादाता, ठेकेदार, आम व्यापारी के लिये उसके दरवाजे व्यापार के लिये समान रूप से खुले रहने चाहिये ।

इसमें व अन्य परिवहनकर्ताओं को, जो निविदा के समय उपस्थित थे, योग्य होते हुए भी निविदा प्रति नहीं दी गई, विभाग सांठ-गांठ से मात्र तीन निविदायें ऊंची दरों पर प्राप्त की गईं, जिससे राज्य कोष पर, राज्य के करदाताओं पर भारी दबाव व आर्थिक भार पड़ा है एवं हमारे व्यापार को भी नुकसान हुआ है ।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने ही अधीक्षण अभियन्ता का कार्य भार भी सम्भाले रखने के कारण हमें अधीक्षण अभियन्ता महोदय के यहां से भी कोई न्याय प्राप्त नहीं हुआ ।

ऐसा लगता है श्रीमान मुख्य अभियन्ता महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजस्थान ने भी उन्हें दिये गये तार व पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं कर ऐसी अनियमित निविदाओं का परोक्ष समर्थन किया है ।

श्रीमान से निवेदन है कि अपने प्रभाव का प्रयोग कर एक जांच समिति बैठा उक्त असंगत व ऊंची दरों वाली निविदा को तुरन्त प्रभाव से रद्द करें, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिलवें कि राज्य सरकार व विभाग के नियमानुसार ही आम प्रतिस्पर्धा वाली नई निविदा तुरन्त आमंत्रित करे ।

हमें आशा है आप इस प्रकरण पर अविलम्ब कार्यवाही करेंगे ।

सधन्यवाद,

विनीत,
(महेश दत्त गर्ग)
प्रोपराइटर,
महेश एण्ड कम्पनी
उदयपुर ।

संलग्न :—निविदा सूचना की फोटो प्रति

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. श्री परसराम मदेरणा, मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
4. श्री मुख्य लेखाधिकारी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर।
5. श्री अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
6. श्री भैरोंसिंह शेखावत, विधायक, जयपुर।
7. श्री दीनबन्धु वर्मा, सदस्य लोक सभा, जयपुर।
8. श्री गुलाबचन्द कटारिया, विधायक उदयपुर।
9. श्री सी० पी० जोशी, विधायक, जयपुर।
10. श्री अध्यक्ष, यूनाइटेड राजस्थान बिल्डर्स एसोसियेशन, उदयपुर।

श्रीमान मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि
सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर हमें
न्याय दिलावें।

ह०
(महेश दत्त गर्ग)
प्रोपराईटर,
महेश एण्ड कम्पनी, उदयपुर।

राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

दैनिक नवजीवन, उदयपुर

क्रमांक :—अ/नगर/ ( ) 83-84/6044-80 दिनांक 8-9-83

अल्पकालीन निविदा सूचनाएं

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सीमेन्ट परिवहन के अनुभवी एवं मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, डबोक में पंजीकृत परिवहन व्यवसायियों में सीमेन्ट परिवहन के कार्य हेतु मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 26-9-83 को सायंकाल 3·00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सायंकाल 4·00 बजे खोली जावेंगी।

निविदा प्रपत्र, विवरण इन कार्यालयों से निविदा शुल्क की राशि नकद, पोस्टल आर्डर एवं मनीआर्डर के रूप में जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

बिना धरोहर राशि एवं तार द्वारा भेजी गई निविदा अमान्य कर दी जावेगी। सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी एक भाग को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

क्र० सं०	निविदा सूचना	कार्य का विवरण	मात्रा	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य समाप्त करने की अवधि
1.	14	मैसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स डबोक से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर तक सीमेंट परिवहन करने का कार्य	1400	165000/-	3300/-	35/-	एकमास
2.	15	........,, पाली मारवाड़	200मे.ट.	20000/-	400/-	5/-	,,
3.	16	.......,....चूरू	150...,,...	30000/-	600/-	15/-	,,
4.	17	....,,...नागौर	200...,,...	22000/-	440/-	15/-	,,
5.	18	..,,.मेड़ता सिटी	100...,,...	11500/-	230/-	5/-	,,
6.	19	...,,...डीडवाना	100...,,...	14000/-	280/-	5/-	,,
7.	20	...,,...जालौर	50...,,...	4000/-	80/-	5/-	,,
8.	21	...,,...राजसमंद	50...,,...	1500/-	30/-	5/-	,,
9.	22	...,,...बीकानेर	50...,,...	10000/-	200/-	5/-	,,
10.	23	...,,...जैसलमेर	300...,,...	40000/-	800/-	15/-	,,

नोट :—(1) निविदा की प्रति निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करने वाले निविदादाताओं को ही बेची जावेगी।

(2) निविदादाताओं को मैसर्स उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा फैक्ट्री में कितनी राशि जमा है एवं वह राशि इस कार्यालय की लिखित अनुमति बिना नहीं लौटाई जावेगी, ऐसा फैक्ट्री से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(3) रुपये 50,000 की बैंक गारण्टी या नगद या ड्राफ्ट के रूप में बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

(4) राज्य सरकार (खाद्य विभाग) नियुक्त हैण्ड लिंग एजेण्ट होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हैण्ड लिंग एजेन्ट भी खाद्य विभाग से रकम जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह राशि भी इस कार्यालय की अनुमति बिना नहीं लौटाई जावेगी, ऐसा प्रमाण पत्र खाद्य विभाग से लेकर प्रस्तुत करना होगा।

(5) विभाग में "ए" क्लास ठेकेदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(6) प्राप्त दरें 6 माह के लिये मान्य होंगी व इस अवधि से अधिक कार्य भी करवाया जा सकता है।

(7) सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र उदयपुर ही होगा।

(8) सभी स्थानों के लिये दरें प्रति किलोमीटर/प्रतिटन में ही प्रस्तुत करें।

ह–
(डी० एस० दर्दी)
अधिशासी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
नगर खण्ड–उदयपुर।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा पृथ्वीराज योजना के प्रति उदासीनता

695. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिमी) :

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा खाई लैंड मार्केट के सामने पृथ्वीराज योजना नाम से एक व्यापारिक योजना बनाई जाकर उसके लिये जमीन की अनिवार्य अवाप्ति की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी थी? यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई और जमीनें अवाप्ति की कार्यवाही कब चालू की गई तथा अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान अध्यक्ष के मनोनयन के बाद उन्होंने इस योजना के प्रति उदासीनता बरतते हुये इसे ड्रोप किये जाने का प्रस्ताव भी न्यास में रखवा दिया है?

(श्री भगवानदास डोसी)

(3) क्या राज्य सरकार अजमेर के मास्टर प्लान में भी व्यापारिक उद्देश्यों हेतु प्रदर्शित इस भू-भाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने हेतु पृथ्वीराज योजना को शीघ्र क्रियान्वित किये जाने के निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा खाई लैंड मार्केट के सामने पृथ्वीराज मार्केट के नाम से व्यवसायिक योजना बनायी गई। जिसके लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विशेषाधिकारी के माध्यम से करायी जा रही है। यह योजना वर्ष 1976 में अधिसूचित करायी गई थी तथा विशेषाधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 82 में प्रारम्भ की गई । विशेषाधिकारी द्वारा नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 52(2) के नोटिस सम्बन्धित भूमिधारियों / किरायेदारों को जारी कर सुनवायी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अधिनियम की धारा 52(3) के तहत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जानी है ।

(2) यह सही नहीं है कि इस योजना के प्रति उदासीनता बरतते हुए इसे ड्राप करने के लिए कोई प्रस्ताव न्यास बैठक में रखा गया है । न्यास बैठक दिनांक 30-11 83 में इस योजना पर अनुमानित आय व्यय के आकड़े प्रस्तुत कर इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में निर्णय कराने हेतु मामला अवश्य रखा गया था ।

(3) भूमि अवाप्ति के पश्चात ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

फोरेस्ट रेंज सलूम्बर की जमीन पर नाजायज काश्त

696. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फोरेस्ट रेन्ज सलूम्बर में आदिवासी लोग जंगलात की जमीन पर वर्षों से नाजायज काश्त करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सरकार आदिवासियों के उक्त नाजायत कब्जों का नियमन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेन्ज सलूम्बर के अधीनस्थ वन खण्डों में 260 आदिवासियों के नाजायज कब्जे के प्रकरण हैं ।

(2) प्रचलित राज्यादेशानुसार । जनवरी, 1971 से पूर्व के अनधिकृत कब्जों का नियमन किया जा सकता हैं, जिससे नियमन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1983-84 में विधान सभा क्षेत्रों में खोले गये औषधालय

697. **श्री भगवान दास डोसी** (चौहटन) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भगवानदास डोसी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में राज्य में दो सौ आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रावधान रखा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य से अपने क्षेत्र में एक औषधालय खुलवाने के लिये प्रस्ताव मांगा था ?

(3) चौहटन विधान सभा क्षेत्र में गांव बामणारे में औषधालय खुलवाने के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई और वह औषधालय कब तक खोला जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम बांमणारे पंचायत समिति धोरीमन्ना में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने की स्वीकृति दिनांक 17-2-84 को दी जा चुकी है।

जयपुर शहर में मिनी बसों से घटित दुर्घटनाएं

698. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में मिनी बसों से कितनी दुर्घटनाएं सितम्बर, 1983 से 15 फरवरी, 1984 के मध्य हुई ? उनमें कितने लोग घायल हुए व कितने मरे ?

(2) क्या मिनी बसें तेज गति से दौड़ाने व नियमों का उल्लंघन कर वाहन शहर में चलाने की अनेकों शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या व किस प्रकार की हैं ?

(3) उपरोक्त समस्या के निराकरण के लिये सरकार क्या पुख्ता कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में इस अवधि में मिनी बसों द्वारा कुल 40 दुर्घटनायें दर्ज हुईं जिनमें 31 व्यक्ति घायल हुए एवं 3 की मृत्यु हुई।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में निरन्तर सुधार लाने हेतु कई कदम उठाये गये हैं। मिर्जा इस्माइल रोड पर एक तरफा ट्रैफिक की व्यवस्था, जयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन, चैकिंग का कड़ा प्रबन्ध, स्पीड ब्रेकरों का स्थापन/मरम्मत, सड़कों की नियमित रूप से मरम्मत, मिनी बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने की पाबन्दी आदि।

पंजीकृत ट्रस्टों की सम्पत्तियों को किराया कानून से मुक्ति

699. **श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) किन किन पंजीकृत ट्रस्टों की सम्पत्तियों को किराया कानून से मुक्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24-4-1976 द्वारा समस्त वक्फ अथवा वक्फ सम्पत्तियों को सदैव के लिये इस विज्ञप्ति द्वारा किराया कानून से मुक्ति दी जा चुकी है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार से राजस्थान सार्वजानक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत प ीकृत सम्पत्तियों को भी सरकार मुक्त करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार पंचायत श्री दिगम्बर जैन मंदिर बगरूवालान (पंजीकृत ट्रस्ट) स्टेशन रोड, जयपुर को किराया कानून से मुक्त करने हेतु उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 19–6–1979 को स्वीकार कर चुकी है? यदि न ों, तो क्यों?

उत्तर

(1) निम्नलिखित पंजीकृत ट्रस्टों की सम्पत्तियों को वर्ष 1976 से अब तक राज्य सरकार द्वारा राजस्थान परिसर (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) अधिनियम, 1950 के समस्त उपबन्धों के प्रवर्तन से मुक्त किया गया है :–

1) नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड के आधिपत्य के सभी भवन।

2) मेहता गोविन्द सिंह जी ट्रस्ट, उदयपुर के आधिपत्य के सभी भवन।

3) श्रीकृष्ण अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, जोधपुर के आधिपत्य के सभी भवन।

4) मेहतास प्राइवेट सेक्यूलर ट्रस्ट, 1962 जोधपुर के स्वामित्व में अजमेर में स्थित श्री टाकीज नामक परिसर तथा उसके अहाते में एक कमरा।

(2) जी हां। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 20–8–76 द्वारा उन सब वक्फ सम्पतियों को, जो वक्फ एक्ट, 1954 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के पास पंजीकृत है, को राजस्थान परिसर (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) अधिनियम, 1950 के समस्त उपबन्धों के प्रवर्तन से मुक्त किया गया है। जहां तक राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्टों की सम्पत्तियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त करने का प्रश्न है, यह प्रत्येक ट्रस्ट के कार्यकलापों के गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

(3) पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान (पंजीकृत ट्रस्ट) स्टेशन रोड, जयपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 21–6–83 प्राप्त हुआ है जो अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पुलिस स्टेशन पाटन (सीकर) में दर्ज मुकदमा

700. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन पाटन, जिला सीकर में मुकदमा नं. 32/1983 जसवन्त सिंह, वृद सिंह, रामसिंह, मोहन सिंह, पूर्ण सिंह वगैरह हसामपुर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 452, 392, 354 के तहत दर्ज हुआ था और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाकर अदालत में चालान पेश करने के आदेश उप अधीक्षक आरक्षी, नीमकाथाना ने पैरोकार पुलिस की राय लेकर दिये थे ? यदि हां, तो क्या अदालत में चालान पेश हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अधीक्षक आरक्षी, सीकर ने इस प्रकरण में अदम सबूत एफ. आर. देने के आदेश दे दिये ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिस स्टेशन पाटन जिला सीकर में उक्त अभियोग दर्ज हुआ था तथा मुलजिम पूरनसिंह के अलावा बाकी चारों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उप अधीक्षक, नीम का थाना द्वारा चालान के विधिवत आदेश नहीं दिये गये थे। वृताधिकारी सीकर द्वारा अभियोग का पुनः अनुसंधान करने पर मामला अदम वकू पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट दी जा चुकी है।

(2) जी हां। अभियुक्त जसवंतसिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक सीकर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत होने पर अभियोग के पुनः अनुसंधान हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक एवं वृताधिकारी सीकर को नियुक्त किया गया। अनुसधांन से मामला असत्य पाये जाने पर अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू में दिये जाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये।

थाना श्री माधोपुर में दर्ज मुकदमा नं. 157/83

701. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना, श्री माधोपुर (सीकर) में मुकदमा नं. 157/83 दिनांक 18–9–1983 में 181 बोरी चना फर्जी फर्म के नाम से रेलवे बिल्टी बनाकर भेजने की शिकायत दर्ज की गई थी ?

(2) यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अनुसंधान से यह चना, कृषक श्री हनुमान सिंह, प्रधान, पंचायत समिति

(गृह मंत्री)
खंडेला व दो अन्य कृषकों का होना व उन्हीं की ओर से बुक कराना जिससे नियमों का कोई उल्लंघन न होना पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट अदम वकू दी जा चुकी है।

कालखसागर की नहरों के रखरखाव पर खर्च राशि

702. श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दूदू क्षेत्र के कालख सागर की नहर बिचून, उगरियावास व मोखमपुरा के आस पास हर साल वर्षा ऋतु में पानी के नालों से टूट फूट कर रेत से भर जाती है और काश्तकारों की हजारों बीघा जमीन भी खराब हो जाती है ?

(2) यदि हां, तो पिछले 3 सालों में इस नहर की मरम्मत व रेत निकालने में कितने लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ? कृपया वर्षवार खर्चे के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जून, 1982 में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के बिचून आगमन पर यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिये बिचून में जल्दी ही एक प्रोजेक्ट तैयार करवा कर पूरा करवाया जायेगा ?

(4) क्या सिंचाई विभाग बिचून के आसपास हर साल लाखों रुपये के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हो जायेगी और कब तक इसका कार्य शुरू हो सकेगा ?

उत्तर

(1) दूदू क्षेत्र कालख सागर की नहर बिचून, उगरियावास व मोखमपुरा के आस-पास वर्षा से बिचून की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों से टूट जाती है, तथा रेत भर जाती है परन्तु यह सही नहीं है कि नहर के टूटने से काश्तकारों की जमीन खराब हो जाती है।

(2) इस पर तीन साल के खर्चे के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :–

वर्ष	व्यय
1981–82	2,81,342 रुपये
1982–83	1,30,575 रुपये
1983–84	1,54,442 रुपये
योग :–	5,66,359 रुपये

(3) माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्राम पंचायत बिचून के निवासियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बिचून ग्राम में अतिवृष्टि से हुये नुकसान के स्थायी हल हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा था।

(4) जी हाँ, इस योजना की क्रियान्वति योजना के स्वीकृत होने तथा आवश्यक

(सिचाई मंत्री)

बजट आवंटन होने के उपरान्त ही सम्भव होगी।

ग्राम चनानी (निवाई) की पेयजल समस्या

703. श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चनानी तहसील निवाई, जिला टोंक पीने के पानी की दृष्टि से एक समस्याग्रस्त गांव है ? यदि हां, तो क्या उसे समस्याग्रस्त गांव घोषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम चनानी में विभाग की तरफ से तीन हैण्ड पम्प खोदे गये थे और तीनों में ही खारा पानी निकला है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने हैण्ड पम्प खोदते समय इस पर ध्यान नहीं दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हैण्ड पम्पों के पानी से कई लोग बीमार हो गये हैं और उस पानी को पीते ही जबान पर छाले हो जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका क्या उपाय करने जा रही है ?

(4) क्या सरकार ग्राम चनानी में जहां पर, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तुरन्त ही कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, योजना का पुनः सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 852 की सूची

बायोगैस पूर्ण सन्यत्रों की वर्षवार/व्यक्तिवार स्थापना व स्थिति जिला टोंक

वर्ष	नाम व्यक्ति मय पिता	ग्राम	पंचायत समिति	अनुदान वितरण राशि (रु०)	माह	सन्यत्र की स्थिति चालू/बन्द/बाबर भाराजा रहा हैं	बन्द होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
81–82	1. श्रीमती हरजीत कौर/देवराजसिंह	टोरडी	मालपुरा	1550·00	मार्च, 82	बन्द है	बाढ़ से संयत्र में पानी भर गया
80–83	2. गजेन्द्रसिंह/ईश्वरसिंह	टोरडी	,, ,,	1550·00	जनवरी, 83	चालू	
	3. हरिनारायण शर्मा	देशमा	,, ,,	1550·00	,, ,,	,,	
	4. किशनलाल जाट	,, ,,	,, ,,	1550·00	,, ,,	,, ,,	
	5. शोभागमल जैन	चैनपुरा	,, ,,	1550·00	दिसम्बर, 83	,, ,,	
	6. धन्नालाल बैरवा/गोवर्धन बैरवा	दोराई	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
	7. सत्यनारायण मीणा/कल्याण मीणा	चांदसेन	,, ,,	2320·00	फरवरी, 83	चालू	
	8. शैतान मीणा/चन्द्रा मीणा	सलमा की ढाणी	,, ,,	2320·00	मार्च, 83	गोबर भरा जा रहा है	
	9. हनुमान/सत्यनारायण मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
	10. गोपी/पन्नाराम मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सोपान/सत्यनारायण मीणा	सालमा की ढाणी	मालपुरा	2320·00	मार्च 83	गोबर भराया जा रहा है।	
12.	दुवारा देवी/कैलाश मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	फरवरी, 83	,, ,,	
13.	दुर्गालाल मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	चालू है	
14.	छोटू मीणा//भूरा	,, ,,	,, ,,	2320·00	मार्च, 83	गोबर भरा जा रहा है	
15.	रोड़ू मीणा/चन्द्रा मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
16.	कल्याण मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
17.	रामनिवास मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
18.	हरिनारायण/रामकरण जाट	लावा	,, ,,	1305·00	,, ,,	चालू है	
19.	ऋषिराज सिह/बंशीधर	लावा	,, ,,	1550·00	,, ,,	,, ,,	
20.	मोहन/माधोसिंह	ढीवरू	,, ,,	1550·00	,, ,,	,, ,,	
21.	भागूता/हजारी	धोली	,, ,,	1550·00	फरवरी, 83	,, ,,	
22.	चतुर्भुज/जाट	,, ,,	,, ,,	1550·00	,, ,,	,, ,,	
23.	प्रहलाद/बोटू मीणा	सल्ला की ढाणी	,, ,,	2297·00	मार्च, 83	गोबर भरा जा रहा है	
24.	माधो मीणा/कल्याण मीणा	,, ,,	,, ,,	1900·00	,, ,,	,, ,,	
25.	गोपी मीणा/कल्याण मीणा	नृतंड	मालपुरा	1900·00	मार्च, 83	,, ,,	
26.	नारायण/भूरा मीणा	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,, ,,	
27.	लक्ष्मीनारायण/धन्नालाल	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	चालू है	
28.	मांगीलाल/पन्नालाल	,, ,,	,, ,,	2320·00	,, ,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
	29. भंवरलाल/सूरजमल	नूंकड़	मालपुरा	2994.20	मार्च, 83	चालू है	
	30. भरतलाल मीना	पाडली	अलीगढ़	2910.00	नवम्बर, 82	"	
	31. छीतर सिंह	कडीला	मालपुरा	1550.00	"	"	
	32. रामचन्द्र जाट	देशमा	"	"	फरवरी, 83	चालू	
	33. देवीलाल/धन्नालाल मीना	भीपुरनुंकड़	"	2200.00	"	गोबर भरा जा रहा है	
	34. लादू/मनारायणा	चांदसेन	"	1000.00	"		"
	35. रामस्वरूप/गोरधन	"	"	1517.68	मार्च, 83		चालू
	36. रामनारायण मीणा	जूनिया	देवली	1950.00	"	गोबर भरा जा रहा है	
	37. कमान्डेन्ट सी.आई.एस.एफ	देवली	देवली	1550.00	जनवरी, 83	चालू है परन्तु गैस कम बनती है	प्रार्थी द्वारा गोबर कम डाला जा रहा है
	38. गोवर्धन	"	"	1550.00	मार्च, 83	गोबर भरा जा रहा है	
	39. टुगलाल/घासीराम	सरोली	देवली	1550.00	जनवरी, 83	चालू है	
	40. रामचन्द/गंगाराम	"	"	1550.00	"	"	
	41. लक्ष्मणा/नंदा गूजर	"	"	1940.00	"	"	
	42. भैरूलाल/छीतर दरोगा	चांदली	"	1900.00	जून, 82	"	

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	हनुमान/चुन्नीलाल मीना	बिलोता	अलीगढ़	1950.00	मार्च, 83	गोबर भरा जा रहा है।	
44.	हजारी/देवीलाल	घास	टोंक	2910.00	नवम्बर, 82	चालू परन्तु गैस कम बनती है	
45.	बद्रीलाल/हरनाथ जाट	बम्बोर	"	1940.00	फरवरी, 83	चालू है	
46.	मनफूल/कंवरीलाल मीना	महमदपुर चौकी	"	2910.00	मार्च, 83	"	
47.	कजोड़/किशनलाल मीना	सांखना	"	2320.00	फरवरी, 83	"	
48.	लादूलाल/हरिनारायण	लाम्बा	टोंक	1940.00	मार्च, 83	"	
49.	नारायणसिंह/नन्दसिंह	बिजलपुरा	"	1940.00	"	बन्द है	निर्माण गलत होने पर
50.	उप-निदेशक कृषि विस्तार	टोंक	"	1300.00	अक्टूबर 82	चालू है	
51.	भीमा सिंह/कल्याण सिंह	मेंहरू	टोडारायसिंह	1940.00	नवम्बर, 82	बन्द है	"
52.	गोपीलाल/रामदास	चन्द्रपुरा		1550.00	फरवरी, 83	चालू है	"
53.	शिवराजसिंह/देवीसिंह	"	"	1940.00	"	"	
54.	कालू/गोरू मीना	"	"	1950.00	"	"	
55.	दयाराम/लादू मीना	झोंपड़ियां	"	1950.00	मार्च, 83	"	
56.	हीरालाल/भूरालाल कुर्मी	कल्याणपुरा	"	1300.00	"	"	
57.	रामभानु/रामकरण सिंह	किशनपुरा	"	1940.00	"	"	
58.	मोती/गंगाराम मीना	सीतारामपुरा	"	2320.00	"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8
	59. रामकरण/नारायण जाट	माधोगंज	टोडारायसिंह	1550.00	मार्च, 31	चालू है	
	60. जगदीश/श्रवणलाल	बोटून्दा	"	"	"	"	
	61. जमना सिंह/नाहरा सिंह	हमीरपुर	"	"	"	"	
	62. रामपाल/मोटाराम जाट	पहाड़ी	निवाई	"	जनवरी, 83	गोबर भरा जा रहा है	
	63. चंदा/खंभाराम	लावा	मालपुरा	2910.00	मार्च, 83	चालू है	
	64. रामसहाय/नाथूराम मीना	चांदसेन	"	2320·00	"	"	
	65. पुलिस लाईन प्रदर्शन संयत्र	टोंक	टोंक	संदर्शन संयत्र	"	बन्द है गोबर नही डाला जा रहा	
	66. कृषि उपज मंडी समिति मालपुरा	मालपुरा	मालपुरा	"	"	चालू है	
	67. गौशाला निवाई	निवाई	निवाई	मैसन्स ट्रेनिंग	वर्ष 82–83	"	
83–84	1. कालूराम मीना	खोल्या	अलीगढ़	1950.00	अप्रैल, 83	"	
	2. हरजीराम मीना	"	"	"	"	"	
	3. रामबिलास मीना	उखलाना	"	2320.00	अप्रैल, 83	"	
	4. लादूराम	भवंता	टोडारायसिंह	1940.00	"	"	
	5. बद्रीलाल मीना	पाडली	अलीगढ़	2910.00	"	"	
	6. कजोड़/मीना	चैनपूरा	"	"	मई, 83	"	
	7. कल्याणमल/मीना	हैदरीपुरा	"	"	"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	लक्ष्मणसिंह	नटवाडा	निवाई	1550.00	जून, 83	गोबर भरा जा रहा है	
9.	जगदीश मीना	नांगलइसर	"	2320.00	"	चालू है	
10.	श्रीमती ललिता देवी	टौंक	टोंक	1300.00	"	"	
11.	" मोहनकंवर	सुनारी	निवाई	2910.00	अगस्त 83	"	
12.	" कैलाश चतुर्वेदी	अलीगढ़	अलीगढ़	2320.00	सितम्बर, 83	"	
13.	" कल्याणमल मीना	घरोला	"	2910.00	"	"	
14.	कल्याण मल जैन	चौरू	अलीगढ़	1300.00	"	"	
15.	गेंदीलाल मीना	जगलपुरा	निवाई	2320.00	"	गोबर भरा जा रहा है	
16.	रामेश्वर/कल्याण शर्मा	जयसिंहपुरा	"	"	अक्टूबर, 83	चालू है	
17.	कल्याण/रामसुख मीना	चांदसेन	मालपुरा	"	"	गोबर भरा जा रहा है	
18.	रामेश्वर/रामकिशोर	जयसिंहपुरा	निवाई	"	"	"	
19.	हीरालाल/देवीराम मीना	घोलाखेड़ा	मालपुरा	1550.00	"	चालू है	
20.	मोहनलाल/रोड़ूराम बैरवा	नला	निवाई	1950.00	नवम्बर, 83	गोबर भरा जा रहा है	
21.	केसरसिंह/शंकरधान	कचौलिया	मालपुरा	1550.00	जनवरी, 84	निर्माण कार्य पूर्ण	
22.	शुभकरण/हिंगलाग सिंह	"	"	"	"	"	
23.	छीतर/धन्ना बैरवा	नला	निवाई	1950.00	"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	गुमानमल/कल्याण मीना	दूदावास	देवली	2320.00	जनवरी, 84	निर्माण कार्य पूर्ण	
25.	किशवापाल/सुखा मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
26.	पेमा/गोपाल मीना	,,	,,	,,	फरवरी, 84	,,	
27.	सोना/जवारा मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
28.	रामचन्द/नाथू मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
29.	श्योमा/रसीराम मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
30.	रंगलाल/लखमा मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
31.	जगदीश/लखमा मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
32.	छीतरलाल/जवारा मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
33.	जगदीश/महादेवी मीना	,,	,,	,,	,,	,,	
34.	मोहनलाल पारीक	कचोलिया	मालपुरा	1550.00	,,	,,	
35.	रामकरण जाट	दहावट	,,	,,	,,	,,	
36.	प्रहलाद/किशोर मीना	बहड	निवाई	2910.00	,,	,,	
37.	रामप्रसाद/स्वामी	,,	,,	,,	,,	,,	
38.	केसरदेवी स्वामी	,,	,,	2320.00	,,	,,	
39.	वीरेन्द्र सिंह	,,	,,	1940.00	,,	,,	

(५९०)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 853 की तालिका

तालिका अ

वर्ष जनवरी, 82 से जनवरी, 1984 तक:

क्र. सं.	शीर्षक	अनु. जाति व जन जाति	पंजिबद्ध अपराध	अदम वकू	अदम पता	अभियोग विचाराधीन	चालान	सजा	बरी	राजीनामा	न्यायालय विचाराधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हत्या	अनु. जाति	72	3	–	3	66	–	–	–	66
		जन जाति	25	2	1	4	18	–	–	–	18
2.	गम्भीरचोट	अनु. जाति	363	9	2	22	330	–	2	–	328
		जन जाति	127	6	1	7	113	–	–	–	113
3.	बलात्कार	अनु. जाति	137	30	–	12	95	–	–	–	95
		जन जाति	35	6	–	4	25	–	–	–	25
4.	गम्भीर क्षति	अनु. जाति	139	39	6	12	82	–	2	–	80
		जन जाति	47	16	2	2	27	–	1	–	26
5.	अन्य अपराध	अनु. जाति	2739	693	175	313	1556	15	16	–	1527
	भा. द. सं.	जन जाति	708	198	66	44	450	3	1	–	446
6.	नागरिक सुरक्षा अधिनियम		393	169	2	20	202	–	–	–	202

तालिका ब

अन्वेषण के विचाराधीन अभियोगों की तालिका वर्ष जनवरी, 82 से जनवरी, 84 तक :

क्र. सं.	शीर्षक	अनु. जाति जन जाति	अप. संख्या	तीन माह से कम	छः माह से कम	छः माह से अधिक	वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हत्या	अनु. जाति	3	2	–	–	1
		जन जाति	4	3	–	–	1
2.	गम्भीर चोट	अनु. जाति	22	13	5	2	2
		जन. जाति	7	6	1	–	–
3.	बलात्कार	अनु. जाति	12	10	1	1	–
		जन जाति	4	4	–	–	–
4.	गम्भीर क्षति	अनु. जाति	12	12	–	–	–
	आयजनी	जन जाति	2	1	–	–	–
5.	अन्य भा. द. सं.	अनु. जाति	313	241	60	12	–
	के अपराध	जन जाति	44	32	9	3	–
6.	नागरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम		20	13	4	1	2

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 854 की तालिका

मृतकों की सूची जिनकी सन् 1981 में आई बाढ़ से मृत्यु हो गई थी

नाम जिला 1	क्र. सं 2	मृतक का नाम 3	राशि 4	भुगतान की तारीख 5
भरतपुर	1–	श्री सोहन लाल पुत्र चिरवाली जाटव	5,000/–	25·7·81
	2–	श्री निहाल सिंह पुत्र नत्थी जाटव	5,000/–	25·7·81
बीकानेर	1–	श्री अशोक सिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह यादव	5,000/–	
	2–	श्री रामसिंह पुत्र कन्यालाल यादव	5,000/–	
	3–	श्री श्यामसिंह पुत्र कन्यालाल यादव		
	4–	श्री सुनील कुमार पुत्र रामेश्वर लाल	5,000/–	
	5–	श्री रामकिशन पुत्र रामेश्वर लाल		
	6–	श्री बुलाकी पुत्र श्री रामलाल सुथार	5,000/–	
नागौर	1–	श्री रामदेव पुत्र श्याराम की 6 वर्षीय पुत्री की मृत्यु	2,500/–	
स. माधोपुर	1–	श्री रामकिशन बैरवा	5,000/–	
	2–	श्री सुवा कौर	5,000/–	
	3–	श्री कल्याणा कौर	5,000/–	
	4–	श्री बद्री मीणा	5,000/–	
	5–	श्रीमती मंगली कोली	5,000/–	
	6–	श्रीमती रामानिवासी	5,000/–	
	7–	श्रीमती मुड्डी	5,000/–	
	8–	श्री प्रकाश जोगी	5,000/–	
सीकर	1–	श्री कल्याण ब्राम्हण	5,000/–	21·9·81
	2–	श्री पवन कुमार पुत्र किस्तुरचन्द	2,500/–	30·7·81
	3–	श्री जोवराजसिंह	2,500/–	30·7·81

मृतकों की सूची जिनकी जुलाई, 1981 की बाढ़ में
मृत्यु हो गई थी.
जिला–जयपुर

क्र. सं.	मृतक का नाम एवं पता	सहायता राशि जो भुगतान की गई.
1.	2	3.
1.	श्री रमेश पुत्र लादूराम नि. शुशीलपुरा	2500/–
2.	कु. तारा पुत्री लादू राम नि. शुशीलपुरा	2500/–
3.	श्री छोटू पुत्र लादूराम नि. शुशीलपुरा	2500/–
4.	श्रीमती प्रिय बाला पत्नी श्री गोपाललाल शर्मा पुरानाघाट	5000/–
5.	श्री मोहन लाल पुत्र गोपाललाल सा. पुराना घाट	2500/–
6.	श्रीमती मनी पुत्री जगदीश सा. पुराना घाट	5000/–
7.	कु. गायत्री पुत्री जगदीश	2500/–
8.	श्रीमती प्यारी पत्नि नानगराम पुराना घाट	5000/–
9.	कुमारी राधा पुत्री रतन लाल पुराना घाट	2500/–
10.	श्री रामसेवा पुत्र बंशीधर नि. चांदपोल, जयपुर	5000/–
11.	श्री रामपाल पुत्र बाबूलाल सा. चांदपोल. जयपुर	5000/–
12.	श्री हरिनारायण पुत्र श्योदान सिंह मोती डूंगरी रोड, जयपुर	5000/–
13.	श्री प्रहलाद पुत्र छोगालाल कुम्हार खेजड़ों का रास्ता, जयपुर	5000/–
14.	बल्ली पुत्री श्री गोपाल लाल खेजड़ों का रास्ता, जयपुर	2500/–
15.	बवल्या पुत्री श्री गोपाल लाल खेजड़ों का रास्ता	2500/–
16.	मोहन लाल पुत्र गोपाल ,,	2500/–
17.	रामपाल पुत्र रघुनाथ निवासी कालवाड़	5000/–
18.	श्रीमती राम किशोर पत्नि रामपाल शर्मा	5000/–
19.	श्रीमती भगवती देवी पत्नि राधेश्याम घाटकी गुनी जयपुर	5000/–
20.	कुमारी मांगी पुत्री नानगराम पुराना घाट, जयपुर	2500/–
21,	श्रीमती चन्द्र कौर पत्नि जोरावर सिंह पुराना घाट, जयपुर	5000/–
22.	श्रीनारायण पुत्र वीरुमल सिंधी म. नं. 140 जयलाल मुंशी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर	5000/–

(४४४)

1	2	3
23.	श्री नत्थू लाल म. नं. 2090 खजाने वालों रास्ता जयपुर	5000/–
24.	श्रीमती मूली पत्नि लादूराम निवासी सुशील पुरा	5000/–
25.	श्रीमती कमला पत्नी बाबू लाल शर्मा हीदा की मोरी, जयपुर	5000/–
26.	श्रीमती प्रेम पत्नि बाबू लाल गूजर पंचमुखी हनुमान के पास नाहरी का नाका, जयपुर	5000/–
27.	श्री विकास बैराठी पुत्र सुरेश बैराठी E-144 तिलकमार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	2500/–
28.	श्री विजय सिह पुत्र जोरावर सिह पुराना घाट, जयपुर	2500/–
29.	श्री पवन कुमार पुत्र मुक्ती नारायण महाजन गणगोरी बाजार	2500/–
30.	श्रीमती रामप्यारी पत्नि सूरज नारायण महाजन ,,	5000/–
31.	सुश्री कुमल कुमारी पुत्री जुगल किशोर गणगोरी बाजार, जयपुर	2500/–
32.	श्रीलक्ष्मी नारायण पुत्र महादेव माली चांदपोल, जयपुर	5000/–
33.	श्रीमती विमला पत्नि जुगल किशोर गणगोरी बाजार, जयपुर	5000/–
34.	सुश्री सीमा पुत्री जुगल किशोर, गणगोरी बाजार, जयपुर	2500/–
35.	कुमारी बेला पुत्री मुरलीधर ,,	2500/–
35.	श्रीमती शकुन्तला पत्नि मुरली नारायण ,,	5000/–
37.	विमल किशोर पुत्र जुगल किशोर महाजन ,,	2500/–
38.	श्रीमती गल्लो पत्नि गोपाल लाल खेजड़ों का रास्ता, जयपुर	5000/–
39.	श्री भंवरलाल पुत्र गोपाल लाल कुमावत ,, ,,	2500/–
40.	श्रीमती ज्ञान देव पत्नि कन्हैया लाल ,, ,,	5000/–
41.	श्री कन्हैया लाल पुत्र भूराराम कुमावत ,, ,,	5000/–
42.	श्री विजय कुमार पुत्र कैलाश नाथ 4–बी कबीर मार्ग बनीपार्क, जयपुर	5000/–
43.	श्री नरेन्द्र प्रसाद पुत्र प्रहलाद राय श्याम नाथ तिवाड़ी की गली म. नं. 1647 चौड़ा रास्ता, जयपुर	5000/–
44.	श्री राधे लाल पुत्र देवदत्त शर्मा झाड़खण्ड महादेव के सामने प्रेम नगर, जयपुर	5000/–

1	2	3
	: लालसोट :	
45.	मु. सोरा बाई पत्नी नवलसिंह ग्राम टापरिया	5000/-
46.	नन्दसिंह पुत्र नवल सिंह ग्राम टापरिया	2500/-
47.	श्रीमती गंगा पत्नी जमनालाल	5000/-
48.	कुमारी राम बाई पुत्री जमनालाल	2500/-
49.	श्री रामदयाल पुत्र श्रवण मीना	5000/-
50.	श्रीमती गंगा पत्नी राम दयाल	5000/-
51.	श्री जमना लाल पुत्र श्री श्रवण लाल ग्राम कृष्णपुरा	5000/-
52.	कुमारी मनफूली पुत्री राम दयाल	2500/-
53.	रामजी लाल पुत्र राम दयाल	2500/-
54.	बसंती उर्फ राजनदी पुत्री राम दयाल	2500/-
55.	राधाकिशन पुत्र राम दयाल मीना	2500/-
56.	श्री मूल्या पुत्र राम पाल मीना ग्राम ओदायली	5000/-
57.	ग्यारसी पत्नि मूल्या	5000/-
58.	श्री भगवान्या पुत्र चंद्रामीना	5000/-
59.	श्री विलास पुत्र श्योनारायण मीना	5000/-
60.	श्री धन्नी पत्नी लालू कोली मटलाआ	5000/-
61.	कन्नी पुत्री लालू कोली	2500/-
62.	रामेश्वर पुत्र कालूकोली	2500/-
63.	कल्याण पुत्र लालू कोली	2500/-
64.	गोपी पुत्र लालू कोली	2500/-
65.	रघुनाथ पुत्र कालू लुहार ग्राम समेद	5000/-
66.	मनभर पुत्री कजोड़ धोबी	2500/-
67.	जगन्नाथ/रामचन्द्र नाई ग्राम कांकरिया	5000/-
68.	गोरा पत्नी जगन्नाथ ,,	5000/-
	: तहसील सांगानेर :	
69.	प्रमिलापुत्री नथूमल	2500/-
70.	दूदी पुत्री सचेन्द्र कुमार	2500/-

Page No 446

(446)

1	2	4
71.	घन्ना राम पुत्र राम चन्द्र	5000 –
72.	रामचन्द्र पुत्र कान राम	5000/–
73.	पूरण पुत्र राम नारायण	5000/–
74.	श्रीमती शादी कान्ता पत्नि सुरेन्द्र कुमार रामपुरिया	5000/–
75.	गुड्डी पुत्री घासी राम मीना	2500/–
76.	श्रीमती माया पत्नी गुलाब सिंह	5000/–
77.	कु. बच्छी पुत्री गुलाब सिंह	2500/–
78.	श्री सीताराम पुत्र सुवा लाल अचरावाला	5000/–
79.	राम करण पुत्र जगदीश गोकुलपुरा तहसील सांगानेर	5000/–
	: तहसील–चाकसू :	
80.	नन्द किशोर पुत्र कल्याण ग्राम चाकसू	2500/–
81.	श्री राम फूल पुत्र कल्याण	5000/–
82.	श्योराम पुत्र कल्याण	2500/–
83.	श्रीमती गेखा पत्नि गोमा ग्राम तामरिया	5000/–
84.	श्रीमती सांझा पत्नि विजय लाल	5000/–
85.	श्रीमती फैली पत्नि कल्याण नि. बद्री नारायणपुरा	5000/–
86.	श्री कल्याण पुत्र उदाराम	5000/–
87.	श्री कन्हैया लाल पुत्र कल्याण	5000/–
88.	ओम पुत्र हजारी बैरवा ढाणी महाराजपुरा	2500/–
89.	कु. पारा पुत्री हजारी	2500/–
90.	नारायणी पत्नी श्रवण बैरवा	5000/–
91.	श्री श्रवण पुत्र मांगु	5000/–
92.	श्री भौरी लालपुत्र राम चन्द्रबद्री नाथपुरा	5000/–
93.	मु. धापू पत्नि कैसार ढाणी महाराजपुरा	5000/–
94.	श्री गोपालसिंह पुत्र भूर सिंह रामनिवास तन राधापुरा	5000/–
95.	मु. शान्ति कंवर पत्नि भोपाल सिंह	5000/–
96.	सोमकंवर पत्नि रतन सिंह	5000/–
97.	श्री भैरोंसिंह पुत्र भूर सिंह	5000/–
98.	श्रीमती गेखा पत्नि मूलचन्द ढाणी महाराजपुरा	5000/–
99.	सोनी पत्नि घासी राम	5000/–

1	2	3
100.	श्रीमती सारु पत्नि रोडू	5000/–
101.	श्री छोटू पुत्र गणेश	5000/–
102.	मु. तीजा पत्नी धन्ना बैरवा ढाणी महाराजपुरा	5000/–
103.	श्री हीरालाल पुत्र धन्ना बैरवा	5000/–
104.	श्रीमती गुलाब बेवा नारायण	5000/–
105.	श्री नारायण उर्फ छबड़ा पुत्र धन्ना	5000/–
106.	श्री जमनालाल पुत्र किशन जाट ढाणी रामकंवार जाट	5000/–
107.	श्री भौरी लाल पुत्र कल्याण ढाणी महरामपुरा	5000/–
108.	श्री गोविंदराम पुत्र राम देव	5000/–
109.	श्री नाथू राम पुत्र रामदेव	5000/–
110.	श्री छीतर उर्फ बबू पुत्र शंकर बैरवा ढाणी भोपालसिंह रामनिवास	5000/–
111.	श्री शंकर पुत्रमोहन	5000/–
112.	मु. छोटी पत्नी शंकर	5000/–
113	मु. नाथी पत्नी नानगा ढाणी महाराजपुरा	5000/–
114.	गंगा सहाय पुत्र जगन्नाथ ब्राह. गणेशपुरा	5000/–
115.	श्योनारायण पुत्र गंगाराम महाराजपुरा वालों की ढाणी	2500/–
116.	मु. सुन्दरी पुत्री धन्ना "	2500/–
117.	पप्पू पुत्र नारायण बैरवा "	2500/–
118.	राम किशोर पुत्र नारायण बैरवा "	2500/–
119.	बदाम पुत्री नारायण बैरवा "	2500/–
120.	रामफूल पुत्र धन्ना बैरवा "	2500/–
121.	मांगी लाल पुत्र धन्ना बैरवा "	2500/–
122.	मूलचंद्र पुत्र छोजू बैरवा "	2500/–
123.	जगदीश सिंह पुत्र छोटू "	2500/–
124.	भंवरसिंह पुत्र रतन सिंह, राम निवास तन राघवपुरा.	2500/–
125.	भंवर कंवर पुत्र रतन सिंह, ढाणी भोपालसिंह रामनिवास	2500/–
126.	बहादुर सिंह पुत्र भैरू सिंह "	2500/–
127.	मु. रिसाल कंवर पुत्री भोपाल सिंह "	2500/–
128.	गुड्डी पुत्री भोपालसिंह "	2500/–

1	2	3
129.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह रामनिवास	2500/–
130.	राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह ,,	2500/–
131.	पप्पू पुत्र केसरा बैरवा ढाणी महाराजपुरा	2500/–
132.	राम सहाय पुत्र केसारा ,,	2500/–
133.	मंगल्या पुत्र केसरा बैरवा ,,	2500/–
134.	जमना पत्नी मूलचंद कीर, गणेशपुरा	5000/–
135.	मु. सुरखा पुत्री केसरा कीर ,,	2500/–
136.	दाखां पत्नी मंगला कीर	5000/–
137.	लछमन पुत्र गणेश बैरवा, वाद महावतान	5000/–
138.	गणेश पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण ,,	5000/–
139.	बजरंग पुत्र गणेश ब्राह्मण ,,	2500/–
140.	मीठू पुत्र गणेश ब्राह.	2500/–
141.	सुमिया पुत्री गणेश ब्राह्मण	2500/–
142.	रामकंवार पुत्र भैरू जाट ढाणी रामकंवारजाट तन रामनिवास	5000/–
143.	राम दया पुत्र राम कंवार ,,	5000/–
144.	किशन पुत्र रामचन्द्र मीणा राम निवास ग्राम	5000/–
145.	नारायण पुत्र केसरा ग्राम गणेशपुरा	2500/–
146.	अशोक पुत्र केसरा कीर ,,	5000/–
147.	तेजकुमार पुत्र किस्तुर चंद ढाणी किस्तूरचन्द जैन रामनिवास	5000/–
148.	मं. विमला पत्नी कैलाश जैन ,,	5000/–
149.	कैलाश चन्द्र पुत्र किस्तुर चन्द्र ,,	5000/–
150.	पप्पू पुत्र कैलाश जैन	5000/–
151.	चन्दकांत पुत्र किस्तुर चन्द	5000/–
152.	मं. लाडा पुत्री पून्या बैरवा ढाणी महाराजपुरा	2500/–
153.	कजोड़ पुत्र राम सहाय रावा, ग्राम ठीकेकरिया गुजरान	2500/–
154.	केसार पुत्र भूरा नाई ग्राम मालपुरिया	5000/–
155.	पप्पू पुत्र लल्लू राम नाई	2500/–
156.	श्रीमती धापू पत्नी सुवा नाई ग्राम छोटा महापुरिया	5000/–
157.	श्रीमती छाजी पत्नी छोटू बैरवा ग्राम बेजड़ी खुर्द	5000/–
158.	श्री छोटू पुत्र भूरा बैरवा ,,	5000/–

Page No 449

(449)

1	2	4
159.	श्रीमती ग्यारसी पत्नी अमरा ग्राम खेजड़ी खुर्द	5000/-
160.	श्री लाल पुत्र काना मीणा ग्राम धर्मपुरी	5000/-
161.	मांगू पुत्र नानगा बैरवा, ग्राम ढाणी भोपालसिंह	कोई आश्रित
162.	मं. पांची पत्नी मांगू ग्राम रामनिवास तन राघवपुरा	नहीं है।
163.	सुमाना पुत्री मांग ”	”
164.	मु. बमजी पत्नी नानगा बैरवा ”	”
165.	मं. लक्ष्मा पुत्री नानगा ”	”
166.	रामदेव पुत्र पूनिया ग्राम ढाणी महाराजपुरा	5000/-
167.	मोहना श्री राम देवी ”	5000/-
168.	पूनीराम पुत्र मूल्या बैरवा ”	5000/-
169.	मं. बिरदी पत्नी मूल्या ”	2500/-
170.	भौरी लाल पुत्र मूल्या ”	2500/-
171.	मं. शांती पुत्री मूल्या ”	2500/-
172.	पप्पू उर्फ जगदीश पुत्र मूल्या	2500/-
173.	कन्हैया पुत्र भैरू ”	5000/-
174.	मं. सुशीला पत्नी कन्हैया लाल ”	5000/-
175.	मं. मंगली पुत्री कन्हैया लाल ”	2500/-
176.	छाजू पुत्र कन्हैया ”	2500/-
177.	रामेश्वर पुत्र कन्हैया लाल ”	2500/-
178.	झूंथी पत्नी भूरा मीणा ग्राम रलावता	कोई आश्रित
179.	भूरा पुत्र मंगला मीणा ”	नहीं
180.	नाथू पुत्र भूरा मीणा ”	”
181.	मं. मन्नी पत्नी किशना ग्राम खेजड़ी खुर्द	”
182.	धापा पत्नी मूलचन्द्र बागड़ा ग्राम विलायता	5000/-
183.	प्रभू पुत्र धोकला ऊर्फ बाबूलाल हरिजन भुगतान श्रीमती शांति	5000/-
184.	भगवान सहाय ग्राम सिकदरा तह. सिकराय	5000/-
185.	श्री जयसिंह पुत्र भैरुदान बारेठ ग्राम भण्डारी तह-फुलेरा	5000/-
186.	श्रीमती प्रकाश पत्नी सत्यदेव सिंह बारेठ तह. फुलेरा	5000/-
187.	बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय मीना पालकी खुर्द तह-जमवा रामगढ़	2500/-
188.	सुश्री लाली पुत्री भगवान सहाय मीना पालड़ी खुर्द ”	2500/-

1	2	3
189.	रामफुल पुत्र कल्याण गडरिया भानुपुरकला	2500/–
190.	सुश्री रामराज पुत्री उमराव खां नायला	2500/–

मोट :—32 व्यक्तियों (मृतकों) की पहचान नहीं हो सकी। अतः उनके नाम सकल पता देना संभव नहीं है। उनको शामिल करते हुए इस जिले में मृतकों की संख्या 222 है।

सूची फागी के निकट बांडी नदी में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के निकट सम्बन्धी को आर्थिक सहायता वितरण करने बाबत् जो जयपुर के अलावा अन्य जिलों के थे।

नाम	जिला	मृतक का नाम मय पिता के पद निवास स्थान	
1.	टोंक	1. श्री ओम प्रकाश पुत्र छीतरमल खटीक 22 साल निवासी मालपुरा	5000/–
	,,	2. श्री नानगराम पुत्र मांगी लाल रेगर 27 साल निवासी देवली थाना मालपुरा	5000/–
	,,	3. श्री रामू पुत्र नानगराम रेगर नि. मालपुरा उम्र अंकित नहीं है।	
	,,	4. श्री घासी पुत्र माधो गूजर 30 साल मालपुरा	5000/–
		5. श्री बालमुकुन्द पुत्र केलाराम बाबाजी 55 साल निवासी मालपुरा	5000/–
	,,	6. श्री किशन पुत्र माग्या बैरवा 12 साल निवास हिगोनिया थाना निवाई	2500/–
	,,	7 श्रीमती नानगी पत्नी कल्याण बैरवा 35 साल निवासी हिगोनिया थाना निवाई	5000/–
	,,	8. श्री प्रहलाद पुत्र मंगाराम बेरवा 15 साल सा. हिगोनिया थाना निवाई	2500 –
	,,	9. श्रीमती गोदी पत्नी कल्लू, 60 साल निवासी	5000/–

1	2	3	4
	टोंक	10. श्री कालू पुत्र नामालूम मीणा 55 साल निवासी	5000/-
	,,	11. श्री रामफुल पुत्र बजरंग लाल उम्र 32 साल निवासी	5000/-
2.	भीलवाड़ा	1. श्री मोहनलाल पुत्र गोकुल दास महाजन 55 साल ग्राम दूहिया दांतका थाना आंसिद	5000/-
3.	कोटा	1. श्री गोवरधन लाल पुत्र रामकरण उम्र 35 साल निवासी नयापुरा कोटा (पांच हजार)	5000/-
	,,	2. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी गोरधनलाल बा: 30 साल नि. नयापुरा कोटा	5000/-
	,,	3. श्रीमती निर्मल कुमारी पत्नी धन्ना लाल	5000/-
	,,	4. कुमारी सरिता पुत्री धन्ना लाल	2500/-
	,,	5. श्रीमती रामकन्या पत्नी नाम लाल बां. उम्र 50 साल नि. नयापुरा कोटा	5000/-
4.	सीकर	1. श्री महेश पुत्र लालचन्द सुनार 31 साल निवासी श्री माधोपुर	5000/-
	,,	2. श्री आवरदान पुत्र रामचन्द्र दान उम्र 30 साल निवास मोजा चेलारखी	5000/-
5.	अजमेर	1. श्रीमती फूलकंवर पत्नी रघुवीरसिंह बारेठ उम्र 19 साल ग्राम मोजा खेड़ी नक्सर थाना केकड़ी	5000/-

नोट :—उक्त व्यक्तियों को भुगतान किया जा चुका है ।

टोंक जिले में वर्ष 1981 में आई बाढ़ में लापता व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम	नाम ग्राम	राशि जो भुगतान की गई	भुगतान की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती घीसी पत्नि देवा गुजर	हिंगोनिया	5000/–	20-8-81
2.	श्रीमती मुली श्रवण गुजर	,,	5000/–	,,
3.	मोहरी बेवा दुर्गालाल	,,	5000/–	,,
4.	नरबदा पुत्री दुर्गालाल गुजर	,,	5000/–	,,
5.	सुरजन पुत्र मूलचन्द गुजर	,,	2500/–	,,
6.	प्रेम पुत्री मूलचन्द गुजर	,,	2500/–	,,
7.	सोनी पुत्री मूलचन्द गुजर	,,	2500/–	,,
8.	हरिनारायण पुत्र लादू गुजर	,,	2500/–	,,
9.	भंवरलाल पुत्र गणेशलाल	,,	2500/–	,,
10.	लादू पुत्र गणेश नाई	,,	2500/–	,,
11.	छाजी पुत्री लादू नाई	,,	2500–/	,,
12.	पांची पत्नि रामनारायण गुजर	,,	5000–/	,,
13.	ममता पुत्री रामनारायण गुजर	,,	2500–/	,,
14.	प्रहलाद पुत्र हरी गुजर	,,	2500/–	,,
15.	पप्पु पुत्र हरि गुजर	,,	2500/–	,,
16.	भंवरलाल पुत्र रामदेवा गूजर	,,	5000/–	,,
17.	प्रभु पुत्र गोपाल	,,	2500/–	24-8-81
18.	बजरंगा पुत्र लादु गुजर	,,	5000/–	22-8-81
19.	छोटी पत्नि बजरंगा	,,	5000/–	,,
20.	रामफुल पुत्र बजरंगा गुजर	,,	5000/–	24-8-81
21.	रामपति पत्नि रामफल गुजर	,,	5000/–	24-8-81
22.	अमरी बेवा भगवाना गुजर	,,	5000/–	20-8-81
23.	प्रभु पत्नि जगदीश मीना	,,	2500/–	23-8-81
24.	सुरजन पत्नि रामकिशन मीना	,,	5000/–	20-8-81
25.	गोपाल पुत्र रामकिशन मीना	,,	2500/–	,,
26.	राधा पुत्री रामकिशन	,,	2500/–	,,
27.	राजेन्द्र पुत्र रामकिशन	,,	2500/–	,,

Page No 453

1	2	3	4	5
28.	गेठनी पत्नि गंगाराम बैरवा	हिंगोनिया	5000/-	20-8-81
29.	काली पुत्री गंगाराम	,,	2500/-	,,
30.	मोतिया पुत्री गंगाराम	,,	2500/-	,,
31.	काना पुत्र गंगाराम	,,	2500/-	,,
32.	किशोर पुत्र गंगाराम	,,	2500/-	,,
33.	लल्लू पुत्र महादेव	,,	5000/-	24-8-81
34.	घीसी पत्नि कल्याण गुजर	,,	5000/-	24-8-81
35.	रामचन्द्र पुत्र सूजा	,,	5000/-	20-8-81
36.	ग्यारसी पत्नि मोजीराम	,,	5000/-	,,
37.	तीजा पत्नि मोजीराम	,,	5000/-	,,
38.	कजोड़ पुत्र मोजीराम	,,	2500/-	,,
39.	प्रेम पुत्री रामचन्द्रा	,,	2500/-	,,
40.	कल्याण पुत्र जुवाना बैरवा	,,	5000/-	,,
41.	कैलाश पुत्र कल्याण	,,	2500/-	,,
42.	चिरन्जी पुत्र कल्याण	,,	2500/-	,,
43.	गोपी पुत्र जुवारा बैरवा	,,	5000/-	,,
44.	हजारी पुत्र गोपी बैरवा	,,	2500/-	,,
45.	बिरधी उर्फ गोकसी पत्नि गंगाराम बैरवा	,,	5000/-	,,
46.	भूरी पत्नि गोपी बैरवा	,,	5000/-	,,
47.	मांग्या पुत्र रामदेवा बैरवा	,,	5000/-	22-8-81
48.	बरधी पुत्र मांग्या	,,	5000/-	,,
49.	रमेश पुत्र मांग्या	,,	2500/-	,,
50.	दयाला पुत्र मांग्या	,,	2500/-	,,
51.	दाठी पुत्री मांग्या बैरवा	,,	2500/-	,,
52.	लादू पुत्र नारायण बैरवा	,,	5000/-	20-8-81
53.	आनन्दी पत्नि लादू बैरवा	,,	5000/-	,,
54.	रुघनाथ पुत्र लादू बैरवा	,,	2500/-	,,

1	2	3	4	5
55.	रणजीता पुत्र लादू भैरवा	हिगोनिया	2500/–	20-8-81
56.	किशन पुत्र मांग्या	,,	2500/–	22-8-81
57.	रामदयाल पुत्र बिरधा	,,	5000/–	24-8-81
58.	शंकर पुत्र रामसहाय	,,	2500/–	,,
59.	केला पत्नि रामसहाय	,,	5000/–	,,
60.	राजु पुत्र रामसहाय	,,	2500/–	,,
61.	लालू पुत्र रामसहाय	,,	2500/–	,,
62.	कल्लू पुत्र लाला मीणा	,,	5000/–	18-8-81
63.	भक्ती पुत्र मूल्या मीणा	नागल ईसर दतवास	5000/–	29-7-81
64.	श्रीमती फुला पत्नि भंवरलाल कोर	रूपवाल अलीगढ़	5000/–	26-7-81
65.	श्रीमती रामबाई पत्नि रामलाल कोर	,,	5000/–	,,
66.	माया पुत्र रामलाल	,,	2500/–	,,
67.	उनियारा में डरानाक्त	,,	—	—
68.	श्री गुलामअली पुत्र अब्बास अली	अलीगढ़	5000/–	26-7-81

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 855 की सूची

क्रम संख्या	थानेदार का नाम	कहां से	कहां	स्थानान्तरण की दिनांक	स्थानान्तरण का कारण
1.	श्री सुरेन्द्र व्यास उप निरीक्षक	कोतवाली बून्दी	पु. थाना लाखेरी	5–1–84	प्रशासकीय आधार
2.	श्री मदन लाल	कोतवाली बून्दी सैकण्ड आफीसर	पु. थाना गंडोली	23–12–83	,,
3.	श्री बलवन्त सिंह	पु. थाना सदर	पु. थाना केशोराय पाटन	5–1–84	,,
4.	श्री खुमान सिंह	पु. थाना जे. एस. डेम	उदयपुर रेन्ज	23–7–83	,,
5.	श्री जनार्दन सिंह	पु. थाना केशोराय पाटन	पुलिस लाइन बून्दी	17–7–83.	,,
6.	श्री विजय सिंह	पु. थानाकापरेन	उदयपुर रेन्ज	23–7–83	,,
7.	श्री भंवरी लाल	पु. थाना लाखेरी	जिला कोटा	20–12–83	,,
8.	श्री जंग बहादुर	पु. थाना इन्दरगढ़	पु. थाना सदर	9–1–84	,,
9.	श्री मदन पाल सिंह	पु. थाना नैनवा	पु. थाना देई	8–9–83	,,
10.	श्री अश्विनी कुमार	पु. थाना देई	पु. थाना हिण्डोली	8–8–83	,,

1	2	3	4	5	6
11.	श्री रामनारायण	पु थाना हिण्डोली	उदयपुर रेन्ज	23–7–83	प्रशासनीय आधार
12.	श्री घनश्याम लाल	पु. लाइन बून्दी	पु. थाना बासोली	23–9–83	"
13.	श्री भूरा लाल	पु. लाइन बून्दी	पु. थाना जे. एस. डेम	17–1–84	"
14.	श्री शुभकरण	पु. लाइन बून्दी	पु. थाना कापरेन	29–8–83	"
15.	श्री हेम सिंह	पु. लाइन बून्दी	पु. थाना केशोराय पाटन	29–8–83	"
16.	श्री मोहन लाल मीणा	पु. लाइन बून्दी	पु. थाना देई	29–8–83	"
17.	श्री जगदीश चन्द्र	पु. लाइन बून्दी	क्राइम शाखा	1–2–84	"

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 856 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०,

जयपुर।

पंचनामों की वर्ष वार सूची

क्र. सं.	वर्ष	नाम कर्मचारी जिसका पंचनामा किया गया	पंचनामें में कमी पाई गई राशि	अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम जो पंचनामें के समय उपस्थित थे
1	2	3	4	5
1.	79–80	श्री हरि नारायण अग्रवाल	1247·14	1. श्री रामबल्लभ शर्मा, प्रभारी अधि. 2. श्री एन. एस. सोनी, इन्सपेक्टर 3. श्री नन्दलाल, सहायक मैनेजर 4. श्री गुलाब चंद, सहा. मैनेजर (परचेज) 5. श्री वी. बी. कासलीवाल (गो. की) 6. श्री बलवीर सिंह 7. श्री नवल किशोर व्यास 8. श्री उमेश पारीक 9. श्री एन. एन. नायर 10. श्री के. के. दुबे, सहायक मैनेजर 11. श्री नवल किशोर विक्रेता 12. श्री अमर चन्द 13. श्री राम कल्याण शर्मा

(468)

1	2	3	4	5
2.	80–81	श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी	39809·39	1. श्री हनुमान सहाय पारीक, सहायक व्यवस्थापक 2. श्री लक्ष्मण लक्ष्मी चन्दानी निरीक्षक आडिट 3. श्री सनत कुमार गोतम, निरीक्षक आडिट 4. श्री गुलाब चंद जैन, निरीक्षक कार्यकारी 5. श्री अरि सूदन कछवाह, गो. की. 6. श्री श्रवण लाल, हैडकांस्टेबल, थाना अशोक नगर
3.	81–82	श्री मदन लाल शर्मा	4048·99	1. श्री राम बल्लभ शर्मा, प्रभारी अधिकारी 2. श्री गुलाब चन्द माथुर, सहायक मैनेजर (परचेज) 3. श्री भोपाल सिंह नरूका, लिपिक 4. श्री बी. बी. कासलीवाल, गो. की. 5. श्री गोपाल झावरिया 6. श्री सुरेश ओझा विक्रेता
4.	81–82	श्री तज्जमल खां	6435·39	1. श्री राम बल्लभ शर्मा प्रभारी अधिकारी 2. श्री अजयवीर सिंह चौहान प्रभारी अधिकारी आयुर्वेद 3. श्री शिव स्वरूप प्रधान इन्सपेक्टर 4. श्री राम दत्त व्यास, इन्सपेक्टर

1	2	3	4	5
				5. श्री गुलाब चंद माथुर, सहा. मैने. परचेज 6. श्री बी. बी. कासलीवाल, गोदाम कीपर 7. श्री उमेश पारीक, सहायक 8. श्री कुन्जू कोकरा, लिपिक 9. श्री राज कुमार वर्मा, विक्रेता 10. श्री सुधीर 11. श्री फतेह सिंह
5.	81–82	श्री श्याम लाल शर्मा	आडिट के पश्चात कमी ज्ञात होगी आडिट चल रहा है।	1. श्री बजरंग लाल जैन, मैनेजर लेखा 2. श्रीमती शशि कला शर्मा, व्यव. प्रबन्धक 3. श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सह. लेखाधिकारी 4. श्री जगदीश नारायण ताड़ी 5. श्री सीता राम शर्मा, सह. लेखाधिकारी 6. श्री सुरेश चन्द शर्मा, गोदाम कीपर
6.	82–83	श्री श्याम लाल शर्मा	3012·41	1. श्री एन. के. बोहरा, मैनेजर उपहार 2. श्री एस. आर. शर्मा, लेखापाल उपहार 3. श्री योगेश मोदी, विक्रेता 4. श्री दयानन्द अग्रवाल विक्रेता

Page No 460

(460)

1	2	3	4	5
				5. श्री लक्ष्मण लक्ष्मी चंदानी, समवृत्ति अंकेक्षक 6. श्री सुरेश सिंघवी 7. श्री राकेश वाजपेयी, सहायक व्यवस्थापक 8. श्री ओम प्रकाश जैन, ड्राइवर 9. श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा, सहा. व्यव. 10. श्री महन्त राम प्रसाद 11. श्री डाक्टर मंगलचंद श्रीमाल
7.	83–84	श्री सुरेश चंद शर्मा गोदाम कीपर, चर्मिका	आडिट हो रहा है। आडिट पश्चात कमी की जानकारी होगी।	1. श्री एन. के बोहरा, मैनेजर उपहार 2. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, व्यव. प्रबन्धक 3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सहायक व्यवस्थापक 4. श्री राजिव सेठ, कनिष्ट लिपिक 5. कुमारी मनीषा भार्गव, विक्रेता
8.	83–84	श्री टी. एन. पाण्डेय	आडिट होने के पश्चात कमी की सही स्थिति मालूम होगी।	1. श्री राम चरण शर्मा, सीमेंट मैनेजर 2. श्री महीपाल सिंह, सहायक व्यवस्थापक अनि. कपड़ा 3. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सहा. व्यवस्थापक
9.	83–84	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	,, ,,	1. श्री गिरधारी सिंह, उप-महा-प्रबन्धक

1	2	3	4	5
				2. श्री बजरंग लाल जैन, मैनेजर लेखा
				3. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, व्यवसाय प्रवन्धक
				4. श्री हरी राम चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी
				5. श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सहा. व्यवस्थापक
				6. श्री रामजस आर्य
10.	83–84	भोपालसिंह नरूका	30,813.27	1. श्री उप-महाप्रबन्धक
				2. श्री बजरंग लाल जैन, मैनेजर मेडिकल
				3. श्री रामदत्त व्यास, इन्सपेक्टर
				4. श्री प्रकाश चन्द भाटिया
				5. श्री वी. बी. कासलीवाल, गो. की.
				6. श्री एम. बी. माथुर, इन्सपेक्टर ट्रेनिंग सेन्टर
				7. श्री मुकेश सक्सेना, विक्रेता
				8. श्री सुधीर कुमार जैन, सहायक
11.	83–84	श्री कुन्जू कोकरा	निल	1. श्री सीता राम शर्मा, उपहार
				2. श्री विष्णु दत्त शर्मा
				3. श्री घनश्याम माहेश्वरी
				4. श्री रामेश्वर कुमावत

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 857 की सूची

राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को "हाफ ए मिलियन जाब" योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973 से 1975 तक मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत किये गये उद्यमियों की जिलेवार सूची :—

क्र. सं.	जिले का नाम	औद्योगिक इकाइयों के नाम	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4
1.	अजमेर	1. औसवाल मेटल वर्क्स,	8800/-
		2. रोजी प्रोडक्टस	6565/-
		3. राजेन्द्र इण्डस्ट्रीज	6000/-
		4. एटलस कापी उद्योग	10300/-
		5. कृष्णा केमीकल इण्ड० कारपोरेशन	10500/-
2.	अलवर	1. शर्मा इण्डस्ट्रीज	4129/-
		2. लक्ष्मी स्टील री-रोलिंग मिल	127200/-
		3. आलविन एंजीनियरिंग वर्क्स	11700/-
		4. राजस्थान रासायनिक उद्योग	24000/-
		5. राजस्थान केमीकल लेबरेट्रीज	19800/-
		6. सुरेश सीमेंट पाइप	34000/-
		7. राजस्थान केमीकल लेबरेट्रीज	14550/-
		8. टेकनोमेक इण्डस्ट्रीज	13000/-
		9. मोलेबिल कास्टिंग इण्डस्ट्रीज	14000/-
		10. ओपिक इण्डस्ट्रीज	23250/-
		11. सिंघल आइरन फाउण्ड्री	38300/-
		12. स्वास्तिक मेटल कास्टिंग	28400/-
		13. नोदर्न इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०	16600/-
3.	भरतपुर	1. कान्ती प्लास्टिक इण्ड० डीग	4000/-
		2. फूलचन्द श्रवण लाल, कुम्हेर	6000/-
		3. नेशनल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	51500/-
		4. माहेश्वरी आइल इण्डस्ट्रीज	5000/-
		5. सन्तोष फाउण्ड्री एण्ड इन्डस्ट्रीज	21725/-
		6. भारत केमीकल इण्ड० धोलपुर	6000/-

Page No 463

(463)

1	2	3	4
4.	भीलवाड़ा	1. इन्द्र टायर वर्क्स	16200/-
		2. मयूर आइरन एण्ड स्टील इण्ड०	23940/-
		3. नरेन्द्र आइल मिल, भीलवाड़ा	42000/-
		4. श्याम प्लास्टिक इण्ड० भीलवाड़ा	41300/-
		5. खण्डेलवाल आइरन भीलवाड़ा	10000/-
5.	बीकानेर	1. फ्रेन्डस वूलन इण्ड० बीकानेर	24400/-
6.	डूंगरपुर	1. ऊषा डेरी एन्टर प्राइजेज	4000/-
7.	जोधपुर	1. रो प्रोग्राफिक सेन्टर, नई सड़क सोजतगेट	3050/-
		2. धनपति स्टील मिल्स, 947-सरदारपुरा 10-डी, रोड, जोधपुर।	18735/-
		3. सोवय उद्योग वासनी इण्ड ऐरिया	121200/-
		4. जोधपुर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, इण्ड० ऐरिया, बिहाइण्ड पावरहाऊस, जोधपुर।	76500/-
		5. मयूर इण्डस्ट्रीज, 45 एण्ड 46, इण्ड० एरिया, बिहाईन्ड पावरहाऊस, जोधपुर	13750/-
		6. भारत एक्रेलिक सीट्स प्रताप नगर,	98000/-
		7. ग्राइन्डिग एण्ड क्रेसिंग मिनरल्स इण्ड	21200/-
		8. श्रीजी इण्डस्ट्रीज, वासनी औ० क्षे० पावर हाऊस के पीछे, जोधपुर	17000/-
8.	कोटा	1. मुल्टी टूल्स इन्वेस्टमेंन्ट, कोटा प्रो० श्री अशोककुमार	48000/-
		2. ज्योति इन्टरप्राइजेज, इन्द्रप्रस्थ इण्ड एरिया, कोटा	79700/-
		3. इन्डो प्लास्ट इण्ड० इन्द्रप्रस्थ इण्ड० एरिया, कोटा	27483/-
		4. पेक प्लास्ट इण्ड० इन्द्रप्रस्थ औ० क्षे० कोटा	87000/-
		5. प्लोस्टो केम इण्डस्ट्रीज इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा	45200/-
		6. मिल्की वे इण्ड० इन्द्रप्रस्थ औ० क्षे० कोटा	48470/-
		7. गंगवाल प्लास्टिक इण्ड० बारां	157000/-

Page No 464

(४६४)

1	2	3	4
9.	नागौर	1. सम्राट मार्बल इण्ड० प्रो० हुकमीचन्द्र भंवर, मकराना	18000/-
		2. महाराजा मार्बल इण्ड० प्रो० ओमप्रकाश शर्मा, मकराना।	17800/-
		3. रोशन मार्बल इण्ड० प्रो० रोशनमल, मकराना	23600/-
10.	पाली	1. भैरवा टेक्सटाइल इण्ड० औ० क्षे० पाली	20000/-
		2. प्रकाश टैक्सटाइल	17700/-
11.	सिरोही	1. महावीर पलास्टिक इण्ड० बाबूरोड,	53400/-
		2. अग्रवाल आयल एण्ड दाल मिल, आकरा भट्टा, आबूरोड	96300/-
12.	जयपुर	1. यूनिकोज विश्वकर्मा औ० क्षेत्र० जयपुर	58800/-
		2. अल्का इंजीनियरिंग..."...	74260/-
		3. सेल्को इण्ड० राजापार्क, जयपुर	36700/-
		4. इलेक्ट्रोनिक इण्डिया आदर्श नगर, जयपुर	19000/-
		5. शोभा इंजी, इण्ड० विश्वकर्मा औ० क्षे० जयपुर	32000/-
		6. प्रेम प्लास्टिक प्रा० लि..."...	12700/-
		7. चन्द्र ज्योति प्रेस, जयपुर।	17000/-
		8. राज इलेक्ट्रोनिक, इण्ड० औ० क्षेत्र, जयपुर	37850/-
		9. खन्ना बिल्डर्स वि० औ० क्षेत्र, जयपुर	41490/-
		10. जय हिन्द इंजी. एन्टरप्राइज, वि. क. जयपुर।	84000/-
		11. बैराठी एन्टरप्राइजेज, सू० औ० क्षेत्र, जयपुर	23800/-
		12. गोल्छा इण्डस्ट्रीज, जयपुर	65100/-
		13. नारंग फास्टनर्स, सुदर्शनपुरा, औ० क्षेत्र, जयपुर	12200/-
		14. मीरा उद्योग, ..."... ..."...	24900/-
		15. इलेक्ट्रो फोटो कापीयर्स,	33000/-
		16. स्टील इण्डिया, औ० क्षेत्र, जयपुर	21800/-
		17. जयपुर मिनरल्स एण्ड केमीकल्स, जयपुर.	48800/-(48800)

Page No 465

465

1	2	3
	18. शेख जेम. जयपुर	650/–
	19. फरकन इंजीनिरिंग कारपोरेशन,	35370/–
	20. स्टार पल्प एण्ड पेपर प्रोडक्टस	37250/–
	21. डिम्पल फूड प्रोडक्टस	13800/–
	22. कृष्णा इण्डस्ट्रीज,	18850/–
	23. जय प्लास्टिक प्रोडक्टस	12600/–
	24. अरूण इंजीनियरिंग इण्ड०	21000/–
	25. राज० लूम वि. क. औ० क्षेत्र, जयपुर	63740/–
	26. मै० दिनेश इण्ड०	20500/–
	27. रीको इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज, जयपुर	12200/–
	28. जयपुर जिप्सम उद्योग, जयपुर।	6250/–
	29. गोविन्द मिल्क डेयरी, झोटवाड़ा	5900/–
	30. प्रेम इण्डस्ट्रीज,	34300/–
	31. फ्लेक्स स्टेट ट्यूबल्स, वि० औ० जयपुर	46000/–
	32. सोंलकी आर्ट प्रिन्टर्स, डिग्गी हाऊस, जयपुर	21700/–
	33. एस० वी० उद्योग जयपुर	20900/–
	34. प्लास्टिक एण्ड प्रोडक्टस, जयपुर	46200/–
	35. जयपुर इंजी. एण्ड एलाइड इंटरप्राइज वि. क.	55600/–
	36. स्वास्तिक वेट्रीज, वि० औ० जयपुर	70600/–
	37. एस० के० एन्टरप्राइजेज, वि० औ० जयपुर	12200/–
	38. यूनीवर्स आटो गेयर्स, झोटवाड़ा	11730/–
	39. ए० ए० कास्टिकर्स झोटवाड़ा	14410/–
	40. विष्णु इंजी० वर्क्स, वि० औ० क्षेत्र, जयपुर	45000/–
	41. चौधरी एन्टरप्राइजेज, वि० औ० जयपुर	19800/–
	42. मेसाटेक, वि० क० औ क्षेत्र, जयपुर	28850/–
	43. जयपुर फैब्रीकेशन, ..."...	12900/–
	44. शारदा एन्टरप्राइजेज ...."—	53970/–
	45. गणेश उद्योग ...."....	55900/–

1	2	3
	46. जैन जरी प्रोडक्टस इण्डिया	68500/–
	47. नवनीत केमीकल्स वि० क० औ० क्षेत्र, जयपुर	37800/–
	48. सुभाष उद्योग, झोटवाड़ा	30800/–
	49. यूनीडोर केबिल्स वि० क० ...."....	50600/–
	50. हिन्द एस्बेस्टोज सीमेंट पाइप	22000/–
	51. मोर्डन वायर निटिंग फेन्यू	75000/–
	52. सिंगल स्टील सुदर्शनपुरा	26800/–
	53. निसेट इले० प्रा० लि०	37600/–
	54. केशर इण्डस्ट्रीज वि० औ० क्षेत्र, जयपुर	95000/–
	55. विश्व भारती एन्टरप्राइजेज, जयपुर	21670/–
	56. स्टेट प्रोडक्टस, जयपुर	39700/–
	57. कृष्णा प्लास्टिक एण्ड एलाइड कारपोरेशन, जयपुर	39085/–

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 860 का आदेश

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No. F. 11(67) R&P/80-81/29807 Jaipur, dated the 28th May, 1980.

ORDER

SUB : Scheme for monetary relief to victims of atrocities on members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to caste consideration.

The proposal of introduction of scheme for monetary relief to victims of atrocities on members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to Caste consideration was under consideration of Government for some time past. Now after careful consideration the Governor is hereby pleased to accord sanction to the implementation of the scheme for monetary relief to the members of families of Scheduled Castes or Scheduled Tribes becoming victims of "atrocities" committed by members of other communities, due to caste consideration, for the loss sustained by them, with immediate effect.

For the purpose of sanction of relief the following offences are categorised as "atrocities" :—

(a) Murder;

(b) Violence resulting in any grievous hurt; (Section 325 Indian Penal code)

(c) Rape; and

(d) Serious mischief or arson.

The following scale of relief should be sanctioned to the victims of atrocities :

(1) Murder	Rs. 2000/-
(2) Permanent damage to house	Rs. 1000/-per family
(3) Partial damage to house (depending upon the discretion of the Collector)	Rs. 500/-per family

(4) Permanent incapacitation up to — Rs. 1000/-

(5) Temporary incapacitation upto (depending upon the discretion of the Collector) — Rs. 500/-

(6) Arson cases and damage to agriculture property/moveable property up to (depending upon the discretion of the Collector) — Rs. 1000/-per family

(7) Rape victims. — Rs. 2000/-

Suitable funds will be placed with the Collectors of the various districts who will distribute these funds immediately after identifying the victims. In the case of murder relief could be given to the nearest kith & kin, say wife/son of the deceased. Collector may exercise suitable discretion in the matter, The Social Welfare Officer of the district will be available to the Collector to assisst him in the matter. Due receipt be obtained from the person to whom relief is given.

This relief will be indepedent of any other relief admissible from the office of C. M.

Sd/.
(Tara Prakash Joshi)
Deputy Secretary to Govt.

परिशिष्ट 13

अ. ता. प्रश्न संख्या 862 की सूचना

सूची पुलिस थाने जिला अजमेर

क्र. सं. 1	नाम थाना 2	थाना राजकीय भवन में है या प्राइवेट 3
1.	पुलिस थाना कोतवाली	सरकारी
2.	थाना गंज	,,
3.	थाना सिविल लाइन	,,
4.	थाना क्रिश्चनगंज	,,
5.	थाना क्लाक टावर	,,
6.	थाना अलवरगेट	प्राइवेट
7.	थाना रामगंज	,,
8.	थाना आदर्शनगर	सरकारी
9.	थाना केकड़ी	,,
10.	थाना सावर	,,
11.	थाना भिनाय	,,
12.	थाना सरवाड़	,,
13.	थाना मदनगंज	,,
14.	थाना किशनगढ़	,,
15.	थाना रूपनगढ़	,,
16.	थाना अराई	,,
17.	थाना ब्यावर सिटी	,,
18.	थाना ब्यावर सदर	,,
19.	थाना जवाजा	,,
20.	थाना विजय नगर	,,
21.	थाना मसूदा	,,
22.	थाना टाटगढ़	,,
23.	थाना पुष्कर	,,
24.	थाना गैगल	,,

1	2	3
25.	थाना श्रीनगर	सरकारी
26.	थाना पीसागन	,,
27.	थाना नसीराबाद सिटी	,,
28.	थाना नसीराबाद सदर	,,
29.	थाना मांगलियावास	,,

———=

सूची पुलिस चौकी जिला अजमेर

क्र. सं. 1	नाम चौकी 2	चौकी राजकीय भवन में है या प्राइवेट 3
1.	चौकी कोतवाली	सरकारी
2.	चौकी केसरबाग	,,
3.	चौकी आगरा गेट	,,
4.	चौकी मदारगेट	,,
5.	चौकी गंज	,,
6.	दिल्ली गेट	,,
7.	चौकी त्रिपोलिया गेट	,,
8.	चौकी सिविल लाइन	,,
9.	चौकी कन्टोमैन्ट	,,
10.	चौकी क्रिश्चनगंज	,,
11.	चौकी आनासागर	,,
12.	चौकी शास्त्रीनगर	,,
13.	क्लाकटावर	,,
14.	केसरगंज	,,
15.	चौकी छगी गेट	,,
16.	चौकी नोकामदार	,,

(571)

1	2	3
17.	चौकी हट्टूण्डी	सरकारी
18.	चौकी रामगंज	प्राइवेट
19.	चौकी भगवानगंज	"
20.	चौकी केकड़ी	सरकारी
21.	चौकी सांपला	"
22.	बादनवाड़ा	"
23.	गोयला	"
24.	चौकी गांधीनगर	"
25.	चौकी बान्दरसींदरी	"
26.	चौकी हरमाड़ा	"
27.	चौकी आकोडिया	"
28.	चौकी रेल	"
29.	चौकी चांदगेट	"
30.	चौकी मैवाडीगेट	"
31.	चौकी सूरजपोल	"
32.	चौकी पुष्कर	प्राइवेट
33.	चौकी कैन्ट	सरकारी
34.	चौकी रामसर	प्राइवेट

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 865 की सूचना

1980–81 वर्ष में चयनित एवं लाभान्वित ग्रामों की सूची जिला टोंक

क्र.सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	योजना	क्र.सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	योजना
1	2	3	4	1	2	3	4
तहसील मालपुरा :							
1	7	बनेडिया चारनान	हैंड पम्प	2	23	रायथला	हैंड पम्प
3	29	चयनपुरा	,,	4	31	हरनोदा	,,
5	40	बीडन गवार	,,	6	59	डंडावत	,,
7	67	जयसिंहपुरा	,,	8	72	बंवोरी	,,
9	75	प्रतापपुरा	,,	10	83	ब्रजलाल नगर	,,
11	93	फूल मालिया	,,	12	95	सानोदिया	,,
तहसील निवाई							
13	3	राहोली	टी.एस.एस.	14	32	डांगरथल	टी.एस.एस.
15	55	मूंडिया	,,	16	62	रम्भावता	एच.पी.
17	64	खुरेड़ा बुजुर्ग	,,	18	96	रजवास	टी.एस.एस.
19	98	सींदरा	,,	20	119	झिलाय	पी. एण्ड टी.
21	120	भगवानपुरा	एच.पी	22	122	जुगलपुरा कला	एच.पी.
23	125	गोपालपुरा	,,	24	130	लालवाडी	टी.एस.एस.
25	144	हिगोनियां बुजुर्ग	,,	26	146	जगसारा	एच.पी.
27	155	दतवास	टी.एस.एस.	28	170	टीटोली	टी.एस.एस.
29	171	सिरोही	,,	30	191	सिरस चतुर्भुजपुरा	,,
31	199	जामडोली	,,				
तहसील टोडारायसिंह							
32	25	टोपा	एच.पी.	33	27	सानोदिया	एच.पी.
34	28	दयालपुरा	,,	35	54	लम्बाकला	,,

1 2	3	4	1 2	3	4
36–59	नयावास	एच.पी.	37–71	सांडला	एच.पी.
38–80	बनेडिया बुजुर्ग	,,	39–82	गनेता	,,
40–85	क्यारिया	,,	41–97	जेठलिया	,,
42–98	सेतीवास	,,	43–108	ठाठा	,,
44–111	सालगावा				

तहसील टोंक

1 2	3	4	1 2	3	4
45–87	डारडातुर्की	टी.एस.एस.	46–102	हाथुना	टी.एस.एस.
47–104	मोटुका	एच.पी.	48–128	अलीमपुरा	एच.पी.
49–129	लोक	,,	50–142	डारडा हिन्द	टी.एस.एस.
51–149	सरबराबाद	,,	52–152	कारोला	एच.पी.
53–155	देवरी	,,	54–156	शुक्लपुरा	,,
55–174	शोपुरी	,,	56–194	छान	टी.एस.एस.
57–215	डाकिया	टी.एस.एस.	58–233	अल्लापुरा	एच.पी.
59–252	रहमानदिया	एच.पी.			

तहसील देवली

1 2	3	4	1 2	3	4
60–1	मानपुरा	टी.एस.एस.	61–5	घती	एच.पी.
62–9	नासरदा	टी.एस.एस	63–19	दाबरखुर्द	,,
64–27	डांगर कला	टी.एस.एस.	65–33	बाखडिया	,,
66–38	कासीद	टी.एस.एस.	67–62	संग्रामपुरा	,,
68–70	वनथली	,,	69–73	जूनिया	टी.एस.एस.
70–78	देवडावास	,,	71–88	नया गांव गोठडा	एच.पी.
72–104	ढीकोलिया	एच.पी.	73–117	मुगतानी	टी.एस.एस.
74–118	धुआकला	टी.एस.एस.	75–126	घड	,,
76–144	कोरडा	एच.पी	77–145	चारनेट	एच.पी.
78–154	नगर	टी.एस.एस.	79–157	संग्रामपुरा	,,
80–159	गोरधनपुरा	एच.पी.	81–165	गुराई	टी.एस.एस.
82–166	जेल	,,			

तहसील उनियारा

1 2	3	4	1 2	3	4
83-11	सुरेली	टी.एस.एस.	84-31	क्कोड	टी.एस.एस.
85-81	फुलेता	,,	86-120	चतुरपुरा	एच.पी.
87-186	सोप				

वर्ष 1981-82 में चयनित एवं संधारित गांवों की सूची

तहसील मालपुरा

1-17	कुराड	एच.पी.	2-18	रपाट	एपीच..
3-28	डेचवाच	,,	4-33	बरथल	,,
5-34	डेरांया	,,	6-41	कचोलिया	,,
7-55	गणेशपुरा	,,	8-64	देशमी	,,
9-59	चोरला	,,	10-78	मीपुर	,,
11-80	आमलीसुख	,,	12-81	भगवानपुरा	,,
13-85	आतगी	,,	14-89	रूपाहेली	,,
15-101	तातिया	,,	16-106	कल्याणपुरा	,,
17-110	नीमुखिया	,,	18-113	भवलपुरा	,,
19-114	देवल्यापट्टी गुजरान	,,	20-122	कुटका	,,
21-123	घासीपुरा				

तहसील निवाई

22-6	काजरिया	,,	23-10	चनानी	,,
24-14	संजीया	,,	25-26	रतनपुरा	,,
26-36	जगतपुरा	,,	27-58	अजीतपुरा	,,
28-59	लोहारा	,,	29-66	बिचपुरी	,,
30-78	चेनपुरा	,,	31-82	आलीयावास	,,
32-106	बूढा आनन्दपुरा	,,	33-108	बरथल	,,
34-111	पहाड़ी	टी.एस.एस.	35-113	अखेपुरा	,,
36-138	श्रीराजधिराजपुरा	एच.पी.	37-142	बलराजपुरा	,,
38-145	बाढ़जगसरा	,,	39-152	मोटुका	,,

1 2	3	4	1 2	3	4
40–173	गोपालपुरा	एच.पी.	41–195	बस्सी	एच.पी.
42–197	नोहटा				

तहसील टोडारायसिंह :

43–4	लम्बाखुर्द	,,	44–9	रमेशपुरा	,,
45–20	नारेडा	,,	46–21	विशनपुरा	,,
47–30	सीतारामपुरा	,,	48–36	डारडा	,,
49–49	चुली	,,	50–50	रामनिवासपुरा	,,
51–53	गेडिया	,,	52–58	गोंगोलाई	,,
53–72	बासेडा	,,	54–76	गोपालपुरा	,,
55–77	रतवाड़ा	,,	56–78	माधोगंज	,,
57–84	रामसिंहपुरा	,,	58–89	लक्ष्मीपुरा	,,
59–91	गहलोली	,,	60–92	ढीबरू	,,
61–93	मोडियाला	,,	62–100	गहरोल	,,
63–103	बासजराना	,,	64–104	श्रीरामनगर	,,

तहसील टोंक :

65–6	रसूलपुरा	,,	66–7	सीतारामपुरा	,,
67–10	बीजलपुरा	,,	68–38	गोरधनपुरा	,,
69–44	डाडोरिया	,,	70–51	दयावरी	,,
71–85	मवासीपुरा	,,	72–91	हांडीकला	,,
73–94	दोताना	,,	74–95	बरोनी	,,
75–99	खलीलावास	,,	76–169	नूरपुराखेडा	,,
77–198	मोहम्मदगुंज	,,	78–226	कूम	,,
79–239	हरचन्ददेरा	,,	80–246	कूटीताना	,,
81–158	तसवरा	,,	82–262	बालरा	,,

तहसील देवली :

83–4	रघुनाथपुरा	,,	84–16	बनेडियाखुर्द	,,

1 2	3	4	1 2	3	4
85–18	गलवाना	एच.पी.	86–25	रायथली	एच.पी.
87–34	गांवडी	,,	88–37	बडेरा	,,
89–39	इन्द्रापुरा	,,	90–40	देपुरा	,,
91–41	बाडेरा	,,	92–43	सावतगढ़	,,
93–45	पनवाड़	टी.एस.एस.	94–47	कालेनाड़ा	,,
95–48	गोपीपुरा	एच.पी.	96–53	पालेवाड़ा	,,
97–54	घोघोली	,,	98–61	चांदली	,,
99–63	बालापुरा	,,	100–75	बनवारावास	,,
101–90	कल्याणपुरा	,,	102–95	गुमानपुरा	,,
103–97	रामनगर	,,	104–98	लक्ष्मीपुरा	,,
105–99	गोठडा	,,	106–100	सीतारामपुरा	,,
107–101	घरोडा	,,	108–110	संग्रामपुरा	,,
109–113	खरोई	,,	110–134	बनरवाड़ा	,,
111–135	बारोली	,,	112–148	महाराजकंवरपुरा	,,
113–164	बालागढ़				

तहसील उमयारा :

1 2	3	4	1 2	3	4
114–7	गडालियां	,,	115–23	रूपपुरा	,,
116–25	फतेगंज	,,	117–28	गुमानगंज	,,
118–45	महाराजकंवरपुरा	,,	119–46	छतरपुरा	,,
120–49	उदपुरा	,,	121–58	बावनिया	,,
122–62	आसलगांव	,,	123–63	लाखउना	टी.एस.एस.
124–69	वालोतिया	,,	125–70	ढोलनिया	एच.पी.
126–79	भोजपुरा	,,	127–84	विजयगढ़	,,
128–92	रतनपुरा	,,	129–94	रानीपुरा	,,
130–98	रानपुरा	,,	131–99	खेडली	,,
132–105	भालरिया	,,	123–114	मोहम्मदगंज	,,
134–117	पलाई	टी.एस.एस.	135–124	उनियारी	,,
136–127	दोबडिया	एच.पी.	137–154	अलीमपुराभगवानपुरा	,,
138–162	राहोली	,,	139–185	महुवा	,,

1982–83 में चयनित एवं संधारित ग्रामों की सूची जिला टोंक

1 2	3		1 2	3	4
तहसील मालपुरा :					
1–5	अखतडी	एच.पी.	2–16	थडी	एच.पी.
3–19	बरोल	,,	4–22	वाछेडा	,,
5–26	चांवडिया	,,	6–45	मारला	,,
7–51	आसनजोगियान	,,	8–74	अजमेरी	,,
9–116	तिलान्जू	,,			
तहसील निवाई :					
10–5	हरभगतपुरा	,,	11–8	गोपालपुरा	,,
12–11	ब्रजलालपुरा	,,	13–17	श्रीविजयपुरा	,,
14–19	जगतपुरा	,,	15–20	बढ़पतराजकला	,,
16–21	पथराज	,,	17–23	सुनारी	,,
18–27	चतुर्भुजपुरा	,,	19–28	जोधपुरा	,,
20–37	लादड़ा	,,	21–38	वाढलोदेडा	,,
22–39	सुनारा	,,	23–47	अहमदपुरा	,,
24–63	सुरतरामपुरा	,,	25–65	दयालपुरा	,,
26–71	किशोरपुरा	,,	27–73	सहदरियाखुर्द	,,
28–84	दामोदरपुरा	,,	29–91	सुरतपुरा	,,
30–95	गिरधारीपुरा	,,	31–102	झूझारपुरा	,,
32–105	चक्रविजयपुरा	,,	33–114	खांडवा	,,
34–115	हमीरपुरा	,,	35–116	रामसिंहपुरा	,,
36–118	सकतपुरा	,,	37–128	गंगापुरा	,,
38–129	संग्रामपुरा	,,	39–133	गुनेरा	,,
40–180	करेलिया	,,	41–183	किनवाड़ा	,,
42–186	सीगड़ा	,,	43–187	बडोदिया	,,
44–189	नला				
तहसील टोडारायसिंह :					
45–1	सांवरिया	,,	46–10	मेहरू	,,

1 2	3	4	1 2	3	4
47–44	वसूदा	एच.पी.	48–90	स्लामपुरा	एच.पी.
49–112	चांदपुरा	,,			

तहसील टोंक :

50–8	कठमाना	,,	51–12	हनीफगंज	,,
52–26	अब्बास नगर	,,	53–46	मायारामपुरा	,,
54–50	आजमपुरा	,,	55–54	अंसूरपुरा खेडा	,,
56–56	दोलतपुरा	,,	57–87	करीमपुरा	,,
58–59	रहीमपुरा	,,	59–66	मोहम्मदनगर	,,
60–77	वजीरनगर	,,	61–88	श्रीनगर	,
62–98	हनीफपुरा	,,	63–111	देवली	,,
64–113	स्लामपुरा	,,	65–115	विशनपुरा	,,
66–117	अलीनगर	,,	67–121	मालीपुरा	,,
68–122	जानिवाली	,,	69–136	मोहम्मदनगर	,,
70–139	अमीनपुरा	,,	71–153	चिरोन	टी.एस.एस.
72–165	देपुरा	,,	73–171	स्लामपुरा	एच.पी.
74–173	सोरवा	,,	75–176	धोलाखेड़ा	,,
76–214	तिरवाना	,,	77–218	परासिया	,,
78–224	अल्लापुराचावला	,,	79–264	खेडामारसमान	,,

तहसील देवली :

80–13	बीसलपुर	एच.पी.	81–68	आकोदिया	,,
82–121	कंवरपुरा	,,	83–127	कल्याणपुरा	,,
84–142	रामनगर	,,	85–153	उदपुरा	,,
86–156	जालिमगंज	,,	87–158	सारंगपुरा	,,

तहसील उनियारा :

88–3	कालीछोर	,,	89–41	गुमानपुरा	,,
90–76	गोठडा	,,	91–87	श्यामपुरा	,,

1 2	3	4	1 2	3	4
92-142	हैदरीपुरा	एच.पी.	93-143	पाडली	एच.पी.
94-148	बीजोदा	"	95-156	देवली	"
96-181	कुमारिया	"			

वर्ष 1983-84 में चयनित एवं लाभान्वित गांवों की सूची जिला टोंक

तहसील मालपुरा :

1-6	पाडली	एच.पी.	2-9	आवडा	एच.पी.
3-10	कुमारिया	"	4-14	आटोली	"
5-20	माधोनगर	"	6-21	मिलकपुर	"
7-39	छोडाकुमोलाव	"	7-58	रामपुरावास बांगड़ी	"
9-60	सिथोलिया	"	10-96	पाडली	"
11-98	ढीबरु	"	12-100	इंडोली	"
13-47	कुहाडा	"			

तहसील निवाई :

14-41	सोभागपुरा	"	15-43	श्री गोविन्दपुरा	"
16-45	राधाकृष्णपुरा	"	17-50	बाढ़खेडी मोहनपुरा	"
18-54	झोपड़ी	"	19-56	भगतरामपुरा	"
20-67	श्रीसुखपुरा	"	21-70	श्योपुरा	"
22-76	भांवता	"	23-83	चुगलपुराखुर्द	"
24-85	तिलोकपुरा	"	25-87	रामजीपुरा	"
26-89	करणपुरा	"	27-132	गणेशपुराहटातली	"
28-134	गोरधनपुरा	"	29-139	महापुरातर्कीया	"
30-140	बाढ़सुखचयनपुरा	"	31-149	रामदामोदरपुरा	"
32-151	कायमनगरबसड़ी	"	33-157	नागलइसर	"
34-158	बाढ़पोड कलां	"	35-162	बडाहांडा	"
36-165	सीपुरा	"	37-172	अगरपुरा	"
38-175	खुजोपुरा	"	39-176	मेदरपुरा	"

1 2	3	4	1 2	3	4
40–177	टोरडी	एच.पी.	41–178	घड़रीरामनगर	एच.पी.
42–182	भैरुपुरा	,,	43–184	गोरधनपुरा	,,
44–188	भंवरपुरा	,,	45–190	मंडालिया	,,
46–193	खेंडीमानपुरा	,,	47–196	बोरडा	,,
48–200	बहड	,,			

तहसील टोडारायसिंह :

49–14	मोर	,,	50–23	रामसिंहपुरा	,,

तहसील टोंक :

51–1	सोसोडाबाबड़ी	एच.पी.	52–15	अनवरपुरा हमीदिया	एच.पी.
53–25	रामकिशनपुरा	,,	54–43	अहमदगंज	,,
55–47	संदेडा	,,	56–74	मदारीपुरा	,,
57–81	इशाकपुरा	,,	58–83	डूडिया	,,
59–86	मसूदपुरा	,,	60–89	रायरामपुरा	,,
61–97	बजीरनगर	,,	62–125	सलीमपुरा नयागांव	,,
63–138	नवाबपुरा	,,	64–157	भांची	,,
65–160	चूरिया	,,	66–162	करेडिया	,,
67–168	हयादपुरा	,,	68–236	रहीमपुरा दोलीतलाई	,,
69–242	रहूफपुरा	,,	70–244	मोहम्मदपुरा नयागांव	,,
71–249	खजूरिया	,,	72–251	बड़ा अब्दुलापुरा	,,

तहसील देवली :

73–20	थांवला	पी. एण्ड टी.	74–31	रांवता	एच.पी.
75–35	खेंडगांवडी	एच.पी.	76–42	देवली	पी.एण्ड टी.
77–50	वासलक्ष्मण	,,	78–56	सतवाड़ा	एच.पी.
79–58	निवाडिया	,,	80–82	गहरोली	टी.एस.एस.
81–141	चंदवाडा	एच.पी.	82–143	केदारा	एच.पी.
83–146	बलहडी	,,	84–162	हीरापुरा	,,
85–163	श्यालसुखपुरा	,,			

1 2	3	4	1 2	3	4

तहसील उनियारा :

86–15	दुरधन	एच.पी.	87–16	बडोदिया	एच.पी.
88–18	करोद	,,	89–21	किशनगंज	,,
90–24	श्रीपुरा	,,	91–29	बालागढ़	,,
92–39	धोलीपाल	,,	93–40	बेसकी	,,
94–48	सूखडा	टी.एस.एस.	95–53	बूंदी	,,
96–67	टूडिया	एच.पी.	97–66	डाबलां	,,
98–67	बालीथल	,,	99–78	देपुराखुर्द	,,
100–100	बिशनपुरा	,,	101–101	देपुराकला	,,
102–116	हुकमपुरा	,,	103–119	भीमगंज	,,

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 884 की प्रति

कार्यालय कलेक्टर पंचायत, जयपुर

सांगानेर की जनता की तरफ से तत्कालीन कलेक्टर को दिनांक 3/9/68 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ग्राम पंचायत सांगानेर बिना नीलामी अवैधानिक रूप से भू-खण्ड नम्बरान 207 से लगायत 213 तक, जो दौसा दरवाजे के पास स्थित हैं, 7 व्यक्तियों के नाम आवंटन कर दिया और आवंटियान ने रुपया भी नहीं जमा कराया और प्लाट नं. 212 व 213 में तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया। इस पर तत्कालीन कलेक्टर ने आदेश जारी किये कि पंचायत इन्सपेक्टर श्री मित्तल मौके पर जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। उसकी रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य नजर आये।

1– पंचायत समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7/6/68 को सात प्लाट, जिसका रकबा फी प्लाट 266–1–3 वर्ग गज व 5,–25 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से बिना नीलाम विपक्षियों को आवंटन करने के लिये प्रस्ताव पारित किया।

2– नियमानुसार कीमत का 1/10 हिस्सा नहीं लिया गया।

3– इस आवंटन की कार्यवाही पंचायत व न्याय पंचायत के सामान्य अधिनियमों की धारा 259 के विरुद्ध है चूंकि कोई अस्थायी प्रस्ताव पूर्व में पास नहीं हुआ। इसी प्रकार धारा 260 का भी उल्लघंन हुआ है चूंकि आपत्ति पेश करने का आम जनता को मौका नहीं दिया गया। धारा 261 के भी विरुद्ध है क्योंकि 10 फी सदी रकम जमा नहीं हुई। धारा 266 का भी फायदा नहीं मिल सकता है क्योंकि नियमों के अनुसार आम तौर से आबादी का प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं हैं फिर विपक्षियों को आपसी बातों से प्राइवेट नेगोशियेशन भूखण्ड आवंटन करने की क्या जरूरत रही? इसके अलावा पंचायत ने जिस कद्र भूखण्ड बेचने का विचार किया उसके अनुसार भी हर भूखण्ड की कीमत 1 हजार रुपयों से अधिक होती है और कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नियमानुसार है। इस प्रकार की स्वीकृत प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं हुई।

4– ग्राम पंचायत ने ही दिनांक 30/8/68 की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया कि दिनांक 7/6 68 को जो प्रस्ताव भूखण्डों के आवंटन के बारे में पारित किया गया है वह अवैधानिक है अत: प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आज तक न तो पट्टा जारी हुआ और न विपक्षी ने रुपया ही जमा कराया।

बहस के दौरान विपक्षियों के वकील ने 7/6/68 की कार्यवाही सही मानने के लिये दलील पेश की है कि कस्बा सांगानेर में 5·25 पैसे फी गज से ज्यादा प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है अत: पंचायत ने जनहित को ध्यान में रखते हुये इन सात

व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन किये। यह दलील मन्जूर करने योग्य नहीं है क्योंकि प्रथम तो जैसे कि शिकायत कुनिन्दा ने अपनी दरख्वास्त में बताया है कि उनके वाड़े नजदीक होने से उन लोगों में विवादग्रस्त भूखण्ड प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पंचायत में पेश किया था मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत अधिनियमों किया मंशा यह है कि जिस भूखण्ड को ज्यादा व्यक्ति लेना चाहते हैं उसको नीलामी के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। दूसरा यह भी आक्षेप है कि चूंकि हर प्लाट एक हजार की कीमत से ज्यादा है अत: जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति की जरूरत है वो प्राप्त नहीं की गई।

यह भी जाहिर है कि कीमत जमा नहीं हुई और न पट्टा ही जारी हुआ और पंचायत ने ही दिनांक 30/8/68 को बैठक में 7/6 68 की कार्यवाही निरस्त कर दी जिसके खिलाफ आज तक कोई अपील पेश नहीं हुई। इन सब तथ्यों को देखते हुये मेरे नजदीक मुनासिब है कि दिनांक 30/8/68 का प्रस्ताव ही बहाल रहे और अब चूंकि यह शिकायत है कि प्लाट न. 212 व 213 में मकानात के तामीर करने की कार्यवाही शुरू हो गई है अत: ग्राम पंचायत सांगानेर प्लाट नम्बर 207 लगायतं 213 तक से विपक्षियों को हटावे और अगर इसमें कोई बाधा आवे तो तहसीलदार सांगानेर को आवेदन कर धारा 91 राज.. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखली कार्यवाही करे।

इस आदेश के पालन करने की सूचना इस कार्यालय में एक माह में भेजें।

एस० डी०
कलेक्टर, जयपुर
1/6/70

परिशिष्ट 16

अतारांकित संख्या 887 का विवरण

विद्युत व्यवस्था हेतु टेंडर परिषद के तत्कालीन आयुक्त द्वारा खोले गये थे ।

मैसर्स एशियन का इलेक्ट्रीकल्स की खुद की फर्म नहीं थी और दूसरी फर्म के नाम से कार्य करते थे । पूर्व में इनका कार्य संतोषजनक नहीं था । इस कारण स्वीकृति मैसर्स पुखराज इलेक्ट्रीकल्स को दी गई थी ।

परिशिष्ट 1

नगर परिषद, अजमेर

निविदा पत्रों का तुलनात्मक नक्शा

विभाग   मांग/आदेश संख्या   दिनांक   महासमिति का प्रस्ताव संख्या अध्यक्ष के आदेश   स्वीकृत की गई दरें   दिनांक

क्र. सं.	वस्तुओं का नाम व विवरण	तादाद	मै. पुखराज इलेक्ट्रिकल्स दर प्रति दर प्रति	मै. एशियन इले. कम्पनी दर प्रति दर प्रति	मै. ला. एण्ड पे. डेकोरेशन सन्टर दर प्रति दर प्रति	मै. बेदी इले. हाऊस दर प्रति दर प्रति	विवरण वितरणकर्ता जिसके लिये विभागीय सिफारिश की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
	मोती कटला शिविर						
1.	खुली बत्ती 100 वाट	50	0 40 प्र.ला.प्र.दि	0 30 प्र.ला.प्र.दि.	0 90 प्र.ला.प्र.दि.	1 80 प्र.ला.प्र.दि.	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ट्यूब लाइट 40 वाट	25	0 70 प्र.ला.प्र.दि	0 50 प्र.ला.प्र.दि.	1 00 प्र.ला.प्र.दि.	2 00 प्र.ला.प्र.दि.	
3.	प्लग पाइन्ट	15	4 00 ,, ,,	1 00 ,, ,,	5 00 ,, ,,	2 00 ,, ,,	
4.	एयरसरकयूलेटर	10	8.00 ,, ,,	15 00 ,, ,,	10 00 ,, ,,	8 00 ,, ,,	
5.	पेडास्टलफंन	5	10 00 ,, ,,	10 00 ,, ,,	8 00 ,, ,,	8 00 ,, ,,	
6.	सर्च लाइट 500 वाट	8	4 00 ,, ,,	50 00 ,, ,,	3 00 ,, ,,	10 00 ,, ,,	

इन्दर कोट क्षेत्र एवं रामप्रसाद घाट

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खुली बत्ती 100 वाट	500	0 60 प्र.ला.प्र.दि	1 50 प्र.ला.प्र.दि.	1 00 प्र.ला.प्र.दि.	1 15 प्र.ला.प्र.दि.	
2.	ट्यूब लाइट 40 वाट	25	0 75 ,, ,,	2 00 ,, ,,		2 00 ,, ,,	
3.	सर्च लाइट 500 वाट	10	6 00 ,, ,,	5 00 ,, ,,	5 00 ,, ,,	5 00 ,, ,,	
	प्लग पाइन्ट		3 50 ,, ,,				
		1= 3% लाइन का खर्चा (किराया) में लाट देना होगा 2– पावर आने पर टी एल वंद रहने की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी 3– Payment 7 days में करना अनिवार्य है 1% discount		1– पेमेंट बिल देने पर 10 दिन होगा तो 2% छुट देंगे।		1– पावर हाउस की राशि म्यूनिसिपल की होगी।	ह० 7-4-83

(586)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 888 की सूची

सन् 1980 से फरवरी, 1984 तक पागल कुत्ते काटे की जिलेवार सूची:-

क्र. सं.	नाम जिला	कुत्ते काटने के केसेज	कुत्ते काटने से मृत्यु
1	2	3	4
1-	अजमेर	7472	1
	अजमेर मेडीकल कालेज	8523	7
2-	अलवर	5450	26
3-	बांसवाड़ा	2240	5
4-	बाडमेर	4947	1
5-	भरतपुर	1860	-
6-	भीलवाड़ा	2636	5
7-	बीकानेर	442	-
	बीकानेर मेडीकल कालेज	8029	41
8-	बून्दी	2297	3
9-	चित्तोड़गढ़	1343	-
10-	चूरू	372	-
11-	धौलपुर	1499	-
12-	डूंगरपुर	1727	-
13-	गंगानगर	4068	11
14-	जयपुर	2956	-
	जयपुर मेडीकल कालेज	18264	7
15-	जैसलमेर	516	-
16-	जालोर	1901	-
17-	झालावाड़	1681	-
18-	झुन्झुनू	2260	-
19-	जोधपुर	1215	-
	जोधपुर मेडीकल कालेज	18246	3

1	2	3	4
20–	कोटा	5444	15
21–	नागौर	4441	3
22–	पाली	3589	–
23–	सवाईमाधोपुर	1418	1
24–	सीकर	5358	5
25–	सिरोही	3260	2
26–	टौंक	2635	–
27–	उदयपुर	–	
	उदयपुर मेडीकल कालेज	6243	3
	योग :—	1,32,332	147

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 893 की सूची

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र	खोली गई संस्था	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4
1.	डूंगरपुर	मिनी हैल्थ सेन्टर-आंतरी	1981–82
2.	सागवाड़ा	डिस्पेंसरी-गलियाकोट	,,
		पुनर्वास कालोनी-सागवाड़ा	
3.	चौरासी	एडपोस्ट-डूंगरचारण	,,
4.	चौरासी	उप केन्द्र 12 प० क० पक्ष	
	,,	1. भवडिया	1982–83
	,,	2. बोडामील	,,
	,,	3. झरणी	,,
	,,	4. दोथरा	,,
	,,	5. खांड़िया	,,
5.	सागवाड़ा	6. झौसावा	,,
	,,	7. सिलोई	,,
	,,	8. धनगांव	,,
	,,	9. दरियाटी	,,
	,,	10. उवली	,,
	,,	11. टामटिया	,,
6.	आसपुर	12. काब्जा	,,
7.	सागवाड़ा	डिस्पेंसरी बीलिया बड़गामा	1983–84
8.	सागवाड़ा	नवीन उपकेन्द्र 12 प० क० पक्ष	
		1. पादरडी बड़ी	1983–84
		2. घोटाद	,,
		3. घाटा का गांव	,,
		4. बरबूदनिया	,,
		5. डेंचा	,,
		6. गामडा बामनिया	,,
		7. चीबूड़ा	,,
		8. करियाणा	,,
		9. बूचिया बड़ा	,,
		10. जेठाना	,,
		11. सेमलिया पण्डया	,,
		12. भासोर	,,

नागौर 12–4–84

———

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 898 की सूची

जिला चित्तौड़गढ़ की उपखण्ड प्रतापगढ़ में संचालित औषधालयों का वर्ष 1983–84 का स्वीकृत औषध बजट एवं वितरित की गयी औषधियों का विवरण

(रुपयों में)

क्र० सं०	नाम स्थान	चिकित्सा पद्धति	स्वीकृत औषध बजट	औषध वितरण का विवरण
1.	प्रतापगढ़	आयुर्वेद	28000·00	8208·40
2.	अमलावद	"	4500·00	1810·65
3.	कोटडी	"	4200·00	2088·90
4.	खेरोट	"	4800·00	1792·50
5.	गादोला	"	4800·00	2151·60
6.	ग्यासपुर	"	3400·00	1794·80
7.	चूपना	"	6400·00	1702·15
8.	झांसडी	"	3800·00	1318·05
9.	झांझली	"	5600·00	1717·10
10.	बसाड़	"	3200·00	1716·80
11.	बोरदिया	"	3200·00	2308·40
12.	बरड़िया	"	4800·00	1998·55
13.	रंठाजना	"	6900·00	2173·10
14.	रामगढ़ (असावता)	"	4800.00	1755·20
15.	बरमण्डल	"	2500·00	1382·85
16.	सालमगढ़	"	7600·00	1771·15
17.	सेलारपुरा	"	5200·00	2163·80
18.	सुहागपुरा	"	4200·00	1494·65
19.	प्रतापगढ़	यूनानी	7800·00	मांग पत्र अप्राप्त

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 899 की सूची

मार्च, 1984 को रिक्त पदों की संख्या का विवरण

क्रमांक सं	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अवधि जब से पद रिक्त है	पद रिक्त होने के कारण
1	2	3	4	5
1.	व्यवस्थापक, रसायनिकशालाएं	1	1983 से	सेवा निवृति के कारण
2.	उप निदेशक	5	(4 पद 1983 से (1 पद 1984 से	सेवा निवृति, पदोन्नति एवं परिवर्तन के कारण
3.	उप-व्यवस्थापक एवं मेडिकल आफिसर; रसायन शाला	1	पद स्वीकृति दिनांक से	योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से
4.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	7	(चार पद 1983 से (तीन पद 1984 से	सेवा निवृति के कारण
5.	आयुर्वेद चिकित्सक	225	पद 1982 से मार्च, 1984 तक	सेवा निवृति एवं नवीन पदों के सृजन से।

1	2	3	4	5
6.	युनानी चिकित्सक	31	(27 पद लगभग पांच वर्ष से (4 पद 1984 से	निर्धारित योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से ।
7.	होमियोपैथिक चिकित्सक	16	(दो पद 1982 से (तीन पद 1983 से शेष 11 पद 1984 से	नवीन पद सृजन एवं पुर्न विज्ञापन के अभाव में ।
8.	विधि सहायक	1	पद स्वीकृति दिनांक से	गलत वेतन श्रृंखला में पद सृजित हो जाने के कारण ।
9.	कार्यालय सहायक	3	(1 पद 1981 से (2 पद 1983 से	सेवा निवृति एवं नवीन पद सृजित होने के कारण
10.	उच्च लिपिक	2	1983 से	सेवा निवृति के कारण
11.	उच्च लिपिक कम स्टेनो	1	1982 से	योग्य अशार्थी उपलब्ध नहीं होने से
12.	चालक	1	1984 से	नवीन सृजित पद ।
13.	कनिष्ठ लिपिक	7	(दो पद 1981 से (तीन पद 1983 से	आर. पी. एस. सी. उत्तीर्ण आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से ।

1	2	3	4	5	6	7
				(दो पद 1984 से		
14.	नर्स/कम्पाउण्डर		216	(1983 से 24 पद	नवीन पद सृजन के कारण ।	
				(1984 से 192 पद		
15.	वार्ड बॉय/चतुर्थ श्रेणी कर्म.		378	(214 पद एक वर्ष से	नवीन पद सृजन एवं पूर्व में नवीन नियुक्ति पर	
				(164 पद मार्च, 1984 से	प्रतिबन्ध होने से ।	

परिशिष्ट 21 (प्रपत्र—क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 905 की सूचना

जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक स्वीकृत सड़कों की वर्तमान स्थिति :—

क्र० सं०	पंचायत समिति	सड़क का नाम	कुल ल० कि० मी० में	किए गये कार्य की वर्तमान स्थिति डामर	मेटल	ग्रेवल	मिट्टी कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
		अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत					
1.	रानी	1. खोड़ से जवाली	8½	–	8½	–	–
		2. रानी से मुण्डारा (प. स. सीमा तक)	1	1	–	–	–
		3. खोड से रानी वाया नादमा भाटान	19	–	–	15½	–
		4. रानी से मोकमपुरा	1	1	–	–	–
		5. जीवन खुर्द से खारडा	5	–	–	1½	3½
		6. नाडोल से बिजोवा	5	–	–	5	–
		7. ए. आर. चाचोड़ी	9	–	–	9	–
		8. ए. आर. इटन्तरा मेडतियान	2	–	–	2	–
		9. रामासिया से नाडोल	20	–	20	–	–
		10. खीवाड़ा से पांचरिया	10	–	–	5	–
		11. नाडोल से सोमेसर (पिलावनीतम)	21	–	7·5	–	13·5
		12. धनला से बागोल	15	–	–	15	–
		13. पांचरिया से सोमेसर वाया इन्दरवाड़ा	8	–	–	–	1½
		14. खीवाड़ा से सोमेसर वाया पिलावनी	21	–	–	14	7
		15. बरकाना से दादाई	4	–	–	1½	2½
		16. ए. आर. कीरवा	1	–	1	–	–

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत

17. बारदार सम्पर्क सड़क)
18. जीवन कल्लान सम्पर्क सड़क) स्वीकृति 24-3-84 को जारी की गई है।
19. देवली सनवालता सड़क)

1	2	3	4	5	6	7	8
		अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत					
		20. जवाली से परसाराम महादेव	13	–	13	–	–
		21. घाने राव से दुदापुरा	2	–	–	2	–
		22. सादड़ी टाउन बाइ पास	भूमि प्राप्त न होने से कार्य नहीं हुआ।				
		23. बाढ़ बचाव कार्य सादड़ी	कोई कार्य नहीं हुआ				
		24. देसुरी से आना वाया गिराली	4	–	–	13	–
		25. सिंदरली से मुन्डारा	5½	–	–	5½	–
		26. बागोल से जोजावर	14	–	8½	5½	–
		27. रा. आ. डायलाना	1½	–	–	–	1½
		28. घानेराव से मुच्छला-महावीर	5	–	–	5½	–
		29. रामासिया से नाडोल	5	5	–	–	–
		न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत					
		30. देसुरी वागोल खींवाड़ा	30	15	–	15	–
		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम					
		31. सिंदरोली बरोद सड़क	स्वीकृति 24-3-84 को जारी की				
		32. नाडलाइ से केसूती सड़क	गई है				
		पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन					
		अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य					
		33. मोडा से राणावास सड़क	13	–	–	9	4
		34. मोडा से बागोल पमोता तक	33	–	27	6	–
		35. जाडन से मारवाड़ जंक्शन सड़क	20	–	–	–	20
		36. धनला से बागोल सड़क	10	–	3¼	6¾	–
		37. सारण से झामुण्डा सड़क	9	–	–	9	–
		38. उसाली से राणावास सड़क		–	–	जी आई आर पूर्ण	
		29. मारवाड़ जंक्शन से वोपारी वाया चिरपटिया सड़क	23	–	–	16	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		40. सोजत रोड से बबान सड़क	23	–	6	5	12
		41 खरेवा से कामसी घाट सड़क	46	6	17	21½	–
		42. मारवाड़ जंक्शन से बिठूड़ा कंठा वाया भगवानपुरा सड़क	10	–	–	5	5
		43. खारची रेलवे फाटक से अडूबा सड़क	2	–	–	1	1
		44. रानावास से उसाली वाया झानूड़ा सड़क	3	–	–	3	–
		45. अहूवा केकराडी वाया बांता सड़क	14	–	–	14	–
		46. गुड़ा अजवाजी से वासनी सड़क	4	–	–	4	–
		47. मारवाड़ जक्शन से हेमसिया वास सड़क	2	–	–	2	–
		48. मारवाड़ जंक्शन से बागावास सड़क	20	–	–	20	–
		49. गोलाई से सेखावास सड़क	4	–	–	74	–
		50. धामली से भीमालिया सड़क	8	–	–	7½	–
		51. सीवाड़ा से गादाडा वाया पांचेटिया अहूवा सड़क	22	–	7	4	11
		52. बांता गांव से बांता रेलवे स्टेशन सड़क	3	–	–	3	–
		53. बोरी मादा से सारण जामूण्डा सड़क	2	–	–	–	2
		54. मेलावास से गुड़ा आंगरी सड़क	–	–	–	–	ई/डब्लू पूर्ण
		55. खेरवा से खारचर सड़क	20	–	17	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		56. निम्बोडा क्रोसिंग से पांचेटिया सड़क	5	–	–	5	–
		57. गुड़ा केसर सिंह से गुड़ा मोकमसिंह सड़क	4	–	–	4	–
		58. धामली से बांता रेलवे स्टेशन सड़क	4	–	–	4	–
		59. सेखावास से कंटालिया सड़क	–	–	–	जी आई आर पूर्ण	
		न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कें					
		60. सोजत रोड से सिरीयारी	25	25	–	–	–
		61. सोजत रोड से कंटालिया सड़क	12	12	–	–	–
		62. मारवाड़ जंक्शन से जोजावर सड़क	37	37	–	–	–
		दुग्ध मार्ग सड़कें—					
		63. नागा की बेरी से मारवाड़ सड़क (दूदौड से मारवाड़ ज.)	–	–	8	–	2·6
		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम					
		64. खेरली सिरला देरासवर रेलवे स्टेशन सड़क	(यह सड़क 24-3-84 को स्वीकृत हुई है)				

———

परिशिष्ट–22

अ. ता. प्रश्न संख्या 909 का विवरण

जिला बीकानेर की मण्डी समितियों में दिनांक 31-1-84 तक हुये विकास कार्यों का विवरण

1. कृषि उपज मण्डी समिति–बीकानेर—के अधीन पूर्ण किये गये कार्यों की सूची।

वर्ष 1976–77

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री सब्जी मण्डी के पक्के फर्श का निर्माण

वर्ष 1977–78

1. सड़क निर्माण रतन बिहारी पार्क से फड बाजार
2. ,, ,, रतनबिहारी मन्दिर से फड बाजार
3. फड बाजार से तेलियों के मोहल्ले तक सड़क पर दुबारा डामर का कार्य
4. शेखार भवन से हरिजन मोहल्ला तक सड़क निर्माण
5. फड बाजार जसकरण हाउस तक कारपेटिंग
6. कोटगेट से गजनेर सड़क तक सड़क निर्माण

वर्ष 1978–79/1979–80

1. नई अनाज मण्डी में केन्टीन भवन	(अधूरा छोड़ा गया)
2. ग्रेडिंग लेबोरेटरी	,,
3. दुकान मय गोदाम 25×55	,
4. चार दीवारी	,,
5. दुकान मय गोदाम 25×75	,,

नोट :—(स्थल परिवर्तन के कारण उक्त निर्माण कार्य बन्द किये गये)

मास्टर प्लान सड़क वर्ष 1980–81

1. नापासर से देशनोक	33 कि. मी.
2. बरसिंह से लालमदेसर	5 ,,
3. बीकानेर से करणीसर वाया सुजानदेसर राणीसर	9 ,,
4. बीकानेर से झभू	50 ,,
5. फड बाजार में नाली निर्माण	
6. कोटगेट से गजनेर सड़क को ऊंचा करना	

वर्ष 1981–82

1. फड बाजार में नीलामी स्थल पर नाली निर्माण
2. कोटगेट फल सब्जी मण्डी के चबूतरे पर टिन शेष
3. फल सब्जी मण्डी पुराना बाजार में सड़क निर्माण

वर्ष 1982–83

1. सूरतगढ़ सड़क पर नई अनाज मण्डी में बैंक भवन
2. ,, ,, कृषक विश्राम गृह
3. ,, ,, केन्टीन भवन
4. ,, ,, सार्वजनिक शौचालय
5. ,, ,, बिजली व्यवस्था
6. ,, ,, सम्पर्क सड़क एफ. सी. आई. के गोदामों से सूरतगढ़ तक
7. जस्सूसर गेट के बाहर उनके गोदामों के लिये सड़क
8. ,, ,, नाली निर्माण
9. कोटगेट फल सब्जी मण्डी में चबूतरे की मरम्मत व टिन शेड करना

वर्ष 1983–84—सूरतगढ़ सड़क पर नई अनाज मण्डी में

1. 5 नीलामी चबूतरों का निर्माण
2. 30 गोदामों का निर्माण
3. 20 खुदरा दुकानों का निर्माण
4. कार्यालय भवन निर्माण
5. नई मण्डी की आन्तरिक सड़कें
6. नई मण्डी में उच्च जलाशय,
7. पशु विश्राम गृह
8. प्याऊ नग 3
9. 25 दुकान मय गोदाम
10. 40 दुकान मय गोदाम मय ऊपर कमरा
11. 61 दुकान मय प्लेटफार्म
12. स्टीट्र लाइट व सर्विस कनेक्शन
13. दुकान मय गोदाम 32 नग (केवल 16 गोदाम व 32 दुकानें)
14. ग्रेडिंग लेबोरेटरी
15. पोस्ट आफिस
16. साइकिल स्टेण्ड 2 नग
17. कियोक्स 5 नग
18. लेबर शेड 5 नग
19. सार्वजनिक पार्क
20. चार दीवारी नई धान मण्डी
21. फड बाजार की आन्तरिक सड़कें
22. सम्पर्क सड़क आरण्डी से माणकसर वाया पनवार वाला
23. उप मण्डी में प्याऊ निर्माण 2 नग

2. कृषि उपज मण्डी समिति नोखा

वर्ष 1980–81

1. सम्पर्क सड़क चरखाड़ा बस स्टैण्ड से चरखाड़ा गांव 2 किमी.
2. ,, अडसर कैम्प से थावरिया वाया झाडेली 14 किमी.
3. ,, काकड़ा से बेसासर 10 कि. मी.

वर्ष 1981–82

1. मण्डी यार्ड की चार दीवारी
2. चार दीवारी के पीछे मिट्टी की भराई

वर्ष 1982–83

1. कार्यालय भवन
2. तृतीय श्रेणी आवास
3. मण्डी यार्ड में सड़क निर्माण
4. 250 मै. टन क्षमता का गोदाम
5. दुकान मय गोदाम 20 नग

वर्ष 83–84

1. गोदाम 10 नग का निर्माण
2. प्याऊ नग 2 का निर्माण
3. दुकान मय चबूतरा 34 नग का निर्माण
4. दुकान मय चबूतरा 14 नग का निर्माण
5. नीलामी चबूतरा 2 नग

(3) कृषि उपज मण्डी समिति—लूणकरणसर

वर्ष 1983–84

मण्डी यार्ड की भीतरी सड़कों का निर्माण (प्रगति में)

———

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची

वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में कोटा जिले के आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत वैद्यों एवं नर्स-कम्पाउण्डरों की सूची :—

क्र. सं.	नाम औषधालय	कार्यरत वैद्य	कार्यरत नर्स/कम्पा.
1	2	3	4
1.	छावनी	हिमान्शुदत्त	अनुपकुमारी
2.	कसार	मंजुल कुमार सतीन्द्रपाल	रामराजसिंह छोटेलाल
3.	खेड़ारसूलपुर	विष्णुशंकर	सत्यनारायण
4.	दरा	गिर्जाशंकर भैरूलाल	प्रहलाद कुमार जगदीश प्रसाद
5.	सावनभादो	बालकृष्ण दशोरा कृष्णानन्द	विष्णुबल्लभ
6.	दुलेट	रामकुमार	हरिशंकर
7.	मोहीकलां	रामकृष्ण महेन्द्र कुमार	जगन्नाथ शर्मा
8.	हरीपुरा	राधाकृष्ण	हनुमान प्रसाद
9.	मसावा	रामदयालु	पद स्वीकृत नहीं
10.	मंडीता	योगेन्द्र कुमार हरीशचन्द्र	,,
11.	खजूरी	धर्मराज	केलाशचन्द्र
12.	देवली	भारतभूषण	बालमुकन्द शर्मा
13.	मोड़क	प्रभुलाल राधेश्याम	पद स्वीकृत नहीं
14.	धरनावद	मुरलीधर	हाकिमसिंह सूरजमल गुप्ता फूलचन्द शर्मा
15.	मदनपुरा	मांगीलाल	विश्म्भरदयाल
16.	खेड़ारून्दा	श्यामलाल	शिवप्रसाद
17.	उंडवा	महेन्द्र कुमार राधेश्याम	पद स्वीकृत नहीं
18.	जुलमी	कंवरप्रसाद	पद स्वीकृत नहीं

Page No 501

(601)

1	2	3	4
19.	केथून	लक्ष्मी प्रसाद मंजुल कुमार	इन्द्रलाल
20.	कुराड़	मुरलीधर	नन्दकिशोर
21.	उदपुरा	मदनगोपाल राधेश्याम	ओम प्रकाश गोरधनलाल
22.	छीपाबडोद	बाबूलाल	रमेशचन्द्र
23.	कवाई	रामविलास ओम प्रकाश	रामेश्वरप्रसाद
24.	हरनावदा	श्रीकृष्ण शर्मा	बनवारीलाल
25.	छबड़ा	सुकुमार	जहीर अहमद
26.	कडैयाहाट	मदनलाल	पद स्वीकृत नहीं
27.	मोतीपुरा	बाबूलाल	तेजमान
28.	बम्बोरीघाटा	तेजनारायण	यादवेन्द्र तिवाड़ी
29.	सेतकोलू	दिनेशचन्द्र रमेशचन्द्र रघुनन्दन महेशप्रसाद	जगन्नाथ रघुनन्दन श्यामलाल
30.	गगचाना	सुरेशचन्द्र	जुगलकिशोर जगन्नाथ
31.	अजनावर	यतीन्द्रपाल रमेशचन्द्र योगेन्द्र कुमार	सत्यनारायण
32.	कचनारियाकलां	श्यामसुन्दर	भवानी शंकर
33.	बडोरा	कृपाचरण रघुनन्दन	रेवतीरमण
34.	कुजेड़	प्रसन्न कुमार	जगन्नाथ
35.	हाथी की दीलोद	श्रीकृष्ण शर्मा जयशंकर शर्मा	हरिचरणलाल
36.	नानावता	जीवनसिंह	लाड्डूलाल
37.	खुरी	सीताराम	प्यारसीलाल
38.	पटना	दिनेश कुमार	राधेश्याम

1	2	3	4
39.	बम्बूलिया	मदनमोहन	बाबूलाल प्रहलाददत्त
40.	गेंता	रामसिंह	श्रीनिवास
41.	तलाब	ओम प्रकाश	पद स्वीकृत नहीं
42.	बागली	लक्ष्मीकान्त	,,
43.	नीमोला	गौरीशंकर	,,
44.	करवाड़	ओम प्रकाश	,,
45.	नीमोदा	रामस्वरूप	,,
46.	मोरपा	रामस्वरूप	पुरुषोतमदत्त
47.	बूडादीत	गणेश कुमार	रविशंकर
48.	मेडायरा	ओम प्रकाश	छीतरलाल हरिशंकर
49.	जाखरोद	सत्यनारायण रमेशचन्द्र	पुरुषोत्तम शर्मा
50.	अयाना	गिर्राज किशोर	पद स्वीकृत नहीं
51.	रेल	पुरुषोतमलाल	केसरीलाल
52.	झिनझिनी	काशीराम	गिर्राजप्रसाद ओमप्रकाश मन्नूलाल
53.	कोहनी	मुरलीधर	परशुराम
54.	कोटड़ादीपसिंह	रामेश्वर प्रसाद	तुलसीराम
55.	राजपुर	राधेश्याम रमेशचन्द	कांतिचन्द राधेश्याम
56.	पचपाड़ा	वीरेन्द्र कुमार	रविबाबू
57.	बारां	बाबूलाल अजिमुद्दीन	घनश्याम शर्मा मणिदेवी
58.	रामगंजमंडी	राधेश्याम श्रीकृष्ण	रमाकान्त भारतप्रकाश राधेश्याम
59.	खीमच	जयशंकर कैलाशचन्द्र	रघुनन्दन गणेशलाल श्यामलाल
60.	बटावदापार	नारायणसिंह	ओम प्रकाश

1	2	3	4
61.	राई	मधुसूदन	विरदीचन्द
		राजनारायण	श्यामसुन्दर
62.	रोटेदा	कीर्ति कुमार	सन्तोषकुमारी
		ब्रजमोहन	
63.	पलायता	उमाशंकर	प्रभुलाल
64.	बड़वा	जगपाल	छैलबिहारी
65.	मिर्जापुर	मूलचन्द	ओम प्रकाश
66.	बड़गांव	दिनेश कुमार	राधेश्याम
		हरिशचन्द्र	नन्दलाल
		योगेन्द्र कुमार	
67.	नियाना -	महेश्वरप्रसाद	बद्रीलाल
68.	उदपुरिया	राधेश्याम	रामस्वरूप
		रमेशचन्द्र	
69.	कोयला	बद्रीलाल	अमरसिंह
70.	फतेहपुर	ओमप्रकाश	रमेशचन्द्र
71.	लिसाड़िया	जगदीश प्रसाद	कल्याणप्रसाद
			जयराज शर्मा
72.	जलवाड़ा	सन्तोष कुमार	रामेश्वरप्रसाद
73.	देवरी	पूरणचन्द	रामकृष्ण
74.	खण्डेला	रामचरण	सूरजमल
			अजीतकुमार
75.	रामगढ़	गौरीशंकर	हरिमोहन
76.	दुर्जनपुरा	राधेश्याम	निर्मल कुमार
		कृपाचरण	
77.	गरडा	हरिदत्त	फूलचन्द
		कमलेश्वर	सूरजमल
			भगवानदास
78.	नाहरगढ़	राजनारायण	मांगीलाल
		मधुसूदन	
79.	बराना	ब्रजमोहन	मदनलाल
		देवेन्द्र कुमार	
		कीर्ति कुमार	

1	2	3	4
80.	किशनपुर तकिया	जगदीशप्रसाद कीर्ति कुमार देवेन्द्र कुमार	हाकिमसिंह
81.	चल चिकित्सालय	कृष्णानन्द बालकृष्ण	सरस्वती अम्मा रमाकान्त दयाशंकर
82.	अ-श्रेणी चिकि., कोटा	मेघवाहन शर्मा नरोतम कुमारी सहगल मुरलीधर शर्मा	देवकुमार जैन गंगाधर व्यास नरेन्द्र कुमार शर्मा सन्तोषदेवी शर्मा स्नेहलता राजेन्द्र कुमार पारीक रमेशचन्द्र गंगादेवी बाबूलाल छीतरलाल इन्दु ओझा।

सूची—2

वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में कोटा जिले में वैद्यों के किये गये स्थानान्तरणों की सूची :—

क्र० सं०	नाम वैद्य	कहां से	कहां को दिनाक	आदेश	परिवर्तन का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	हरिदत्त शर्मा	गरड़ा (कोटा)	पालडीकलां (नागौर)	24-9-82	प्रशासनिक
2.	कमलेश्वर	पालडीकला (नागौर)	गरड़ा (कोटा)	,,	स्वेच्छा
3.	रामकृष्ण	मोहीकलां (कोटा)	हाथनोदा (जयपुर)	6-1-83	,,

1	2	3	4	5	6
4.	सुरेन्द्र कुमार	हाथनोदा (जयपुर)	मोहीकलां (कोटा)	16-1-83	प्रशासनिक
5.	हरिशचन्द्र	बड़गांव (कोटा)	मण्डिता (कोटा)	,,	स्वेच्छा
6.	योगेन्द्र कुमार	मण्डीता (कोटा)	बडगांव (कोटा)	,,	,,
7.	रमेशचन्द्र	अजनावर (कोटा)	राजपुर (,,)	,,	प्रशासनिक
8.	दिनेशचन्द्र	सेतकोलू (,,)	बेडला (झाला०)	11-1-83	स्वेच्छा
9.	उमाशंकर	पलायता (,,)	कसार (कोटा)	,,	प्रशासनिक
10.	मंजुल कुमार	कसार (कोटा)	केथून (कोटा)	,,	स्वेच्छा
11.	ललित कुमार	बलवन (,,)	सेवा (स. मा.)	25-1-83	,,
12.	बाबूलाल	सेवा (स. माधो.)	बलवन (कोटा)	,,	प्रशासनिक
13.	मधुसूदन	राई (कोटा)	नाहरगढ़ (,,)	,,	स्वेच्छा
14.	राजनारायण	नाहरगढ़ (,,)	राई (,,)	,,	प्रशासनिक
15.	उमाशंकर	कसार (,,)	विशाला (बाड़मेर)	15-2-83	स्वेच्छा
16.	योगेन्द्र कुमार	बडगांव (कोटा)	कसार (कोटा)	18-2-83	,,
17.	रमेशचन्द्र	सेतकोलू (,,)	कालीतलाई (झालावाड़)	,,	,,
18.	रघुनन्दन	कालीतलाई (झाला.)	सेतकोलू (कोटा)	,, ,,	,, ,,
19.	सत्यनारायण	जाखरोद (कोटा)	कुश्तला (स. मा.)	,,	,,
20.	मोहनलाल	कुश्तला (स. मा.)	जाखरोद (कोटा)	,,	प्रशासनिक
21.	महेन्द्र कुमार	ऊंडवा (कोटा)	मोहीकला (कोटा)	,,	स्वेच्छा
22.	सुरेन्द्र कुमार	मोहीकलां (,,)	ऊंडवा (,,)	,,	प्रशासनिक
23.	रामेश्वर चतुर्वेदी	पलायथा (,,)	विशाला (बाडमेर)	2-3-83	,,
24.	सुरेन्द्र कुमार	ऊंडवा (कोटा)	हाथनोदा (जयपुर)	1-3-83	स्वेच्छा
25.	दिनेश कुमार	सुण्डलक (,,)	बडगांव (कोटा)	5-3-83	,,
26.	मोहनलाल	जाखरोद (,,)	कुश्तला(स. मा.)	,,	,,

1	2	3	4	5	6
27.	सत्यनारायण	कुश्तला (स. मा.)	जाखरोद (कोटा)	5-3-83	स्वेच्छा
28.	बाबूलाल	बलवान (कोटा)	सेवा (स. मा.)	12-3-83	,,
29.	ललित किशोर	सेवा (स. मा.)	बलवन (कोटा)	,,	प्रशासनिक
30.	नरोतम कुमारी	अ–श्रेणी कोटा	भवानीमंडी (झाला.)	22·4·83	प्रशासनिक
31.	अनिल कुमार	भवानीमंडी (झाला.)	अ–श्रेणी कोटा	30·4·83	स्वेच्छा
32.	रामकृष्ण	ऊंडवा (कोटा)	हाथनोदा (जयपुर)	,,	,,
33.	सुरेन्द्र कुमार	हाथनोदा (जयपुर)	ऊंडवा (कोटा)	,,	प्रशासनिक
34.	व्रजमोहन	बराना (कोटा)	अ-श्रेणी कोटा	,,	स्वेच्छा
35.	मुरलीधर	अ–श्रेणी कोटा	बराना (कोटा)	,,	प्रशासनिक
36.	मुरलीधर	बराना (कोटा)	अ–श्रेणी कोटा	30-6-83	स्वेच्छा
37.	बृजमोहन	अ–श्रेणी कोटा	बराना (कोटा)	,,	प्रशासनिक
88.	सत्यनारायण	जाखरोद (कोटा)	सारसोप (स. मा.)	,,	स्वेच्छा
39.	रमेशचन्द्र	सारसोप (स.मा.)	जाखरोद (कोटा)	,,	प्रशासनिक
40.	बृजमोहन	बराना (कोटा)	रोटेदा (कोटा)	,,	स्वेच्छा
41.	कीर्तिकुमार	रोटेदा (कोटा)	बराना (कोटा)	,,	प्रशासनिक
42.	बाबूलाल	बलवन (कोटा)	सेवा (स.मा.)	,,	स्वेच्छा
43.	ललित किशोर	सेवा (स. मा.)	बलवन (कोटा)	,,	प्रशासनिक
44.	राधेश्याम	रामगजमंडी (कोटा)	हाथी की दीलोट	29-6-83	,,
45.	श्री कृष्ण शर्मा	हाथी की दीलोद (कोटा)	रामगंज (मंडी) (कोटा)	,,	स्वेच्छा
46.	यतेन्द्रपाल	अजनावर (कोटा)	कसार (कोटा)		
47.	योगेन्द्र कुमार	कसार (कोटा)	अजनावर (कोटा)	,,	प्रशासनिक

1	2	3	4	5	6
48.	राधेश्याम	हाथी की दीलोद (कोटा)	बरनाऊ (जोधपुर)	6–7–83	प्रशासनिक
49.	जयशंकर	बरनाऊ (जोधपुर)	हाथी की दीलोद	,,	स्वेच्छा
50.	मुरारीलाल	बुढादीत (कोटा)	गण्डाला (स.मा.)	,,	प्रशासनिक
51.	प्रभुलाल	मोडक (कोटा)	जोलपा (झाला.)	17-10-83	,,
52.	ओम प्रकाश	मण्डावरा (कोटा)	कवाई (कोटा)	,,	स्वेच्छा
53.	राधेश्याम	बरनाऊ (जोधपुर)	मोडक कोटा)	,,	,,
54.	रामविलास	कवाई (कोटा)	मण्डावरा (कोटा)	,,	,,
55.	राधेश्याम	दुर्जनपुरा (कोटा)	ऊंडवा (कोटा)	14-11-83	,,
56.	नन्द किशोर	बोरपा (कोटा)	धानसिया (गंगानगर)	,,	प्रशासनिक
57.	रामस्वरूप	धानसिया (गंगानगर)	मोरपा (कोटा)	,,	स्वेच्छा
58.	यतेन्द्रपाल	कसार (कोटा)	घाटोली (झालावाड़ा	,,	,,
59.	गणेश कुमार	घाटोली (झालावाड़)	कसार (कोटा)	,,	प्रशासनिक
60.	गिरजाशंकर	दरास्टेशन (कोटा)	उन्हैल (झालावाड़)	,,	,,
61.	भैरूलाल	उन्हैल (झाला)	दरास्टेशन (कोटा)	,,	स्वेच्छा
62.	रमेशचन्द्र	राजपुर (कोटा)	उदपुरिया (कोटा)	,,	,,
63.	राधेश्याम	उदयपुरिया (कोटा)	राजपुर कोटा)	,,	प्रशासनिक
64.	राधेश्याम	मोड़क (कोटा)	उदपुरा (कोटा)	26-12-83	स्वेच्छा
65.	मदनगोपाल	उदपुरा (कोटा)	जोल्पा (झाला.)	,,	प्रशासनिक
66.	प्रभुलाल	जोल्पा (झाला.)	मोड़क (कोटा)	,,	स्वेच्छा
67.	भैरूलाल	दरा (कोटा)	बेड़ला (झाला.)	,,	प्रशासनिक
68.	गिरजाशंकर	उन्हेल (झाला.)	दरा (कोटा)	,,	स्वेच्छा
69.	कीर्ति कुमार	बराना (कोटा)	किशनपुरा (कोटा)	9-1-84	,,
70.	देवेन्द्र कुमार	किशनपुरा (कोटा)	बराना (कोटा)	,,	प्रशासनिक
71.	गोपेश कुमार	कसार (कोटा)	घाटोली (झाला.)	,,	स्वेच्छा
72.	यतेन्द्रपाल	घाटोली (झाला.)	कसार (कोटा)	,,	प्रशासनिक
73.	कृपाचरण	बडोर (कोटा)	दुर्जनपुरा (कोटा)	12-1-84	,,
74.	रघुनन्दन	सेतकोलू (कोटा)	बडोरा (कोटा)	25-1-84	स्वेच्छा
75.	महेशचन्द्र	अ-श्रेणी बांसवाड़ा	सेतकोलू (कोटा)	फरवरी, 84	,,
76.	मदनगोपाल	जोल्पा (झाला.)	ऊदपुरा (कोटा)	31-1-84	,,
77.	राधेश्याम	उदपुरा (कोटा)	जोल्पा (झाला.)	,,	प्रशासनिक

———

सूची 2

कोटा जिले के वैद्यों को स्थानान्तरण पर दिया गया यात्रा व्यय (वर्ष 82–83 एव 83–84) की सूची

क्रम संख्या	नाम वैद्य		यात्रा भत्ता राशि	
			चुकाया गया	चुकाया जाना शेष है
1	2	3	4	5
1.	श्री राधेश्याम शर्मा	(रामगंज मण्डी)	490·00	—
2.	श्री यतीन्द्र पाल	(घाटोली-झालावाड़)	493·00	—
3.	श्री रमेशचन्द शर्मा	(अजनावर)	—	490·00
4.	श्री योगेन्द्र कुमार	(बड़गांव)	484·00	—
5.	श्री जगदीश प्रसाद	(अ-श्रेणी बूंदी)	412·00	—
6.	श्री कृष्णानन्द	(चल चिकित्सालय)	—	525·00
7.	श्री कीर्तिकुमार जैन	(रोटेदा)	385·00	—
8.	श्री योगेन्द्र कुमार	(कसार)	—	500·00
9.	श्री राधेश्याम	(राजपुरा)	—	400·00
10.	श्री देवेन्द्र कुमार	(किशनपुरा)	—	400·00
11.	श्री जगदीशप्रसाद	(किशनपुरा)	490·00	—
12.	श्री कृपाचरण	(बड़ौदा)	—	500·00
13.	श्री अनिलकुमार	(अ-श्रेणी)	376·25	—
14.	श्री राजनारायण	(नाहरगढ़)	—	500·00
15.	श्री राधेश्याम	(उदयपुरिया)	—	575·00

———

परिशिष्ट—24

अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कार्यों का अभिकरण वार विवरण।

नाम अभिकरण :—राजस्थान स्टेट ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०

क्र. सं.	नाम कार्य	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर ओ. टी. एस. के नजदीक पुल का निर्माण	49·44
2.	खातीपुरा रोड पर पुल का निर्माण	27·91
3.	अजमेर रोड अमानीशाह नाला पर पुल का निर्माण	59·92
4. (क)	सीकर रोड पर अमानीशाह नाला पर स्पिलवे तथा पुल का निर्माण	115·87
(ख)	अमानीशाह नाले पर मजार के पास स्पिलवे तथा पुल का निर्माण	19·19
5.	चार दरवाजा के बाहर पुल का निर्माण	14·04
6.	गंगापोल के बाहर पुल का निर्माण	10·23
7.	खेतान पालीटेक्निक के समीप पुल का निर्माण	11·31
8.	डेयरी के नजदीक पुल का निर्माण	13·14
9.	कम्पोस्ट प्लांट के नजदीक पुल का निर्माण	7·11
10.	अमानीशाह का नाला सांगानेर के पास का पुल का निर्माण	26·78
11.	गंदा नाला पर पुल का निर्माण	29·70
12.	गंदे नाले पर कलवर्ट नंबर 4 व 5 का निर्माण	6·59
13.	खातीपुरा (करतारपुरा) पुल का निर्माण	—
14.	चेनल लाइनिंग आग्र, नाला आगरा रोड़ से टोंक रोड	11·07
15.	झालाना खंड सड़क पर पुल का निर्माण	0·17
16.	क्लार्क आमेर के पास पुल का निर्माण	—
17.	ईदगाह मार्ग, चार दरवाजे बाहर पुल का निर्माण	—
18.	ओ. टी. एस. भवन का निर्माण	83·25
19.	पुराने ओ. टी. एस. भवन का कार्य	7·91
	नाम अभिकरण :— सिंचाई विभाग	
1.	मंजार बांध	27·30
2.	सीकर रोड बांध	25·10
3.	गलता	18·00

1	2	3
4.	स्पिलवे चैनल	0·43
5.	सांगानेर नाले पर स्पर	1·39
	नाम अभिकरण :— जयपुर विकास प्राधिकरण	
1.	बाढ़ पुनरुद्धार के 18 पक्के कार्यों जो अंशतः नष्ट हो गये थे हेतु	91·95
2.	सड़कों पर से मिट्टी के हटने के 14 कार्यों पर	7·73
3.	विभिन्न क्षेत्रों से कीचड़ व कूड़ा करकट हटाने के लिये	3·20
4.	तत्कालीन पुनरुद्धार सहायता पर	3·47
	अभिकरण का नाम पुरातत्व संग्रहालय विभाग	
1.	गेटोर की छतरियों में टूट-फूट की मरम्मत	0·19
2.	मांजी की छतरी में सहायता निर्माण पूरा	0·18
3.	गलता की छतरियों की मरम्मत	0·31
4.	नाहरगढ़ की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण किले की छतों की मरम्मत एवं नाहरगढ़ जन्तर-मन्तर हवामहल के रंग-रोगन	2·04
5.	हवामहल की छतों की मरम्मत	0·07
	नाम अभिकरण :— वन विभाग	
1.	भवन नाका घाट	0·02
2.	जयपुर जन्तुआलय के पिंजरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	0·61
3.	झालाना पौधे लगाना)	
4.	ओ. टी. एस. पौधे लगाना)	1·20
5.	जवाहर नगर नाले के किनारे पौधे लगाना)	
	अभिकरण का नाम :— पर्यटन विभाग	
1.	गलता तीर्थ स्थान के पुनरुद्धार हेतु	9·65
	नाम अभिकरण :— भेड़ व ऊन विभाग	
1.	बाढ़ग्रस्त निदेशालय जयपुर के मोटर गैरेज की मरम्मत	0·10
2.	भेड़ प्रजनन केन्द्र जयपुर के पेडेक दिवार	0·09
3.	भेड़ प्रजनन केन्द्र जयपुर पर सम्पर्क सड़क	0·13
4.	पेडेक मरम्मत भेड़ प्रजनन केन्द्र जयपुर पर	0·05
5.	भेड़ प्रजनन केन्द्र जयपुर चार दिवारी की मरम्मत का कार्य	0·36
	नाम अभिकरण :— पशु पालन विभाग	
1.	पशु अनुसंधान केन्द्र बस्सी	0·39

(611)

1	2	3
2.	पशु चिकित्सालय, गांधीनगर	0·33
	नाम अभिकरण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग	
1.	स्रोत पैकेज	30·92
2.	पम्प एवं मशीनरी पैकेज	45·00
3.	पाइप लाइन पैकेज	50·58
4.	सिविल कार्य पैकेज	18·00
5.	टोवाल का निर्माण एवं पिचिंग का कार्य	0·48
6.	टी. पी. के बाउण्ड्रीवाल की रिपेयर	0·10
7.	एप्रोच रोड की रिपेयर	0·06
8.	बान्दरी का नासिक में 300 मि. मी. सीवर लाइन का कार्य	0·66
9.	मुन्शी रामदास जी की हवेली में 250 मि. मी. सीवर लाइन का कार्य	0·85
10.	मोतीकटला बाजार में 450 मि. मी. सीवर लाइन की रिपेयर का कार्य	1·89
11.	राजमल का तालाब की 450 मि. मी. सीवर लाइन की रिपेयर का कार्य	0·31
12.	म्यूजियम के पास अर्थ फिलिंग	0·03
13.	एम. एच. कंवर के सीवरलाइन रेंजिंग की सफाई	0·06
14.	60 मि. मी. आर. सी. सी. सीवर लाइन पृथ्वीराज रोड सी-स्कीम पर मरम्मत का कार्य	0·33
15.	आर, सी. सी. कन्ट्यर नला पावर हाऊस की मरम्मत एवं मिट्टी भराई	0·29
16.	मुख्य अभियन्ता कार्यालय में सड़क के मरम्मत का कार्य	0·40
	नाम अभिकरण :— उद्योग विभाग	
1.	मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में प्लाट सं. बी. 5 (ए) के पास बाढ़ ग्रस्त भूमि के समतलीकरण का कार्य	0·89
2.	मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में भूमि विकास का कार्य	1·00
3.	मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट सं. 2 डी. पर विकास कार्य व नालियों के निर्माण का कार्य	1.84
4.	मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुए नाले के निर्माण का कार्य	1·01

1	2	3
5.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रोड नं०—14 पर बाढ़ग्रस्त सड़कों व नालियों की मरम्मत का कार्य	1·21
6.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रोड नं०—9 पर बाढ़ ग्रस्त भूमि में मिट्टी भराव व नालियों की मरम्मत का कार्य	2·35
7.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पांचवें चरण में विभिन्न प्लाटों की भूमि का पुनः समतलीकरण व क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत का कार्य	2·00
8.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान हैण्डलूम बोर्ड के लिये प्रस्तावित भूमि के समीप प्लाटों की भूमि का पुनः समतलीकरण सड़क मरम्मत का कार्य	1·11
9.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पांचवें चरण में सड़क व नालियों की मरम्मत का कार्य	0·98

——

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये कार्यों का अभिकरण विवरण

नाम अभिकरण :— नगर परिषद, जयपुर

क्र. सं.	नाम कार्य	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	Repair of old Ramp @ Const. of new Ramp at end of Deenanah ji ka Rasta.	0·26
2.	Carpet work from Nadi area Park in Langer ka Balaji ka rasta.	0.64
3.	-do- in gali No. 2 Mohan Nagar.	0.16
4.	B. T. Road from public latrine in Mohan Nagar.	0·19
5.	Recarpet in Balanand ji ka rasta.	0.50
6.	St. Pavt. road and drain to Meena Para from house of Shri Bhori Lal Meena.	0.33

(613)

1	2	3
7.	Carpet work on st. Pavt. road in Barathi ki gali Deena Nath ji ka rasta.	0.04
8.	–do– in Madohpuri ka Chowk –do–	0·09
9.	Rest. of road Panchmukhi Hanumanji temple and side lanes.	0.55
10.	Rest of road and drain in end of Balanand ji ka rasta and langer ka Balaji ka Rasta.	0.84
11.	St. Pavt. road and drain in Mohan Nagar road No. 2 from house of Shri Sangram Singh to Ramsingh.	0.22
12.	Repair to road cuts.	0.72
13.	Constn. of drain at Nahar Garh road near Sanjay Memorial School.	0.15
14.	B. T. Road in front of side lanes of Pundrick park main gate.	0.07
15.	Repair of road by carpet work near pundrick ji ki Hawali sides lanes of Sita Ram Bazar.	0.15
16.	St. Pavt. road in side lanes Koli Basti.	0.15
17.	Const. of retaining wall and patching work on gator road.	0.51
18.	St. Pavt. road in side in Bdri ji ki gali and Pujari ki gali.	0.09
19.	Raising of road and const. of B.T. Road at end of Mangala Marg.	0.39
20.	Const. of link road from Mohan Ngr. road to Bara mori.	0.31
21.	R.C.C. Slabs on Nallas near Baba Bhawan.	0.31
22.	St. Pavt. road and drain in Narsingh Dass Ji ki Bagchi.	0.10
23.	Const, of retaining wall in–do–	0·09
24.	Const. of St. Pavt. road and drain near public latrin lanes of koli Basti.	0.18
25.	Recarpet on Gator road.	0.50

1	2	3
26.	Carpet Work in pruohit wads near Jo Mata Ka Tample and 12 Mori.	0.43
27.	Repairs to road cuts.	0.30
28.	Rest. of road and drain in Chota Akhara side lanes.	0.50
29.	St. Pavt. road and drain in Sawami Vijai Nand ki gali.	0.10
30.	-do- near Khara Kuwa Mangla Mata road.	0.32
31.	B.T. Road upto Power house on Mangal Marg road.	0.51
32.	St. Pavt. road and drain near Asbetrats Factory in Purohit Para.	0.25
33.	-do- near Jangi Mandir Mangla Marg.	0.51
34.	Rest. by providing retaining wall and St. Pavt. road in Narsingh dass ji ki Bagchi.	0.47
35.	Rest. of Gator road Harijan Basti.	0.86
36.	St. Pavt. road and drain in Namak ki Mandi.	0.13
37.	20 mm. carpet in Kalyanji ka rasta.	0.83
38.	25 mm. -do- Tikarmal ka rasta.	0.20
39.	20 mm -do- Bhindon ka rasta.	0.42
40.	-do- T.K. Rasta.	0.91
41.	-do- Jhalaniyo ka rasta.	0.21
42.	St. Pavt. road and drain towards police chowki to public latrines in Bhindo ka rasta.	0.19
42.	20 mm. carpet and repairs to drain in Namak ki Mandi.	0.37
44.	Repairs of road cuts.	0.83
45.	St. Pavt. road anp drain in Bhori Lal Khati ka chowk Neenderrao ji ka rasta.	0.10
46.	20 mm. thick carpet and repair of drain in Nehru Vidyalay ki gali Kalyan ji ka rasta.	0.08
47.	-do- in Bhandra ji ka chowk Khe jane walon ka rasta.	0.13
48.	St. Pavt. road and drain in Shohyo ka rasta Ist	

1	2	3
	crossing Mishra ji ka rasta.	0.02
49.	-do- at Vishwakarama Motor repairs Khuteto ka rasta.	0·04
50.	20 mm. carpet in Mishara Rajaji ka rasta.	0.75
51.	-do- in Sokhyio ka rasta.	0.75
52.	-do- in Maliyo ka chowk Khejro ka rasta.	0.18
53.	-do in Murlidhar ji ki gali and side lanes near Banshi Harwai Khajne walo ka Rasta.	
54.	20 m. m carpet in Parjapatiyo ki gali Khajane walo ka rasta.	
55.	–do– from Andheri Darwaja from Khajane walo ka rasta.	0.23
56.	20 m. m. on Andheri Darwaja from Khajane walo ka rasta to Bhindo ka rasta.	0.29
57.	Repairs of road and drain in T. K. rasta from Kalyanji ka Rasta to Maszid.	0.22
58.	–do– 20 mm. carpet in Radha Damodar ji ki gali	0.22
59.	–do– and repairs of drain in Sango ka rasta Harsukha Kasliwal Ki gali.	0.13
60.	Repairs to road cuts.	0.43
61.	Repairs of damaged road with const. of drain in Hasanpura 'B' near P.W.D. Office.	0·66
62.	Rest. of road and drain in Hasanpura B.	1·35
63.	–do– in Nahari ka Naka (Pal Clinic to Lanka puri road.	0.83
64.	–do– Azad Basti and Shri Ram Basti.	0.42
65.	Rest. of road in Barodia Basti.	2·74
66.	—do— Mali Colony.	0·99
67.	—do— Sen Colony near Barodia basti.	0·31
68.	—do—Painter Colony.	0·95
69.	—do—Jamana Dairy on Ajmer Road.	0·87
70.	—do—Man Singh Pura Regar Basti.	0·61

1	2	3
71.	B. T, Road in Mandawa house.	0.19
72.	20 mm. carpet with binding of road and const. of drain in Jalupura Anajmandi.	0.27
73.	Const. of road and drain in near Md. ki gali from M. I. Road to Indira Bazar.	0.28
74.	Const. of road in Kasab Pura Hamid Nagar from Purohitji ka Bag Normal School.	0.43
75.	Const. of drain -do-	0.29
76.	Rest. of road and drain near Shive temple behind Nav Jyoti Press	0.15
77.	-do- back side of Shyam Wine Store 22 Godown	0.18
78.	-do- Kanti Ngr. Plot No. 101 Mukerji House.	0.30
79.	-do- Opp. Sanicharji ka temple from Station Road.	0.10
80.	-do- Santosh Nagar on Ajmer road (Link to Khasanpura (b)	0.73
81.	-do- Jalupura.	2.85
82.	-d0- Vijay Path near Sindhi Camp Bani Park.	0.32
83.	-do- Kanti Nagar.	0.56
84.	-do- between in Meda factory and Police line from Station Road.	0.25
85.	-do- Sewage from Sodall by pass.	0.26
86.	-do- Sen Colony near barodia Basti side lanes.	0.44
87.	-do- behind Meda Factory (Jobner Bagh)	0.07
88.	-do- Chandpole G. Ground.	0.16
89.	-do- Shive Shakti Colony and Shive Colony.	0.49
90.	-do- Tata Nagar and Lalita Bhasti Colony.	0.48
91.	-do- Ram Nagar Block B.	0.74

1	2	3
92.	New Jalupura from Plot No. B 51.	1.08.
93.	-do- in front of Krishan Clinical.	0.58
94.	-do- new Jalupura from P. No. 436.	1.15
95.	-do- P. No. 361.	0.72
96.	-do- in Chandar Shekhar ki Bagichi area.	1.97
97.	Rest. of road and drain housing boards to P & L Quarter (incl. drain).	0.33
98.	-do- Kasab Pura.	0.68
99.	Rest of road and drain in Out side Chandpole.	0.09
100.	-do- on Adarsh Nagar shopping center area and side lanes in Ramgarh,	0.62
101.	-do- Shastri Nagar Shopping center Pital Factory.	0.77
102.	-do- near Bani Park (Lal Payao area)	0.85
103.	-do- Ram Mandir on hawa Sarak to 22 Godown (K. B.) Line Road.	0.75
104,	Const. of drain in Hasanpura A. (back side of N.B C. Industri's wall).	0.22
105.	Const. of road and drain in Harijan Basti Chandar Shekhar ki Bagichi.	0.20
106.	Const. of road and drain in Meerji ka Bagh.	0.65
107,	Const. of road in Sen Colony.	0.25
108.	Const. of drain in Bhawgwtvatika.	.15
109.	20 mm. carpet and drain repair in Nanaji ka gali Gopalji ka Rasta.	0.13
110.	-do- and St. Pavt. road in Taliyon ki gali. Tali-para ka Rasta.	0.09
111.	20 mm. Carpet in Hanumanji ka rasta.	0.22

1	2	3
112.	St. Pavt. road and drain behind Dhula House Bapu Bazar.	0.02
113,	Repairing work of st. Pavt. road and drain in certain portion.	0.27
114.	-do- Vidyadhar ka rasta.	0.28
115.	22 mm. thick carpet opp. Dhulla House in Bapu Bazar.	0.14
116.	Raising of road opp. Dhula House.	0.20
117.	Repair to road cuts.	0.38
118.	Const. of St Pavt. road drain in rasta Kanwatiyan ki Pipali from Asger Ali ki Gali.	0.15
119.	Laying 28 mm. thick permixed carpet in rasta Moti Singh Bhomiya ka rasta Johari Bazar.	0.16
120.	-do- in rasta Gheewalon ka from Johari Bazar.	0.15
121.	-do- in rasta Kundigarion ka Bharron rasta from Johari Bazar.	0.23
122.	Constn. of St. Pavt. road drain in Regron ki gali and behind Hindustan School.	0 03
123.	-do- at Ladhan house Rasta Maniramji ki Kothi.	0.12
124,	P/L 20 mm. thick permixed carpet in Bisteyo ka Mohalla rasta Kanwatiyon ki peepli.	0.70
125.	Rest. of st. Pavt. in all Mani Ram ji ki Kothi H. No. 4613.	0.06
126.	Improvement of Gemoctrices of existing road from Ondha Mahadev to Mehron ka Rasta.	0.93
127.	Repair to road cut.	1.39
128	Remettling and B.T. in rasta purani Kotwali Johri Bazar.	0.52

1	2	3
129.	Laying 20 mm. thick carpet in rasta Bheraji ka Darwaja.	0.58
130.	Const. of St. Pavt. road and drain in Bhistyon ka Mohalla near Kazi ka Chowk and Mehron ka Khurra.	0.20
131.	Metalling and carpeting in rasta Mehadi ka Chowk.	0.79
132.	Metalling and carpeting at Chabble to Peeli Hawali.	0.06
133.	-do- at rasta Kalyab ki Kothi.	0.80
134,	Imp. at rasta Bala ji laying 20 mm. thick permix.	0.55
135.	Mettaling and carpeting at rasta Sumer Karanji ka.	0.32
136.	Const. of B. T. Road at rasta Babu ka Tiba from Nagina Maszid.	0.67
137.	Const. of St. Pavt. road and drain at rasta Kalyan ji ki Kothi from Isamd house of Gafoor Bhai in Mohalla Bistiyon ka.	0.51
138.	Const. of St. Pavt. road and drain at rasta Kaliyan ka Mohalla opp. Gulzar Maszid.	0.29
139.	Mettaling and carpeting and const. of drain in Banzar Basti.	0.65
140.	Const. of St. Pavt. road and drain at rasta Balaji ka Taj Mahal Chabil H. No. 13	0.45
141.	-do- in Thakur Geejgarh ki Bazar and Sarano ka mohalla.	0.62
142.	Laying 20 mm. thick carpet in rasta Paharganj road.	0.54
143.	Constn. of B. T. Road and side drain near Nagina Maszid in Mehta Marg Berwa Besti.	0.39

1	2	3
144-	-do- side lanes at Chain Puria Harijan Basti.	0.99
145.	Mettaling and carpeting at rasta Kazi ka Nala.	0.85
146.	Const. of B. T. Road at Badhukha ka Gher.	0.85
147.	-do- in rasta Mehta Marg.	0.62
148.	Mettling and carpeting in rasta Karjiyan ka.	0.35
149.	P/L carpet work in Kanwar Ngr. from R.S.E.B. office towards lime market and otherside lanes.	0.78
150.	Constn. of Kota stone floor near Main gate of Pundrik park.	0.21
151.	Const. of road and drain at Rajamal ka Talab in Harizan Basti.	0.58
152.	Repairing of roads back side of Ram Prakash Cinema from Janta Darwaja and Bajdaron ki Mori.	0.37
153.	P/L pipe railing on old Amer road.	0.71
154.	Const. of Foot Path in Old Amer road.	0.47
155.	Rest. of road and drain near Kala Hanuman ji temple and Girdhari ji temple.	0.21
156.	-do- from R.S E.B. of ice towards public park.	0.85
157.	Rest. of road along Nala and also const. of approaches to M. C. Coloney by B.T. Road.	0.09
158.	Repairs to road cuts.	1.00
159.	Const. of stone flooring work in Jai Niwas garden behind Govind deo ji temple.	0.45
160.	Const. of stone flooring and foot path East to North in Jai niwas garden.	0.17
161.	Const. of Nallah (Rest portion) behind Kanwar Nagar.	1.22

1	2	3
162.	Repairs of Nallah Kasav Nagar in Chogan Stadium.	0.30
163.	P/L R.C.C. Slab (Approach to Joshi Colony) Opp. Pundrick park.	0.70
164.	Const. of St. Pavt. road and drain at Namadgran ki gali H. N. 257 H. No. 2504 Mohalla C, Sewar.	0.04
165.	Laying 20 mm. thick permixed carpet in rasta Bariyon ki gali.	0.42
166.	—do— carpet in rasta Phuta Khura.	0.57
167.	Metalling and carpeting at rasta Ghora Nikas.	0.45
168.	Laying 20 mm. thick carpet in rasta Khumaran ki Nadi.	0.63
169.	Laying 20 mm. thick carpet in rasta Jagan Nath Shah.	0,74
170.	Mettaltng and carpeting at rasta Khumaran ki Nadi.	0.63
171.	Constn. of cut walls and st. Pavt. on foot path Ghora Nikas road.	0.24
172.	—do— Phutta Khurra.	0.29
173.	—do— Ghora Nikash road Takiya Malong Shah near Milk.	0.13
174.	Const. of drain and St. Pavt. at rasta Jagan Nath Shah ka.	0.08
175.	St. Pvt. in Street iron H. No. 2008 at Dhabai ji ka Khurra.	0.01
176.	20 mm. thick road carpet in gali Tansukhi and Lala Harak chand.	0.04
177.	Constn. of st, Pvt. galies and L. Shaped drain at Ghora Nikas road (Takiya Malong Shah).	0.03

1	2	3
178.	Constn. of drain and st. vt. at rasta Jagan Nath Shah.	0.31
179.	Repair to road cuts and stone Pavt. work.	0.66
180.	Const, of U. Chowk Totaram ka gher.	0.06
181.	20 mm. thick carpet and L. shaped drain along road and sides in rasta Mer Buxji ka.	0.16
182.	Mettaling and carpeting at rasta Radha Kishan ka Kund.	0.29
183.	Carpet work near side lane of Police Chowki.	0.23
184.	P/L 20 mm. thick carpet work in Kanker ka rasta Badri ka Nasik Munshi Ramji Dass ji ki Hawali etc side lanes.	0.97
185.	Repairing of road by carpet work in side lanes of Bandri ka Nasik Khandar ka rasta and other places.	0.30
186.	P/L 20 mm. thick carpet work from Char Darwaja rasta samod (towards Gangapole police chowki)	0.94
187.	Repairs to road cuts.	0.35
188.	Redairs to road and drain in Prasram puri.	0.32
189.	St. Pavt. road and drain in Shyam Puri Harijan Basti.	1.71
190.	Const. of foot path surajpole Bazar to Gulta road side south.	0.76
191.	Rest of road and drain in Pachrangipatti Iswatan Mohalla In area. Idgah,	0.46
192.	Const. of foot path Suraj pole gate North of Gulta road North side.	0.49
193.	Const. of B. T. Road and side drain in Meena Rugnath Colony out side Gangapole.	0.57

1	2	3
194.	Rest. of road and cost. of drain in Regar Basti Laxman Doongri area.	0.71
195.	Const. of B. T. Road and side drain in (Back side area at Mandi Khatikan School (Internal lanes of Laxmi Narainpuri.)	0.61
196.	Const. of Pucca foot path out side Jorawar Singh gate on Amber road.	0.08
197.	Const. of foot path by pass to (North side) Suraj pole gate Gulta road.	0.67
198.	Const. of B. T. Road with side lanes from outside Chardarwaja towards Maliyo ka Mohalla via to Shyampuri.	0.65
199.	Const. of L. Shaped drain in repair of St. Pvt. road near shive temple ka Khutta and near Bharuji temple with internal lanes in Mandi Khatikan.	0.17
200.	Constn. of B. T. road and side lanes from park Laxmi Narain puri (opp. Mandi Khatikan Govt. Primary School towards Bazaring nursery and Shyam puri Circle in Laxm. Nagar.	0.71
201.	Repair to road cuts.	0.19
202.	General repair work in C. Ground Lal Doongari Mandi Khatikan.	0.29
203.	Rest. of road and drain in Imam chowk and Tiki-gron ka Naka back side of Idgah.	0.68
204.	Const. of drain from Malona Shab Maszid to Nallah.	0.25
205.	Const. of retaining wall out side Char Darwaja infront of Maszid L. side.	0.86
206.	Const. of road in Mohalla Khatikan from Dargah Mohalla Khatikan from Dargah Mohala to Nallah	0.16

1	2	3
207.	Const. of retaining wall from Malong sahib ki Maszid R.side.	0.57
208.	Rest. of st. Pvt. road in mohalla Khatikan from Dargha Molana to Nallah.	0.61
209.	Const. of B. T. Road and L. Shaped side drain in Shyampuri lanes (towards Harijan Basti).	0.99
210.	Laying 25 mm. thick not permixed carpet on Kalyan Path.	0.09
211.	Rest of B. T. Road and drain for approach road to Slaughter house (Kamli) from Moti Doongri road.	0.40
212.	Rest. of road and drain in internal lanes of Kachar Basti.	0.43
213.	Const. of B. T. road and drain in Namid Marg. and Nealgari ka Naka in Adarash Nagar.	0.70
214.	Rest. of road ih Creminatlon ground Adarsh Nagar.	0.15
215.	Rest. of road and portion Nalla near RSEB office at Jawahar Nagar.	0.73
216.	Rest. of road by W.B.M. at Truck stand in Transport Nagar (W. side)	0.65
217.	Const. of approach road from Ghat Ki Guni N.H.W. No.11 to land towards road ways station K. B.	0.13
218.	Repair of roads in Sector No. 1 at J. Nagar (4) (351-60)	0.67
219.	Rest. of road in Sector No. 2 at J. Ngr. (by 20 mm. P.M.C.)	0.50
220.	Repair to road by recarpeting in J. Ngr. Sc. No. 3	0.17

1	2	3
221.	Rest. of road and wall of park in J. Ngr. Sector No. 6 (17-23)	0.07
222.	—do— by remetting at T. Stand in Tr. Ngr. (E. Side)	0.67
223.	Const. of drain and 20 mm. premixed carpet in Sethi Colony near DLB Office.	0.21
224.	—do— in Sector No. 4 J. Ngr.	0.62
225.	Rest. of protection wall along Nallah in Sector No. 5 to 6 J. Ngr.	0.60
226.	Rest. of road by remettling at T. Stand in Transport Nagar (North and south side)	0.58
227.	—do— B.T. at gali Mardan Khan to rasta Kamela.	0.18
228.	Repairs of road and desilting of Nallah in Amrit Puri behind Ankur Cinema.	0.74
229.	Rest. of road by W. B. M. and carpetting and side drain at Janta Colony.	0.52
230.	Repair and restoration of road in J. Ngr. Sector No. 7 B-16.	0.97
231.	Rest of road by W. B. M. and carpetting along Nalla in Sector No. 5 and 6 in J. Ngr.	0.40
232.	Rest. of B. T. Road at Dhanna Dass ji ki Bagichi Zone—B.	0.47
233.	—do— Zone-A.	0.32
234.	Rest. and repair of road of Auto Mobile Ngr.	0.56
235.	Rest. of road by 20 mm. premixed carpet in T. Ngr. E. side.	0.95
236.	-do- W. Side.	0.96
237.	-do- North and South side.	0.94

1	2	3
238.	Repairs of desilting of in Nalla J. Ngr. Sector No. 2	2.27
239.	-do- Sector No. 3.	0.12
240.	-do- Sector No. 7.	0.42
241.	Repair to damaged rain in Mangal Marg near Kanodiya college and near 12 Dukan.	0.41
242.	Repairs and desilting on Nalla in J. Ngr. Sector No. 2	0.50
243.	Const. of drain in Janta Colony E. Side of road cremetion ground.	0.32
244.	Rest. of road by carpetting of Mukti Marg from Ghat gate to Guru Nanak Bhawan.	0.68
245.	Rest. of street light damaged by flood.	2.00
246.	Divertion of sullege flow from existing open Nallah at Rajamal ka Talab Jaipur.	1.95
247.	Purchase 50 Nos. betumen drams for patch repairs.	0.31
248.	Transfer of Rs. 17 lacs to world's Bank Cost. Division Jaipur.	17.00
249.	Laying 230 mm. dia RCC hume pipe line in Kayamkhani ki Masjid to Kalyanji ka rasta.	0.45
250.	-do- in Jhalaniyon ka rasta near Kishan pole Bazar.	0.87
251.	-do- in Harijan Basti at Gandi Mori.	0.24
252.	Const. of manhole P & L jointing 300 mm. die RCC hume pipe line Bhindo ka Rasta from Police Chowki to Indra Bazar.	0.29
253.	-do- normal school side upto Kayamkhani ki masjid.	0.22

1	2	3
254.	Const. of drain in Harijan Basti to Gandhi Mori.	0.13
255.	Minor const. of repair of existing drain in various places in T.K.	0.18
256.	Const. of drain from T. K. Rasta to Indra market.	0.20
257.	Const. of new drain & repair of existing drain in various places.	0.31
258.	Desilting of storm water drain at west side of Choura Rasta.	0.18
259.	Repairs of drain in different gali rasta.	0.11
260.	Removing & cleaning of silt in side drain from Phutta khura Santoshi Mata temple. Mohan Nagar Meena Basti Berwa Basti.	0.25
261.	Const. of drain from public latrine in Mohan Nagar road No. 2.	0.23
262.	-do- in Jari Jothi ka chowk in P. B.	0.06
263.	Const. of Manhole in Rajashivdass ji ka rasta.	0.10
264.	Const. of drain in Mohan Nagar Kailash Nagar.	0.17
265.	Laying 230 mm. dia S. W. pipe line infront of Sindhi Camp.	0.11
266.	Const. of under ground drain in crossing of Nahargarh cross rasta Rajashivedass.	0.02
267.	Const. of 5 Manhole in rasta Rajashive.	0.14
268.	Laying 230 mm. dia S. W. pipe line laton ka chowk kan Mahajan ka chowk.	0.11
269.	Desilting of Nallah from Gandhi Mori Kalyanji ka rasta to Panch Batti Jayanti Market.	0.31
270.	Laying 230 mm. dia RCC hume pipe line in Malasher house infront of Mayank Cinema.	0.16

1	2	3
271.	Const. drain in Devi path Kabir Marg.	0.28
272.	Const. of drain in Jalupura.	2.56
273.	Repairs & covering of drain in Barodia Basti.	0.09
274.	Const. of drain in Kanti Ngr. K. Basti Hathi Babu ka Ahata.	0 30
275.	—do— in Barodia Basti.	0.17
276.	—do— in Hasanpura (a) Harijan Basti.	0.57
277.	Const. of storm water drain in Hasanpura behind Man Industries.	0.69
278.	Const. of drain in Barodia Basti to Station Road.	0.18
279.	Laying 230 mm dia RCC. hume pipe line near chandpole Foundatian.	0.53
280.	Const. of Manholes in H.S.C.	0.04
281.	Desilting of Nalla from Chandpole Sabji Mandi to Jayanti Market Vai Jalupura.	0.69
282.	Laying 225 mm. dia RCC hume pipe line in colony Meerji ka Bagh.	0.98
283.	Repair to damaged manhole & sewerline by flood by in housing boards (Nahari ka Naka) Rest. of drain in painter Colony.	0.29
284.	Rest. of drain in painter colony.	0.47
285.	Const. of Manhole & laying 230 mm. dia RCC hume pipe line near Pareek college.	0.25
286.	Laying 230 mm. dia RCC Hume pipe line infront of sindhi camp bus stand.	0.23
287.	Restoration of drain in Barodia Basti	0.21
288.	Const. of drain between Meda Factory & police line.	0.15

1	2	3
389.	Laying sewar line in Hazi colony.	0.20
290.	—do— in Bhopji ka dera	0.26
291.	Laying 150 mm. dia S.W. pipe line in Koliyo ki Basti Gator road	0.10
292.	—do—.230 mm. dia RCC hume pipe line in.	0.20
293.	Desilting of Nalla from Sanganeri Gate Choura rasta New gate Jaipur east side	0.28
294.	Const. of L. shape drain in side lane of in front of Pundrick Park.	0.07
295,	Const. 225 mm. dia Santosh Ngr.	0.19
296.	Const. of drain in pitaliyon ka chowk in Ramlal ji ka Rasta Bapu Bazar.	0.27
297.	Desilting of storm water drain in west side of Johri Bazar Jaipur.	0.20
298.	Laying 300 mm. dia RCC hume pipe line in Maniramji ki kothi.	0.14
299.	Conrt. of drain in Mahadav ka rasta	0.08
300.	—do— in Sethi Kuei ka rasta	0.67
301.	—do— in kanjee ka Nalla	0.31
302.	Desilting of storm water drain south side of rest Balaji ki kothi from RAC chowk chaki.	0.03
303.	Laying 230 mm. dia S.W. pipe line in chakki ki Mori chhaper Bhindon ka rasta.	0.12
304.	—do— in Balaji ka rasta.	0.21
305.	Cont. of Manhole sewer line in Ramchandra ji.	0.13
306,	Laying 230 mm, dia RCC hume pipe line in Godha Nikas road	0.10
307,	—do— in Sandhi ka Tiba	0.18

1	2	3
308.	—do— S. W. pipe line in Radha Kishan ka kund in Chankya marg	0.25
309.	—do— in gali Tan sukha Shir Mâl.	0.13
310.	Const. of dratn in Jogiyon ka Tiba ka rasta at Meharon ki Nadi.	0.06
311.	Laying 230 mm, dia S.W. pipe line in Pakon ka Mohalla	0.06
312.	—do— in Bankshon ki Mori	0.48
313.	—do— old Amer road from Moti Katala Bazar to petrol pump	0.32
314.	Const. L. Shaped drain at rasta chardarwaja to Gangapole police chowki	0.02
315.	Laying 230 mm. dia RCC Hume pipe line In Vyopriyon ka Mohalla	0.10
316.	Const. of drain infront of Nalla in Municipal Colony	0.09
317.	S. W. pipe line Joshi colony near Raja Mal ka Talab koli basti	0.25
318.	Covering of Nalla in panigaron	0.19
319.	Const. of drain in rasta Mahant Niwal	0.02
320.	—do— near plot No. 1 to 20 in Kanwar Ngr,	0.09
321.	—do— in Municipal colony infront of Agriculture farm	0.08
322.	Laying 230 mm. dia RCC hume pipe line in chelon ka rasta	0.11
323.	Const. of drain in M. coloncy back side of Agriculture farm	0.28
324.	—do— in Kanwar Ngr. plot No. 173 to 163 & its dia lanes	0.08

Page No 531

1	2	3
325.	—do– in kunwar Nagar Harijan Basti	0.06
326.	–do— in chini ki Burj	0.07
327.	—do— of culvert & drain in near Tal katora near Iswar Singh ki chhatri	0.50
328.	Const, of drain from west side gate to Jai Niwas Garden on Tal katora road	0.16
329.	Covering of drain from Moti Katla Bazar to Amer Road.	0.18
330.	Repair to drain flood damage & also covering work from Kanwar Ngr, P. Ho. 112 to Koli Basti	0.05
331.	Const. of drain in its covering at old Amer road near park	0.66
332.	Laying 230 mm. dia S. W. pipe line in Kamali Ki Gali from Nathuji house to public latrine its side lanes	0.31
333.	—do— Ankur cenema & back side of Ghat Gate bus stand on Agra road.	0.16
334.	—do— S. W. pipe line in back side of Bal Udhan at Ram Niwas Garden	0.11
335.	Const. of drain in Harijan Basti Ghat Ki Guni	0.45
336.	Const. of V. shaded drain In Tr. ngr. near T. Stand	0.78
307.	Laying 100 mm. dia RCC hume pipe line at rasta Teeba Adrash Nagar	0.'8
337.	Laying 10 mm. dia RCC hume pipe line in Deepak Marg from Gulaba Path	0.61
339.	-do- on Fati Teeba Marg from Moti Dungri road	0.36
340.	-do- 450 mm. in Adrash Nagar from Moti Dungri roda	0.75

1	2	3
341.	-do-. 300 mm. dia in Akaripalani Marg form Adrash Nagar	0.17
342.	Const. of Manhole & laying 9" dia RCC hume pipe line at gali Nardhan Khan to rasta Kamala	0.92
343.	Removal of Malba & Silt Removed drain by departmental labour	3.39
344.	Repairs to Urinals & W.C.	0.37
345.	—do—	0.11
346.	—do—	0.39
347.	—do—	0.42
348.	—do—	0.2
349.	—do—	0.03
450.	—do—	0.16
351.	Const. of wall & ,M Sc. of damaged . portion in puudrık.	0.32
352.	P/L C.C. Jali & C.C. flooring in Jai Niwas garden	0.06
353.	Improvement of park in Kanwar Ngr.	0.06
354.	Repairs of A/A of slaughter house in Moti Doon-gri road.	0.22
355.	Repair of compound wall road & floor with new steel gate at fire station ghat gate	0.14
356.	Repair of Shivaji circle outside cchand pole gate.	0.19
357.	Removal of earth work in ch T. K. Desh Ram-chanderji, Brahumpuri. H. S. Garbi, Sarhad, H.S. Janubi, T. K. Hazuri, Modi Kahan	6.34
358.	Removal of earth & malba in all ehowkries	8.24

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये कार्यों का अभिकरणवार विवरण

नाम अभिकरण :—सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र.सं.	नाम कार्य	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	बंगला नं. ए-51 एवं ए–2 गांधीनगर जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.18
2.	नये ट्रान्जिट आफिसर्स होस्टल भवन गांधीनगर जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.20
3.	पुराने ट्रान्जिट आफिसर्स होस्टल भवन गांधीनगर जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.35
4.	बंगला नं. ए–3 एवं ए–4 गांधीनगर जयपुर में मरम्मत का का कार्य	0.29
5.	गांधीनगर स्थित चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.30
6.	बंगला नं ए–5 गांधीनगर जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.07
7.	गांधीनगर स्थित वी. श्रेणी के आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.56
8.	गांधीनगर सेक्शन प्रथम के अधीन विभिन्न स्थानों पर चार दीवारी की मरम्मत का कार्य	0.70
9.	गांधीनगर मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज ब्लाक में मरम्मत का कार्य	0.29
10,	गांधीनगर स्थित डी. श्रेणी के आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.46
11.	गांधीनगर स्थित ई. श्रेणी आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.39
12.	गांधीनगर सेक्शन द्वितीय एवं पी. आर. ओ. लाइन में चार दिवारी की मरम्मत का कार्य	0.34

1.	2	3.
13.	गांधीनगर स्थित एफ श्रेणी के दो सौ (एक से दो सौ) तक के आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	1.14
14.	गांधीनगर स्थित सी. श्रेणी के आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.37
15.	गांधीनगर स्थित एफ. श्रेणी के (158 आवासीय भवनों से 201 तक) भवनों की मरम्मत का कार्य	0.65
16.	गांधीनगर स्थित जी श्रेणी के आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	0.55
17.	पी. आर. ओ. लाइन जयपुर में भवनों की मरम्मत का कार्य	0.35
18.	गांधीनगर स्थित एच. श्रेणी के आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	0.43
19.	यादगार भवन जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.20
20.	गांधीनगर स्थित एफ श्रेणी के आवास गृहों (158 क्वार्टर्स में) मरम्मत का कार्य	0.54
21.	गांधीनगर स्थित ई. श्रेणी के आवास गृहों में सीमेंट की फर्श का मरम्मत का कार्य	0.64
22.	गांधीनगर स्थित तृतीय श्रेणी के आवास गृहों का मरम्मत कार्य	0.40
23.	गांधीनगर जयपुर में 200 एफ श्रेणी के आवासीय भवनों में सीमेन्ट की फर्श मरम्मत का कार्य	0.95
24.	गंगवाल पार्क स्थित बंगला नं. 1, 2, 3 एवं 5 में मरम्मत का कार्य	0.22
25.	सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर में सोतज पिट्स की मरम्मत का कार्य	0.16
26.	गांधीनगर स्थित द्वितीय श्रेणी के आवासीय गृहों की मरम्मत का कार्य	0.62
27.	गांधीनगर स्थित बी. एच. एवं षष्टम श्रेणी के आवासीय गृहों के दरवाजों की मरम्मत का कार्य	0.62

1	2	3
6.	हीराबाग स्थित आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य	0.20
9.	भगतसिंह मार्ग स्थित बंगला नं० 1, 2, 3 में मरम्मत कार्य	0.35
0.	राजस्थान सचिवालय जयपुर में मरम्मत का कार्य	0.41
.	राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित पंचम श्रेणी के आवास गृहों की मरम्मत का कार्य	0.32
2.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के परिसर में स्थित बंगला नं० 2 व 3 की मरम्मत का कार्य	0.08
.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आपरेशन रूम एवं डाक्टर्स रूम की मरम्मत का कार्य	0.17
.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की चार दीवारी की मरम्मत का कार्य	0.29
.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की चार दीवारी की मरम्मत कार्य	0.33
.	बनीपार्क थाना एवं सदर थाना जयपुर में मरम्मत कार्य	0.20
.	राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के प्रशासनिक ब्लाक की मरम्मत का कार्य	0.41
.	सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की चार दीवारी का मरम्मत कार्य	0.32
.	सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में रंग एवं सफेदी का कार्य	0.19
0.	हीराबाग स्थित प्रथम श्रेणी के आवास गृहों का मरम्मत कार्य	0.20
.	गांधीनगर स्थित जी. ए. एच. श्रेणी के आवास गृहों का मरम्मत कार्य	0.53
.	हीराबाग स्थित तृतीय श्रेणी आवासगृहों की मरम्मत कार्य	0.25
.	राजस्थान सचिवालय जयपुर में वायुशीतन डक्ट लाइन के ऊपर तार फैल्टिंग की मरम्मत कार्य	0.26
4.	सर्किट हाउस जयपुर का मरम्मत कार्य	0.31

1	2	3
45.	राजस्थान सचिवालय में दक्षिणी तरफ की चार दीवारी का मरम्मत कार्य	0.19
46.	डाक बंगला जयपुर की मरम्मत का कार्य	0.21
47.	गांधीनगर जयपुर में सोकेज पिट्स का मरम्मत कार्य	0.27
48.	जे. के. लोन मातृ शिशु केन्द्र चिकित्सालय का मरम्मत कार्य	0.39
49.	जनाना अस्पताल जयपुर की मरम्मत का कार्य	0.33
50.	मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की चार दीवारी का मरम्मत कार्य	0.13
51.	टी. बी. एवं चेस्ट चिकित्सालय, जयपुर की चार दीवारी की मरम्मत का कार्य	0.14
52.	मेडिकल कालेज में साइकिल स्टैण्ड व वर्कशाप की मरम्मत का कार्य	0.36
53.	मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के परिसर में स्थित सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स का मरम्मत कार्य	0.14
54.	सरदार पटेल डिस्पेन्सरी जयपुर में मरम्मत कार्य	
55.	सिरेह ड्योडी डिस्पेन्सरी जयपुर में मरम्मत कार्य	0.04
56.	रामगंज जयपुर स्थित डिस्पेन्सरी में मरम्मत कार्य	0.09
57.	पटेल डिस्पेन्सरी के निकट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आवास गृह का मरम्मत कार्य	0.02
58.	पुरानी बस्ती जयपुर डिस्पेन्सरी का मरम्मत का कार्य	0.01
59.	सवाई मानसिंह स्थित बंगला नं० 52, एवं 22 का मरम्मत कार्य	0.29
60.	सचिवालय जयपुर के परिसर में स्थित आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य	0.09
61.	राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में मरम्मत कार्य	0.39
62.	सांख्यिकी भवन जयपुर में मरम्मत कार्य	0.19

1	2	4
63.	गांधीनगर स्थित सरफेस के रेस्टोरेशन एवं ड्रेन मरम्मत कार्य	1.12
64.	गांधीनगर जयपुर में नई ड्रेन बनवाने का कार्य	1.94
65.	गांधीनगर जयपुर में टांडों के बदलने फुटपाथ बनाने एवं अन्य कार्यों हेतु	2.80
66.	रिपेयर्स आफ कट्स ओन गोपालपुरा सड़क (जोब नं. 713/289 फ्लड 81-82	8.14
67.	प्रोटेक्शन आफ वाल एण्ड पिचिंग ओन सोडाला सांगानेर सड़क (जोब नं० 717/289 फ्लड 81-82)	2.95
68.	जयपुर बाई पास आमेर रोड से आगरा रोड (जोब नं. 719/289 फ्लड 81-82	1.45
69	कट आफ वाल एण्ड पिचिंग टू हाई वेक्स एण्ड पाइप कलवर्ट ओन केशोपुरा बाई पास (जो नं 724/289 फ्लड 81-83)	1.18
70.	कन्सट्रक्शन आफ पाइप कलवर्ट नियर कली का भट्टा (जो नं० 726/289 फ्लड 81-82	5.16
71.	निर्माण कार्य वेन्टेट पाइप कलवर्ट ओन जगतपुरा सड़क इन बिट्विन एयर पोर्ट और जगतपुरा विलेज (जो पं० 727/289 फ्लड 81-82	4.81
72.	रिपेयर ओफ पेचेज होल्स रोड ओर रिमूवल आफ अर्थ (जो नं. 824/289 फ्लड 81-82	1.54
73.	कन्सट्रक्शन आफ वेन्टेट पाइप कलवर्ट आन जगतपुरा रोड एयर पोर्ट जगतपुरा (जो० नं० 731/289 फ्लड 81-82	3.84
74.	कन्सट्रक्शन आफ स्टोन वाटर डेन एण्ड पिचिंग आफ स्लोपस ओन खातीपुरा सड़क (जो०न० 856/289 फ्लड 81-82	1.32
75.	मिट्टी हटाने का कार्य (जो०नं० 857/289 फ्लड 81-82	1.56

1	2	3
76.	रिपेयर आफ पाट होल्स एवं पेचेज (जो०नं० 858/289 फ्लड 81-82	0.07
77.	चैनेलाइजिंग आफ जवाहर नाला फ्राम कलवर्ट आन शांति पथ टू न्यू ब्रिज आन जे. एल. नेहरू मार्ग नियर क्लार्क अम्बर होटल वैन ऐवर नैसेसरी	५.73
78.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम इन्दिरा सर्किल टू एम. आर. ई. सी.	15.22
79.	कसन्ट्रक्शन आफ ब्रिडाल पथ इन ओ. टी. एस.	0.90
80.	मैकिंग टेम्प्रेरी सर्विस रोड एवं गंदा नाला इन्क्लूडिंग गंदा नाला टेम्प्रेरी पाइप कलवर्ट	1.55
81.	सर्विस रोड प्रथम कम्पोस्ट फैक्टरी	1.24
82.	वाइडनिंग आफ एम. आई. रोड फ्राम खासा कोठी टू अजमेरी गेट फोर इम्प्रूवमेन्ट आफ ड्रेन एण्ड फुटपाथ	15.92
83.	बाइन्डनिंग आफ जगतपुरा रोड.	0.26
84.	वाइडनिम आफ जयपुर बाई पास फ्राम आगरा रोड टू जगतपुरा रोड	2.20
85.	20 एम. एम. प्रीकोटेड ग्रिटस	2.52
86.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड रिपेयर टू साइड ड्रेन आन गोविन्द मार्ग।	2.87
87.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन	0.80
88.	सिल्टक्लीयरेन्स एण्ड रिपेयर आफ डेमेज रोड आन जनता कालोनी मैन रोय फ्राम अंकुर सिनेमा टू मैन्टल होस्पीटल	0.43
89.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड रिपेयरिंग वर्क आफ रोड अलोंग, शमशान फ्राम अमृत पथ टू जनपथ इन जनता कालोनी	0.52
90.	सल्ट क्लीयरेन्स एण्ड रिपेयर आफ रोड डेमेज आन अमृतपथ एण्ड लिंक रोड अप टू जनता कालोनी	0.47

1	2	3
91.	कन्स्ट्रक्शन आफ ड्रेन अन्दर लिंक रोड इन जनता कालोनी	0.80
92.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस बाई प्रोवाइडिंग डब्ल्यू. बी. एम. सरफेस एण्ड ड्रेन मैन रोड इन सेठी कालोनी मन्दिर मार्ग	1.58
93.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन इन अन्दर लिंकरोड इन सेठी कालोनी	1.71
94.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड इम्प्रूवमेन्ट आफ ड्रेन	2.72
95.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड कन्सट्रक्शन ड्रेन भाभा मार्ग इन तिलकनगर	0.59
96.	लिंक रोड टुवर्डस मोती डूंगरी 2 नं. पत्रकार कालोनी रोड विथ कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन	0.34
97.	लिंक रोड टू पत्रकार कालोनी	0.34
98.	लिंक रोड भाभा मार्ग टू विजय पथ बिहाइण्ड सहाय नर्सिंग होम	0.46
99.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन	0.21
100.	कन्सट्रक्शन आफ न्यू ड्रेन एट विजय पथ	2.41
101.	कन्सट्रक्शन आफ न्यू ड्रेन एण्ड वाइडनिंग आफ यशपथ	0.91
102.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस प्रभु मार्ग इन तिलक नगर	0.26
103.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन इन पत्रकार कालोनी	0.09
104.	कन्सट्रक्शन आफ न्यू ड्रेन ,, ,,	1.03
105.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन अन्दर लिंक रोड इन तिलकनगर	0.57
106.	इम्प्रूवमेन्ट एण्ड रिपेयर टू ड्रेनपुट-पाथ डाण्डस एण्ड अन्दर मिसिलियस रोड वर्क्स	2.62
107.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन एट मोती डूंगरी रोड	1.92
108.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड रिपेयर आफ डेमेज्ड रोड एट आदर्श नगर मार्ग	0.82
109.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड राईजिंग आफ रोड एट फतेह टीबा रोड	0.48
110.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन प्रेस्ट लिंक रोड इन बिटविन फतेह टीबा रोड एण्ड आदर्श नगर मार्ग	0.09
111.	रिमेटलिंग एण्ड रिपेयर आन सैकिण्ड लेन इन बिटविन टीबा रोड एण्ड आदर्श नगर मार्ग	0.24
112.	रि-कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम बाइस फैक्टरी एण्ड शिवाजी सर्किल टू दीपक मार्ग	1.08

1	2	3
113.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड रिमेटलिंग एण्ड कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन फस्ट लेन इन बिटविन आदर्श नगर मार्ग एण्ड दीपक मार्ग	0.92
114.	क्लीयरेन्स एण्ड रिमेटलिंग कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन सैकण्ड लेन इन बिटविन आदर्शनगर मार्ग एण्ड दीपक मार्ग	0.94
115.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड रिमेटलिंग एण्ड कारपेट आन फर्स्ट लेन एण्ड सैकिण्ड लेन इन दीपक मार्ग	0.22
116.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन इन ट्रान्सपोर्ट नगर	2.41
117.	रिपेयर आफ रोड डेमेज रामनिवास गार्डन	0.46
118.	रेजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क इन आनन्दपुरी रोड	1.53
119.	रिपेयर आफ डेमेज्ड ड्रेन फ्राम अशोक चौक टू 20 सोप्स इन आदर्श नगर	0.11
120.	कन्सट्रक्शन आफ डेमेज्ड रोड इन आनन्दपुरी कनेक्टिंग टू कृपलानी मार्ग	3·34
121.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड पार्टरेजिंग आफ दीपक मार्ग	0.52
122.	कन्सट्रक्शन एण्ड रिपेयर आफ मिसिंग ड्रेन	0.03
123.	सिल्ट क्लीयरेन्स एण्ड पार्टरेजिंग आफ कृपलानी मार्ग इन आदर्श नगर	1.18
124.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन इन सिन्धी कालोनी	0.02
125.	रि–कन्सट्रक्शन आफ रोड इन बिटविन कृपलानी मार्ग टू मुक्ति मार्ग टू शिव मार्ग	0.92
126.	,, भोम्या जी का चबूतरा	1.20
127,	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन एट जे. एल. मार्ग फ्राम इन्दिरा सर्किल टू रामनिवास गार्डन	1.42
भगवान दास रोड		
128.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम लाजपथ मार्ग क्रोसिंग टू अशोक मार्ग	0 75
129.	रिमूअल आफ अर्थ एण्ड रेस्टोरेशन आफ वर्क्स	0.70
130.	रिपेयर आफ पेचेज एण्ड डाण्डस	0.14
131.	रिपेयर आफ ड्रेन पासिंग फ्राम रामबाग अपोजिट सेक्रेटेरियट	0.52
132.	कवरिंग आफ ड्रेन इन फ्रन्ट आफ सेक्रेटेरियट	1.66
133.	कवरिंग आफ ड्रेन इन साइड स्टेच्यू सर्किल	0.21

1.	2	3
134.	रिपेयर आफ साइकिल ट्रेक	0.15
135.	मेकिंग पक्का फुटपाथ इनक्लूडिंग वाइडनिंग	1.78
136.	रि–कन्सट्रक्शन आफ पिलर आफ स्टेच्यू सर्किल एण्ड इलेक्ट्रिक	0.07
	कनेक्शन्स	0.07
137.	रेजिंग आफ डाण्ड एण्ड कोटा स्टोन फ्लोरिंग एट इनर सर्किल टू स्टेच्यू सर्किल	0.82
138.	रेस्टोरेशन आफ कलवर्ट नं. 4, अर्थ वर्क एण्ड रिपेयर आफ ड्रेन अप्रोचेज आदि	1.86
139.	रिपेयर एण्ड रि कन्सट्रक्शन आफ रेस्ट साइड ड्रेन एट कलवर्ट नं. 4	0.16
140.	,, ,, वेस्ट साइड ,,	0·23
141.	रिपेयर टू डेमेज्ड ड्रेन आन पृथ्वी राज रोड	0.19
142.	रेस्टोरेशन आफ साइड आफ कलवर्ट नं. 2	0.85
143.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम इण्डियन एयर लाइन्स टू गवर्नमेन्ट प्रेस सर्किल	0.23
144.	मेकिंग पक्का फुटपाथ इन अशोक मार्ग	0.63
145.	कन्सट्रक्शन आफ आइलेंड एण्ड दी जंक्शन आफ मालवीया मार्ग एण्ड अशोक मार्ग	0.30
146.	रेस्टोरेशन आफ ब्रिज एण्ड अर्थ वर्क आदि नियर कलवर्ट नं० 2	0.58
147.	प्रोवाइडिंग हूम पाइप एण्ड अण्डर नेसेसरी प्रोक्टेशन वर्क	0.10
148.	कन्सट्रक्शन आफ कटफाल्स फार साइड ड्रेन बिटविन कलवर्ट नं. 3 एण्ड 4	0·44
149.	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन वर्क एट सरोजनी मार्ग	0·33
150.	रेस्टोरेशन आफ कलवर्ट नं. 5 (अर्थ वर्क एण्ड रिपेयर आफ ड्रेन एण्ड अप्रोचेज आदि एक्स जी. एल. बजाज मार्ग	1·23
151.	एलेफ डेन और आइदर साइड आफ कलवर्ट नं. 5 एट जी. एल. बजाज मार्ग	0·02
152.	रिपेयर एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ रोड सरफेस इनक्लूडिंग एण्ड बी. टी. फुटपाथ	1·29

Page No 542

1	2	3
153.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रिज एण्ड कलवर्ट नं. 6	0·00
154.	कन्सट्रक्शन आफ बेलीब्रिज टेम्परेरी एण्ड अदर रेस्टोरेशन वर्क	2·36
155.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन एट जोइनिंग दी कलवर्ट नं. 6	1·18
156.	कारपेटिंग आन साइकिल ट्रैक	0·18
157.	राईजिंग आफ डाण्ड्स	0·19
158.	रिपेयर टू सरफेस एण्ड ड्रेन एण्ड अर्थ रिमूअल आदि	0 07
159.	रिमूअल ओफ एण्ड रेस्टोरेशन वर्क	0·31
160.	कन्सट्रक्शन आफ पक्का फुटपाथ बाई कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0·61
161.	रेस्टोरेशन एण्ड रिपेयर टू ब्रिचेज रोड विथ अर्थ फिलिंग आदि	1·35
162.	रिपेयर एण्ड रि कन्सट्रक्शन आफ स्टोम वाटर ड्रेन नियर नाला	0·22
163.	रिपेयर एण्ड रि कन्सट्रक्शन आफ रिटेनिंग वाल नियर गन्दा नाला	0·59
164.	रिपेयर आफ ब्रिच्ड रोड एण्ड रेन	0·15
165.	पार्ट पोर्शन आफ पक्का फुटपाथ	0·28
166.	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ रोड	0·13
167.	रिपेयर एण्ड ड्रेन्स	0·10
168.	रेस्टोरेशन आफ रोड अर्थ वर्क	0·05
169.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन रिटेनिंग वाल	0·30
170.	रिपेयर आफ रोड एण्ड ड्रेन एट वन भवन रोड	0·34
171.	रिपेयर आफ ड्रेन एट होस्पीटल रोड	0 03
172.	रिपेयर आफ सरफेस एण्ड रिमूअल आफ अर्थ एट होस्पीटल रोड	0·05
173.	मेकिंग पक्का फुटपाथ आन होस्पीटल मार्ग	1·69
174.	रिपेयर टू पक्का फुटपाथ आन मिसिंग पोर्शन एण्ड कवरिंग आफ ड्रेन	0·00
175.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रिज आवर सीकर रोड नियर अम्बा बाड़ी ओवर अभानीशाह का नाला इनलूडिंग प्रोटेक्शन वर्क चेनेलाइजिंग आदि	0·06

1	2	3
	हटवाड़ा रोड	
176.	पिचिंग आफ स्लोप्स	0·08
177.	प्रोटेक्शन आफ वर्क्स	0·15
178.	रिमूअल आफ अर्थ	0·18
179.	रिपेयर टू पेसेज	0·18
180.	रिपेयर टू ड्रेन	0 02
181.	कन्सट्रक्शन एण्ड रिपेयर आफ स्ट्रोम वाटर ड्रेन	1·83
182.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन एट जयपुर अजमेर रोड	1·58
183.	,, एट बापू नगर रोड	1·64
184.	रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड ड्रेन एट बजाज नगर रोड	1·07
185.	कन्सट्रक्शन आफ ,,	2·29
186.	रिप्लेसमेंट आफ वार्ड आउट ड्राण्डस एण्ड अन्दर मिसलेनियस रोड वर्क	1·99
187.	वाइडनिंग आफ वर्क एण्ड प्रोवाइडिंग टोइवाल एण्ड पेचिंग ओन आर. पी. ए. रोड	2·58
188.	कन्सट्रक्शन आफ कट आफ वाल एण्ड पेचिंग इनक्लूडिंग फुटपाथ एण्ड वाइन्डनिंग	7·54
189.	कन्सट्रक्शन आफ पक्का फुटपाथ	0·89
190.	रिमूवल आफ अर्थ एण्ड रेस्टोरेशन आफ वर्क्स	0·40
191.	कन्सट्रक्शन आफ स्ट्रोम वाटर ड्रेन शिव मार्ग बनी पार्क	0·00
192.	रिमूअल आफ अर्थ एण्ड रेस्टोरेशन आफ वर्क्स शिवबनीपार्क	0·04
193.	,, ,, एट कान्तीचन्द्र रोड	0·06
194.	रिमूअल आफ सरप्लस अर्थ एण्ड पेच रिपेयर हाथी बाबू का बाग कान्ती नगर	0·24
	देवी मार्ग, दुर्गा मार्ग कबीर मार्ग एण्ड सदर रोड्स	
195.	कवरिंग आफ ड्रेन	0·29
196.	कर्ब स्टोन फिक्सिंग	0·07
197.	रिमूवल आफ सरप्लस अर्थ वर्क	0·04
197.	रिकन्सट्रक्शन एण्ड राइजिंग आफ रोड एट पावर हाउस रोड	0·54
199.	कन्सट्रक्शन स्टोन वाटर ड्रेन ,,	2·71
200.	रिमूअल आफ अर्थ एण्ड वर्क्स रिपेयर्स	0·53
201.	इम्प्रूवमेंट एण्ड रेजिंग आफ नाला पावर	1·16

1	2	3
202.	रिमूअल आफ अर्थ रेस्टोरेशन आफ बर्म्स एण्ड पेवेज	0·49
	संसारचन्द रोड़	
203.	कवरिंग आफ ड्रेन एण्ड वाइडनिंग आफ रोड	3·46
204.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन बोथ साइड आफ रोड आन वेटेनरी हास्पीटल इन न्यू कालोनी	1·61
205.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन इस जालूपुरा रोड	1·27
206.	राईजिंग आफ रोड एण्ड रिपेयर आफ ड्रेन इन न्यू कालोनी	0·72
207.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट आन ब्रिस्ड पोरशन्स लिंक गेट एट न्यू कालोनी	0·50
208.	रिप्लेसमेंट आफ वास्ड आउट कट डाण्ड इन न्यू कालोनी	0·22
209.	,, इन जालूपुरा रोड	0·13
210.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट आफ अप्रोच रोड इन फ्रन्ट आफ दशहरा ग्राउण्ड इन शास्त्री नगर	1·95
211.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन राईजिंग आफ अप्रोच रोड एट सुभाष नगर नियर अंकुर क्लिनिक	0·37
212.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट आन डेमेज्ड पोर्शन आन राजेन्द्र मार्ग बस्सी सीतारामपुरा	1·39
213.	राइजिंग आफ रोड एण्ड प्रोवाईडिंग ड्रेन बस्सी सीतारामपुरा इन शिवाजी मार्ग	4·55
	सुभाष मार्ग, लिंक रोड़	
214.	कारपेटिंग वर्क, महेश मार्ग	0·09
215.	कारपेटिंग वर्क, सुन्दर मार्ग	0·14
216.	कारपेटिंग वर्क, गोतम मार्ग	0·15
217.	कारपेटिंग वर्क, सुरेश मार्ग	0·20
218.	कारपेटिंग वर्क, विथ साइड ड्रेन्स इन पंचशील मार्ग	0·30
219.	,, चैतन्य मार्ग	0·41
220.	लिंक रोड बिटबिन सुरेश मार्ग, चैतन्य मार्ग	0·14
221.	लिंक रोड बिटबिन चैतन्य मार्ग, एण्ड जे. एल. बजाज मार्ग	0·25
222.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग आफ रोड एण्ड प्रोवाइडिंग आफ ड्रेन एट नाहरी का नाका कल्वर्ट	1·01

1	2	3
223.	रेस्टोरेशन आफ वार्स्ड आउट रोड पोर्शन इन आल दी श्री लिंक्स आफ नाहरी का नाका रोड	2·88
224.	रिपेयर एण्ड कारपेट वर्क आन भानुपथ, नाहरी का नाका	0·89
225.	रिपेयर आफ डेमेज्ड रोड फ्राम पीतल फैक्टरी ट शास्त्री सर्किल	4·36
226.	इम्प्रूवमेंट एण्ड कारपेट आन नन्दमार्ग	1·22
227.	वाइडनिंग आफ देहली रोड एन. एच. डब्लू. नं. 11, नियर मिल्क बूथ	1·05
228.	स्ट्रेनिंग एण्ड वाइडनिंग आफ सिंगाकिंग पोर्शन फ्राम सुभाष चौक जोरावर सिंह गेट अप टू जलमहल	3·16
229.	राईजिंग एण्ड कारपेट ओन ओल्ड आमेर रोड	0·82
230.	कन्सट्रक्शन आफ रोड फ्राम चार दरवाजा टू मंडी खटीकान नियर दरगाह	2·29
231.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन रोड फ्राम गंगापोल टू एन. एच. डब्लू 8 बाई पास बदनपुरा	0·96
232.	वाइडनिंग एण्ड राईजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क ,,	2·07
233.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट आन ब्रह्मपुरी रोड नियर मालियों का खुर्रा एण्ड चौक	1·11
234.	वाइडनिंग एण्ड राइजिंग एण्ड कारपेटिंग फ्राम सूरजपोल टू एन. एच. 11 वाई पास वाया लक्ष्मी नारायण पुरी	1·49
235.	कन्सट्रक्शन आफ एल. सेप ड्रेन ,,	0·57
236.	राईजिंग एण्ड कारपेटिंग आफ रोड इन फ्रन्ट आफ लक्ष्मी-नारायणपुरी मन्दिर	0·59
237.	कन्सट्रक्शन आफ मिसिंग ड्रेन	0·43
238.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेटिंग आफ लिंक रोड फ्राम मंडी खटीकान टू लक्ष्मीनारायण पुरी	1·05
239.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेटिंग आफ दी मेन रोड फ्राम कलवर्ट टू रामनगर	3·76
240.	,, ,, डेमेज्ड पोर्शन आन रोड इन शेतानसिंहकालोनी टू शास्त्री नगर	1·08
241.	,, ,, आन लिंक रोड आफ अम्बावाड़ी 2 किलो-मीटर लेंथ	3·89.

1	2	3
242.	राईजिंग आफ रोड फ्राम चांदपोल सर्किल टू नाहरी का नाका वाया सीकर हाउस	2·66
243.	कन्सट्राशन आफ ड्रेन　　,,	1·26
244.	रिपेयर आफ ड्रेन कवर इन इन्दिरा बाजार	0·07
245.	रिपेयर आफ डेमेज्ड रोड आफ खजाने वालों का रास्ता	0·76
246.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेटिंग आन घोड़ानिकास रोड	0·56
247.	रेजिंग एण्ड कारपेटिंग आन डेमेज्ड पोर्शन आफ गेट रोड	1·15
248.	रिपेयर एण्ड कारपेट आन मोती कटला रोड	0·15
249.	रिप्लेसमेंट आफ वार्ड कट डाण्ड इन साइड सिटी वाल	0·45
250.	रिपेयर आफ ड्रेन एण्ड रोड इन आदर्श नगर	0·94
251.	कन्सट्रक्शन आफ फुटपाथ एट गलता रोड फ्राम रामगंज चौपड़ टू सूरजपोल	0·96
252.	,,　　,,　　घोड़ा निकास रोड	0·27
253.	,,　　,,　　चार दरवाजा	0·61
254.	रिमूवल आफ सिल्ट फ्राम खेतड़ी हाउस टू सीकर हाउस रोड	0·39
255.	,,　　,,　　इन्दिरा बाजार	0·11
256.	,,　　,,　फ्राम इन साइड चार दरवाजा	0·01
256.	रिमूवल आफ अर्थ आन स्टेशन रोड	0·21
258.	कन्सट्रक्शन आफ बिटूमन फुटपाथ आन स्टेशन रोड	4·54
259.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग दी रोड आन सोमानी बिल्डिंग रोड	0·78
260.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग एट बनस्थली मार्ग	0,93
261.	कन्स्ट्रक्शन आफ ड्रेन एन.बी. सी. रोड	0·98
262.	रेस्टोरेशन आफ रोड एण्ड ड्रेन	1·57
263.	कारपेटिंग वर्क आन एन. बी. सी. रोड	0·38
264.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन एट कालीदास रोड	1·50
265.	कारपेटिंग वर्क आन कालीदास रोड	0·40
266.	,,　　,,　आन भाष्कर मार्ग	0·48
267.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन तुलसी मार्ग	2·32
268.	कारपेटिंग वर्क　　,,	0·63
269.	,,　　आन टैगोर पथ	0·21

(647)

1	2	3	4
270.	कारपेटिंग वर्क टू एस. बी. आई. लिंक रोड फ्राम जयसिंह हाईवे		0·27
271.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन लिंक रोड		0·70
272.	रिमूवल आफ अर्थ ओन टोडरमल मार्ग		0·20
273.	रिपेयर आफ पिट होल्स एण्ड पेचेज आन" एण्ड कारपेटिंग (—)		0·01
274.	राईजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क्स आन पारीक कालेज रोड		0·78
275.	कारपेटिंग वर्क आन मृगू मार्ग		0·43
276.	,, आन धीया मार्ग		0·35
277.	रिमूवल आफ अर्थ एण्ड पेज रिपेयर		0·05
278.	रिपेयर आफ एडजेस्टींग ड्रेन एण्ड रिमूवल आफ अर्थ रेल्वे ओवर हेड ब्रिज टू अजमेर रोड वाया सिविल लाइन्स		—
279.	राईजिंग एण्ड कारपेटिंग आन ताल रोड		2·82
280.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आफ सिन्धी कालोनी रोड बनी पार्क		1·18
281.	,, ,, कारपेटिंग वर्क ,, ,,		1·44
382.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन हसनपुरा एन. बी. सी.		1·43
283.	कारपेटिंग वर्क ,,		0·76
284.	पेच रिपेयर एण्ड रिमूवल आफ अर्थ वर्क आन विद्युत मार्ग		0·35
285.	कन्सट्क्सन आफ ड्रेन फार्म रेस क्रासिंग टू सिविल लाइन्स		0·64
286.	रिपेयर टू पेचेज एण्ड कारपेट वर्क		1·05
287.	कारपेटिंग वर्क इन सिविल लाइन्स		0·27
288.	,, इन नन्दपुरी कालोनी		0·67
289.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन एण्ड रिमूवल आफ अर्थ एट शिल्प कालोनी झोटवाडा		0·61
290.	कारपेट एण्ड वाइडनिंग आफ दी रोड इन शिव हीरापथ चौमू हाउस		1·13
291.	कन्सट्रक्शन आफ स्ट्रोम वाटर ड्रेन आन जगतपुरा एण्ड लिंक		0·80
292.	कारपेर वर्क		0·37
293.	कन्सट्रक्शन आफ साईड रेन आन लिंक रोड इन साइड भागीरथ कालोनी		0·18
294.	कारपेट एण्ड पार्टली रेजिंग वर्क आन लिंक रोड इन साइड भागीरथ कालोनी		0·23

1	2	3
295.	राइजिंग आफ वाल्स आफ ड्रेन इन चौमू हाउस	0·05
296.	इम्प्रूवमेंट आफ क्रोसिंग बिटविन सरदार पटेल मार्ग एण्ड धुलेश्वर गार्डन	0·22
297.	कन्सट्रक्शन आफ स्ट्रोम वाटर ड्रेन वाटर ड्रेन एट शान्ति नगर	5.31
298.	रिमूअल आफ ,, अर्थ	0·52
299.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट वर्क ,,	1·17
300.	वाइडनिंग आफ रोड विथ ड्रेन पक्का वर्म्स आन सुभाष मार्ग	1.37
301.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन लिंक रोड बिटविन सुरेश मार्ग एण्ड चैतन्य मार्ग	0·32
302.	अर्थ वर्क एण्ड पेजेच आन सुन्दर मार्ग एण्ड पंचशील मार्ग	0·31
303.	साइड ड्रेन एण्ड अर्थ क्लीयरेन्स एण्ड पेचेज आजाद मार्ग	0·35
304.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन रमेश मार्ग लेन प्रथम	0·20
305.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क ,,	0·15
306.	ड्रेन वर्क आन रमेश मार्ग, लेन–2	0·17
307.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क ,,	0·16
308.	रिपेयर आफ ड्रेन एण्ड रिटेनिंग वाल आन बाल मंदिर स्कूल	0·33
309.	रेजिंग एण्ड कारपेट वर्क बिटविन रमेश मार्ग एण्ड जे. एल. बजाज मार्ग	0·76
310.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन बिटविन रमेश मार्ग एण्ड भवानीसिंह रोड	1·01
311.	राइजिंग एण्ड कारपेटिंग वर्क ,,	1·61
312.	कारपेटिंग वर्क आन चितरंजन मार्ग	0·67
313.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन भगतसिंह मार्ग	0·36
314.	कारपेट वर्क आन आदिनाथ मार्ग	(—) 0·07
315.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन एण्ड रिटेनिंग वाल विथ प्रोटेक्शन वर्क आन कृष्णा मार्ग	2·38
316.	कारपेट वर्क एण्ड रिमूवल आफ अर्थ आन ,,	0·59
317.	कन्सट्रक्शन आफ स्ट्रोम वाटर ड्रेन फ्राम भगतसिंह मार्ग क्रासिंग टू जे. एल. बजाज मार्ग	6·53
318.	कारपेटिंग वर्क आन दुर्गा मार्ग	0·31
319.	कारपेट वर्क आन मालवीय मार्ग एण्ड भगतसिंह मार्ग	0·21

1	2	3
320.	कारपेट वर्क दुर्गा मार्ग	0·29
321.	ड्रेन एण्ड फुटपाथ फ्राम विवेकानन्द मार्ग टू अशोक मार्ग	1·13
322.	कन्सट्रक्शन आफ साइड ड्रेन आन सुरेश मार्ग एण्ड क्रास लिंक्स	1·84
323.	रिपेयर एण्ड कन्सट्रक्शन आफ कटफाल्स आन गन्दा नाला	0·19
324.	कन्सट्रक्शन आफ न्यू सेफ ड्रेन फ्राम अग्रसेन सर्किल टू कृष्णा मार्ग	0·71
325.	कारपेट वर्क बिहाइण्ड सहदेव मार्ग	0·85
326.	इम्प्रूवमेंट ग्राफ क्रोसिंग आफ पी. आर. रोड, एण्ड पटेल मार्ग	2·25
327.	स्ट्रन्थनिंग एण्ड कवरिंग आफ ड्रेन ,,	1.13
328.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन आन सतसाई कालेज	0.77
329.	कारपेट वर्क फ्राम टोंक रोड फर्स्ट लेन आन सरस्वती मार्ग	0.93
330.	वाइडनिंग एण्ड कारपेट आन लिंक रोड भाभा मार्ग टू विजयपथ विटबिन सहाय नर्सिंग होम	0.37
331.	इम्प्रूवमेंट आफ ड्रेन एण्ड फुटपाथ इन रामनिवास गार्डन	7 24
332.	कारपेट एण्ड एक्सटेन्शन आफ साइकिल ट्रेक आन आइदर साइड एण्ड रिप्लेसमेंट आफ वास्ड आउड डाण्ड आन जे. एल. मार्ग	5.47
333.	रिमेटलिंग एण्ड कारपेट वर्क आन किसान मार्ग एण्ड लिंक रोड टू मानसिंह पुरा टू टोंक–रोड	2.88
334.	,, लिंक रोड आफ रूपा रामपुरा	4.36
335.	,, आन रूपा रामपुरा रोड	4.24
336.	कन्सट्रक्शन आन ड्रेन फ्राम एक्जेस्टिंग ड्रेन नियर ट्रांसफारमर आन किसान मार्ग	4.48
337.	कन्सट्रक्शन आन ड्रेन एण्ड राईजिंग आफ रोड विथ कारपेट उनियारा गार्डन	3.49
338.	हेवी पेच रिपेयर एण्ड कारपेट ओन सर्किल रोड, आन अमानीशाह का नला	0.11
339.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम सैन्ट्रल स्कूल टू नाला थ्री रूपारामपुरा	7.18
340.	बिटूमिन्स ट्रीटमेंट बाइफवर फिनिमिंग आन जयपुर सिटी रोड	135 51
341.	डिस्पोजल ड्रेन फ्राम सोडाला टाउन टू अजमेर रोड	7.12

1	2	3
342.	वाइडनिंग एण्ड कारपेट वर्क आन ज्ञान मार्ग तिलकनगर	1.33
343.	रिमेटलिंग एण्ड री कारपेटिंग आन शिवाजी मार्ग	0.16
344.	रिपेयरिंग आफ कर्ब स्टोन्स इन सी–स्कीम	0.31
345.	इम्प्रूवमेंट आफ एडजस्टिंग ड्रेन आउट साई डा. हेलिक बंगलो इन फ्रन्ट आफ केसरी हिन्द होटल	0.04
346.	मैकिंग पक्का रिटेनिंग वाल आन आइदर साइड एण्ड प्रावाइडिंग फ्लारिंग टू नाला बेड इन बिटविन कलवर्ट नं. 1 एण्ड 2	23.11
347.	,, कलवर्ट नं 2 एण्ड 3	31.79
348.	,, कलवर्ट नं 3 एण्ड 4	12.21
349.	,, कलवर्ट नं 4 एण्ड 5	10.10
350.	,, कलवर्ट नं 5 एण्ड 6	46.18
351.	,, कलवर्ट नं. 6 एण्ड 7	25.26
352.	प्रोटेक्शन आफ हाई एम्बेन्कमेंट बाई प्रावाइडिंग पिचिंग एण्ड अ टाईवाल एण्ड कन्सट्रक्शन आफ डेमेज्ड रोड आन जे. एल. मार्ग	5.28
253.	कन्सट्रक्सन आफ मेजर ब्रिज आन जे. एल. मार्ग विद नैसेरी प्रोटेक्शन वर्क	0.00
254.	दी रेस्टोरेशन एण्ड प्रोटेक्शन रोड एम्बेकमेंट बाई अर्थ फिलिंग पिचिंग टोईवाल डाउन टेक ड्रेन आन बाई पास नियर एम. आर. ई. सी.	15.73
355.	कन्सट्रक्शन आफ पाइप कलवर्ट इन बिटविन ब्रिज कार्पोरेशन टू टीबा.नं. 9 बाई फिलिंग आफ अर्थ एण्ड टोई वाल एण्ड रिपेयर टू पाई कलवर्ट बिटविन टीन नं. 9 टू शान्तीपथ	7.69
356.	कन्सट्रक्शन आफ दी वाल आन जयपुर बाई पास पोर्शन फ्राम जगतपुरा टू आगरा रोड	3.32
357.	प्रोवाइडिंग एण्ड पिचिंग आफ टाईवाल आन जयपुर बाई पास पोर्शन फोम जगतपुरा टू आगरा रोड	7.69
358.	कन्सट्रक्शन आफ रोड कनक्टिंग फार्म जे. एल. मार्ग टू एम. आर. ई. सी. रोड इन्क्लूडिंग पाइप कलवर्ट	0.70

Page No 551

1	2	3
359.	कन्सट्रक्शन आफ टोईवाल–नियर रेलवे लाइन आफ जगतपुरा	1.43
360.	कन्सट्रक्शन आफ कलवर्ट एण्ड लिंक रोड टू झालाना महल फ्राम जगतपुरा रोड	6.29
361.	कन्सट्रक्शन आफ काजवे विद फाल आन जगतपुरा रोड बिटविन एयर पोर्ट टू जगतपुरा विलेज	3·01
362.	कन्सट्रक्शन आफ रिटेनिंग वाल एण्ड प्रोटेक्शन आफ हाई बैंक इनफ्रन्ट आफ झालाना महल	3.66
363.	कन्सट्रक्शन आफ क्रास वाल चैक रेस्टोरेशन आन जगतपुरा रोड	4.14
364.	वाइडनिंग आफ जगतपुरा रोड	13.56
365.	प्रोटेक्शन टू रोड एम्बेन्कमेंट बाई अर्थ फिलिंग टोवाल डाऊन ट्रेक ड्रेन एक्स्ट्रा	10.58
366.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन फ्राम गोपालपुरा क्रासिंग वाया दुर्गापुरा फ्राम कमानी प्लांट टू डिस्पोजल प्लांट	21.48
367.	कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज आन गन्दा नाला	0.00
368.	कन्सट्रक्शन आफ कलवर्ट आन गोपालपुरा रोड	7.99
369.	प्रोटक्शन आफ बर्म्स एण्ड पिचिंग आन सोडाला सांगानेर रोड	0.26
370.	प्रोटेक्शन आफ बर्म्स एण्ड पिचिंग आन गोपालपुरा रोड	1.97
371.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन एण्ड कारपेटिंग वर्क सतसाई कालेज इन सेठी कालोनी	0.00
372.	,, ,, न्यू ड्रेन एण्ड फुट पाथ प्रभूमार्ग इन तिलकनगर	0.00
373.	इम्प्रूवमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन आफ न्यू ड्रेन मोती डूंगरी रोड	0.05
374.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रिज एट कलवर्ट नं. 6 भवानीसिंह रोड	18.36
375.	कन्सट्रक्सन आफ ब्रिज ओवर सीकर रोड नियर अम्बाबाडी ओवर अमानीशाह का नाला इन्कलूडिंग प्रोटेक्शन वर्क चेनेलाईजिंग एस्टेक्स्ट्रा	7.17
376.	री–कन्सट्रक्सन आफ माइनर ब्रिज एण्ड प्रोटेक्शन आफ वेन्ड्स इन ब्रह्मपुरी रोड, एण्ड आयुर्वेदिक इन्स्टीट्यूट	9.53
377.	कन्सट्रक्शन आफ पक्का नाला बाई पास कलवर्ट टू जल महल फोर चेनेलाईजिंग दी स्टोर्म वाटर	42.41

1	2	3
378.	री—कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज एण्ड प्रोटेक्शन आफ बेंक्स एण्ड अप्रोचेज आउट साइड गंगापोल बास बदनपुरा	2.43
379.	कन्सट्रक्शन आफ ड्रेन ओन ताल रोड फ्राम रेलवे ओवर हेड ब्रिज टू अजमेर रोड वाया सिविल लाइन्स	3.76
380.	कन्सट्रक्शन आफ स्टोर्म वाटर ड्रेन फ्राम ड्रूंडलोद हाउस टू अजमेर रोड वाया सोढाला ओन हवा सड़क	15.58
381.	कम्प्रेसिव डेमेज स्कीम फ्राम सेठी कालोनी, आदर्श नगर, जनता कालोनी अप टू गन्दा नाला	0.01
382.	कन्सट्रक्शन आफ मेजर ब्रिज आन जे. एल. मार्ग नेसेसरी प्रोटेक्शन वर्क	50.00
383.	कन्सट्रक्शन आफ मेजर ब्रिज आन डेयरी रोड इन बिटविन जे.एल. एस मार्ग टू डेयरी अलोंग विद दी नेसेसरी चेनल विद ब्रिज एट ओ. टी. एस. टू दिस डेयरी	50.500
384.	चेनेलाइज आफ जवाहर नगर नाला फ्राम कलवर्ट आन शान्ति पथ टू न्यू ब्रिज आन जे. एल. नेहरू मार्ग नियर क्लार्क आमेर होटल वेहरएवर नेसेसरी	15.00
385.	कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज आन गन्दा नाला	15.00
386.	कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज आन सोडा सांगानेर रोड, नियर कम्पोस्ट प्लान आन अमानीशाह नाला विद अप्रोचेज	25.00
387.	कन्सट्रक्शन आफ हाई लेवल ब्रिज ओवर अमानीशाह का नाला आन अप्रोचेज टू सांगानेर टाउन	40.00
388.	कन्सट्रक्सन आफ पाइप कलवर्ट एट फर्स्ट क्रोसिंग नियर एण्ड कन्सट्रक्शन खेतान पोलीटेक्निक	5.00
389.	कन्सट्रक्शन आफ कलवर्ट नं. 4 एण्ड 5 रेस्टोरेशन आफ सरफेस एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ ड्रेन	10.00
390.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रिज ओवर सीकर रोड नियर अम्बाबाडी ओवर अमानीशाह नाला इन्कलूडिग प्रोटेक्शन वर्क चेनेलाईजिग एक्स्ट्रा	150.00
391.	कन्सट्रक्शन आफ ब्रिज आन अमानीशाह का नाला खातीपुरा रोड	25.00

(653)

1–903

1	2	3
392.	कन्सट्रक्शन आफ हाई लेवल ब्रिज आन अमानीशाह का नाला	50.00
393.	कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज एण्ड प्रोटेक्शन आफ बैंक्स आन चार दरवाजा टू मण्डी खटीकान नियर दरगाह इन्कलूडिंग चैनेलाइजिंग एण्ड प्रोटेक्शन वर्क	20.00
394.	री–कन्सट्रक्शन आफ माइनर ब्रिज एण्ड प्रोटेक्शन आफ बैंक एण्ड अप्रोचेज आन ईदगाह रोड	20.00
395.	री–कन्सट्रक्शन आफ माईनर ब्रिज एण्ड प्रोटेक्शन आफ बैंक एण्ड अप्रोचेज आउट साइड गंगापोल बास बदनपुरा	20.00
396.	ब्रिज एट खातीपुरा	15.00